

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 31 मार्च 2021 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

2020-21



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. स.वि. बो.क. 60 / 02.16.001 / 2021-22

24 मई 2021
3 ज्येष्ठ 1943 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ:

- (i) 1 जुलाई 2020 – 31 मार्च 2021 परिवर्तन वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ii) 1 जुलाई 2020 – 31 मार्च 2021 परिवर्तन वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास

गवर्नर

शक्तिकान्त दास

उप गवर्नर

महेश कुमार जैन

माइकल देबब्रत पात्र

एम. राजेश्वर राव

टी. रबी शंकर

**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी)
के अंतर्गत नामित निदेशक**

रेवती अय्यर

सचिन चतुर्वेदी

**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी)
के अंतर्गत नामित निदेशक**

नटराजन चंद्रसेकरन

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी)
के अंतर्गत नामित निदेशक**

देबाशीष पण्डा

अजय सेठ

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र

सचिन चतुर्वेदी

उत्तरी क्षेत्र

रेवती अय्यर

राघवेंद्र नारायण दुबे

दक्षिणी क्षेत्र

प्रमुख अधिकारी

(24 मई 2021 की स्थिति)

कार्यपालक निदेशकगण

.....	अनिल के. शर्मा
.....	एस. सी. मुर्मू
.....	पी. विजयकुमार
.....	ओ. पी. मल्ल
.....	मदुल के. सागर
.....	सौरव सिन्हा
.....	विवेक दीप
.....	जयंत कुमार दाश
.....	आर. सुब्रमणियन
.....	रोहित जैन
.....	आर. एस. रथ
.....	जोस. जे. कडूर
.....	सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय सतर्कता कक्ष.....	साधना वर्मा, मुख्य महा प्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग.....	रंजना सहजवाला, मुख्य महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग.....	रजनी प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग.....	नीरज निगम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग.....	ए. के. चौधरी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग.....	योगेश के. दयाल, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग.....	सुब्रत दास, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग.....	डॉ. पी. रथ, प्रभारी अधिकारी
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग.....	आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग.....	चारुलता एस. कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.....	दीपक कुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भूगतान और निपटान प्रणाली विभाग.....	पी. वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग.....	ए. आर. जोशी, प्रभारी अधिकारी
प्रवर्तन विभाग.....	एच. एन. अय्यर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग.....	सोनाली सेनगुप्ता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग.....	सेशासयी जी. मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग.....	डिम्पल भाडियाँ, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग.....	अजय कुमार मिश्रा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई.....	निशा नाम्बियार, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग.....	वंदना खेर, मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग.....	जी. पी. बोरा, मुख्य महा प्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग.....	आर. गुरुमूर्ति, मुख्य महा प्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग.....	महेश रॉय, प्रभारी परामर्शदाता
विधि विभाग.....	ए. उन्नीकृष्णन, प्रभारी विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग.....	राजीव रंजन, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग.....	माला सिन्हा, मुख्य महा प्रबंधक
राजभाषा विभाग.....	साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग.....	मनोरंजन दाश, मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग.....	अविरल जैन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

महाविद्यालय

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे.....
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चैन्ने.....

प्रधानाचार्य

वी. जी. सेकर
आर.केसवन

कार्यालय

चैन्ने.....
कोलकाता.....
मुंबई.....
नई दिल्ली.....

क्षेत्रीय निदेशक

एस. एम. नरसिन्हा स्वामी
सुशोभन सिन्हा
अजय मिच्यारी
अजय कुमार

शाखाएं

अहमदाबाद.....
बंगलुरु.....
भोपाल.....
भुवनेश्वर.....
चंडीगढ़.....
देहरादून.....
गुवाहाटी.....
हैदराबाद.....
जयपुर.....
जम्मू.....
कानपुर.....
लखनऊ.....
नागपुर.....
पटना.....
रायपुर.....
तिरुवनंतपुरम.....

एस. के. पाणिग्रही
आर. कार्तिकेयन, प्रभारी महाप्रबंधक
विवेक अग्रवाल
एच. एन. पंडा
जे. के. पाण्डेय
राजेश कुमार
संजीव सिंघा
के. निखिला
अरुण कुमार सिंह
के. पी. पटनाइक
तुली राय
आर. एल. के. राव
संगीता लालवानी
ब्रिज राज, प्रभारी महाप्रबंधक
ए. सिवामी
रीनी अजित

प्रभारी अधिकारी

अगरतला.....	तमल बिस्वास, मुख्य महाप्रबंधक
आइजोल.....	मैरी लिनलकिम डेंग, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर.....	जयकिश, मुख्य महाप्रबंधक
गंगटोक.....	आर. वी. सैगवाई, मुख्य महाप्रबंधक
इफाल.....	मैरी ल्वाम नगिह थिंग ग्वेते, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
कोच्चि.....	वि. के. नायक, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
पणजी.....	एन. जी. नम्पतिरी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
रांची.....	संजीव सिन्हा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग.....	पाऊबोई गांगटे, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिमला.....	के. सी. आनंद, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
श्रीनगर.....	अशोक कुमार, प्रबंधक

	पृष्ठ संख्या
भाग एक: अर्थव्यवस्था: समीक्षा और संभावनाएं	1
I. मूल्यांकन और संभावनाएं	1
2020-21 के अनुभव से सबक	3
2021-22 और उसके बाद का परिदृश्य	10
II. आर्थिक समीक्षा	18
वास्तविक अर्थव्यवस्था	18
कीमतों की स्थिति	39
मुद्रा एवं ऋण	51
वित्तीय बाजार	62
सरकारी वित्त	74
बाह्य क्षेत्र	83
भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन	101
III. मौद्रिक नीति परिचालन	101
मौद्रिक नीति	102
परिचालन फ्रेमवर्क: चलनिधि प्रबंधन	104
मौद्रिक नीति संरचना	110
क्षेत्रवार उधार दरें	112
IV. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन	115
ऋण सुपुर्दगी.....	117
वित्तीय समावेशन	121
वित्तीय साक्षरता	122
V. वित्तीय बाजार तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन	124
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	124
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	126
विदेशी मुद्रा विभाग	130
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	134
वित्तीय स्थिरता इकाई	135
विनियमन विभाग	
वाणिज्यिक बैंक	137

सहकारी बैंक	143
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	145
पर्यवेक्षण विभाग	
वाणिज्यिक बैंक	148
शहरी सहकारी बैंक	152
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	154
सभी पर्यवेक्षित संस्थाएं	157
प्रवर्तन विभाग	160
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	162
निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	165
VII. लोक ऋण प्रबंधन	168
केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	170
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	173
VIII. मुद्रा प्रबंध	177
संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम.....	177
मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना.....	179
प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय	180
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	182
IX. भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी	184
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	184
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	197
X. संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी	202
संचार प्रक्रियाएं	202
अंतरराष्ट्रीय संबंध.....	207
सरकारी और बैंक लेखा	211
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंध	214
आर्थिक और नीति अनुसंधान	216
सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन	218
विधिक मामले	221

	पृष्ठ संख्या
XI. गवर्नेंस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन	225
गवर्नेंस संरचना	226
मानव संसाधन विकास के प्रयास	227
उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	233
आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण	234
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन	235
राजभाषा	238
परिसर विभाग	240
अनुबंध	244
XII. 2020-21 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा	248
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	252
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का आय विवरण	253
अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं	254
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	257
लेखा संबंधी टिप्पणियां	261
अनुबंध I : प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम : मार्च 2020 से मार्च 2021	276
अनुबंध II : कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाएं :	
मार्च 2020 से मार्च 2021	296
परिशिष्ट सारणियां	315

बॉक्स

II.1.1 : संकट के बाद वृद्धि में सुधार को कौन सी बातें प्रेरित करती हैं?	22
II.1.2 : कॉरपोरेट कार्यनिष्पादन पर कोविड-19 का प्रभाव.....	32
II.2.1 : मार्क-अप में कोविड-19 पश्चात वृद्धि तथा खाद्यान्न मुद्रास्फीति सरप्राइज.....	50
II.4.1 : क्या शेयर बाजार में उफान तर्कसंगत है?	69
II.4.2 : भारत में सूचीबद्ध किए जाने से प्रतिलाभों की प्रकृति : जांच-पड़ताल.....	71
II.5.1 : 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें-एक तुलनात्मक विश्लेषण.....	80
II.6.1 : कोविड-19 महामारी - भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात के लिए अवसर और चुनौतियाँ	86
II.6.2 : क्या एफडीआई कोविड से अप्रभावित है ?	95
III.1 : अंतिम उधारदाता	108
IV.1 : प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना.....	118
V.1 : खुले बाजार के परिचालनों में गतिशील दृष्टिकोण के जरिए बॉन्ड बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करना	128
VI.1 : कोविड-19 संबंधी विनियामकीय उपाय एक अंतर-देशीय परिदृश्य.....	139
VI.2 : एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क - स्केल-आधारित दृष्टिकोण	146
VI.3 : यूसीबी पर्यवेक्षण के बदलते प्रतिमान – भावी दिशा.....	153
VI.4 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कारोबार मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तन और सशक्त पर्यवेक्षण	155
VI.5 : ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क.....	163
VI.6 : निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण - जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) के माध्यम से नैतिक जोखिम को कम करना	166
VIII.1 : बैंकनोट संचालन प्रक्रिया का स्वचालन	182
IX.1 : भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई -डीपीआई).....	191
IX.2 : फिनटेक एक्टिविटी इन इंडिया: कोविड-19 के दौरान फंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रुझान.....	194
IX.3 : आरटीजीएस 24x365, देश के अनुभव से सबक सहित.....	198
X.1 : महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक का संचार.....	203
X.2 : सार्कफाइनेन्स और आरबीआई द्वारा की गयी पहल.....	209
X.3 : केंद्र सरकार की स्वायत्त निकायों द्वारा ई-भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम.....	212

X.4	: निम्न प्रतिफल परिवेश में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन की चुनौतियाँ.....	214
X.5	: कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वेक्षण.....	220
XI.1	: रिजर्व बैंक का कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क.....	228
XI.2	: रिजर्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क.....	237
परिशिष्ट सारणियां		
1.	समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक.....	315
2.	वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 के मूल्यों पर).....	317
3.	सकल बचत.....	318
4.	मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण.....	319
5.	प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार.....	320
6.	मुख्य राजकोषीय संकेतक.....	321
7.	केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण.....	322
8.	भारत का समग्र भुगतान संतुलन.....	323
9.	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार.....	324

बैंक के लेखांकन वर्ष के परिवर्तित होकर अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) हो जाने से, यह वार्षिक रिपोर्ट नौ महीनों (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की परिवर्तन अवधि में रिजर्व बैंक के कामकाज व कार्यपद्धति से संबंधित है।

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एएसीएस	- सहकारी समितियों पर यथा लागू	बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
एबी	- स्वायत्त निकाय/ संस्था	बीसीडी	- मूल सीमा शुल्क
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन
एडीएफ	- आस्ति विकास निधि	बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना
आई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
एएफए	- प्रामाणीकरण का अतिरिक्त कारक	बीई	- बजट अनुमान
आईपीएस	- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली	बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
आई	- कृत्रिम बुद्धिमत्ता	भीम	- भारत इंटरफेस फॉर मनी
आईडी	- सर्व-समावेशी दिशानिर्देश	बीआईए	- मूल संकेतक दृष्टिकोण
आईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	बीआईएस	- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट
एमएम	- धन-शोधन निवारण	बीएलएस	- बैंक उधारी सर्वेक्षण
एमआरएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली	बीओएस	- बैंकिंग लोकपाल योजना
एनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	बीओजे	- बैंक ऑफ जापान
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल	बीपीएस	- आधार अंक
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन	बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
एक्यूआई	- आस्ति गुणवत्ता सूचकांक	बीआर	- बैंकिंग विनियमन
एपी	- प्राधिकृत व्यक्ति	बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एपीआई	- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस	ब्रिक्स	- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
एपीआई	- सक्रिय औषधि घटक	बीएसए	- द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था
एपीएमसी	- कृषि उत्पाद बाजार समिति	बीएसएस	- बेतार संचार सेवा
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	बीएससी	- बिलिडिंग उप-समिति
एआरआईआईआर	- विनियम व्यवस्था और विनियम प्रतिबंध	बीटीएफपी	- भुगतान पर ब्रिक्स टास्क फोर्स
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीए	- समवर्ती लेखापरीक्षा
एसआईएसओ	- स्वचालित स्वीप इन और स्वीप आउट	सीएडी	- चालू खाता घाटा
एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्तियां	कैफरल	- उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र
बीबीए	- उधार संबंधी द्विपक्षीय करार	कैमल्स	- पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीबीडीसी	- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली		
बीबीएफ	- ब्रिक्स बॉण्ड फंड		
बीसी	- कारोबार प्रतिनिधि		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

सीबीडीटी	- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सीएमबी	- नकदी प्रबंधन बिल
सीबीजी	- कम्प्रेसड बायोगैस	सीएमएस	- शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीबीआईसी	- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क	सीओ	- केंद्रीय कार्यालय
सीबीएस	- कोर बैंकिंग समाधान	सीओए	- प्राधिकरण प्रमाणपत्र
सीसी	- मुद्रा तिजोरी	सीओबी	- केंद्रीय कार्यालय भवन
सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति	सीओडी	- केंद्रीय कार्यालय विभाग
सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	सीओआर	- पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीसीओ	- मुख्य अनुपालन अधिकारी	सीओएस	- पर्यवेक्षक महाविद्यालय
सीसीएस	- कंज्यूमर कोन्फ़ीडेंस सर्वे	कॉसमॉस	- कंप्यूटरीकृत परोक्ष निगरानी प्रणाली
सीसीवाईबी	- प्रतिचक्रिय पूंजी बफर	सीपीसी	- केंद्रीय भुगतान कमीशन
सीडी	- जमा प्रमाणपत्र	सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
सीडी रेशियो	- ऋण - जमा अनुपात	सीपीएफ	- अंशदायी भविष्य निधि
सीडीएस	- ऋण चूक स्वैप	सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीडीएसएल	- क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड	सीपीपी	- व्यापक पेंशन पैकेज
सीईओ	- मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सीपीएमआई- आईओएससीओ	- भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति - प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन
सीईओबीई	- तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण	सीपीएसई	- केंद्रीय सार्वजनिक -क्षेत्र उद्यम
सीईपी	- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	सीपीडब्ल्यूडी	- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीईपीडी	- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	सीआरए	- आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था
सीएफ	- आकस्मिकता निधि	सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीएफएल	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	सीआरआईएलसी	- केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार
सीएफएम	- पूंजी प्रवाह प्रबंधन उपाय	सीआरएम	- ऋण जोखिम न्यूनीकरण
सीएफआर	- केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री	सीआरओ	- मुख्य जोखिम अधिकारी
सीएफएस	- समेकित वित्तीय विवरण	सीआरपीसी	- केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र
सीजीए	- महा लेखा नियंत्रक	सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति	सीएसएए	- स्व -नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा
सीजीआरए	- मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	सीएसबीडी	- कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीआईसी	- मूल निवेश कंपनियों	सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि
सीआईसी	- संचलन में मुद्रा	सीएसजीएल	- केंद्रीकृत सहायक प्रधान खाता बही
सीआईआई	- भारतीय उद्योग महापरिसंघ	सीएसआईआई	- कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक
सीआईएमएस	- केन्द्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली		
सीआईएसओ	- मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी		
सीएलएम	- सह-उधार मॉडल		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

सीएसपी	- अत्यावश्यक सेवा प्रदाता	ई-बीएटी	- ई-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण
सीटीएस	- चेक ट्रंकेशन प्रणाली	ईबीआईटी	- ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन
सीवीपीएस	- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली	ईसीए	- आवश्यक वस्तु अधिनियम
सीडब्ल्यूपी	- जनता के पास मुद्रा	ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार
सीवाईएम	- मुद्रा प्रबंधन	ईसीएफ	- आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क
डीबीएस	- सिंगापुर विकास बैंक	ईसीसीएस	- द्रुत चेक समाशोधन प्रणाली
डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	ईसीएल	- अपेक्षित ऋण हानियाँ
डीसीजीआई	- भारत के औषधि महानियंत्रक	ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
डीडी	- डिमांड ड्राफ्ट	ईडीसी	- कार्यपालक निर्देशकों की समिति
डीईए	- जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता	ईडीएमएस	- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डीईआईओ	- बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	ईडीएसपी	- इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल
डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	ईएफसी	- आर्थिक और वित्तीय सहसंचालन
डीएफआई	- विकास वित्त संस्थान	ईएफडी	- प्रवर्तन विभाग
डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग	ईएफआई	- बाह्य वित्तपोषित संस्थान
डीएचएफएल	- दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	ईकेपी	- एंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल
डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	ईएलआई	- पात्र ऋणदाता संस्था
डीआईएफ	- निक्षेप जमा निगम	ईपीएफओ	- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
डीआईएस	- जमा बीमा प्रणाली	ईएम	- उभरता बाजार
डीआईटी	- सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग	ईएमसी	- व्यय प्रबंधन आयोग
डीओसी	- संचार विभाग	ईएमडीई	- उभरती बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
डीओआर	- विनियमन विभाग	ईएमई	- उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं
डीओएस	- पर्यवेक्षण विभाग	ईएमवी	- यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा
डीओटी	- दूरसंचार विभाग	ईओआई	- एक्सप्रेसन ऑफ इन्टररेस्ट
डीपीआई	- डिजिटल भुगतान सूचकांक	ईआरएम	- उद्यम वार जोखिम प्रबंधन
डीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	ईटीसीडी	- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव
डीएसआईएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	ईयू	- यूरोपीय संघ
डीएसएल	- डेटा साइंस लैब	ईवी	- इलेक्ट्रिक वाहन
डीएसएसआई	- कर्ज सेवा सस्पेंसन इनीशिएटिव	ईडब्ल्यूएस	- पूर्व चेतावनी संकेत
डीएक्सपी	- डिजिटल अनुभव प्लेटफॉर्म	ईक्सआईएम	- भारतीय निर्यात आयात बैंक

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एफएएमई	- वित्तीय जागरूकता संदेश बुकलेट	एफएमआरडी	- वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
एफएआर	- फुली एक्सेसेबल रूट	एफपीसी	- कृषि उत्पाद कंपनियां
एफएटीएफ	- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल	एफपीआई	- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफएक्यू	- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	एफपीओ	- कृषक उत्पादक संगठन
एफबीआईएल	- वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि.	एफआरबीएम एक्ट	- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम
एफसी	- वित्तीय कमीशन	एफपीओ	- अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव
एफसीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां	एफआरबी	- अस्थायी दर बॉण्ड
एफसीबी	- विदेशी केंद्रीय बैंक	एफआरएल	- राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान
एफसीआई	- वित्तीय परिस्थिति सूचकांक	एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफसीएनआर (बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता	एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफसीवीए	- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा	एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	एफएसडीसी-एससी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप समिति
एफडीआईसी	- फेडरल जमा बीमा निगम	एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग	एफएसयू	- वित्तीय स्थिरता इकाई
एफईडीएआई	- भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ	एफटीए	- मुक्त व्यापार करार
एफईएमए (फेमा)	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	एफ-टीआरएसी	- फिमडा व्यापार रिपोर्टिंग और स्थायीकरण प्रणाली
एफएफएमसी	- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	एफडब्ल्यूजी	- फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप
एफईआर	- आरक्षित विदेशी मुद्रा	जी-20	- 20 देशों का समूह
एफईटीईआरएस	- विदेशी मुद्रा कारोबार -इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली	जीसी	- गवर्निंग काउंसिल
एफआई	- वित्तीय संस्थाएं	जीडीएल	- ग्रैन्यलर डेटा एक्सेस लैब
एफआईसीएन	- भारतीय जाली मुद्रा नोट	जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद
एफआईएमएमडीए	- भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ	जीएफसी	- वैश्विक वित्तीय संकट
फिन टेक	- वित्तीय प्रौद्योगिकी	जीएफसीई	- सरकारी अंतिम उपभोक्ता व्यय
एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
एफआईआरएमएस	- विदेशी निवेश रिपोर्टिंग प्रणाली	जीएचओएस	- केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों का समूह
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
एफएलडब्ल्यू	- वित्तीय साक्षरता सप्ताह	जीएनपीए	- सकल अनर्जक आस्तियां
एफएमसीजी	- शीघ्र चल उपभोक्ता सामान	जीओआई	- भारत सरकार
एफएमओडी	- वित्तीय बाजार परिचालन विभाग		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

जीआर	- सरकारी रिपोर्ट	आईसीआर	- इन्टरेस्ट कवरेज रेशियो
जीआरसी	- शासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन	आइसीएसडी	- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार
जीआरएफ	- गारंटी मोचन निधि	आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
जीआरआईएचए	- एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग	आईडी	- निर्गम विभाग
जीआरएमसी	- समूह जोखिम प्रबंधन समिति	आईडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
जीआरक्यू	- कोटा की सामान्य समीक्षा	आईईएसएच	- परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण
जी-एसएपी	- सरकार प्रतिभूतियों का अर्जन कार्यक्रम	आईएफए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना
जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां	आईएफएडब्ल्यूजी	- इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप
जीएसएलएम	- सरकारी प्रतिभूतियों की ऋण देने की व्यवस्था	आईएफएससीए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकार
जीएसएलबीएम	- सरकारी प्रतिभूतियों की ऋण और उधार व्यवस्था	आईएफटीएस	- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं
जीएसटी	- माल और सेवा कर	आईजीबीसी	- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
जीवीए	- योजित सकल मूल्य	आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
जीवीसी	- वैश्विक मूल्य शृंखला	आईजीएसटी	- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
एचएफसी	- आवास वित्त कंपनी	आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान
एचएलपी	- उच्च -स्तरीय प्रिंसिपल्स	आईआईएफसी	- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
एचआरएमडी	- मानव संसाधन प्रबंध विभाग	आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंध-उप समिति	आईएल एंड एफएस	- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित	आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ	आईएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ	आईएमपीएस	- त्वरित भुगतान सेवा
आईबीसी	- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	आईएमएसएस	- समन्वित बाजार निगरानी प्रणाली
आईबीएस	- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी	आईएमयू	- स्याही निर्माण इकाई
आईसीएआई	- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	इंडी एस	- भारतीय लेखा मानक
आईसीईजीएटीई	- भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे	आईएनएफई	- वित्तीय शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क
आईसीएमटीएस	- एकीकृत अनुपालन प्रबंधन एवं ट्रैकिंग प्रणाली	आईएनवीआईटीएस	- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

आईओ	- आंतरिक लोकपाल	एलआईसी	- कम आय के देश
आईओ	- अंतरराष्ट्रीय संगठन	एलएमएस	- लर्निंग मैनेजमेंट प्रणाली
आईओएस	- औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण	एलओ	- संपर्क कार्यालय
आईआरएसीपी	- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण	एलओएलआर	- अंतिम ऋणदाता
आईआरए-एफएस	- निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां	एलपीए	- दीर्घावधि औसत
आईआरए-आरएस	- निवेश पुनर्मूल्यन लेखा- रुपया प्रतिभूतियां	एलएसएफ	- देर से प्रस्तुत किए गए शुल्क
आईआरडीएआई	- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एलटीआरओ	- दीर्घावधि रिपो परिचालन
आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स	एलटीवी	- मूल्य की तुलना में ऋण
आईआरआर	- ब्याज दर जोखिम	एमए-एसएएआर	- मौसमी रूप से समायोजित औसत वृद्धि दर का मूविंग एवरेज
आईआरआरबीबी	- बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम	एमएएफ	- चिकित्सा सहायता कोष
आईआरआरएस	- एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली	एमसीएलआर	- निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें
आईएसएस	- ब्याज अनुदान योजना	एमडी	- प्रबंध निदेशक
आईएसडब्ल्यूजी - पीएस	- मूल्य सांख्यिकी पर अंतर-सचिवालय कार्य समूह	एमईआईटीवाई	- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी	एमएफआई	- सूक्ष्म वित्त संस्थान
आईटी-एससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति	एमजीएनआरईजीए	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
आईटीबी	- मध्यवर्ती खजाना बिल	एमआईएस	- प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईडब्ल्यूजी	- आंतरिक कार्यदल	एमएल	- मशीन लर्निंग
केएलईएमएस	- पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)	एमएमएलआर	- बाजार निर्माता
केएमएस	- खरीफ विपणन मौसम	एमएमएस	- डाक संदेश प्रणाली
केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड	एमओई	- त्रुटि का ज्ञापन
केपीआई	- मुख्य कार्यनिष्पादन सूचकांक	एमओयू	- सहमति ज्ञापन
केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए	एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक	एमएसई	- न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षाएं
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा	एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एलबीएमए	- लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन	एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात	एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य
एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता	एमटीएफ	- मध्यावधि फ्रेमवर्क
एलएफएआर	- वृहद आकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट	एनएबी	- उधार संबंधी नई व्यवस्थाएं
एलआईबीओआर	- लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर	नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
		एनबीएफसी	- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एनबीएफसी-डी	- जमा लेनेवाली एनबीफसी	एनएसएफआई	- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
एनबीएफसी-एनडी	- नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीफसी	एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	- सिस्टमिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीफसी	एनएसओ	- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनसीसीडी	- नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स	ओबीसी	- अन्य पिछड़े वर्ग
एनसीडी	- गैर -परिवर्तनीय डिबेंचर	ओबीआईसीयूएस	- क्रयादेश पुस्तक, और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र	ओडी	- ओवरड्राफ्ट
एनडीएफ	- गैर सुपुर्दगी अग्रेषण	ओडीआर	- ऑनलाइन विवाद समाधान
एनडीआई	- गैर-ऋण लिखत	ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं	ओएलटीएएस	- ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली
एनडीएस-ओएम	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान	ओएमबी	- खुले बाजार की उधारी
एनईईआर	- सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर	ओएमओ	- खुले बाजार के परिचालन
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	ओएमएस	- खुले बाजार की बिक्री
एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां	ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
एनएफसी	- खाद्येतर ऋण	ओपीईसी+	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों का संगठन
एनजीओ	- गैर सरकारी संगठन	ओएसएनबीएफसी	- एनबीफसी के लिए लोकपाल योजना
एनजीएसएफएमएस	- नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम	ओटीसी	- काउंटर पर
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक	पीए	- भुगतान एग्रीगेटर
एनआईआईएफ	- राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि	पीएएन	- स्थायी खाता संख्या
एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन	पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं
एनआईपी	- राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन	पीबी	- भुगतान बैंक
एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि	पीसीआर	- लोक ऋण रजिस्ट्री
एनओएफएचसी	- गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी	पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
एनपीए	- अनर्जक आस्तियां	पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	पी/ई	- आय अनुपात के लिए मूल्य
एनएसएफई	- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति	पीई	- प्रारंभिक अनुमान
		पीएफ	- भविष्य निधि
		पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय
		पीएफसीवीए	- वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान
		पीएफएमआई	- वित्तीय बाजार के बुनियादी ढाँचे लिए सिद्धांत

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

पीएफएमएस	- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	आरसीए	- मूल कारण विश्लेषण
पीआईडीएफ	- भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि	आरई	- संशोधित अनुमान
पीएलएफएस	- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण	आरईबीआईटी	- भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
पीएलआई	- उत्पादन -लिंग प्रोत्साहन	आरईईआर	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
पीएमसी	- पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव	आरईजी-टेक	- विनियामक प्रौद्योगिकी
पीएमजीकेपी	- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज	आरएफसीए	- वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन
पीएमजीकेवाई	- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना	आरएफपी	- प्रस्ताव के लिए अनुरोध
पीएमजीकेवाई	- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	आरएफक्यू	- कोटा के लिए अनुरोध
पीएमआई	- क्रय- प्रबंधन सूचकांक	आरआईडीएफ	- ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि
पीपीएसी	- पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष	आरएम	- आरक्षित मुद्रा
पीओ	- परियोजना कार्यालय	आरएमडी	- जोखिम निगरानी विभाग
पीओएस	- बिक्री केंद्र	आरएमएस	- रबी विपणन मौसम
पीओ	- भुगतान आदेश	आरओ	- क्षेत्रीय कार्यालय
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत	आरपीओ	- नवीकरण खरीद के दायित्व
पीआरएकेएएलपी	- प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली	आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
पीएसबी	- सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक	आरएस	- विनियामक सेंडबॉक्स
पीएसएल	- प्राथमिकता प्राप्त उधार	आरएसडी	- जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग
पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त उधार प्रमाणपत्र	आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान
पीएसओ	- भुगतान प्रणाली परिचालक	आरटीआई	- सूचना का अधिकार
पीएसपी	- भुगतान सेवा प्रदाता	आरटीपी	- रिजर्व ट्रांच पोजीशन
पीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली	आरटीएल	- जोखिम वहनीयता की सीमा
पीवीटी	- निजी क्षेत्र के बैंक	एसए	- माननीकृत दृष्टिकोण
पीडब्ल्यूडी	- विकलांग व्यक्ति	एसएए	- स्वैप परिशोधन खाता
क्यूआईपी	- अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट	एसएएआरसी	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
क्यूपीएम	- त्रैमासिक प्रोजेक्शन मॉडल	एसएएफ	- पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा
क्यूआर	- त्वरित प्रतिक्रिया	एसएआरटीटीएसी	- दक्षिण एशियाई प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र
आरएएम -ओआर	- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति	एसबीएलए	- प्रतिभूति उधार और उधार व्यवस्था
आरबीए	- जोखिम आधारित दृष्टिकोण	एसबीएन	- विशेष बैंक नोट
आरबीआईए	- भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेखागार	एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
आरबीआईएच	- भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब	एससीआरए	- प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम
आरबीपी	- जोखिम आधारित प्रीमियम		
आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार	एसपीएआरसी	- जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा	एसपीएआरएसएच	- पेंशन प्रशासन की प्रणाली (रक्षा)
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण	एसपीडी	- एकल प्राथमिकता विक्रेता
एसडीएमएक्स	- स्टटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्सचेंज	एसपीवी	- स्पेशल परपज वेहिकल
एसई	- पर्यवेक्षित संस्थाएं	एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक	एसआर	- सचिवालय रिपोर्ट
एसईबीआई	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	एसआरओ	- स्व नियामक संस्था
एसईडी	- पर्यवेक्षी परीक्षा प्रभाग	एसएससीआई	- सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक
एसईएमआई	- सूक्ष्म आर्थिक सूचनाओं की विनिमय प्रणाली	एसएसएम	- वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक
एसएफ	- सार्कफाइनांस	एसटी	- सेवा कर
एसएफबी	- लघु वित्त बैंक	एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
एसएफडीबी	- सेवरल बाइलेटरल एस एफ डेटा बेस	एसटीपी	- स्ट्रेट थ्रु प्रोसेसिंग
एसएफएमएस	- संरचनागत वित्तीय संदेश -प्रेषण समाधान	एसटीआरआईपीएस	- प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग अलग ट्रेडिंग
एसजीबी	- सरकारी गोल्ड बॉन्ड	एसयूपीटेक	- पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी
एसजीएल	- सहायक सामान्य खाता-बही	एसवीएमआईटीवीए	- गाँव का सर्वेक्षण और गाँव क्षेत्र में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण
एसआईडीबीआई	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	एसडब्ल्यूआईएफटी	- विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी
एसआईओएस	- सेवा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण	एसडब्ल्यूएम	- दक्षिण पश्चिम मानसून
एसएलबीसी	- राज्य -स्तरीय बैंकर समिति	टीएटी	- टर्न अराउण्ड टाइम
एसएलसीसी	- राज्य-स्तरीय समन्वय समिति	टीएसीएस	- सर्वेक्षण में तकनीकी सलाहकार समिति
एसएलडी	- वरिष्ठ स्तरीय संवाद	टी-बिल्स	- खजाना बिल
एसएलएफ	- विशेष चलनिधि सुविधा	टीबीटीएफ	- टू बिग टू फेल
एसएलएफ-एमएफ	- म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	टीजीएफआईएफएल	- वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
एसएलएमए	- द्वितीयक ऋण बाजार संघ	टीआईएन	- कर सूचना प्रणाली
एसएलएस	- विशेष चलनिधि योजना	टीएलटीआरओ	- लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन
एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात	टीओएलआईसी	- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एसओसी	- क्षेत्रवार सुरक्षा परिचालन केंद्र		
एसओएफआर	- प्रतिभूत ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट		
एसओपी	- मानक संचालन प्रक्रिया		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

टीओटी	- ट्रेन द ट्रेनर	वीआरआर	- स्वैच्छिक अवधारण मार्ग
टीपीआर	- व्यापार नीति समीक्षा	वीयूसीए	- असुरक्षित, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट
टीआरएआई	- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	डब्ल्यूएसीआर	- भारत औसत मांग दर
टीआरईडीएस	- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम	डब्ल्यूएडीटीडीआर	- भारत औसत घरेलू मियादी जमा दर
टीएसए	- ट्रेजरी सिंगल अकाउंट	डब्ल्यूएएलआर	- भारत औसत उधार दर
यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक	डब्ल्यूएएम	- भारत औसत परिपक्वता
यूके	- यूनाइटेड किंगडम	डब्ल्यूएएस	- भारत औसत स्प्रेड
यूपीआई	- एकीकृत भुगतान इंटरफेस	डब्ल्यूएवाई	- भारत औसत प्रतिफल
यूएस	- यूनाइटेड स्टेट	डब्ल्यूईओ	- विश्व आर्थिक परिदृश्य
यूएसएसडी	- अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा	डब्ल्यूजी	- कार्यकारी समूह
यूएटी	- उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण	डब्ल्यूएचओ	- विश्व स्वास्थ्य संगठन
यूटी	- संघशासित क्षेत्र	डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
यूटीआई	- अद्वितीय लेन-देन पहचानकर्ता	डब्ल्यूएमए	- वेज एंड मीन्स एड्वान्सेज
यूटीएलबीसी	- संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति	डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
यूआरएल	- यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर	डब्ल्यूएसएस	- साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक
यूआरआरबीसीएच	- बैंकर समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम एवं नियम	डब्ल्यूटीओ	- विश्व व्यापार संगठन
वीएआर/ईएस	- जोखिम पर मूल्य /अपेक्षित कमी	डब्ल्यूओएस	- पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी
वीआईएक्स	- अस्थिरता सूचकांक	एक्सबीआरएल	- ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
		जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in
पर देखी जा सकती है

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 विश्व के कई हिस्सों में संक्रमणों की नई लहरों एवं कोविड – 19 के बदलते रूपों, टीकाकरण (वैक्सीनेशन) की धीमी गति और टीके को लेकर घोर संरक्षणवाद से जूझता वैश्विक व घरेलू परिदृश्य एक बार फिर विकट हो गया है तथा घोर अनिश्चितता और अधोमुखी जोखिमों से घिरा हुआ है। 23 मई 2021 तक विश्व में संक्रमण के 167 मिलियन से अधिक पुष्ट मामले आए तथा 3.4 मिलियन से अधिक मौतें हुई जिसमें भारत में संक्रमण के मामले 26 मिलियन से अधिक और मृत्यु की घटनाएं 3,03,720 थी। देशों का अनुभव उत्तरोत्तर यह रेखांकित कर रहा है कि युद्धस्तर पर तेज और विश्वव्यापी टीकाकरण की आवश्यकता सर्वोपरि है – वायरस जब तक मनुष्यों के साथ है, तब तक रूप बदलता रहेगा; जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं।

1.2 महज एक वर्ष पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को जब महामारी¹ घोषित किया और मार्च में भारत ने एक कठोर लॉकडाउन लगाया, एक गहरा नैराश्य और जोखिम के प्रति भीषण मानसिक भय व्याप्त हो गया। तब से, जिंदगियां खो गई हैं, बची हुई जिंदगी तितर-बितर हो गई है और जीवन शैलियों में आधारभूत परिवर्तन हो गया है। भारत में गतिविधि के कुछ क्षेत्रों में विशेषतः जो संपर्क-गहन हैं, गहरी चोटें आई हैं जबकि दूसरों जैसे कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, सूचना प्रौद्योगिकी, हाइवे आधार-संरचना, ट्रैक्टर बिक्री, रेलवे

मालभाड़ा, विद्युत मांग और घरेलू व्यापार ने महामारी के समक्ष एक दुर्लभ सुदृढ़ता दिखाई है। फैक्टरी-आधारित विनिर्माण और संस्थागत सेवाओं में, महामारी में अपेक्षित तौर-तरीकों को व्यापक तौर पर अपनाया गया जिससे कार्य-प्रक्रियाएं अन्य क्षेत्रों की तुलना में जल्दी सामान्य हुईं। जीवन व जीवन यापन पर आघात के अलावा, उत्पादन व रोजगार की क्षति की ऐसी चोट वर्ष 2020 पर पड़ी जो इतिहास में, विश्व में और भारत में अभूतपूर्व है। यह महामारी अत्यंत अन्याय-संगत भी सिद्ध हुई – आकलन है कि दुनिया भर में वर्ष के दौरान लगभग 95 मिलियन और अधिक लोग घोर गरीबी में धकेल दिए गए, अल्पपोषितों में और 80 मिलियन जुड़ गए तथा इनमें से अधिकांशतः अल्प-आय वाले देशों में।²

1.3 महामारी में जहाँ आकस्मिकता व विध्वंसक तेजी थी वहीं इसका नीतिगत प्रत्युत्तर अभूतपूर्व था और अपनी पहुँच में व्यापक। दुनिया भर की सरकारों व केंद्रीय बैंकों ने अतिरिक्त राजकोषीय व्यय, राजस्व त्याग, पूँजी और ऋण समावेश, आकस्मिक देयताओं और उधार दिए जाने के लिए चलनिधि/ फंडिंग के रूप में उठाए गए कदमों के तौर पर कुल यूएस\$ 16 ट्रिलियन³ या विश्व जीडीपी के 15.3 प्रतिशत के बराबर की कार्रवाई की। भारत में नपा-तुला नीतिगत प्रोत्साहन गरीबों को नकद व वस्तु के तौर पर सीधी सहायता के रूप में प्रारंभ हुआ और उत्तरोत्तर एक व्यापक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत) के रूप में विस्तृत हुआ ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सपोर्ट

* बैंक के लेखांकन वर्ष के परिवर्तित होकर अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) हो जाने से, यह वार्षिक रिपोर्ट नौ महीनों (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की परिवर्तन अवधि में रिजर्व बैंक के कामकाज व कार्यपद्धति से संबंधित है। उपलब्धता के अनुसार रिपोर्ट मार्च 2021 के बाद तक अद्यतन की गई है।

¹ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को 30 जनवरी 2020 को एक 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति' घोषित किया, और 11 मार्च 2020 को एक 'महामारी'।

² आईएमएफ, (2021), 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक – मैनेजिंग डाइजर्जेंट रिकवरीज' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., अप्रैल।

³ आईएमएफ, (2021) 'फिस्कल मॉनिटर – ए फेयर शॉट', अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., अप्रैल।

मिले। 2020-21 में संचयी रूप में यह जीडीपी के 15.7 प्रतिशत तक गया जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा चलनिधि व अन्य कार्रवाइयां भी शामिल हैं।

1.4 एक बार पुनः, केंद्रीय बैंक रक्षा की प्रथम पंक्ति बने और उन्होंने अपने विगत अनुभवों के आधार पर विभिन्न पारंपरिक व अपारंपरिक हस्तक्षेप तैयार किए व कार्यान्वित किए। वे अपरिचित क्षेत्रों में भी गए तथा ब्याज दरों को नए निम्न स्तरों तक ले गए, आस्ति क्रय कार्यक्रम प्रारंभ किए, पात्र प्रतिपक्षियों के दायरे को व्यापक किया व संपार्श्विक मानकों को आसान किया, रिपो परिचालनों के मान व अवधि को बढ़ाया और विनियामक ढील के रूप में राहत दी। मौद्रिक और समष्टि-आर्थिक नीतियों के रुख में परोक्ष व प्रत्यक्ष भावी मार्गदर्शन ने इन कार्रवाइयों के पूरक का काम किया। रिज़र्व बैंक ने भी कई कदम उठाए, प्रणाली-व्यापी तथा संस्था-माध्यम (इनस्ट्रूमेंट) - और क्षेत्र-विशेष में भी, ताकि आर्थिक गतिविधि में तेज गिरावट को रोका जा सके, वित्तीय स्थितियां सुगम की जा सकें तथा विशेषतः, वित्तीय बाजारों और मध्यस्थों का सामान्य कार्य सुनिश्चित हो और साथ ही वित्तीय स्थिरता तथा भुगतान व निपटान प्रणाली की मजबूती और मानकबद्धता (इंटिग्रिटी) संरक्षित व बनाई रखी जा सके। समग्र तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को 6 फरवरी 2020 से (5 मई 2021 तक) कुल ₹15.7 लाख करोड़ (2020-21 नामिक (नॉमिनल) जीडीपी का 8.0 प्रतिशत) का सहयोग घोषित किया गया।

1.5 कुल मिलाकर, महामारी संबंधी नीतियों ने काम किया है। संकट के प्रारंभ में जो घरेलू व वैश्विक वित्तीय स्थितियां ठिठक गई थीं, केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों के बाद उनसे प्रतिसाद मिला। सरकारी व कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल नरम होकर ऐतिहासिक निम्न स्तर पर आ गए और स्प्रेड घट गए। जोखिम की भूख लौटी एवं एक आस्ति वर्ग के रूप में उदीयमान बाजार लोकप्रिय बन गए और इस प्रकार पूँजी प्रवाह गतिमान हुए। कुल मिलाकर, वित्तीय स्थितियों के सुगम होने से महामारी के आघात के विस्तार को रोकने में सहायता मिली। मुड़कर देखने पर, यह स्पष्ट है कि बिना इस असाधारण नीतिगत सहायता के, महामारी का प्रभाव कहीं अधिक बुरा होता।

1.6 2020 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अचानक धड़ाम से गिरीं और संकुचन की अभूतपूर्व गहराई में चली गईं, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आशा से अधिक तीव्रता से एक सुदृढ़ समुत्थान भी घटित हुआ। वित्तीय बाजारों को संस्फीति व्यापार (रिफ्लेशन ट्रेड) एवं जोखिम प्रवणता की हवा लगी, इक्विटी बाजार नई ऊँचाइयों पर पहुँचे, बॉण्ड यील्ड नरम पड़ने लगे और कमजोर हो रहे यूएस डॉलर की तुलना में अधिकांश मुद्राओं की मूल्य वृद्धि हुई।

1.7 भारत में भी, शीघ्र समुत्थान अर्थव्यवस्था को 2020-21 की प्रथम तिमाही (2020 की ति2) में एक अभूतपूर्व संकुचन से बाहर निकालकर ति3 (2020 की ति4) तक धनात्मक क्षेत्र में लेकर आया जिसमें रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों द्वारा सृजित अनुकूल वित्तीय स्थितियां सहायक हुईं। समुत्थान को पटरी पर आते देख, इक्विटी बाजार उत्साहित हुए और बीएसई सेंसेक्स मार्च 2020 के निम्न स्तरों से 95 प्रतिशत ऊपर उठा (24 मई 2021 तक)। 2020-21 की ति2 और ति3 में कंपनी प्रदर्शन मजबूत रहा तथा व्यय में कमी ने बिक्री में संकुचन की भरपाई यँ की कि लाभअर्जकता में अच्छा सुधार हुआ। वित्तीय बाजारों ने ऊर्जा पुनः प्राप्त की, इक्विटी मूल्यांकन बढ़े, बॉण्ड प्रतिफल नरम पड़े व दायरे में रहे तथा भारत के पूँजी प्रवाहों का पसंदीदा ठिकाना बन जाने के कारण भारतीय रुपया मूल्यवर्धी रुख के साथ ट्रेड हुआ। फरवरी 2021 में जब नए संक्रमण कम और स्थिर होने लगे थे ऐसा प्रतीत हुआ मानो भारत महामारी का सबसे बुरा दौर पीछे छोड़ आया है जबकि दुनिया के देशों में दूसरी लहरों व लॉकडाउन के अनुभव प्रारंभ हो चुके थे।

1.8 मार्च 2021 से यह सब हठात् बदल गया और इस प्रकार घातक भी रहा। विश्व में सर्वाधिक मामलों तथा सर्वाधिक दैनिक नए संक्रमणों के बीच घिरे भारत ने अपने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। चिकित्सा आपूर्तियों व कच्चे माल तथा अस्पताल रूपी बुनियादी संरचना की कमी को पूरा करने के प्रयास भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। विनियामक - नेशनल फ़ार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) और

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएसओ) - कोविड-19 उपचार की दवाओं की मांग, आवाजाही, लागत व कीमत निर्धारण की निगरानी कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार दवा का उत्पादन बढ़ाने और इसकी आपूर्ति शृंखला को सुगम करने का प्रयास कर रही है जिसमें राज्यों को उत्पादकों से जोड़ा भी जा रहा है। इस उपचार में एक प्रमुख जीवन-रक्षक दवा रेम्डेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ने पर सरकार ने विनिर्माताओं से संपर्क कर महीने में इसका उत्पादन दुगुना कर मई 2021 में 3 लाख शीशी (वायल्स) प्रतिदिन तक पहुँचाया। इसी प्रकार, कई उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग पर अस्थायी रोक, ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर्स के आयात, ऑक्सीजन व ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों पर मूल उत्पाद शुल्क व स्वास्थ्य उपकरण हटाने के साथ-साथ नए ऑक्सीजन प्लांट लगाकर क्षमता में और वृद्धि द्वारा चिकित्सकीय ऑक्सीजन के उत्पादन व आपूर्ति में वृद्धि की गई। नीतिगत प्राधिकारी क्षेत्र-केंद्रित प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। अल्पावधि परिदृश्य अनिश्चित है जिसमें अधोमुखी जोखिमों और वैश्विक प्रभाव-विस्तार के संभावित परिणामों की प्रमुखता है पर हलचल भरे विगत वर्ष से कुछ सीखने और अनुकूलन करने को मिला है। प्राप्त सबक के आधार पर, भारत आगामी वर्ष की तैयारी विश्वास और धैर्य के साथ कर सकता है। तीव्रतर गति से टीकाकरण महामारी से बचाव की कुंजी है। यह आवश्यक है कि इसे केंद्र में रखकर ऐसी रणनीतियां बनाई व कार्यान्वित की जाएं जो समष्टि-आर्थिक व वित्तीय स्थिरता के साथ दृढ़ व सतत विकास के सुरक्षित पथ पर हमें वापस ले कर आए ताकि भारत अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने में पुनः जुट जाए।

2020-21 के अनुभव से सबक

1.9 मुड़कर देखें तो, कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जीवन में एक बार आने वाले ऐसे संकट का प्रहार किया जिसने विश्व के कई देशों में समस्त आकलनों को धता बता दिया और ऐसी गिरावट लेकर आया जो सबसे नैराश्यपूर्ण अनुमानों से भी गहरी साबित हुई। जनवरी 2020 में जब से डब्ल्यूएचओ द्वारा

इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया गया तब से संक्रमण ने दुनिया में बड़ी उग्रता से फैलकर कठोर लॉकडाउन के लिए बाध्य किया जिससे गतिविधियों में और भी बड़े व्यवधान आए तथा साथ ही परीक्षण व अस्पताल की गहन देख-भाल क्षमता के लिए संक्रमण की इतनी बड़ी संख्या एक चुनौती बन गई। 2020 की पहली तिमाही में विश्व में जीडीपी के परिणाम उम्मीद से बुरे थे, पर इसके कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी थे जिसमें भारत एक था। तथापि, दूसरी तिमाही में तो महामारी के ज्वार ने सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ एक अभूतपूर्व रूप से गहराई में डूबा दिया। अन्य मंदियों के विपरीत, निजी उपभोग मांग, सेवा उत्पादन और श्रम बाजार, विशेषतः अल्प कौशलवाले श्रमिक जिनके पास घर से काम करने का विकल्प नहीं है, एक उल्लेखनीय छंटनी में चले गए जिसमें सामाजिक दूरी, गतिविधि व आवाजाही प्रतिबंध, आय की भारी क्षति तथा बुरी तरह चोट खाए उपभोक्ता विश्वास जैसे कारण शामिल हैं। मांग के हवा हो जाने, आपूर्ति शृंखला व्यवधानों तथा भविष्य में कमाई को लेकर निराशा के चलते कारोबार ने निवेश में कटौती कर दी। इस प्रकार, महामारी ने, व्यापक आधार के समग्र मांग आघात और लॉकडाउन-जनित आपूर्ति आघात का मिश्रण पैदा किया। मांग के कमजोर होने, देशों के बीच पर्यटन के ढह जाने, आपूर्ति विस्थापनों व व्यापार प्रतिबंधों के कारण व्यापार बड़ी तेजी से संकुचित हुआ।

1.10 दूसरी तिमाही के अंत की ओर और तिसरी तिमाही में, कई देशों में संक्रमण घटे। अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने और आवाजाही के बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलने लगी। समग्र तौर पर गतिविधि, आशा से अधिक तीव्रता से सामान्य हुई और निजी उपभोग में सबसे मजबूत उछाल आया। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी उत्पादन की वृद्धि ने चौंकाया जिसमें सार्वजनिक अंतरणों व निवेश का सहयोग रहा। गतिविधि के पुनः प्रारंभ होने तथा बाह्य मांग में मजबूत वृद्धि के साथ वैश्विक व्यापार सुधरने लगा।

1.11 तथापि, सितंबर के अंत की ओर, महामारी फिर से फैलने लगी तथा विश्व में पुष्ट संक्रमणों की संख्या 34 मिलियन

तक पहुँच गई और एक मिलियन से अधिक मौते हुईं इसके अतिरिक्त, जहाँ संक्रमण वक्र सपाट हो चुका था, वहाँ भी नई लहरें आने लगीं। परिणामतः, देशों को फिर से खोलने की गति धीमी करनी पड़ी और लॉकडाउन फिर से बहाल करना पड़ा जिसके चलते चौथी तिमाही में फिर से जीडीपी में वैश्विक हुआ। दिसंबर के अंत तक, कई वैक्सीन अनुमोदनों तथा कुछ देशों में वैक्सीन के आ (लॉन्च हो) जाने से आशा बंधी। महामारी संबंधी तौर-तरीकों के अपनाए जाने तथा कुछ देशों द्वारा अतिरिक्त नीतिगत कदम उठाए जाने से, वर्ष 2021 की मजबूत शुरुआत की परिस्थितियां बनीं।

1.12 वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन, महामंदी के बाद से, (-) 3.3 प्रतिशत के सबसे गहरे संकुचन में डूब गया जिसमें उन्नत देशों की जीडीपी 4.7 प्रतिशत और उदीयमान व विकासशील देशों (ईएमडीई) की 2.2 प्रतिशत नीचे गई। वस्तुओं व सेवाओं की विश्व व्यापार मात्रा 8.5 प्रतिशत कम हुई। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आधी हो गई परंतु ईएमडी में मोटे तौर पर वर्ष-दर-वर्ष अपरिवर्तित रही जो ईंधनेतर पण्य वस्तु कीमतों में मजबूती का सूचक है। दूसरी ओर क्रूड की कीमतें वर्ष के दौरान लगभग 33 प्रतिशत नीचे गिरीं।

1.13 2020-21 में घरेलू घटनाक्रम की बात करें तो, मार्च 2020 में रिजर्व बैंक महामारी मुद्रा (पेंडेमिक मोड) में आ गया। अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के तहत, 200 से अधिक अधिकारियों, स्टाफ और सेवा प्रदाताओं की एक टीम को पृथकवास (आइसोलेशन) में 24x7 कार्य करने के लिए क्वारन्टाइन किया गया ताकि देश के लिए आवश्यक वित्तीय बाजार और भुगतान सेवाएं उपलब्ध रहें। एक वैकल्पिक कार्य क्षेत्र स्थल (एडब्ल्यूएस/आवास) से समय-संवेदी महत्त्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) के सुचारु रूप से चलने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों के कई दल बनाए गए। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/व्यवसायों द्वारा बीसीपी के देश-व्यापी प्रयोग में तकनीक का अधिकाधिक सहारा लिया गया। संकट प्रबंधन के इन प्रयासों से वित्तीय बाजारों व संस्थाओं का बाधा-रहित 24x7 कार्य, मुद्रा का पर्याप्त मात्रा में संचलन, अबाध व सुरक्षित

भुगतान व निपटान प्रणाली- थोक एवं खुदरा दोनों, तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन व बाह्य निवेशों सहित वे सभी कार्य सुनिश्चित हुए जो रिजर्व बैंक राष्ट्र हित में करता है।

1.14 अपनी पहली लहर में महामारी का प्रकोप ति1:2020-21 में चरम पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष-दर-वर्ष 24.4 प्रतिशत संकुचित हुई, जो जी-20 देशों में सबसे गहरी गिरावट रही। तथापि, अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के सघन प्रयासों, आवाजाही के प्रतिबंधों में क्रमिक ढील, मौद्रिक व चलनिधि सुगमीकरण और राजकोषीय सहयोग से दूसरी तिमाही (ति2) में संकुचन कम होने लगा। तीसरी तिमाही (ति3) तक भारत तकनीकी मंदी से बाहर निकल चुका था। फरवरी 2021 के अनुमानों में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अपने फरवरी 2021 अनुमानों में कहा कि पूरे वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी 8.0 प्रतिशत संकुचित हो चुकी होगी जो 1980-81 के बाद से प्रथम संकुचन है और जब से राष्ट्रीय लेखा संकलित किए जा रहे हैं तब से अब तक का भीषणतम।

1.15 निजी उपभोग जीडीपी में 56 प्रतिशत का योगदान करता है और यह घरेलू मांग की दृढ़ आधारशिला है। तथापि, महामारी के दौरान, निजी उपभोग अभूतपूर्व संकुचन में डूब गया। शहरी मांग में कटौती बनी रही और अपने प्रतिपक्षी ग्रामीण मांग से कम रही। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) ने एक संकट-प्रभाव-प्रतिकारी की भूमिका निभाई और सकल मांग को ठीक किया। जीएफसीई को छोड़ दें तो, जीडीपी पहली तिमाही (ति1) में 29 प्रतिशत नीचे गया होता और 2020-21 में पूरे वर्ष 9.3 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, केंद्र के पूँजीगत व्यय में वृद्धि ने, दो तिमाहियों के अंतराल के बाद, सकल पूँजी निर्माण में थोड़ी वृद्धि के लिए सहायक परिस्थितियां बनाई और समग्र आर्थिक गतिविधि को ति3 में संकुचन से वृद्धि की ओर ले गई। तथापि, वर्ष के लिए समग्र स्तर पर पूँजी निर्माण महामारी-पूर्व के स्तरों से नीचे बना हुआ है। पूँजीगत व्यय को पुनरुज्जीवित करने की योजनाएं जब फलीभूत होंगी तो वे 2021-22 में वृद्धि के महत्त्वपूर्ण उत्तोलक हो सकती हैं। निवल निर्यात ने 2020-21 में सकल मांग में धनात्मक योगदान दिया,

पर मुख्यतः निर्यात की तुलना में आयात में अधिक संकुचन के कारण। प्रत्याशा है कि 2003-04 के बाद पहली बार वर्ष के लिए समग्र रूप में चालू खाता शेष थोड़ा अधिशेष दर्ज करेगा। अप्रैल-दिसंबर 2020 में निवल पूँजी प्रवाह जीडीपी का 2.7 प्रतिशत रहा और चालू खाते से वित्तपोषण आवश्यकता के अभाव में, विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि हुई।

1.16 इन घटनाओं में संयतकारी सीख है। प्रथम, स्वास्थ्य संकट ने दिखाया है कि हम कितने वैश्विक हैं, न केवल वायरल संक्रमणों के प्रति अपनी कमजोरी में बल्कि टीकों के उत्पादन व साझा करने के तरीके में भी। पृथ्वी से कोविड-19 के उन्मूलन में वैश्विक प्रयास लगेंगे ताकि सभी को टीका लग सके। द्वितीय, वित्तीय संकट की तुलना में वास्तविक अर्थव्यवस्था पर स्वास्थ्य संकट का प्रभाव अधिक व्यापक, अड़ियल और कमजोर करने वाला हो सकता है। सतर्कता में शिथिलता संकट ला सकती है; यही सबसे बेहतर है कि भविष्य की लहरों की तैयारी की जाए। 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गाथा में निजी निवेश का पृष्ठ गायब है; इसमें प्राण फूँकने के लिए ऐसा परिवेश चाहिए जिसमें सहज वृत्तियाँ (एनिमल स्पिरिट्स) पुनः जागृत हों एवं उद्यमी ऊर्जाएं प्रवाहित हों ताकि उत्पादन-पूर्व व उत्पादनोत्तर सहबद्धताएं और गुणक एक टिकाऊ निवेश-चालित समुत्थान की भूमि तैयार कर सकें। अब तक के सबसे बड़े पूँजीगत व्यय और कारोबार को बेहतर ढंग से करने पर जोर के साथ राजकोषीय नीति, निजी निवेश के अंतरगमन (क्राउडिंग इन) की भूमिका में जुट गई है। भारतीय उद्योग के लिए मैदान में उतरना अब उपयुक्त होगा। कुल जीडीपी में जीएफसीएफ का हिस्सा ति3:2020-21 में 33.0 प्रतिशत पर छह-तिमाही की ऊँचाई पर पहुँचा लेकिन ति2: 2008-09 के 36.1 के इसके शिखर से तुलना करें तो अभी भी कुछ और ऊँचाई शेष है। बचत में भी संस्थागत क्षेत्रों में, संरचनागत परिवर्तन हो रहे हैं जो आर्थिक गतिविधि के सामान्य होने का प्रतिबिंब है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत ति1 की 21.0 प्रतिशत की ऊँचाई से ति3: 2020-21 में 8.1 प्रतिशत पर आ गई – महामारी को देखते हुए

एहतियात और विवशता में की गई बचत खर्च हो रही थी। साथ ही, धारित आय में उछाल वित्तेतर कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को बढ़ावा दे रही है तथा इसमें तीसरी तिमाही में तेज वृद्धि हुई। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय संक्रांति पर है। सार्वजनिक व निजी निवेश का सही मिश्रण इस समय निवेश में चिंगारी पैदा कर सकता है और इस अनूठे मोड़ पर अर्थव्यवस्था के होने का लाभ उठाते हुए सतत वृद्धि का मार्ग तैयार किया जा सकता है - विश्व में तीव्रतम वृद्धि की अर्थव्यवस्था के अपने स्थान को फिर से पाने का निर्णायक मोड़ उसके लिए जो क्रय शक्ति समता में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी है तथा जिसके लिए जनसांख्यिकीय संचरण के विलंबित लाभांश अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और बाह्य स्थिति सुदृढ़ है।

1.17 व्याप्त निराशा के बीच कुल आपूर्ति स्थितियों को कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन का अवलंब मिला। 2020-21 में कृषि व सम्बद्ध कार्यकलाप भारतीय अर्थव्यवस्था के चमकते सितारे के रूप में सामने आए। लगातार तीसरे वर्ष पर्याप्त मानसून वृष्टि मिली और खाद्यान्न व बागबानी उत्पादन में नए रिकॉर्ड बने जिससे समग्र रूप से इस क्षेत्र के उत्पादन में प्रवृत्ति (ट्रेंड) से अधिक विस्तार हुआ। खाद्यान्न भंडार, चावल के लिए बफर मानकों के 6.5 गुना और गेहूँ के लिए 2 गुना बढ़े जिससे ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में खाद्य सुरक्षा और पुख्ता हुई पर भंडार प्रबंधन के लिए कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं। कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन के बाहर रखने के विवेकपूर्ण निर्णय ने बुवाई व कटाई चक्रों में व्यवधान नहीं आने दिया। दूसरे देशों से अलग, भारत को बड़े पैमाने पर विपरीत प्रवास की समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि कोविड-19 को शुरुआत में व्यापक तौर पर एक शहरी रोग माना गया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 125 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था और साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने श्रमिकों के विस्थापन को संभालने में सुरक्षा तंत्र का काम किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न प्रयासों द्वारा कृषि क्षेत्र को सीधे प्रोत्साहन भी

दिया गया गया यथा, एक कृषि आधार-संरचना निधि, एक पशुपालन आधार-संरचना विकास निधि, किसान रेल और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)।

1.18 महामारी काल में भारतीय उद्योग की यात्रा भीषण क्षति एवं अवसर दोनों की रही है। विनिर्माण को सबसे बुरा संकुचन झेलना पड़ा और उत्पादन क्षति ति1 में अधिक केंद्रित रही। आपूर्ति बाधाओं से ग्रसित खनन क्षेत्र शिथिल बना रहा और 2011-12 के बाद 2020-21 में सर्वाधिक संकुचन आया। महत्वपूर्ण आधार-संरचना व उपस्कर के अभाव और महामारी में परिचालनगत दिक्कतों के कारण कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का उत्पादन घट गया। साथ ही, महामारी ने औषधीय पदार्थों (फार्मास्यूटिकल्स) के विस्तार के लिए अवसर खोल दिए। थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए लाई गई उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएसआई) योजना का उद्योग ने अच्छा स्वागत किया है और उम्मीद है कि घरेलू स्तर पर औषधीय पदार्थों के उत्पादन व चिकित्सा निर्यात को इससे सहयोग मिलेगा। मोटर-गाड़ी उद्योग (ऑटोमोबाइल्स) ने भी अच्छी वृद्धि दर्ज की। महामारी के चलते सार्वजनिक यातायात की जगह उपभोक्ताओं द्वारा निजी गाड़ियों को तरजीह दिए जाने का फायदा यात्री कार और दुपहिया वर्ग को मिला। औद्योगिक गतिविधि की दूसरी उत्साहवर्धक विशेषता बिजली उत्पादन की शीघ्र शुरुआत और वर्ष के उत्तरार्ध में उसकी मजबूत वृद्धि रही। तथापि ति4:2020-21 में, औद्योगिक क्षेत्र फिर पिछे खिसक गया तथा समग्र उत्पादन में जनवरी 2021 में 0.9 प्रतिशत एवं फरवरी में 3.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ। अगस्त 2020 से, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक विस्तार में रहा है जो बेहतर संभावना का संकेत दे रहा है पर वर्तमान परिस्थितियां कमजोर व अस्थिर बनी हुई हैं।

1.19 महामारी की शुरुआती अवधि में संपर्क गहन सेवाओं में गतिविधि के लगभग रुक जाने से सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। यद्यपि विमानन, पर्यटन और आतिथ्य जैसे संपर्क गहन क्षेत्रों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी, अन्य क्षेत्रों में उच्च आवृत्ति संकेतकों ने प्रत्याशा से तेज समुत्थान की ओर इशारा

किया। वर्ष की दूसरी छमाही में ई-वे बिलों में सतत सुधार तथा मजबूत जीएसटी संग्रह ने संकेत दिया कि घरेलू व्यापारिक गतिविधि में समुत्थान प्रारंभ हो चुका है। प्राथमिक क्षेत्र की तरह आईटी जैसे अति-तृतीयक उद्योगों ने महामारी के बीच अच्छी सृष्टि दिखलाई है। भौतिक आधार-संरचना के विस्तार की गति बनाए रखने पर जोर के कारण ताकत का दूरा क्षेत्र बना निर्माण – प्रतिदिन 37 किलोमीटर के निर्माण के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ने 13,000 किलोमीटर के नए रिकॉर्ड को छू लिया। आवास के लिए मांग में जान फूँकने में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकदी रहित टोल संग्रह की ओर बढ़ते हुए फरवरी 2021 में आवश्यक किए गए फास्टैग से मूल्य व मात्रा दोनों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) की मजबूत वृद्धि देखने को मिली। स्टार्ट-अप्स की लहर और डिजिटलीकरण के बढ़ते ज्वार के दम पर महामारी के दौरान ई-कॉमर्स फूला-फला। बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए ईंट-गारे वाले उद्यमों ने भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की।

1.20 सेवा क्षेत्र अभी भी घायल है। 2020-21 की चौथी तिमाही (ति4) में, विभिन्न उप-क्षेत्रों में महामारी से बाहर निकलने के बहु-गति मार्गों से परिदृश्य उज्ज्वल हो रहा था। अप्रैल 2020 में सेवा पीएमआई ने अपना सबसे गहरा संकुचन देखा, पर उसके बाद धीरे-धीरे यह संभला, अक्टूबर से विस्तार क्षेत्र में गया और लगातार सात महीने से वहाँ टिका हुआ है। महामारी ने श्रम बाजार उजाड़ दिए और इसमें सबसे बड़े आघात झेले स्व-नियोजित और अनियत मजदूरों ने। लॉकडाउन में ढील और प्रवासी श्रमिकों के महानगरों में लौटने से, रोजगार सामान्य होने की ओर बढ़ने लगा था, जैसा कि गृहस्थों (हाउसहोल्ड्स) के सर्वेक्षणों, पे रोल ऑकड़ों और दूसरी लहर के पहले कॉरपोरेट क्षेत्र में नई शुरुआतों पर आ रहे डेटा को देखने से पता चलता है।

1.21 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश ने आपूर्ति व्यवधान पैदा किए और वर्ष के अधिकांश समय में खाद्य मुद्रास्फीति ऊँचाई पर बनी रही। ताड़ के तेल (पाम

ऑयल) के आयात पर भारत की बड़ी निर्भरता के कारण वैश्विक खाद्य तेल की चढ़ती कीमतों से कीमत दबाव बढ़े। मई 2020 में पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के अनिवर्ती प्रभाव (रैचेट इफेक्ट), वर्ष के प्रथमार्ध में वैश्विक स्वर्ण कीमतों में वृद्धि, विपरीत प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) के कारण श्रमिकों की कमी तथा अतिरिक्त संरक्षा (सेफ्टी) उपायों ने लागत दबाव बढ़ाए और मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त, खोई कमाई को फिर हासिल करने के लिए मार्जिन बढ़ाए गए; सामान्यतः महामारियों में खुदरा बाजार कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं क्योंकि सामाजिक दूरी की आवश्यकता के कारण उपभोक्ता आस-पास कम कीमतों की खोज नहीं कर पाते। इन समस्त कारकों के फलस्वरूप, वर्ष के प्रथम आठ महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपर रही-अप्रैल और मई में भी, जब संतोषजनक डेटा संग्रह के अभाव में डेटा प्रतिस्थापित किए गए। नवंबर 2020 – जनवरी 2021 के दौरान जाड़े में खाद्य कीमतों की मौसमी कमी के कारण थोड़ी नरमी के बाद, फरवरी-मार्च 2021 में मुद्रास्फीति अपने ऊर्ध्व रुझान पर लौट आई क्योंकि मूल मुद्रास्फीति ऊँचाई पर डटी रही। इन प्रभावों और वैश्विक पण्य कीमतों के मजबूत होकर इस रूप में आने से, जिसे व्यापक तौर पर एक दूसरे पण्य महाचक्र (सुपरसाइकल) की शुरुआत माना जा रहा है, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2019-20 के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 6.2 प्रतिशत के औसत पर आ गई। वर्ष-दर-वर्ष, मार्च 2021 में वैश्विक ऊर्जा की कीमतें (वर्ल्ड बैंक पिक शीट डेटा) 89.7 प्रतिशत बढ़ीं, खाद्य कीमतें 29.4 प्रतिशत, धातु और खनिज कीमतें 60.4 प्रतिशत और मूल्यवान धातु कीमतें 16.3 प्रतिशत बढ़ीं। इस प्रकार क्षमता की तुलना में मंद पड़ी आर्थिक गतिविधि और लक्ष्य से ऊपर बनी हुई मुद्रास्फीति के बीच कठिन दुविधा का सामना भारत को करना पड़ा जहाँ प्रत्येक विरोधी दिशा में खींचने वाला और मौद्रिक नीति के संचलान को चुनौती देने वाला था।

1.22 इस पृष्ठभूमि में, मार्च-मई 2020 के दौरान पॉलिसी रिपो रेट को 115 आधार अंक कम करते हुए मौद्रिक नीति

समिति (एमपीसी) इसे 4.0 प्रतिशत पर लाई। फरवरी 2019 – फरवरी 2020 के बीच नीतिगत दरों में 135 अंकों की कटौती को लें, तो वर्तमान सुगमकारी चक्र में नीतिगत दर में कुल कटौती 250 आधार अंकों (बीपीएस) की रही है। चलनिधि अधिशेष की परिस्थितियों और चुनिंदा क्षेत्रों को अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए अधिदेशित बाह्य बेंचमार्क-आधारित कीमत निर्धारण के कारण 2020-21 में मौद्रिक संचरण उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ। ताज़ा रुपया ऋणों (फ्रेश रुपी लोन्स) पर भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएआर) वर्ष के दौरान 79 आधार अंक (बीपीएस) घटी। एमपीसी ने यह कहते हुए समय-अनुषंगी भावी मार्गदर्शन दिया कि वृद्धि को पुनरुज्जीवित करने तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और 2021-22 में मौद्रिक नीति निभावी रखी जाएगी और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे।

1.23 रिज़र्व बैंक ने कई पारंपरिक व अपारंपरिक कदम उठाए ताकि कमजोर क्षेत्रों, संस्थाओं और वित्तीय साधनों को अवलंब देने के लिए पर्याप्त प्रणाली-स्तर चलनिधि और लक्ष्यित चलनिधि सुनिश्चित हो। परिणामतः, विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दरें नरम हुईं, स्प्रेड संकुचित हुए और सहायक वित्तीय स्थितियां कायम हुईं। इससे वित्तीय बाजारों और संस्थाओं को सामान्य रूप से कार्य करने, वर्धित सरकारी उधार कार्यक्रम को 17 वर्ष के न्यूनतम भारत औसत उधारी लागत पर सुसंगत ढंग से पूरा करने और रिकॉर्ड मात्रा में कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने में सहायता मिल पाई।

1.24 जैसा कि पहले कहा गया है, स्पष्ट भावी मार्गदर्शन 2020-21 में मौद्रिक नीति के संचालन की एक नवोन्मेषी विशेषता बना। रिज़र्व बैंक ने इस पर जोर दिया कि वित्तीय बाजार स्थिरता और प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) का सुसंगत विकास सार्वजनिक कल्याण की बाते हैं जिसके लाभ अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों को जाते हैं। ऐसे परिदृश्य में, दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सदा-सुलभ (ऑन-टैप) टीएलटीआरओ, म्यूचुअल फंड के लिए एक चलनिधि खिड़की,

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की चलनिधि स्थिति को बेहतर करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा परिचालित एक विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस), राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में भी खुला बाजार परिचालन और द्विदिशात्मक परिचालन (ट्विस्ट ऑपरेशन्स) सहित विभिन्न उपकरणों (इनस्ट्रूमेंट्स) के माध्यम से रिज़र्व बैंक ने बाजार परिचालन किए। इन परिचालनों ने चलनिधि संबंधी भय दूर किए और वित्तीय क्षेत्र के प्रति संभावित प्रणालीगत जोखिम टाले जा सके। स्थितियां जब सामान्य हुईं, एलटीआरओ/टीएलटीआरओ के अंतर्गत पहले उठाए गए फंड को परिपक्वता से पहले लौटाकर नरम ब्याज परिवेश का लाभ उठाने में बैंकों की सहायता की गई। इसके अलावा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंक कम (4.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत) किया गया। आगे, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएएफ) के अंतर्गत बैंकों के उधार लेने की सीमा को बढ़ाते हुए एनडीटीएल से आहरण को 3 प्रतिशत कर दिया गया जो पहले 2 प्रतिशत था। ऋण चुकौती अधिस्थगन के रूप में उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए पूर्वकृत विनियामक उपायों की घोषणा के बाद कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य खातों के समाधान के लिए व्यापक समाधान संरचना (रिसॉल्यूशन फ्रेमवर्क) 1.0 प्रस्तुत की गई।

1.25 भारत ने विशाल राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिया, जिसका उल्लेख पहले किया गया, और यह अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए क्रमिक व नपा-तुला प्रयास था। परिणामतः, पूँजीगत व्यय ने 2020-21 की पहली छमाही में 11.6 प्रतिशत के संकुचन को उलटते हुए अक्टूबर 2020-फरवरी 2021 के दौरान 104.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। व्यय की गुणवत्ता में यह सुधार उप-राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिबिंबित हुआ और राज्यों का पूँजीगत व्यय (संवितरित ऋणों व अग्रिमों को अलग करके) सुधरकर छ2:2020-21 में महामारी-पूर्व स्तर पर आ गया। दूसरी ओर सरकारी राजस्व 2020-21 में नीचे चला गया तथा विनिवेश से सहयोग के अभाव

में कर राजस्व में चक्रीय व महामारी-जनित कमी और गहरा गई। परिणामतः, व्यय के दबाव से राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 9.4 प्रतिशत जो गया जो 3.5 प्रतिशत के बजट अनुमान से काफी अधिक है।

1.26 बाह्य मोर्चे पर, कोविड-19 महामारी की पहली लहर के आक्रमण से ति1:2020-21 में भारत का वाणिज्य वस्तु व्यापार तेजी से नीचे गया। मध्य-सितंबर से संक्रमणों के घटने के बाद देशों के बीच व्यापारिक गतिविधि की क्रमिक शुरुआत और घरेलू अर्थव्यवस्था को अनलॉक किए जाने से वाणिज्य वस्तु व्यापार समुत्थान के संकेत देने लगा। निर्यात में समुत्थान को दवाइयों व औषधीय पदार्थों (ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स) तथा कृषि के मजबूत प्रदर्शन का सहयोग मिला। प्रजातिगत दवा विनिर्माण क्षमता के दम पर भारत विश्व के लिए औषधीय पदार्थों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरकर आया – अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकायों (यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन; वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन – गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस या डब्ल्यूएचओ-जीएमपी; और यूरोपीयन डायरेक्टोरेट ऑफ़ क्वालिटी मेडिसिन्स या ईडीक्यूएम) द्वारा अनुमोदित सबसे ज्यादा औषधीय पौधे भारत के पास हैं। घरेलू माँग के बेहतर होने से वर्ष के उत्तरार्ध की ओर वाणिज्य वस्तु आयात भी बढ़ा। समग्र रूप से वर्ष के लिए वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा यूएस \$ 161.3 बिलियन से वर्ष-दर-वर्ष घटकर यूएस \$ 98.6 बिलियन हो गया। यात्रा व परिवहन प्रतिबंधों के बीच विदेशी माँग में आई कमी सेवाओं के आयात व निर्यात दोनों को नीचे ले गई, जिसमें केवल आईटी-आधारित सेवाओं ने सुदृढ़ता दर्शाई और समग्र निवल निर्यात को अहम सहारा दिया। मेजबान देशों में नौकरी के घटते अवसर एवं आय के गिरते स्तरों के साथ खाड़ी देशों से विपरीत प्रवास का प्रभाव देश में आने वाले धन-प्रेषण के प्रवाह पर पड़ा। वाणिज्य वस्तुओं व अदृश्य मदों में चल रहे घटनाक्रम से छ1:2020-21 में जीडीपी का 3.0 प्रतिशत का चालू खाता अधिशेष घटकर छ2 में जीडीपी के लगभग 0.5 प्रतिशत के घाटे में बदल गया⁴

⁴ ति4:2020-21 के अनुमानों के आधार पर।

1.27 वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), विशेषतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जाने वाले प्रवाहों में, गिरावट के बावजूद भारत निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहा और निवल एफडीआई वर्ष के दौरान एक ऊँचाई पर पहुँच गया। कुछ बड़े सौदों के होने से डिजिटल क्षेत्र भारत में एफडीआई का बड़ा प्राप्तकर्ता बना। निवेशकों की भ्रूख जब वापस लौटी तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाहों में भी उछाल आया जिसे आगे बढ़ाने में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों की अति-निभावी मौद्रिक नीति रुख ने मुख्य कारक की भूमिका निभाई।

1.28 रिज़र्व बैंक के लिए बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य एक प्राथमिकता के रूप में उभरा और बैंक ने इसे महामारी के आघात से बचाने के लिए प्रयास किए। इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी तक सुविधाजनक पहुँच; अधिस्थगन; आस्ति वर्गीकरण में विराम; लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध; व्यवहार्य खातों की पुनर्रचना की अनुमति; और विवेकपूर्ण मानदंडों जैसे कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के नियोजित रोल-आउट को स्थगित करने के साथ ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षा के लिए छूट को आसान बनाना शामिल थे (वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों को रिपोर्ट के अनुबंध I और II में बताया गया है)।

1.29 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) मार्च 2020 के 8.2 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 की समाप्ति पर 6.8 प्रतिशत हो गया था। बैंकों द्वारा विवेकपूर्ण प्रावधानीकरण, जो आस्थगन लेने वाले और पुनर्रचना के तहत चल रहे खातों के लिए विनियामकीय निर्धारण से भी अधिक था, के परिणामस्वरूप एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2020 के 66.6 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2020 की समाप्ति पर 75.5 प्रतिशत के साथ बेहतर हुआ। बड़े खाते में डाले जाने के लिए समंजन करते हुए पीसीआर मार्च 2020 के 81.3 प्रतिशत से बढ़कर 88.0 प्रतिशत रहा। एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च-अंत 2020 के 14.8 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर-अंत 2020 में

15.9 प्रतिशत हो गया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बाज़ार से पूंजी जुटाने और प्रतिधारित लाभ से सहयोग मिला। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में 5.6 प्रतिशत बढ़त हुई (26 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर), जो एक वर्ष पहले के 6.1 प्रतिशत से कम था। सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश में तेजी आई, तथा इसमें एक वर्ष पहले के 10.6 प्रतिशत की तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2020 तिमाही में निवल हानि रिपोर्ट करने के बाद, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने बाद की तिमाहियों में आस्तियों पर धनात्मक प्रतिलाभ (आरओए) रिपोर्ट किया। उनके तुलन पत्रों और पूंजीगत स्थितियों की वास्तविक अवस्था विनियामकीय छूटों के वापस लिए जाने पर ही मापी जा सकती है।

1.30 रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भी कई कदम उठाए। एनबीएफसी के लिए बैंक ने एक आकार-आधारित विनियामकीय ढांचे की ओर पहल की। विनियामकीय धरातल पर सभी के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने की दृष्टि से एचएफसी के लिए अक्टूबर 2020 में एक संशोधित ढांचा लाया गया। एनबीएफसी के लिए चरणबद्ध रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा आरंभ किया गया है, जिसमें चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) भी शामिल है। मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए दिशानिर्देशों की भी व्यापक समीक्षा की गई। एनबीएफसी का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 के 6.8 प्रतिशत से बेहतर होकर दिसंबर 2020 में 5.7 प्रतिशत हुआ है, हालांकि ऐसा मुख्यतः, विराम पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में छूट के चलते हुआ है। इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी का सीआरएआर भी थोड़ा सुधरकर 23.7 प्रतिशत से 24.8 प्रतिशत हो गया।

1.31 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति और कृषि ऋण पर आंतरिक कार्यदल की संस्तुतियों को लागू किया ताकि समावेश में सुधार लाया जा सके और इन क्षेत्रों तक ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके। उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समंजन के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर संशोधित मास्टर निदेश जारी किए

गए। अर्थव्यवस्था के सेवा रहित और अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए किफायती लागत पर ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सह-ऋण (को-लेंडिंग) की शुरुआत की गई। पूरे देश को चरणबद्ध रूप से कवर करने के लिए प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) का विस्तार आरंभ किया गया।

1.32 रिजर्व बैंक बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पूर्व की तुलना में पर्यवेक्षी रुख अब अधिक भविष्योन्मुखी और मूल-कारण पर केंद्रित है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रियाओं में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित दिशाओं में पहल की गई (ए) विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए अपेक्षित पर्यवेक्षी कार्यों का समेकन; (बी) क्षैतिज और उर्ध्व दोनों प्रकार के जोखिम मूल्यांकन द्वारा पर्यवेक्षण की विशेषज्ञता और सुदृढीकरण; (सी) क्षमता विकास के लिए समर्पित पर्यवेक्षक महाविद्यालय (कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स) की स्थापना; और (डी) सुपटेक का प्रयोग।

1.33 कोविड-19 महामारी ने भारत में भुगतान परितंत्र के डिजिटल रूपांतरण की गति बढ़ा दी है। तकनीक के उपयोग की व्यापकता में वृद्धि लाने के अतिरिक्त महामारी ने भुगतान के डिजिटल माध्यमों की प्रचुरता को भी बढ़ावा दिया है, जिससे देश 'कम-नकदी' वाले विकल्पों की राह पर बढ़ा है। स्पर्श-रहित लेनदेन और फिनटेक क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा अंतिम उपयोगकर्ता की आवश्यकतानुसार तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों की बढ़ती पसंद के साथ डिजिटल लेनदेन तालाबंदी (लॉकडाउन) वाले महीनों के निम्न स्तर से सुधरकर बाकी वर्ष में तेज हुआ। रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा निरंतर नीतिगत सहयोग का मुख्य ज़ोर एक उपयुक्त विनियामकीय नीति बनाने के उद्देश्यों और डिजिटल उधार परितंत्र की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने का संतुलन बनाए रखने पर है।

1.34 दिसंबर 2020 में 24x7 आरटीजीएस के आरंभ ने डिजिटल लेनदेन की तेज और सुरक्षित वृद्धि के लिए सक्षमकारी वातावरण बनाया। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में आ गया है जहां आरटीजीएस प्रणाली वर्ष भर चौबीसों घंटे परिचालित होती है। मार्च 2021 में आरटीजीएस द्वारा थोक लेनदेन 70 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गए। खुदरा क्षेत्र में, यूनिफाइड

पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में 273 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, साथ ही इसका मूल्य पहली बार ₹5 लाख करोड़ के स्तर से ऊपर गया। अन्य खुदरा भुगतान प्रणालियों की भी मजबूत वृद्धि हुई जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी), भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस), इमीडियेट पेमेंट सर्विस (आइएमपीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)। कुल मिलाकर, 2019-20 के 3,412 करोड़ की तुलना में, 2020-21 में कुल डिजिटल लेनदेन की मात्रा 4,371 करोड़ रही जो महामारी के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल भुगतान प्रणाली की सुदृढ़ता को प्रमाणित करता है।

1.35 2020-21 को इतिहास में जीवन और मानवता के आदर्शों में कोविड-19 महामारी के व्यवधान के वर्ष के रूप में याद किया। इसने आर्थिक गतिविधियों, वित्त और आमतौर पर जीवन और आजीविका को इतनी गहराई और जबर्दस्त रूप से बदल दिया कि सुधार में कई साल लग जायेंगे। महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की आधार-संरचना की भंगुरता और पिछले वर्षों में स्वास्थ्य पर व्यय की अपर्याप्तता को भी उजागर किया। वर्ष 2020 अभूतपूर्व नीतिगत रेस्पॉन्स के लिए भी उल्लेखनीय होगा, जो समन्वित न होते हुए भी वैश्विक रूप से सुसंगत रहे। वैज्ञानिक समुदाय, प्रसंशनीय रूप से, अभूतपूर्व स्तर और गति से जुट गया तथा दिसंबर 2020 तक टीकों का रोलआउट इनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रखरता का प्रमाण है। स्वास्थ्य कर्मियों और अगली पंक्ति के कर्मचारियों का अपनी जान जोखिम में डालकर भी महामारी के नियंत्रण में व्यवस्था को सहयोग देने का निःस्वार्थ और प्रतिबद्ध कार्य इस अनिश्चित समय में अत्यंत सराहना के योग्य है। अब से भारत सहित वैश्विक स्थिति में सुधार और इसका परिदृश्य, टीकाकरण की गति व कवरेज और वायरस के उभरते रूपों पर इसके असर पर निर्भर होगा।

2021-22 और उसके बाद का परिदृश्य

1.36 ऐतिहासिक रूप से, इन्फ्लूएंजा संबंधी महामारियों का प्रकोप लहरों में होता है। दुनिया भर में कई देश पहले ही कोविड-19 की दो या दो से अधिक लहरों का अनुभव कर चुके हैं। इनमें से प्रत्येक लहर में प्रतिबंधात्मक उपाय करके जीवन की रक्षा करने और प्रतिबंध न लगाकर आजीविका की रक्षा

करने के बीच का कष्टदायक संतुलन बिठाना पड़ता है। यही दुविधा आज सभी के सामने है, जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घातक लहरें ज़ोर मार रही हैं। भारत इस तलवार की धार सी दुविधा से अछूता नहीं है। महामारी की नियमितताओं के आधार पर बनाए गए गणितीय मॉडलों के इस पूर्वानुमान, कि भारत में दूसरी लहर मोटे तौर पर मई 2021 के मध्य तक चरम पर पहुँचेगी, के अनुरूप हाल में दैनिक नए संक्रमणों की संख्या कम हुई है, लेकिन घटनाएं और परिवर्तन कारक अब भी सुविधाजनक स्तर से ऊपर हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस लहर की समष्टि-आर्थिक लागत ति1: 2021-22 तक सीमित हो सकती है, जिसका कुछ प्रसार-प्रभाव जुलाई तक जा सकता है। यही इस समय परिकल्पित किया जा सकने वाला सबसे आशावादी परिदृश्य है – संक्रमण की अगली लहरों का सामना करने के लिए यह महामारी के कठोर प्रोटोकॉल और प्रचालन तंत्र (लॉजिस्टिक्स) तैयार करने, टीकों के उत्पादन और चिकित्सा आपूर्ति में तेजी लाने, स्वास्थ्य आधार संरचना में खामियों को दूर करने और भंडार, विशेषतः टीकों का, जमा करने के लिए एक सीमित अवसर (विंडो) देता है। अन्य सभी परिणामों में जीवन, रोजगार और उत्पादन में होने वाली हानि काफी प्रतिकूल और दीर्घकालिक रहने की संभावना है। भारत के दवा उद्योग के आकार और समुन्नत स्वरूप को देखते हुए निश्चित रूप से आशा है कि भारत अपनी शक्ति का लाभ उठाते हुए भविष्य की लहरों को नियंत्रित कर सकता है।

1.37 स्थिति में असमान वैश्विक सुधार धीरे-धीरे नए संक्रमणों और उत्परिवर्तनों (म्यूटेशन) के बीच अपनी राह बना रहा है और गति पकड़ने के लिए संघर्षरत है। तेजी से और व्यापक रूप से टीकाकरण करने वाले देश संक्रमण वक्र को नीचे ला रहे हैं। वे संभवतः अन्य देशों की तुलना में महामारी की मौजूदा लहर से जल्दी बाहर निकलेंगे और वैश्विक सुधार का नेतृत्व करेंगे, हालांकि सभी को समान रूप से टीकाकरण होने तक वे जोखिम में रहेंगे। सुधार को आधार देने वाली शक्तियां हैं- टीकाकरण अभियान और जहाँ भी गुंजाइश है वहाँ अतिरिक्त नीतिगत समर्थन। इन स्थितियों के अंतर्गत, आईएमएफ ने अप्रैल 2021 के अपने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण (वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक) में 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 6.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान दिया है। अधोमुखी

जोखिम संतुलन बिगाड़ते हैं: महामारी का फिर से उभरना; मुश्किल वित्तीय स्थितियां; लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव; बढ़ता सामाजिक असंतोष; और भू-राजनीतिक तथा व्यापारिक टकराव। आशान्वित करने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2020 में, जी20 ने अधोमुखी जोखिमों से बचाते हुए, लोगों के जीवन, काम और आय की सुरक्षा करने, वैश्विक आर्थिक सुधार का समर्थन करने और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए जब तक जरूरी हो, तब तक उपलब्ध सभी नीतिगत उपाय करते रहने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है।

1.38 2021 में जैसे-जैसे सुधार में मजबूती आयेगी, वैश्विक व्यापार तेज होने की आशा है। आईएमएफ ने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 8.4 प्रतिशत की बढ़त का अनुमान दिया है (पण्य व्यापार की मात्रा के लिए डब्ल्यूटीओ का अनुमान 8.0 प्रतिशत है), हालांकि वे महामारी-पूर्व की प्रवृत्ति से नीचे बने रहेंगे। सीमापारीय सेवा व्यापार (पर्यटन और परिवहन) के मंद रहने की संभावना है, जब तक कि वैश्विक स्तर पर महामारी कम न हो जाए, अंतरराष्ट्रीय यात्रा महामारी संबंधी प्रतिबंधों में छूट न मिले और विश्वास वापस न आ जाए।

1.39 आर्थिक गतिविधियों में काफी शिथिलता के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और अधिकांश उदयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद है; हालांकि अल्पावधि में, बड़े स्तर पर राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन से और पण्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों से ऊर्ध्वमुखी जोखिम उत्पन्न होगा, जैसा कि मुद्रास्फीति प्रत्याशा के बाजार आधारित संकेतक दर्शा रहे हैं। एक वर्ष पहले के महामारी-कालीन न्यून स्तरों की तुलना में अप्रैल 2021 तक, ऊर्जा की कीमतों में 170 प्रतिशत और गैर-ऊर्जा पण्य वस्तुओं (कृषि, उर्वरक, खनिज, धातु और कीमती धातुओं) की कीमतों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.40 भारत में दूसरी लहर में संक्रमण की तेजी चिंताजनक रही है, तथा इस आकार और गति की वृद्धि को संभालने की क्षमता की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य आधार संरचना पर भारी दबाव पड़ा है। दैनिक नए पुष्ट संक्रमणों की संख्या पहली लहर की उच्चतम सीमा को पार कर गई और अप्रैल की शुरुआत में 1 लाख से अधिक हो गई और महीने के अंत तक 4 लाख से

ऊपर भाग जाने के बाद गिरकर 23 मई 2021 की स्थिति के अनुसार 2.2 लाख हुई। स्वस्थ होने के वालों की संख्या संक्रमण के मामलों से कम रही और 23 मई 2021 तक स्वस्थ होने की दर गिरकर 88.7 प्रतिशत हो गई, जबकि चिकित्सकीय रूप से पुष्ट न की गई अधिक मौतों की रिपोर्ट के बीच पुष्ट की गई मृत्यु दर लगभग 1.1 प्रतिशत पर बनी रही। हालांकि शुरुआत में महाराष्ट्र इसके केंद्र के रूप में दिखाई दिया, अगले कुछ हफ्तों में इस दूसरी लहर ने देश के बाकी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही पुष्ट मामलों की कुल संख्या 2.6 करोड़ को पार कर गई और 23 मई 2021 की स्थिति के अनुसार 27 लाख से अधिक सक्रिय मामले और 3.03 लाख मृत्यु दर्ज की गई। 23 मई 2021 तक, भारत में कुल पुष्ट की गई कोविड-19 संबंधी प्रति व्यक्ति संचयी मृत्यु दर वैश्विक औसत से 50 प्रतिशत कम रही है। हालिया दूसरी लहर के साथ भारत में सीमांत मृत्यु दर - प्रति मिलियन जनसंख्या पर नई मृत्युओं का 7-दिवसीय औसत - 3.04 प्रतिशत रही जो 1.55 प्रतिशत के कुल वैश्विक औसत से अधिक रही; यद्यपि 7-दिवसीय औसत आधार पर नए संक्रमणों के प्रतिशत के रूप में नई मौतें अभी वैश्विक औसत से 20 प्रतिशत नीचे रहीं।⁵

1.41 तथापि, तबाही के स्तर और मानव जीवन की हानि से अमित दरारें पड़ी हैं और भविष्य के लिए कई सबक मिले हैं: महामारी की तैयारी के लिए निरंतर सतर्कता - यह स्थिति अभी कुछ समय के लिए बनी रहने वाली है; स्वास्थ्य खर्च और स्वास्थ्य आधार-संरचना के उन्नयन की प्राथमिकता; भंडार बनाने के साथ-साथ टीकों का और टीकाकरण का तेजी से रोलआउट; वैक्सीन डेवलपर्स/उत्पादकों को वायरस के नए-नए रूपों द्वारा मिल रही चुनौती के परिप्रेक्ष्य में शोध और विकास में निवेश; स्थानीय लॉकडाउन, गतिशीलता पर प्रतिबंध और अन्य कोविड-उपयुक्त व्यवहार सहित विवेकपूर्ण और पूर्वकृत महामारी प्रोटोकॉल। टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने 13 अप्रैल 2021 को भारत में रूस के स्पुतनिक V के उपयोग को मंजूरी दी है। इसके अलावा, टीकाकरण कवरेज का विस्तार करते हुए, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय 1 मई 2021 से टीकाकरण के

लिए पात्र हैं। वैक्सीन निर्माताओं को अपनी आपूर्ति का 50 प्रतिशत तक राज्यों और खुले बाजार को पूर्व-घोषित मूल्य पर जारी करने का लचीलापन दिया गया है। उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने और वैक्सीन उत्पादन में नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए वैक्सीन के मूल्य निर्धारण को उदार बनाया गया है। महामारी से लड़ने के लिए उपलब्ध टीकों का समूह बढ़ाने के लिए, सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस), यूनाइटेड किंगडम (यूके), यूरोपीय संघ (ईयू), जापान में अनुमोदित और/या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सूचीबद्ध टीकों के भारत में आपात उपयोग के लिए अनुमति दी है। इसके अलावा, सरकार ने टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं को ₹4,500 करोड़ रुपये के अग्रिम का अनुमोदन दिया है।

1.42 दूसरी लहर के आरंभ से वृद्धि अनुमानों में संशोधनों का दौर शुरु हुआ है, जिसमें आम सहमति वर्ष 2021-22 के लिए रिजर्व बैंक के 10.5 प्रतिशत के अनुमान की ओर बन रही है - जो ति1 में 26.2 प्रतिशत, ति2 में 8.3 प्रतिशत, ति3 में 5.4 प्रतिशत और ति4 में 6.2 प्रतिशत है। इस संभावना (आउटलुक) के लिए सबसे बड़ा जोखिम स्वयं महामारी ही है, विशेष रूप से दूसरी लहर का प्रभाव और अवधि। फिर भी, पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा वृद्धि, क्षमता उपयोग में वृद्धि और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में बेहतर परिवर्तन के कारण सकारात्मकताएं भी उत्पन्न होती हैं।

1.43 अप्रैल और मई 2021 की शुरुआत के लिए, उपलब्ध उच्च बारंबरता संकेतक एक मिश्रित तस्वीर दर्शाते हैं। गतिशीलता और प्रवृत्ति संकेतकों में जहाँ नरमी आई है, वहीं कई गतिविधि संकेतकों ने अपनी जगह बनाए रखी है और दूसरी लहर के समक्ष सुदृढ़ता दर्शाई है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में लगातार सातवें महीने ₹1 लाख करोड़ के आंकड़े के पार रहा और दर्ज किए गए उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। यह दर्शाता है कि विनिर्माण और सेवाओं का उत्पादन बना रहा है। वहीं दूसरी ओर ई-वे बिल में मंदी आई, जो गतिशीलता प्रतिबंधों और आगामी महीनों में जीएसटी संग्रह में संभावित कमी की ओर इशारा करता है। गतिशीलता में कमी का

⁵ आवर वर्ल्ड इन डेटा।

असर अप्रैल के दौरान टोल संग्रह की मात्रा पर भी दिखा। कृषि क्षेत्र में, मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग माह के दौरान कम हो गई, जो कृषि श्रमिकों की बढ़ती मांग का संकेत है। औद्योगिक गतिविधि का जहाँ तक प्रश्न है, विद्युत की मांग स्थिर है। परिवहन सुदृढ़ बना हुआ है, जैसा कि महामारी के कारण आवश्यक चिकित्सा सामग्री की मांग में आए उछाल से समर्थित माल ढुलाई में वृद्धि से परिलक्षित होता है। बाह्य मोर्चे पर, अप्रैल में पण्य निर्यात और आयात में 195.7 प्रतिशत और 167.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो निम्न आधार प्रभाव को दर्शाता है, साथ ही बाह्य और घरेलू दोनों प्रकार की मांग में सुधार भी इंगित करता है। अप्रैल में कुल डिजिटल लेनदेन का मूल्य पूर्ववत बना रहा। वित्तीय स्थितियां सामान्यतः अनुकूल और सुधार के सहायक रही हैं।

1.44 भावी स्थिति देखें तो उभरते सीपीआई मुद्रास्फीति वक्र पर ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दोनों दबाव पड़ने की संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति पर 2021 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की आवधिक और स्थानिक प्रगति का महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। दूसरा, केंद्र और राज्यों की समन्वित कार्रवाई द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर घरेलू करों के भार से कुछ छूट मिलने के कारण राहत मिल सकती है, यद्यपि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें अस्थिर बनी रहीं। तीसरा, उच्च अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें और सहायक व्यवस्थाओं (लॉजिस्टिक्स) की लागत मिलकर विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट कीमत दबाव बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति औसत 5 प्रतिशत रहने की प्रत्याशा है- ति1:2021-22 में 5.2 प्रतिशत; ति2:2021-22 में 5.2 प्रतिशत; ति3:2021-22 में 4.4 प्रतिशत और ति4:2021-22 में 5.1 प्रतिशत, जबकि जोखिम मोटे तौर पर संतुलित बने रहेंगे। अप्रैल 2021 के दौरान अनुकूल आधार प्रभावों के कारण मुद्रास्फीति घट गई।

1.45 2021-22 में भारत के बाह्य क्षेत्र पर वैश्विक घटनाक्रम और उनके प्रसार-प्रभाव का असर रहने की संभावना है। भारत

के पण्य निर्यात और आयात में भले ही सुधार के आरंभिक संकेत दिखाई दे रहे हों, लेकिन कोविड-19 संक्रमणों में पुनः वृद्धि के कारण खराब होता वैश्विक व्यापार वातावरण बाह्य मांग पर दबाव डाल सकता है। महामारी के परिदृश्य में उपजे अवसरों का लाभ उठाते हुए, घरेलू फर्मों को अपेक्षित कौशल उन्नयन और शोध व विकास क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के पूंजी-गहन क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में अधिक भागीदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सरकार का जोर मूल्यवर्धन, उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा जीवीसी में घरेलू उद्योगों के जुड़ाव को बढ़ावा देने पर है। इसकी तैयारी के लिए, उल्टी शुल्क संरचना जिसके तहत पीएलआई क्षेत्रों में तैयार माल की तुलना में इनपुट के लिए अधिक दर पर कर लगाया जाता है, को सुधारने की जरूरत है ताकि बड़ी फर्मों को अपना उत्पादन आधार भारत में अंतरित करने और बड़े पैमाने की किफायत का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राज्यों की औद्योगिक नीति/निर्यात नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)' योजना⁶ के समेकन से भी निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए। निर्यात वृद्धि और जीवीसी में भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्यापार सुविधाजनक बनाने पर विभिन्न राष्ट्रों और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ नीतिगत चर्चा, नए व्यापार समझौते और प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को बेहतर करना भी एक प्राथमिकता है। औषधि क्षेत्र में, भारत को एक्टिव फार्मास्युटिकल इंड्रियेंट (एपीआई) के घरेलू उत्पादन पर जोर देने के साथ-साथ घरेलू औषधीय निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन में अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। सुदृढ़ सीमापारीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए कंटेनरों के स्वदेशी उत्पादन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

⁶ यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक पहल है, जिसकी परिकल्पना एक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य निर्यात की संभावना वाले उत्पादों की पहचान करके, निर्यात से जुड़ी बाधाओं को दूर करके, स्थानीय निर्यातकों / निर्माताओं को सहयोग देकर देश के प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र का रूप देना और जिले में निर्यात / विनिर्माण / सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के बाहर संभावित खरीदारों को ढूँढना और रोजगार पैदा करना है।

1.46 डिजिटल परिचालनों और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच आईटी सेवाओं के निर्यात के सुदृढ़ बने रहने की संभावना है। प्रमुख आईटी निर्यातक कंपनियों ने विश्व की अग्रणी कंपनियों के साथ नई ग्राहक रणनीतिक साझेदारी कर ली है। वैश्विक समुत्थान की उम्मीद में आईटी सेवाओं पर व्यय का बढ़ना तय है और 2021 में वैश्विक आईटी सेवाओं पर व्यय में 9.0 प्रतिशत की योजनाबद्ध वृद्धि से भी भारतीय आईटी कंपनियों के निर्यात को फ़ायदा होने की संभावना है⁷।

1.47 समुत्थान की संभावना को और बेहतर करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है राजकोषीय नीति का रुखा आधार-संरचना पर दिए गए बल से उत्पादनपूर्व और उत्पादनोत्तर सहबद्धताओं के उपयोग द्वारा गतिविधि में समुत्थान को व्यापक करने वाली स्थितियों का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रीय आधार-संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) प्रयास के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण (फाइनेंस) करने के लिए 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित ₹20,000 करोड़ के पूँजीगत आधार वाली एक विकास वित्त संस्था (डीएफआई) का लक्ष्य दीर्घावधि परियोजना वित्तपोषण की समस्या को दूर करना है। अर्थव्यवस्था में कारोबार करने को सुगम बनाने संबंधी कदमों पर भी कार्य हो रहा है। विशेषतः संविदा प्रवर्तन (एन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स) और सीमा पार व्यापार (अर्थात् वस्तुओं के निर्यात व आयात की सहायक (लॉजिस्टिकल) प्रक्रिया) पर नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्थान (रैंकिंग) और उन्नत हो। समयपूर्व राजकोषीय सख्ती से समुत्थान के प्रति जोखिम को भाँपते हुए 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को गत वर्ष के 9.4 प्रतिशत से घटाकर जीडीपी के 6.8 प्रतिशत पर बजटित करते हुए और क्रमशः 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक या उससे नीचे लाने के लिए केंद्र सरकार ने क्रमिक राजकोषीय समेकन का मार्ग चुना है। बेहतर अनुपालन और आस्ति मौद्रिकीकरण एवं विनिवेश के सहारे कर राजस्व में बढ़े हुए उछाल से पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत व्यय में से ऋणों व अग्रिमों को घटाकर), जिसमें 54.7 प्रतिशत

की वृद्धि का प्रावधान है, में सहायता मिलने की उम्मीद है। 15वें वित्त आयोग के 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य को देखते हुए राज्यों ने 2021-22 में जीएफडी में लगभग 3.2 प्रतिशत के समेकन (17 राज्यों के बजट पर आधारित) का प्रावधान किया है। महामारी की दूसरी लहर से निपटने हेतु प्रतिक्रियीय अवलंब प्रदान करने के लिए राज्य अधिक उधार लेने को प्रेरित हो सकते हैं।

1.48 राज्य वित्त पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए, अप्रैल 2020 में रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा 31 मार्च 2020 के स्तर से 60 प्रतिशत अधिक कर दी। इसे और 6 महीने अर्थात् 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया और फिर, राज्य अर्थोपाय अग्रिम सलाहकार समिति (2021) [अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव] की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान अंतरिम सीमा और छह महीने अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई। ओवरड्राफ्ट के लिए दिनों की संख्या 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई थी जिसे मई 2021 में सितंबर 2021 तक विस्तार दिया गया। आगे, रिजर्व बैंक ने समेकित ऋण शोधित निधि (सीएसएफ) से आहरण संबंधी नियमों में ढील दी ताकि बाजार उधार के अपने शोधन (रिडेम्पशन) का एक वृहत्तर अंश राज्य पूरा कर सकें। 2021-22 के लिए 'पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' की योजना के अंतर्गत केंद्र ने ब्याज-मुक्त 50-वर्षीय ऋण के रूप में ₹15,000 करोड़ आबंटित किए हैं जो महामारी में पूँजीगत व्यय के लिए *आत्मनिर्भर भारत* पैकेज के अंश के रूप में राज्यों को दिए ₹11,830 करोड़ के अतिरिक्त है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र ने राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के निवल बाजार उधार की अनुमति दी है इस गुंजाइश के साथ कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के पूरा होने पर 4 प्रतिशत से अधिक जा सकते हैं।

1.49 2021-22 में मौद्रिक नीति का संचालन उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होगा जिसमें मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर सुनिश्चित करते हुए झुकाव इस पर रहेगा कि

⁷ गार्टनर, अप्रैल 2021।

तब तक वृद्धि के लिए यह सहायक बना रहे जब तक वृद्धि टिकाऊ रूप से आगे न बढ़ने लगे। सरकार ने अगले पांच वर्ष (अप्रैल 2021 - मार्च 2026) के लिए निचली व ऊपरी सह्य सीमा को क्रमशः 2 और 6 प्रतिशत रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा है जो न केवल वर्तमान ढाँचे की विश्वसनीयता बल्कि समष्टि-आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में इसकी भूमिका का भी सूचक है। अप्रैल 2021 के अपने संकल्प में, एमपीसी ने एकमत होकर निर्णय लिया कि पॉलिसी रिपो रेट को अपरिवर्तित रखा जाए एवं वृद्धि को सतत बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावी रुख जारी रखा जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे।

1.50 रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि मौद्रिक नीति के रुख के अनुसार 2021-22 में प्रणाली स्तरीय चलनिधि सुविधाजनक रहे एवं मौद्रिक संचरण निर्बाध होता रहे और साथ ही वित्तीय स्थिरता कायम रहे। इसका उदाहरण है 2021-22 में द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) की शुरुआत जिसके तहत रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में ही निश्चित राशि की जी-सेक के खुला बाजार क्रय के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है ताकि अनुकूल स्थितियों में प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) का स्थिर व सुसंगत विकास हो सके। जी-एसएपी 1.0 परिचालनों के सकारात्मक प्रसार-प्रभाव को वित्तीय बाजारों के उन हिस्सों के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है जो कीमत-निर्धारण मानक के तौर पर जी-सेक प्रतिफल वक्र पर भरोसा करते हैं। ₹1 लाख करोड़ के जी-एसएपी के पहले खंड का स्वागत हुआ है तथा जी-सेक यील्ड के विकास पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथ ही, जी-सेक बाजार को और गहरा करने के प्रयास भी चल रहे हैं जिसमें खुदरा सहभागिता बढ़ी हुई हो। एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत, जिससे भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार – प्राथमिक व द्वितीयक- में ऑनलाइन खुदरा सहभागिता की घोषणा की जिसमें रिजर्व बैंक के यहाँ श्रेष्ठ (गिल्ट) प्रतिभूति खाता ('रिटेल डायरेक्ट') खोलने की सुविधा है।

1.51 दूसरी लहर को तेज होता देख रिजर्व बैंक ने 5 मई 2021 को महामारी से लड़ाई के लिए नपी-तुली सुविचारित

रणनीति के पहले हिस्से के रूप में कई कदमों की घोषणा की जिसमें सबसे छोटे व सबसे कमजोर पर ध्यान दिया गया है। यह देखते हुए कि दूसरी लहर, ऋण चुकौती में कठिनाइयां पैदा कर सकती है, बैंक ने समाधान संरचना (रिसॉल्यूशन फ्रेमवर्क) 2.0 की घोषणा की जिसमें ₹25 करोड़ की एक्सपोजर सीमा में व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों एवं एमएसएमई द्वारा लिए गए ऋण की पुनः संरचना की अनुमति है। एमएसएमई को दिए गए ताजा ऋण (फ्रेश लेंडिंग) को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) से समतुल्य छूट की अनुमति दी गई। 2021 मार्च-अंत तक ₹25 करोड़ तक के कुल ऋण संविभाग वाले लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) – एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य द्वारा दिए ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) हेतु पात्र बनाया गया और ऐसे ऋणों को 2021 के दिसंबर-अंत तक आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) अपेक्षाओं के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाया जा सकता है। एनपीए हेतु विशिष्ट प्रावधान करने के लिए बैंकों को अपने पास 2020 के अंत में उपलब्ध चल प्रावधानित राशियों (फ्लोटिंग प्रोविज़न्स)/ प्रतिचक्रिय प्रावधानीय बफर के 100 प्रतिशत के उपयोग की भी अनुमति दी गई। दूसरी लहर के चलते आवाजाही में लगे प्रतिबंधों को देखते हुए विनियमित इकाइयों (आरई) को कहा गया कि दिसंबर 2021 तक उन खातों में परिचालन न रोकें जिनका आवधिक केवाईसी अद्यतनीकरण लंबित (अपडेशन पेंडिंग) है।

1.52 देश में कोविड संबंधी स्वास्थ्य सेवा की आधार संरचना व सेवाओं को बढ़ाने हेतु तत्काल चलनिधि की व्यवस्था को बल देने के लिए रिपो रेट पर तीन वर्ष तक की अवधि के लिए ₹50,000 करोड़ का एक सदा-सुलभ चलनिधि अवसर (ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो) 2021-22 के अंत तक उपलब्ध कराया गया। प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के ताजा उधार (फ्रेश लेंडिंग) हेतु नियोजित किए जाने के लिए एसएफबी के लिए रिपो रेट पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन-वर्षीय दीर्घवाधि रिपो परिचालन (एसएलटीआरओ) संचलित करने के भी निर्णय लिए गए। प्रणाली-स्तरीय चलनिधि को और बढ़ाने तथा प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) के सुसंगत विकास में सहायता के लिए जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹35,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के दूसरे क्रय की घोषणा की गई।

1.53 23 मार्च 2021 को आस्ति वर्गीकरण विराम पर अंतरिम स्थगन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हटा लिए जाने के साथ ही आने वाली तिमाहियों में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी और अधिक प्रवाधानीकरण की तैयारी की आवश्यकता होगी। अधिस्थगन अवधि (1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020) में ऋणों पर प्रभारित ब्याज पर ब्याज की छूट से भी उधार देने वाली संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। तथापि उच्चतर पूँजी बफ़र, वसूली में सुधार और लाभर्जकता की वापसी के कारण वे तुलन पत्रों में दबाव को संभालने की बेहतर स्थिति में हैं। दबाव परीक्षण बता रहे हैं कि अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में भी भारतीय बैंकों के पास समग्र स्तर पर पर्याप्त पूँजी है। बैंक-वार तथा प्रणाली-व्यापी पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण नाजुक क्षेत्रों की भविष्योन्मुखी पहचान का संकेत देते हैं।

1.54 विनियामक एवं पर्यवेक्षी क्षेत्र में 2021-22 में कई कदमों के लागू होने की प्रत्याशा है यथा, सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) में लगी सभी विनियमित इकाइयों पर लागू विनियमावली की समीक्षा; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लाभांश वितरण पर दिशा निर्देश और उनके लिए आकार-आधारित विनियम। एक ओर जहाँ फिर से आ खड़ी महामारी के परिणामों पर कार्रवाई के लिए अपेक्षित विनियामक कदम उठाए जा रहे हैं, उम्मीद है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत दिवाला प्रक्रिया की फिर से शुरुआत और एमएसएमई को सुगमतर समाधान माध्यम देने के लिए पहले से एक पैकेजबद्ध दिवाला व्यवस्था से उधारदाताओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के सार्थक समाधान पर फिर से ध्यान जाएगा। परिकल्पित बैड बैंक, ऋण जोखिम अंतरण के लिए बाजार-आधारित प्रणाली विकसित करने हेतु विनियामक उपायों जैसे प्रतिभूतिकरण, ऋण एक्सपोज़रों के अंतरण और द्वितीयक ऋण बाजार के विकास से बैंकों के तुलन पत्र से दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

1.55 जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति सहित निगरानी और आश्वासन कार्यों के प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) आकलन और कारोबारी रणनीति/मॉडलों को भी और मजबूत करने के कदम उठाए जाएंगे। विवरणियों की वर्तमान संरचना की समीक्षा और समेकन द्वारा सभी पर्यवेक्षित इकाइयों (एसई) हेतु पर्यवेक्षी डेटा संरचना के एकीकरण के जरिये पर्यवेक्षी विवरणी प्रणाली को सुगम करने के प्रयास किए जाएंगे। नवोन्मेषी और आरोह्य (स्केलेबल) पर्यवेक्षी तकनीक (सुपटेक) अपनाकर पर्यवेक्षी प्रक्रिया की क्षमता व प्रभाव में और वृद्धि की जाएगी। पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) संरचना के उन्नयन, धोखाधड़ी अभिशासन और प्रतिसाद प्रणालियों के सुदृढीकरण, लेन-देनों की निगरानी हेतु डेटा विश्लेषण के संवर्धन, धोखाधड़ी के लिए समर्पित बाजार आसूचना इकाई की शुरुआत तथा प्रत्येक धोखाधड़ी (फ्रॉड) के लिए अलग नंबर जेनरेट करने वाली स्वचालित प्रणाली के कार्यान्वयन द्वारा धोखाधड़ी (फ्रॉड) जोखिम प्रबंधन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। एसई में लेखा परीक्षा को सुदृढ करने के लिए वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर सुसंगत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निर्दिष्ट विनियमावली की योजना है: सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निर्देश 2020; और आईटी आउटसोर्सिंग पर मास्टर निर्देश। एक वेब-आधारित एप्लीकेशन पोर्टल अर्थात् एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रेकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस) को कार्यान्वित किया जाएगा ताकि सभी एसई में अनुपालन निगरानी और अधिक सक्षम व सुसंगत हो।

1.56 वैश्विक महामारी में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक अबाध रूप से पहुँचाने में कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल⁸ सामने आया। कोविड-19 के प्रभाव ने विश्व में बैंकिंग कारोबार के

⁸ वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने 2006 में बीसी मॉडल प्रारंभ किया था।

प्रतिमान बदल डाले जिसमें वित्तीय समावेश की जड़ें गहरी करने में डिजिटल माध्यम की अधिकाधिक भूमिका है। इस दिशा में हुई प्रगति के आधार पर, बीसी मॉडल को और मजबूत बनाया जाएगा जिससे इस क्षेत्र की उभरती जरूरतों व मांगों के अनुसार यह ढल सके। देश में वित्तीय समावेश की हद का आकलन करने के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा एक वित्तीय समावेश सूचकांक (एफआई इंडेक्स) तैयार करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसे जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा।

1.57 महामारी के दौरान शिकायत निवारण व्यवस्था 24x7 उपलब्ध रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लॉकडाउन व चरणबद्ध अनलॉक में भी विनियमित इकाइयों (आरई) के विरुद्ध शिकायतों पर समय से तथा पर्याप्त ध्यान दिया जाए। रिजर्व बैंक ग्राहक सेवा को और बेहतर करने पर ध्यान देगा और इसके लिए बैंकों द्वारा शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की संरचना के अंतर्गत बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण पर शिक्षा व जागरूकता प्रयासों को भी वर्ष भर जारी रखा जाएगा।

1.58 डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में, एक नवोन्मेष केंद्र, एक विनियामकीय परीक्षण क्षेत्र (सैंडबॉक्स) और ऑफ़लाइन पेमेंट सॉल्यूशन जैसे विभिन्न प्रयास जारी हैं ताकि डिजिटल परितंत्र में भारत अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रख सके। रिजर्व बैंक बैंकों, एटीएम और बीसी की लोकेशन बताने वाली जिओ-टैगिंग संरचना को विस्तार देकर इसमें भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदुओं (पेमेंट सिस्टम टच प्वाइंट्स) को कवर करने की प्रक्रिया में है जिससे देश भर में उनके सटीक अवस्थान का पता चल सकेगा। देशों के बीच भुगतान व्यवस्थाओं को बढ़ाने के जी-20 अधिदेश के अनुसार देशों के बीच लेन-देन में सहायता के लिए भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली के उपयोग की संभावना की पड़ताल की जा रही है तथा आने वाले धन-प्रेषण के मार्गों व प्रभारों की समीक्षा की जाएगी।

आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, बैंकेतर भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा की जाने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन की एक विनियामक संरचना कार्यान्वित की जाएगी।

1.59 भारत की वित्तीय प्रणाली में 2021-22 में फिनटेक हेतु संभावनाएं डिजिटल प्रयोग की हद पर निर्भर करेंगी जो कि संबंधित स्वीकृति आधार-संरचना की सुदृढ़ता, उपयोगकर्ताओं (मर्चेन्ट एवं उपभोक्ता दोनों) की वित्तीय साक्षरता व जागरूकता तथा संबंधित ग्राहक संरक्षण और साइबर सुरक्षा के तौर-तरीकों की मजबूती पर निर्भर है। ये सभी कारक डिजिटल पद्धतियों में उपयोक्ताओं के भरोसे को पुख्ता करेंगे। एक अखिल भारतीय नई छत्र संस्था (न्यू अम्ब्रेला एंटीटी) बनाने के रिजर्व बैंक के प्रयास डिजिटल क्षेत्र में स्पर्धा को तेज करेंगे तथा कुशलता में वृद्धि व सुविधा की दृष्टि से अंतिम-उपयोगकर्ताओं व अन्य सहभागियों के लिए सर्वोत्तम लेकर आएंगे। कार्ड जारीकर्ता बैंकों, फिन-टेक खिलाड़ियों और भुगतान परितंत्र के अन्य हितधारकों के बीच सहयोग से वित्त के एक नए मिश्रित मॉडल के उभरने की संभावना है जो बैंकों की भौगोलिक पहुँच एवं फिन टेक कंपनियों के तकनीकी ज्ञान के उपयोग द्वारा ऋण अंतरालों को दूर करने तथा अंतिम छोर तक पहुँच को बेहतर करने में सहायक होगा।

1.60 संक्षेप में, बीता वर्ष अर्थव्यवस्था पर घाव के दाग छोड़ गया है। 2020-21 के प्रारंभ में दूसरी लहर के बीच व्याप्त निराशा को टीकाकरण के अभियानों द्वारा निर्मित सचेत आशा हटा रही है। वायरस को परास्त करने के गहन राष्ट्रीय प्रयासों का दुनिया के कदमों से कम से कम कुछ सामंजस्य हो रहा है। जैसे-जैसे दुनिया अस्तित्व को बचाना सीखते हुए अनुकूलन कर रही है, देश टीका राष्ट्रवाद से पीछे हट रहे हैं। वैश्विक महामारी से युद्ध के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास के परिणाम निश्चित ही अलग-अलग देशों द्वारा अपने बूते लड़ी जा रही लड़ाइयों से बेहतर होंगे। दृढ़, स्थायी और समावेशी विकास का जी20 लक्ष्य हमारी नज़रों और पहुँच के भीतर हो सकता है।

कोविड-19 महामारी के कारण आई सुस्ती से वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 में हुए अभूतपूर्व संकुचन में भारत भी शामिल रहा। महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों और प्रमुख खाद्य कीमतों में उछाल के कारण लगभग पूरे वर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही। हालांकि, दिसंबर 2020 के बाद से खाद्य कीमतों में मौसमी गिरावट के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति कम हुई, तथापि फरवरी-मार्च 2021 के दौरान प्रतिकूल आधारभूत प्रभावों के कारण उसके बढ़ने की संभावना बनी रही। प्रचुर चलनिधि की बढ़ती मुद्रा और ऋण की स्थितियों में वृद्धि बनी रही और वित्तीय बाजार की स्थितियों में काफी सहजता आई। राजस्व में चक्रीय मंदी की वजह से सरकारी वित्त पर प्रभाव पड़ा और कोविड-19 के कारण यह मंदी बढ़ी, जबकि महामारी के परिणामस्वरूप किए गए राजकोषीय उपायों की वजह से व्यय में इजाफा हुआ। बाह्य मोर्चे पर, गहरी मंदी की स्थिति में निर्यात के सापेक्ष आयात में भारी संकुचन के कारण मजबूत निवल पूंजीगत अंतर्वाह के साथ-साथ चालू खाता अधिशेष की स्थिति बनी और इसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार काफी बढ़ा।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.1.1 वर्ष 2020 में, वैश्विक आर्थिक वातावरण 0.12 माइक्रोन के आकार के वायरस- कोविड 19 से घिरा रहा। मार्च 2021 के अंत तक, वायरस के परिणामस्वरूप पूरे विश्व में 128 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हुए और 2.8 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2021 की शुरुआत आशा और भय दोनों के साथ हुई- दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमण की नई लहरों और तेजी से फैलने वाले रूपांतरित प्रकार से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी बीच, कई टीकों को मंजूरी मिलने से दुनिया भर में टीकाकरण अभियान ने जोर पकड़ा, हालांकि इसकी गति अलग-अलग है। जहां टीके की लगभग 600 मिलियन खुराक पहले ही दी जा चुकी है (31 मार्च 2021), वहीं टीका उत्पादक रूपांतरित प्रकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से टीके में बदलाव लाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना में, मानव इतिहास में वर्ष 2020 को 'ग्रेट लॉकडाउन'¹ के वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान हुआ उत्पादन घाटा गौण हो गया है। विश्व व्यापार में लगभग 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसमें सेवा क्षेत्र के व्यापार में आई गिरावट पण्य व्यापार में आई कमी से ज्यादा है।

II.1.2 वर्ष 2020 अभूतपूर्व नीतिगत कार्य-योजनाओं के लिए भी यादगार रहेगा, जो समन्वित नहीं होते हुए भी

समकालिक थे। बड़े पैमाने पर आस्ति खरीद कार्यक्रमों को निष्पादित करते हुए, भुगतान स्थगन योजनाओं, सरकारी गारंटी प्रावधान, आपातकालीन निधियन मार्ग और वित्तीय बाजारों में पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने के साथ-साथ मुद्रा प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक रूप से और कुछ देशों में सांकेतिक रूप से नीतिगत दरों में शून्य या उसके नीचे तक कटौती के साथ दुनिया भर में परंपरागत और अपरंपरागत उपायों की भरमार रही। राजकोषीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर² (जीडीपी का 15.3 प्रतिशत) थी जो पैमाने और दायरे में समान रूप से अभूतपूर्व थी। कुल राशि में से, 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर में अतिरिक्त खर्च या परित्यक्त राजस्व शामिल थे, जबकि 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर में गारंटी, ऋण, आस्ति / ऋण खरीद और इक्विटी अंतर्वेशन के रूप में चलनिधि सहायता शामिल थी। इस नीतिगत जवाबी कार्रवाई से वित्तीय स्थितियों में बड़े पैमाने पर अनुकूलता आई और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता आई, जिससे वृद्धि में गिरावट की संभावना को काबू में किया गया।

II.1.3 इक्विटी बाजार, विशेष रूप से, उस भयावह स्थिति से पूरी तरह से उबर चुके हैं, जब मार्च 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया गया था। इस उछाल में चक्रीय

¹ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2020), 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक', अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., अप्रैल

² आईएमएफ, (2021), 'फिस्कल मॉनिटर अपडेट', अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., अप्रैल

स्टॉक³ अग्रणी रहे जो टीकों के आगमन और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय प्रोत्साहन के नए चरणों से उत्पन्न आशावाद से प्रेरित थे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की वजह से फरवरी और मार्च 2021 में कीमत वृद्धि जोर पकड़ने एवं एक मजबूत नए पण्य चक्र के निर्माण की स्थितियां पैदा होने के साथ इन सकारात्मक गतिविधियों की बदौलत कच्चे तेल की कीमतों और अन्य पण्य की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है।

11.1.4 आपूर्ति व्यवधानों, स्वास्थ्य संकट, बड़ी संख्या में अभूतपूर्व पलायन और प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के एक साथ घटित हो जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। महामारी के पहले एक चक्रीय मंदी थी, जिससे 2017-18 से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई, जो कोविड-19 के हमले के बाद संकुचन में बदल गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित करने के दो सप्ताह के भीतर, भारत ने कठोर लॉकडाउन लगाया। उसके कारण मांग में कमी और आपूर्ति में व्यवधान के संयोजन की वजह से 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सितंबर के मध्य तक, कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 50 लाख को पार कर गई और 0.8 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु के साथ दुनिया में कोविड के मामलों में भारत का दूसरा स्थान था। यह एक नया मोड़ था, हालांकि इसके बाद नए पुष्ट मामलों का सात दिन का चल औसत जो 16 सितंबर 2020 को 93,199 था, से घटकर 11 फरवरी 2021 को 11,145 होने से भारत में कोविड-19 का वक्र झुका और इसके बाद तेजी से बढ़ा (31 मार्च 2021 को 62,019)। मार्च 2021 के अंत तक रिकवरी रेट लगभग 94 प्रतिशत थी और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5.8 लाख हो गई।

11.1.5 क्रमिक रूप से प्रतिबंधों को हटाने और अर्थव्यवस्था को पूर्वावस्था में लाने के साथ, दूसरी तिमाही में संकुचन की गति धीमी हुई और 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी धनात्मक दायरे में लौट आई। बीएसई सेंसेक्स में तेज सुधार और 2020-21 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन से उत्साहित होने से मार्च 2020 की समाप्ति पर मंद स्थिति की तुलना में मार्च 2021 के अंत में 91 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करने, उपलब्ध राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन और पूंजी प्रवाह में वृद्धि के साथ सुधार में तेजी दिखने के कारण इक्विटी मार्केट में तेजी आई। एक और बम्पर रबी फसल की संभावनाओं, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से आवास, सड़क निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में सेवाओं, माल परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में मार्च तक गतिविधि बढ़ने के कारण दूसरे दौर द्वारा प्रभावित होने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावना उज्ज्वल हुई है। इस बीच, उत्पादन-सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने, स्पेक्ट्रम की नीलामी और वित्तीय स्थितियों में काफी आसानी से बदलाव को आकार देने में मदद मिल रही है। दूसरी ओर, बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग, खनन और उत्खनन और कई संपर्क-गहन क्षेत्र मंद रहे।

11.1.6 इस पृष्ठभूमि में, समग्र मांग का घटक-वार विश्लेषण निम्नलिखित उप-खंड में प्रस्तुत किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के प्रदर्शन, औद्योगिक क्षेत्र में वर्धित मूल्य और सेवाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में कुल आपूर्ति की स्थितियों में हुई प्रगति का वर्णन उप-खंड 3 में किया गया है। उप खंड 4 उच्च बारंबारता संकेतकों के आधार पर रोजगार का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष उप-खंड में कुछ नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं।

³ चक्रीय स्टॉक धातु, ऊर्जा और उद्योग जैसे क्षेत्रों के कंपनियों के स्टॉक हैं जिनमें व्यापार चक्रों और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के अनुसार उतार-चढ़ाव होता है।

2. समग्र मांग

II.1.7 फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) से पता चला है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापी जाने वाली समग्र मांग में 2020-21 में 8.0 प्रतिशत का संकुचन हुआ (सारणी II.1.1 और परिशिष्ट सारणी I)। 1980-81 के बाद यह पहला और अब तक का सबसे गंभीर संकुचन है। वास्तव में, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के जरिए किए गए पुरजोर प्रहार के कारण 2020-21 की पहली छमाही में यह संकुचन 15.9 प्रतिशत के स्तर पर था।


II.1.8 2020-21 की दूसरी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित वार्षिकीकृत संवृद्धि दर (एसएएआर) में तेज वापसी से मांग की स्थिति प्रगतिशील रूप से पूर्वावस्था में लौटने का स्पष्ट पता चलता है, जो गति में सुधार का संकेत है। यह अगली तिमाही में भी जारी रहा, साथ ही 2020-21 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की तीन तिमाहियों के परिवर्तनशील औसत (एमए- एसएएआर) में उछाल में परिलक्षित हुआ (चार्ट II.1.1 और परिशिष्ट सारणी II)।

सारणी II.1.1 : वास्तविक जीडीपी संवृद्धि


(प्रतिशत)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
I. कुल खपत व्यय	7.8	7.1	7.4	5.9	-7.1
निजी	8.1	6.2	7.6	5.5	-9.0
सरकारी	6.1	11.9	6.3	7.9	2.9
II. सकल पूंजी निर्माण	3.7	10.8	9.7	2.3	-12.9
स्थिर निवेश	8.5	7.8	9.9	5.4	-12.4
स्टॉक में परिवर्तन	-48.8	68.3	27.2	-39.7	-3.5
मूल्यवान वस्तुएं	-18.6	40.2	-9.7	-14.2	-38.0
III. शुद्ध निर्यात					
निर्यात	5.0	4.6	12.3	-3.3	-8.1
आयात	4.4	17.4	8.6	-0.8	-17.6
IV. जीडीपी	8.3	6.8	6.5	4.0	-8.0

स्रोत: एनएसओ



II.1.9 2020-21 में समग्र मांग की स्थितियों में उतार-चढ़ाव घटक के बीच संरचनात्मक बदलाव में अंतर्निहित थे। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में पिछले चार दशकों (चार्ट II.1.2) में पहली बार संकुचन देखा गया। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) समग्र मांग को समर्थन प्रदान करता रहा; हालांकि, इसका योगदान 2020-21 में कम हुआ क्योंकि सरकारी वित्त पर जोर बढ़ गया। सकल स्थिर पूंजी निर्माण



(जीएफसीएफ) में मुख्य रूप से मौजूदा अनिश्चितता और लॉकडाउन के कारण संकुचन हुआ। विदेशी क्षेत्र में भी एक उल्लेखनीय संकुचन था; हालांकि, निर्यात की तुलना में आयात में तेज गिरावट के साथ, समग्र निवल निर्यात का समग्र मांग में सकारात्मक योगदान रहा। केंद्रीय बजट में परिलक्षित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की खाद्य सब्सिडी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन ने आधारभूत कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में कमी को पीछे छोड़ दिया।

उपभोग

II.1.10 निजी उपभोग, जो समग्र मांग का मुख्य आधार है, महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित था। अपनी स्वाभाविक मजबूती से शिथिल होते हुए निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 2020-21 में 9.0 प्रतिशत संकुचित हुआ, जो कड़े देशव्यापी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मानदंडों के प्रभाव, अस्थायी और स्थायी नौकरी के नुकसान के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई अनिश्चितता, लघु, सूक्ष्म और अनिगमित कारोबारों के बंद होने तथा वेतन पुनर्निर्धारण के असंगत प्रभावों को दर्शाता है। विशेष रूप से परिवहन, होटल और रेस्तरां, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों पर विवेकपूर्ण उपभोग, जिनकी निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में लगभग 20 प्रतिशत की संयुक्त हिस्सेदारी है, कोविड-19 के पहले के स्तरों से काफी नीचे रहे। श्रमिकों की वापसी से प्रयोज्य आय में नुकसान हुआ, जिससे घरेलू प्रेषण और उपभोग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यद्यपि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों ने हानिकारक प्रभावों का सामना किया, लेकिन शहरी क्षेत्र के मामले में निजी उपभोग में संकुचन अधिक स्पष्ट दिखा।

II.1.11 उपभोग में तेज बहाली दूसरी तिमाही से स्पष्ट हो गई है। सितंबर 2020 से यात्री वाहन की बिक्री सामान्य हो गई है। मांग में सुधार की प्रतिक्रियास्वरूप 2020-21 की पहली छमाही के दौरान सुस्त रहने वाले उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में भी 2020-21 की दूसरी छमाही में तेजी देखी गई। जनवरी में उल्लेखनीय सुधार के बाद, रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के मार्च 2021 के चरण

में सामान्य आर्थिक स्थिति, आय और कीमतों के बिगड़ते मनोभावों के कारण एक बिगड़ता उपभोक्ता मनोभाव दिखाई दिया। भविष्य की उम्मीदों के सूचकांक (एफईआई) ने भी आने वाले वर्ष के लिए कम आशावाद का संकेत दिया। आगे, कोविड-19 से अर्थव्यवस्था में सुधार गंभीर रूप से निजी मांग के मजबूत पुनरुत्थान पर निर्भर करेगा जो कि अल्पावधि में उपभोग के कारण हो सकता है लेकिन सुधार को बनाए रखने के लिए निवेश में तेजी की आवश्यकता होगी (बॉक्स II.1.1)।

II.1.12 ग्रामीण मांग के संकेतक एक आशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। महामारी ने अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को कम प्रभावित किया। इसके अलावा, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को आम तौर पर लॉकडाउन के उपायों से मुक्त रखा गया था और एक साथ कई कारकों यथा भरपूर मानसून, मिट्टी की पर्याप्त नमी, फिर से भरने वाले जलाशय स्तरों, महामारी के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता में सुधार और कृषि उत्पादों के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों, के मेल के कारण मजबूती देखी। उर्वरक उत्पादन और ट्रैक्टर की बिक्री में तेजी से ग्रामीण मांग को समर्थन मिला और संभावनाएं उज्ज्वल हुईं। लगातार 19 महीनों तक संकुचन में बने रहने के बाद, अगस्त 2020 में मोटरसाइकिल की बिक्री में वृद्धि हुई और तब से यह मजबूत स्थिति में है।

निवेश और बचत


II.1.13 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर की माप मौजूदा कीमतों पर जीडीपी की तुलना में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के अनुपात से की जाती है। यह दर पिछले वर्ष में 32.7 प्रतिशत से 2019-20 में घटकर 32.2 प्रतिशत हो गई। यद्यपि 2020-21 के लिए जीसीएफ के आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, इसके घटकों में उतार-चढ़ाव से यह संकेत मिलता है कि मंदी जारी रहेगी। जीडीपी की तुलना में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का अनुपात 2020-21 में घटकर 30.9 प्रतिशत हो गया, जो कि 2019-20 में 32.5 प्रतिशत था। यह अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी कमजोर मनोभाव को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में व्याप्त

बॉक्स II.1.1

संकट के बाद वृद्धि में सुधार को कौन सी बातें प्रेरित करती हैं?

कोविड-19 के बाद एक स्वतः टिकाऊ जीडीपी वृद्धि पथ के लिए, निजी उपभोग और निवेश की मांग में एक स्थायी पुनरुत्थान महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इनका हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में 85 प्रतिशत से अधिक है। जीडीपी में सरकारी खपत की सीमित हिस्सेदारी (2020-21 में 13 प्रतिशत पर) के मद्देनजर, सुधार को बनाए रखने के लिए निजी मांग में वापसी जरूरी है। आमतौर पर, संकट के बाद सुधार निवेश की तुलना में खपत के कारण अधिक होता है; हालांकि, निवेश के कारण होने वाला सुधार अधिक टिकाऊ हो सकता है और बेहतर रोजगार सृजन से कुछ हिस्सों में उपभोग को बढ़ा सकता है। किसी भी मामले में, निजी मांग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में, विकास चक्र में मोड़, जिसे स्थानीय अधिकतम और न्यूनतम - जीडीपी वृद्धि की पहली और चौथी चतुर्थक का उपयोग करते हुए, अर्थात्, वृद्धि के सबसे कम 25 प्रतिशत और उच्चतम 25 प्रतिशत- की पहचान द्वारा निर्धारित किया जाता है, की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ संस्तर नियम लागू किए जाते हैं जैसे एक के बाद एक न्यूनतम या अधिकतम को हटाया जाना और यह सुनिश्चित करना कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच कम से कम एक तिमाही का अंतर हो। ये अतिरिक्त संस्तर नियम जीडीपी चक्र में महत्वपूर्ण मोड़ को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं (चार्ट 1)।

चार्ट 1: भारत के लिए जीडीपी चक्र में महत्वपूर्ण मोड़



दौर	चरण	तिमाही
दौर 1	अधो चक्र	जून-2000 से मार्च-2001
	उर्ध्व चक्र	जून-2001 से दिसं-2003
दौर 2	अधो चक्र	मार्च-2004 से मार्च-2009
	जीएफसी	दिसं-2008 से Sep-2009
दौर 3	उर्ध्व चक्र	जून-2009 से मार्च-2010
	अधो चक्र	जून-2010 से मार्च-2013
दौर 4	उर्ध्व चक्र	जून-2013 से सितं-2016
	अधो चक्र	दिसं-2016 से जून-2020

स्रोत: भारिबैं स्टॉफ अनुमान

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि के मॉडल

आश्रित चर	जीडीपी वृद्धि	
	उपभोग वृद्धि	निवेश वृद्धि
1	2	3
अनुमान अवधि उपभोग	ति2:1998-99-ति1:2020-21	ति2:1998-99-ति1:2020-21
उपभोग* ऊर्ध्व चक्र	0.63***	
उपभोग* अधो चक्र	0.17*	
निवेश		0.32***
निवेश* ऊर्ध्व चक्र		0.14*
निवेश* अधो चक्र		0.26***

*** 1 प्रतिशत स्तर पर पर्याप्त

* 10 प्रतिशत स्तर पर पर्याप्त

स्रोत: भारिबैं स्टॉफ अनुमान

वर्तमान अवधि (i) निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और (ii) निवेश [सरकार द्वारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)] द्वारा संवर्धित जीडीपी वृद्धि के एआर (1) मॉडल के एक समूह, का अनुमान लगाया गया है (सारणी 1)। उक्त विश्लेषण में ऊर्ध्व चक्र और अधो चक्र को दर्ज करने वाले डमी तैयार करने के लिए जीडीपी चक्र डेटिंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष बताते हैं कि एक अधो चक्र के दौरान उपभोग और निवेश में वृद्धि एक ऊर्ध्व चक्र की तुलना में जीडीपी वृद्धि को अधिक बढ़ाती है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि निवेश में वृद्धि से उपभोग बढ़ता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेश के कारण होने वाले सुधार आउटपुट और उपभोग दोनों को बढ़ावा दे सकता है।

नीतियों के मिश्रण की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लिए एक मजबूत निवेश चक्र शुरू करने के लिए बहुत कम क्षमता उपयोग की दरें बहुत कम प्रोत्साहन दे सकती हैं। इसलिए, सरकारी निवेश व्यय में वृद्धि की आवश्यकता होगी जिससे निजी निवेश बढ़ेगा, जबकि निजी उपभोग को बेहतर उपभोक्ता ऋण के माध्यम से समर्थन देने की आवश्यकता है।

सुदृढ़ता जांच के रूप में, उपभोग और निवेश की मांग की उच्च बारंबारता वाले प्रमुख संकेतक इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेश और उपभोग में डाउनसाइकल के दौरान हुई वृद्धि, उछाल⁵ में हुई वृद्धि की तुलना में जीडीपी वृद्धि में अधिक योगदान देती है। जबकि निवेश में वृद्धि निश्चित आय और रोजगार प्रभावों के माध्यम से अधिक उपभोग की मांग की ओर ले जाती है, उपभोग में वृद्धि निवेश में वृद्धि का कारण नहीं बनती है। दोनों परिणाम कोविड-19 पश्चात हुई बहाली को बनाए रखने के लिए निवेश से प्रेरित सुधार की भूमिका को रेखांकित करते हैं।

संदर्भ:

भादुरी, एस. और पी.कुमार (2020): 'नाउकारस्टिंग इंडियन जीडीपी ग्रोथ यूजिंग अ डायनैमिक फैक्टर मॉडल' वर्किंग पेपर न.3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

4 रिवर्स कॉजैलिटी का कोई सांख्यिकीय महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं है।



5 निवेश चक्र पर नजर रखने के लिए, हमने आईआईपी-कोर, सीमेंट उत्पादन, बिजली उत्पादन तथा विनिर्माण गतिविधि जैसी उच्च-बारंबारता वाले संकेतकों से एकल-सूचकांक गतिशील कारक तैयार किया। इसी तरह, उपभोग गतिविधि के लिए गतिशील कारक हवाई यात्री, रेल यात्री, आईआईपी-उपभोक्ता वस्तुओं तथा मोटर वाहनों की बिक्री का उपयोग करके तैयार किया गया था।

अनिश्चितता, व्यापार में विश्वास कम होने और नए निवेश के लिए उद्यमशीलता की प्रवृत्ति कम होने के कारण 2020-21 में जीएफसीएफ में 12.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ। स्थिर निवेश अर्थव्यवस्था की बड़ी कमजोरी बना हुआ है और प्रबल विश्वास की भावना को फिर से जगाना नीति निर्माताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

II.1.14 जीएफसीएफ के घटकों में 2020-21 की पहली छमाही में निर्माणकार्य संबंधी क्रियाकलाप शिथिल बने रहे। महामारी से प्रभावित होने के अलावा, निर्माण कार्य एक कड़े लॉकडाउन, शहरी निर्माण स्थलों से श्रमिकों का अपने घर की ओर रुख करना, बड़ी मात्रा में नहीं बिके हुए सामान की अनिश्चितता के साथ-साथ महामारी के शुरुआती हिस्से में दबावग्रस्त चलनिधि की स्थिति के कारण दबाव बना रहा। यह इसके निकटवर्ती संयोग संकेतक - इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन (चार्ट II.1.3) में भी परिलक्षित हुआ। चलनिधि के अंतः प्रवाह ने गिरावट को रोकने में मदद की, और बिक्री में क्रमिक पुनरुत्थान के साथ आवास और निर्माण गतिविधि ने वर्ष के उत्तरार्ध में वापसी की, जो मुख्य रूप से अनुकूल ब्याज

दरों, डेवलपर्स द्वारा इन्वेंटरी को ऋणमुक्त करने के लिए भारी छूट देने, और कुछ राज्यों द्वारा स्टैंप ड्यूटी में कमी के कारण हुआ। मशीनरी और उपकरणों के निवेश में गिरावट थी जो निजी क्षेत्र द्वारा मंद निवेश को दर्शाता है। इसके दोनों निकटस्थ संयोग संकेतक - पूंजीगत वस्तुओं के आयात और उत्पादन में 2020-21 की पहली छमाही के हर माह में संकुचन दर्ज किया गया है।

II.1.15 भिन्न-भिन्न स्तर पर, आवास, अन्य इमारतों और संरचनाओं में स्थिर निवेश 0.3 प्रतिशत अंक से घटकर 2019-20 में जीडीपी का 15.5 प्रतिशत हो गया, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों और हाउसहोल्ड क्षेत्र के कारण हुआ, और जो बुनियादी ढांचे और सस्ते आवास पर जोर देने के माध्यम से सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय को समंजित करता है (चार्ट II.1.4)। मशीनरी और उपकरणों में स्थिर निवेश में निरंतर वृद्धि हुई है और 2014-15 में जीडीपी के 10.5 प्रतिशत से बढ़कर यह वृद्धि 2019-20 में 12.8 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र के कारण हुई। 2019-20 में निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा बौद्धिक संपदा



उत्पादों (आईपीपी) यथा अनुसंधान और विकास पर व्यय; खनिज की खोज; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर; और अन्य बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश में उछाल आया।

II.1.16 रिज़र्व बैंक ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी और क्षमता उपभोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में सामयिक रूप से समायोजित क्षमता उपयोग में आई तीव्र कमी में तेज सुधार होकर 2020-21 की पहली तिमाही में 47.9 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 66.9 प्रतिशत हो गया, हालांकि अभी भी यह 73.8 प्रतिशत के दीर्घावधि औसत से नीचे है। 2020-21 की दूसरी तिमाही में बिक्री की तुलना में इन्वेंटरी का अनुपात तेजी से गिर गया क्योंकि बिक्री में आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान के साथ सुधार दिखा जबकि इन्वेंटरी पिछली तिमाही में अपने स्तर के करीब बने रहे। बिक्री और इन्वेंटरी दोनों में वृद्धि के साथ, वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में बिक्री की तुलना में इन्वेंटरी के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई।

II.1.17 रिज़र्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) के 93 वें दौर में 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान उत्पादन, ऑर्डर बुक और रोजगार के और मजबूत होने

के संकेत मिलते हैं। जबकि बैंकों, आंतरिक अभिवृद्धि और विदेशी स्रोतों के माध्यम से वित्त की उपलब्धता पर उत्तरदाताओं की भावनाओं में सुधार हुआ है, उन्होंने इनपुट खरीद और वेतन से निकलने वाले उच्च लागत दबावों का अनुभव किया। 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के लिए, विनिर्माता उत्पादन में सुधार, क्षमता उपयोग, रोजगार की स्थिति और समग्र कारोबारी स्थिति के प्रति आशावादी हैं।

II.1.18 सकल घरेलू बचत की दर 2019-20 में पिछले वर्ष के 30.1 प्रतिशत से बढ़कर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) का 30.9 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट वित्तीय निगमों तथा निधियों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हाउसहोल्ड क्षेत्र में वित्तीय बचत में उछाल के कारण हुई जो 2019-20 में 0.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ जीएनडीआई का 7.8 प्रतिशत हो गया और यह पिछले चार वर्षों में अधिकतम रहा (सारणी II.1.2 तथा परिशिष्ट सारणी III)। प्रारंभिक अनुमान घरेलू वित्तीय बचत में 2019-20 की पहली तिमाही में 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 21.0 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाते हैं जो कोविड-19 के कारण विवेकपूर्ण व्यय में कमी तथा अवरुद्ध/ कम आय के बावजूद संबंधित

सारणी II.1.2 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. सकल वित्तीय बचत	10.4	10.5	10.4	9.9	10.7	10.4	11.9	11.1	11.0
जिसमें:									
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4
2. जमाएं	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.2
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.4	0.4
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3
5. बीमा नीधि	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	1.9	1.5
6. भविष्य निधि एवं पेंशन फंड	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2
बी. वित्तीय देयताएं	3.2	3.2	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3	4.1	3.2
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	7.2	7.2	7.2	6.9	7.9	7.3	7.5	7.1	7.8

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय निपटान आय

टिप्पणी: राउंडिंग ऑफ के कारण आंकड़े कुल देय की जोड़ के जितने नहीं हो सकते हैं।

स्रोत: एनएसओ



एहतियाती बचत में उछाल के कारण हुआ। हालांकि, 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह अतिरिक्त घरेलू वित्तीय बचत तेजी से घटकर जीडीपी का 10.4 प्रतिशत हो गई क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से फिर से खुलने/ अनलॉकिंग के साथ हाउसहोल्ड्स 'केवल आवश्यक खर्च' से विवेकपूर्ण खर्च की ओर बढ़े।

II.1.19 2013-14 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत-निवेश के अंतर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है जो यह दर्शाता है कि निवेश के वित्तपोषण की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा घरेलू संसाधनों (चार्ट II.1.5) के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में गैर-वित्तीय निगमों के संसाधन के अंतर में एक उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो यह दर्शाता है कि आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उनकी निवेश की जरूरतों को पूरा किया जा रहा था। सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा बचत से आहरण उच्च स्तर पर रहने के कारण हाउसहोल्ड्स के वित्तीय अधिशेष पर अत्यधिक दबाव पड़ा।

3. समग्र आपूर्ति

II.1.20 सकल आपूर्ति, जिसका आकलन आधारभूत कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) आधार पर किया जाता है, में पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 2020-21 में 6.5 प्रतिशत का संकुचन हुआ। आधारभूत प्रभावों से प्रवेग को अलग करते हुए, जीवीए की सामयिक रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि दर की तीन तिमाहियों के परिवर्तनशील औसत (एमए-एसएएआर) ने प्रतिबंधों में क्रमिक छूट (चार्ट II.1.6) के साथ 2020-21 की तीसरी तिमाही में गति में तेजी दिखाई।

II.1.21 जीवीए वृद्धि में मंदी को औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में एक संकुचन से सहारा मिला। जबकि अपने सबसे बड़े घटक विनिर्माण द्वारा संचालित औद्योगिक जीवीए पिछली पांच तिमाहियों में संकुचन दर्ज करने के बाद 2020-21 की तीसरी तिमाही में संकुचन से बाहर निकल गया; कृषि क्षेत्र की मजबूती ने समग्र आपूर्ति में संकुचन को एक आधार प्रदान किया। (सारणी II.1.3)।



सारणी II.1.3 : वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	6.8	6.6	2.6	4.3	3.0
II. उद्योग	8.4	6.1	5.0	-2.0	-7.4
i. खनन और उत्खनन	9.8	-5.6	0.3	-2.5	-9.2
ii. विनिर्माण	7.9	7.5	5.3	-2.4	-8.4
iii. बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	10.0	10.6	8.0	2.1	1.8
III. सेवाएँ	8.1	6.2	7.1	6.4	-8.4
i. निर्माण	5.9	5.2	6.3	1.0	-10.3
ii. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबन्धित सेवाएँ	7.7	10.3	7.1	6.4	-18.0
iii. वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	8.6	1.8	7.2	7.3	-1.4
iv. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	9.3	8.3	7.4	8.3	-4.1
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	8.0	6.2	5.9	4.1	-6.5


स्रोत: एनएसओ


कृषि और संबद्ध गतिविधियां

II.1.22 2020-21 में खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जीवीए ने 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2020-21 में यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो विस्तार ज़ोन में बना रहा, फलस्वरूप 1.5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी के साथ 2020-21 में समग्र जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी 16.3 प्रतिशत रही।

II.1.23 2020 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून (एसडब्ल्यूएम) की शुरुआत समय (1 जून) पर हुई थी और यह तेजी से बढ़ते हुए अपने सामान्य समय से 12 दिन पहले अर्थात् 26 जून 2020 तक पूरे देश पर छा गया था। उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में कम वर्षा के कारण जुलाई के महीने में गति खोने के बावजूद, बाद में वर्षा ने फिर से तेजी पकड़ी और मानसून के मौसम के अंत में कुल मिलाकर दक्षिण-पश्चिम वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 9 प्रतिशत अधिक रही। जहां तक स्थानिक वितरण का संबंध है, 85 प्रतिशत उपखंडों में जबकि सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा हुई, उत्तर-पश्चिम भारत में समूची वर्षा एलपीए से 16 प्रतिशत कम हुई थी। स्थानिक रूप से और समय पर व्यापक स्तर पर अच्छे मानसून की मदद से खरीफ फसलों की वर्ष-दर-वर्ष के अनुसार 4.8 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल में बुआई हुई थी।

II.1.24 दक्षिण-पश्चिम मानसून की देरी से वापसी और उसी समय पर उत्तर-पूर्व मानसून (एनईएम) शुरू हो जाने से [28 अक्टूबर 2020 तक] मिट्टी में नमी और जलाशय का स्तर पर्याप्त बना रहा। 31 जनवरी 2021 के अनुसार, पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) क्षमता का 63 प्रतिशत जल भंडार मौजूद था, यह दशकीय औसत 52 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट II.1.7)। यह रबी के लिए अच्छा रहा जिसकी 31 जनवरी 2021 तक पंचवर्षीय औसत (2013-14 से





2017-18) के 110 प्रतिशत तक बुआई पूरी हो चुकी थी। इस वर्ष रबी के रकबे में यह उछाल मुख्य रूप से गेहूँ, दलहन और तिलहन की अधिक बुआई की वजह से है (चार्ट II.1.8)। फलस्वरूप, दूसरे अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,033.4 लाख टन है, जो 2019-20 (एफई) की तुलना में 2.0 प्रतिशत अधिक है [सारणी II.1.4]।

II.1.25 2020-21 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड 3,266 लाख टन (पहला एई) था, जो लगातार नौवें वर्ष खाद्यान्न उत्पादन को पार करते हुए 2019-20 के अंतिम अनुमान से 1.8 प्रतिशत अधिक था (सारणी II.1.5)। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में पैदावार 0.9 प्रतिशत कम होने के बाद भी खेती के क्षेत्रफल में 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की

सारणी II.1.4 : कृषि उत्पादन 2020-21

(लाख टन)

फसल	मौसम	2019-20		2020-21		2020-21		
		दूसरा एई	अंतिम	लक्ष्य	दूसरा एई	घटबढ़ (प्रतिशत)		
		दूसरे एई की तुलना में 2019-20		अंतिम अनुमान की तुलना में 2019-20		लक्ष्य की तुलना में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खाद्यान्न	खरीफ	1,423.6	1,438.1	1,493.5	1,479.5	3.9	2.9	-0.9
	रबी	1,496.0	1,536.9	1,516.5	1,554.0	3.9	1.1	2.5
	कुल	2,919.5	2,975.0	3,010.0	3,033.4	3.9	2.0	0.8
चावल	खरीफ	1,019.5	1,022.8	1,026.0	1,037.5	1.8	1.4	1.1
	रबी	155.3	165.9	170.0	165.7	6.7	-0.1	-2.5
	कुल	1,174.7	1,188.7	1,196.0	1,203.2	2.4	1.2	0.6
गेहूँ	खरीफ	1,062.1	1,078.6	1,080.0	1,092.4	2.9	1.3	1.1
	रबी	324.9	336.1	361.5	357.4	10.0	6.3	-1.1
	कुल	452.4	477.5	478.0	493.6	9.1	3.4	3.3
मोटा अनाज	खरीफ	79.2	79.2	106.0	84.6	6.8	6.8	-20.2
	रबी	151.1	151.0	150.0	159.6	5.6	5.7	6.4
	कुल	230.2	230.3	256.0	244.2	6.1	6.0	-4.6
तिलहन	खरीफ	234.4	222.5	255.5	250.1	6.7	12.4	-2.1
	रबी	107.5	109.7	114.5	123.0	14.4	12.1	7.4
	कुल	341.9	332.2	370.0	373.1	9.1	12.3	0.8
गन्ना	कुल	3,538.5	3,705.0	3,900.0	3,976.6	12.4	7.3	2.0
कपास #	कुल	348.9	360.7	360.0	365.4	4.7	1.3	1.5
जूट और मेस्ता ##	कुल	98.1	98.8	105.0	97.8	-0.3	-1.0	-6.9

#: प्रति 170 किलोग्राम की लाख गाँठें ##: प्रति 180 किलोग्राम की लाख गाँठें एई : अग्रिम अनुमान एफई : अंतिम अनुमान

सारणी II.1.5 : बागवानी उत्पादन

(लाख टन)

फसल	2018-19	2019-20		2020-21		घटबढ़ (प्रतिशत)	
	अंतिम अनुमान	पहला एई	अंतिम अनुमान	पहला एई	2019-20 एफई की तुलना में 2018-19 की एफई	2020-21 पहले एई की तुलना में 2019-20 का पहला एई	2020-21 एई की तुलना में 2019-20 का एफई
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल फल	979.7	957.4	1,020.3	1,032.3	4.1	7.8	1.2
केला	304.6	296.5	326.0	337.3	7.0	13.8	3.5
खट्टे फल	134.0	131.8	145.7	142.4	8.7	8.0	-2.2
आम	213.8	212.9	202.7	211.2	-5.2	-0.8	4.2
कुल सब्जियाँ	1,831.7	1,880.1	1,889.1	1,936.1	3.1	3.0	2.5
प्याज	228.2	244.5	260.9	262.9	14.3	7.5	0.8
आलू	501.9	519.5	485.6	531.1	-3.2	2.2	9.4
टमाटर	190.1	193.3	211.7	201.5	11.4	4.2	-4.8
बागान (प्लांटेशन) फसलें	165.9	164.1	156.8	157.7	-5.5	-3.9	0.6
कुल मसाले	95.0	93.7	103.0	102.4	8.4	9.3	-0.5
सुगंधियाँ और औषधीय	8.0	8.2	7.3	8.1	-7.7	-1.2	10.6
कुल फूल	29.1	28.7	30.0	27.9	3.1	-2.8	-6.9
कुल बागवानी उत्पादन	3,110.5	3,133.5	3,207.7	3,265.8	3.1	4.2	1.8

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


वजह से बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। प्याज की खेती में क्षेत्रफल विस्तार सबसे अधिक 11.5 प्रतिशत रहा।

II.1.26 विगत तीन वर्षों की तरह, 2020-21 में रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित किया। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान घोषित एमएसपी में 2.1 से 12.7 प्रतिशत तक की समग्र वृद्धि हुई है। खरीफ विपणन (केएमएस) 2019-20 (अक्टूबर 2019-सितंबर 2020) के समय और रबी विपणन (आरएमएस) 2020-21 (अप्रैल-जुलाई 2020) के समय में क्रमशः चावल और गेहूँ दोनों के रिकॉर्ड खरीद के उपरांत, 2020-21 के दौरान चावल की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है (चार्ट II.1.9)। मार्च-नवंबर 2020 के दौरान उठाव में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 53


प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद, 2020-21 के दौरान खाद्यान्न भंडार की वृद्धि ने प्रचुरता की समस्या को बढ़ाया और खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अक्षमताओं को सामने लाया, कम गुणवत्ता के कारण पुराने भंडार का निपटान नहीं हो रहा है। 31 मार्च 2021 तक चावल का भंडार तिमाही बफर मानदंड का 6.5 गुना और गेहूँ दो गुना था (चार्ट II.1.10)।

II.1.27 इसके लिए ठोस प्रयास किए गए ताकि कोविड-19 के प्रसार से कटाई और बुआई चक्र बाधित न हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) के तहत मुफ्त खाद्यान्न के वितरण ने उस कठिन घड़ी में कम बजट वाले उपभोक्ताओं को उनके खपत स्तर को बनाए रखने में मदद की, जब कोविड-19 संबंधी कठिनाइयों को कम करने हेतु सुरक्षा नेट मजबूत करने की जरूरत थी। अप्रैल 2020 में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.7 करोड़ किसानों को ₹2,000 की

चार्ट II.1.9: चावल और गेहूं की वार्षिक खरीद (अप्रैल-मार्च)



चार्ट II.1.10: अनाज-स्टॉक और बफर मानक की मासिक स्थिति



पहली किस्त अदा की गई थी। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मजदूरी में प्रतिदिन ₹20 की वृद्धि की गई, जिसका अर्थ यह है कि 2020-21 के लिए बजट आबंटन में ₹40,000 करोड़ की वृद्धि के साथ लगभग 13.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लगभग ₹2,000 रुपये प्रति वर्ष की अनुपूरक आय हुई। भारी प्रवासीय वापसी का सामना कर रहे छह राज्यों⁶ में वापस लौटे प्रवासी कामगारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएम-जीकेआरए) के तहत 125 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया था। कृषि गोल्ड ऋण और अन्य कृषि खातों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों में परिवर्तित करने की तारीखों को बढ़ाया गया था। 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के बीच देय, बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख तक के सभी फसल ऋणों के लिए बैंकों को मिलने वाले 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत की त्वरित चुकोती प्रोत्साहन लाभ को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया था।

II.1.28 खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए, तेज गति से रेलवे की तैनाती हेतु

प्रावधानों के साथ-साथ *किसान रथ* मोबाइल ऐप और अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। साथ ही, खेतों (फार्म गेट) और संग्रह स्थलों (एग्रीगेटर पॉइंट) [जैसे सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)] पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास हेतु ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ एक निधि का प्रस्ताव किया गया है।

II.1.29 तत्काल सहायता प्रदान करने के अलावा, सरकार ने कृषि क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेपों से जुड़ी अंतर्निहित अक्षमताओं को दूर करने हेतु दूरगामी संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया। संसद ने किसानों की आय बढ़ाकर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन कृषि विधेयक पारित किए। इसमें शामिल हैं, कृषि में निर्बाध विपणन विकसित करने और भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) से विभिन्न कृषि पण्यों को असूचीबद्ध करना; कृषि उत्पादों के बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020; और प्रसंस्करणकर्ताओं, संकलक, थोक

⁶ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड।


विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से जुड़ने के लिए किसानों को सशक्त बनाने हेतु 'कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020'। कृषि अधिनियमों को वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है और चार सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल उनकी जांच कर रहा है।

II.1.30 कृषि क्षेत्र में और सुधारों की आवश्यकता है। गोदामों और कोल्ड स्टोरेज के संबंध में भारत की वर्तमान कृषि भंडारण क्षमता कृषि उत्पादन की तुलना में काफी कम है (चार्ट II.1.11 और II.1.12)। इसके अलावा, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए पूंजी की कमी की वजह से कई मौजूदा शीत भंडार सुविधाएं या तो बीमार हैं या बंद होने की कगार पर हैं। सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध गोदाम के भंडारण क्षमताओं का मुख्य रूप से बफर स्टॉक हेतु खाद्यान्न के केंद्रीय भंडार रखने के लिए उपयोग किया जाता है, अत्यधिक खाद्य भंडारों की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर आवश्यकता से अधिक बोझ है और आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। इससे ज्ञात होता है कि भारत में भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

II.1.31 कृषि विस्तार सेवाओं द्वारा कृषकों में जागरूकता और बाजार आसूचना बढ़ाकर उन्हें सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद कर, सही बाजार संकेत देने और निजी निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत स्थिरता, एफपीओ विकसित कर और हुनरमंद बनाने जैसी पहल के जरिए किसानों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ाकर, भविष्य में पारदर्शिता और प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) के बाहर हो रहे व्यापार से संबंधित आंकड़ों को विशेष रूप से रिकॉर्ड करने की एक विश्वसनीय प्रणाली तैयार कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।


II.1.32 केंद्रीय बजट 2021-22 में ग्रामीण इलाकों और कृषि क्षेत्र में अवसंरचना विकसित करने, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने और खराब हो जाने वाली 22 पण्यों तक 'ऑपरेशन ग्रीन' का विस्तार करके खराब हो जाने वाली पण्यों की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। 2019-20 में ₹30,000 करोड़ से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) को बढ़ाकर 2021-22 में ₹40,000 करोड़ करने के साथ-साथ सूक्ष्म-सिंचाई निधि को दोगुना करने का

चार्ट II.1.11: कृषि भंडारण क्षमता और खाद्यान्न उत्पादन




एफसीआई: भारतीय खाद्य निगम। सीडब्ल्यूसी: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन। एसडब्ल्यूसी: राज्य भंडारण निगम।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.1.12: कोल्ड स्टोरेज क्षमता और बागवानी उत्पादन



स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.1.13: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि



ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अवसंरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए धन जुटाने हेतु कई वस्तुओं (जैसे ईंधन, कच्चे तिलहन, दलहन और सेब) पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाया गया है। किसानों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को अप्रभावित रखने हेतु लागत में इस वृद्धि को, यद्यपि, उसी मात्रा में बेसिक सीमा शुल्कों को घटाकर समायोजित किया गया है। दूसरी ओर, किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए कपास, कच्चा रेशम, रेशमी धागा जैसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। कृषि अवसंरचना निधि का विस्तार एपीएमसी तक करने और अतिरिक्त 1,000 एपीएमसी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) से जोड़ने से कृषि क्षेत्र में विपणन कुशलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले वर्षों में किसानों को मंडियों तक बेहतर पहुंच और उच्च पारदर्शिता का लाभ मिलेगा। बजट में कृषक समुदाय की आमदनी बढ़ाने के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाकर तथा मत्स्य पालन और समुद्री

शैवाल (सीवीड) की खेती को बढ़ावा देकर पारंपरिक गतिविधियों से परे भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र


II.1.33 2020-21 में औद्योगिक जीवीए वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेजी से 7.4 प्रतिशत संकुचित हुई। औद्योगिक क्षेत्र में लगातार दो वर्षों के संकुचन सहित अनुक्रमिक मंदी का यह पांचवां वर्ष है। 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान, औद्योगिक गतिविधि 31.1 प्रतिशत संकुचन दर्ज करते हुए तेजी से गिर गई। औद्योगिक गतिविधियों की बहाली तब से अस्थिर रही है। आईआईपी के आंकड़ों से पता चलता है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के मामले में संकुचन गंभीर था, क्योंकि उपभोक्ताओं ने विवेकाधीन व्यय से दूरी बनाई जबकि फर्मों ने निवेश पर रोक लगाई। कुल मिलाकर, 2021 में आईआईपी में 8.6 प्रतिशत की गिरावट आई। उप-क्षेत्रीय स्तर पर, यद्यपि, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जनउपयोगी सेवाओं के जीवीए में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (चार्ट II.1.13ए और II.1.13बी) [बॉक्स II.1.2]।

बॉक्स II.1.2 कॉरपोरेट कार्यनिष्पादन पर कोविड-19 का प्रभाव

25 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने तथा अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से खुलने के उपरांत भी आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहने से, उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयोग किए जाने वाले इनपुट के साथ-साथ थोक और खुदरा बिक्री के लिए तैयार अंतिम उत्पाद दोनों के लिए, माल की आवाजाही ठप होने के कारण कॉरपोरेट क्षेत्र ने मांग में अचानक तथा तेज संकुचन एवं बंद रही आपूर्ति श्रृंखला को भी देखा। ध्वस्तप्राय बिक्री, विलुप्त नकदी प्रवाह और स्थिर परिचालन व्यय के इस माहौल में व्यवसायों का अस्तित्व बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती बना रहा। 2020-21 की पहली तिमाही में प्रतिदर्श 2,536 सूचीबद्ध फर्मों का औसत बिक्री राजस्व 32 प्रतिशत तक संकुचित हुआ। फर्मों ने आक्रामक लागत कटौती के उपायों का सहारा लिया, जिससे वे अपना कुल व्यय 34 प्रतिशत तक कम कर पाए। मुनाफे में हुई भारी गिरावट ने उनकी कर्ज चुकौती क्षमता को खतरे में डाल दिया।


भारतीय कॉरपोरेट, यद्यपि, बदले हुए कारोबारी माहौल में शीघ्र ही ढल गए। 2020-21 की दूसरी तिमाही में जैसे बिक्री बहाल हुई, फिर से दक्षता हासिल करने और लाभप्रद होने के लिए लागत में कटौती पसंदीदा रास्ता बना रहा। कुल व्यय (जिसमें लागत शामिल है) 12.5 प्रतिशत तक संकुचित हुआ, जबकि राजस्व संकुचन कम होकर 5.3 प्रतिशत तक आया, जिससे दूसरी तिमाही में निवल परिचालन लाभ में 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, तीसरी तिमाही में राजस्व में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और व्यय में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके कारण मुनाफे में 35.6 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। इससे उनकी कर्ज चुकौती की क्षमता में सुधार हुआ, जैसाकि ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) में पहली तिमाही के 2.0 से दूसरी तिमाही में 3.7 और तीसरी तिमाही में 4.5 तक वृद्धि से स्पष्ट होता है। चूंकि 2020-21 की तीसरी तिमाही के अंत तक कई खंडों में मांग की स्थिति पूरी तरह से सामान्य होकर कोविड-19-पूर्व के स्तर पर आ गई थी, इसलिए राजस्व बहाली, लागत की बचत और बढ़ी हुई लागतों को खुदरा उत्पादक तथा खुदरा कीमतों पर डाल देने के कारण मार्जिन में सुधार दिखाई दिया था। फलतः, तीसरी तिमाही में लाभप्रदता में और सुधार हुआ है। 2020-21 की तीनों तिमाहियों को मिलाकर, राजस्व और व्यय में क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि परिचालन लाभ (ब्याज एवं और कर पूर्व अर्जन-ईबीआईटी) में वर्ष-दर-वर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 1)⁷।

भिन्न आकृति/प्रकृति के परिचालन वाले फर्मों पर कोविड-19 का प्रभाव भिन्न-भिन्न रहा है। उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों के साक्ष्य यह बताते हैं कि छोटे आकार की फर्में लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के



लिए अपेक्षाकृत अधिक असुरक्षित हैं (शेन और अन्य, 2020; ओईसीडी, 2020; काउलिंग और अन्य, 2020)। लॉकडाउन के दौरान छोटी फर्मों की तुलना में बड़ी फर्मों को लागत में कटौती करना आसान रहा होगा।

भारत में, यद्यपि 2020-21 में सभी आकार वर्ग के फर्मों के ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) में गिरावट रही, 2020-21 की पहली तिमाही के लॉकडाउन में छोटी फर्में अधिक प्रभावित होती हुई दिखीं (चार्ट 2)⁸। यद्यपि, तीसरी तिमाही में छोटी फर्मों और बड़ी फर्मों दोनों ने अपने कर्ज चुकौती अनुपात में सुधार किया है जो महामारी पूर्व की अवधि से उच्चतर है। लाभ के बढ़ने तथा उधार लागत तेजी से घटने का ब्याज व्याप्ति अनुपात बहाली में योगदान रहा। उद्योग के लिहाज से उपभोक्ताओं के विवेकाधीन खर्च पर



(जारी)

⁷ यह चार्ट 2020-21, 2019-20, और 2018-19 के तीन तिमाहियों के लगभग 2,700 गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सूचीबद्ध फर्मों के औसत राजस्व, लागत और लाभ की तुलना करता है जिनके त्रैमासिक परिणाम डीबीआईई में उपलब्ध हैं।

⁸ फर्मों के आकार का वर्गीकरण सकल राजस्वों के विभाजन के पिछली 10 तिमाहियों के औसत पर आधारित है। जो फर्म सकल राजस्व के आधार पर 25वे पर्सेंटाइल से नीचे होती हैं उन्हें 'छोटे' फर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 25वे पर्सेंटाइल तथा 75 वे पर्सेंटाइल के बीच आने वाले फर्मों को 'माध्यम' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंततः जिन फर्मों का सकल राजस्व 75 वे पर्सेंटाइल से अधिक है उन्हें 'बड़े' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निर्भर करने वाले क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए (जैसे होटल, मनोरंजन सेवाएं, रत्न और आभूषण), जबकि जिन क्षेत्रों (जैसे खाद्य और उपयोगिताओं) को लॉकडाउन से बाहर रखा गया था, पहली तिमाही में उनके आईसीआर में अपेक्षाकृत गिरावट कम रही।

संदर्भ:

1. काउलिंग, एम., आर. ब्राउन और ए. रोचा (2020): 'डीड यू हैव सम केश फॉर अ रैनी कोविड-19 डे? दी क्राइसिस एंड एसएमई.'

इंटरनेशनल स्मॉल बिजनेस जर्नल, वॉल्यूम 38, नं. 7, पृष्ठ 593-604।

2. शेन, एच., एम. फू, एच. पैन, जेड. यू और वाई. चेन (2020): 'दी इम्पैक्ट ऑफ दी कोविड-19 पैन्डेमिक ऑन फर्म परफॉरमेंस.' ईमर्जिंग मार्केट फाइनेन्स एंड ट्रेड, वॉल्यूम 56, नं. 10, पृष्ठ 2213-2230।

3. ओईसीडी की कोरोनावायरस (कोविड-19) नीति पर प्रतिक्रियाएं, [2020]: एसएमई नीति प्रतिक्रियाएं।

II.1.34 औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट सभी देशों में देखी गई (तालिका II.1.6)। भारत ने सबसे भारी मंदी देखी और दक्षिण कोरिया तथा ब्राजील के साथ यह सितंबर 2020 में सबसे पहले संकुचन से बाहर भी निकला, संवृद्धि यद्यपि अस्थिर बनी रही।

II.1.35 यह संवृद्धि, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं, विशेष रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तथा

उपभोक्ता-वस्तुओं में सुधार से समर्थित थी, जिसे नियंत्रित मांग का फायदा मिला (चार्ट II.1.14)।

II.1.36 औद्योगिक बहाली भी धीरे-धीरे व्यापक हुई है (चार्ट II.1.15)। मूल-धातुओं और मोटर वाहन का विनिर्माण करने वाले खंड, लॉकडाउन अवधि के दौरान जिनका विनिर्माण आईआईपी में सबसे अधिक ऋणात्मक योगदान था, में सितंबर 2020 के बाद से बहाली दिखाई दी। यात्री वाहनों और दो


सारणी II.1.6: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

		अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सितं-20	अक्टू-20	नवं-20	दिसं-20	जन-21	फर-21	मार्च-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	जापान	-15.0	-26.3	-18.2	-15.5	-13.8	-9.0	-3.0	-3.9	-2.6	-5.2	-2.0	4.0
	दक्षिण कोरिया	-5.2	-5.6	0.7	-1.5	-3.4	3.4	-3.1	-0.7	-0.7	1.5	0.4	5.8
	ताइवान	4.2	1.7	7.2	2.8	3.6	11.6	6.4	7.6	10.3	19.0	2.5	16.8
यूरोप	फ्रांस	-35.1	-27.6	-6.7	-10.4	-7.3	-3.2	-6.9	-2.9	-0.9	-4.6	-6.1	16.0
	जर्मनी	-24.4	-24.6	-4.2	-9.5	-11.2	-3.2	-2.0	0.0	4.9	-10.4	-5.7	8.8
	युनाइटेड किंगडम	-24.4	-20.5	-11.9	-6.7	-4.8	-4.8	-5.4	-2.6	-2.1	-8.8	-5.8	5.7
	यूएस	-17.1	-15.9	-10.6	-6.8	-6.7	-7.0	-4.9	-4.9	-3.4	-1.7	-4.3	1.3
	ब्राजील	-27.6	-21.9	-8.7	-2.6	-2.5	3.7	0.3	2.6	8.3	2.3	0.3	10.4
दक्षिण एशिया	रूसी संघ	-4.7	-8.0	-7.4	-6.1	-4.4	-4.0	-5.7	-1.5	2.1	-1.8	-3.7	1.1
	भारत	-57.3	-33.4	-16.6	-10.5	-7.1	1.0	4.2	-1.9	1.6	-0.9	-3.6	22.4
	चीन	3.9	4.4	4.8	4.8	5.6	6.9	6.9	7.0	7.3	-	-	14.1
	दक्षिण अफ्रीका	-48.7	-32.3	-13.2	-9.6	-10.4	-2.0	-3.9	-4.2	2.4	-4.3	-2.5	4.6
दक्षिण एशिया	मलेशिया	-32.0	-21.6	-0.4	1.2	0.2	1.0	-0.5	-2.2	1.7	1.2	1.5	9.3
	फिलिपींस	-63.2	-72.7	-80.4	-72.6	-82.0	-55.7	-22.6	-20.1	-12.0	-16.7	-46.5	-74.2
	श्रीलंका	-48.7	-25.5	-13.7	2.3	-9.0	1.1	-3.6	-1.7	1.7	0.2	1.7	42.2
	थाईलैंड	-19.1	-24.1	-17.9	-13.6	-9.3	-2.6	-1.3	-0.6	-2.8	-2.0	-1.4	4.1
	वियतनाम	-13.4	-5.8	4.5	4.0	2.1	5.9	5.3	6.9	10.5	25.0	-7.2	4.3

← संकुचन → विस्तार →

-: उपलब्ध नहीं। ए ई : उन्नत अर्थव्यवस्थाएं ; बीआरआईसीएस : ब्राजील, रूसी संघ, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ; ईडीए: उभरता तथा विकसनशील एशिया
स्रोत: जनगणना एवं आर्थिक आसूचना केंद्र(सीईआईसी)

चार्ट II.1.14: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार


पहिया वाहनों ने, जो कोविड-19 की शुरुआत से पहले भी संकुचन का सामना कर रहे थे, सितंबर 2020 के बाद से एक स्पष्ट इजाफा दर्ज किया।

II.1.37 2020-21 की पहली छमाही में आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों, मांग की कमी और श्रम आपूर्ति की कमी के कारण खनन क्षेत्र भी तेजी से संकुचित हुआ। कोयला क्षेत्र एक अपवाद था जिसने सापेक्ष आघात-सहनीयता दिखाई क्योंकि उसे लॉकडाउन से छूट मिली थी। 2020-21 की पहली छमाही में,

विशेष रूप से पहली तिमाही में लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ विनिर्माण थम जाने से बिजली उत्पादन भी संकुचित हुआ। बाद की छमाही में विनिर्माण आईआईपी में सुधार के साथ ही बिजली की मांग ने भी रफ्तार पकड़ी। 2020-21 में जल-विद्युत और ऊष्मीय उत्पादन संकुचित रहा; हालांकि, 2020-21 की चौथी तिमाही में ऊष्मीय उत्पादन 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा।


II.1.38 विनिर्माण क्षमता का उपयोग भी निचले स्तर पर बना रहा था (चार्ट II.1.16)।

चार्ट II.1.15: विस्तार बनाम संकुचन-आईआईपी मद स्तरीय सूचकांक



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.1.16: विनिर्माण क्षमता उपयोग



* ति1, ति2 तथा ति3 का औसत

स्रोत: भारिबे

सेवा क्षेत्र

II.1.39 स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2020-21 में सेवा क्षेत्र में संकुचन अभूतपूर्व रहा। यहाँ तक कि जीएफसी के दौरान, सेवा क्षेत्र आघात-सहनीय बना रहा था। 2020-21 में, हालांकि, दबावग्रस्त चलनिधि की स्थिति के कारण नए लॉन्च के थम जाने के साथ-साथ आवासीय निवास में इनवेंटरी फंसे होने की वजह से महामारी काल के आगे के समय में निर्माण कार्य प्रभावित रहा। पारस्परिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) संबंधी मानदंडों के लागू हो जाने से यह स्थिति और खराब हो गई थी जिसके कारण 2020-21 की पहली तिमाही में निर्माण गतिविधि कम होकर वर्ष-दर-वर्ष के अनुसार आधी रह गई। हालांकि, अनुकूल ब्याज दरों, पर्याप्त चलनिधि और इनवेंटरी हटाने के लिए डेवलपर्स द्वारा दी गई भारी छूट के अलावा कुछ राज्यों द्वारा स्टांप शुल्क घटाए जाने से मदद मिलने के बाद, 2020-21 की तीसरी तिमाही में बिक्री क्रमिक रूप से लगभग दोगुनी हो जाने से, 2020-21 की दूसरी छमाही में आवास क्षेत्र में 'वी' आकार की तेज बहाली हुई है। नए लॉन्च के तेजी उभरने के साथ, फंसी हुई इनवेंटरी भी तेजी से कम हो गई है।

II.1.40 संपर्क-सघन क्षेत्रों में संकुचन गंभीर था क्योंकि होटल, रेस्तरां और यात्री परिवहन में गतिविधियां कोविड-19-पूर्व के स्तर से काफी कम रहीं। व्यापारिक गतिविधियों में तेज बहाली हुई है जैसा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण और ई-वे बिल निर्गमन से स्पष्ट होता है। इसने माल ढुलाई को भी बढ़ावा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का प्रदर्शन आतिथ्य और विमानन खंडों में उनके समकक्षों से बेहतर रहा है

II.1.41 सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र-वार/खंड-वार जीवीए रुझान से संबंधित अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2019-20 में प्राप्त वृद्धि व्यापार, होटल, परिवहन, सूचना और प्रसारण तथा वित्तीय,

रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाओं से संबंधित सेवाओं में वृद्धि के रुझानों से नीचे थी। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 ने प्रमुख सेवाओं की गतिविधियों को लगभग बंद होने के कगार पर ला दिया और इस क्षेत्र में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 24.8 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में 10.9 प्रतिशत की व्यापक गिरावट हुई, लेकिन वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र का कार्यनिष्पादन मोटे तौर पर एक साल पहले के अपने स्तर पर लौट आया। वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में घरेलू व्यापार गतिविधियां, रेलवे माल ढुलाई, बंदरगाह कार्गो, विनिर्माण गतिविधियां तथा ऑटोमोबाइल विक्रय से संबंधित संकेतकों ने सेवा क्षेत्र में सुधार के संकेत दिए। हालांकि, दूसरी लहर के शुरू होने के साथ, कई संकेतकों में कुछ संतुलन दिखा, यद्यपि यह पिछले वर्ष की तरह नहीं था (तालिका II.1.7)।

II.1.42 रिज़र्व बैंक के सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)⁹, जो निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में गतिविधि पर नज़र रखता है और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) को छोड़कर सेवा क्षेत्र में जीवीए की वृद्धि का सहवर्ती सूचक है, में पिछली तिमाही में तेजी दर्ज होने के बाद वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट II.1.17)।

4. रोजगार

II.1.43 वार्षिक आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2018-19 में श्रमिक बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) का अनुमान 37.5 प्रतिशत रखा गया था, जो वर्ष 2017-18 की दर से 0.6 प्रतिशत अधिक है। लिंग विभाजन के संदर्भ में, वार्षिक पीएलएफआर रिपोर्ट में यह बताया गया कि महिलाओं के लिए एलएफपीआर वर्ष 2018-19 में पुरुषों की 55.6 प्रतिशत (ग्रामीण 55.1 प्रतिशत और शहरी 56.7 प्रतिशत) की तुलना में कम होकर 18.6 प्रतिशत (ग्रामीण 19.7


⁹ एसएससीआई को उच्च आवृत्ति संकेतक के संकलित और संयोजित सूचना द्वारा तैयार किया जाता है यथा स्टील उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, बड़े बंदरगाहों के माल, वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन, रेलवे माल ढुलाई, गैर-तेल आयात, पर्यटक आगमन, वास्तविक बैंक ऋण और बीमा प्रीमियम।

सारणी II.1.7: उच्च आवृत्ति संकेतक – संवृद्धि दरें (व-द-व)

संकेतक	अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सितं-20	अक्टू-20	नवं-20	दिसं-20	जन-21	फर-21	मार्च-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
शहरी मांग												
ऑटोमोबाइल बिक्री	-	-84.8	-43.0	-18.6	-1.3	7.2	10.5	6.0	0.7	0.4	6.3	74.5
पैसेंजर वाहन	-	-85.2	-49.6	-3.9	14.2	26.5	14.2	4.6	13.6	11.1	17.9	115.2
कृषि/ ग्रामीण मांग												
ट्रैक्टर की घरेलू बिक्री	-79.4	4.0	22.4	38.5	74.7	28.3	7.7	51.3	43.1	46.7	31.1	172.4
दुपहिया वाहनों की बिक्री	-	-83.8	-38.6	-15.2	3.0	11.6	16.9	13.4	7.4	6.6	10.2	72.7
तिपहियां वाहनों की बिक्री	-	-95.3	-80.1	-77.2	-75.3	-71.9	-60.9	-57.6	-58.9	-56.8	-33.8	15.7
परिवहन												
वाहन कुल पंजीकरण	-78.3	-88.6	-41.4	-35.2	-25.4	-8.4	-22.3	-17.5	11.7	-8.6	-12.6	-28.1
घरेलू हवाई यात्री यातायात	-99.9	-97.4	-83.5	-82.6	-75.8	-65.1	-56.8	-50.2	-42.9	-38.7	-35.9	2.5
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	-99.1	-98.0	-93.0	-90.4	-89.7	-87.8	-85.2	-82.8	-79.5	-76.9	-73.6	-37.6
घरेलू एयर कार्गो	-92.9	-82.9	-48.0	-41.4	-36.0	-20.0	-15.7	-9.8	-3.0	-9.3	-6.6	42.5
अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो	-77.0	-58.2	-35.7	-30.1	-24.9	-13.6	-12.4	-15.0	-12.7	-12.2	-9.9	29.4
माल ढुलाई निवल टन किलो मीटर	-40.1	-28.1	-11.6	-7.7	1.4	17.9	11.0	8.4	13.5	11.1	7.8	33.0
माल ढुलाई का उद्भव	-35.3	-21.3	-7.7	-4.6	3.9	15.5	15.4	9.0	8.7	8.7	5.5	26.6
पोर्ट कार्गो	-21.1	-23.3	-14.5	-13.2	-10.4	-1.9	-1.2	2.8	4.4	4.0	1.9	16.4
घरेलू व्यापार												
जीएसटी ई-वे बिल	-83.6	-53.0	-12.7	-7.3	-3.5	9.6	21.4	8.1	15.9	10.5	11.6	75.2
जीएसटी ई-वे बिल इंटर-स्टेट	-79.8	-46.1	-7.9	-3.9	1.4	15.1	23.3	9.6	17.3	13.0	14.5	76.3
जीएसटी ई-वे बिल इंटर स्टेट	-88.9	-62.8	-19.9	-12.3	-10.4	2.2	18.8	6.0	13.8	6.8	7.6	73.5
जीएसटी राजस्व	-71.7	-38.0	-9.0	-14.4	-12.0	3.9	10.2	1.4	11.6	8.1	7.4	27.0
विनिर्माण												
स्टील की खपत	-85.8	-45.9	-26.0	-10.3	-11.3	0.1	6.2	18.0	17.5	9.3	11.3	45.7
सीमेंट उत्पादन	-85.2	-21.4	-6.8	-13.5	-14.5	-3.4	3.2	-7.3	-7.2	-5.8	-5.6	32.5

-: उपलब्ध नहीं
 स्रोत: सीईआईसी


← संकुचन विस्तार →



प्रतिशत और शहरी 16.1 प्रतिशत) तक रहा। कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी के कारणों में उच्च शैक्षिक नामांकन, उच्च हाउसहोल्ड आय और उपयुक्त रोजगार के अवसरों का अभाव शामिल है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटाबेस से उपलब्ध एलएफपीआर के बारे में हाल की जानकारी से पता चलता है कि यह अप्रैल 2020 में 35.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 में 40.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.1.18)।


II.1.44 अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन के बाद के चरण में ग्रामीण रोजगार में तेजी से सुधार के कारण रोजगार की स्थिति में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.1.19ए और II.1.19 बी)। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश राज्यों के लिए एलएफपीआर लॉकडाउन के पूर्व की अवधि के स्तर पर पहुंच गया।

चार्ट II.1.18: बेरोजगारी और श्रमिक शक्ति सहभागिता दरें




II.1.45 संगठित क्षेत्र के रोजगार के अद्यतन आंकड़ें, जो पेरोल आंकड़ों पर मापे जाते हैं, वर्ष 2020-21 में रोजगार सृजन के संबंध में एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं(चार्ट II.1.20)। संचयी आधार पर प्रति माह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े निवल अभिदाताओं का औसत अप्रैल-मार्च 2021 में पिछले वर्ष के 6.55 लाख से मामूली रूप से घटकर 6.42 लाख हो गया। दूसरी ओर, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.93 लाख की गिरावट की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2021 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में अंशदान देने वाले सदस्यों की औसत संख्या 0.64 लाख थी। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए नए अभिदाता भी कम हुए।


चार्ट II.1.19 ए: राज्य-वार श्रम शक्ति सहभागिता दर



चार्ट II.1.19 बी: राज्य-वार बेरोजगारी दर



स्रोत: सीएमआईई हाउसहोल्ड सर्वेक्षण



II.1.46 औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतिगत पहल की जा रही हैं। *आत्मनिर्भर भारत अभियान* के तहत किए गए उपायों के अलावा, भारत सरकार ने निवेश को आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ इसके एकीकरण की सुविधा के उद्देश्य से 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹ 1.45 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना शुरू की।

5. निष्कर्ष

II.1.47 आगे चलकर, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के उपायों से निरंतर आधार पर भारत की वृद्धि संभावनाओं में सुधार की संभावना है। भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए और वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में संपत्ति के उपयोग की सुविधा के लिए, सरकार ने अक्टूबर 2020 में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA) योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य संपत्ति के मुकदमों और लेनदेन की लागत को कम करना है और भूमि के स्वामित्व में स्पष्टता लाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ाना है। सितंबर 2020 में, तीन श्रम कोड - औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020,

सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 पारित किए गए जो सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों, उच्च उत्पादकता और अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। इन उपायों से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ होगा और भारत में श्रम बाजार के संकट को कम करने में सकारात्मक सहायता मिलेगी।

II.1.48 प्रस्तावित राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन के शुरू होने से संभावित ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ेगी और संसाधनों को आगे निवेश करने के लिए वित्त को मुक्त कर वास्तविक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से मदद करने की भी संभावना बढ़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने पहले से ही क्रमशः ₹5,000 करोड़ और ₹7,000 करोड़ के निवेश के एक-एक मूलभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (InvIT) को प्रायोजित किया है।

II.1.49 आगे चलते हुए उत्पादन की अनुमेयता थोड़ी धुंदली हो गई है। विकास की संभावनाएं मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती हैं कि भारत कितनी तेजी से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को रोक पाता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था पहली लहर के दौरान उस हद तक मंद नहीं हुई है, तत्काल अवधि में आस-पास की अनिश्चितता एक रुकावट के रूप में कार्य कर सकती है। आपूर्ति पक्ष की बात की जाए तो महामारी के झटके को सहन करते हुए कृषि ने अपनी आघात-सहनीयता का परिचय दिया और इस प्रकार बड़े पैमाने पर ग्रामीण मांग और अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान कर रहा है। सेवाओं के मामले में, विनिर्माण, व्यापार, माल परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित गतिविधियों में पुनरुद्धार के साथ, सुधार -अलग-अलग तरीके से हो रहा है। यद्यपि संपर्क-गहन क्षेत्रों का प्रदर्शन अभी भी उप क्षेत्रों के बराबर है, लेकिन इसमें सुधार भी हो रहा है। आगे की बात की जाए तो जैसे ही टीकाकरण की गति बढ़ती है और संक्रमण के मामले गिरते हैं, सुदृढ़ अनुकूल आधार प्रभावों के समर्थन से वृद्धि में तेज बदलाव की संभावना बनती है।

II.2 कीमतों की स्थिति


II.2.1 वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति परिवेश अनुकूल रहा क्योंकि समग्र मांग में कमी ने महामारी के कारण पण्यों की कीमतों पर आपूर्ति में बाधाओं के प्रभाव को कमजोर कर दिया। वर्ष 2020 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम हो गई लेकिन उभरते हुए बाजारों में वह पिछले वर्ष के स्तर के आस पास बनी रही। उत्पादक कीमतें वर्ष के दौरान कम हो गईं लेकिन दूसरी छमाही से पण्यों की कीमतें पुनः बढ़ गईं, जिससे लागत जन्य दबावों के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की चिंता बढ़ गई है। मार्च 2021 तक वर्ल्ड बैंक ऊर्जा कीमत सूचकांक उसके अप्रैल 2020 के निम्न स्तर के 2.7 गुना था, जबकि 'धातु और खनिज' तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों के सूचकांक भी क्रमशः 68.1 प्रतिशत तथा 26.6 प्रतिशत से अधिक थे। अत्यधिक वैश्विक चलनिधि के कारण पण्यों की कीमत में उछाल आया है। गैर-ऊर्जा कीमतें भी 38.4 प्रतिशत अधिक रहीं जिससे महामारी जन्य कमजोर मांग को प्रतितुलित कर दिया।

II.2.2 जहां लॉकडाउन के पहले दौर में खाद्यान्न तथा चिकित्सकीय आपूर्तियों की कीमतों में वृद्धि हुई, वहीं अर्थव्यवस्थाओं के पुनः खुलने और गतिविधियों के सामान्य होने पर जब उपभोक्ताओं के विवेकपूर्ण खर्च बढ़ने लगे तब कच्चे तेल तथा धातुओं की कीमतें पुनर्मुद्रास्फीति की वाहक बन गईं।

II.2.3 भारत में मुख्य (हेडलाइन) मुद्रास्फीति¹⁰ ने जून-नवंबर 2020 के दौरान मुद्रास्फीति के लक्ष्य की उच्च वहनीय सीमा का उल्लंघन किया जिसका कारण था प्रतिकूल गतिविधियों अर्थात् अत्यधिक बारिश तथा आपूर्ति बाधाओं; सुरक्षित मद होने के कारण स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि होने; तथा कच्चे तेल की कीमतों के मजबूत होने तथा उत्पाद शुल्क को बढ़ाए जाने पर पेट्रोल की

पंप कीमतों में बहुत बार वृद्धि किए जाने(चार्ट II.2.1)¹¹ के संयोग पर खाद्यान्न मुद्रास्फीति में हुई तीव्र वृद्धि और वर्धित मूल मुद्रास्फीति (खाद्यान्न तथा ईंधन को छोड़कर)।

II.2.4 हालांकि वर्ष 2021 में औसत मुद्रास्फीति उच्च रही, फिर भी उसकी अस्थिरता जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में मानक विचलन द्वारा अभिकलित किया जाता है, एक वर्ष पहले से कम रही (सारणी II.2.1)। वर्ष के भीतर मुद्रास्फीति का अत्यधिक ऋणात्मक झुकाव शेष वर्ष के दौरान निरंतर रूप से उच्च मुद्रास्फीति के बीच दिसंबर 2020-फरवरी 2021 के दौरान खाद्यान्न मुद्रास्फीति के कम प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त कर्टोसिस कम ऋणात्मक हुआ जिससे यह पता चलता है कि कुछ मामलों में माध्य मुद्रास्फीति से बड़ा विचलन हुआ था, जो वर्ष के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम मुद्रास्फीति के बीच हुए कम व्यापक अंतर से भी परिलक्षित होता है।



¹⁰ मुख्य मुद्रास्फीति का अभिकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय(एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आधारवर्ष 2012=100 लेते हुए जारी किए गए अखिल भारतीय सीपीआई -संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा किया जाता है।

¹¹ अप्रैल-मई 2020 के लॉकडाउन के दौरान मुद्रास्फीति में प्रारम्भिक वृद्धि ज्यादातर आंकड़ों की अनुपलब्धता को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कारोबारी निरन्तरता दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा अपनाए गए अभ्यारोपणों के प्रभाव के कारण हुई है और इसलिए नीतिगत प्रयोजनों के लिए उसे अनदेखा किया गया। इन्टर - सेक्रेटरीअट वर्किंग ग्रुप ऑन प्राइस स्टेटिस्टिक्स (आईएसडब्ल्यूजी-पीएस) जो कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ (आईएलओ), यूरोस्टैट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग(यूएनईसीई), विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश(आईएमएफ) का संयुक्त मंच है, द्वारा मई 2020 में 'कारोबारी निरन्तरता दिशानिर्देश'जारी की गए।

सारणी II.2.1: मुख्य(हेडलाइन) मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
माध्य	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2
मानक विचलन	0.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1
स्क्युनेस	0.2	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7
कर्टोसिस	-0.2	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7
माध्यिका	10.1	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5
अधिकतम	10.9	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6
न्यूनतम	9.3	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1

* अप्रैल-मई 2020 के लिए अभ्यारोपित आंकड़े निकालकर, माध्य का पूर्वकलन 6.1 है, मानक विचलन: 1.2, स्क्युनेस: -0.5, कर्टोसिस: -1.1, माध्यिका: 6.5, अधिकतम: 7.6 और न्यूनतम: 4.1. होता है। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दर का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से अभिकलित की गई वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकते हैं।

नोट: स्क्युनेस तथा कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती।


स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन।

II.2.5 इस पृष्ठभूमि में उप-भाग 2 में वैश्विक स्तर पर पण्यों की कीमतों और मुद्रास्फीति में हुई प्रगति का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। उप-भाग 3 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है, और उप-भाग 4 में मुद्रास्फीति के प्रमुख घटकों का विश्लेषण किया गया है। उप-भाग 5 में मूल्य और लागतों के संकेतकों का विश्लेषण किया गया है, अंत में सारांश स्वरूप टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति गतिविधियां

II.2.6 अमरीकी डॉलर (चार्ट II. 2. 2) के अवमूल्यन सहित आपूर्ति की कमी के कारण खाद्य तेल (पाम तेल, सूर्यमुखी तेल; तथा सोयाबीन तेल) की वर्धित कीमतों के कारण जून 2020 से अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न कीमतें कठोर हो गईं। गेहू (प्रमुख निर्यातकों के बीच आपूर्ति की कमी तथा रूसी निर्यात कर तथा निर्यात कोटा) चावल (थाई तथा वियतनाम से उपलब्धता में कमी), मक्का (अमरीका और दक्षिण अमरीका में अपेक्षा से काम फसल), मांस (प्रोटीन मांग) तथा शक्कर की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गैर-खाद्य श्रेणी में धातुओं की कीमतों ने कोविड -19 महामारी के प्रारंभ में हुई हानी को भर दिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहाली के अनुरूप मजबूत हो गई। लैटिन अमरीका में आपूर्ति संबंधी बाधाएं तथा चीन तथा अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक मांग में वृद्धि ने उन्हें और बढ़ा दिया। मूल्यवान धातुओं की कीमतें जो कि महामारी के प्रारंभ में बढ़ गई थी, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित मद

की मांग के कारण वर्धित ही रहीं। तथापि सितंबर 2020 तक ये कीमतें स्थिर हो गईं क्योंकि सुधरती हुई आर्थिक स्थितियों के कारण सुरक्षित मद आस्तियों की मांग कम हो गई। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें जो कि जनवरी-अप्रैल 2020 के दौरान महामारी के कारण कम होने के पथ पर थीं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) तथा उनके सहयोगियों (ओपेक प्लस) द्वारा मई 2020 के प्रारंभ में 9.7 मिलियन बैरेल प्रतिदिन (बीपीडी) (जो कि वैश्विक तेल आपूर्ति के 10 प्रतिशत होता है) से तीव्र रूप से तेल की आपूर्ति में कटौती करने जिसे दो वर्ष की अवधि में धीरे धीरे कम किया जाएगा, के कारण मई 2020 में पुनः उल्लेखनीय



रूप से बढ़ गई। कोविड – 19 के टीके की सफल जांच तथा अपेक्षा से अधिक तेज आर्थिक बहाली की संभावनाओं ने कच्चे तेल की कीमतों को और बढ़ाया। कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की औसत कीमतें तीन गुना होते हुए अप्रैल 2020 में 20 अमरीकी डॉलर प्रति बैरेल के निम्न स्तर से मार्च 2021 में 65 अमरीकी डॉलर प्रति बैरेल तक पहुँच गई। वृद्धिशील तेल की कीमतों को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की केन्द्रीय बैंकों द्वारा सौम्य मौद्रिक नीति अपनाने, ओपेक प्लस द्वारा आपूर्ति प्रतिबंध लगाए जाने तथा आरामको ऑइल फ़ैसिलिटीज पर हमलों के कारण मार्च में घटी भू – राजनैतिक घटनाओं जिनके कारण तेल की कीमतें 70 अमरीकी डॉलर प्रति बैरेल से अधिक हो गई, का समर्थन मिला। यह अपेक्षा की जाती है कि 2022 तक वैश्विक आर्थिक गतिविधियां महामारी-पूर्व स्तर तक पहुँचने पर तेल की मांग बढ़ेगी।

11.2.7 पण्यों की कीमतों की इन वैश्विक गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए उभरते हुए बाजारों एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में महामारी के प्रारंभ में अत्यधिक घटने के बाद वृद्धि हुई जबकि उन्नत अर्थ व्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति महामारी पूर्व स्तरों से नीचे रही क्योंकि इन देशों में कम समग्र मांग के असर ने आपूर्ति की बाधाओं के प्रभाव को कमजोर कर दिया।

3. भारत में मुद्रास्फीति

11.2.8 कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई। प्रारम्भिक लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन के लिए घोषित किया गया था, लेकिन पुष्ट पाजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि होना जारी रहने के कारण इसे चरणों में 31 मई 2020 तक विस्तारित किया गया। 1 जून 2020 से “अनलॉक 1” के भाग के रूप में लॉकडाउन में शिथिलता की घोषणाएं की गईं जैसे जैसे नए पुष्ट पाजिटिव मामलों की संख्या कम होने लगी वैसे


ही अर्थव्यवस्था को फिर से सामान्य रूप में लाने हेतु सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिए चरण बद्ध तरीके से और शिथिलताओं की घोषणा की गई। लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप एनएसओ, नामित आउटलेट के माध्यम से ज्यादातर टेलीफोन के माध्यम से की गई पूछताछ के माध्यम से आंशिक डाटा जुटा पाया तथा एनएसओ के फील्ड स्टाफ की व्यक्तिगत खरीद द्वारा संग्रहीत सूचना द्वारा उसे पूरा किया गया। पर्याप्तता के सिद्धांत¹² का अनुपालन करते हुए एनएसओ ने खाद्यान्न एवं पेय (अप्रैल 2020 के लिए मांस तथा मछली तथा अप्रैल तथा मई 2020 के लिए तैयार खाने, नाश्ता, मिठाई आदि को छोड़कर) के अंतर्गत सभी उप समूहों, विविध समूह के अंतर्गत ईंधन तथा प्रकाश, आवास तथा स्वास्थ्य उप समूह के सूचकांकों को अप्रैल-मई 2020 के दौरान रिपोर्ट किया।

11.2.9 अप्रैल-मई 2020 के दौरान बहुत सारे उप-समूहों के लिए आंकड़ों की अनुपलब्धता को संबोधित करने के लिए एनएसओ ने मई 2020 में इन्टर – सेक्रेटरीअट वर्किंग ग्रुप ऑन प्राइस स्टेटिस्टिक्स (आईएसडब्ल्यूजी-पीएस) के “कारोबारी निरन्तरता दिशानिर्देशों” में संस्तुत अभ्यारोपण पद्धति के आधार पर एक अलग अभ्यास किया। मोटे तौर पर इस दृष्टिकोण में लापता उप-समूह सूचकांक (आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण) को संकलन के अगले उच्चतर स्तर पर अभिकलित सूचकांक से अभ्यारोपित करने का समर्थन किया जाता है। इस अभ्यारोपण पद्धति में मूल अथवा गैर-खाद्यान्न गैर- ईंधन श्रेणी के मद शामिल थे क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इन मदों के लिए संव्यवहार आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

11.2.10 हेडलाइन मुद्रास्फीति जो कि 2019-2020 की दूसरी छमाही में बढ़ने लगी, 2020-21 के दौरान बढ़ी हुई बनी रही, और अक्टूबर 2020 में 7.6 प्रतिशत के बहु- वर्षीय अधिकतम (77 महीनों में सबसे अधिक) तक पहुँच गई [चार्ट 11.2.3]। देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति में बाधाएं, मंडियों में श्रमिकों की अनुपलब्धता, परिवहनों में बाधाएं तथा खरीफ की कटाई की

¹² केवल उन मदों की कीमतों को शामिल किया गया है जिनकी कम-से-कम 25 प्रतिशत बाजारों से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए अलग से रिपोर्ट की गई है और संबंधित उप-समूहों/समूहों में उनका 70 प्रतिशत से अधिक भार है।

चार्ट II.2.3: हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव



अवधि के दौरान अत्यधिक बारिश के कारण फसल को नुकसान पहुँचा और खाद्यान्न विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों को बढ़ा दिया। उसके बाद इन दबावों के कम होने पर तथा रबी फसल की उत्साह वर्धक संभावनाओं के कारण नवंबर 2020 से खाद्यान्न मुद्रास्फीति कम होने लगी और अक्टूबर 2020 में 10.1 प्रतिशत से जनवरी 2021 में 2.7 हो गई, लेकिन मुख्यतः प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण मार्च 2021 में 5.2 प्रतिशत तक बढ़ गई।

II.2.11 द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) तथा गैर -पीडीएस केरोसीन की कीमतों में हुई कमी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान ईंधन की कीमतें कम ही रहीं; तथापि एलपीजी की कीमतों में दिसंबर 2020 से वृद्धि होने लगी।


II.2.12 दूसरी ओर पर खाद्यान्न तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान कठोर हो गई और अक्टूबर 2019 में ऐतिहासिक रूप से 3.4 प्रतिशत के सबसे कम स्तर से बढ़कर फरवरी 2021 में 6.0 प्रतिशत के अधिकतम स्तर तक पहुँच गई। परिवहन तथा संचार, निजी देखभाल तथा प्रसाधन की वस्तुएं तथा पान, तंबाकू तथा नशीली चीजों की कीमतों में लगभग दो अंकों की मुद्रास्फीति के कारण यह वृद्धि हुई।

II.2.13 वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति औसतन 6.2 प्रतिशत तक बढ़ी थी जो कि पिछले वर्ष से 140 आधार अंक(बीपीएस) अधिक (परिशिष्ट सारणी 4) थी। अक्टूबर 2019 से हेडलाइन मुद्रास्फीति में होने वाली वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए, हाउसहोल्ड माध्य मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं 2020-21 के दौरान मार्च 2020 के दौर के आंकड़ों की तुलना में तीन महीने आगे तक 159 आधार अंक और एक वर्ष आगे तक 120 आधार अंक से दृढ़ बन गईं। प्रत्याशा में इस वृद्धि की पुष्टि पेशेवर अनुमानकर्ताओं के अधिक भावी मूल्यांकन द्वारा होती है।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

II.2.14 सीपीआई मुख्य (हेडलाइन) मुद्रास्फीति के वाहकों में 2020-21 के दौरान विशिष्ट बदलाव प्रदर्शित किए जिसमें परिवहन तथा संचार समूह के योगदान में वृद्धि सहित खाद्यान्न समूह का मुख्य हिस्सा होना जारी रहा (चार्ट II.2.4)। लॉकडाउन की स्थिति के क्रमिक शिथिलीकरण तथा आपूर्ति संबंधी बाध्यताओं के कम होने से मई-जून में खाद्यान्न कीमत मुद्रास्फीति कम हो गई, लेकिन अगस्त-अक्टूबर के दौरान पुनः बढ़ गई क्योंकि अत्यधिक बारिश ने फसल को क्षति पहुंचाई। नवंबर-2020-जनवरी 2021 के दौरान मुख्य कीमतों में मौसमी कमी के



चार्ट II.2.4 : मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



कारण खाद्यान्न मुद्रास्फीति पुनः तीव्र रूप से कम हो गई और उसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न मुद्रास्फीति जो कि अप्रैल 2020- नवंबर 2020 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति से ऊपर थी, दिसंबर 2020 से उसके नीचे चलने लगी। खाद्यान्न एवं ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति सामान्यतः वर्धित ही रही। ईंधन की कीमतों में मुद्रास्फीति पूर्ण वर्ष में शांत और हेडलाइन मुद्रास्फीति से नीचे ही रही।

खाद्यान्न

11.2.15 खाद्यान्न और पेय पदार्थों के मूल्य से संबंधित मुद्रास्फीति (भार: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) अक्टूबर 2019 में 6 प्रतिशत को पार कर गई और नवंबर 2020 तक वर्धित ही रही। इसका 2020-21 में समग्र मुद्रास्फीति में 54.8 प्रतिशत का योगदान रहा। लॉकडाउन से आपूर्ति संबंधी प्रतिकूल आघात तथा मानसून के मौसम के दौरान अत्यधिक बारिश के कारण फसल को पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप पशु प्रोटीन मदे तथा सब्जियाँ इसकी मुख्य वाहक रहीं (चार्ट 11.2.5)। उपभोक्ताओं ने लॉकडाउन के प्रारंभ में घबराकर टिकाऊ खाद्य मदों जैसे अनाज तथा दलहन की खरीद तथा भंडारण किया। खाद्यान्न मदों पर लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होने के बावजूद, परिवहन में प्रारम्भिक कठिनाइयों तथा मंडियों में श्रमिकों की सीमित




उपलब्धता के कारण अप्रैल 2020 में खाद्यान्न कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।

11.2.16 खाद्यान्न तथा पेय वस्तुओं के समूह के भीतर कीमतों के दबाव आगामी महीनों में उच्च तथा व्यापक आधारवाले बने रहे जिनमें बारह में से पांच उप-समूहों (दलहन, तेल तथा वसा, मांस तथा मछली, अंडे तथा मसाले) में दो अंकों की मुद्रास्फीति दिखाई दी। चार्ट 11.2.6]। तथापि नई फसल के आगमन पर प्याज, टमाटर तथा आलू की कीमतें मौसमी रूप से कम होने पर दिसंबर 2020 से सब्जियों की कीमतें अपस्फीति में रहीं जिससे समग्र खाद्यान्न मुद्रास्फीति में तीव्र नरमी आ गई। मुख्यतः प्रतिकूल आधार प्रभावों तथा तेल तथा वसा, दलहन, तैयार खाने, अल्पाहार, मिष्ठान आदि आदि तथा गैर नशीले पेय में निरंतर रूप से बने रहे दबावों के कारण फरवरी-मार्च 2021 दौरान मुद्रास्फीति में पुनः वृद्धि हुई।

11.2.17 उप-समूह के स्तर पर सब्जियों की कीमतें (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 13 प्रतिशत भार) अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान दबाव का प्रमुख बिन्दु रहीं। सब्जियों को छोड़कर खाद्यान्न मुद्रास्फीति इस अवधि के दौरान औसतन 96 आधार अंक कम होती। आपूर्ति की शृंखलाओं में बाधाएं, अत्यधिक बारिश तथा उत्पादन में कमी (आलुओं के मामले में) का परिणाम

चार्ट II.2.7: सीपीआई- सब्जियां: कीमतों में मौसमी प्रभाव और मुद्रास्फीति के वाहक



नोट: एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़ें जारी नहीं किए गए हैं।
 स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन।

हुआ उच्चतर मार्जिन्स तथा पिछले वर्ष के समान उसी प्रकार की गति का निर्माण (चार्ट II.2.7 ए)।

II.2.18 प्याज की कीमतों में सितंबर-नवंबर 2020 के महीनों के दौरान वृद्धि हुई जो कि भारी बारिश के कारण प्याज उत्पादक मुख्य राज्यों में विलंबित कटाई सहित खरीफ की फसल को हुए उल्लेखनीय नुकसान को प्रतिबिंबित करते हैं। अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक निर्यातों ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया। सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व की भांति 14 सितंबर 2020 को प्याज की सभी प्रजातियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए (जनवरी 2021 में इन्हें हटाया गया); बेहतर गुणवत्ता (स्थानीय प्रजाति के समान) वाले आयात में वृद्धि की; 21 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक आयात संबंधी मानदंडों में छूट [फ्यूमिगैशन की शर्तों तथा प्लांट क्वॉरन्टीन (पीक्यू), ऑर्डर 2003 के अंतर्गत फाइटोसैनिटेरी प्रमाणपत्र (पीएससी) पर अतिरिक्त घोषणा] दी; बफर स्टॉक जारी किए; तथा बाजार सट्टा तथा जमाखोरी को रोकने के लिए थोक तथा खुदरा विक्रेताओं पर स्टॉक सीमाएं लगाई। समयपर उठाए गए इन कदमों तथा नए आगमनों के परिणामस्वरूप कीमतों के दबाव को नियंत्रित किया जा सका और फरवरी 2021 को छोड़कर जब कम आगमनों के कारण कीमतें बढ़ गई, प्याज की कीमतें दिसंबर 2020-मार्च 2021 के दौरान कम हो गईं।


II.2.19 टमाटरों के मामले में मंदी के मौसम अर्थात जून-जुलाई 2020 के दौरान मॉनसून पूर्व बारिश से फसल को पहुंची क्षति के कारण कम आपूर्ति तथा एक वर्ष पूर्व की तुलना में कम खेती के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ गईं। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश ने सितंबर 2020 में कीमतों को पुनः बढ़ा दिया; उसके बाद बाजार में नए माल के आने से टमाटर की कीमतें कम हो गईं।

II.2.20 आलुओं की कीमतों में मुद्रास्फीति नवंबर 2020 में 2.3 प्रतिशत से नवंबर 2020 में 107.0 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे जुलाई-नवंबर 2020 के दौरान सब्जी समूह की मुद्रास्फीति को दो अंकों तक बढ़ा दिया (चार्ट II.2.7 बी)। आलु के दो प्रमुख उत्पादक राज्यों को मौसम संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा – उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में बेमौसम बारिश तथा पश्चिम बंगाल में मई 2020 में फसल को चक्रवात संबंधी नुकसान- जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति संबंधी उल्लेखनीय बाधाएं और उत्पादन में कमी आई [2019-20 के अंतिम अनुमानों (एफई) के अनुसार 2018 – 19 के अंतिम अनुमानों (एफई) की तुलना में 3.2 प्रतिशत से कम]। इसमें लॉकडाउन के प्रारम्भिक महीनों के दौरान घबराकर की गई खरीद, मंडियों में श्रमिकों की कमी, तथा कोल्ड स्टॉरेज में स्टॉक की कम उपलब्धता का भी योगदान रहा। तथापि अक्टूबर 2020

में सरकार ने प्याज की भांति आयात मानदंडों को शिथिल करने सहित घरेलू उपलब्धता को सुधारने के लिए 31 जनवरी 2021 तक 10 लाख टन के कोटा के लिए आलू पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम करके संशोधित किया। इसे प्रतिबिंबित करते हुए और नए माल के आने पर आलू की कीमतें दिसंबर 2020 में कम हो गईं।


11.2.21 अनाज एवं अनाज के उत्पादों (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 21 प्रतिशत भार) की कीमतों की मुद्रास्फीति ने मिश्र समीकरण प्रस्तुत किए- 2020-21 के पहले चार महीने वह 6 प्रतिशत से अधिक रहीं, फिर अगले आठ महीने में कम रहीं हैं, और फरवरी- मार्च 2021 के दौरान अवस्फीति के क्षेत्र तक भी पहुँच गईं। यह अत्यधिक बफर स्टॉक द्वारा अधोमुखी दबाव डालने तथा उच्चतर सरकारी खरीद के कारण कीमतों में वृद्धि के जटिल प्रभाव से बाजार विपथन को प्रतिबिंबित करता है। मद स्तर पर लॉकडाउन के दौरान घबराकर की गई खरीद, चावल के निर्यातों में वृद्धि (अप्रैल-फरवरी 2020-21 के दौरान 81 प्रतिशत), प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) के अंतर्गत गेहू तथा चावल के वितरण, चावल और गेहू का रिकार्ड उत्पादन (दूसरे अग्रिम अनुमानों(ईई) के अनुसार 2019-20 एफई की तुलना में चावल उत्पादन के लिए 1.2 प्रतिशत से और गेहू उत्पादन के लिए 1.3 प्रतिशत से अधिक), तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में धीमी संवृद्धि (चावल और गेहू के लिए क्रमशः 2.9 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत) इस जटिल गतिविधि में कीमतों के मुख्य वाहक रहे।

11.2.22 प्रोटीन-युक्त मदों जैसे अंडे, मांस तथा मछली (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 8.8 प्रतिशत भार) के बीच कीमतों की गति ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर रहीं, जिसके परिणामस्वरूप अंडे तथा मांस और मछली के मामले में क्रमशः 12.9 प्रतिशत तथा 15.4 प्रतिशत की दो अंकीय मुद्रास्फीति हुई (चार्ट 11.2.8)। महामारी के कारण प्रारंभिक डर का परिणाम यह हुआ कि फरवरी-मार्च 2020 के दौरान अंडों तथा चिकन के लिए खपत मांग कम हो गई। इसके कारण पॉल्ट्री किसानों ने हानि से बचने के लिए मजबूरन बिक्री की। जैसे ही अफवाहें साफ हो गईं और इस समझ के कारण कि प्रोटीन युक्त मदें प्रतिरोधक क्षमता




को बढ़ाते हैं मांग तीव्र रूप से बढ़ गई और मांग की तुलना में आपूर्ति कम पड़ने लगी। परिवहन में बाधाओं तथा उलटे प्रवासन से हुई आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण भी कीमतों में वृद्धि हुई। तथापि मांस और मछली की कीमतें दिसंबर 2020 में कम हो गईं जो कि सामान्य रूप से ठंड के मौसम में कीमतों में होने वाली वृद्धि के विपरीत था। यह पोल्ट्री उद्योग में आपूर्ति की बहाली को दर्शाता है। जनवरी 2021 में बहुत सारे राज्यों में बर्ड-फ्लू के फैलाव ने मांग को घटाया और जनवरी-फरवरी 2021 के दौरान पोल्ट्री मदों की कीमतें और कम हो गईं। चिकन की कीमत मार्च 2021 में तीव्र रूप से बढ़ गई जो कि मांग में बहाली और आपूर्ति में कमी को प्रतिबिंबित करते हैं।

11.2.23 तेल तथा वसा (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों समूह में 7.8 प्रतिशत भार) की कीमतें अत्यधिक बढ़ीं जिसके कारण मार्च 2021 में 24.9 प्रतिशत की ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति हुई (चार्ट 11.2.9)। महामारी के कारण एहतियाती खरीद तथा खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण यह प्रतिकूल घटना हुई। कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क के रूप में आधारभूत सीमाशुल्क (बीडीएस) को संशोधित करके 27 नवंबर 2020 को 37.5 प्रतिशत से 27.5 प्रतिशत तक घटा दिया और यूनिजन बजट में उसे 32.5 प्रतिशत [इसमें ऐग्रिकल्चरल इन्फ्रस्ट्रक्चर



डेवलपमेंट सैंस (एआईडीसी) शामिल हैं] तक और संशोधित किया। तथापि बढ़ती हुई वैश्विक कीमतें, दिसंबर 2020 से इंडोनेशिया द्वारा कच्चे पाम तेल पर निर्यात लेवी में वृद्धि तथा जनवरी 2021 से मलेशिया द्वारा कच्चे पाम तेल पर 8 प्रतिशत का निर्यात कर लगाने के कारण कीमतें अधिक ही रहीं।

II.2.24 दलहन (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 5.2 प्रतिशत भार) की कीमतों ने मुख्यतः तुर (अरहर) तथा उड़द (चार्ट II.2.10) की कीमतों के कारण अप्रैल 2020 में 22.8 प्रतिशत की 45 महीनों की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की। अप्रैल-मई तथा सितंबर-नवंबर 2020 में कीमतों में तीव्र वृद्धि दिखाई दी जो कि उपभोक्ताओं द्वारा माल के संचय, लॉकडाउन तथा बारिश संबंधी बाधाएं तथा खरीफ दलहन उत्पादन में कमी (2019-20 एफई के अनुसार 2018-19 एफई की तुलना में 2.1 प्रतिशत तथा विशेष रूप से 43.6 प्रतिशत से उड़द उत्पादन), अप्रैल-जनवरी 2020-21 के दौरान अधिक निर्यात तथा निम्न आयात[क्रमशः 27.2 प्रतिशत तथा (-)14.8 प्रतिशत] को प्रतिबिंबित करती है। नतिजन सरकार ने जवाब में बहुत सारे आपूर्ति पक्ष के उपाय किए जैसे खुला बाजार बिक्री (ओएमओ) के माध्यम से बफर स्टॉक में तुर के 2 लाख टन जारी करना, 31 दिसंबर 2020 कि स्थिति के अनुसार 2020-21 के लिए 4 लाख टन के आयात कोटा के अंतर्गत तुर के आयात के लिए




समय -सीमा में विस्तार करना, पूर्व में ही जारी किए गए 1.5 लाख टन के आयात कोटा के अंतर्गत उड़द के आयात गति को बढ़ाना तथा 2 लाख टन तुर के आयात के लिए मोज़ाम्बिक के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) को और पांच वर्ष के लिए विस्तारित करना। दलहन का उत्पादन 2019-20(अंतिम अनुमान) की तुलना में 2020-21 (दूसरा अनुमान) में 6 प्रतिशत से बढ़ने से तुर, चना तथा मसूर की कीमतें दिसंबर 2020-फरवरी 2021के दौरान कम हो गईं।

II.2.25 फलों (खाद्यान्न एवं पेय समूह के सीपीआई में 6.3 प्रतिशत भार) की मुद्रास्फीति 2020-21 के अधिकतर भाग में धीमी रही, जिसे 2019-20 में 4.1 प्रतिशत तथा 2020-21(2019-20 एफई की तुलना में 2020-21 के पहले एई के अनुसार) में 1.2 प्रतिशत की मजबूत उत्पादन संवृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ। चीनी तथा मीठे खाद्य पदार्थ (खाद्यान्न एवं पेय समूह के सीपीआई में 3.0 प्रतिशत भार) में मुद्रास्फीति भी धीमी रही और 2020-21 में औसतन 2.5 प्रतिशत रही जो कि उच्चतर घरेलू उत्पादन को प्रतिबिंबित करती है।

ईंधन


II.2.26 ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत भार) का हेडलाइन मुद्रास्फीति में योगदान एक वर्ष पूर्व के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 2.9 प्रतिशत हो गया। ईंधन मुद्रास्फीति

चार्ट II.2.11: ईंधन में मुद्रास्फीति के वाहक (व-द-व)



मार्च 2020 में 6.6 प्रतिशत से कम होकर जून 2020 में 0.5 प्रतिशत हो गई जो कि ज्यादातर घरेलू एलपीजी - जो कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार रहीं-तथा केरोसीन की कीमतें कम होने के कारण था (चार्ट II.2.11 तथा चार्ट II.2.12)। ईंधन मुद्रास्फीति सितंबर-नवंबर 2020 के दौरान अनुकूल बेस-प्रभावों तथा केरोसिन पीडीएस कीमतों में निरंतर

चार्ट II.2.12: एलपीजी खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव




अवसफीती के कारण पुनः कम हो गई। वर्ष के दौरान जलाने की लकड़ी(फायरवुड) तथा चिप्स तथा बिजली में मुद्रास्फीति कम रही, जो कि अनुकूल बेस-प्रभावों तथा लॉकडाउन की अवधि के दौरान संभवतः कम मांग को प्रतिबिंबित करती है। इन गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए ईंधन मुद्रास्फीति एलपीजी तथा केरोसिन की कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च 2021 में 4.4 प्रतिशत तक बढ़ने से पूर्व नवंबर 2020 में 1.6 प्रतिशत तक कम हो गई।


खाद्यान्न तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

II.2.27 खाद्यान्न तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति 2019-20 के स्तरों से बढ़कर 2020-21 में फरवरी 2021 में वर्ष के भीतर के चरम 6.0 प्रतिशत (चार्ट II.2.13) के साथ 5.5 प्रतिशत के औसत पर रही। स्वर्ण की कीमतों, शराब पर लागू करों में वृद्धि तथा मई 2020 में सरकार द्वारा पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण अक्टूबर 2020 तक इस श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़ना जारी रहा (चार्ट II.2.14)। जनवरी 2021 तक यह मुद्रास्फीति अनुकूल बेस-प्रभावों के कारण 5.5 प्रतिशत तक कम हो गई लेकिन जैसे ही अनुकूल बेस-प्रभाव कम हो गए तथा कीमतों के दबाव जारी रहे वैसे ही पुनः बढ़कर वर्ष के अंत में 5.9 पर पहुँच गई।

चार्ट II.2.13: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



चार्ट II.2.14: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान



II.2.28 इस समूह के मुख्य घटकों के बीच, विविध संवर्ग में मुद्रास्फीति अगस्त 2020 में 7.0 प्रतिशत तक बढ़ गई और उसके बाद मोटे तौर पर बढ़ी हुई ही रही।

II.2.29 आवासीय मुद्रास्फीति 2020-21 में 3.3 प्रतिशत तक कम हो गई (2019-20 में 4.5 प्रतिशत) जो कि अनुकूल बेस – प्रभावों के असर तथा लॉकडाउन की अवधि के दौरान निम्नतर मांग को परिलक्षित करती है। ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम 2.8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति सितंबर 2020 में दर्ज की गई। आवास को छोड़कर, खाद्यान्न एवं ईंधन को शामिल न करते हुए मुद्रास्फीति 2020-21 में औसतन 6.2 प्रतिशत थी, जो एक वर्ष पूर्व 3.9 प्रतिशत से अधिक थी।

II.2.30 कपड़ों तथा जूतों में मुद्रास्फीति धीमी रही और 2020-21 में औसतन 3.4 प्रतिशत थी, जो कि ज्यादातर कम निविष्टि लागत तथा मांग की कमजोर स्थिति को परिलक्षित करती हैं। कपास जो कि कपड़ों के उत्पादन का एक मुख्य घटक(इनपुट) है, की कॉटन ए सूचकांक द्वारा अभिकलित अंतरराष्ट्रीय कीमतें कोविड-19 के प्रकोप द्वारा प्रभावित हुई और फरवरी- अप्रैल 2020 के दौरान उनमें गिरावट दर्ज हुई। इनमें बाद में क्रमिक रूप से बहाली आ गई।


5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.2.31 वर्ष 2020-21 के दौरान औद्योगिक कामगार संबंधी उपभोक्ता कीमत सूचकांक(सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित

सेक्टरल सीपीआई मुद्रास्फीति मई-जून 2020 में 5.1 प्रतिशत तक कम हो गई क्योंकि आवास मुद्रास्फीति पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग(सीपीसी) का प्रभाव लुप्त हो गया और कपड़ा मुद्रास्फीति कम हो गई। खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए वह जुलाई-अक्टूबर 2020 के दौरान बढ़ गई। श्रम ब्यूरो ने अक्टूबर 2020 में सितंबर 2020 से प्रारंभ होने वाले डाटा सहित नए बेस (2001=100 से 2016=100) के साथ सीपीआई-आईडब्ल्यू जारी किया। यह औद्योगिक कामगारों की अद्यतन खपत पैटर्न को परिलक्षित करता है। वह मोटे तौर पर एनएसओ द्वारा जारी किए गए सीपीआई-सी/ सीपीआई-यू (बेस 2012=100) में उप-समूहों/मुख्य समूहों के समान वर्गीकरण अपनाता है। कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई-एएल) तथा ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई-आएल) के आधार पर मुद्रास्फीति, जिसमें आवास का घटक शामिल नहीं है, भी विशेष रूप से खाद्यान्न की कीमतों में व्यापक आधार पर दबावों के कारण अक्टूबर 2020 में बढ़ने से पूर्व अनुकूल बेस-प्रभावों के कारण अप्रैल 2020 में क्रमशः 8.8 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत से सितंबर 2020 में क्रमशः 6.3 प्रतिशत तथा 6.1 प्रतिशत तक कम हो गई। सभी तीन मापकों में अनुकूल बेस-प्रभावों तथा खाद्यान्न की कीमतें कम हो जाने के कारण नवंबर 2020 -जनवरी 2021 में मुद्रास्फीति में कमी दिखाई दी। लेकिन अंशतः प्रतिकूल बेस प्रभावों के कारण फरवरी-मार्च 2021 के दौरान यह पुनः बढ़ गई।

II.2.32 थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापित मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 के दौरान धीमी बनी रही। यह अप्रैल-मई के दौरान अवस्फीति की स्थिति में रही और मई 2020 में यह वर्ष के भीतर के सबसे कम स्तर (-) 3.4 प्रतिशत (54 महीने में न्यूनतम स्तर) पर पहुंच गई थी क्योंकि पण्यों की वैश्विक कीमतों में गिरावट तथा लॉकडाउन के दौरान मांग में कमी के कारण गैर-खाद्यान्न प्राथमिक वस्तुओं, खनिजों, कच्चे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, खनिज तेल तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम हो गईं। तथापि डब्ल्यूपीआई की नरम मुद्रास्फीति का सीपीआई मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सामाजिक दूरी तथा जमें हुए बाजारों के बीच मार्क-अप में वृद्धि हुई। दिसंबर 2020 को छोड़कर अगस्त 2020-मार्च 2021 के

चार्ट II.2.15 : खाद्य कीमत स्फीति और मुद्रास्फीति अंतराल



नोट: अप्रैल-मई 2020 के सीपीआई आंकड़ा एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
 स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और आरबीआई स्टाफ आकलन।

दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई तथा प्रतिकूल बेस-प्रभावों सहित मुख्य रूप से ईंधन तथा पावर तथा विनिर्मित उत्पाद समूहों की कीमतों के दबावों के कारण यह मार्च 2021 में 7.4 प्रतिशत हो गई। वार्षिक औसत आधार पर डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2019-20 में 1.7 प्रतिशत से 2020-21 में 1.3 प्रतिशत तक कम हो गई। तथापि जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति 2019-20 में 3.6 प्रतिशत से 2020-21 में 4.6 प्रतिशत तक कठोर हो गई।

II.2.33 थोक मूल्य सूचकांक और सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच का विपथन खाद्य मुद्रास्फीति के रुख को दर्शाता है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने पर डब्ल्यूपीआई में अभिग्रहीत खाद्यान्न कीमत मुद्रास्फीति कम हो गई लेकिन सीपीआई खाद्यान्न मुद्रास्फीति बढ़ गई जो कि मार्क-अप को बढ़ाने में आपूर्ति शृंखला बाधाओं तथा अवसरवादी मूल्यन की भूमिका को प्रतिबिंबित करती है। लॉकडाउन के पश्चात की अवधि के दौरान खुदरा कीमतों में हुई वृद्धि की व्यापकता भी खाद्यान्न कीमतों में सामान्यतः गर्मियों में होने वाली वृद्धि से काफी अधिक थी (चार्ट II.2.15ए)। खुदरा तथा थोक कीमत मुद्रास्फीति के बीच का अंतर-खुदरा मार्जिन अथवा मार्क-अप का प्रतिनिधि, भी असामान्य रूप से अधिक रहा (चार्ट II.2.15 बी)। चूंकि अत्यधिक बारिश से फसलों को पहुंची क्षति के कारण अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से खुलने के बाद भी आपूर्ति संबंधी बाधाओं में

प्रत्याशित कमी आने में विलंब हुआ इसलिए 2020 -21 के दौरान मुद्रास्फीति पथ के विकास में मार्क-अप की मुख्य भूमिका रही (बॉक्स II.2.1)।

II.2.34 2019-20 के दौरान खरीफ तथा रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के बाद 2020-21 में एक और संतुलित वृद्धि हुई। एमएसपी में वृद्धि की स्थिति विभिन्न फसलों में भिन्न थी, मूंग और कुसुंभ (सैफलावर) 2.1 प्रतिशत से लेकर नाइजरसीड में 12.7 प्रतिशत तक थी। चावल और गेहूं में एमएसपी क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत था।

II.2.35 वर्ष के दौरान कृषि और कृषि से इतर क्षेत्र में मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई। यह मई-फरवरी 2020-21 के दौरान क्रमशः औसतन 7.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत थी, जो कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान श्रमिकों की कमी तथा केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को घोषित की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजीए) अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजदूरी में ₹20 की वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है। तथापि संवृद्धि की दरें दिसंबर 2020-मार्च 2021 के दौरान मामूली रूप से बढ़ने से पहले जून 2020 तथा जुलाई 2020 में क्रमशः 10.5 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत के उनके उच्चतम से नवंबर 2020 में क्रमशः 6.8 प्रतिशत तथा 5.6 प्रतिशत तक कम हो गए।

बॉक्स II.2.1

मार्क-अप में कोविड-19 पश्चात वृद्धि तथा खाद्यान्न मुद्रास्फीति सरप्राइज

उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) देश भर में फैले हुए 135 केंद्रों के लिए 22 आवश्यक खाद्य मदों की दैनिक कीमतों का संग्रहण, निगरानी तथा प्रकाशन करता है। डीसीए का डाटा लॉकडाउन की अवधि (चार्ट 1 ए) के दौरान 22 खाद्यान्न मदों के लिए खुदरा मार्जिन जो कि कुछ हद तक गतिशीलता की मात्रा के आधार पर सभी केंद्रों में अलग-अलग थी, में वृद्धि दर्शाते हैं (चार्ट 1 बी)।

80 केंद्रों¹³ में 22 खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत मार्जिन पर लॉकडाउन जन्य आपूर्ति बाधाओं के कारणात्मक प्रभाव को समझने के लिए अनुभवजन्य अभ्यास जिसे डिफरेंस इन डिफरेंस (डीआईडी) कार्यनीति (वर्षने, रॉय तथा मीनाक्षी, 2020) पर आधारित पैनल रिग्रेशन मॉडेल¹⁴ का उपयोग करते हुए किया गया। इसका मूल्यांकन दो उप-नमूनों – वे केंद्र जहां पर तुलनात्मक रूप से कठोर लॉकडाउन का अनुभव किया गया बनाम अन्या सभी केंद्रों में लॉकडाउन की तीव्रता में भिन्नता को गूगल मोबिलिटी सूचकांकों का प्रयोग करते हुए अभिकलित किया गया है। कोई उच्च गतिशीलता वाले केंद्र (लॉक डाउन की तीव्रता कम थी) को एक ऐसे केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गतिशीलता सूचकांक में मध्य से कम स्तर की गिरावट देखी है।



निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि लॉकडाउन की अवस्था की तदनुसारी इन्टरएक्शन टर्म सकारात्मक तथा उल्लेखनीय है, जो इस बात को निर्दिष्ट करते हैं कि लॉकडाउन के कारण मार्जिन में वृद्धि हुई (सारणी 1) निष्कर्ष यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि मार्जिन में वृद्धि मुख्य रूप से कम गतिशीलता वाले केंद्रों (लॉकडाउन उच्च तीव्रता) से उत्पन्न हुई

सारणी 1: सभी केंद्रों में कीमत मार्जिन

	सभी केंद्र	उच्च तीव्रता लॉकडाउन केंद्र	कम तीव्रता लॉकडाउन केंद्र
1	2	3	4
2020=1 × मार्च 25-मई 31=1	0.441*** (0.0914)	0.602*** (0.116)	0.136 (0.142)
2020=1 × जून-नवंबर=1	0.312** (0.144)	0.372* (0.191)	0.228 (0.185)
समायोजित R ² प्रेक्षण	0.779 834133	0.776 573750	0.800 260383

टिप्पणी: केंद्र x पण्य एफई, राज्य x माह एफई, राज्य x वर्ष एफई, पण्य x माह एफई तथा पण्य x वर्ष एफई को उपर्युक्त सभी विनिर्देशों में शामिल किया गया है। मानक त्रुटियों को पण्य-केंद्र स्तर पर एकत्रित किया गया है। मानक त्रुटियाँ कोष्ठकों में दी गई हैं।
*** 1 प्रतिशत स्तर पर पर्याप्त **5 प्रतिशत स्तर पर पर्याप्त * 10 प्रतिशत स्तर पर पर्याप्त
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ आकलन

चार्ट 1 : मार्जिन तथा गतिशीलता (मोबिलिटी) का रुख



टिप्पणी: 1. खाद्यान्न कीमत मार्जिन यानी सभी केंद्रों में खुदरा तथा थोक कीमतों के बीच का अंतर है जिसे 22 खाद्यान्न मदों के लिए सीपीआई भारों द्वारा भारित किया जाता है।
2. मध्य मार्जिन 25 मार्च -31 मई 2020 के दौरान किसी विशिष्ट केंद्र में 22 पण्यों के लिए कीमत मार्जिन का औसत है जब कि मध्य गतिशीलता उसी अवधि के दौरान प्रत्येक केंद्र के लिए गूगल मोबिलिटी सूचकांकों का औसत है। गतिशीलता को खुदरा श्रेणी में कोविड-19 से पूर्व बेस -लाइन (3 जनवरी -6 फरवरी 2020) विपथनों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
स्रोत: डीसीए, गूगल मोबिलिटी सूचकांक तथा भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ आकलन

संदर्भ:

वर्षने, डी., डी. रॉय तथा जे. वी. मीनाक्षी (2020): 'इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऐग्रिकल्चरल मार्केट्स: अससेसिंग डी रोल्स ऑफ कमाडिटी कैरिक्टरेस्टिक्स, डीसीए केसलोड एण्ड मार्केट रिफॉर्मर्स', वॉल्यूम 55, पृष्ठ एस83 -एस103

¹³ हालांकि 135 केंद्रों के लिए दैनिक मूल्य आंकड़े जारी किए जाते हैं, लॉकडाउन और गतिशीलता के मार्जिन पर हुए प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एम्पिरिकल एक्ससाईज के लिए उन 80 केंद्रों का चयन किया जाता है जिनके लिए गूगल मोबिलिटी इन्डाइसिज उपलब्ध हैं।

¹⁴ मॉडेल निम्नानुसार है: $Y_{ijt} = \sum_{t=1}^2 \beta_1 \times Time\ Period_t + \sum_{t=1}^2 \beta_2 \times (Time\ Period_t \times 2020) + \alpha_{ij} + \gamma_{1jm} + \gamma_{2jy} + \delta_{1im} + \delta_{2iy} + \epsilon_{ijt}$; जहां Y_{ijt} टाइम t पर पण्य j के लिए बाजार केंद्र i पर रिकॉर्ड की गई मूल्य मार्जिन है, समयावधि $Time\ Period_t$ एक कल्पित चर है जो लॉकडाउन की स्थिति के लिए वैल्यू 1 (25 मार्च से 31 मई) लेता है; $Time\ Period_2$ एक कल्पित चर है जो लॉकडाउन खुलने की अवधि (जून-नवंबर 2020) के लिए वैल्यू 1 लेता है; 2020 एक कल्पित चर है जो वर्ष 2020 के लिए वैल्यू 1 लेता है; α_{ij} केंद्र-पण्य निश्चित प्रभाव (FE) है; γ_{1jm} पण्य-माह FE को अभिग्रहीत करता है; γ_{2jy} पण्य-वर्ष FE को अभिग्रहीत करता है; δ_{1im} राज्य-माह FE के लिए कंट्रोल करता है; δ_{2iy} राज्य-वर्ष FE के लिए कंट्रोल करता है; तथा ϵ_{ijt} एरर टर्म है। मुख्य मानक गलतियों को बाजार-केंद्र-पण्य स्तर पर एकत्रित किया गया है।

निष्कर्ष

II.2.36 सारांश में मुख्य(हेडलाइन) मुद्रास्फीति जून-नवंबर 2020 के दौरान उच्च सहनीय स्तर को पार करते हुए वर्धित बनी रही। थोक तथा खुदरा कीमत मुद्रास्फीति के बीच की ठोस दरार आपूर्ति पक्ष की निरंतर बाधाओं तथा उच्चतर खुदरा मार्जिन का संकेत देती है जो आपूर्ति प्रबंधन के महत्व को अधोरेखित करते हैं। दलहनों तथा खाद्य तेल जैसे खाद्यान्न मदों से दबाव मांग-आपूर्ति असंतुलनों के मद्देनजर बने रहने की संभावना है जब कि 2020-21 में भरपूर अनाज उत्पादन के कारण अनाज की कीमतें कम होना जारी रह सकता है। कच्चे तेल की कीमतें मांग में बहाली के आशावाद, ओपेक प्लस उत्पादन कटौतियों के जारी रहने के कारण बढ़ गई हैं, और नजदीकी भविष्य में अस्थिर रहने की प्रत्याशा है। गैर-ईंधन पण्य कीमतों से भी लागत-प्रेरित दबाव उभरे हैं तथा जैसे ही आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी और मांग बढ़ेगी वैसे ही वे और दृढ़ हो जाएंगे। जैसे कि महामारियाँ आम तौर पर बाजारों को कम स्पर्धात्मक बनाती हैं वैसे ही मार्च 2021 से कोविड-19 के दूसरे दौर के प्रारंभ होने से सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या में हुई वृद्धि तथा उससे सम्बद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं पर होने वाले प्रभाव तथा कन्टेनमेंट उपाय भी आगे मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं।

II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 वर्ष के दौरान मौद्रिक स्थितियों में नरमी आई, जो विशेष रूप से वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में महामारी से समग्र मांग में तेज दबाव के कारण थी, जब कि रिज़र्व बैंक के परंपरागत और अपरंपरागत परिचालन, दोनों से प्रचुर चलनिधि उत्पन्न हुई। आरक्षित मुद्रा(आरएम) को आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) के पहले दौर के प्रभावों के

लिए समायोजित किए जाने के पश्चात उसमें मजबूत विस्तार हुआ, जिसे रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) में वृद्धि और उसके सक्रिय चलनिधि प्रबंधन ने सहारा दिया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के चलते एहतियाती मुद्रा मांग में पर्याप्त बढ़त से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि का क्षरण देखा गया है। मुद्रा जमाखोरी के साथ मुद्रा के वेग में तीव्र गिरावट आई है, जो महामारी से मंद मांग और अति अनिश्चितता को दर्शाती है। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) को व्यय में वास्तविक कमी के साथ समग्र जमाराशियों में वृद्धि से सहारा मिला। बैंक ऋण वृद्धि में कमजोर मांग और बैंकिंग प्रणाली पर जोखिम विमुखता की पकड़ बनी रहने से गिरावट आई। जबकि नवंबर 2020 से आर्थिक गतिविधियों में बहाली की शुरुआत के साथ साथ ऋण में पुनःप्रवर्तन के प्रारंभिक संकेत देखे गए, इसे चलनिधि की अनुकूल स्थिति और अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉक ने और सहज कर दिया। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप अतरलता भय के कम होने पर समूचे वित्तीय बाजार लिखत और रेटिंग श्रेणियों में ब्याज दर तथा स्प्रेड में नरमी आई और विस्तारवादी मौद्रिक उतार-चढ़ाव के साथ आर्थिक बहाली को बढ़ाने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थिति का समर्थन किया।

II.3.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में आरक्षित मुद्रा (आरएम) के अंतर्निहित गतिशील उतार-चढ़ाव पर और उससे रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र में उसके संकट प्रबंधन स्थिति में जाने पर हुए परिवर्तनों पर विचार किया गया है। उप-खंड 3 में मुद्रा आपूर्ति की गतिविधियों की इसके घटकों और स्रोतों के मद्देनजर जांच की गई है, जो असाधारण समय में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं के उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डालती है। वर्ष के दौरान बैंक ऋणों की मजबूती के विकास को उप-खंड 4 में दर्शाया गया है। इसके बाद समापक निष्कर्ष है।

2. आरक्षित मुद्रा¹⁵



II.3.3 आरक्षित मुद्रा, जो रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का एक शैलीगत उद्धरण है, और इसकी 'मौद्रिकता'¹⁶ पर फोकस करती है, में चलनगत मुद्रा, बैंकों की जमा राशियों एवं रिज़र्व बैंक में धारित अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। आरक्षित मुद्रा में वर्ष 2020-21 में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के 9.8 प्रतिशत के साथ ही 10.6 प्रतिशत (2011-20) की दशकीय औसत की तुलना में अधिक रही [चार्ट II.3.1]। 28 मार्च 2020 से प्रभावी सीआरआर में 100 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती को समायोजित करने के पश्चात - जिससे आरक्षित मुद्रा में सांख्यिकीय रूप से लगभग ₹1,37,000 करोड़ की कमी आई - आरक्षित मुद्रा में वर्ष¹⁷ के दौरान पिछले वर्ष के 9.4 प्रतिशत की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.3.4 इसके घटकों के बीच वर्ष 2020-21 में आरक्षित मुद्रा का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा चलनगत मुद्रा (सीआईसी) का था। हालांकि आरएम में समग्र विस्तार के निर्धारण में मुद्रा का

योगदान अप्रैल 2020 में चरम पर रहा, फिर भी वर्ष के दौरान आरएम विस्तार में चलनगत मुद्रा का हिस्सा 97 प्रतिशत (110 प्रतिशत एक वर्ष पूर्व) रहा जो दशकीय औसत (2011-20) से 109 प्रतिशत कम था।

II.3.5 सामान्यतः चलनगत मुद्रा की मांग में एक पूर्वानुमेय अंतर्मासिक ढंग देखा जाता है - परिवारों द्वारा किए गए लेनदेनों के कारण पहले पखवाड़े में मांग का विस्तार, उसके बाद परिवारों से बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा के विपरीत प्रवाह के कारण दूसरे पखवाड़े में कम मांग (चार्ट II.3.2)।



II.3.6 कोविड-19 महामारी की शुरुआत और स्वास्थ्य संकट को देखते हुए घबराहट के कारण एहतियाती तौर पर नकदी की गुंजाइश रखने के लिए नकदी की मांग में वृद्धि के कारण माह-दर-माह (एमओएम) सीआईसी विचरण में अप्रैल-जून 2020 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में असामान्य बढ़त हुई (चार्ट II.3.3 और चार्ट II.3.4)। तत्पश्चात सितंबर 2020 मध्य से फरवरी 2021 के दौरान महामारी विज्ञान का वक्र (एपिडीमीअलाजिकल कर्व) अधोमुख होने



¹⁵ उप खंड 2 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात क्रमशः संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

¹⁶ 'मौद्रिकता' का आशय है किसी आस्ति में शीघ्रतापूर्वक अति न्यून अथवा शून्य लेनदेन लागत पर चलनिधि में परिवर्तित होने का गुण।


¹⁷ 27 मार्च 2021 से प्रभावी सीआरआर में 3.0 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत की बढ़त का प्रभाव वित्तीय वर्ष 2021-22 से देखी जा सकेगी।




और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम की सकारात्मकता से सीआईसी विचरण का निर्धारण अधिकतर मौसमी कारक से किया गया। इसके उपरांत मार्च 2021 से दूसरी लहर से अचानक कोरोना वायरस संक्रमण के पुष्ट मामलों में हुई बढ़त से आगामी वित्तीय वर्ष में सीआईसी विचरण प्रभावित हो सकता है।

निर्माण गतिविधियों के पुनरारंभ से सीआईसी का विस्तार सुस्पष्ट देखा गया। महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में नकद-गहनता में वृद्धि होने पर वर्ष 2020-21 में सीआईसी की उच्चतर वृद्धि 17.2 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 14.0 प्रतिशत) रही जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा-जीडीपी अनुपात बढ़कर 14.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 12.0 प्रतिशत) हो गया (चार्ट II.3.6)।

II.3.7 वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में रबी खरीद और खरीफ की बुआई से सम्बद्ध मुद्रा की मांग में सामान्य मौसमी वृद्धि को महामारी-जन्य नकदी की अत्यधिक मांग ने अध्यारोपित किया। इसके बाद वाली तिमाहियों में आर्थिक गतिविधि में समग्र गिरावट और नकदी की प्रधानता वाले क्षेत्रों जैसे विनिर्माण एवं कृषि में मौसमी मंदी के बावजूद वायरस के भय ने सीआईसी को उन्नत स्तर पर रखा। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में सीआईसी का विस्तार हुआ जो कि त्योहार, खरीफ की कटाई और एक राज्य में विधानसभा के चुनाव से मुद्रा की मांग को दर्शाता है (चार्ट II.3.5)। उसके बाद वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान रबी फसल की कटाई, विभिन्न त्योहार, चार राज्यों और एक संघ राज्य-क्षेत्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ स्थावर संपदा के क्षेत्र में




चार्ट II.3.6: भारत का मुद्रा- जीडीपी अनुपात



स्रोत: आरबीआई और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.3.7: रिज़र्व बैंक के बैंकरों की जमाराशियाँ



स्रोत: आरबीआई


II.3.8 वर्ष 2020-21 में रिज़र्व बैंक में धारित बैंकरों की जमाराशियों में 0.8 प्रतिशत की मामूली बढ़त आई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 4.2 प्रतिशत की कमी हुई थी। यह मुख्यतः 28 मार्च 2020 से प्रभावी सीआरआर में 100 आधार अंक में कटौती कर 3.0 प्रतिशत¹⁸ किए जाने से है (चार्ट II.3.7)।

II.3.9 वर्ष के दौरान सीआईसी में विस्तार के कारण चलनिधि में कमी का निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) के

संचयन के विस्तार वादी प्रभाव द्वारा समंजन किया गया (चार्ट II.3.8 ए)। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकृत व्यापारियों से पिछले वर्ष ₹ 2,96,943 करोड़ की तुलना में ₹5,16,389 करोड़ की निवल खरीद की गई थी। मौद्रिक नीति के उदार रुख के अनुरूप, चलनिधि प्रबंधन परिचालन ने रिज़र्व बैंक के निवल देशी आस्तियों (एनडीए) में वृद्धि की (चार्ट II.3.8बी)।


चार्ट II.3.8: रिज़र्व बैंक का एनएफए और एनडीए

ए: आरएम के प्रतिशत के रूप में एनएफए



स्रोत: आरबीआई


बी: एनएफए और एनडीए में घट-बढ़



¹⁸ कृपया पैरा II.3.3 में तीसरे(3) फुट नोट को देखें।


II.3.10 विशेषकर, हालांकि वर्ष 2020-21 के दौरान निवल खुले बाजार से खरीद (जिसमें राज्य विकास ऋण में ओएमओ सहित विशेष ओएमओ की नीलामी जिसमें प्रतिफल वक्र में चलनिधि वितरण हेतु प्रतिभूति की एक साथ खरीद बिक्री की जाती है शामिल है) कुल ₹ 3.13 लाख करोड़ थी, वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में ₹1,12,071 करोड़ का संकुचन आया जिसका मुख्यतः प्रतिसंतुलन अत्यधिक सरकारी अधिशेष के संचयन से हो गया। दूसरी ओर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्यतः पीडी) को निवल ऋण में संकुचन ने प्राथमिक तौर पर निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अवशोषण को परिलक्षित किया, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा परिचालनों को अवरुद्ध करना तथा प्रणाली¹⁹ में चलनिधि के अतिरेक का प्रबंधन करना था (चार्ट II.3.9)।

II.3.11 वर्ष 2020-21 के दौरान निवल एलएएफ की स्थिति प्रतिवर्ती रिपो अवस्था में थी, जिसकी दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) (फरवरी- मार्च 2020 के दौरान प्राप्त) के साथ ही लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) की क्रमशः ₹1,23,572 करोड़ और ₹ 37,348 करोड़ की चुकौती ने अनुपूर्ति की (चार्ट II .3.10 ए और II.3.10 बी)।





3. मुद्रा आपूर्ति²⁰

II.3.12 वर्ष 2016-17 तक लंबी गिरावट के उपरांत स्थिर, एम 3 जिसमें जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडब्ल्यूपी), समग्र जमाराशियां (एडी) और रिजर्व बैंक में धारित अन्य जमाराशियां शामिल हैं- में वर्ष के दौरान 11.8 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष



¹⁹ चलनिधि प्रबंधन परिचालन का विवरण अध्याय III और V में समाविष्ट किया गया है।

²⁰ उप खंड 3 और 4 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात क्रमशः संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित हैं।




पूर्व 8.7 प्रतिशत) दर्ज की गई जो एडी, विशेषतः मियादी जमाओं से संचालित थी (चार्ट II.3.11)।


II.3.13 घटकों की दृष्टि से, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है एम 3 का विस्तार समग्र जमाराशियों (एडी) से संचालित रहा, जो इसका सबसे बड़ा घटक (85 प्रतिशत भाग) था। वस्तुतः वर्ष 2020-21 के दौरान एम 3 में हुई वृद्धि में समग्र जमाराशियों (एडी) का 79 प्रतिशत योगदान रहा। इसके साथ ही ब्याज दरों में विचारणीय गिरावट के बावजूद मियादी जमाओं में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि, जमाकर्ताओं में जोखिम लेने की इच्छा के नहीं होने और अन्य लाभप्रद निवेश के अवसरों में अभाव को प्रतिबिंबित करती है (चार्ट II.3.12)। हमेशा की तरह मांग जमाओं में अस्थिरता बनी रही (विशेषतः 10 अप्रैल 2020 को समाप्त पखवाड़ा के दौरान जब इतिहास से उसी समय कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए किए गए 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई) जो कि पिछले वर्ष के 14.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में 17.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह व्यापक रूप से जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में परिवर्तनों को परिलक्षित करती है (चार्ट II.3.13)।

II.3.14 वर्ष 2020-21 के दौरान स्रोत पक्ष से बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों, सरकार को दिए गए निवल बैंक

ऋण और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण ने एम 3 के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई (चार्ट II.3.14)। सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण की वृद्धि के साथ वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों ने सुरक्षित आश्रय की तलाश में एसएलआर पोर्टफोलियो का संवर्धन किया। परिणामतः सरकारी प्रतिभूति में निवेश एक वर्ष पूर्व के 10.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में 18.7 प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी ओर, वाणिज्यिक क्षेत्र को



चार्ट II.3.14: मुद्रा आपूर्ति (एम3) में विस्तार: घटक और स्रोत



दिए गए बैंक ऋण-स्रोत पक्ष से एम 3 के सबसे बड़े घटक - जो एक वर्ष पूर्व से कम दर से बढ़े, निष्क्रिय चलनिधि अधिशेष को दर्शाते हैं (सारणी II.3.1)। बैंकिंग क्षेत्र के एनएफए की वृद्धि आरक्षित मुद्रा में एनएफए को प्रतिबिंबित करती है।

मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.3.15 वर्ष 2020-21 में मुद्रा गुणक 5.4 रहा जो उसके 5.5 के दशकीय औसत(2011-20) से कुछ कम है। हालांकि, रिजर्व रिपो के लिए समायोजित किए जाने पर - जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से अधिक सार्थक और केंद्रीय बैंक में धारित बैंकों की जमाओं के समान है- वर्ष 2020 -21 में मुद्रा गुणक और घटक 4.7 रह गया, यह मंद ऋण मांग स्थितियों के अंतर्गत मुद्रा निर्माण में गिरावट दिखाता है। परिणामतः आरएम (सीआरआर परिवर्तन के प्रथम दौर के प्रभाव हेतु समायोजित) में पर्याप्त विस्तार से एम 3 में अनुरूप बढ़ोतरी परिलक्षित नहीं हुई (चार्ट II.3.15 और II.3.16)।



II.3.16 वर्ष 2020-21 में मुद्रा-जमा अनुपात 17.3 प्रतिशत रहा जो 15.1 प्रतिशत के अपने दशकीय औसत (2011-20) से कुछ अधिक था। महामारी से संबंधित अनिश्चितता के कारण जनता की अधिमानता में परिवर्तन होते हुए उन्होंने नकदी जो कि अत्यधिक तरल आस्ति है, के संचय को प्राथमिकता दी। आरक्षित निधि - जमा अनुपात 3.7 प्रतिशत था (एक वर्ष पूर्व

सारणी II.3.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	26 मार्च 2021 के अनुसार बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर- वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
		2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	34,90,233	15.1	9.8	14.2
II. मुद्रा आपूर्ति (एम3)	187,73,142	10.6	8.7	11.8
III. एम3 के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	27,57,847	16.7	14.0	17.8
III.2. समग्र जमा राशियां	159,67,947	9.6	8.0	10.8
IV. एम3 के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	56,92,569	11.1	14.2	12.5
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	116,10,050	12.7	6.3	5.2
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	45,11,386	5.1	22.4	20.1
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम3	186,24,899	10.6	8.7	12.1
VI. मुद्रा गुणक	5.4			

नोट: डेटा अनतिम है।

स्रोत: आरबीआई







4.0 प्रतिशत) जो वर्ष 2019-20 के दौरान सीआरआर में कटौती के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट II.3.17)।

4. ऋण

II.3.17 वर्तमान नीति निर्धारण के अनुसार सीआरआर और एसएलआर क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होने के

कारण बैंकिंग प्रणाली में लगभग 79 प्रतिशत जमाराशियां ऋण देने के लिए उपलब्ध थीं। हालांकि वर्ष 2020-21 में एससीबी का ऋण-जमा अनुपात एक वर्ष के पहले 76.4 प्रतिशत से संयमित होकर 72.4 पर आ गया, जो कि अर्थव्यवस्था में जमा संग्रहण के सुदृढ़ होने के बावजूद ऋण मांग की शिथिल स्थिति को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट II.3.18 और चार्ट II.3.19)।






II.3.18 एससीबी ऋण में वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि जिसमें वर्ष 2019-20 से गिरावट आरंभ हो गई थी, आगे भी कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में प्रभावित होनी जारी रही और यह अक्टूबर 2020 में 5.1 प्रतिशत (मई 2017 से सबसे कम) थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि बदतरी समाप्त होती दिख रही है क्योंकि आर्थिक गतिविधि के पुनः शुरू होने से गायब गति धीरे धीरे पुनः लौट रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान धारा 42 की विवरणी के अनुसार एससीबी में वित्तीय वर्ष परिवर्तन से ऋण नवंबर 2020 में पहली बार सकारात्मक रहा और इसकी वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पूर्व 6.1 प्रतिशत की तुलना में 5.6 प्रतिशत रही। नवंबर 2020 से ऋण उठाव में सकारात्मक गति रही जो आर्थिक गतिविधि में बहाली दर्शाती है जिसे फरवरी 2019 से नीतिगत रिपो दर में 250 आधार अंक और मार्च 2020 से 115 आधार अंक की संचयी कटौती के साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि बढ़ोतरी के कई उपायों और

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा घोषित कई क्षेत्र विशेष उपायों से सहारा मिला (चार्ट II.3.20)। सितंबर 2020 के अंत में ऋण - जीडीपी अंतराल कम हो गया (चार्ट II.3.21); हालांकि अभी भी अंतराल अधिक है, जो अर्थव्यवस्था में ऋण मांग में सतत कमी को दर्शाता है।

II.3.19 वर्ष 2020-21 में कृषि को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में एससीबी की ऋण वृद्धि में गिरावट बड़ी व्यापक थी। मार्च 2021 के लिए बैंक ऋण²¹ के क्षेत्रगत विनियोजन के आंकड़ों के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ऋण वृद्धि मार्च 2021 में 12.3 प्रतिशत तक हो गई (एक वर्ष पूर्व 4.2 प्रतिशत) जो अप्रैल 2017 से अधिकतम थी। उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि 0.4 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 0.7 प्रतिशत) तक कुछ धीमी हो गई। यह मुख्यतः बड़े उद्योगों के लिए ऋण जिसमें मार्च 2021 तक 0.8 प्रतिशत के संकुचन के कारण था (एक वर्ष पूर्व 0.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में)। यह मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा वित्तीय संसाधनों को गैर बैंक स्रोत से प्राप्त किए जाने के कारण था

²¹ बैंक ऋण के क्षेत्रगत विनियोजन के आंकड़े चुनिंदा एससीबी (33 बैंकों) जिनके खाद्येतर ऋण सभी एससीबी द्वारा विनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का 90 प्रतिशत हैं से मासिक आधार पर एकत्रित किए गए हैं।



यद्यपि मझौले उद्योगों के सुदृढ़ ऋण निष्पादन से उम्मीद की किरण दिखी जिसमें मार्च 2021 में (एक वर्ष पूर्व 0.7 प्रतिशत


के संकुचन की तुलना में) 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए किए गए विभिन्न उपायों के सकारात्मक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। हाल की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्योगों में ऋण संवृद्धि में कुछ वृद्धि देखी गई (सारणी II.3.2)।

II.3.20 जहां तक उद्योगों के उप- क्षेत्रों में ऋण का सरोकार है, खाद्य प्रसंस्करण; वस्त्र ; चमड़े और चमड़े के उत्पादों; लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों; कागज और कागज के उत्पादों ; कांच और कांच का सामान; तथा रत्न और आभूषण के ऋणों में वर्ष 2020-21 में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि खनन और उत्खनन, रबर, प्लास्टिक और इनके उत्पादों के साथ ही वाहन, वाहन के पुर्जों और परिवहन उपकरणों में ऋण वृद्धि कम हो गई। उद्योग जैसे पेय पदार्थ और तंबाकू ; पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और परमाणु ईंधन ; रसायन और रसायन उत्पादों; सीमेंट और सीमेंट उत्पादों ;

सारणी II.3.2: चुनिंदा क्षेत्रों को ऋण अभिनियोजन

क्षेत्र	26 मार्च 2021 के अनुसार बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2018-19*	2019-20#	2020-21##
1	2	3	4	5
खाद्येतर ऋण (1 से 4)	96,62,022	12.3	6.7	4.9
1. कृषि और अनुषंगी गतिविधियां	12,99,914	7.9	4.2	12.3
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	29,18,028	6.9	0.7	0.4
2.1. सूक्ष्म और लघु	3,83,854	0.7	1.7	0.5
2.2. मध्यम	1,36,054	2.6	-0.7	28.8
2.3. बड़े	23,98,121	8.2	0.6	-0.8
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें से:	10,91,624	18.5	-0.2	3.6
(ए) ऊर्जा	5,66,455	9.5	-1.6	1.2
(बी) दूरसंचार	1,13,080	36.7	24.4	-21.3
(सी) सड़क	2,36,947	5.2	0.7	34.4
(ii) रसायन और रासायनिक उत्पाद	1,86,911	17.5	6.0	-7.9
(iii) मूल धातु और धातु उत्पाद	3,28,663	-10.7	-5.7	-6.2
(iv) खाद्य प्रसंस्करण	1,65,669	1.1	-1.9	7.5
3. सेवाएं	26,30,566	17.8	7.4	1.4
4. वैयक्तिक ऋण	28,13,513	16.4	15.0	10.2
* मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019	# मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020	## मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021		
नोट: आंकड़े अंतिम हैं।				
स्रोत: आरबीआई				

चार्ट II.3.22: खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि का क्षेत्रवार अभिनियोजन



मूल धातु और धात्विक उत्पादों; सभी इंजीनियरिंग और विनिर्माण के ऋण उठाव में कमी देखा गया।

II.3.21 वर्ष 2019-20 में कुछ गिरावट के उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण वृद्धि, जो उद्योग ऋण का 37 प्रतिशत है इसने वर्ष 2020-21 के दौरान कुछ सुधार दिखाया। यह मुख्यतः सड़क निर्माण में ऋण वृद्धि के सार्थक बढ़त के कारण है जो सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने को प्रतिबिंबित करता है। तथापि दूरसंचार क्षेत्र के ऋण में उल्लेखनीय गिरावट जबकि पावर क्षेत्र को ऋण में कुछ बहाली दिखी। वर्ष 2020 -21 के दौरान सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि में पिछले वर्ष 7.4 प्रतिशत से 1.4 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष की वृद्धि के पश्चात एनबीएफसी को ऋण वृद्धि में तेजी से गिरावट और व्यावसायिक सेवाओं को ऋण में गिरावट के कारण थी। हालांकि थोक व्यापार में ऋण के गिरावट पर रुकावट आई और तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि मंद लेकिन दो अंकों में रही।

II.3.22 बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन संबंधी डेटाबेस²² के अनुसार 26 मार्च 2021 को गैर-खाद्य ऋण (एनएफसी) वृद्धि

पिछले वर्ष के 6.7 प्रतिशत से गिरकर 4.9 प्रतिशत पर आ गई। बैंक समूहों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च 2021 (एक वर्ष पूर्व 3.4 प्रतिशत) में 3.1 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में ऋण विस्तार 9.6 प्रतिशत बढ़ा (एक वर्ष पूर्व 13.9 प्रतिशत) जो प्रमुख रूप से वैयक्तिक ऋण क्षेत्र में गिरावट के कारण थी (चार्ट II.3.22.ए और चार्ट II.3.22.बी)।

5. निष्कर्ष

II.3.23 सारांशतः कोविड-19 महामारी के आरंभ से मुद्रा मांग में बढ़ोतरी के बावजूद रिजर्व बैंक द्वारा परंपरागत और अपरंपरागत उपायों से सक्रिय चलनिधि प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों से मौद्रिक स्थिति सहज हुई। वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान आर्थिक गतिविधि में क्रमशः सुधार आने से ऋण वृद्धि में बढ़त हुई आगे चलकर समायोजनकारी चलनिधि स्थितियां और ब्याज दर, सरकार द्वारा घोषित कई वृद्धि बढोत्तरी उपाय और व्यापक टीकाकरण के प्रारंभ होने से बहाली को संबल मिलेगा जिससे ऋण मांग और आपूर्ति पर अनुकूल असर पड़ने की उम्मीद है।

²² कृपया पैरा II.3.19 में फुट नोट को देखें।

II.4 वित्तीय बाजार

II.4.1 वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में महामारी के सदमे से उबरने के बाद, वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि का समर्थन और सरकारों द्वारा अभूतपूर्व राजकोषीय समर्थन देने से, वैश्विक वित्तीय बाजारों ने आगामी अवधि में तेजी से सामान्य स्थिति प्राप्त कर ली है। वित्तीय स्थितियों में ढील देने और जोखिम लेने की प्रवृत्ति की वापसी ने कई देशों में जोखिम वाले और रेटिंग श्रेणियों में इक्विटी बाजारों के साथ अत्यधिक मात्रा में और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों की मांग को बढ़ाया। चीन और भारत की तरह उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को पोर्टफोलियो प्रवाह का लाभ मिला। अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से अन्य मुद्राओं में मूल्यवृद्धि के साथ-साथ जोखिम रुख में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि अंतर्वेशन और नीतिगत दर में कटौती के कारण बॉन्ड बाजारों के प्रतिफल में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल निम्नतम पर पहुँच गया है। यूएस 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति(जी-सेक) पर प्रतिफल अगस्त की अपने शुरुआती (31 मार्च, 2021 तक) कमी के बाद से 123 आधार अंकों (बीपीएस) से बढ़ी। भारतीय जेनेरिक 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल ने इसी अवधि में 39 आधार अंकों तक बढ़त हासिल की।

II.4.2 भारत में कोविड के कारण लागू प्रतिबंधों में क्रमिक ढील व बड़े पैमाने पर राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों और वैश्विक बाजारों के साथ मिलकर इक्विटी बाजार ने बहुत तीव्र गति से वी-आकार में सुधार किया। रिजर्व बैंक ने 06 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान ₹13.6 लाख करोड़ (वर्ष 2020-21 के नॉमिनल जीडीपी का 6.9 प्रतिशत) एकत्र करने के लिए चलनिधि उपायों की घोषणा की, जिससे प्रभाव को सीमित करते हुए बाजार दर को नीचे की तरफ लाया जा सका। नीतिगत समर्थन के आधार पर, संसेक्स ने महामारी से पहले वर्ष 2020-21 के दौरान अपने निचले स्तर से बढ़कर 91 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो दुनिया भर में सबसे अधिक था। हालांकि, कोविड-19 मामलों में तेजी और भारत-चीन सीमा तनाव के कारण यह वृद्धि बाधित होती रही। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

(एफपीआई) में रिकॉर्ड अंतर्वाह, कॉर्पोरेट में उम्मीद से अच्छी आय, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और देश और विदेश में टीकों के रोल-आउट के कारण वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान घरेलू इक्विटी बढ़कर अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुँच गई। दिन के दौरान 22 अप्रैल 2020 को महामारी के कारण अभूतपूर्व एफपीआई बहिर्वाह से भारतीय रुपया मूल्यहासित होकर अपने ₹76.91 के ऐतिहासिक न्यूनतम पर पहुँच गया। बाद में मजबूत एफपीआई प्रवाह के नेतृत्व में अन्य उभरते बाजार मुद्राओं के साथ-साथ भारतीय रुपए में भी मूल्यवृद्धि हुई। भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि के प्रमुख घटक रहे- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, टीके की खोज और टीकाकरण और कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों में ढील के बीच ईएमई आस्तियों के लिए जोखिम लेने की प्रवृत्ति। इसके अलावा, भारत उभरते बाजारों (चीन को छोड़कर) का एकमात्र प्रमुख देश था जिसने कैलेंडर वर्ष 2020²³ में इक्विटी एफपीआई अंतर्वाह प्राप्त किया।

II.4.3 मुद्रा बाजार के घटनाक्रम की विस्तृत चर्चा उप-भाग 2 में की गई है। सरकारी प्रतिभूति(जी-सेक) प्रतिफलों की चर्चा उप-भाग 3 में की गई है। उप-भाग 4 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की गतिविधियों को समाहित करता है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में प्रतिफलों में काफी कमी आई। उप-भाग 5 घरेलू इक्विटी बाजार की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है, जिसके बाद उप-भाग 6 में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रुपये के उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। साथ ही अंततः यह उप-भाग कतिपय भावी परिदृश्य को शामिल करते हुए समाप्त होता है।

2. मुद्रा बाजार

II.4.4 मार्च 2020 के दौरान वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के बाद जब वित्तीय प्रसार हुआ और मुद्रा बाजार की दरों में तेजी आई, तब वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा संचालित कई उपायों के तहत सक्रिय चलनिधि प्रबंधन के माध्यम से मुद्रा बाजार को स्थिर बनाये रखा गया।

II.4.5 महामारी के दौरान किसी भी तरह की चलनिधि की कमी को दूर करने और महामारी के दौरान नकदी रखने की प्रवृत्ति के कारण, प्रचलन में विद्यमान मुद्राओं में असामान्य

²³ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (आईआईएफ)

विस्तार के लिए, रिजर्व बैंक ने अध्याय III और V में निर्धारित विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और अपारंपरिक लिखतों के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन का परिचालन किया।

II.4.6 इसके अलावा, मई 2020 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा घोषित किए गए *आत्मनिर्भर भारत* कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई, 2020 को वित्तीय क्षेत्र को किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी / एचएफसी) की चलनिधि की स्थिति में सुधार करने के लिए रिपो दर पर एक विशेष चलनिधि योजना को अधिसूचित किया। रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना के तहत निवेश की गई कुल मूल राशि ₹7,126 करोड़ थी।


II.4.7 असुरक्षित मांग मुद्रा बाजार में भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - रिवर्स रिपो दर से नीचे फिसलने से पहले अक्टूबर 2020 के मध्य तक पूर्वाग्रह के साथ नीचे की ओर नीति कॉरिडोर के अंदर ही बनी रही जो अधिशेष चलनिधि को दर्शाती है (चार्ट II.4.1)। रिपो दर से ऊपर डबल्यूएसीआर का औसत प्रसार वर्ष 2019-20 के (-) 9 बीपीएस से बढ़कर वर्ष 2020-21 में (-) 63 बीपीएस हो गया क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि

बनी रही। वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में, दैनिक संपार्श्विक और असंपार्श्विक दर, और 91 दिवसीय खजाना बिलों (टी-बिल) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दर, रिवर्स रिपो दर से नीचे चले गए।


II.4.8 वर्ष 2020-21 के दौरान, मांग मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव जिसे डबल्यूएसीआर के परिवर्तन के गुणांक²⁴ द्वारा मापा गया है, पिछले वर्ष 2019-20 के 7.55 की तुलना में बढ़कर 8.34 हो गई, जो चलनिधि की स्थितियों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। त्रिपक्षीय रिपो और साथ ही बाजार रिपो दरें डबल्यूएसीआर से क्रमशः औसतन 37 बीपीएस और 38 बीपीएस से नीचे बनी रही।

II.4.9 मुद्रा बाजार (मांग मुद्रा, त्रिपक्षीय रिपो तथा बाजार रिपो साथ लिए गए, शनिवार को छोड़कर) में औसत दैनिक मात्रा 39 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 (अप्रैल-मार्च) के ₹2,42,658 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹3,36,371 करोड़ हो गई। त्रिपक्षीय रिपो और बाजार रिपो सेगमेंट की मात्रा में क्रमशः 69 और 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। समग्र मुद्रा बाजार की मात्रा (मांग/त्रिपक्षीय रिपो तथा बाजार रिपो) में त्रिपक्षीय रिपो और बाजार रिपो क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमशः 68 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत थी (चार्ट II.4.2)। वर्ष के दौरान, मांग मुद्रा क्षेत्र

चार्ट II.4.1: मुद्रा बाजार दरें और पॉलिसी कॉरिडोर



चार्ट II.4.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा



²⁴ भिन्नता का गुणांक मध्य के मानक विचलन के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

में औसत दैनिक मात्रा 34 प्रतिशत तक घटकर ₹10,993 करोड़ (₹16,558 करोड़ में से) हो गई जिसके कारण बाजार में इसकी हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गयी।

II.4.10 वर्ष 2020-21 के दौरान अन्य मुद्रा बाजार लिखतों, अर्थात्, 91-दिवसीय टी-बिल, जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) और सीपी, पर ब्याज दरें सामान्यतः अधिशेष चलनिधि के कारण नरम रही। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दरों में कटौती और चलनिधि के लिए सक्रिय रूप से किए गए उपायों के कारण, टी-बिल दरों पर सीडी दरों का स्प्रेड काफी हद तक कम होकर वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान 44 बीपीएस और वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान 7 बीपीएस हो गया जो वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान मामूली रूप से बढ़कर 8 बीपीएस पर आ गया। टी-बिल दरों के मुकाबले सीडी दरों का स्प्रेड अधिक रहा, हालांकि यह वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 6 बीपीएस तक सीमित रहा (चार्ट II.4.3)।


II.4.11 वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 35 बीपीएस तक बढ़ने से पहले, 3-महीनों वाली सीपी (एनबीएफसी) दर की औसत दैनिक प्रसार, 91-दिवसीय टी-बिल दरों के मुकाबले कम हुई जो वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान 31 बीपीएस और वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान 22 बीपीएस तक पहुँच गई थी। प्राथमिक सीपी बाजार में भारित औसत बड़ा

दर वर्ष 2020 के सितंबर माह के मध्य तक मजबूत होकर 4.6 प्रतिशत तक हो गई, लेकिन यह वर्ष 2020 के दिसंबर अंत तक 100 बीपीएस होकर 3.7 प्रतिशत तक नरम हुई, जो इससे पहले वर्ष 2021 के मार्च अंत तक 4.7 प्रतिशत हो गयी थी (चार्ट II.4.3)। इसी तरह, एनबीएफसी और गैर-एनबीएफसी दोनों के 3-महीने वाली सीपी दरों में भी मजबूती आई। वर्ष 2021 के मार्च अंत में 3-महीने वाली सीपी (एनबीएफसी) की दर बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई जो वर्ष 2020 दिसंबर के अंत में 3.4 प्रतिशत थी। इसके अलावा, वर्ष 2021 के मार्च अंत में 3-महीने वाली सीपी (गैर-एनबीएफसी) की दर बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई जो वर्ष 2020 दिसंबर के अंत में 3.3 प्रतिशत थी।

II.4.12 प्राथमिक बाजार में नये सीडी का निर्गमन पिछले वर्ष (अप्रैल-मार्च) के ₹3.9 लाख करोड़ की तुलना में घटकर वर्ष 2020-21 के दौरान ₹1.3 लाख करोड़ हो गया। प्राथमिक बाजार में सीपी के नये निर्गमन वर्ष 2019-20 (अप्रैल-मार्च) के ₹22.0 लाख करोड़ की तुलना में घटकर वर्ष 2020-21 के दौरान ₹17.4 लाख करोड़ हो गया।

3. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

II.4.13 पीएफआई द्वारा बनाए गए बिक्री दवाब, सरकारी ऋण में बढ़ोतरी की प्रत्याशा, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में बढ़ोतरी और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रतिकूल गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले मोचन संबंधी दबाव तथा चलनिधि में उत्पन्न तेज दवाब के कारण अप्रैल 2020 में जी-सेक प्रतिफलों में बढ़ोतरी हुई। तथापि, बाद में म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) हेतु विशेष चलनिधि सुविधा की रिजर्व बैंक की घोषणा, ओएमओ का संचलन, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण प्रतिफल में नरमी आई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल ₹12 लाख करोड़ (जबकि इसके लिए ₹7.8 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था) के ऊर्ध्वगामी संशोधित सकल बाजार उधार के कारण वर्ष 2020 के मई महीने में बॉन्ड प्रतिफल में दुबारा से मजबूती देखी गई, लेकिन बाद में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रिपो दर में 40 बीपीएस की कटौती करने से इसमें गिरावट आई। पीएफआई से बिक्री दबाव का बढ़ना, भारत-चीन सीमा तनाव का बढ़ना और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को नकारात्मक करते हुए बीएए2 से बीएए3 करने के कारण बाजार की धारणा प्रभावित होने से वर्ष 2020 के जून



माह में जी-सेक प्रतिफल में मजबूती आई। अमेरिकी खजाना प्रतिफलों और कच्चे तेल की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव ने प्रतिफल संचलनों को प्रभावित किया। कुल मिलाकर, वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान 30 जून, 2020 को 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल 25 बीपीएस नरम होकर 5.89 प्रतिशत पर बंद हुआ।


11.4.14 जून 2020 और जुलाई 2020 के लिए अपेक्षित सीपीआई डेटा प्रिंट से अधिक दर्ज करना, एमपीसी की अगस्त 2020 की बैठक में नीति दर को यथास्थिति बनाए रखना और बाद के एमपीसी के कार्यवृत्तों में भी ऊंची मुद्रास्फीति की चिंताओं को दर्शाये जाने के कारण वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान, 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफलों में 13 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद, रिजर्व बैंक द्वारा 31 अगस्त 2020 को बाजार की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई जिससे बॉन्ड प्रतिफल में तेज गिरावट आई। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा ओएमओ की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट आई। अगस्त 2020 के लिए उम्मीद से कम सीपीआई के आंकड़े जारी किए जाने और इस आशय के रिपोर्ट कि भारत सरकार द्वारा 2020-21 की दूसरी छमाही में अतिरिक्त बाजार उधार की घोषणा करने की संभावना नहीं है, ने बॉन्ड प्रतिफल को समर्थन दिया।

11.4.15 वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में, वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के लिए उधार लेने हेतु बनाए गए कैलेंडर में कोई परिवर्तन न होने, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए ओएमओ के परिचालन संबंधी घोषणा, ओएमओ खरीद में वृद्धि और 31 मार्च 2022 तक और एक वर्ष के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) लाभ को विस्तारित करने के परिणामस्वरूप जी-सेक प्रतिफल नरम रहे और अक्टूबर 2020 में 13 आधार अंक की गिरावट हुई। वर्ष 2020 नवंबर के दौरान, जी-सेक प्रतिफल एक संकीर्ण सीमा में संचालन करते हुए मामूली रूप में 3 आधार अंकों से मजबूत हुआ। दिसंबर में, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप प्रतिफल पर दबाव बढ़ा जिसके कारण प्रतिफल में मामूली गिरावट आई और रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर के अंत में प्राथमिक नीलामी में बेंचमार्क पेपर के

लिए किसी भी बोली को स्वीकार करने का फैसला नहीं लेने के कारण प्रतितुलन के मुकाबले लाभ बुकिंग ज्यादा हुई ताकि आपूर्ति दबाव को कम किया जा सके। कुल मिलाकर वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में, 10 वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल में 15 बीपीएस की गिरावट आई।

11.4.16 वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में, जी-सेक प्रतिफल, शुरुआत में म्यूचुअल फंड और विदेशी बैंकों द्वारा समर्थित खरीद के कारण नरम हो गया। इसके बाद सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 80,000 करोड़ की अतिरिक्त उधारी की घोषणा करने के उपरांत यह फिर से बढ़ गया एवं ऊंचाई पर बना रहा और वर्ष 2021-22 के लिए लगभग ₹12 लाख करोड़ की ऊर्ध्वगामी उधारी का संकेत मिला। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में पुनः वृद्धि ने भी बॉन्ड प्रतिफल को ऊपर की ओर बढ़ने में योगदान दिया। चौथी तिमाही में, 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल 30 बीपीएस मजबूत होकर 31 मार्च, 2021 को 6.17 प्रतिशत पर बंद हुआ (चार्ट 11.4.4)।

11.4.17 1 अप्रैल, 2020 से पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर)²⁵ की शुरुआत के साथ ही एफपीआई के पास जी-सेक में निवेश करने के लिए तीन मार्ग हो गए हैं, जैसे- मध्यम



²⁵ एफएआर के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियां पूरी तरह से घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होने के अलावा अनिवासी निवेशकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के खोली गईं।

अवधि ढांचे (एमटीएफ) के तहत निर्धारित निवेश सीमा के साथ सामान्य मार्ग, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और एफएआर। वर्ष 2020-21 के लिए एमटीएफ के तहत जी-सेक में एफपीआई निवेश की सीमा ₹3,38,062 करोड़ थी। अप्रैल 2020-मार्च 2021 के दौरान, एफपीआई ने सामान्य मार्ग के तहत ₹31,104 करोड़ में जी-सेक की बिक्री की। हालांकि, एफपीआई ने उसी अवधि के दौरान एफएआर मार्ग से ₹17,211 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से ₹15,199 करोड़ को छोड़कर जिसे शुरुआत में ही जनरल विंडो से एफएआर योजना में अंतरित किया गया था। संयोग से, एफएआर योजना के तहत शामिल प्रतिभूतियों की संख्या पाँच से बढ़कर (₹4,34,224 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2020 तक) बारह हो गई (जो 31 मार्च 2021 तक ₹11,79,423 करोड़ के स्टॉक के साथ बकाया था)। एफपीआई ने भी वीआरआर के माध्यम से अप्रैल 2020-मार्च 2021 के दौरान जी-सेक में ₹789 करोड़ का निवेश किया, जिसमें जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ₹1,50,000 करोड़ की संयुक्त निवेश सीमा है। राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में भी इसी अवधि के दौरान एफपीआई द्वारा ₹99 करोड़ की खरीद की गई।

4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार


11.4.18 कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल मुख्यतः जी-सेक प्रतिफल के सामान्य रहे। वर्ष 2020 के मार्च-अप्रैल के दौरान कोविड-19 के फैलने से कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की वित्तीय स्थिति तनाव में रही एवं एए-रेटेड 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड पर औसत प्रतिफल वर्ष 2004 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाने से वर्ष 2020-21 के शेष भाग में इसमें काफी कमी आई। वर्ष 2020-21 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू); वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों, एनबीएफसी तथा कॉर्पोरेट के एए-रेटेड 5-वर्षीय बॉन्ड क्रमशः 50 बीपीएस, 101 बीपीएस और 114 बीपीएस नरम हुए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल हेतु किए गए मौद्रिक नीति दर में कटौती, अधिशेष चलनिधि की स्थिति और रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए लक्षित उपायों के प्रभाव को दर्शाते हैं। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन के विकास से संबन्धित प्रोत्साहित करने वाली रिपोर्ट और टीकाकरण के लिए प्राप्त

अनुमोदन ने बाजार की धारणा को बेहतर बनाया। वर्ष 2021 के मार्च अंत में, एए-रेटेड 5-वर्षीय बॉन्ड पर प्रतिफल पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 5.92 प्रतिशत, एनबीएफसी के लिए 6.29 प्रतिशत; और कॉर्पोरेट के लिए 6.14 प्रतिशत पर बंद हुआ।

11.4.19 वर्ष 2020-21 के दौरान, एए-रेटेड 5-वर्षीय बॉन्ड्स (5-वर्षीय जी-सेक) पर जोखिम प्रीमियम पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 18 बीपीएस से घटकर (-) 14 बीपीएस तक, एनबीएफसी के लिए 107 बीपीएस से घटकर 23 बीपीएस तक, और कॉर्पोरेट के लिए 104 बीपीएस से घटकर 8 बीपीएस तक आ गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के रेटिंग सेगमेंट में स्प्रेड की संकीर्णता भी दिखाई दे रही थी। रिजर्व बैंक द्वारा कई परंपरागत और अपरंपरागत उपायों जैसे दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) और म्यूचुअल फंड हेतु विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) का विनियोजन, सरकार द्वारा विशेष चलनिधि योजना और एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना जैसे पूरक उपायों के साथ की गई कार्रवाईयों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में चलनिधि प्रीमियम को कम करने में मदद की। वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में औसत दैनिक कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में 25.7 प्रतिशत बढ़कर ₹10,889 करोड़ हो गया जो गौण बाजार में टीएलटीआरओ निधि के एक हिस्से के रूप में निवेश की विनियामक आवश्यकता के आधार पर सहायता प्राप्त था लेकिन बाद में यह संयमित हो गया। कुल मिलाकर, वर्ष 2020-21 के दौरान औसत दैनिक टर्नओवर घटकर ₹7,671 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष ₹8,532 करोड़ था (चार्ट 11.4.5)।

11.4.20 रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि अंतर्वेशन ने प्राथमिक कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो नर्म प्रतिफलों के साथ आसान चलनिधि की स्थिति में मिलकर वर्ष 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड ₹7.8 लाख करोड़ हो गया जो कि 13.4 प्रतिशत का वृद्धि था। कॉर्पोरेट ने कम लागत का लाभ उठाने के लिए बॉन्ड बाजार से उच्च संसाधन जुटाए। कॉर्पोरेट्स के लिए निजी प्लेसमेंट पसंदीदा विकल्प बना रहा जिसके परिणामस्वरूप बॉन्ड बाजार

चार्ट II.4.5 : कारपोरेट बॉन्ड बाजार में एएए -रेटेड 5 वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार



के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधन 98.7 प्रतिशत रहे। बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्ष-दर-वर्ष 11.8 प्रतिशत बढ़कर ₹35.1 लाख करोड़ हो गया यानि, वर्ष 2020 दिसंबर के अंत में जीडीपी का 18.2 प्रतिशत हो गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई द्वारा निवेश को मार्च 2020 के अंत में 1.73 लाख करोड़ से घटाकर वर्ष मार्च 2021 के अंत में 1.33 लाख करोड़ कर दिया गया। फलस्वरूप, एफपीआई द्वारा अनुमोदित सीमा का उपयोग वर्ष


2021 मार्च के अंत में घटकर 24.5 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2020 मार्च के अंत में 54.5 प्रतिशत था।

5. इक्विटी बाजार

II.4.21 वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में कोविड-19 के दुखद प्रकोप के बीच भारतीय इक्विटी बाजार में तेज गिरावट आने के बाद उठाए गए निर्णायक मौद्रिक और राजकोषीय नीति से संबन्धित अनुक्रियाएँ, कोविड के कारण लॉकडाउन में क्रमिक ढील देने और एफपीआई के मजबूत अंतर्वाह के कारण वर्ष 2020-21 में भारतीय इक्विटी बाजार ने मजबूती के साथ 'वी-आकार' में वापसी की। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सरकारों और मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा तेजी से किए गए प्रोत्साहनपरक उपायों, कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास पर उत्साहजनक रिपोर्टों के परिणामस्वरूप वर्ष 2020 के अप्रैल से घरेलू इक्विटी बाजार में सुधार शुरू हुआ। कुल मिलाकर, वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 को बीएसई सेंसेक्स 68.0 प्रतिशत बढ़कर 49,509 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी-50 70.9 प्रतिशत बढ़कर 14,691 पर बंद हुआ। 24 मार्च 2020 को इंडिया-VIX, जो निफ्टी-50 की अल्पकालिक अस्थिरता को दर्ज करता है, में असामान्य रूप से 83.6 प्रतिशत की उच्च बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो वर्ष 2021 मार्च के अंत में 20.6 प्रतिशत तक गिर गई (चार्ट II.4.6)।


चार्ट II.4.6 : इक्विटी बाजार

ए. बीएसई सेंसेक्स एवं निफ्टी 50 में उतार-चढ़ाव



स्रोत: बीएसई और एनएसई

बी. इंडिया वीआईएक्स



11.4.22 भारतीय इक्विटी बाजार ने अप्रैल 2020 के दौरान 11 वर्षों में अपने सबसे बड़ा मासिक लाभ दर्शाते हुए एक तीव्र उछाल के साथ वर्ष की शुरुआत की। सरकार द्वारा प्रोत्साहन उपायों के दूसरे दौर की आशा में और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विविध चलनिधि उपायों की घोषणा से माह के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोविड-19 ड्रग ट्रायल की उत्साहजनक रिपोर्टों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन संबंधी कदमों में ढील से बाज़ार के रुझान को बल मिला। हालांकि, निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और म्यूचुअल फंड द्वारा छह ऋण योजनाओं को बंद करने से इक्विटी में तेजी पर लगाम लगी रही। रिज़र्व बैंक ने त्वरित कदम उठाए और विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं के तहत मोचन की दौड़ को रोकने के लिए म्यूचुअल फंडों के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की। अमेरिका-चीन राजनयिक मुद्दों में वृद्धि और अर्थव्यवस्थाओं ने लॉकडाउन हटाना शुरू करने से कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के डर आदि के कारण मई 2020 में, वैश्विक समकक्षों के साथ डाउनट्रेंड का संकट गहरा गया। “आत्मनिर्भर भारत” प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा और 22 मई को रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर में बड़ी कटौती ने घरेलू इक्विटी को कुछ राहत प्रदान की।

11.4.23 अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन कदमों के बीच मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण जून 2020 में बीएसई सेंसेक्स ने 2009 के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ तिमाही प्रतिफल (18.5 प्रतिशत) दर्ज किया। हालांकि, कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि के बाद, भारत-चीन सीमा तनाव और विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत गंभीर आर्थिक दृष्टिकोण के चलते मंदड़िया रुझानों द्वारा बाजार को जकड़ने से यह उछाल क्षणिक साबित हुआ। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकारियों से अधिक सहायक कदमों और कोरोनावायरस वैक्सीन परीक्षणों पर उत्साहजनक रिपोर्ट के आधार पर जुलाई और अगस्त में बहाली शुरू हुई। घरेलू मोर्चे पर, सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच नरमी, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए अपेक्षा से बेहतर कॉर्पोरेट आय

परिणाम, मजबूत एफपीआई प्रवाह और रिज़र्व बैंक द्वारा विकास सहायक उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा ने उछाल को संचालित किया। हालांकि, भारत-चीन सीमा तनाव में फिर वृद्धि के कारण अगस्त के अंत में रुझान उलट गए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मार्जिन आवश्यकताओं पर नए ट्रेडिंग मानदंडों के कार्यान्वयन से ट्रेडिंग में सतर्कता आ गई।

11.4.24 यूरोप में कोरोना कोविड-19 के मामलों में प्रचंड वृद्धि ने संक्रमण की दूसरी लहर और संबंधित लॉकडाउन उपायों की आशंका पैदा कर दी जिससे सितंबर में बाजार दबाव में बना रहा। वैश्विक इक्विटी में तीव्र बिकवाली को ध्यान में रखते हुए, 24 सितंबर को बीएसई सेंसेक्स 1,115 अंकों की तीव्र गिरावट दर्ज की जो चार महीने से अधिक समय में इसकी सबसे बड़ी इंटर-डे गिरावट थी। हालांकि, 'अनलॉक 5' दिशानिर्देशों के तहत अर्थव्यवस्था के खुलने, सितंबर 2020 के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में सुधार और सितंबर 2020 के लिए मजबूत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण डेटा के बाद घरेलू विनिर्माण गतिविधि में फिर से शुरू होने का संकेत से अक्टूबर में बाजारों में तेजी के रुझान लौट आए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के आय संबंधी आशावादी परिणामों और रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि और नियामक उपायों की घोषणा ने तेजी को सहायता प्रदान की। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अनिश्चितता के कारण महीने के अंत में घरेलू इक्विटी में सतर्क कारोबार देखा गया।

11.4.25 कोविड-19 टीकों के संबंध में सकारात्मक गतिविधियों और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद ट्रेडवार में नरमी की आशाओं के चलते वैश्विक इक्विटी में तीव्र वृद्धि के बाद नवंबर 2020 में भारतीय इक्विटी बाजार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए (बॉक्स 11.4.1)। इसके बाद, सरकार द्वारा 10 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ उत्पादन-सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का अनुमोदन और रिकार्ड उच्च एफपीआई प्रवाह के कारण घरेलू इक्विटी में तेजी बरकरार रही। रिज़र्व बैंक और विभिन्न वैश्विक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान में ऊपर की ओर संशोधन और 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए अपेक्षा से बेहतर जीडीपी डेटा आने

बॉक्स II.4.1

क्या शेयर बाजार में उफान तर्कसंगत है?

मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन के अद्वितीय स्तरों, यूएस चुनाव परिणामों में अनिश्चितता की समाप्ति और टीके के विकास तथा पहुंच के सकारात्मक समाचारों के चलते बाजार रुझानों में परिवर्तन आदि के कारण वर्ष के दौरान सभी देशों में जोखिमपूर्ण संपत्तियों की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं। वास्तविक आर्थिक गतिविधि में सुधार की संभावनाओं की तुलना में विस्तारित परिसंपत्ति की कीमतों के बीच बड़ी अंतर वैश्विक नीतिगत चिंता बनी रही (बीआईएस, 2020; आईएमएफ, 2020)।

21 जनवरी, 2021 को बेंचमार्क इंडेक्स (सेंसेक्स) 50,000 अंक पार करने के साथ, भारत की इक्विटी की कीमतें भी 15 फरवरी 2021 को रिकॉर्ड ऊंचाई 52,154 में पहुंची जो देशव्यापी लॉकडाउन के शुरुआत से ठीक पूर्व (अर्थात् 23 मार्च 2020 से) से मंदी से 100.7 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2020-21 में 68.0 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती हैं। वर्ष 2020-21 में जीडीपी में अनुमानित 8 प्रतिशत संकुचन के संदर्भ में आरिस्ट मूल्य मुद्रास्फीति का यह क्रम उफान का जोखिम पैदा करता है।

इस विषय से संबंधित साहित्य में इक्विटी कीमतों के कई मूलभूत निर्धारकों का उल्लेख किया गया है, जैसे जीडीपी संवृद्धि, मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति (तिर्याकी एट अला, 2019; खान और खान, 2018)। मुद्रा आपूर्ति (एम 3, तरलता के एक प्रॉक्सी के रूप में), आर्थिक दृष्टिकोण (आईसीडी कंपोजिट लीड इंडिकेटर - सीएलआई) और अप्रैल 2005 से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए द्वितीयक इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर स्टॉक की कीमतों (सेंसेक्स) का प्रतिक्रमण करके एक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल का अनुमान लगाया गया। परिणाम बताते हैं कि स्टॉक मूल्य सूचकांक मुख्य रूप से मुद्रा आपूर्ति और एफपीआई निवेश द्वारा संचालित होता है। आर्थिक संभावनाएं भी शेयर बाजार के हलचल में योगदान करती हैं, लेकिन मुद्रा आपूर्ति और एफपीआई की तुलना में प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। इस आकलन से पता चलता है कि आर्थिक

सुधार में सहयोग हेतु चलनिधि डालने से आस्तियों की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में अनपेक्षित परिणाम दे सकता है और कारण प्रदान करना कि चलनिधि समर्थन में अनियंत्रण और अनिश्चितता की उम्मीद है और जब महामारी की लहर शिथिल होने तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था मजबूती के रास्ते में आने पर नपी-तुली ढील देने की आवश्यकता होगी। कॉरपोरेट की उपरोक्त अपेक्षित आय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक की कीमतें केवल मूलभूत सिद्धांतों से नहीं समझायी जा सकती हैं। पहले की तरह वर्तमान मूल्यांकन को बेहतर कॉरपोरेट आय से समर्थन मिला है। संसेक्स वृद्धि के इस हिस्से को तर्कसंगत के रूप में देखा जा सकता है।

$$\text{LOG(SENSEX)} = -6.26 + 0.60 \text{ LOG(M3)} + (-1.34) (4.51) \text{***}$$

$$1.46 \text{ LOG(CLI)} + 0.0005 \text{ FPI} (1.66) \quad (1.81) \text{**}$$

$$\text{ECM} = -0.05 (-4.57) \text{***}$$

बाध्य परीक्षण:

एफ-सांख्यिकी 4.09 [5 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण मूल्य - आई(0): 2.79; आई(1): 3.67]

बाउंड टेस्ट 5 प्रतिशत के स्तर पर नो लेवल रिलेशनशिप की शून्य परिकल्पना को निरस्त करता है।

एलएम टेस्ट पी-वैल्यू = 0.30, एआरसीएच टेस्ट पी-वैल्यू = 0.39



*: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। **: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े t-सांख्यिकी हैं।

स्टॉक बाजार मूल्यनिर्धारण का आकलन करने के लिए एक और तरीका यह है कि इसकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति के साथ मूल्य-से-आय (पी / ई)

चार्ट 1: संसेक्स और पी/ई अनुपात



स्रोत : ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ परिकलन

(जारी)

अनुपात की तुलना की जाए। दीर्घकालिक रुझानों से वास्तविक पी/ई का विचलन दर्शाता है कि अनुपात अधिमूल्यित है (चार्ट 1ए)। लाभांश प्रतिफल के मापक भी यह संकेत देते हैं कि बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं। इक्विटी की कीमतों में परिवर्तन का विश्लेषण संकेत देता है कि 2016 से 2020 की शुरुआत में इक्विटी की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज दरों में कमी और इक्विटी जोखिम प्रीमियम (ईआरपी) द्वारा समर्थित थी, जिसमें भविष्य में प्रतिफल आशाओं का कुछ योगदान था (चार्ट 1बी)। इसके बाद, कोविड-19 चिंताओं से ईआरपी में वृद्धि ने शुरू में इक्विटी कीमतों में तेजी से गिरावट में योगदान दिया ताकि बढ़े हुए जोखिमों की भरपाई की जा सके। हालांकि, बाद में ईआरपी के कम हो जाने से इक्विटी कीमतों में प्रभावी सुधार दर्ज हुआ। वर्तमान में, लाभांश प्रतिफल उनके दीर्घकालिक रुझानों से नीचे गिर गया है। इस प्रकार, आगे चलकर कीमतों में दृढ़ता उतार-चढ़ाव संभव है।

सन्दर्भ:

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2020), 'ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट: ब्रिज टू रिकवरी', अक्टूबर।
2. खान, जे., और खान, आई. (2018), 'द इंपैक्ट ऑफ मैक्रोइकॉनॉमिक वैरिएबल ऑन स्टॉक प्राइस: कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक केस स्टडी', जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 9(13), 15-25।
3. बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2020), वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, बीआईएस।
4. तिर्यक, ए., सेल्यन, आर., और एरडोगन, एल. (2019) 'असिमेट्रिक इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन, मनी सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट चेंज ऑन स्टॉक रिटर्न्स इन तुर्की, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 51(20), 2143-2154।

पर दिसंबर 2020 के दौरान बाजार के रुझान उत्साहजनक रहे। अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज और ब्रेक्सिट व्यापार सौदे के पारित होने के बाद तेजी से वैश्विक आर्थिक सुधार की उम्मीद और अक्टूबर 2020 के लिए उत्साहजनक आईआईपी डेटा आने पर माह के दौरान बेंचमार्क सूचकांकों ने रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया। हालांकि, कई देशों में कोरोनावायरस के एक नए स्ट्रेन की रिपोर्ट और उससे नए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका से बाजारों में गिरावट आई।

11.4.26 कोरोना विषाणु के टीकों की शुरुआत किए जाने और पूरी धरती में कोविड-19 के मामले निरंतर बढ़ने के बावजूद वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही से संबंधित कॉर्पोरेट परिणामों के आशावादी रहने के असर का निवेशकों द्वारा आकलन किए जाने के कारण जनवरी 2021 में घरेलू बाजारों में व्यापक रूप से अनिश्चितता बनी रही। 21 जनवरी 2021 को अंतर्द्वितीय कारोबार के तहत बेंचमार्क इतिहास में पहली बार 50 हजार को छू गया, हालांकि सीमा पर भारत और चीन के पुनः आमने-सामने होने की रिपोर्टों, अमेरिकी इक्विटी के मूल्यन की संभावनाओं के वैश्विक स्तर पर कमजोर रहने के संकेतों और संघीय बजट के पूर्व सावधानी पूर्वक कारोबार किए जाने के बीच चिंताओं के कारण हासिल बढ़त को बरकरार नहीं रखा जा सका। जनवरी 2021 के अंत के करीब देखे गए कमजोर प्रदर्शन को उलटते हुए, 15

फरवरी 2021 को बेंचमार्क 52,154 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यह तेजी बजटीय प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बहाली होने संबंधी आशावादी संभावना व्यक्त करने और वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने के कारण आई। हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिफलों में बहुत तेजी होने कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी होने तथा विशिष्ट भारतीय राज्यों में कोविड-19 के मामलों में नई तेजी आने के कारण माह की समाप्ति होने तक बाजार में गिरावट आई। मार्च 2021 में बाजारों की शुरुआत नई आशावादिता के साथ हुई। इसमें 2020-21 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के धनात्मक आंकड़े जारी किए जाने और फरवरी 2021 में आटो बिक्री, जीएसटी संग्रहण, विनिर्माण तथा सेवाओं के पीएमआई के बारे में उत्साहवर्धक रिपोर्टें आने के कारण तेजी आई। तथापि, बाजारों का उफान शांत हुआ, जो मुद्रास्फीति तथा देश के कुछ भागों में कोविड-जन्य नई पाबंदियां लगाए जाने की चिंताओं को प्रदर्शित करता है।

11.4.27 मार्च 2021 के अंत में बंबई शेयर बाजार (बीएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹204.3 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मार्च 2020 के अंत में ₹113.5 लाख करोड़ के स्तर से इसमें 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में

बाजार पूंजीकरण का अनुपात एक दशक से भी अधिक समय के बाद 100 प्रतिशत को पार कर गया। वर्ष 2020-21 के दौरान

आईपीओ में, और साथ ही वर्तमान में प्रक्रियाधीन आईपीओ की संख्या में भी बहुत तेजी रही है (बॉक्स II.4.2)।

बॉक्स II.4.2


भारत में सूचीबद्ध किए जाने से प्रतिलाभों की प्रकृति : जांच-पड़ताल

इक्विटी बाजारों की गति घुमावदार रही, जिसमें मार्च 2020 के उनके मंदी के रुझानों में तेजी से वृद्धि हुई। सूचीबद्ध होने पर 29 में से 21 आईपीओ के निवेशकों के लिए धनात्मक लाभ देने के कारण वर्ष 2020-21 के भारतीय कंपनियों के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के लिए असाधारण बन जाने के साथ ही द्वितीयक बाजार में देखी गई तेजी ने प्राथमिक बाजार पर कब्जा कर लिया (चार्ट 1)। विगत 10 वर्षों (2011-12 से 2020-21) के दौरान हुए 201 आईपीओ के क्षेत्र-वार विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत में सूचीबद्ध होने से सर्वाधिक लाभ प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेहत की देखभाल के क्षेत्रों में मिले हैं (चार्ट 2)।

आईपीओ का मूल्यन कम किया जाना उन पहेलियों में से एक है जिनका कॉर्पोरेट वित्त के क्षेत्र में सामान्य रूप से सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है। जब कोई स्टॉक सूचीबद्ध किए जाने के प्रथम दिन में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करता है, तब कहा जाता है कि आईपीओ का मूल्यन कम हुआ है, जिसे सूचीबद्ध किए जाने का लाभ कहा जाता है। किताबों में, सूचना की असमानता को मूल्यन कम किए जाने का मूल कारण माना जाता है (रॉक, 1986) – ए विनर्स कर्स मॉडल कार्य करता है, जिसमें सूचना से वंचित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जारीकर्ता जानबूझकर अपने आईपीओ का मूल्यन कम करता है। प्रत्याशित अनिश्चितता जोखिम लेने के लिए जारीकर्ताओं द्वारा निवेशकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना अन्य कारण माना जाता है।

भारत के संदर्भ में आईपीओ का मूल्यन कम किए जाने के सन्निहित कारकों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है, जिसमें चरों के तीन समुच्चयों का प्रयोग किया गया है: बाजार के विशिष्ट चर, यथा - अधिक अभिदान (ओवर सबस्क्रिप्शन), बाजार के विलंबित प्रतिलाभ और विलंबित घट-बढ़; फर्म की विशेषताएं, यथा - आयु, लिवरेज, संवृद्धि, लाभप्रदता एवं मूल्यन सूचक; तथा आईपीओ से जुड़े विशिष्ट चर, यथा - आईपीओ का आकार। आंकड़े उन प्रमुख आईपीओ से संबंधित हैं जो, 2011-12 से 2020-21 के दौरान बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हुए थे। प्रत्येक विशेषता का समायोजित

चार्ट 2 : प्रमुख (मेन बोर्ड) आईपीओ की लिस्टिंग के विगत 10 वर्षों के औसत प्रतिलाभ (क्षेत्र-वार)



टिप्पणी : सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को दर्शाया गया है जिनके पिछले 10-वर्षों में कम से कम पांच आईपीओ जारी हुए हैं।
स्रोत : ब्लूमबर्ग एवं रिजर्व बैंक के स्टाफ के आकलन।

आईपीओ प्रतिलाभों पर पड़ने वाले प्रभाव के निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रतीपगमन मॉडल का प्राक्कलन किया गया है। प्रभावों की गणना मूल आईपीओ प्रतिलाभों से आईपीओ सूचीबद्ध होने की तारीख (मूल प्रतिलाभों के स्थान पर समायोजित प्रतिलाभों को वरीयता दी गई है, ताकि आईपीओ के कार्यनिष्पादन में सामान्य बाजार के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके) को बीएसई सेंसेक्स के प्रतिलाभों को घटाकर की गई है।

जहां पर,


$$\begin{aligned} \text{समायोजित_प्रतिलाभ}_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{अधिक अभिदान}_i + \beta_2 \text{सेंसेक्स_lag2mreturn}_i + \beta_3 \text{VIX_lag2mavg}_i \\ &+ \beta_4 \text{Ln_Age}_i + \beta_5 \text{डीईआर}_i + \beta_6 \text{आरओई}_i + \beta_7 \text{Pat2ygrowth}_i + \beta_8 \text{पीई}_i \\ &+ \beta_9 \text{Ln_आईपीओ का आकार}_i + \text{क्षेत्र}_i \end{aligned}$$

समायोजित_प्रतिलाभ = समायोजित आईपीओ प्रतिलाभ; अधिक अभिदान = शेयरों के लिए आवेदनों की संख्या/कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या; सेंसेक्स_lag2mreturn = आईपीओ के पूर्व के दो महीनों में निरपेक्ष सेंसेक्स प्रतिलाभ; VIX_lag2mavg = आईपीओ के पूर्व के दो महीनों में औसत VIX; Ln_Age = निगमीकरण की तारीख और आईपीओ सूचीबद्ध होने की तारीख के बीच अंतर का लॉग; डीईआर = इक्विटी की तुलना में कर्ज का अनुपात; आरओई = इक्विटी पर प्रतिलाभ; Pat2ygrowth = विगत दो वर्षों में करोत्तर लाभ की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर; पीई = कीमत अर्जन अनुपात; तथा Ln_आईपीओ का आकार = आईपीओ की बिक्री से मिले धन का आकार (मात्रा) का लॉग। यह मॉडल में क्षेत्र विशेष के प्रतिरूपों के लिए भी नियंत्रित करता है।

आईपीओ के प्रारंभिक प्रतिलाभों (सारणी 1) की व्याख्या करने में अधिक अभिदान की दर का गुणांक धनात्मक और बहुत महत्वपूर्ण पाया गया है और

(जारी)

चार्ट 1 : प्रमुख (मेन बोर्ड) आईपीओ लिस्टिंग के विगत 10 वर्षों के प्रतिलाभ (स्क्रिप-वार)



स्रोत : ब्लूमबर्ग एवं रिजर्व बैंक के स्टाफ के आकलन।


सारणी 1: आईपीओ प्रतिलाभों के निर्णायक
(आश्रित चर : समायोजित_Rtn)

व्याख्यात्मक चर	गुणांक
1	2
अत्याधिदान	0.44**
सेंसेक्स_लैग2एमरिटन	0.90*
वीआईएक्स_लैग2एमऔसत	-0.85
इन_ऐज	-2.33
डीईआर	1.7
आरओई	0.17
पीएटी2वाईग्रोथ	0.02
पीई	-0.09
इन_आईपीओ आकार	6.2

*5 प्रतिशत स्तर पर उल्लेखनीय **1 प्रतिशत स्तर पर उल्लेखनीय

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ आकलन

यह पहले के अध्ययनों के निष्कर्षों का समर्थन भी करता है (लियोंग, 2015)। सहज ज्ञान के रूप में, अपेक्षाकृत अधिक अभिदान दर द्वितीयक बाजार के निवेशकों के लिए शेयर मूल्य और संभावित प्रतिलाभ बढ़ने की क्षमता का संकेत होता है (चार्ट 3)। इन परिणामों से विलंबित सेंसेक्स प्रतिलाभों और आईपीओ प्रतिलाभों के बीच सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध भी प्रदर्शित होता है जो यह दर्शाता है बाजार में उछाल के दौरान जारी किए गए आईपीओ का मूल्यन सापेक्ष रूप से कम होता है, जो व्यापक रूप से पूर्व के अध्ययनों के अनुरूप है (यथा, भट्टाचार्य, 2017)। हालांकि, विशिष्ट फर्म की विशेषताएं आईपीओ सूचीबद्ध किए जाने के दिन मूल्य बढ़ने की व्याख्या करने में सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा, औसत VIX का ऋणात्मक गुणांक सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से, वर्ष 2020-21 के दौरान आईपीओ सूचीबद्ध होने पर संपादित 36 प्रतिशत का प्रतिलाभ, जो दशक का सर्वोच्च औसत है, को आईपीओ जारी करने के आकार के 71.3 गुना औसत अधिक अभिदान दर से बल मिला हो सकता है।



संदर्भ :

1. रॉक, केविन(1986), 'हाइ न्यू इशूज आर अन्डरप्राइस्ड,' जर्नल ऑफ फाइनेंशियल एकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 15, इशूज 1-2, जनवरी-फरवरी, वॉल्यूम 187-212
2. माइक सीव वे लेओंग एस.डी. (2015), 'आईपीओ इनिशियल रिटर्न एण्ड वोलाटिलिटी: ए स्टडी इन ऐन इमरजींग मार्केट' इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड फाइनेंन्स रिसर्च, वॉल्यूम 9, सं. 3, 2015, पृष्ठ 71-82
3. भट्टाचार्य , ए. (2017), 'इनोवैशन्स इन न्यू वेन्चर फाइनेंन्सिंग : एविडन्स फ्रॉम इंडियन एसएमई आईपीओ', ग्लोबल फाइनेंन्स जर्नल, वॉल्यूम 34, नवंबर, पृष्ठ 72-88

II.4.28 अप्रैल तथा सितंबर 2020 को छोड़कर, विदेशी संविभाग निवेशक भारतीय ईक्विटी मार्केट में निवल खरीदार रहे। नवंबर माह में ₹70,896 करोड़ का रिकार्ड अंतर्वाह देखा गया (चार्ट II.4.7.ए)। पिछले वर्ष के दौरान ₹6,204 करोड़ के निवल एफपीआई बहिर्गमन की तुलना में भारतीय ईक्विटी बाजार ने 2020-21 में ₹ 2.8 लाख करोड़ का निवल एफपीआई अंतर्वाह प्राप्त किया है। तथापि 2020-21 के दौरान म्यूचुअल फंडों ने ₹1.2 लाख करोड़ की निवल बिक्री की।


II.4.29 पिछले वर्ष की तदनुसारी अवधि के दौरान खोले गए 50 लाख डीमैट खातों की तुलना में 2020-21 के दौरान 1.43 करोड़ डीमैट खाते खोले गए जिसके कारण वर्ष के दौरान ईक्विटी में खुदरा निवेशकों की प्रत्यक्ष सहभागिता में वृद्धि हुई। इसके

अलावा एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में खुदरा धारिताएं मार्च 2020 के अंत में 6.5 प्रतिशत से मार्च 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत तक बढ़ गईं। मूल्य के अनुसार एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में खुदरा धारिताएं मार्च 2020 के अंत में ₹7.2 लाख करोड़ से मार्च 2021 के अंत में ₹13.6 लाख करोड़ तक बढ़ गईं (चार्ट II.4.7.बी)।

प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

II.4.30 वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), फॉलो-आन सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और अधिकार निर्गमों के माध्यम

चार्ट II.4.7 : इक्विटी में निवेश



स्रोत: प्राइम डेटाबेस, एनएसडीएल और सेबी

से जुटाए गए संसाधनों में पिछले वर्ष के दौरान जुटाए गए ₹76,965 करोड़ की तुलना में 43.1 प्रतिशत की वृद्धि होते हुए ₹1.1 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई (परिशिष्ट सारणी 5)। इनमें से ₹46,060 करोड़ 57 आईपीओ/ एफपीओ निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए, जिनमें से ₹246 करोड़ के 27 निर्गम बीएसई तथा एनएसई के लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) प्लैटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए गए थे। पिछले वर्ष जुटाए गए ₹55,642 करोड़ से वर्ष 2020-21 के दौरान अधिकार निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन में ₹64,059 करोड़ तक वृद्धि हुई। अधिमानी आबंटन तथा अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान ₹2.3 लाख करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान ₹1.2 लाख करोड़ तक कम हो गए।

II.4.31 म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाए गए निवल संसाधनों में वर्ष 2020-21 के दौरान अनुकूल बेस प्रभाव के कारण ₹2.15 करोड़ तक की 146 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई क्योंकि मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रसार संबंधी चिंताओं के कारण मुख्यतः ओपन-एंडेड कर्ज-उन्मुख योजनाओं में म्यूचुअल फंडों द्वारा तीव्र बहिर्गमन देखा था। एक्विटी-उन्मुख योजनाओं में वर्ष 2019-20 में ₹81,597 लाख करोड़ की जुटाई गई निवल राशि की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹39,327 करोड़ का निवल मोचन देखा गया। एक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2020 के अंत में ₹6.0 लाख करोड़ से मार्च 2021 के अंत में 66.0 प्रतिशत से बढ़कर ₹10.0 लाख करोड़ हो गई।


6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.4.32 विदेशी मुद्रा बाजार में हाजिर और वायदा बाजार के मर्चेट और अंतर-बैंक दोनों ही खंडों में टर्नओवर कोविड-19 से संबंधित बाधाओं के कारण वर्ष की पहली छमाही के दौरान पिछले वर्ष के स्तरों से कम था। वर्ष के बाद के भाग में टर्नओवर पिछले वर्ष के स्तर तक वापस आ गया जिसमें कुछ खंडों (मर्चेंट स्पॉट तथा अंतर-बैंक स्वैप्स) में गतिविधियों में बढ़ोतरी पाई गई।

II.4.33 भारतीय रुपये का मूल्य अप्रैल, 2020 में सभी समय की तुलना में दिन के दौरान ₹76.91/यूएसडी सबसे कम स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन इसमें महामारी की पराकाष्ठा की स्थिति में अपने समान समूह की तुलना में अस्थिरता कम थी। उसके बाद इसने वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में इसके बढ़ते हुए मूल्य के रुझान के साथ व्यापार किया था। आने वाले समय में रुपए के मूल्य में बहाली पैदा हुई और ईएमई करेंसियों में जोखिम उठाने की लालसा वापस लौट आई क्योंकि आर्थिक गतिविधियां खुल रही थीं, हालांकि कोविड-19 संक्रमण के प्रति चिंताओं को लेकर रुपए का व्यापार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में एकतरफा रहा था। अन्य ईएमई करेंसियों के मूल्यों में वृद्धि की तरह ही रुपया भी वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में मजबूत हुआ, जो तीव्र एफपीआई अंतर्वाह के कारण था क्योंकि सितंबर 2020 में सीमा पर तनाव के बढ़ जाने से कुछ नुकसान अवश्य दर्ज हुआ था किंतु उसके पहले आर्थिक गतिविधियों में बहाली आने के प्रति दृष्टिकोण आशावादी था। नवंबर 2020 में

कोविद-19 के टीका की घोषणा होने के बाद पूंजी का प्रवाह ईएमई की ओर हो गया, साथ ही संवृद्धि की संभावनाओं ने गति पकड़ ली थी जिसके कारण भावनाएं बेहतर हो गई थीं, फलस्वरूप भारतीय रुपए के मूल्य वृद्धि में फायदा हुआ। वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में भारतीय रुपए को एफपीआई और मर्चेन्ट-संबंधी अंतर्वाह से सहारा मिला था। लेकिन, फरवरी के अंतिम सप्ताह में रुपए का व्यापार तीव्र मूल्यहास के साथ हुआ जो विश्व में जोखिम न उठाने की भावनाओं के नक्शेकदम पर चल रहा था, यह भावनाएं अमरीका में मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं अत्यधिक बढ़ जाने तथा नीलामी में कमजोर मांग के कारण बांडों की कम कीमत पर बिक्री की वजह से पैदा हुई थीं। समग्र रूप से, भारतीय रुपए को 3.5 प्रतिशत (मार्च 2020 के अंत में अमरीकी डॉलर/ भारतीय रुपया के अंतिम दर की तुलना में मार्च 2021 के अंत की अंतिम दरों पर आधारित) की मूल्यवृद्धि का फायदा हुआ था किंतु अपने एशियाई समान समूह की करेंसियों की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान इसका निष्पादन उनसे कम था [चार्ट II.4.8]।

II.4.34 रुपये की सांकेतिक विनिमय दर में हुए उतार-चढ़ाव के साथ औसत आधार पर देखा जाए तो 40-करेंसी के सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर(एनईईआर) वर्ष 2020-21 में (वर्ष-दर-वर्ष) मूल्यहास हुआ था। 40-करेंसी एनईईआर में 4.2 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ था, लेकिन 40-करेंसी वास्तविक प्रभावी दर(आरईईआर) वर्ष 2020-21 के दौरान कमोबेश स्थिर बनी रही।



II.4.35 फारवर्ड प्रीमिया अधिकतम अल्पकाल में नियंत्रित अवस्था में बनी रही क्योंकि प्रणाली में चलनिधि बेशी मात्रा में उपलब्ध थी। लेकिन, अधिक डॉलर और भविष्य में वर्ष की समाप्ति पर किए जानेवाले ब्याज भुगतान से वर्ष 2020-21 के अंत में कठोरता पाई गई। दीर्घावधि वाले फॉरवर्ड प्रेमिया में थोड़ी सी कठोरता पाई गई, क्योंकि वह सरकारी-प्रतिभूति के निम्नगामी वक्र का अनुसरण कर रही थी।

7. निष्कर्ष

II.4.36 संक्षेप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक उपाय किए हैं ताकि वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्था में विश्वसनीयता पैदा की जा सके। इन उपायों से न केवल क्रमिक बाजार स्थिति सुनिश्चित की जा सकी है, बल्कि इससे बहाली की गति को भी तेज़ बनाया जा सका है जो उच्च फ्रीक्वेंसी वाले आर्थिक संकेतकों से पता चलता है। महामारी के चलते जो कतिपय नीतिगत उपाय लागू किए गए थे उन्हें नपे-तुले अंदाज़ में एवं धीरे-धीरे हटाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय बाजार की हलचल खासतौर से इस बात पर निर्भर करेगी कि टीकाकरण के प्रबंध के माध्यम से कोविद-19 महामारी के नियंत्रण में कितनी प्रगति हुई है, विश्व एवं घरेलू अर्थव्यवस्थाएं में बहाली की गति क्या है तथा पूरे विश्व में चलनिधि की उपलब्धता एवं वित्तीय स्थिति में कितनी प्रगति हो रही है।


II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 वर्ष 2020-21 में जहां पूरे विश्व में सरकारों के वित्त आमतौर पर बजट अनुमान से कहीं ज्यादा भिन्न थे, वहीं भारत भी इसका अपवाद नहीं था। जीवन और आजीविका दोनों को बचाने के लिए तथा महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकारों ने चलनिधि सपोर्ट उपायों की उच्चतम सीमा एवं न्यूनतम सीमा से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन बेतहाशा दिए हैं जिसकी कुल राशि लगभग 16 ट्रिलियन अमरीकी डालर है जिसमें 5.7 ट्रिलियन अर्ध राजकोषीय परिचालन और गारंटियां भी शामिल हैं(चार्ट II.5.1ए)। फलस्वरूप 2020 में विश्व में राजकोषीय घाटा और कर्ज का स्तर अत्यधिक बढ़ गया था जिससे यह पता चलता है कि उत्पादन घट जाने और सुरक्षा कवच को सहारा देने हेतु बढ़े हुए खर्च के कारण राजस्व के काफी हिस्से का क्षरण हो गया था। जीडीपी के हिस्से के रूप में देखें तो

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटा 11.7 प्रतिशत, उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में 9.8 प्रतिशत और न्यून आय वाले विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। वर्ष 2021 में यह उम्मीद की जाती है कि

राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ अवश्य रहेगा लेकिन अपने शीर्ष स्तर से कम रहेगा क्योंकि राजस्व में थोड़ी सी बहाली पैदा हुई है और महामारी संबंधी व्यय में अस्थायी रूप से कमी आई है (आईएमएफ)²⁶ (चार्ट II.5.1 बी)।

चार्ट II.5.1: जी-20 देशों में राजकोषीय सहायता, राजकोषीय शेष और सकल कर्ज



टिप्पणी: 2021 में अर्जेंटीना के लिए राजकोषीय शेष और सकल कर्ज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
 स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2021 और फिस्कल मॉनिटर अपडेट, अप्रैल 2021, आईएमएफ

²⁶ आईएमएफ (2021), फिजकल मॉनिटर – अ फेयर शाट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी, अप्रैल

11.5.2 वर्ष 2020-21 में भारत का सकल कर्ज जी-20 समूह के अधिकांश विकासशील देशों (ब्राज़ील और अर्जेंटीना को छोड़कर) से अधिक था किंतु उन्नत देशों से कम था (चार्ट 11.5.1 सी)। यह अनुमान है कि वर्ष 2021-22 में भारत का सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा और सकल कर्ज का अनुपात कम हो जाएगा।

11.5.3 इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उप-भाग 2 और 3 में केंद्र सरकार के क्रमशः वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के वित्त की स्थिति प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार उप-भाग 4 और 5 में राज्य सरकारों के वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सामान्य सरकारी वित्त की स्थिति की चर्चा उप-भाग 6 में की गई है। अंतिम भाग में निष्कर्षजन्य टिप्पणियां और कुछ नीतिगत परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है।

2. वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के वित्त

11.5.4 महामारी की हालत को देखते हुए संघ सरकार ने आर्थिक सुधारों के उपायों की एक श्रृंखला घोषित की है जिसमें कुल मिलाकर 17.2 लाख करोड़ रुपए लगे हैं (सारणी 11.5.1)। कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के एक पखवाड़े के भीतर अर्थात् 26 मार्च, 2020 को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की जिसके अंतर्गत

गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने जैसे उपायों के माध्यम से महामारी से प्रभावित होने वाली आबादी के जीवन एवं आजीविका की रक्षा, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा गरीब अशक्त व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करने पर फोकस किया गया था, और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भविष्य निधि में कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों के लिए भुगतान करना शामिल था। वित्तीय प्रोत्साहन के दूसरे उपाय का नाम *आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0* (13-17 मई) था जिसके अंतर्गत एमएसएमई, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) तथा बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को सरकार गारंटियों में तथा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके चलनिधि संबंधी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि वे क्रियाशील बने रहें। कई क्षेत्रों जैसे- कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन तथा नागरिक विमानन में अनेक संरचनात्मक सुधार किए गए और ये इस पैकेज का हिस्सा भी थे, इससे यह उम्मीद की जाती है कि दीर्घकाल में इसका इनका लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

11.5.5 यात्रा संबंधी पाबंदियां सहज हो जाने तथा आर्थिक गतिविधियों के गति पकड़ लेने पर *आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0* (12 अक्टूबर) की घोषणा की गई थी। इसमें उपभोक्ता एवं निवेश-आधारित दो प्रकार के उपाय शामिल थे। उपभोक्ता-आधारित उपाय में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना और ब्याजमुक्त ऋण तथा निवेश-आधारित उपाय में संघ सरकार के पूंजीगत बजट व्यय में वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय हेतु राज्य सरकारों के लिए ब्याजमुक्त ऋण शामिल है। *आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0* (12 नवंबर) में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी, के लिए अतिरिक्त परिव्यय, पूंजीगत व्यय बजट में और भी वृद्धि, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआइआइएफ) में इक्विटी डालना, तथा 10 चिन्हित क्षेत्रों के लिए उत्पादनजन्य प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना लाना ताकि घरेलू विनिर्माण, निवेश, रोजगार को बढ़ावा मिल सके और जिसके लिए राजकोष पर आगामी पांच वर्षों में अनुमानित 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी।

सारणी 11.5.1: केंद्र सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय पैकेज

(₹ करोड़)

क्रम सं.	योजना	राशि
1	2	3
1.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज	1,70,000
2.	प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य पैकेज	15,000
3.	कर राहत उपायों के कारण राजस्व हानि	7,800
4.	आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0	11,02,650
5.	पीएमजीकेपी अन्न योजना विस्तार	82,911
6.	आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0	73,000
7.	आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0	2,65,080
8.	कुल	17,16,441

स्रोत: प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार

II.5.6 सकल राजकोषीय पैकेज से संघ सरकार पर पड़ने वाली राजकोषीय लागत की सही तसवीर नहीं उभरती है क्योंकि इसमें सीमा-रेखा से नीचे की मदें जैसे चलनिधि सहायता उपाय भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, संघ सरकार ने व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी उपाय किए हैं ताकि वर्ष के दौरान फालतू खर्च से बचा जा सके। इस प्रकार से संघ सरकार का कुल व्यय 30.4 लाख करोड़ रुपए के बजट-अनुमान से बढ़कर संशोधित अनुमान में 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इसमें वह बढ़ा हुआ व्यय भी शामिल है जो भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष(एनएसएसएफ) से सब्सिडी के बदले लिए गए बकाया ऋण, इस प्रकार का ऋण लिए जाने की प्रथा 2016-17 से शुरू हुई थी, के काफी बड़े हिस्से के लिए किए गए सतत बजट प्रावधान के कारण हुआ था।

3. 2020-21 में केंद्र सरकार के वित्त

II.5.7 संघीय बजट ने वर्ष 2021-22 में मजबूत बहाली के लिए मंच तैयार कर दिया है। ऐसा, बेहतर अनुपालन के जरिये कर-राजस्व में तीव्र वृद्धि करते हुए तथा आस्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्तियों में वृद्धि करके प्राप्त किया जाएगा (सारणी II.5.2)। कर

वसूली में उछाल को बेहतर बनाया जाना अतिरिक्त कराधान पर निर्भर नहीं है। बजट का यह भी ध्येय है कि डाटा-विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अनुपालन को बेहतर बनाया जाए। साथ ही सभी प्रकार के लंबित मूल्यांकन के मामलों को इस योजना के अंतर्गत लाते हुए फेसलेस मूल्यांकन के दायरे को और व्यापक बनाया गया है। बजट में नई सरकारी क्षेत्र उद्यम नीति के माध्यम से विनिवेश और आस्ति मुद्रीकरण को नये सिरे से आगे बढ़ाया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों(सीपीएसई) की उपस्थिति को कम किया जाए तथा निजी क्षेत्र के लिए ज्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। आस्ति मुद्रीकरण का उद्देश्य यह है कि सरकारी आस्तियों, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, के सही मूल्य का निर्धारण किया जाए ताकि राजस्व का एक नया स्रोत पैदा हो सके। सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह 100-सरकारी स्वामित्व वाली आस्तियों को आने वाले समय में मुद्रीकरण करने के लिए एक पाइपलाइन गठित करना चाहती है जो 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अवसर पैदा करेगी। चार बड़े कार्यनीतिक क्षेत्रों (परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और सुरक्षा; विद्युत, पेट्रोलियम,

सारणी II.5.2: केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्यनिष्पादन

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)


मद	2004-08	2008-10	2010-15	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 आरई	2021-22 बीई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गैर कर्ज प्राप्तियाँ	11.0	9.7	9.5	9.2	9.1	9.4	9.1	8.8	8.6	8.2	8.9
सकल कर राजस्व (ए+बी)	10.7	10.4	10.2	10.0	10.6	11.1	11.2	11.0	9.9	9.7	9.9
ए) प्रत्यक्ष कर	5.1	6.0	5.7	5.6	5.4	5.5	5.9	6.0	5.2	4.6	5.0
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.6	4.4	4.5	4.4	5.2	5.6	5.4	5.0	4.7	5.1	5.0
निवल कर राजस्व	7.9	7.6	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	6.9	6.7	6.9	6.9
गैर कर राजस्व	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.1	1.1
गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.2	0.8
कुल व्यय	14.5	16.1	14.4	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.2	17.6	15.6
राजस्व व्यय	12.1	14.4	12.6	11.8	11.2	11.0	11.0	10.6	11.6	15.4	13.1
पूंजीगत व्यय	2.4	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	1.6	2.2	2.5
राजस्व घाटा	2.0	5.0	3.5	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	3.3	7.4	5.1
सकल राजकोषीय घाटा	3.5	6.3	4.9	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	4.6	9.4	6.8

बीई: बजट अनुमान; आरई: संशोधित अनुमान

किसी भी वर्ष के अंतिम उपलब्ध जीडीपी डेटा का प्रयोग करने के सिद्धांत का पालन करते हुए, 2020-21 (आरई) के लिए प्रयुक्त जीडीपी नवीनतम उपलब्ध दूसरा अग्रिम अनुमान (26 फरवरी 2020 को जारी) है। इसके मद्देनजर, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक यूनिशन बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए संकेतकों से कभी-कभी मामूली रूप से भिन्न हो सकते हैं।


स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज।

चार्ट II.5.2: पूंजीगत व्यय का मंत्रालयवार विभाजन - वर्ष 2021-22 (कुल का प्रतिशत)



स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज

चार्ट II.5.3: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत



स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज

कोयला और खनिज; परिवहन और दूसरसंचार; और वित्तीय सेवाएं) की पहचान की गई है जहां सीपीएसई की उपस्थिति न्यूनतम होगी। अन्य सभी गैर-कार्यनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का या तो निजीकरण कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

II.5.8 वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था को प्रति-चक्रीय राजकोषीय समर्थन दिया जाना पूंजीगत व्यय के माध्यम से बनाए रखा जाएगा, जो 2010-20 के दौरान जीडीपी के औसतन 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है, यहां तक कि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है(संअ.)(चार्ट II.5.2)। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटे में हुए भारी विचलन ने यह जरूरी कर दिया है कि संघ सरकार के बाजार के उधारी कार्यक्रम में अच्छी खासी छलांग लगाई जाए जो घाटे के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है, और उसके बाद का स्रोत एनएसएसएफ की एक्सेस है (चार्ट II.5.3)।

4. वर्ष 2020-21²⁷ में राज्य वित्त

II.5.9 राज्यों के वित्त की स्थिति में सामान्यतया पिछले तीन वर्षों – 2017-18 से लेकर 2019-20²⁸ तक बजट किए गए स्तर की तुलना में समेकन की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें प्राथमिक रूप से पूंजीगत व्यय में भारी कटौती की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों ने जीडीपी का 2.8 प्रतिशत संयुक्त जीएफडी का बजट रखा था, जिसमें से आधे से अधिक बजट का हिस्सा राजस्व अधिशेष के लिए था(सारणी II.5.3)। कोविड-19 ने इन राजकोषीय लक्ष्यों और 2020-21(बजट अनुमान) से संबंधित प्राप्ति के अनुमान को गलत साबित कर दिया। मांग में कमी आ जाने के साथ-साथ महामारी से जुड़े भारी व्यय से राजस्व को नुकसान पहुंचा, जिसे 'कैची प्रभाव' कहते हैं - जिससे यह संभावना है कि यह वर्ष 2020-21 में राज्यों के वित्त का सफाया कर देगा, जीएफडी-जीडीपी अनुपात 4.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है, जो और भी ज्यादा हो सकता है (आरबीआई, 2020)²⁹। राज्यों

²⁷ सभी राज्यों के लिए वर्ष 2020-21(बजट अनुमान-बीई) और भारतीय महानियंत्रक और महालेखाकार(सीएजी) की वेबसाइट से अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक के लिए 23 राज्यों(अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा और महाराष्ट्र को छोड़कर) हेतु लिए गए अनंतिम लेखा डाटा पर आधारित।

²⁸ सीएजी वेबसाइट से 27 राज्यों हेतु लिए गए अनंतिम लेखा डाटा डर आधारित, जिसमें दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरि के 2019-20 के बजट अनुमान जोड़े गए हैं। राजकोषीय वर्ष 2019-20 के लिए सभी राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति जीएफडी-जीडीपी के अनुपात के रूप में 2019-20 में 2.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019-20 के लिए किए गए 2.6 प्रतिशत के बजट अनुमान के काफी निकट (हालांकि उससे कम) थी।

²⁹ आरबीआई(2020), राज्य वित्त: 2020-21 के बजट का अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।

सारणी II.5.3: राज्यों की राजकोषीय स्थिति

(₹ लाख करोड़)

	2017-18	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां	23.21 (13.6)	26.21 (13.8)	31.54 (14.9)	26.86 (12.4)	33.27 (14.8)
II. पूंजी प्राप्तियां	0.40 (0.2)	0.41 (0.2)	0.62 (0.3)	1.35 (0.6)	0.16 (0.1)
III. राजस्व व्यय	23.40 (13.7)	26.38 (13.9)	31.46 (14.9)	27.89 (12.9)	33.27 (14.8)
IV. पूंजीगत व्यय	4.31 (2.5)	4.87 (2.6)	6.22 (2.9)	5.46 (2.5)	6.46 (2.9)
a. पूंजीगत परिव्यय	3.94 (2.3)	4.40 (2.3)	5.81 (2.8)	4.25 (2.0)	5.98 (2.7)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.38 (0.2)	0.47 (0.3)	0.41 (0.1)	0.41 (0.2)	0.48 (0.2)
V. राजकोषीय घाटा/अधिशेष	4.10 (2.4)	4.63 (2.4)	5.54 (2.6)	5.25 (2.4)	6.26 (2.8)
VI. राजस्व घाटा/अधिशेष	0.19 (0.1)	0.18 (0.1)	-0.08 (-0.0)	1.41 (0.7)	0.00 (0.0)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं।

2. 2019-20 अंतिम खातों (पीए) के आंकड़े सीएजी के पास उपलब्ध सभी राज्यों के खातों के आंकड़े हैं, जो दिल्ली, गोवा, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के लिए 2019-20 बीई के अनुमानों के साथ संवर्धित हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों और सीएजी और एमओएसपीआई के बजट दस्तावेज।

के वित्त पर दबाव की यह अवधि आकस्मिक है, जो लॉकडाउन की अवधि और संक्रमण की नई लहर से उत्पन्न जोखिमों पर निर्भर करता है और ये सब मिलाकर परंपरागत रूप से कर में तेजी लाने के बैकवर्ड-लुकिंग पूर्वानुमान मॉडलों को भरोसेमंद नहीं बनाते हैं।

II.5.10 राज्यों के वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2020) के अंतिम लेखों (पीए) से पता चलता है कि उनका जीएफडी-जीडीपी का अनुपात 3.8 प्रतिशत था, जो पूरे वर्ष के लिए किए गए 2.8 प्रतिशत के बजट अनुमान से कहीं ज्यादा था। इस विश्लेषण को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर-फरवरी 2020-21 तक के डाटा शामिल करें तो यह पता चलता है कि राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां सितंबर 2020 तक महामारीजन्य लॉकडाउन के कारण तेजी से घट गई थीं, आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे बहाली आने से राजस्व प्राप्तियों में आंशिक सुधार होने लगा था। अप्रैल-फरवरी 2021 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में वृद्धि शांत बनी रही क्योंकि महामारी के प्रभावों को दूर करने के लिए प्रारंभिक महीनों में राजस्व व्यय में हुई अत्यधिक वृद्धि, बाद में कुछ प्रकार के आबंटनों की दुबारा

प्राथमिकता निर्धारण से समायोजित हो सकी, ये आबंटन इस प्रकार थे – महंगाई भत्ता बंद किया जाना, आंशिक या पूर्ण वेतन और मजदूरी को आस्थगित रखना, और वेतन की कटौती किया जाना। यूं देखा जाए तो कोविड-19 के प्रति राज्यों की जवाबी राजकोषीय कार्रवाई थी उसे 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में अत्यधिक वृद्धि के रूप में दिखाई देना चाहिए था। इन खर्चों, और राजस्व प्राप्तियों में आई कमी से यह संभावना बनती है कि वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व अधिशेष के लिए जो बजट किया गया था वह घाटे में तबदील हो जाएगा। पूंजीगत व्यय की ओर देखें तो राज्यों की यह प्रवृत्ति रही है कि वे राजकोषीय दायित्व विधान (एफआरएल) – निर्धारित घाटे के लक्ष्य -को पूरा करने के लिए अपने पूंजीगत व्यय में औसतन तकरीबन जीडीपी के 0.5 प्रतिशत तक की कटौती कर देते हैं। इसी प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत 2020-21 में पीए के प्रति भी पाई गई है, खासतौर से इसलिए कि राज्य सरकारें पहली तिमाही में लॉकडाउन और दूसरी तिमाही में मानसून के कारण पहली छमाही में कुछ अधिक पूंजीगत व्यय शुरू कर पाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन, इसके बावजूद राज्य संभवतः हेल्थकेयर,

सामाजिक आवास, शिक्षा और पर्यावरण रक्षा में निवेश करने के माध्यम से पूंजीगत व्यय बढ़ाएंगे ताकि आर्थिक बहाली अधिक समुत्थानशील और सामवेशी हो सके। राज्यों द्वारा यदि धन की कमी के कारण पूंजीगत व्यय में ज्यादा कटौती की जाती है तो ये केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाने में होने वाली वृद्धि के बरअक्स होगा।

5. वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त

11.5.11 17 राज्यों सरकारों के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जीएफडी के लिए बजट वर्ष 2020-21 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी के लिए 3.2 प्रतिशत रखा गया है (सं.अ.)। यह, राज्यों के लिए संशोधित राजकोषीय रोडमैप के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। यह अपेक्षा की गई है कि पिछले वर्ष का समेकन प्राथमिक रूप से बढ़ी हुई राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय में कटौती करते हुए प्राप्त किया जाएगा जबकि पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाएगा (सारणी 11.5.4; परिशिष्ट सारणी 6)।

11.5.12 राज्यों के वित्त, जो राजस्व को लेकर दबाव की स्थिति में रहे हैं, यह संभावना है कि उन्हें एफसी-XV की

सारणी 11.5.4: राज्य सरकार वित्त 2021-22*: प्रमुख संकेतक

(जीएसपीडी का प्रतिशत)

मद	2019-20	2020-21 (बीई)	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
1	2	3	4	5
राजस्व घाटा	0.0	-0.1	1.5	0.3
सकल राजकोषीय घाटा	2.1	2.4	4.1	3.2
प्राथमिक घाटा	0.6	1.0	2.4	1.5

*: डेटा सत्रह राज्यों से संबंधित है जिन्होंने 2021-22 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सिफारिशों से थोड़ी सहायता मिल जाएगी, खासतौर से अनुदान के संबंध में, जो उसे प्रदान की जाने अवधि में बढ़ाया जाएगा। (बॉक्स 11.5.1)।

6. सामान्य सरकारी वित्त

11.5.13 केंद्र के लिए संशोधित अनुमान और राज्यों के लिए बजट अनुमान – के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार सामान्य सरकारी घाटा और कर्ज

बॉक्स 11.5.1

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें-एक तुलनात्मक विश्लेषण

पंद्रहवें वित्त आयोग (अध्यक्ष: श्री एन.के.सिंह) की संपूर्ण रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को प्रस्तुत की गई थी जो 2021-26 की अवधि के लिए है, उसे 01 फरवरी, 2021 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ऐतिहासिक संदर्भ की दृष्टि से सिफारिशों के तीन पहलू दिए गए हैं: कर अंतरण, अनुदान और राजकोषीय रोडमैप/नियम।

कर अंतरण

ग्यारहवें वित्त आयोग (एफसी-XI) ने संघ सरकार के करों को राज्यों के साथ साझा करने के आधार को काफी व्यापक बना दिया था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि उप-कर और उप-प्रभार को छोड़कर संघ सरकार के समस्त प्रकार के करों को राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाए (पूर्व में केवल उत्पादन शुल्क और आयकर वसूलियों को ही साझा किया जाता था)। उसके बाद के सभी वित्त आयोगों ने अंतरण अनुपात को बढ़ाया है, जिनमें चौदहवें वित्त आयोग (एफसी-XIV) ने योजना आयोग को समाप्त करने तथा योजना अनुदान की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए एक नया मोड़ लेते हुए अधिक से अधिक साझेदारी की सिफारिशें की थीं, और इस प्रकार से कर अंतरण को फेडरल अंतरण का प्राथमिक साधन बना दिया था। हालांकि अंतरण अनुपात में की गई वृद्धि अवक्रमित करों में उसी अनुपात में तबदील नहीं हो पाई क्योंकि उप-करों और उप-प्रभारों में होने

वाली तीव्र वृद्धि को संघ सरकार के करों के विभाज्य पूल से अलग रखा गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने कर अंतरण प्रक्रिया में स्थायित्व और निरंतरता का ध्यान रखा और अपने पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा संस्तुत कर अंतरण के अनुपात (जम्मू और कश्मीर से संबंधित हिस्से को समायोजित करते हुए) को कायम रखा है। जहां तक राज्यों के बीच करों के बराबर-बराबर साझा, परस्पर वितरण का संबंध है, आठवें वित्त आयोग (एफसी-VIII) से लेकर अब तक प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण के लिए इक्विटी-आधारित मानदंड का ही वर्चस्व रहा है, और इस प्रकार से कर अंतरण को प्रगामी बनाए रखा गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण के मानदंड के रूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया है कि जनसंख्या जनगणना वर्ष 1971 के स्थान पर 2011 को ले लिया है। इससे जनसांख्यिकी निष्पादन – 2011 की जनसंख्या जनगणना और राज्य की 1971 में जनसंख्या के अनुसार कुल प्रजनन दर के विपरीत उत्पाद – एक नया मानदंड शुरू किया गया है, जिससे उन राज्यों को रिवाइड किया जा सके जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक कम किया है। एक अन्य प्रमुख परिवर्तन यह है कि कर के प्रयासों के उन मानदंडों को न: प्रारंभ करना जिनका उपयोग दसवें, ग्यारहवें और बारहवें

(जारी)


वित्त आयोगों द्वारा किया गया था किंतु तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोगों द्वारा हटा दिए गए थे (सारणी 1)।

सहायता-अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपने पूर्ववर्ती आयोगों से हटकर कुल अंतरण में से अनुदान में ऐतिहासिक रूप से उच्च हिस्सा दिए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की है। संघटनात्मक रूप से, तेरहवें वित्त आयोग से लेकर वित्त आयोग के अनुदान में स्थानीय निकायों का अनुदान का हिस्सा सर्वाधिक था, इन दोनों में यह पाया गया है कि पिछले दो वित्त आयोग की सिफारिशों में कुल अंतरण में उनका हिस्सा क्रमिक रूप से बढ़ा है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा क्षेत्र-विशेष और राज्य-विशेष के लिए अनुदान वापस लाया गया और जो तेरहवें वित्त आयोग तक नियमित रूप से दिया जाता रहा था। हालांकि संघ सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि वह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में पुनर्विचार करते समय इन अनुदानों पर अधिक महत्व देगी(चार्ट1)।

राजकोषीय रोडमैप/नियम

एक के बाद दूसरे वित्त आयोगों ने कर्ज और घाटा के लक्ष्यों तथा संस्थागत परिवर्तनों की सिफारिश की है ताकि राज्य सरकारें जवाबदेह हो सकें और राजकोषीय नीति के संचालन में पारदर्शी बनी रहें। बारहवें, तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोगों ने राजस्व घाटे को हटाए जाने तथा राजकोषीय घाटे को सरकार के दोनों स्तरों पर राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत के अनुपात तक सीमित करने की सिफारिश की थी। जहां तक संस्थागत उपायों का संबंध है, बारहवें वित्त आयोग ने कर्ज को चुकाने के लिए डूबंत निधि और राज्यों के वित्त के बारे में गारंटी न मांगनी पड़े, इसके लिए गारंटी शोधन निधि को बनाए जाने की सिफारिश की थी, और इन दोनों को अधिकांश राज्यों द्वारा लागू किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग ने यह



सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को 1 अप्रैल, 2015 से एनएसएसएफ परिचालनों से हटा दिया जाए(कर्ज चुकाने व उसकी अदायगी के वर्तमान दायित्वों को पूरा किया जाए)। पंद्रहवें वित्त आयोग ने महामारी से उत्पन्न मंदी को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटा तथा कर्ज के लक्ष्य में काफी रियायत प्रदान की है। संघ सरकार के लिए सकल राजकोषीय घाटा(जीएफडी) बढ़ा हुआ जीडीपी के 3.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच की सिफारिश की गई जिसका समापन वर्ष 2025-26 है तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा में राहत देते हुए वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी का 4 प्रतिशत तथा 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत रखी गई है। 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्षों के लिए 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त भत्ता की सिफारिश की गई है बशर्ते कि बिजली वितरण कंपनियों(डिस्कॉम्स) के परिचालनगत एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार हो। यह भी सिफारिश की गई है कि कर्ज-लेने की क्षमता के मुद्दे की जांच के लिए एक अंतर-सरकार उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाए (सारणी 2)।

सारणी 1: कर अंतरण : ऊर्ध्वाकार अंतरण और क्षेत्रीय साझा मानदंड

एफसी अवधि	ऊर्ध्वाकार अंतरण		राज्यों के बीच क्षेत्रीय साझा मानदंड									
	कर अंतरण अनुपात (सभी केंद्रीय कर)	राज्यों का हिस्सा / सकल कर राजस्व	आवश्यकता एवं लागत अयोग्यता				इक्विटी			निष्पादन		
			जनसंख्या (1971)	जनसंख्या (2011)	सरहदी क्षेत्र	वन क्षेत्र	अवसरचना दूरी	प्रति व्यक्ति आय अंतर	राजकोषीय क्षमता अंतर	कर प्रयास	राजकोषीय अनुशासन	जनसांख्यिकी निष्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एफसी-XI (2000-2005)	29.5	26.6	10.0	-	7.5	-	7.5	62.5	-	5.0	7.5	-
एफसी-XII (2005-2010)	30.5	25.9	25.0	-	10.0	-	-	50.0	-	7.5	7.5	-
एफसी-XIII (2010-2015)	32.0	27.9	25.0	-	10.0	-	-	-	47.5	-	17.5	-
एफसी-XIV (2015-2020)	42.0	34.4	17.5	10.0	15.0	7.5	-	50.0	-	-	-	-
एफसी-XV (2020-2026)	41.0	-	-	15.0	15.0	10.0	-	45.0	-	2.5	-	12.5

स्रोत: ईपीडबलू रिसर्च फाउंडेशन, संघीय बजट 2020-21; वित्त आयोग रिपोर्ट और रेड्डी तथा अन्य (2019).

(जारी)

सारणी 2: वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राजकोषीय रोडमप/नियम

वित्त आयोग और समयावधि	सामान्य सरकारी वित्त		केंद्र सरकार वित्त		राज्य सरकारों के वित्त	
	कर्ज और घाटा लक्ष्य	अन्य लक्ष्य/उपाय	कर्ज और घाटा	अन्य लक्ष्य/उपाय	कर्ज और घाटा	अन्य लक्ष्य/उपाय
1	2	3	4	5	6	7
एफसी-XII (2005-10)	2009-10 तक 75 प्रतिशत तक का कर्ज-जीडीपी अनुपात.	2009-10 तक 17.6 प्रतिशत तक का कर-जीडीपी लक्ष्य	दीर्घकालिक कर्ज-जीडीपी अनुपात 28 प्रतिशत तक होना चाहिए, जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3 प्रतिशत तक, 2008-09 तक राजस्व घाटा का समापन.	ब्याज भुगतान की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2009-10 तक 28 प्रतिशत प्राप्त किया जाए।	दीर्घकालिक कर्ज-जीडीपी अनुपात 28 प्रतिशत तक होना चाहिए, जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3 प्रतिशत तक, 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त होना चाहिए.	घाटा लक्ष्यों को परिभाषित करने, भविष्य में उधार की चुकौती के लिए ड्रबंट निधि के सृजन, उनके लागू किए जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गारंटी शोधन निधि के सृजन के लिए एफआरएल कानून पारित किया जाना
एफसी-XIII (2010-15)	2014-15 तक 68 प्रतिशत तक का कर्ज-जीडीपी अनुपात.	समष्टि-आर्थिक आघात की स्थिति में राज्यों के लिए अपेक्षित संसाधन का प्रबंध केंद्र द्वारा अतिरिक्त उधारी के माध्यम से किया जाना तथा उसका राज्य सरकारों को कर अंतरण फार्मुला के अनुसार	2014-15 तक 44.8 प्रतिशत तक का कर्ज-जीडीपी अनुपात, 2014-15 तक राजस्व घाटा का समापन	विनिवेश रसीदों को समेकित निधि में रखा जाए न कि केंद्र के लोक ऋण खाते में।	2014-15 तक 24.3 प्रतिशत तक का कर्ज-जीडीपी अनुपात, 2014-15 तक राजस्व घाटा का समापन .	राजकोषीय सुधार पथ के निर्माण के लिए एफआरबीएम अधिनियम का संशोधन/पारित किया जाना, राज्य-विशेष के लिए अनुदान अनुपालन की शर्त पर होना चाहिए।
एफसी-XIV (2015-20)		सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन का पारदर्शी लेखांकन (गारंटी, बजट से इतर उधारी, और संचित हानियां) वार्षिक रूप से बजट प्रस्तुतीकरण के समय उपलब्ध कराया जाए।	2016-17 तक 3 प्रतिशत तक का जीडीपी-जीएफडी अनुपात, और उसके बाद 2019-20 तक राजस्व घाटा का समापन	एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन ताकि राजकोषीय रोडमैप उसमें शामिल हो सके, प्रभावी राजस्व घाटा की परिभाषा को हटाना, तथा स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना का अधिदेश देना।	जीएफडी-जीडीपी का अनुपात 3 प्रतिशत, जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन आधारित उधारी जो राजस्व घाटा, ब्याज भुगतान - राजस्व प्राप्त अनुपात तथा कर्ज-जीएसडीपी अनुपात के संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति पर आधारित हो।	1 अप्रैल, 2015 से राज् सरकारों को एनएसएसएफ परिचालनों से हटाना (कर्ज की अदायगी एवं चुकौती के वर्तमान दायित्व को पूरा करना)
एफसी-XV (2020-26)	2021-22 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात के ग्लाइड पथ 9.3 प्रतिशत से वर्ष 2025-26 में 6.8 प्रतिशत तक लाना; कर्ज-जीडीपी का अनुमानित अनुपात 2022-23 में 89.6 प्रतिशत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद 2025-26 में 85.7 प्रतिशत तक लाना।	एफआरबीएम अधिनियम तथा समय-सारणी की पुनर्चना करना ताकि कर्ज को परिभाषित किया जा सके और कर्ज के स्थायित्व को प्राप्त किया जा सके जिसका परीक्षण उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकार समूह द्वारा किया जाएगा।	बेसलाइन परिदृश्य में, 2021-22 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात के ग्लाइड पथ 6 प्रतिशत से वर्ष 2025-26 ³⁰ में 4 प्रतिशत तक लाना; कर्ज-जीडीपी का अनुमानित अनुपात 2021-22 में 62.9 प्रतिशत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद 2025-26 में 56.6 प्रतिशत तक लाना।		निवल उधार की सामान्य सीमा 2021-22 में जीएसडीपी का 4 प्रतिशत, 2022-23 में 3.5 प्रतिशत तथा 2023-24 से 2025-26 तक 3 प्रतिशत; 2021-22 से 2024-25 तक जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन आधारित अतिरिक्त उधार	


संदर्भ :

1. वित्त मंत्रालय(2020): पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. वाई.वी.रेड्डी और जी. आर. रेड्डी(2019): इंडियन फिजकल फेडरलिज्म, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

दोनों जीडीपी के क्रमशः 12.6 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं। सभी राज्यों के बारे में संशोधित अनुदान प्राप्त हो जाने पर ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। एक बार निजी निवेश

के रफरतार पकड़ लेने पर इस प्रकार का उच्च स्तरीय घाटा और कर्ज, वित्तपोषण के लिए चुनौती पैदा कर सकता है(चार्ट II.5.4; परिशिष्ट सारणी 7)।

³⁰ संघीय बजट 2021-22 में सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि राजकोषीय घाटा के स्तर को वर्ष 2025-26 तक संपूर्ण अवधि में उपयुक्त रूप से सतत कमी करते हुए 4.5 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाना।



7. निष्कर्ष

II.5.14 सारांशतः, वर्ष 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में आई गिरावट का कारण कर-राजस्व में चक्रीय मंदी पर पड़ी एक के बाद एक मार और महामारी के प्रति जवाबी कार्रवाई में हुए अत्यधिक सरकारी व्यय की वजह से राजकोषीय दबाव बना रहा है। आगे की सोचें तो जैसे-जैसे संवृद्धि बहाल हो रही है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्पष्ट कार्यनीति का पालन करे और राजकोष का बफर बनाए जिसका इस्तेमाल भविष्य में संवृद्धि के प्रति आघात पहुंचने की स्थिति में किया जा सके।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र, बाह्य और घरेलू दोनों माँगों के बिगड़ने से प्रभावित हुआ था। मंदी के कारण आयात में कमी और व्यापार की अनुकूल शर्तों ने वर्ष के दौरान व्यापारिक माल को कम कर दिया। स्रोत देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के कारण धनप्रेषणों में गिरावट के बावजूद, संकुचित व्यापार घाटा 2003-04 के बाद वार्षिक आधार पर पहली बार चालू खाते के अधिशेष

में परिवर्तित होने की संभावना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश का अंतर्वाह मजबूत रहने से वर्ष के दौरान इन गतिविधियों के कारण बड़े आरक्षितों में अभिवृद्धि हुई।


II.6.2 इस पृष्ठभूमि में, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियाँ, जिनमें इन बाहरी संतुलनों में बदलाव हुए हैं, उप-खंड 2 में उल्लिखित किया गया है, उसके बाद व्यापारिक माल और अदृश्यों पर चर्चा क्रमशः उप-खंडों 3 और 4 में की गई है। उप-खंड 5 में पूंजी प्रवाह का विश्लेषण, उप-खंड 6 में बाहरी स्थिरता का आकलन करने के साथ-साथ निष्कर्ष बताया गया है।

2. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ

II.6.3 कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020 की पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर डाला। खपत में भारी कमी तथा निवेश और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में गिरावट के कारण वैश्विक मांग में कमी आई है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों, दोनों द्वारा बड़े पैमाने पर नीतिगत उपायों द्वारा इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया हालांकि, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में क्रमिक वृद्धि दर्ज की है। यहां तक कि विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के अचानक बढ़ने के रोकथाम के उपायों को तेज कर, जोखिमों को कम किया गया, टीके में प्रगति और टीकाकरण अभियान ने उम्मीदों को बढ़ाया और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता को कम किया जो 2020 के आईएमएफ द्वारा जनवरी 2021 और अप्रैल 2021 में (क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत की कमी) वैश्विक आर्थिक अनुमानों में सुधार के रूप में परिलक्षित हुए हैं [चार्ट II.6.1]। निरंतर नीतिगत समर्थन के वातावरण में आपूर्ति और गतिशीलता संबंधी अवरोधों को कम करने के साथ-साथ मांग की स्थिति के सामान्य होने से 2021 में तेजी से आर्थिक सुधार की उम्मीद है।

II.6.4 विश्व की व्यापारिक माल संबंधी गतिविधि भी दूसरी तिमाही में 21 प्रतिशत की कमी के बाद गति पकड़ रही है (चार्ट II.6.1)। वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 6 प्रतिशत की कमी और वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 2 प्रतिशत की वृद्धि से

चार्ट II.6.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार मात्रा पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)



टिप्पणी: डब्ल्यूटीओ के पूर्वानुमान में विश्व व्यापार पण्य वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है जबकि आईएमएफ पूर्वानुमान में यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित है।

स्रोत: डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और ओईसीडी

दिशा परिवर्तन का संकेत मिला है। सेवा व्यापार, जो दूसरी तिमाही में 28 प्रतिशत तक कम हो गया था, के पुनरुत्थान होने में अधिक समय लगा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का माल व्यापार बैरोमीटर अगस्त में 84.5 से दिसंबर 2020³¹ में 103.9 पर पहुंच गया, लेकिन व्यापार के घटकों में तब से मंदी के कुछ संकेत दिख रहे हैं। महामारी के बाद से, वैश्विक प्रवास में तेज कटौती और यात्रा प्रतिबंध लगने के कारण, यात्रा और पर्यटन सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। वैश्विक धनप्रेषण पर कोविड-19 का प्रभाव, जो 2020 में पहले से साफ दिख रहा है, 2021 तक बढ़ सकता है, क्योंकि स्रोत देशों के बीच प्रवासी श्रमिकों की मांग में पूरी तरह से सुधार नहीं आ सकता है।

II.6.5 लॉकडाउन ने ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ-साथ सीमा पार विलय और अधिग्रहण पर भी सीमा पार निवेश को प्रभावित किया, जिससे 2020³² में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 38 प्रतिशत की गिरावट आई। यूरोप को अचानक रोक का सामना करना पड़ा लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से एशिया का प्रदर्शन बेहतर रहा। मार्च 2020 में कोविड-19

महामारी के कारण ईएमई से बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो का बहिर्वाह शुरू होने के बाद, सरकारों और केंद्रीय बैंकों की तेज और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा डॉलर की चलनिधि का समर्थन करने के कदम, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और चीन में त्वरित सुधार से वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में फिर से पोर्टफोलियो प्रवाह में मदद मिली। संस्फीति व्यापार से लाभान्वित, ईएमई ने पोर्टफोलियो अंतर्वाह को 2020-21 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 518 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया, जिसमें इसका लगभग 77 प्रतिशत अंतर्वाह ऋण बाजारों में रहा है। पूंजी प्रवाह में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर में गिरावट के कारण, अप्रैल-जून 2020 के दौरान ईएमई मुद्राओं में सुधार हुआ और उसके बाद वे स्थिर रहीं। मार्च 2020 से, केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी खरीद और संस्फीति व्यापार ने वैश्विक स्तर पर बांड के प्रतिफल को कम करने में मदद की और जोखिम लेने की प्रवृत्ति में पुनरुत्थान ने ईएमई आस्तियों के अधिग्रहण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बहुत जरूरी प्रोत्साहन दिया। वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही तक पण्य बाजार में व्यापक रूप से सुधार हुआ।

³¹ 2019 में शुरू, डब्ल्यूटीओ की सेवाओं का व्यापार बैरोमीटर दिसंबर 2020 में 104.7 पर सेवा व्यापार में सुधार का संकेत देता है।

³² 'आंकड़ों में एफडीआई', ओईसीडी (अप्रैल 2021); और निवेश की प्रवृत्ति की निगरानी, यूएनसीटीएडी (जनवरी 2021)।

3. पण्य व्यापार

II.6.6 विश्व व्यापार में गिरावट की पृष्ठभूमि में वर्ष 2020-21 के दौरान भारत का व्यापारिक माल के निर्यात और आयात में क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 18.0 प्रतिशत की कमी आई। कीमतों³³ में गिरावट के साथ-साथ मात्रा में 3.5 प्रतिशत की गिरावट ने निर्यात को कम कर दिया। कड़े उपायों, जो विशेष रूप से वर्ष 2020 की पहली तिमाही में घरेलू स्तर पर महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए थे, से निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं केवल फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और लौह अयस्क महामारी के हमले का सामना कर सके (सारणी II.6.1)। तीसरी तिमाही में गैर-तेल निर्यात (3.1 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण वापसी ने जोर पकड़ा (चार्ट II.6.2ए और II.6.2बी)।

II.6.7 वर्ष 2020-21 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेंट के निर्यात में 37.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के प्रभाव को दर्शाती है। मात्रा में गिरावट 15 प्रतिशत के स्तर पर बहुत कम थी। ओपेक प्लस के बीच उत्पादन की होड़ और आगामी आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, पश्चिम टेक्सास मध्यवर्ती वायदा के लिए निपटान कीमतों के साथ 20



सारणी II.6.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर \$ में			वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) प्रतिशत में		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
	1	2	3	4	5	6
निर्यात						
ति1	82.1	80.9	51.3	14.7	-1.4	-36.6
ति2	81.4	78.2	74.1	9.7	-3.9	-5.3
ति3	80.6	79.1	75.7	4.7	-1.9	-4.3
ति4	86.0	75.1	89.5	6.7	-12.7	19.2
वार्षिक	330.1	313.4	290.6	8.8	-5.1	-7.3
आयात						
ति1	128.7	130.1	61.3	12.7	1.1	-52.9
ति2	132.9	118.0	88.3	22.8	-11.3	-25.2
ति3	130.7	116.1	110.5	8.1	-11.2	-4.8
ति4	121.7	110.5	130.9	0.3	-9.2	18.4
वार्षिक	514.1	474.7	389.2	10.6	-7.7	-18.0
व्यापार शेष						
ति1	-46.6	-49.2	-9.9			
ति2	-51.5	-39.7	-14.1			
ति3	-50.1	-37.1	-34.9			
ति4	-35.7	-35.4	-41.4			
वार्षिक	-184.0	-161.3	-98.6			

टिप्पणी: तिमाही आंकड़ों की जोड़ वार्षिक आंकड़ों के जितनी नहीं होगी।
स्रोत: डीजीसीआईएस

अप्रैल 2020 को नकारात्मक क्षेत्र में बंद हो गया, जबकि कच्चे तेल की कीमतें 27 अप्रैल, 2020 को प्रति बैरल 20 अमेरिकी

चार्ट II.6.2: तेल से इतर निर्यात वस्तुओं के संकुचन में कमी तथा निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत: डीजीसीआईएस

³³ निर्यात/आयात के लिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आंकड़े विश्व बैंक (पिक शीट, यूवीआई का निर्माण), आईएमएफ और अन्य क्षेत्र विशेष वेबसाइटों से लिए गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों (जैसे, मसाले, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, आदि) से संबंधित रुझान प्रदान करते हैं, जिन्हें निर्यात की मात्रा में भारित परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए प्रॉक्सि के रूप में उपयोग किया जाता है।

डॉलर से कुछ कम थी। हालांकि, वर्ष के दौरान ओपेक प्लस द्वारा आपूर्ति प्रतिबंधों के साथ तेल कीमतों की गतिशीलता धीरे-धीरे बदल गई जिसका कारण जून 2020 और जनवरी 2021 में ओपेक के सबसे बड़े उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त स्वैच्छिक उत्पादन में कटौती का समर्थन किया जाना रहा। बाद में मार्च 2021 में उत्पादन कटौती को अप्रैल 2021 तक बढ़ाया गया।

II.6.8 जैसा कि पहले बताया गया है वर्ष 2020-21 के दौरान दवाओं और फार्मास्युटिकल निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई, ये निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.1 प्रतिशत (24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) बढ़ गए। इस सुदृढ़ प्रदर्शन को जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाने का कारण बताया जा सकता है। दवा के निर्यात के मामले में भारत की बड़ी मौजूदगी है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके अलावा, भारतीय दवा कंपनियां वैश्विक

स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति करती हैं। इस विशेषज्ञता का लाभ भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिए वैश्विक फार्मा कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए की गई। भारत सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (एपीआई) के आयात के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर रहा है; हालांकि, हाल ही में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एपीआई संकेंद्रण जोखिमों को कम करती है और इसका उद्देश्य भारत की विनिर्माण प्रक्रिया को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ साथ बढ़ते निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना है। पीएलआई योजना के तहत फार्मास्युटिकल क्षेत्र को कुल वित्तीय लागत का लगभग दसवां हिस्सा प्राप्त हुआ है और इस कदम से बड़े पैमाने पर उत्पादन करके लागत को कम करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को मजबूत करने की उम्मीद है (बॉक्स II.6.1)।

बॉक्स II.6.1

कोविड-19 महामारी - भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात के लिए अवसर और चुनौतियाँ

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक संवृद्धि सुधार के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक चिकित्सा निर्यात बाजार को खोला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का सुझाव है कि दुनिया की अधिकांश आबादी को कोविड -19 के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता है। प्रति वैक्सीन³⁴ 8 अमेरिकी डॉलर की औसत कीमत के संतुलित अनुमान पर, 31 से 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के अवसर वैश्विक स्तर पर खुलने का अनुमान है। एक अभूतपूर्व तेज गति से अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधि से टीके रिकॉर्ड नौ महीने में विकसित किए गए हैं। नई अभूतपूर्व (mRNA) तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कथित तौर पर कैंसर और पार्किंसंस जैसी कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होगी, जो फार्मा क्षेत्र के लिए नई राजस्व स्रोत खोलती हैं।

भारत का फार्मा सेक्टर जीडीपी में लगभग 2 प्रतिशत और कुल व्यापारिक माल निर्यात में 6.6 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत दुनिया में चिकित्सा से संबंधित सामानों का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक है और पिछले दो दशकों के दौरान भारत का फार्मा निर्यात दुनिया के निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा, भारत कम विकसित और विकासशील देशों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। आंकड़ा विश्लेषण से संबंधित कंपनी एयरफिनिटी के अनुसार, भारत आने वाले वर्षों में अमेरिका के बाद कोविड-19 वैक्सीन का

प्रमुख आपूर्तिकर्ता होगा (चार्ट 1ए से 1सी)। भारतीय फार्मास्युटिकल फर्मों ने पहले से ही मौजूदा बुनियादी ढांचे और एक कुशल श्रम शक्ति का लाभ उठाकर कोविड-19 वैक्सीन को बनाना शुरू कर दिया है। 15 मार्च, 2021 तक, भारत ने अनुदान (81.3 लाख), वाणिज्यिक निर्यात (339.7 लाख), और COVAX मंच (165.5 लाख) के अंतर्गत 71 देशों में कुल 586.4 लाख कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की थी। हालांकि भारत में दूसरी लहर और टीकाकरण को बढ़ाने के दबाव के कारण इसके निर्यात में थोड़े समय के लिए कमी आ सकती है।

भारतीय फार्मा कंपनियों के तुलनात्मक लाभ का विश्लेषण करने के लिए, 67 फार्मास्युटिकल फर्मों के लिए एक पैनेल फिक्स्ड इफ़ेक्ट रिग्रेशन मॉडल, प्रूव डेटाबेस का उपयोग करके, व्याख्यात्मक वेरिएबल के रूप में निर्यात में बिक्री का अनुपात और 2010-11 से 2019 की नमूना अवधि को कवर करने के लिए निम्नलिखित अनुभवजन्य विशेषताएँ हैं (रेंटाला एवं अन्य 2017):


$$V_{it} = \alpha_0 + \alpha_i X_{it} + T_t + T_i + \varepsilon_{it}$$

जहाँ आश्रित चर (V) t वर्ष में अपनी बिक्री के अनुपात के रूप में ⁱ फर्म द्वारा निर्यात किया जाता है। X फर्म-विशिष्ट व्याख्यात्मक चर के एक वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात्, आयात की तीव्रता, एक फर्म के कच्चे माल की समग्र खरीद के लिए कच्चे माल के आयात के अनुपात के रूप में

(जारी)

³⁴ यूनिसेफ से लिया गया कोविड-19 वैक्सीन का औसत मूल्य 8 अमेरिकी डॉलर

चार्ट 1: भारत- चिकित्सा उत्पादों का एक अग्रणी निर्यातक



स्रोत: आईटीसी ट्रेडमैप, एयरफिनिटी और स्टेटिस्टा

मापा जाता है; अनुसंधान और विकास की तीव्रता, बिक्री के लिए अनुसंधान और विकास व्यय के अनुपात से मापा जाता है; लीवरेज अनुपात, कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण के रूप में मापा जाता है; पूंजी की तीव्रता, जिसे दिए गए वर्ष में कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध अचल संपत्ति के रूप में मापा जाता है; और लाभप्रदता, कर के बाद मुनाफे और बिक्री के अनुपात से मापा जाता है। T_1 और T_2 अलग-अलग वित्तीय वर्षों में और अलग-अलग फर्मों में स्थितियों के लिए नियंत्रित करने के लिए क्रमशः समय निश्चित प्रभाव और फर्म निश्चित प्रभाव हैं।

अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि आर एंड डी, आयात तीव्रता, पूंजी की तीव्रता, और कर के बाद लाभ महत्वपूर्ण कारक हैं जो निर्यात तीव्रता (सारणी 1) को प्रभावित करते हैं। भारतीय दवा कंपनियां अपने कारोबार का

लगभग 8-13 प्रतिशत ही आरएंड डी पर खर्च करती हैं। उच्च आर एंड डी व्यय से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आता है और विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है (ग्रॉसमैन और हेल्पमैन, 1991)। भारत का फार्मा निर्यात क्षेत्र काफी हद तक सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों (एपीआई) के आयात पर निर्भर करता है, विशेष रूप से थोक ड्रग्स के मामले में और यह अनुभवजन्य निष्कर्षों से प्रमाणित होता है, जो दर्शाता है कि आयात की तीव्रता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।

सरकार ने पहले ही कुछ प्रमुख दवा मध्यवर्ती और एपीआई में आयात निर्भरता को कम करने के लिए कई पहल की हैं। पीएलआई योजना के माध्यम से आर एंड डी और मूल डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी गई है। ये कार्रवाई घरेलू फार्मा कंपनियों की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी है।

सारणी 1: भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की निर्यात तीव्रता

व्याख्यात्मक चरों	आश्रित चर: निर्यात तीव्रता
1	2
कर पश्चात लाभ	0.07* (2.87)
आर एंड डी तीव्रता	0.69* (3.97)
पूंजी तीव्रता	0.03* (3.38)
लीवरेज	-0.02 (1.2)
आयात तीव्रता	0.10* (2.93)
कंपनियों की संख्या	67
समय निश्चित प्रभाव	YES
कंपनी निश्चित प्रभाव	YES
आर-एस्कवायर	0.86

*1 प्रतिशत स्तर पर महत्व

स्रोत : प्रोवेस (सीएमआईई) और आरबीआई स्टाफ आकलन

संदर्भ:



- ग्राजी, एम., मैथ्यू, एन., एंड मोशेला, डी. (2017), 'ईफिसीएनसी, इन्नोवेशन, एंड इंपोर्ट इनपुट: डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एमंग इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग फर्म्स', एलईएम वर्किंग पेपर सीरीज (नं. '2017/09)
- ग्रॉसमैन, जी.एम. और हेल्पमैन, ई. (1991), ट्रेड, नॉलेज स्पिलोवर्स, एंड ग्रोथ', यूरोपीय आर्थिक समीक्षा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2021), 'विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट', जनवरी।
- रेंटाला एस., आनंद, बी., और शाबान, एम. (2017), 'डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस: एन एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज', इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजी (पीपी. 241-257)। पालग्रेव मैकमिलन, लंदन.

II.6.9 वर्ष 2020-21 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 86.8 प्रतिशत (4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की मजबूत वृद्धि जिससे सभी महीनों में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है। लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि लौह अयस्क की बढ़ती कीमतों के कारण उच्च निर्यात मात्रा के कारण हुई। हाल के वर्षों में, चीन भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का चौथा-पांचवा से अधिक के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा है। ब्राजील की लौह अयस्क आपूर्ति और ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव के कारण भारत के लिए अतिरिक्त स्थान खाली हो गया है (चार्ट II.6.3)। नतीजतन, आपूर्ति-मांग बेमेल के कारण जून 2020 से लौह अयस्क की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई।


II.6.10 कृषि निर्यात ने भी कोविड-19 के समय आघात-सहनियता दिखाई। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, कृषि उत्पादों में व्यापार समग्र व्यापार की तुलना में अधिक सुदृढ़ है। प्रारंभ में, देशों ने निर्यात प्रतिबंध और खाद्य उत्पादों को स्टॉक करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया; हालाँकि, बाद में निर्यात प्रतिबंधों को कम करके कृषि उत्पादकों का समर्थन करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदलने की दिशा में नीतियों में बदलाव आया।

II.6.11 भारत में भी, कृषि निर्यात, जो वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कम हुआ था, बाद की तिमाहियों में तेजी से बढ़ गया। खरीफ की बम्पर फसल ने सुधार में सहायता की जिससे अनुकूल आपूर्ति माहौल बनाने में सहायता मिली (चार्ट II.6.4)।

II.6.12 वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में प्रमुख निर्यात स्थलों पर लॉकडाउन के कारण भारत के कुल व्यापारिक निर्यात समूह का लगभग एक-चौथाई हिस्सा रखने वाली इंजीनियरिंग सामग्री में, है, - तेजी से गिरावट देखी गई। हालाँकि, वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही से इसमें सुधार दिखने लगे और वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में, विशेष रूप से मार्च 2021 में एक मजबूत उछाल, दर्ज की गई। इस क्षेत्र के भीतर, लोहा और इस्पात, तांबा और उससे संबंधित उत्पादों, जस्ता और उससे संबंधित उत्पादों तथा एल्यूमीनियम और उससे संबंधित उत्पादों सहित आधार धातुओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। चीन और अन्य पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में तेज औद्योगिक सुधार, जो कोविड-19 से अपेक्षाकृत कम प्रभावित थे, से भारत से आधार धातु निर्यात की मांग में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, मोटर वाहन, जहाज, ऑटो घटकों सहित परिवहन से संबंधित सामानों का निर्यात धीमा हो गया है, जिससे समग्र इंजीनियरिंग सामानों की वृद्धि में गिरावट आई है। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों



चार्ट II.6.5: इंजीनियरिंग वस्तु तथा रत्न और आभूषण का निर्यात



और विशेष स्वरूप का स्टील सहित इंजीनियरिंग सामानों के कई घटकों के लिए पीएलआई योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (एयर कंडीशनर और लाइट एमिटिंग डायोड्स), उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, टेलीकॉम और नेटवर्किंग सामानों और एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी के निर्माण के लिए पीएलआई योजनाओं ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात को बढ़ावा देने और इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात का समर्थन करने की उम्मीद है (चार्ट II.6.5ए)।

II.6.13 रत्न और आभूषण निर्यात, जो वर्ष 2019-20 में कम हो गए थे, कोविड-19 संबंधित मांग और आपूर्ति में व्यवधान के कारण 2020-21 में और अधिक गिर गए। यह कमी विशेष रूप से वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में ज्यादा थी, लेकिन मोती और कीमती पत्थरों की मांग में सुधार के कारण निर्यात वृद्धि अंततः नवंबर 2020 में सकारात्मक हो गई (चार्ट II.6.5बी)। स्वर्ण आभूषण, जो अन्य प्रमुख घटक है, कमी की स्थिति में ही रहा। यूएई सोने के आभूषण निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य हुआ करता था, जो भारत के कुल सोने के आभूषण के निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा था। हालांकि, यात्रा प्रतिबंध और कोविड-19 द्वारा पैदा हुई अनिश्चितता के कारण संयुक्त अरब अमीरात में ऋण पर माल भेजने के लिए भारतीय


निर्यातकों की अनिच्छा सोने के आभूषणों के निर्यात में भारी गिरावट का कारण बना।

II.6.14 जैसा कि पहले कहा गया था, कोविड-19 का प्रकोप गंभीर आपूर्ति और मांग-पक्षीय व्यवधानों का कारण बना, भारत का व्यापारिक आयात, जिसमें 2019 के दौरान मंदी देखी गई, जनवरी और फरवरी 2020 में सुधारना शुरू हुआ था। हालांकि, महामारी के फैलने के कारण अप्रैल 2019 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल 2020 में आयात वृद्धि में 59.7 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई जो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा थी। मात्रा के संदर्भ में भी गिरावट देखी गई। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में 474.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2020-21 में आयात 18.0 प्रतिशत की गिरावट के साथ कम होकर 389.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया (सारणी II.6.1)। आयात में गिरावट मूल्य और मात्रा के प्रभाव के कारण हुई, जिसमें आयात की मात्रा में अनुमानतः 8.9 प्रतिशत³⁵ की गिरावट हुई।

II.6.15 क्षेत्रीय संरचना से पता चलता है कि आयात में गिरावट व्यापक थी। त्योहारी समय के दौरान लॉकडाउन के उपायों में धीरे-धीरे छूट के साथ-साथ प्रोत्साहन पैकेज के कारण घरेलू मांग में सुधार आया (चार्ट II.6.6ए)। पण्य -वार, पेट्रोलियम, तेल

³⁵ पैरा II.6.6 में फुट नोट देखें।

चार्ट II.6.6: आयात समूह में सकारात्मक संवृद्धि दिखाने वाले क्षेत्रों का हिस्सा और आयात संवृद्धि में सापेक्ष योगदान




और लूब्रिकेंट (पीओएल), परिवहन उपकरण, मशीनरी, कोयला, मोती और कीमती पत्थर तथा लोहा और इस्पात प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान आयात वृद्धि को कम किया है (चार्ट II.6.6 बी)।

II.6.16 भारत लगभग 85 प्रतिशत आयात निर्भरता के साथ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है जिससे पीओएल कुल आयात भुगतानों³⁶ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के लागू होने के साथ, पीओएल की मांग में गिरावट आई और वर्ष 2020-21 के दौरान पीओएल आयात बिल 82.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 36.9 प्रतिशत की गिरावट) तक गिर गया जो पिछले साल इसी अवधि में 130.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पीओएल आयात में कमी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों (भारतीय समूह) में 25.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट के साथ-साथ अगर मात्रा के संदर्भ में देखें तो इसमें 13.8 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट आई है।

II.6.17 यद्यपि इराक और सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता बने रहे, इस अवधि के दौरान उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई। वेनेजुएला, जो भारत के


प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक था, अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद, इसकी हिस्सेदारी में भारी गिरावट (2019-20 में 4.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2021 में 0.9 प्रतिशत) देखी गई। इसके विपरीत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और संयुक्त अमेरिका ने भारत के पीओएल आयात में अपनी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की (चार्ट II.6.7)।

चार्ट II.6.7: भारत के कच्चे तेल के आयात समूह में व्यापारिक भागीदारों का हिस्सा



³⁶ भारत के तेल और गैस से संबंधित आंकड़े (अगस्त 2020), पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्नेपशॉट।

चार्ट II.6.8: स्वर्ण आयात और स्वर्ण पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग)



*: स्थानीय खदानों के उत्पादन से घरेलू आपूर्ति, तांबे के सारकृत द्रव्य तथा विनिवेश से वसूली होती है।


स्रोत: डीजीसीआई तथा एस तथा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा पर आधारित आरबीआई स्टाफ का परिकलन

II.6.18 भारत सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन इसने अप्रैल 2020 में अपनी सबसे कम मासिक मात्रा का आयात किया, जो महामारी के कारण मांग में भारी गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, सोने का आयात, मूल्य के लिहाज से, दूसरी तिमाही में बढ़ गया और तब से लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। सोने के आयात में वृद्धि प्रमुखतः सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी के कारण बढ़ी है, हालांकि मात्रा के संदर्भ में भी वे पिछले साल के स्तर तक पहुंच गए हैं (चार्ट II.6.8ए)। विशेष रूप से 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान, बेस इफेक्ट से लेकर पर्व-त्योहारों (अक्षय तृतीया) और शादी-ब्याह के कारण बढ़ी मांग जैसे कई कारकों ने सोने के आयात में तेज उछाल लाने में योगदान दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सोने की ऊंची कीमतों ने सोने के वैश्विक पुनर्चक्रण की वृद्धि में साथ दिया, जो 2020 की दूसरी और तीसरी तिमाही में और अधिक तेज हो गया (चार्ट II.6.8बी)।


II.6.19 गैर-तेल गैर-सोने का आयात, जो 2018-19 की चौथी तिमाही से संकुचित होना शुरू हो गया था, सात तिमाहियों के बाद 2020-21 की तीसरी तिमाही में, विशेष रूप से दिसंबर 2020 में वापस बढ़ना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती और कीमती पत्थर तथा रसायन 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान वृद्धि-विस्तार में प्रमुख योगदानकर्ता थे।

II.6.20 वैश्विक महामारी ने पूंजीगत वस्तुओं- किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग का एक संकेतक- के आयात में मंदी को और बढ़ा दिया और यह एक साल पहले के 2.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2020 में 28.3 प्रतिशत संकुचित हो गया। सभी प्रमुख उप-क्षेत्रों यानी लोहा और इस्पात, मशीनी उपकरण, मशीनरी और परिवहन उपकरण में तेज मंदी देखने को मिली। दिसंबर 2020 से पूंजीगत वस्तुओं के आयात में सुधार होना शुरू हुआ क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूर्वावस्था में आना शुरू कर दिया था (चार्ट II.6.9)।

चार्ट II.6.9: पूंजीगत माल की आयात वृद्धि का वियोजन



चार्ट II.6.10: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए शीर्षस्थ आयात स्रोत: उप-क्षेत्र




टिप्पणी: 2020-21 का डेटा फरवरी तक है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा डीजीसीआई तथा एस के डेटा पर आधारित परिकलन

II.6.21 भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात 0.1 प्रतिशत के मामूली संकुचन के साथ 2020-21 में 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019-20 में 54.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक निवल आयातक है इलेक्ट्रॉनिक सामानों के क्षेत्र का व्यापार घाटा 2020-21 में 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 42.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था³⁷ (चार्ट II.6.10)। स्थान की दृष्टि से देखें तो चीन लगभग सभी उत्पाद श्रेणियों का


प्रमुख स्रोत भागीदार है। कोविड-19 प्रेरित वैश्विक लॉकडाउन के कारण आपूर्ति पक्ष में व्यवधान आए, जिसके कारण स्रोत भागीदारों में विविधता लाने की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तदनुसार, सरकार ने हाल ही में, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस) के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए दो प्रमुख नीतिगत पहल की है। कई वैश्विक विनिर्माण कंपनियों को भारत में अपने विनिर्माण आधार का विस्तार करने की उम्मीद है। चूंकि इस क्षेत्र में मजबूत उत्पादन-पूर्व और उत्पादनोत्तर सहबद्धता (बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज) हैं, इसलिए यह, घरेलू उत्पादन क्षमता के विस्तार को बल देगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत नई तकनीकों को शामिल करने के साथ निर्यात को बढ़ावा देगा।

II.6.22 अप्रैल-फरवरी 2020-21 के दौरान, चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटे में गिरावट आई, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, आयात में गिरावट निर्यात की तुलना में बड़ी होने के कारण, व्यापार घाटा 2020-21 में 98.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 161.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह कोविड-19 के कारण सख्त लॉकडाउन उपायों के प्रभाव और आर्थिक गतिविधियों में मंदी-दोनों को दर्शाता है (चार्ट II.6.11ए और II.6.11बी)।

चार्ट II.6.11: व्यापार संतुलन का वियोजन



टिप्पणी: सकारात्मक Δ आयात से तात्पर्य कम आयात और इसके विपरीत से है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा डीजीसीआईएस के डेटा पर आधारित परिकलन




टी.बी व्यापार संतुलन।

³⁷ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है; 2020-21 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों सहित आयात के कुल कारोबार में यह करीब 83 प्रतिशत था।



4. अदृश्य मदें

II.6.23 स्थिर सेवागत आय के बूते, सेवा, आय और अंतरणों के सीमापार लेनदेन को दर्शाती अदृश्य मदों की निवल प्राप्तियों पर, वैश्विक आघात का असर नहीं पड़ा (चार्ट II.6.12)। एक ओर सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात की मांग मजबूत बनी रही और वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में विप्रेषण प्राप्तियों में क्रमिक रूप से सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर समुद्रपारीय निवेशकों को शुद्ध आय भुगतानों में वृद्धि के कारण, प्राथमिक आय खाते से व्यय में वृद्धि हुई।


II.6.24 चल रही महामारी और परिणामी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं में विश्व व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया (चार्ट II.6.13)। भारत की सेवाओं का निर्यात अपेक्षाकृत आघात-सह रहा और धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिये। यह मुख्य रूप से मजबूत सॉफ्टवेयर निर्यात से अर्जन के कारण हुआ। वैश्विक प्रतिकूलता के बावजूद, सॉफ्टवेयर सेवाओं, जो भारत की कुल सेवाओं के निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक है, में निरंतर वृद्धि देखी गई, क्योंकि प्रमुख आईटी कंपनियों ने, दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने और क्लाउड सेवाओं में माइग्रेट करने के लिए कारोबारी बदलाव संबंधी उपायों की बढ़ती



वैश्विक मांग को भुनाने के लिए, पूंजी निवेश किया। दुनिया भर में लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के लागू होने से यात्रा और परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं (चार्ट II.6.14)। अन्य सेवाओं में, कारोबार और वित्तीय सेवाओं में, जो मुख्य रूप से ऑफ-साइट सेवाओं से संबंधित हैं, मध्यम गति से स्थिर प्रवाह देखा गया।



चार्ट II.6.15: प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में आवक विप्रेषण




II.6.25 मेजबान देशों से प्रवासी श्रमिकों का पलायन हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप 2020 में वैश्विक विप्रेषण प्रवाह में तेज गिरावट आई (चार्ट II.6.15)। आवक विप्रेषणों का उच्चतम प्राप्तकर्ता होने के नाते, भारत में अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में विप्रेषण में 5.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालाँकि इस शुरुआती झटके के बाद, विप्रेषणों की गति धीरे-धीरे बहाल हो गई, लेकिन इनका प्रवाह, संकट-पूर्व स्तर से नीचे ही रहा। फिर भी, भारत, वर्ष 2020 में वैश्विक विप्रेषण में 11.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा (विश्व बैंक, मई 2021)।

II.6.26 आय लेख में, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया और वित्तीय तथा अन्य गैर-उत्पादित आस्तियों के स्वामित्व से जुड़ी सीमापार आय प्राथमिक रूप से परिलक्षित होती है, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में निवल बहिर्वाह अधिक दर्ज हुआ। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर कम ब्याज आय और ऋण और गैर-ऋण देनदारियों पर अधिक आय भुगतान के कारण सकल निवेश आय प्राप्तियों में आई नरमी के कारण शुद्ध बाह्यगमन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अधिक रहा।


II.6.27 अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में चालू खाते में सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि एक वर्ष पहले 1.2 प्रतिशत का घाटा था (चार्ट II.6.16)। 2020-21

चार्ट II.6.16: भारत के चालू खाता घाटे की संरचना



की पहली तिमाही में उच्चतर अधिशेष दर्ज करने के बाद, दूसरी तिमाही में चालू खाता अधिशेष संकुचित हो गया और तीसरी तिमाही में नकारात्मक हो गया क्योंकि व्यापारगत माल निर्यात और आयात दोनों के लिए संकुचन की गति में ढील आई और व्यापार घाटा बढ़ गया। कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण व्यापार की सकारात्मक शुद्ध शर्तों और आयात की मात्रा में गिरावट से अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में अधिशेष दर्ज हुआ (चार्ट II.6.17)।


चार्ट II.6.17: वृद्धिशील चालू खाता शेष के स्रोत



5. बाह्य वित्तपोषण

II.6.28 वित्तीय प्रवाह के प्रमुख घटकों में, प्रत्यक्ष विदेशी और पोर्टफोलियो निवेश अंतर्वाह बढ़े थे; तथापि, बाहरी वाणिज्यिक उधारी, व्यापार ऋण और बैंकिंग पूंजी के रूप में ऋण शुद्ध बहिर्वाह के रूप में दर्ज हुए। चालू खाता अधिशेष स्थिति में होने के साथ-साथ, बीओपी आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि (मूल्यांकन परिवर्तनों को छोड़कर) अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में 83.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थी (चार्ट II.6.18 और परिशिष्ट सारणी 8)।

II.6.29 पूंजी प्रवाह पर एफडीआई का प्रभुत्व था जो सकल और निवल- दोनों रूप में एक वर्ष पहले की तुलना में अधिक रहा (सारणी II.6.2)। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49 प्रतिशत से, स्वचालित मार्ग के तहत बढ़ाकर, 74



सारणी II.6.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

बिलियन अमेरिकी डॉलर \$

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
1. निवल एफडीआई (1.1-1.2)	30.3	30.7	43.0	43.4
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1-1.1.2)	39.4	43.3	56.0	54.7
1.1.1 सकल अंतर्वाह	61.0	62.0	74.4	81.7
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	21.5	18.7	18.4	27.1
1.2 निवल जावक एफडीआई	9.1	12.6	13.0	11.3

स्रोत: आरबीआई

प्रतिशत कर दी गई। ओईसीडी के एफडीआई प्रतिबंध सूचकांक में लगातार सुधार हुआ – यह 2015 में 0.244 था जो 2019 में 0.207 हो गया। पीएलआई के विस्तार से उन विदेशी कंपनियों के आकर्षित होने की प्रबल संभावना है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी उपस्थिति को विस्तारित करना चाहते हैं। 2020-21 में, भारत का एफडीआई प्रदर्शन वैश्विक एफडीआई के ठीक विपरीत था³⁸ भारत ने अप्रैल 2000 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह को पार कर लिया, जो एक मील का पत्थर था (बॉक्स II.6.2)। 2020-21 के

बॉक्स II.6.2


क्या एफडीआई कोविड से अप्रभावित है ?

वैश्विक महामारी के अप्रत्याशित आघात ने पूंजीगत प्रवाह को और विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में वैश्विक प्रवाह के सीमापार आवागमन को प्रभावित किया। 2020 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 38 प्रतिशत की गिरावट आई (ओईसीडी, 2021), जो 2005 के बाद अपने निम्नतम स्तर पर था (चार्ट 1)। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण, न केवल मौजूदा निवेश परियोजनाओं में देरी हुई, बल्कि वैश्विक कंपनियों को अपनी नई परियोजनाओं पर दुबारा विचार करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा।


प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जो एफडीआई अंतर्वाहों की वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत रहीं (चार्ट 2)। भारत के मामले में, इन निवेशों का बहुत बड़ा भाग ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफार्म क्षेत्र में गया तथा इस संबंध में हुए बड़े सौदे भारतीय कंपनियों के मामले में वैश्विक डिजिटल क्रियाकलापों की बढ़ती हुई कारोबारी संभावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

(जारी)

³⁸ ओईसीडी (2021), 'अप्रैल के आंकड़ों में एफडीआई'




यद्यपि 2020-21 में एफडीआई अंतर्वाहों में तेजी बनी रही, तथापि उनके वितरण में काफी विषमता देखी गई (चार्ट 3)। महामारी अवधि के दौरान एफडीआई प्रवाहों (लेन-देन की राशि के आधार पर) का विचरण गुणांक काफी अधिक था, जो वितरण में संकेंद्रण को परिलक्षित करता है। वर्ष के दौरान लेन-देनों में कमी एफडीआई अंतर्वाहों में अंतर्निहित कमजोरी की ओर इशारा करती है। शीर्ष पांच एफडीआई सौदों के बिना, वर्ष 2020-21 के



दौरान हुए एफडीआई अंतर्वाहों में एक वर्ष पहले के अपने स्तर के लगभग एक तिहाई की गिरावट आती। महामारी अवधि के दौरान एफडीआई लेन-देनों की संख्या में 31 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि उनके औसत आकार में मामूली कमी हुई (सारणी 1)।

आगे चलकर, 2021-22 में एफडीआई के पाइपलाइन को पीएलआई को दिए गए जोर और घरेलू वृद्धि की संभवानाओं से सहारा मिल सकता है।



सारणी 1 : एफडीआई लेन-देनों की संख्या तथा राशि (शीर्ष 5 उच्च मूल्य के लेन-देनों के अतिरिक्त)

अवधि	लेन-देनों की संख्या	औसत राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
1	2	3
2019-20	19,330	1.8
2020-21	13,278	1.7

स्त्रोत : आरबीआई; तथा आरबीआई स्टाफ गणना

संदर्भ :

ओईसीडी (2021), 'आंकड़ों में एफडीआई', अप्रैल


दौरान, कंप्यूटर सेवाओं ने सबसे बड़ा एफडीआई प्रवाह (43.9 प्रतिशत हिस्सा) आकर्षित किया; इसके बाद परिवहन, विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार और वित्तीय सेवाओं का स्थान रहा। देश-वार देखें तो सिंगापुर और यूएसए एफडीआई इक्विटी प्रवाह के प्रमुख स्रोत (कुल प्रवाह का 55.4 प्रतिशत) बने रहे; उसके बाद मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, केमैन द्वीप और नीदरलैंड का स्थान रहा (चार्ट 11.6.19 और परिशिष्ट सारणी 9)।

11.6.30 इक्विटी निवेश के अलावा, एफडीआई कंपनियों का पुनर्निवेशित अर्जन (यथा., निवेशित माने गए लाभ) और संबद्ध

उद्यमों के बीच अंतर-कॉर्पोरेट कर्ज लेन-देन भी मजबूत रहे, जो अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान 15.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए।

11.6.31 बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वर्ष-दर-वर्ष 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। यह गिरावट विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई प्रवाह में व्यापक गिरावट को दर्शाती है। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, नीदरलैंड और यूके ऐसे प्रमुख देश थे, जहां एक साथ भारत के बाह्य एफडीआई का लगभग 73 प्रतिशत निवेश किया गया। वर्ष के दौरान भारत से विदेशी प्रत्यक्ष


चार्ट II.6.19: एफडीआई का स्रोत देश-वार अंतर्वाह (इक्विटी)



निवेश को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच क्षेत्र कारोबार सेवाएं, विनिर्माण; रेस्तरां और होटल; कृषि और खनन; और निर्माण थे।

II.6.32 वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो प्रवाह मार्च के निचले स्तरों से उबर गए। 2020-21 की पहली तिमाही में कर्ज खंड में बिकवाली के बावजूद, बाद की तिमाहियों में इक्विटी सेगमेंट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बड़े एक्सपोजर से 2020-21 के दौरान कुल प्रवाह 37.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। (चार्ट II.6.20)। अभूतपूर्व मौद्रिक सहजता से प्रेरित पर्याप्त वैश्विक चलनिधि ने वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सुधार किया। वैक्सीन पर आशावाद तथा अमेरिका में राजकोषीय प्रोत्साहन ने विदेशी निवेशकों के बीच जोखिम उठाने की भावना को जागृत किया और नवंबर-दिसंबर 2020 में भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह में उछाल आया। हालांकि, इक्विटी में उच्च मूल्यांकन और बॉण्ड बाजारों में आपूर्ति में बढ़ोतरी के कारण, ये प्रवाह 2020-21 की चौथी तिमाही में संयमित हो गए। यद्यपि घरेलू इक्विटी खंड में 2020 (कैलेंडर वर्ष) में अब तक का सबसे बड़ा निवल अंतर्वाह देखा गया, तथापि कर्ज खंड में इसी अवधि के दौरान रिकॉर्ड बिकवाली देखी गई।

चार्ट II.6.20: भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह




II.6.33 वर्ष के दौरान वास्तविक प्रतिफल में गिरावट और अधिक सरकारी उधारियों के बीच, 31 मार्च 2021 तक जी-सेक और राज्य विकास ऋण की कुल निवेश सीमा के लगभग 28 प्रतिशत की उपयोग दर से साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कर्ज खंड में एक्सपोजर कम हुआ। यद्यपि, एफपीआई के लिए मार्च 2020 में शुरू किए गए 'पूर्णतः अभिगम्य मार्ग' के तहत उपलब्ध निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की उपयोगिता दर 2.7 प्रतिशत थी तथापि, स्वैच्छिक अवधारण मार्ग के तहत उपलब्ध निवेश सीमा का उपयोग 72 प्रतिशत था, हालांकि यह मुख्य रूप से कॉर्पोरेट बॉण्ड के माध्यम से था। 31 मार्च 2021 तक एफपीआई के अंतर्गत कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश की सीमा सामान्य निवेश सीमा (यथा., बकाया स्टॉक का 15 प्रतिशत) के 24.5 प्रतिशत पर बनी रही, जो कि एक वर्ष पहले की सीमा के 54.5 प्रतिशत से कम थी।

II.6.34 एफपीआई अंतर्वाह का लगभग 67 प्रतिशत शीर्ष तीन क्षेत्रों यथा., वित्तीय सेवाएं (39 प्रतिशत), सॉफ्टवेयर और सेवाएं (17 प्रतिशत), तेल और गैस (11 प्रतिशत) में दर्ज किया गया (चार्ट II.6.21)। बैंकिंग क्षेत्र में पोर्टफोलियो प्रवाह उत्साहजनक रहा क्योंकि बैंकों ने कोविड-19 की चिंताओं³⁹ को कम करने के

³⁹ 2020-21 में बैंकिंग क्षेत्र में एफपीआई इक्विटी अंतर्वाह ₹3.88 लाख करोड़ था, जबकि एक वर्ष पहले ₹2.15 लाख करोड़ का बहिर्वाह था।


चार्ट II.6.21: इक्विटी बाजार में एफपीआई एक्सपोजर में बदलाव



लिए समय पर पूंजी जुटाई और इसके साथ ही इसे सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले ने अतिरिक्त गति प्रदान की। लॉकडाउन के कारण भुगतान प्रणाली में डिजिटल लेनदेन पर निर्भरता ने आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं के परिदृश्य में सुधार किया। अन्य क्षेत्रों में, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों और फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों में निवेशकों का आशावाद उल्लेखनीय था। मार्च 2021 के अंत तक, अभिरक्षा के तहत रखी आस्तियों में अमेरिका स्थित पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रभुत्व था जिसके बाद मॉरीशस, लक्जमबर्ग, सिंगापुर और यूके का स्थान था। वीआरआर के तहत एफपीआई की सीमा जनवरी 2020 में बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपये कर दी गई थी और कोविड-19 के कारण होने वाले अवरोधों को देखते हुए, एफपीआई को बाद में अपने प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार का 75 प्रतिशत निवेश करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। वीआरआर (जिसे मार्च 2019 में शुरू किया गया था) के तहत संचयी एफपीआई निवेश 31 मार्च 2021 तक 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।


II.6.35 बाह्य वाणिज्यिक उधार करारों में कमी आई। एक वर्ष पहले के अपने स्तर की तुलना में 2020-21 में ईसीबी के नए संवितरण कम थे और फर्मों ने ईसीबी का पूर्व भुगतान किया।

चार्ट II.6.22: संचयी ईसीबी पर भारत औसत ब्याज मार्जिन




चूंकि एक वर्ष पहले की तुलना में उधार लेने की अधिक लागत को देखते हुए चुकौती नए संवितरण से अधिक हो गई (चार्ट II.6.22), इसलिए ईसीबी में एक वर्ष पहले 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्वाह की तुलना में 2020-21 के दौरान 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया (चार्ट II.6.23)।

चार्ट II.6.23: भारत का बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल)



चार्ट II.6.24: ईसीबी का अंतिम उपयोग (2020-21)



II.6.36 वर्ष के दौरान प्राप्त ईसीबी का उपयोग मुख्यतः आगे-उधार देने/उप- उधार देने के लिए किया गया, जिसके बाद अवसंरचना विकास, पहले के उधारों का पुनर्वित्तीयन, कार्यशील पूंजी, नई परियोजनाएं, विदेशी अधिग्रहण और रुपये ऋणों के पुनर्वित्तीयन में किया गया (चार्ट II.6.24)। ईसीबी के भीतर, रुपए मूल्यवर्ग के ऋण और रुपए मूल्यवर्ग के बॉण्ड (आरडीबी) कुल करार राशि का 6.0 प्रतिशत थे जबकि एक साल पहले यह 7.1 प्रतिशत था। इसके अलावा, हेज किए गए ऋण/ बॉण्ड (रुपया मूल्यवर्ग के उधार के अलावा) का हिस्सा एक साल पहले के 56.7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 51.3 प्रतिशत पर था। आरडीबी में निवल बहिर्वाह 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहिर्वाह से कम है।

II.6.37 अल्पकालिक ऋण के रूप में पण्य आयात करने के लिए बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं में भी गिरावट आई। चूंकि चुकौती आयातकों द्वारा लिए गए नये क्रेडिट से अधिक थी, इसलिए अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ। व्यापार क्रेडिट का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल, सोना, कोयला और तांबे के आयात के लिए लिया गया।

सारणी: II.6.3: अनिवासी जमाखातों के अंतर्गत प्रवाह

बिलियन अमेरिकी डॉलर \$

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	7.1	7.3	5.6	8.8
2. अनिवासी सामान्य खाता	1.5	1.9	2.0	2.3
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	1.0	1.1	1.1	-3.8
अनिवासी जमाशियाँ (1+2+3)	9.7	10.4	8.6	7.4

स्रोत: आरबीआई

II.6.38 अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाते में तीव्र अंतर्वाह के साथ, जो कुल बकाया एनआरआई जमाशियों का लगभग 72 प्रतिशत है, अनिवासी जमा खातों में निवल अंतर्वाह 2020-21 के दौरान 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले के अपने स्तर से कम था (सारणी II.6.3)। यद्यपि एनआरई खाते और एनआरओ खाते में क्रमशः 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह देखा गया, एफसीएनआर (बी) जमाशियों में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया, जिसका आंशिक रूप से कारण अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना था।

6. सुभेद्यता के संकेतक

II.6.39 दिसंबर 2020 के अंत तक भारत का बाह्य कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 21.4 प्रतिशत था, जो उभरते बाजार वाले समकक्ष देशों की तुलना में कम रहा। दिसंबर 2020 के अंत में, भारत का बाह्य ऋण मार्च 2020 के अंत के स्तर से 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात्, 1.0 प्रतिशत) बढ़ गया, जिसका प्राथमिक कारण अनिवासी जमाशियाँ थीं। 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन हानि के कारण भी बढ़ोतरी हुई थी, जो भारतीय रुपए और प्रमुख मुद्राओं (जैसे यूरो, येन और एसडीआर) के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन के फलस्वरूप थी। यदि इस मूल्यांकन प्रभाव को शामिल नहीं किया जाए तो बाह्य कर्ज में 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी की बजाय 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी होती।

सारणी II.6.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)

संकेतक	2013	2019	2020	2020 (दिसंबर के अंत में)
1	2	3	4	5
1. जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य कर्ज	22.4	19.9	20.6	21.4
2. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	20.0	19.1	18.4
3. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	43.4	42.4	44.8
4. कुल कर्ज की तुलना में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	8.7	8.8	9.1
5. कुल कर्ज की तुलना में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	76.0	85.6	104.0
6. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	26.3	22.4	17.7
7. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	57.0	49.6	43.1
8. आयात का आरक्षित कवर (महीनों में)	7.0	9.6	12.0	18.6
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्राप्ति की तुलना में कर्ज चुकौती)	5.9	6.4	6.5	9.0
10. विदेशी कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर \$)	409.4	543.1	558.2	563.5
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर \$)	-326.7	-436.9	-375.2	-340.5
12. एनआईआईपी/ जीडीपी अनुपात	-17.8	-16.0	-13.9	-12.9
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	-2.1	-0.9	1.7

टिप्पणी: स्तंभ 5 में दिया गया सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2020 से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार

वाणिज्यिक उधारियाँ बाह्य कर्ज का सबसे बड़ा घटक रहीं जिसका हिस्सा 36.9 प्रतिशत रहा, इसके बाद अनिवासी जमाराशियाँ (24.9 प्रतिशत) और अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट (17.7 प्रतिशत) रहे। कुल कर्ज, मार्च 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 20.6 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2020 के अंत में 21.4 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, वर्ष के दौरान अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर) में वृद्धि हुई। हालांकि, भंडार में बड़े पैमाने पर अभिवृद्धि के कारण अन्य सुभेद्यता संकेतकों जैसे अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर) और आयात के रिजर्व कवर में सुधार हुआ। इसी अवधि के दौरान भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में 34.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यथा., भारत पर अनिवासियों के निवल दावों में गिरावट) तक सुधार हुआ (सारणी II.6.4)।

II.6.40 विदेशी मुद्रा भंडार, जो जनवरी 2021 के अंत में 590.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था और मार्च 2021 के अंत में 577.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था, में अभिवृद्धि मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो

एवं प्रत्यक्ष निवेश और 2020-21 की पहली छमाही में चालू खाता अधिशेष के कारण था। 2020-21 में भारत का भंडार संचयन 99.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

7. निष्कर्ष

II.6.41 आगे चलकर, भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए परिदृश्य का निर्धारण विश्व स्तर पर और भारत में मांग और आपूर्ति पक्ष के समीकरण पर महामारी के प्रभाव से होता रहेगा। बजट में, कतिपय कच्चे माल तक आसानी से पहुंच पर दिया गया जोर निर्यात में सुधार के लिए शुभ संकेत है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और धन-प्रेषण के मंद प्रवाह को देखते हुए व्यापार लाभ की शर्तों में गिरावट से नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हो सकता है। तथापि, बाह्य भेद्यता संकेतकों में सुधार, विदेशी मुद्रा भंडार के पर्याप्त स्तर और प्रबल घरेलू समष्टि-आर्थिक मूलभूत आधार से अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिकूल समष्टि-वित्तीय आघातों के प्रभाव-प्रसार का सामना करने में मदद मिलेगी। वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ आसान बनी हुई हैं लेकिन तेज़ी से बदल सकती हैं। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों में बाह्य क्षेत्र को संवहनीय बनाए रखने की क्षमता है।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्यप्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति परिचालन

वर्ष 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति और चलनिधि संबंधी परिचालन कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने की दिशा में प्रयासरत थे। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रिपो दर में फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के दौरान 135 आधार अंकों (बीपीएस) की कुल कटौती के अतिरिक्त मार्च-मई 2020 के दौरान 115 आधार अंकों की कटौती की। बाज़ार में सुव्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करते हुए चलनिधि संबंधी परंपरागत व अपरंपरागत उपायों की बंदौलत वित्त बाज़ार के मनोभाव मजबूत हुए हैं। मौद्रिक संचरण में स्पष्ट सुधार होने के साथ बाज़ार के भिन्न-भिन्न खंडों में ब्याज दरों और बॉण्ड से होने वाली आय में गिरावट आई तथा स्प्रेड कम हुआ।

III.1 वर्ष 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति और चलनिधि संबंधी परिचालन कोविड-19 के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में आई अभूतपूर्व आर्थिक तबाही को दूर करने की दिशा में प्रयासरत थे। मुद्रास्फीति जून-नवंबर 2020 के दौरान लगातार छः महीनों के लिए ऊपरी गुंजाइश सीमा के ऊपर रहने के साथ आपूर्ति ठप्प पड़ जाने से कीमत बढ़ने को लेकर लगातार दबाव बना हुआ है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मार्च-मई 2020 के दौरान 115 आधार अंकों (बीपीएस) की भारी कटौती के बाद जून 2020 से फरवरी 2021 के दौरान नीतिगत रिपो दर को लेकर यथापूर्व स्थिति को बनाए रखा। संवृद्धि और मुद्रास्फीति की गतिशीलता को देखते हुए, एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, संवृद्धि को स्थायी आधार पर बहाल करने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो समायोजनकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

III.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित अव्यवस्थाओं के बावजूद चलनिधि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई परंपरागत व अपरंपरागत उपाय किए। इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय दबाव को कम किया और मौद्रिक संचरण तथा ऋण प्रवाहों को निर्बाध किया। चलनिधि खत्म हो जाने की आशंका दूर होने के साथ, बाज़ार के मनोभावों को मजबूत किया गया था। बाज़ार के भिन्न-भिन्न खंडों में ब्याज दरों और बॉण्ड से होने वाली आय में गिरावट आई तथा स्प्रेड घटकर कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंचा। कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गमों को चलनिधि में अधिशेष की स्थितियों से लाभ हुआ जिसकी बंदौलत पर्याप्त रूप से कम लागतों पर रिकॉर्ड निर्गम किए गए। बाज़ार उधारियों में भारी इजाफा होने के बावजूद, सरकार अब तक दर्ज सरकारी कर्ज के स्टॉक की उच्चतम भारित औसत परिपक्वता के साथ ही 17 वर्षों में न्यूनतम भारित औसत लागत पर धन जुटा सकी।

III.3 चलनिधि में अधिशेष की स्थितियों और बाह्य बेंचमार्क के आधार पर अस्थिर दर ऋणों का मूल्य-निर्धारण करने की बंदौलत 2020-21 के दौरान मौद्रिक संचरण में पर्याप्त सुधार हुआ। अधिकांश क्षेत्रों के बकाया ऋणों की ब्याज दरों में गिरावट

आई है। बाह्य बेंचमार्क-संबद्ध फ्रेमवर्क ने बैंकों को उनके निवल ब्याज मार्जिन सुरक्षित करने के उद्देश्य से उनकी मीयादी एवं बचत जमा दरों को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे मौद्रिक संचरण में सुधार होता है।

III.4 उपर्युक्त संदर्भ में, खंड 2 वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति और उसके प्रमुख घटनाक्रम प्रस्तुत करता है जबकि खंड 3 वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना निर्धारित करता है। अंतिम खंड में निष्कर्षणात्मक टिप्पणियां की गई हैं।

2. वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लक्ष्य

III.5 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- व्यापक सूचना प्रणालियों से मुद्रास्फीति के तात्कालिक अनुमान को सुदृढ़ करना, जिसमें पण्य कीमत की निगरानी शामिल है (उत्कर्ष) [पैरा III.6];
- बाह्य स्पिलओवर एवं प्रतिक्रिया व्यवस्था का बेहतर विश्लेषण करने के लिए पूजी अंतर्वाह की गतिशीलता को शामिल करते हुए तिमाही अनुमान मॉडल (क्यूपीएम) के बाह्य क्षेत्र ब्लॉक में वृद्धि करना, तथा हालिया प्रयोगसिद्ध अनुमानों के आधार पर क्यूपीएम को पुनः दुरुस्त करना (उत्कर्ष) [पैरा III.6];
- एमपीसी के मतदान के स्वरूप का विश्लेषण करना (उत्कर्ष) [पैरा III.6];
- मौद्रिक नीति के परंपरागत [खुले बाज़ार के परिचालन (ओएमओ)] व अपरंपरागत [दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ)] उपायों की क्षमता का मूल्यांकन करना (पैरा III.6); और

- बैंकों की सरकारी प्रतिभूति धारिताओं और ऋण वृद्धि की गतिशीलता को समझना ताकि क्राउडिंग आउट एवं पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन की आपसी भूमिकाओं का मूल्यांकन किया जा सके (पैरा III.6);

लक्ष्य के कार्यान्वयन की स्थिति

III.6 मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन को लेकर विश्लेषणात्मक सूचनाओं को मजबूत करने के लिए 2020-21 के दौरान कई अध्ययन किए गए थे। जिनमें शामिल थे : पण्य कीमत की निगरानी समेत व्यापक सूचना प्रणाली के साथ मुद्रास्फीति के तात्कालिक अनुमान में सुदृढ़ता लाना; पूजी अंतर्वाह संबंधी गतिशीलता को शामिल करने के जरिए क्यूपीएम के बाह्य क्षेत्र ब्लॉक में वृद्धि करना और हालिया प्रयोगसिद्ध अनुमानों के आधार पर क्यूपीएम को फिर से दुरुस्त करना; एमपीसी के मतदान स्वरूप का विश्लेषण; बॉण्ड बाज़ारों पर एलटीआरओ और टीएलटीआरओ का प्रभाव; क्राउडिंग आउट एवं पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन की आपसी भूमिकाओं का आकलन करने के लिए बैंकों की सरकारी प्रतिभूति धारिताओं व ऋण वृद्धि की गतिशीलता; भारत में मुद्रा की मांग का विश्लेषण और पूर्वानुमान करना; मौद्रिक नीति के ऋण चैनल पर बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के प्रभाव का मूल्यांकन करना; भारत के लिए एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण करना; भारत में मीयादी प्रीमियम के निर्धारक तत्वों पर दोबारा नज़र डालना; उभरती बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वैश्विक खाद्य कीमतों का आगे घरेलू कीमतों पर पड़ते प्रभाव की जांच करना; और अमेरिकी मौद्रिक नीति में अस्थिरता का भारत समेत चुनिंदा ईएमई पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ते प्रभाव का आकलन करना।

प्रमुख घटनाक्रम

मौद्रिक नीति

III.7 कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप वित्तीय बाज़ार में अत्यधिक जोखिम विमुखता और उच्च अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई, जिसके चलते 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 एवं 3-5 जून 2020 को निर्धारित एमपीसी के प्रथम दो बैठकों को पहले ही क्रमशः 24, 26 और 27 मार्च 2020 तथा 20-22 मई 2020 को करना आवश्यक पड़ा। मार्च 2020 की बैठक में, एमपीसी ने

इस बात पर गौर किया कि महामारी से उत्पन्न समष्टि-आर्थिक जोखिम, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों में, गंभीर हो सकता है और महामारी से घेरलू अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो उसे करने की जरूरत है। लिहाजा, एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर में सर्वसम्मति से भारी कटौती करने के पक्ष में मत दिया। 2 के मुकाबले 4 के बहुमत से, 75 आधार अंकों की कटौती करते हुए रिपो दर को 4.40 प्रतिशत किया गया, जबकि 2 सदस्यों ने 50 आधार अंकों की कटौती करने के पक्ष में मत दिया था। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, संवृद्धि को बहाल करने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो समायोजनकारी रुख जारी रखने के पक्ष में मत दिया। संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण निराशाजनक बने रहने के साथ, मई 2020 की बैठक में एमपीसी ने 40 आधार अंकों की और कटौती करते हुए नीतिगत रिपो दर को 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया ताकि अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय स्थितियों को और सुगम बनाने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का पहले ही उपयोग किया जा सके। पांच सदस्यों ने नीतिगत रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती एवं एक सदस्य ने 25 आधार अंकों की कटौती करने के पक्ष में मत दिया। एमपीसी ने अपनी मार्च बैठक में निर्धारित समायोजनकारी रुख को जारी रखने के पक्ष में भी मत दिया।¹

III.8 इससे पहले कि अगस्त 2020 में द्वि-मासिक समीक्षा बैठक होती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदौलत दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधि में वापसी की संभावना अधिक प्रकट हुई। फिर भी, वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि ऋणात्मक होने की प्रत्याशा की गई थी। मुद्रास्फीति को देखें तो, यद्यपि डेटा कवरेज के लिहाज से जून सीपीआई के आंकड़े अभी भी सामान्यतः जारी नहीं किए गए हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत की ऊपरी गुंजाइश सीमा के ऊपर ही रही। महामारी के बीच डेटा

विश्वसनीयता संबंधी समस्याओं व उच्च खुदरा कीमतों ने मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी। तदनुसार, एमपीसी ने मुद्रास्फीति में स्थायी गिरावट को लेकर ठहरने और नज़र बनाए रखने का निर्णय लिया ताकि अर्थव्यवस्था की बहाली में मदद करने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग किया जा सके।

III.9 अक्टूबर 2020 की एमपीसी बैठक², 2020-21 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट आने के बाद, एक ऐसे माहौल में की गई थी जिसमें उच्च बारंबारता वाले संकेतकों ने 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधि में वापसी होने का संकेत दिया था। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति ऊपरी गुंजाइश सीमा के ऊपर बनी रही क्योंकि लॉकडाउन-पश्चात अवधि में आपूर्ति संबंधी बाधाओं, उच्च खुदरा मार्जिन, पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च अप्रत्यक्ष करों और कारोबार करने की उच्चतर लागत की वजह से खाद्य, ईंधन और मुख्य उप-समूहों में कीमत में वृद्धि को लेकर दबाव बढ़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद की गई थी जबकि शहरी मांग में हुई वापसी सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों की वजह से पिछड़ती नज़र आई। इसके अतिरिक्त निजी निवेश और निर्यात कमजोर रहने की संभावना है। जीडीपी वृद्धि 2020-21 की चौथी तिमाही तक धनात्मक दायरे में प्रवेश करने एवं 2021-22 की पहली तिमाही में 20.6 प्रतिशत पर विराजमान होने के साथ वास्तविक जीडीपी में 2020-21 के दौरान 9.5 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान किया गया था। सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2020-21 की दूसरी छमाही में घटकर 5.4-4.5 प्रतिशत होने तथा 2021-22 की पहली तिमाही में और घटकर 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया था, जिसमें जोखिम को लेकर मोटे तौर पर संतुलन बना हुआ है। एमपीसी ने इस बात पर गौर किया कि अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बहाल करना मौद्रिक नीति की सर्वाधिक प्राथमिकता है। उच्च मुद्रास्फीति को लेकर एमपीसी की सोच है कि आपूर्ति संबंधी

¹ विवरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का अध्याय III (पैराग्राफ III.12 एवं III.13) देखें।

² भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2020 को, एमपीसी के पिछले बाह्य सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, प्रो. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई; प्रो. जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद; और डॉ. शशांक भिड़े, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय अनुप्रेयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, दिल्ली को एमपीसी में शामिल करते हुए उसका पुनर्गठन किया। अक्टूबर 2020 की एमपीसी बैठक इन बाह्य एमपीसी सदस्यों की पहली बैठक थी। इसके पूर्व, केंद्रीय बोर्ड द्वारा आरबीआई के कार्यपालक निदेशक, डॉ. मृदुल के. सागर का एमपीसी में नामांकन के बाद वे अगस्त की एमपीसी बैठक से एमपीसी में शामिल हुए।

बाधाएं अनिवार्यतः इसके अंतर्निहित कारक हैं जो आगामी महीनों में कम होने की संभावना है क्योंकि अर्थव्यवस्था खुल गई है, आपूर्ति श्रृंखलाएं पूर्वावस्था में लौट गई हैं, और गतिविधि सामान्य हो गई है और इस तरह मौद्रिक नीति का रुख तय करने में इन पर गौर किया जा सकता है। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मत दिया। 1 के मुकाबले 5 के बहुमत से, एमपीसी ने, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, संवृद्धि को स्थायी आधार पर बहाल करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो – कम से कम वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एवं अगले वित्त वर्ष में – मौद्रिक नीति को लेकर समायोजनकारी रुख जारी रखने का भी निर्णय लिया।

III.10 इससे पहले कि दिसंबर 2020 की बैठक होती, आर्थिक बहाली में और प्रगति हुई, लेकिन साथ ही स्फीतिकारी दबाव गहराता गया। वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में जो कमी आई वह प्रत्याशा से कम थी, और उच्च बारंबारता वाले संकेतकों के अनुसार बहाली 2020-21 की तीसरी तिमाही में जोर पकड़ रही है। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में (+)0.1 प्रतिशत और 2020-21 की चौथी तिमाही में (+)0.7 प्रतिशत की अनुमानित धनात्मक वृद्धि से 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की कमी आने की प्रत्याशा की गई है, जो अक्टूबर 2020 में 9.5 प्रतिशत की कमी आने को लेकर किए गए आकलन की अपेक्षा कम है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, वृद्धि (+)21.9 प्रतिशत से (+)6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है, जिसमें जोखिम को लेकर मोटे तौर पर संतुलन बना हुआ है। फिर भी, खाद्य और कोर मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर वृद्धि होने के चलते सीपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर 2020 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत पर पहुंचने और लागत बढ़ने के दबाव की वजह से खुदरा कीमत में उच्च मार्जिन जारी रहने, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और गतिरोध पैदा होने के साथ दृष्टिकोण प्रतिकूल बने रहने से स्फीतिकारी दबाव प्रत्याशा से अधिक निकला। इन दबावों को देखते हुए, मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान में संशोधन करते हुए उसे 2020-21 की दूसरी छमाही में बढ़ाकर 6.8-5.8 प्रतिशत और 2021-22 की पहली छमाही में 5.2-4.6 प्रतिशत किया गया, जिसमें जोखिम को लेकर मोटे तौर पर संतुलन बना हुआ है। फिर भी,

बहाली के संकेत अत्यंत सीमित होने और सतत नीतिगत सहायता पर आश्रित रहने से, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर को लेकर यथापूर्व स्थिति बनाए रखने और अपने अक्टूबर संकल्प में निर्धारित समायोजनकारी रुख जारी रखने के पक्ष में मत दिया।

III.11 फरवरी 2021 में छठवीं द्वि-मासिक नीति आते-आते, मुद्रास्फीति दिसंबर 2020 में तेजी से घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई। एक तरफ, खाद्य स्फीति में लगातार दबाव को ध्यान में रखते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन करते हुए उसे 2020-21 की चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत, 2021-22 की पहली छमाही में 5.2 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत और 2021-22 की तीसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत किया गया, जिनमें जोखिम को लेकर मोटे तौर पर संतुलन बना हुआ है। संवृद्धि के दृष्टिकोण की बात करें तो, एमपीसी की राय है कि ग्रामीण मांग कृषि में अच्छे अवसर होने की बदौलत मजबूत बने रहने की संभावना है जबकि शहरी मांग और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग कोविड-19 के मामलों में भारी कमी आने और टीकाकरण में तेजी आने के साथ जोर पकड़ने की उम्मीद की जाती है। उपभोक्ताओं में विश्वास फिर से जगा है और कारोबार प्रत्याशाओं में उत्साह बना हुआ है। इन विचारों और केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 10.5 प्रतिशत पर होने – पहली छमाही में 26.2 से 8.3 प्रतिशत के दायरे में और तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत होने – का अनुमान किया गया है। मुद्रास्फीति में कमी आने के साथ ही वृद्धि की बहाली को लेकर एक मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से सतत नीतिगत सहायता की जरूरत को देखते हुए एमपीसी ने सर्वसम्मति से, मुद्रास्फीति के उभरते दृष्टिकोण पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखते हुए जब तक स्थायी बहाली की संभावनाओं को भली-भांति हासिल नहीं किया जाता नीतिगत रिपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और समायोजनकारी रुख जारी रखने के पक्ष में मत दिया।

परिचालन फ्रेमवर्क : चलनिधि प्रबंधन

III.12 मौद्रिक नीति का परिचालन फ्रेमवर्क परिचालनगत लक्ष्य – भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) – को सक्रिय चलनिधि प्रबंधन के जरिए नीतिगत रिपो दर के समनुरूप करने का लक्ष्य रखता है, जो मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप है।

कोविड-19 संबंधी दबाव एवं उत्पादन में भारी कमी के होते हुए, और मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति संबंधी कई, परंपरागत व अपरंपरागत दोनों, उपाय किए, जो (i) मौद्रिक संचरण को बेहतर करने; (ii) बैंक ऋण प्रवाहों को सुगम बनाने एवं प्रोत्साहित करने; (iii) कोविड-19 संबंधी अव्यवस्थाओं के होते हुए चलनिधि की क्षेत्र-विशिष्ट कमियों को दूर करने; तथा (iv) वित्तीय दबाव को कम कर एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बाज़ारों में फिर से जीवंतता लाने के लक्ष्य से प्रेरित है।


चलनिधि के उत्प्रेरक और उसका प्रबंधन

III.13 महामारी के परिणामस्वरूप पूंजी प्रवाहों में अत्यधिक अस्थिरता आई जिसकी वजह से एक के बाद एक वित्तीय दबाव की अधिकता, स्प्रेड में वृद्धि और बाज़ार में चलनिधि की कमी और तीव्र हुई, नतीजतन रिज़र्व बैंक को 2019-20 की चौथी तिमाही से सक्रिय उपाय करने पड़े। फरवरी 2020 के बाद से रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि को बढ़ाने को लेकर किए गए कुल उपायों (31 मार्च 2021 तक) की बदौलत वह ₹13.6 लाख करोड़ पर पहुंची (2020-21 के सांकेतिक जीडीपी का 6.9 प्रतिशत)। रिज़र्व बैंक के फोरेक्स परिचालन और संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि चलनिधि के मुख्य उत्प्रेरक थे – फोरेक्स परिचालन के जरिए उपलब्ध कराई गई चलनिधि महामारी के दौरान मुद्रा की एहतियाती उच्च मांग की वजह से होने वाले रिसाव की अच्छी खासी भरपाई करती है (चार्ट III.1ए)। मौद्रिक नीति संबंधी परंपरागत व अपरंपरागत उपायों

की बदौलत प्रणाली की चलनिधि में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप चलनिधि में विशाल अधिशेष की स्थिति पैदा हुई जिसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत एकदिवसीय स्थिर दर रिवर्स रिपो के माध्यम से अवशोषित कर लिया गया (चार्ट III.1बी)।

III.14 वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में, संचलनगत मुद्रा में वृद्धि से प्रणाली की चलनिधि में ₹2.13 लाख करोड़ की कमी आई और (i) लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) (₹87,891 करोड़), (ii) ओएमओ खरीद (₹1.2 लाख करोड़) एवं (iii) फोरेक्स परिचालनों (₹1.0 लाख करोड़) के जरिए चलनिधि उपलब्ध कराने के माध्यम से उसकी अच्छी खासी भरपाई की गई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए ₹50,000 करोड़ के रकम की विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़-एमएफ़) की घोषणा की, यद्यपि इसका उपयोग महज ₹2,430 करोड़ तक ही सीमित था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफ़आई) के लिए ₹65,000 करोड़ की कुल राशि की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराईं जिनमें (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) के पुनर्वित्त हेतु ₹25,000 करोड़; (ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को आगे उधार देने/पुनर्वित्त हेतु ₹15,000 करोड़; (iii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) की सहायता हेतु ₹10,000 करोड़; तथा (iv) भारतीय निर्यात

चार्ट III.1: चलनिधि के उत्प्रेरक और उसका प्रबंधन




आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को उसकी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के लिए उसे अमेरिकी डॉलर स्वैप करने की सुविधा उठाने योग्य बनाने हेतु ₹15,000 करोड़ शामिल हैं³ कुल मिलाकर, अधिशेष चलनिधि के परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान एलएएफ़ के तहत ₹4.72 लाख करोड़ का औसत दैनिक निवल अवशोषण किया गया। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक ने एक विशेष ओएमओ भी किया जिसमें प्रतिभूतियों की साथ-साथ खरीद-बिक्री की गई, जिसका चलनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ताकि आय वक्र में चलनिधि का वितरण अधिक समान रूप से होने से संचरण बेहतर हो सके।

III.15 बैंक को उसकी अधिशेष निधि अर्थव्यवस्था के लाभप्रद क्षेत्रों में निवेश करने एवं ऋण देने हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 अप्रैल, 2020 को एलएएफ़ के तहत एमएसएफ़ और रिपो दर में सहवर्ती परिवर्तनों के बगैर स्थिर दर रिवर्स रिपो में 25 आधार अंकों (4.0 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत) की कटौती की गई थी, नतीजतन कॉरिडोर में असमानता बढ़ी।

III.16 वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में, जहां सीआईसी में वृद्धि कम रही, वहीं फोरेक्स खरीद परिचालनों की बढौलत प्रणाली की चलनिधि में ₹2.1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, जबकि रिज़र्व बैंक ने ओएमओ के जरिए ₹27,862 करोड़ उपलब्ध कराया (चार्ट III.2)। परिणामस्वरूप, अधिशेष चलनिधि बनी रही, यद्यपि तिमाही के दौरान औसत दैनिक निवल अवशोषण घटकर ₹3.9 लाख करोड़ हुआ। *आत्मनिर्भर भारत* पैकेज के हिस्से के रूप में, भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय क्षेत्र को संभाव्य प्रणालीगत जोखिमों से बचाने की दृष्टि से एनबीएफ़सी (एमएफ़आई समेत)/एचएफ़सी की चलनिधि की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ₹30,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। 1 जुलाई 2020 को लागू इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक ने विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा जारी की गई सरकारी गारंटी युक्त विशेष प्रतिभूतियों की सदस्यता के जरिए चलनिधि उपलब्ध करवाई।

III.17 निधि की लागत को कम करने के उद्देश्य से, फरवरी-मार्च 2020 में जिन बैंकों ने उस समय प्रचलित रिपो दर (5.15

चार्ट III.2: विवेकाधीन चलनिधि, स्वायत्त उत्प्रेरक और रिवर्स रिपो



प्रतिशत) पर एलटीआरओ के तहत धन उठाया था उन बैंकों को सितंबर 2020 में विकल्प दिया गया था कि वे इन लेनदेनों को 4.0 प्रतिशत की घटाई गई रिपो दर पर ताजा धन उठाते हुए परिपक्वता से पूर्व लौटा दें। इस सुविधा के तहत बैंकों ने ₹1,23,572 करोड़ लौटाया, जो विभिन्न एलटीआरओ के तहत उठाए गए ₹1,25,117 करोड़ राशि का लगभग 98.8 प्रतिशत होता है। रिज़र्व बैंक ने 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान पांच विशेष ओएमओ भी किए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बाज़ार में सुव्यवस्थित स्थितियां पैदा करने के उद्देश्य से 1 सितंबर 2020 को या उसके बाद अर्जित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों के संबंध में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत की सीमाओं को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत किया।

III.18 वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में, मुद्रा की मांग में वृद्धि (₹95,181 करोड़) और रिज़र्व बैंक के फोरेक्स खरीद परिचालन (₹2.0 लाख करोड़) चलनिधि के मुख्य उत्प्रेरक थे। इसके अतिरिक्त, ओएमओ के माध्यम से ₹89,140 करोड़ की राशि की स्थायी चलनिधि उपलब्ध कराई गई थी; इस अवधि के दौरान

³ तत्पश्चात अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने एनएचबी और नाबार्ड प्रत्येक को नीतिगत रिपो दर पर ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा उपलब्ध कराई, परिणामस्वरूप एआईएफ़आई को कुल पुनर्वित्त ₹75,000 करोड़ पर पहुंचा।

रिज़र्व बैंक द्वारा छः विशेष ओएमओ नीलामी भी की गई। परिणामस्वरूप, तिमाही के दौरान एलएएफ़ के तहत निवल अवशोषण बढ़कर ₹5.33 लाख करोड़ पर पहुंचा। बैंकों ने एलटीआरओ धन लौटाने की योजना की भांति ₹37,348 करोड़ टीएलटीआरओ धन लौटाया, जो इस योजना के तहत उठाए गए ₹1,12,900 करोड़ की कुल राशि का लगभग 33.1 प्रतिशत होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों के माध्यम से वृद्धि पर गुणक प्रभाव डालने वाले विशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधि में हुई वापसी को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रिपो दर से जुड़ी अस्थिर दर पर ₹1,00,000 करोड़ तक की कुल राशि के लिए तीन वर्षों तक की परिपक्वता अवधि के 'ऑन टैप टीएलटीआरओ' की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा उठाई गई चलनिधि को विशिष्ट क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्रों, एवं गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में अभिनियोजित करने की आवश्यकता है जो 30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार ऐसे लिखतों में उनके निवेश के शेष स्तर के अतिरिक्त है। इस योजना के तहत उठाई गई चलनिधि का उपयोग इन क्षेत्रों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, एक विशेष मामले के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 2020-21 की तीसरी तिमाही में अपनी चलनिधि को बेहतर करने एवं कुशल मूल्य-निर्धारण को आसान बनाने के लिए राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में तीन ओएमओ किए। रिज़र्व बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय बाज़ार की स्थिरता और आय वक्र का सुव्यवस्थित विकास सार्वजनिक वस्तु है, जिसका लाभ अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों को मिलता है।

III.19 कोविड-19 प्रकोप के बाद, स्टॉफ और आईटी संसाधन बुरी तरह से प्रभावित हुए एवं गतिविधि में कमी आने की वजह से वित्तीय बाज़ार की चलनिधि पर प्रभाव पड़ा तथा वित्तीय उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता बढ़ी। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि 7 अप्रैल 2020 से रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाज़ारों के व्यापारिक समय को कम किया जाए। तत्पश्चात, लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से हटाने और लोगों की आवा-जाही को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने तथा कार्यालयों के सामान्य कामकाज पुनरारंभ होने से यह निर्णय किया गया कि व्यापार के समय को 9 नवंबर 2020 की शुरुआत से चरणबद्ध रूप से पूर्वावस्था में लाया जाए।

III.20 वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान, चलनिधि में अति विशाल अधिशेष की स्थितियों के बीच, रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी 2021 को चरणबद्ध रूप से सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालनों की ओर अग्रसर होने के संबंध में उपायों की घोषणा की और तदनुसार इसने 15 जनवरी, 29 जनवरी, 12 फरवरी, 26 फरवरी एवं 12 मार्च 2021 को प्रत्येक ₹2 लाख करोड़ की पांच 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी की। स्थिर दर रिवर्स रिपो के माध्यम से अवशोषित चलनिधि 16-29 जनवरी 2021 के दौरान ₹4.3 लाख करोड़ के पाक्षिक औसत से बढ़कर 30 जनवरी-31 मार्च 2021 के दौरान ₹4.9 लाख करोड़ हुई। रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में प्रचुर चलनिधि उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। अर्थव्यवस्था को बहाल करने के सर्वोपरि उद्देश्य के साथ, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जिनमें (i) निर्दिष्ट दबावग्रस्त क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने हेतु टीएलटीआरओ ऑन टैप स्कीम के तहत एनबीएफ़सी को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को मंजूरी देना; (ii) सीआरआर को गैर-हानिकारक विधि से दो चरणों में क्रमिक रूप से पूर्वावस्था में लाना, अर्थात्, 27 मार्च 2021 से 3.5 प्रतिशत और 22 मई 2021 से 4.0 प्रतिशत; (iii) 30 सितंबर 2021 तक एनडीटीएल के 3.0 प्रतिशत तक एसएलआर का उपयोग करते हुए एमएसएफ़ के तहत उठाई गई धनराशि में दी गई छूट को बढ़ाना; तथा (iv) 1 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाए गए ऋण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए, नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं को प्रदत्त ऋण के लिए सीआरआर बनाए रखने से छूट देना शामिल थे। चलनिधि संबंधी कोई अतिरिक्त/अप्रत्याशित मांग पूरा करने एवं वर्षान्त चलनिधि प्रबंधन में बैंकिंग प्रणाली को लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च और 31 मार्च 2021 को क्रमशः 11 दिन और 5 दिन की परिपक्वता अवधि वाली प्रत्येक ₹25,000 करोड़ की दो अनुकूल परिवर्तनीय दर रिपो नीलामी करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, वर्षान्त जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचुर चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 26 मार्च को 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी नहीं करने का निर्णय किया गया।

III.21 वर्ष 2020-21 के दौरान ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) की उन्नीस नीलामी की गई थी। मार्च में, ओटी के पैमाने को बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ किया गया (4 मार्च को) और तत्पश्चात 10 मार्च 2021 को चलनिधि प्रभाव (₹20,000 करोड़ की खरीद; ₹15,000 करोड़ की बिक्री) युक्त एक असमान ओटी किया गया जिसने अनुकूल बाजार प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुल मिलाकर,

2020-21 के दौरान निवल ओएमओ खरीद के जरिए उपलब्ध कराई गई चलनिधि ₹3.13 लाख करोड़ थी। वित्तीय बाजारों के बढ़ते महत्व एवं संस्था विशिष्ट चलनिधि समस्याओं को व्यापक प्रणालीगत दबाव में तबदील होने से रोकने की आवश्यकता के साथ केंद्रीय बैंक की अंतिम उधारदाता (एलओएलआर) वाली पारंपरिक भूमिका में विस्तार हुआ है (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1: अंतिम उधारदाता

वाणिज्यिक बैंक अल्पावधि तरल जमाराशियों से स्वयं का वित्तपोषण करते समय परिपक्वता रूपांतरण में उतरते हैं एवं ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं, जो अपेक्षाकृत रूप से कम तरल व दीर्घकालिक होते हैं। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, उनमें आरिस्त-देयता असंतुलन पैदा करता है। इसलिए, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, विनियामकों ने बैंकों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली तरल आरिस्तियां धारण करना अनिवार्य किया ताकि वे इस तरह के दबावों से निपट सकें।

केंद्रीय बैंक के नियमित चलनिधि परिचालन प्रणाली-व्यापी चलनिधि असंतुलनों का समाधान करता है। बैंक-विशिष्ट दबाव के प्रसंग में जिसे स्वयं के चलनिधि बफर की मदद से दूर नहीं किया जा सकता है और यदि इसके अतिरिक्त प्रणाली स्तर की चलनिधि को पाने में अवरोध पैदा होता है या उपलब्ध नहीं होती है, तो शोधन क्षमता रखने वाले किंतु अतरल बैंक बेजहोट (1873) के सिद्धान्त के अनुरूप दंडात्मक दर पर अच्छे संपार्श्विक के बदले केंद्रीय बैंक की अंतिम उधारदाता (एलओएलआर) सुविधा का सहारा ले सकते हैं। वित्तीय बाजारों की बढ़ती भूमिका के साथ, आरिस्तियों की तेजी से बिक्री को रोकने के लिए वित्तीय बाजारों की सहायता करने हेतु पारंपरिक एलओएलआर सुविधा में विस्तार हुआ है; इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम बाजार निर्माता (एमएमएलआर) के रूप में भी उभर रहा है (हॉसर, 2021)। केविड के समय, बड़े केंद्रीय बैंकों ने पात्र प्रतिपक्षकारों में विस्तार किया है और संपार्श्विक संबंधी आवश्यकताओं में ढील दी है, तथा घटाई गई दंडात्मक दरों पर सहायता प्रदान की है (बीआईएस, 2020)।

बड़े केंद्रीय बैंकों का एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि संयुक्त राज्य में, फेडरल रिज़र्व वित्तपोषण संबंधी दबावों से जूझती व्यक्तिगत निक्षेपागार संस्थाओं को, या उन बैंकों को आम तौर पर व्यापक वित्तीय दबाव का समाधान करने के लिए, रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने का अधिकार रखता है (फिशर, 2016)। यूरो क्षेत्र में, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) के एलओएलआर सहायता संबंधी यूरोपीय मानदंडों के अनुसार ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को शोधन क्षमता संबंधी मानदंड (न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं या पुनर्पूँजीकरण की एक विश्वसनीय संभावना) को पूरा करने की जरूरत है। एलओएलआर सहायता सामान्यतः दंडात्मक दर पर 12 महीने से कम समय के लिए होती है (ईसीबी, 2020)। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी एलओएलआर सहायता के लिए बेहतर पर्यवेक्षी व समाधान फ्रेमवर्क, एक्सेस, मूल्य-निर्धारण और संपार्श्विक के लिए पारदर्शी

नियमों तथा जवाबदेही व गवर्नन्स संबंधी दृढ़ मानदंडों के माध्यम से सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है (हॉसर, 2016)। बैंक ऑफ जापान एलओएलआर सहायता के लिए सहमत है यदि, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय बैंक के धन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, एवं वित्तीय सुदृढ़ता क्षतिग्रस्त नहीं होती है (हिरोशि नाकासो, 2014)।

भारत में, भारतीय रिज़र्व बैंक समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दबावग्रस्त किंतु शोधन क्षमता वाले व्यक्तिगत बैंक को आपातकालीन चलनिधि सहयोग प्रदान कर सकता है। बदहाल वित्तीय संस्था से अपेक्षा है कि एलओएलआर सहायता के लिए गुजारिश करने के पूर्व बाजार से एवं रिज़र्व बैंक के नियमित चलनिधि सुविधाओं (जैसे एलएएफ और एमएसएफ) से प्राप्त किए जा सकने वाले सभी संसाधनों को पहले काम में लाए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक एलओएलआर सहायता प्रदान कर सकता है। यह आम तौर पर ऐसा निर्दिष्ट संपार्श्विकों, विशेषतः केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, के बदले और समुचित कटौती के साथ करता है। एलओएलआर सहायता आम तौर पर रिपो दर के अतिरिक्त दंडात्मक दर पर 90 दिनों तक की अल्पावधियों के लिए प्रदान की जाती है।

कमजोर वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, वित्तीय स्थिरता के सर्वोपरि उद्देश्य को देखते हुए, रिज़र्व बैंक की कोशिश है कि इस तरह के बैंकों को समुचित एवं समय पर पुनर्गठन या विलय एवं अधिग्रहण करने के जरिए मजबूत किया जाए, और फिर पुनर्गठित/समामेलित बैंक को आवश्यकतानुसार एलओएलआर सहायता प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), जो रिज़र्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था है, ₹5 लाख तक की बैंक जमाओं की बीमा करता है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के सापेक्ष 98.1 प्रतिशत बैंक खातों का पूर्णतः बीमा किया गया है। नियमित चलनिधि परिचालनों, एलओएलआर सहायता, कमजोर बैंकों का पहले ही पुनर्गठन/समामेलन एवं उदार निक्षेप बीमा योजना ने मिलकर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया है, जो वाणिज्यिक बैंकों को डूबने से रोकता है।

कोविड-19 महामारी फैलने के परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली की रक्षा और वास्तविक अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई परंपरागत व

(जारी)

अपरंपरागत उपाय किए, जो बेजहोट की कहावत में संक्षेप में बताए गए सदियों पुराने ज्ञान से प्रेरित है (दास, 2020)। अपनी एलओएलआर भूमिका को निभाने में, जहां रिजर्व बैंक ने विशेष प्रकृति के दबाव से जूझते कुछ एक वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन सहायता और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई)⁴ को विशेष चलनिधि सुविधाएं (एसएलएफ) उपलब्ध कराई हैं, वहीं खुले बाजार के परिचालनों, आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती, दीर्घावधि रिपो परिचालनों (दबावग्रस्त क्षेत्रों और निर्गमकर्ताओं में लक्षित समेत) एवं म्यूचुअल फंड हेतु विशेष चलनिधि सुविधा के माध्यम से प्रचुर अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि भी उपलब्ध कराई और उसे बनाए रखा।

कुल मिलाकर, रिजर्व बैंक एक मजबूत आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के जरिए अपने तुलन-पत्र की मजबूती और सुदृढ़ता बनाए रखते हुए पुनर्गठन/पुनर्निर्माण, सामामेलन और परिसमापन के रूप में संकल्पों समेत प्रणालीगत स्थिरता के हित में अपनी एलओएलआर उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए एक व्यापक, कारगर और स्वतंत्र अधिदेश से लैस है।

संदर्भ :

1. बेजहोट, वाल्टर (1873), 'लोम्बार्ड स्ट्रीट : ए डिस्क्रिप्शन ऑफ़ दी मनी मार्केट' एच.एस. किंग, लंदन।

2. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, (2020), 'ऐनुअल इकॉनॉमिक रिपोर्ट', जूना।
3. दास, शक्तिकांत (2020), 'इंडियन इकॉनमी अट ए क्रासरोड; ए व्यू फ्रम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐंगल', भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित 7वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में दिया गया भाषण, जुलाई।
4. यूरोपीय केंद्रीय बैंक (2020), 'एग्रीमेन्ट ऑन इमरजेन्सी लिक्विडिटी असिसटन्स', 9 नवंबर।
5. फिशर, स्टैन्ले (2016), 'दी लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट फंक्शन इन दी युनाइटेड स्टेट्स', फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स।
6. हॉसर, एंड्रयू (2021), 'फ्रम लेंडर ऑफ़ लास्ट रिपोर्ट टु मार्केट मेकर ऑफ़ लास्ट रिपोर्ट वया दी डैश फॉर केश : वाय सेन्ट्रल बैंक्स नीड न्यू टूल्स फॉर डीलिंग विद मार्केट डिसफंक्शन', बैंक ऑफ़ इंग्लैंड में दिया गया भाषण।
7. नाकासो, हिरोशि (2014), 'वाहट दी लास्ट डेकेड्स लेफ्ट फॉर दी फ्यूचर', अंतरराष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ द्वारा आयोजित 2014 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधान भाषण, एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति।

III.22 वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए चलनिधि परिचालनों एवं प्रगतिशील मार्दगर्शन की प्रभावशीलता के प्रमाणस्वरूप

बाज़ार के भिन्न-भिन्न खंडों में ब्याज दरों में गिरावट आई तथा स्प्रेड कम हुआ (सारणी III.1)। प्रणाली में चलनिधि की प्रचुरता

सारणी III.1: वित्तीय बाज़ार – दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			नीतिगत दर पर स्प्रेड (बीपीएस)		
	26 मार्च 2020 को यथास्थिति	31 मार्च 2021 को यथास्थिति	अंतर (बीपीएस में)	26 मार्च 2020 को यथास्थिति	31 मार्च 2021 को यथास्थिति	अंतर (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
3-माह सीडी	7.95	3.28	-467	280	-72	-352
3-माह टी-बिल	5.04	3.27	-177	-11	-73	-62
सीपी (3-माह)	6.74	3.65	-309	159	-35	-194
कॉर्पोरेट बॉण्ड				संबंधित परिपक्वता की जी-सेक आय पर स्प्रेड (बीपीएस)		
(i) एएए (1-वर्ष)	7.76	4.15	-361	246	29	-217
(ii) एएए (3-वर्ष)	8.47	5.40	-307	276	22	-254
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.84	6.14	-170	141	8	-133
(iv) एए (3-वर्ष)	9.15	6.17	-298	344	99	-245
(v) बीबीबी (3-वर्ष)	12.29	10.05	-224	658	487	-171
10-वर्ष जी-सेक	6.22	6.17	-5	-	-	-


स्रोत : सीसीआईएल (एफ-टीआरएसी), एफआईएमएमडीए, और ब्लूमबर्ग।

⁴ चलनिधि प्राप्त करने वाली एआईएफआई थीं – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय निर्यात आयात बैंक (एकजम बैंक)। महामारी के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त वित्तीय बाज़ार की स्थितियों में इस तरह की चलनिधि सहायता इन संस्थाओं की चलनिधि स्थिति को मजबूत करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी ताकि उससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को जारी रखने में मदद हो सके।

के साथ नीतिगत दर में कटौती की बदौलत निम्नतम निवेश रेटिंग (बीबीबी-) वाली संस्थाओं की ओर से भी कॉर्पोरेट बॉण्ड में रिकॉर्ड निर्गम हुए। कुल मिलाकर, भारत का अनुभव दर्शाता है कि परंपरागत मौद्रिक नीतिगत दर घटकर शून्य तक पहुंचने से पहले ही अपरंपरागत मौद्रिक नीति संबंधी उपाय प्रभावशाली हो सकते हैं।

परिचालन लक्ष्य और नीति दर

III.23 वर्ष 2020-21 के दौरान, डब्ल्यूएसीआर – परिचालन लक्ष्य – अक्टूबर 2020 तक गिरावट के रुझान के साथ सभी दिनों में कॉरिडोर के भीतर रहा। तब से, डब्ल्यूएसीआर और अन्य मुद्रा बाजार दरों ने विशाल पूंजी अंतर्वाहों की बदौलत निरंतर अधिशेष चलनिधि के होने से रिवर्स रिपो दर से नीचे कारोबार किया (चार्ट III.3)।



मौद्रिक नीति संचरण

III.24 मौद्रिक संचरण – नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन के प्रतिक्रियास्वरूप बैंकों की जमा और उधार दरों में परिवर्तन – में 2020-21 के दौरान अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि के निरंतर बने रहने, ऋण की मांग कमजोर पड़ने और चुनिंदा क्षेत्रों के लिए अनिवार्य बाह्य बेंचमार्क-आधारित अस्थिर दर ऋणों के मूल्य-निर्धारण की बदौलत काफी सुधार हुआ (सारणी III.2)।⁵

III.25 1 अक्टूबर 2019 से लागू बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋणों का मूल्य-निर्धारण बैंकों की जमा दरों और एमसीएलआर आधारित ऋणों को निर्धारित करने में अधिक लचीलापन भी प्रदान करता है। बाह्य बेंचमार्क से जोड़े गए ऋणों के मामले में उधार दरों में परिवर्तन एमसीएलआर-आधारित ऋण के मूल्य-निर्धारण के विपरीत जमा दर में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए बैंकों को अपने निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) की रक्षा के लिए अपनी जमा दरों – बचत और मीयादी जमाओं दोनों – में कटौती करने की जरूरत है। मीयादी जमा दरों में कटौती सिर्फ नई मीयादी जमाओं पर लागू होती है, जबकि बचत जमाओं के मामले में दरों में कटौती समान रूप से लागू होती है। पांच बड़े बैंकों की बचत जमा दरें मार्च 2021 में 2.70-3.00 प्रतिशत के बीच थीं, जो सितंबर 2019 में 3.25-3.50 प्रतिशत के बीच थीं।⁶ बैंकों की बचत जमा दरों में परिवर्तन से बैंकों की निधि की लागत में और उसके परिणामस्वरूप नए रुपया ऋणों के एमसीएलआर व उधार दरों में (बशर्ते एमसीएलआर पर स्प्रेड अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहे) तत्काल परिवर्तन आता है। इस प्रकार, मौद्रिक संचरण पर बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋणों के मूल्य-निर्धारण को लागू

⁵ रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सभी नए अस्थिर दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रदान किए जाने वाले अस्थिर दर ऋणों को नीतिगत रिपो दर या 3-माह के टी-बिल दर या 6-माह के टी-बिल दर या भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर के साथ जोड़ना अनिवार्य किया। 1 अप्रैल 2020 से मध्यम उद्यमों को इसमें शामिल किया गया।

⁶ मार्च 2021 में घरेलू बैंकों की औसत बचत जमा दर 3 प्रतिशत थी।

सारणी III.2: जमा और उधार की ब्याज दरों में संचरण

(आधार अंक)


अवधि	रिपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें		
		औसत मीयादी जमा दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर	1-वर्षीय औसत एमसीएलआर	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - नए रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	25	5	22	45	0	39
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	-185	-49	-51	-60	-25	-91
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	-40	-137	-100	-90	-79	-79
दरों में वृद्धि के चरण						
जून 2018 से जनवरी 2019	50	0	20	35	2	57
दरों में कटौती के चरण						
फरवरी 2019 से सितंबर 2019 (बाह्य बेंचमार्क से पहले की अवधि)	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 (बाह्य बेंचमार्क वाली अवधि)	-140	-176	-146	-120	-108	-154
फरवरी 2019 से मार्च 2021	-250	-205	-153	-150	-106	-194
डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर		डब्ल्यूएएलआर: भारत औसत उधार दर				
एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर						
स्रोत : विशेष मासिक विवरणी वीआईएबी, आरबीआई; और बैंकों की वेबसाइट।						

करने का प्रभाव उन क्षेत्रों पर भी पड़ा जिनको बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋण के मूल्य-निर्धारण से जोड़ा नहीं गया है। जहां पिछले वर्ष के विपरीत जब बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर नए रुपया ऋणों की अपेक्षा धीमी गति से घटी, वहीं 2020-21 के दौरान बकाया और नए ऋणों दोनों की डब्ल्यूएएलआर साथ-साथ घटी क्योंकि बैंकों को प्रचलित एमसीएलआर, जिसकी

परिपक्वता अवधि आम तौर पर 1-वर्ष की होती है या बाह्य बेंचमार्क, जिसकी अधिकतम अवधि 3-माह की है, के साथ जोड़े गए बकाया ऋणों की ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत होती है।

III.26 बैंक समूहों में, जमा और उधार की ब्याज दरों में संचरण असमान रहा है (चार्ट III.4)। विदेशी बैंकों की लागत और जमाओं

चार्ट III.4: एससीबी की जमा और उधार दरों में घट-बढ़



की अवधि कम होने की वजह से वे नीतिगत दर में परिवर्तन के प्रतिक्रियास्वरूप जल्द समायोजन कर पाते हैं। दूसरी तरफ, सरकारी क्षेत्र के बैंक खुदरा मीयादी जमाओं पर अधिक निर्भर रहते हैं और उनको बचत के वैकल्पिक लिखतों जैसे कि लघु बचतों से होड़ करना पड़ता है, जिससे उनको नीतिगत दर के साथ तालमेल बिठाते हुए दरों को कम करने में दिक्कत होती है। विदेशी बैंकों का अनुसरण करते हुए, निजी क्षेत्र के बैंकों ने डब्ल्यूएडीटीडीआर के संबंध में अधिक संचरण प्रदर्शित किया। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नए रुपया ऋणों और बकाया ऋणों की डब्ल्यूएलआर में उनके निजी प्रतिपक्षकारों की अपेक्षा ज्यादा गिरावट आई।

क्षेत्र-वार उधार दरें

III.27 वर्ष 2020-21 के दौरान, अधिकांश क्षेत्रों के मामले में बकाया ऋणों की ब्याज दरों में गिरावट आई, जिसमें पेशेवर सेवाओं और अन्य व्यक्तिगत ऋणों की ब्याज दरों में तेजी से कमी आई (सारणी III.3)।

बाह्य बेंचमार्क

III.28 बाह्य बेंचमार्क के लिए उपलब्ध विकल्पों में से, अधिकांश बैंकों, अर्थात् 65 में से 39 बैंकों, ने मार्च 2021 की समाप्ति तक खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों को प्रदत्त अस्थिर दर ऋणों के लिए बाह्य बेंचमार्क के रूप में रिजर्व बैंक की नीतिगत रिपो दर को

सारणी III.4: वाणिज्यिक बैंकों के बाह्य बेंचमार्क – मार्च 2021

बैंक समूह	नीतिगत सीडी ओआईएस माइबोर रिपो दर		3 माह क्षेत्र विशिष्ट टी बिल			कुल बेंचमार्क*
	2	3	4	5	6	7 8
पीएसबी (11)	11	-	-	-	-	- 11
निजी बैंक (21)#	17	1	-	-	-	2 20
विदेशी बैंक (33)#	11	1	-	3	6	2 23
एससीबी (65)#	39	2	-	3	6	4 54

*: क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क में माइबोर, ओआईएस, 10-वर्षीय जी-सेक, एवं सीडी दरें शामिल हैं।

#: एक निजी क्षेत्र के बैंक और 10 विदेशी बैंकों ने शून्य की सूचना दी।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उन बैंकों की संख्या दर्शाते हैं जिन्होंने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था।

स्रोत : आरबीआई।

अपनाया है (सारणी III.4)। चार बैंकों ने क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क को अपनाया है।

III.29 नीतिगत रिपो दर के साथ जोड़े गए ऋणों के मामले में, नए रुपया ऋणों के संबंध में औसत स्प्रेड (अर्थात्, रिपो दर पर अतिरिक्त औसत डब्ल्यूएलआर) अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए सर्वाधिक था, जिसके बाद एमएसएमई का स्थान आता है (सारणी III.5)। घरेलू बैंक-समूहों में, आम तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक स्प्रेड लिया।

सारणी III.3: क्षेत्र-वार एससीबी की डब्ल्यूएलआर (आरआरबी को छोड़कर) – बकाया रुपया ऋण

(प्रतिशत)

माह-अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इन्फ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	व्यक्तिगत ऋण					रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य\$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च-20	10.06	9.38	10.53	9.73	8.98	9.90	8.71	10.05	10.59	28.90	12.06	7.31
जून-20	9.82	9.18	10.27	9.25	8.77	9.67	8.35	10.07	10.35	29.39	11.78	8.07
सितं-20	9.74	8.99	10.05	9.32	8.77	9.53	8.08	9.99	10.08	29.79	11.56	7.55
दिसं-20	9.70	8.75	9.84	9.15	8.49	8.52	7.84	9.79	9.87	30.38	11.23	7.38
मार्च-21	9.72	8.53	9.77	9.02	8.64	8.45	7.66	9.66	9.59	31.90	10.95	6.76
घट-बढ़ (प्रतिशत अंक)												
2020-21	-0.34	-0.85	-0.76	-0.71	-0.34	-1.45	-1.05	-0.39	-1.00	3.00	-1.11	-0.55

\$: आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋणों के अलावा।

स्रोत : विशेष मासिक विवरणी वीआईएबी, आरबीआई।


सारणी III.5: बाह्य बेंचमार्क के साथ जोड़े गए ऋण – नीतिगत रिपो दर पर औसत स्प्रेड : मार्च 2021

(प्रतिशत अंक)

बैंक समूह	व्यक्तिगत ऋण				एमएसएमई को ऋण
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य व्यक्तिगत ऋण	
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3.6	4.8	4.5	6.8	6.1
निजी क्षेत्र के बैंक	6.3	7.1	7.4	7.8	7.6
घरेलू बैंक	4.4	5.1	4.8	7.0	6.5

स्रोत : आरबीआई

III.30 जिन क्षेत्रों में नए अस्थिर दर ऋणों को बाह्य बेंचमार्क के साथ जोड़ा गया है उन क्षेत्रों में मंजूर किए गए सभी नए ऋणों में काफी बेहतर संचरण पाया गया है। बाह्य बेंचमार्क लागू होने के बाद से, अर्थात्, अक्टूबर 2019-मार्च 2021 के दौरान आवास, वाहन और अन्य व्यक्तिगत ऋणों की डब्ल्यूएलआर में भारी गिरावट आई है (चार्ट III.5)। इसी अवधि के दौरान अन्य व्यक्तिगत ऋणों में गिरावट अधिक (181 आधार अंक) थी, जिसके बाद एमएसएमई ऋणों का स्थान (179 आधार अंक)



आता है, जबकि सभी क्षेत्रों में नए रुपया ऋणों की डब्ल्यूएलआर में गिरावट कम अर्थात् 154 आधार अंक थी।

3. वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

III.31 आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडए के अनुसार यह अपेक्षित है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके, प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार सीपीआई के संदर्भ में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करेगी। विभाग मुद्रास्फीति और संवृद्धि संबंधी उच्च गुणवत्ता वाले विश्लेषण/दृष्टिकोण, वैकल्पिक नीतिगत परिदृश्यों एवं चलनिधि मूल्यांकन के साथ 5-वर्ष की अवधि (2021-26) के लिए मुद्रास्फीति के अनिवार्य लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए सहायता करेगा। इस पृष्ठभूमि में, विभाग निम्नलिखित पर काम करेगा :

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मूल रूप से उठाए गए एगमार्कनेट डेटा को सुविधानुकूल बनाते हुए खाद्य स्फीति के तात्कालिक अनुमान को सुदृढ़ करेगा;
- मुद्रास्फीति की आम और खास प्रकृति के घटकों को समझेगा ताकि अंतर्निहित मुद्रास्फीति की बेहतर समझ हो सके;
- उच्च-बारंबारता वाले डेटा का उपयोग कर जीडीपी के तात्कालिक अनुमान और पूर्वानुमान फ्रेमवर्क में बढौती करेगा;
- संवर्धित और सुविचारित क्यूपीएम को अमल में लाएगा ताकि मध्यावधि पूर्वानुमान एवं जोखिम मूल्यांकन किया जा सके (उत्कर्ष);
- चलनिधि पूर्वानुमान में सुधार करेगा और 2021-22 के दौरान चलनिधि प्रबंधन के अतिरिक्त साधनों की खोज करेगा तथा घटना अध्ययन पद्धति का उपयोग कर वित्तीय बाजारों पर रिजर्व बैंक के चलनिधि संबंधी उपायों का मूल्यांकन करेगा;
- भारत में ऋण चक्रों के व्यवहार की जांच करेगा; एवं
- एससीबी द्वारा क्षेत्रवार ऋण, सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने, बैंक जमाओं और ऋणों पर ब्याज दरों के संबंध में विवरणियों के प्रस्तुतिकरण को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग फॉर्मेट में पूर्ण रूप से स्थानांतरित करते हुए डेटा प्रबंधन को बेहतर करेगा।

4. निष्कर्ष

III.32 वर्ष 2020-21 में मौद्रिक नीति को, यह भी सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति ऊपरी गुंजाइश सीमा के ऊपर से नीचे उतरकर लक्ष्य के अनुरूप हो सके, कोविड-19 के प्रभाव से वृद्धि को बहाल करने की दोहरी चुनौती से निपटना पड़ा। मौद्रिक और चलनिधि संबंधी भिन्न-भिन्न परंपरागत व अपरंपरागत उपायों ने पर्याप्त अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि सुनिश्चित की ताकि वित्तीय बाजारों में कोविड-19 संबंधी दबाव से निपटा जा सके और वे समूचे क्षेत्र में ब्याज दरों में पर्याप्त रूप से कमी सुनिश्चित करने एवं जोखिम स्प्रेड को घटाकर कोविड-पूर्व स्तरों पर लाने में सफल थे और उसने कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के जरिए वृहद प्रवाहों को सुगम बनाया। चलनिधि में अधिशेष की स्थितियों और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋणों के मूल्य-निर्धारण को लेकर अनिवार्य बाह्य

बेंचमार्क व्यवस्था की बदौलत बैंकों की जमा और उधार दरों के संचरण में काफी सुधार हुआ है।

III.33 वर्ष 2020-21 में आर्थिक बहाली की गति पूर्व में की गई प्रत्याशाओं की अपेक्षा तेज साबित हुई। फिर भी दृष्टिकोण कई अनिश्चितताओं की वजह से कमजोर हुआ है, और वह कोविड-19 संक्रमण के तेजी से फैलने और टीकाकरण पर निर्भर करेगा। स्थायी बहाली सतत नीतिगत सहायता पर निर्भर होगी। मुद्रास्फीति एक बड़ी चिंता बनी हुई है और वृद्धि को सहारा देने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग करने से मौद्रिक नीति में बाधा डालती है। आपूर्ति-पक्ष प्रेरित स्फीतिकारी दबावों को कम करने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति समायोजनकारी रुख को जारी रखते हुए व्यापक समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरता के सभी खतरों पर ध्यानपूर्वक नज़र रखेगी।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में, प्रभावी ऋण वितरण सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेशन की पहुंच का विस्तार करना रिजर्व बैंक के लिए एक प्राथमिकता बना हुआ है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों की समीक्षा और सह-उधार मॉडल की शुरुआत करने सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत चल रहे प्रयासों को तेज किया गया है। एमएसएमई की विशेषज्ञ समिति तथा कृषि ऋण की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष की उल्लेखनीय घटना थी। देश के सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की पहुंच का विस्तार करके और वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका को भी संशोधित करके वित्तीय साक्षरता की दिशा में प्रयास जारी हैं।

IV.1 रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऋण वितरण तंत्र को मजबूत करने और समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य निर्धारित करने के पीछे रिजर्व बैंक का वह अति महत्वपूर्ण दर्शन है जिसमें समाज के उन वर्गों को सक्षम बनाना है जो यद्यपि ऋण हेतु पात्र हैं पर पर्याप्त और समय पर ऋण के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थ हैं। वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) को जारी किए गए विभिन्न निर्देशों में सामंजस्य के उद्देश्य से वर्ष के दौरान पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई; इन दिशानिर्देशों को उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ मिलाया गया और समावेशी विकास पर सटीक ध्यान केंद्रित किया गया।

IV.2 भारत सरकार ने एमएसएमई के रूप में उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर के समग्र मानदंड का उपयोग करते हुए नई परिभाषा को अधिसूचित किया जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में ₹1 करोड़ से अधिक का निवेश न हो और टर्नओवर ₹ 5 करोड़ से अधिक न हो। किसी उद्यम को अब लघु उद्यम के रूप में तब

वर्गीकृत किया जाता है जब संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹ 10 करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से अधिक न हो। मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकरण के लिए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹ 50 करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर ₹250 करोड़ से अधिक न हो।

IV.3 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को परिचालन संबंधी अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए सह-उधार मॉडल (सीएलएम) नामक एक संशोधित योजना को शुरू किया गया जो 5 नवंबर 2020 से प्रभावी है। बैंकों की निधि की कम लागत तथा एनबीएफसी की व्यापक पहुंच के तुलनात्मक लाभों के मद्देनजर, संशोधित योजना का प्राथमिक फोकस अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्रों के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार करना और अंतिम लाभार्थी को एक सस्ती कीमत पर निधि उपलब्ध कराना है।

IV.4 वित्तीय समावेशन को और अधिक योजनाबद्ध और संरचित दृष्टिकोण अपनाने हेतु बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करने की सलाह दी गई है। एफआईपी के तहत बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रगति मासिक आधार पर रिजर्व बैंक को सूचित की जाती है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) की सिफारिश के अनुरूप, पायलट सीएफएल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर पूरे देश में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया।

IV.5 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है। वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह संबंधी प्रदर्शन और वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना को खंड 3 में दिया गया है। अध्याय के अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IV.6 पिछले वर्ष उत्कर्ष के अंतर्गत विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) एवं बीसी रजिस्ट्री की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम की समीक्षा (उत्कर्ष) [पैरा IV.7];
- विशिष्ट लक्ष्य समूह के लिए ऑन लाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करना (उत्कर्ष) [पैरा IV.8];
- सीएफएल संबंधी प्रायोगिक परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण को पूर्ण करना (उत्कर्ष) [पैरा IV.9];
- “एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति” और “कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह” की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना (उत्कर्ष) [पैरा IV.10 - IV.11];
- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) के कार्यान्वयन की निगरानी करना [पैरा IV.12]; और
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा (पैरा IV.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

IV.7 2020-21 के दौरान, बीसी प्रमाणन कार्यक्रम, टू-टियर टीओटी कार्यक्रम, और बीसी रजिस्ट्री सरीखी बीसी मॉडल को मजबूत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों की प्रभावकारिता

का आकलन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंक अधिकारियों और बीसी के मध्य वर्चुअल मोड से एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया था। आवश्यकतानुसार, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के विश्लेषण का उपयोग पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार के लिए किया जाएगा।

IV.8 वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के इनपुट के आधार पर, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों (एएचजी), वरिष्ठ नागरिकों और किसान सरीखे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित किया है।

IV.9 नवंबर 2020 में शुरू किए जाने वाले सीएफएल पर पायलट परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव आकलन सर्वेक्षण को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधानों की वजह से नहीं किया जा सका। अब यह सर्वेक्षण सितंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा।

IV.10 एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति ने 37 व्यापक सिफारिशों की थीं। रिजर्व बैंक से संबंधित 21 सिफारिशों में से 11 पहले ही लागू हो चुकी हैं और कुछ पर विचार चल रहा है। जिन प्रमुख सिफारिशों को लागू किया गया था, उनमें ये शामिल हैं (i) वीडियो-आधारित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड, (ii) बैंकों के विनियामक खुदरा पोर्टफोलियो के लिए उच्चतम सीमा को ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 7.5 करोड़ करना; (iii) ग्रामीण एमएसएमई के लिए डिजिटल भुगतान और वाणिज्य प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति बुनियादी ढाँचा प्रदान करने हेतु भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का निर्माण; और (iv) सभी एनबीएफसी के लिए सह-उधार मॉडल।

IV.11 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) ने 29 सिफारिशों की थीं। रिजर्व बैंक से संबंधित 12 सिफारिशों में से 10 पहले ही लागू हो चुकी हैं। इस वर्ष लागू की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं, (i) 2023-24 तक अगले तीन साल की अवधि में चरणबद्ध रूप से पीएसएल के तहत छोटे और सीमांत किसानों के उप-लक्ष्य को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 8 प्रतिशत बढ़ाकर 10 प्रतिशत

करना; (ii) जिन चिह्नित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है वहां क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्च भार प्रदान करना; (iii) पूर्णतः सहायक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को छोटे और सीमांत किसानों के उप-लक्ष्य के तहत ₹ 2 लाख तक के ऋण वर्गीकृत करना; (iv) बैंकों की ऋण देने की रणनीतियों की पहचान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) का अध्ययन करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यह अनिवार्य करना कि पीएसएल में कमी की स्थिति में वह ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में योगदान करे; (v) फसल की खेती के लिए वित्त के पैमाने की समीक्षा।

IV.12 एनसीएफई को 2020-25 की अवधि में एनएसएफई में निर्धारित सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की निगरानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) तत्वावधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) द्वारा की जाती है।

IV.13 पीएसएल पर संशोधित मास्टर दिशा-निर्देश 4 सितंबर 2020 को जारी किए गए थे। इन मास्टर निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सभी वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, एसएफबी, यूसीबी और एलएबी के लिए पीएसएल संबंधी दिशानिर्देश इस उद्देश्य से शामिल किए गए हैं जिससे कि विभिन्न अनुदेशों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.14 2020-21 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधारी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अंश 40.54 प्रतिशत था (दिसंबर 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार)। बैंक समूहों में, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 40 प्रतिशत के निर्धारित पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त करते रहे जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में मामूली कमी देखी गई (सारणी IV.1)। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एससीबी से यदि प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रहती है तो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार उन्हें नाबार्ड द्वारा स्थापित

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		(₹ करोड़)
	1	2	3	4	विदेशी बैंक
2019-20		23,14,242 (41.05)	12,72,745 (40.32)		1,67,095 (40.80)
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*		23,79,790 (40.98)	14,04,824 (39.89)		1,73,945 (39.85)

*: अनंतिम आंकड़े।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन पत्रक जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक है, के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/ एनएचबी/ सिडबी/ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) की अन्य निधियों में योगदान के लिए राशि आवंटित करने की सलाह दी जाती है।

IV.15 पीएसएलसी की कुल व्यापारिक मात्रा में पिछले वर्ष के 43.1 प्रतिशत की तुलना में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और इसने ₹ 5.89 लाख करोड़ के स्तर को छुआ। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में चार पीएसएलसी श्रेणियों में से पीएसएलसी-जनरल और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसानों के मामले में सबसे अधिक व्यापार देखा गया, जिनके लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹2.26 लाख करोड़ और ₹ 1.98 लाख करोड़ रही।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा

IV.16 वर्ष के दौरान पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। समीक्षा के भाग के अनुसार, प्रति व्यक्ति पीएसएल क्रेडिट के आधार पर प्रोत्साहन और हतोत्साहित करने संबंधी ढांचा को लागू करने हेतु जिलों के लिए रैंकिंग देने का निर्णय लिया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के अपेक्षाकृत कम प्रवाह वाले जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को उच्च भार (125 प्रतिशत) दिया जाएगा और तुलनात्मक रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के उच्च प्रवाह वाले जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए (90 प्रतिशत) का कम भार दिया जाएगा। (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना

1972 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) को औपचारिक रूप दिया गया था। 1974 में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पहली बार ऋण देने के लक्ष्यों के बारे में सूचित किया गया था। तब से, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों का अंतर्निहित दर्शन समाज के ऐसे वर्गों को ऋण के प्रवाह की सुविधा प्रदान करना रहा है, जो यद्यपि ऋण लेने के पात्र हैं पर वे औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में असमर्थ हैं। शुरुआत से ही ये दिशानिर्देश निश्चित उद्देश्य / गतिविधि हेतु हुए हैं। बैंक के स्थान और ऋण देने की प्रथाओं को प्रभावित करते हुए समाज के ऐसे सभी वर्गों को ऋण की आसान पहुँच प्रदान करने के लिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण और 1990 में वित्तीय उदारीकरण की शुरुआत के बीच की अवधि में विनियमित किया गया था। निष्कर्षों से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन ने गरीबों तक बैंक ऋण निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बचत के अवसरों ने ग्रामीण गरीबी को पर्याप्त रूप से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (बर्गस, पांडे और वॉंग, 2005)। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह विभिन्न कारणों के कारण असमान था और देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में समानता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक द्वारा 2019 में स्थापित 'कृषि ऋण की समीक्षा हेतु आंतरिक कार्य समूह' (अध्यक्ष: श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर) ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई थी।

समिति ने सिफारिश की कि पीएसएल दिशानिर्देशों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए ताकि कम सेवित क्षेत्रों में ऋण लेने में सुधार के लिए उपयुक्त उपायों को पेश करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। तदनुसार, पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 2021 से बैंकों के लिए एक प्रोत्साहन फ्रेमवर्क शुरू किया गया। जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति पीएसएल ₹6,000 से कम) वहां वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण उच्च भार (125 प्रतिशत) दिया

जाएगा, जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति पीएसएल ₹25,000 से अधिक) वहां वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण कम भार (90 प्रतिशत) दिया जाएगा। आरआरबी, यूसीबी, एलएबी और विदेशी बैंक [पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) सहित] को पीएसएल उपलब्धि में भार के समायोजन से छूट दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में उनके ऑपरेशन का क्षेत्र सीमित है / वे एक विशेष खंड की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

फ्रेमवर्क को संचालित करने के लिए, सभी जिलों को प्राथमिकता क्षेत्र को प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर रैंक किया गया है और यह तीन साल की अवधि अर्थात वर्ष 2023-24 तक के लिए वैध रहेगा और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रोत्साहन ढांचे का उद्देश्य बैंकों को उन जिलों में उच्च ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करना है, जो वर्तमान में ऋण की कम पैठ का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त ढांचे के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे को बैंकों द्वारा अपने कॉर्पोरेट नीति स्तर पर संज्ञान में लिया जाएगा और बैंकिंग प्रणाली प्रोत्साहन संरचना के माध्यम से वाणिज्यिक लाभ लेने में सक्षम होगी।

हालांकि, ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता कई वजहों से होती है और कम सेवित क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। स्थायी परिवर्तन के लिए कम सेवित क्षेत्रों में ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्चतर ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयासों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से साथ देने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

बर्गस, आर, पांडे, आर और वॉंग, ग्रेस (2005)। 'बैंकिंग फॉर पुअर : एवीडेंस फ्रॉम इंडिया', *जर्नल ऑफ दि यूरोपियन इकॉनॉमिक एसोसिएशन*, खंड 3, अंक 2-3

IV.17 पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद इनमें आए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नीचे दिए गए हैं :

- "छोटे और सीमांत किसानों" और "कमजोर वर्गों" के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
- स्टार्ट-अप्स के लिए बैंक वित्त (₹50 करोड़ तक); ग्रीड से जुड़े कृषि पंपों के सोलरीकरण हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण; और

कम्प्रेसड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करने के लिए देय ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत दिए जाने वाले वित्त के लिए पात्र नई श्रेणियों के रूप में शामिल किया गया।

- पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी उपज के लिए आश्वासित विपणन सहित कृषि कार्य करने वाले कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के लिए उच्च ऋण सीमा निर्दिष्ट की गई।

- स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे (आयुष्मान भारत सहित) के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई।
- इकाई स्तरीय व्यापार की संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा श्रेणी के तहत ऋण की उच्चतम सीमा को ₹ 15 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 30 करोड़ कर दिया गया।
- शिक्षा के लिए व्यक्तियों को दिया गया ₹ 20 लाख तक के ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के योग्य माना जाएगा।

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लिए सह-उधार

IV.18 5 नवंबर, 2020 को सह-उधार मॉडल (सीएलएम) पर परिपत्र जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य पीएसएल की सभी श्रेणियों के संबंध में सहयोगपूर्ण प्रयास में बैंकों और एनबीएफसी के तुलनात्मक लाभों का बेहतर लाभ उठाना है। बैंकों से निधि की कम लागत और एनबीएफसी की अधिक से अधिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए संशोधित योजना का प्राथमिक ध्यान बैंकों और एनबीएफसी के बीच तालमेल में सुधार करना है। इस योजना में अर्धव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार और किराया मूल्य पर अंतिम लाभार्थी को धन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, पूर्ववर्ती योजना में बैंकों को केवल जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी -एनडी-एसआई) के साथ सह-उत्पत्ति की अनुमति थी पर इस संशोधित योजना में पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी [आवास

वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित] के साथ सह-उधारी की अनुमति दी गई है। जहां एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी बही में व्यक्तिगत ऋणों की न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखे, वहीं संशोधित मॉडल के तहत बैंकों को परिचालन संबंधी अधिक लचीलापन देते हुए यह अनुमति दी गई कि वे या तो समझौते की शर्तों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों को अपनी बही का हिस्सा बनाएं या अपनी बही में लेने से पहले उचित सावधानी बरतने के पश्चात अपने विवेक पर कुछ ऋणों को अस्वीकार कर सकते हैं। बैंक निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए अपने हिस्से के ऋण के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की स्थिति का दावा कर सकते हैं। बैंक और एनबीएफसी को सीएलएम में प्रवेश के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम लाभार्थी को कम से कम लागत पर धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

कृषि के लिए ऋण का प्रवाह

IV.19 भारत सरकार (जीओआई) हर साल वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य तय करती है। 2020-21 के दौरान, ₹ 15 लाख करोड़ के लक्ष्य के प्रति, बैंकों ने 31 दिसंबर 2020 तक 75.1 प्रतिशत (₹11.27 लाख करोड़) का लक्ष्य हासिल किया, जिसमें से वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों ने अपने लक्ष्य का क्रमशः 78.6 प्रतिशत, 74.2 प्रतिशत और 59.3 प्रतिशत हासिल किया है (सारणी IV.2)।

IV.20 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खेती और खपत, निवेश और बीमा सरीखी अन्य जरूरतों के लिए किसानों को

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		ग्रामीण सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-2020	9,72,000	10,61,215	2,02,500	1,49,694	1,75,500	1,62,857	13,50,000	13,73,766
2020-2021 (अप्रैल दिसंबर)*	10,81,978	8,50,543	2,25,946	1,33,976	1,92,076	1,42,603	15,00,000	11,27,121

*: अनंतिम आंकड़े। जहां कृषि ऋण हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरे वर्ष (अप्रैल 2020 - मार्च 2021) के लिए है वहीं हासिल लक्ष्य अप्रैल 2020 - दिसंबर 2020 तक की अवधि का दिया गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2019-20	241.50	4,23,587.80	46,555.80
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*	275.95	4,12,749.23	47,644.70

*: अनंतिम आंकड़े

स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक।

पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने का जरिया है (सारणी IV.3)।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत संबंधी उपाय

IV.21 वर्तमान में, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के दायरे में 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, अर्थात्, चक्रवात; सूखा; भूकंप; आग; बाढ़; सुनामी; ओला वृष्टि; भूस्खलन; हिमस्खलन; बादल फटना; कीट का हमला; और शीतलहर/पाला। तदनुसार, जहाँ इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन 33 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वहाँ रिजर्व बैंक ने राहत प्रदान करने का दायित्व बैंकों को सौंपा है। बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ऋणों की पुनर्चना/पुनर्निर्धारण और पात्र उधारकर्ताओं के सम्मुख आने वाली जरूरतों के अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देना शामिल है। 2020-21 के दौरान कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र नामक चार राज्यों ने प्राकृतिक आपदा / दंगे या गड़बड़ी की घोषणा की। मई 2020 में पश्चिम बंगाल में

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं हेतु

राहत उपाय

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्चित/पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नया वित्त/पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2019-20	9.04	13,296	10.06	32,639
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*	1.40	2,164	10.20	8,560

*: अनंतिम आंकड़े

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)।

चक्रवात अम्फन ने व्यापक तबाही मचाई। मई 2020 में राजस्थान टिड्डी के जबरदस्त हमला हुआ था, जबकि जुलाई 2020 में यहां ओलावृष्टि हुई। कर्नाटक में सितंबर 2020 में बाढ़ के कारण फसल नुकसान हुआ, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अक्टूबर 2020 में सूखा पड़ा। बैंकों द्वारा 2020-21 के दौरान आपदा प्रभावितों को नए ऋण उपलब्ध कराए गए, जबकि उनके पिछले ऋणों को भी उसी अवधि के दौरान बैंकों द्वारा पुनर्गठित / पुनर्निर्धारित किया गया था (सारणी IV.4)।

एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.22 एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना रिजर्व बैंक और सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, द्वारा एमएसएमई को बकाया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण में दिसंबर 2020 में 8.9% प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 6.2 प्रतिशत) [सारणी IV.5]।

सारणी IV.5: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिस-2019	328.93	7,04,278	23.81	6,35,933	3.07	2,08,134	355.82	15,48,344
दिस-2020	394.48	7,63,109	23.20	6,52,292	5.32	2,70,924	423.00	16,86,325

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

वित्तीय समावेशन

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) : 2019-24

IV.23 एनएसएफआई:2019-24 दस्तावेज में कार्यनीति की अवधि में क्रियान्वित किए जाने वाले कई लक्ष्यों एवं कार्य योजनाओं को वर्णित किया है जिनमें से वित्तीय साक्षरता (निर्दिष्ट लक्षित अभिविन्यास सहित वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल का विकास) तथा उपभोक्ता संरक्षण (ग्राहक शिकायत का सुदृढ़ पोर्टल विकसित करना) नामक दो अनुशंसाओं को 2020-21 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने लक्षित समूहों के लिए ऑडियो-विजुअल सामग्री / पुस्तिकाओं के रूप में प्रासंगिक मॉड्यूल विकसित किए हैं। सुदृढ़ शिकायत निवारण पोर्टल के लिए, रिज़र्व बैंक ने शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत की है जो शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और निवारण की स्थिति दर्शाने के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ग्राहक विवादों और डिजिटल भुगतान से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली भी शुरू की है।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.24 वित्तीय समावेशन के लिए एक सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) बनाएं। आउटलेट्स की संख्या (शाखाएं और बीसी), मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गयी ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) के लेनदेन, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खाते और कारोबार प्रतिनिधि -सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी -आईसीटी) प्रतिनिधि - सूचना और सांर तकनीकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से किए गए लेनदेन सरीखे मापदंडों पर बैंकों की उपलब्धियों को एफआईपी में शामिल किया जाता है। इन मापदंडों पर दिसंबर 2020 के अंत तक हुई प्रगति को सारणी IV.6 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना:

प्रगति रिपोर्ट

ब्योरा	मार्च 2010	दिसंबर 2019	दिसंबर 2020 ^s
1	2	3	4
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स- शाखाएं	33,378	54,481	55,073
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स>2000*-बीसी	8,390	1,28,980	8,51,272
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स<2000*-बीसी	25,784	3,83,864	3,85,537
गावों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स-बीसी	34,174	5,12,844	12,36,809 [^]
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स- अन्य माध्यमों से	142	3,473	3,440
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स- कुल	67,694	5,70,798	12,95,322
बीसी के जरिए समावेशित शहरी भूभाग ^s	447	5,51,327	3,24,345
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (संख्या लाख में)	600	2,558	2,891
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (राशि करोड़ में)	4,400	90,731	1,25,898
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (संख्या लाख में)	130	3,409	3,601
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (राशि करोड़ में)	1,100	62,095	77,163
बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	735	5,967	6,492
बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	5,500	1,52,826	2,03,061
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	62	59
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	455	500
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	479	490
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	7,09,377	6,79,136
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	200	199
जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,84,918	1,73,968
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	22,500	35,183
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	6,06,589	8,28,795

*:गांव की जनसंख्या [^]: बैंक द्वारा किए गए पुनर्वर्गीकरण के कारण संख्या में काफी वृद्धि हुई

#: वर्ष के दौरान लेनदेन। \$: अंतिम आंकड़े

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना

IV.25 प्रत्येक जिले में एक बैंक को निर्दिष्ट करते हुए उसे अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मार्च 2021 के अंत तक, देश के 730 जिलों में 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

5 किलोमीटर के दायरे में हर गाँव में/पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के टोलों (हैमलेट) में वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच

IV.26 5 किलोमीटर के दायरे में हर गाँव में/पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के टोलों (हैमलेट) में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना 2019-24 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। संबंधित राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी / यूटीएलबीसी) के संयोजक बैंकों द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2021 तक 22 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। पूरे देश भर में चिह्नित गाँवों / हैमलेटों में व्याप्ति का स्तर 99.87 प्रतिशत है।

वित्तीय साक्षरता

IV.27 स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री का विकास करना एनएसएफई : 2020-2025 के रणनीतिक लक्ष्यों में से एक है। अब तक 13 राज्य शैक्षिक बोर्डों ने अपने स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा मॉड्यूल को शामिल किया है। एनएसएफई कक्षा VI-X के स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा के एकीकरण के बारे में एनसीईआरटी के साथ बातचीत कर रहा है। एनसीईआरटी वित्तीय साक्षरता पर ई-लर्निंग संसाधन भी विकसित कर रहा है, जिसमें एनसीएफई विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सामग्री तैयार करने में योगदान देगा।

IV.28 100 ब्लॉक (आदिवासी ब्लॉक में 20 सीएफएल सहित) में पायलट सीएफएल परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने के लिए वर्ष के दौरान कदम उठाए गए।

IV.29 दिसंबर 2020 के अंत तक, देश में 1,478 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) थे। जहां 2019-20 (अप्रैल-मार्च) में 1,48,444 वित्तीय साक्षरता गतिविधियां की गईं, वहीं अप्रैल-दिसंबर 2020 की अवधि में एफएलसी द्वारा कुल 45,588 वित्तीय साक्षरता गतिविधियाँ संचालित की गईं। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बड़े पैमाने पर एकत्र होने पर लगे प्रतिबंध ने देश भर में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न की है। देश भर में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों के निरंतर प्रसार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने आभासी मोड के माध्यम से वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों को चलाया और वित्तीय जागरूकता संदेश फैलाने के लिए स्थानीय केबल टीवी और सामुदायिक रेडियो का लाभ उठाया।

वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका (फेम) में संशोधन

IV.30 महत्वपूर्ण बैंकिंग पहलुओं पर वित्तीय जागरूकता के लिए आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकीकृत सामग्री तैयार करने की जरूरत को समझते हुए, रिज़र्व बैंक ने 2016 में वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका विकसित की। एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और शिविरों के माध्यम से इन पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय दक्षताओं, बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के चार विषयों के 20 महत्वपूर्ण संदेशों को कवर करते हुए पुस्तिका की सामग्री को संशोधित किया गया था। संशोधित पुस्तिका 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसे व्यापक प्रसार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय शिक्षा वेबसाइट पर रखा गया है।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाना

IV.31 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) रिज़र्व बैंक की पहल है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष सघन अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर जनता/विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। 2020-21 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सप्ताह को "ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण" विषय पर 8-12 फरवरी 2021 के बीच मनाया गया था, इसमें

जिम्मेदारीपूर्ण उधारी, औपचारिक संस्थानों से उधार लेने और समय पर चुकौती करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस सप्ताह के दौरान बैंकों को सूचना का प्रसार करने और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के बारे में सूचित किया गया था। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने आम जनता के लिए इस विषय पर आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए फरवरी 2021 के दौरान एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान भी चलाया।

3. 2021-22 के लिए कार्यसूची

IV.32 विभाग बेहतर वित्तीय समावेशन और ऋण सुपुर्दगी हासिल करने के लिए उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा :

- एनएसएफआई 2019-24 के तहत लक्ष्यों का कार्यान्वयन;
- एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति की शेष अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- सीएफएल पर पायलट परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव आकलन सर्वेक्षण को पूरा करना; तथा

- देश भर में 3,592 ब्लॉकों को कवर करते हुए 1,199 सीएफएल स्थापित करके सीएफएल परियोजना का विस्तार; और देश भर में वित्तीय शिक्षा के स्तर को बढ़ाना।

4. निष्कर्ष

IV.33 संक्षेप में, वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने समावेश के सुधार के लिए एमएसएमई और कृषि ऋण पर आंतरिक कार्य समूह की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया और इन क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को भी बढ़ाया। इसके अलावा, पीएसएल पर संशोधित मास्टर निदेश विभिन्न अनुदेशों के सामंजस्य के लिए जारी किए गए थे। सस्ती लागत पर अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सह-ऋण की शुरुआत की गई थी, और पूरे देश को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए पायलट सीएफएल परियोजना के पैमाने की शुरुआत की गई थी। भविष्य में, एनएसएफआई दस्तावेज के तहत निर्धारित की गई सिफारिशों को लागू करना और वित्तीय साक्षरता को मजबूत करना रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे।

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाज़ार में प्रतिभागिता में विस्तार कर, बाज़ार तक पहुंच को आसान बनाकर, इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर तथा बाज़ार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए एकीकृत निगरानी प्रणाली अपनाकर वित्तीय बाज़ारों के विभिन्न खंडों को विकसित तथा मजबूत किया। महामारी के दौर में चलनिधि की स्थिति का तदनुसार प्रबंधन करना पूरे वर्ष का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। साथ-साथ विदेशी मुद्रा बाज़ारों से संबंधित विनियमों को सरल बनाने हेतु विविध उपाय किए गए ताकि वे वर्तमान कारोबारी तथा आर्थिक परिवेश के अनुरूप हों, पूंजी खाते के उदारीकरण को व्यापक किया गया और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को युक्तिसंगत किया गया।

V.1 बाज़ार में पहुंच को आसान बनाने, प्रतिभागिता में बढ़ोतरी करने, एकीकृत बाज़ार निगरानी प्रणाली का निर्माण करने और वित्तीय बाज़ार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के संदर्भ में वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाज़ारों को और अधिक विकसित करना जारी रखा। प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को प्रयोग में लाया गया। बाह्य व्यापार और निवेश को सुगम बनाने और कोविड -19 के कारण उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए नीतिगत उपाय भी किए गए।

V.2 इसके परिप्रेक्ष्य में, शेष अध्याय चार खंडों में संरचित है। खंड 2 में वित्तीय बाज़ारों को विकसित करने हेतु किए गए उपायों को शामिल किया गया है। खंड 3 में चलनिधि प्रबंधन तथा विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए बाह्य व्यापार तथा भुगतानों की सुविधा हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। अंतिम खंड में समापन निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी)

V.3 वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी) को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा तथा ऋण व्युत्पन्नी संबंधित बाज़ार के विकास,

विनियमन तथा निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस दायित्व के अनुसार कई उपाय शुरू किए।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.4 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्रीय बजट 2020-21 के घोषणा के अनुसार योग्य वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए विधि निर्माण कर गैर-केंद्रीय रूप से मंजूरी दिए गए व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक और भिन्नता मार्जिन के आदान-प्रदान के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना (उत्कर्ष) [पैरा V.5];
- योग्य वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय नेटिंग कानून के आलोक में सीडीएस रायटर्स के आधार को बढ़ाने और संचालन मार्गदर्शिता के सरलीकरण के उद्देश्य से ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के निर्देशों की समीक्षा (उत्कर्ष) (पैरा V.6); तथा
- बाज़ार पहुंच को आसान बनाने, ऑनसोर और ऑफसोर बाज़ारों के बीच विभाजन को हटाने तथा पारदर्शिता में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से ब्याज दर व्युत्पन्नियों के निर्देशों की समीक्षा (पैरा V.7)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 विभाग ने जनता का फीडबैक प्राप्त करने के लिए सितम्बर 2020 में विभिन्नता मार्जिन पर ड्राफ्ट निदेश जारी किए। सितम्बर 2020 में क्वालिफाइड फाइनांशियल कॉन्टैक्ट्स की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम के पास होने से मार्जिन के आदान-प्रदान का कार्यान्वयन आसान होने उम्मीद है। इस संदर्भ में, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत विनियमन और परिपत्र क्रमशः अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021 में जारी किए गए ताकि अनुमत व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए निवासी और अनिवासी के बीच मार्जिन के आदान-प्रदान को सक्षम बनाया जा सके।

V.6 संबंधित साझेदारों के परामर्श से ऋण व्युत्पन्नियों के निदेशों की समीक्षा की गई और फरवरी 2021 में सीडीएस ड्राफ्ट निदेश जारी किए गए।

V.7 रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न (आईडीआर) का ड्राफ्ट निदेश जनता के फीडबैक के लिए सितंबर 2020 में जारी किए गए जिसमें यह प्रस्तावित है कि बाजार निर्माताओं और विश्व स्तर पर उनकी संबंधित संस्थाओं के सभी रुपये आईआरडी लेनदेनों का लेखांकन भारत में किया जाना है। इन उपायों का उद्देश्य अधिक अनिवासी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ऑफसोर बाजार में घरेलू बाजार निर्माताओं की भूमिका को बढ़ाना, पारदर्शिता में बढ़ोतरी करना और बेहतर नियामक निरीक्षण प्राप्त करना है।

प्रमुख पहल

विदेशी मुद्रा बाज़ार तक पहुंच को आसान बनाना तथा प्रतिभागिता को बढ़ाना

V.8 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं और अन्य दिशा-निर्देशों के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कर्जदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में मांग मुद्रा/सूचना पर देय मुद्रा/ मीयादी मुद्रा बाजार में प्रतिभागिता करने की अनुमति दी गई है। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर चलनिधि के अधिक प्रभावी प्रबंधन की उम्मीद की जाती है।

V.9 एक सुसंचालित मुद्रा बाजार अन्य वित्तीय बाजारों में मूल्य निर्धारण और चलनिधि की सुविधा के द्वारा मौद्रिक नीति संचरण

की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मांग, सूचना पर देय और मीयादी मुद्रा, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और संपरिवर्तनीय डिबेंचर जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है, की व्यापक समीक्षा की गई और उसे युक्तिसंगत बनाया गया। संशोधित ड्राफ्ट निदेश जनता के फीडबैक के लिए दिसम्बर 2020 के शुरुआत में जारी किए गए। इसका उद्देश्य जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में निरंतरता लाना है।

V.10 विभाग ने भारत सरकार, आईसीएसडी और अन्य हितधारकों के परामर्श से इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्क्युरिटी डीपोजिटरी (आईसीएसडी) के जरिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) के अंतरराष्ट्रीय निपटान की प्रक्रिया की शुरुआत की है। आईसीएसडी के क्लाइंट अपने आप को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रूप में रजिस्टर न करते हुए भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली का निर्माण

V.11 वित्तीय बाजार के लिए निगरानी प्रणाली के महत्व को देखते हुए विभाग ने सूचना प्रणाली (आईटी) सक्षम एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। इच्छुक विक्रेताओं से एक्सप्रेसन ऑफ इंटररेस्ट (ईओआई) प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था जिसके लिए दो बोली लगाने वालों से सहमति प्राप्त हुई थी, जिसकी निगरानी अपेक्षाओं सहित तकनीकी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है। आईएमएस विभाग की विश्लेषण और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करेगा।

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना

V.12 अतरल सरकारी प्रतिभूतियों में संचालन दक्षता और व्यापार मात्रा बढ़ाने और लेन-देन की लागत घटाने के उद्देश्य से विलियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को अतरल सरकारी प्रतिभूति के लिए बने तयशुदा लेनदेन प्रणाली- ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) में कोट डीलिंग के लिए आवेदन के लिए अधिकृत किया गया है। आरएफक्यू मोड

से बाजार सहभागियों को एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे और साथ ही कई काउंटर पार्टियों से भाव प्राप्त करने/प्रदान करने में सक्षम होने की उम्मीद है।

V.13 खुदरा प्लेयर्स के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव की पहुंच को व्यापक करने के लिए सीडीएसएल को अपने एफएक्स-क्लियर प्लेटफॉर्म के एफएक्स-रिटेल मॉड्यूल में एफएक्स-फॉरवर्ड शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। विदेशी बाजार में खुदरा प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए 2019 में एफएक्स- नकदी/टॉम/स्पॉट/ उत्पाद सहित एफएक्स-रिटेल मॉड्यूल की शुरुआत की गई।

V.14 खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में, खुदरा निवेशकों को सीधे अपने डीमैट खातों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए आईटी आधारित समाधान विकसित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।

ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में उच्च मानक शासन और आचरण को सुनिश्चित करना

V.15 ओटीसी व्युत्पन्नियों के लिए ग्राहक उपयुक्तता और औचित्य, शासन व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्युत्पन्नियों पर व्यापक निदेश पहली बार 2007 में जारी किए गए थे। वित्तीय बाजार के बढ़ते जटिलता के प्रबंधन, ब्याज दर और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के विनियमन संबंधी बदलाव, अनिवासी सहभागिता में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। ओटीसी व्युत्पन्नियों में बाजार निर्माताओं पर निदेशों का मसौदा सार्वजनिक फीडबैक प्रतिक्रिया के लिए दिसंबर 2020 में जारी किया गया था। संशोधित निदेशों में बाजार निर्माताओं द्वारा ओटीसी व्युत्पन्नियों व्यवसाय में गवर्नेंस और आचरण के उच्च मानकों को सुनिश्चित करते हुए व्युत्पन्न बाजारों तक कुशल पहुंच को बढ़ावा देने की मांग की गई है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

V.16 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग का निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

- भारत में नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक तथा भिन्नता मार्जिन के आदान-प्रदान के कार्यान्वयन के लिए ड्राफ्ट निदेश वर्ष 2021-22 के दूसरे तिमाही में जारी किए जाएंगे (उत्कर्ष);
- सरकारी प्रतिभूति ऋण और उधार प्रणाली (जीएसएलबीएम) जो 'विशेष रेपो' के लिए मौजूदा बाजार में वृद्धि करेगा; क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 2021-22 की दूसरी तिमाही में शुरू की जाने की उम्मीद है; तथा
- डेरिवेटिव लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक कानूनी इकाई अभिज्ञापक के तहत बेहतर एकत्रीकरण और पारदर्शिता की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रगति के तर्ज पर यूनिफ ट्रांजेक्शन आईडेंटिफायर (यूटीआई) भारत में लागू किया जाएगा।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.17 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) को दो प्राथमिक दायित्व सौंपे गए हैं: पहला मौद्रिक नीति के संचरण हेतु वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालन को संचालित करना; तथा दूसरा यह कि ऑनसोर और ऑफसोर संचालन द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में और व्यवस्थित शर्तों को सुनिश्चित करना।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.18 वर्ष के दौरान विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप अतिरिक्त चलनिधि प्रबंधन साधनों के माध्यम सहित, चलनिधि प्रबंधन संचालन को प्रभावी ढंग से पूरा करना (उत्कर्ष) [पैरा V. 19];
- उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और नीतिगत रेपो दर के साथ भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करना (पैरा V.20-26);
- अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया विनिमय दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रभावी ढंग से संचालित करना (पैरा V.30); तथा
- वित्तीय बाजारों पर नीतिगत आधारित अनुसंधान जारी रखना (पैरा V.31)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाज़ार तथा चलनिधि प्रबंधन

V.19 कोविड-19 के बाद की अवधि में रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि बढ़ाने के किए गए विभिन्न उपायों और बढ़ी हुई पूंजी प्रवाह के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष स्थिति में बनी रही। रिज़र्व बैंक ने टर्म रेपो, रिवर्स रेपो, परिवर्ती दर रिज़र्व रेपो, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत एमएसएफ़, खुले बाज़ार के परिचालनों (ओएमओ), राज्य विकास ऋण (एसडीएल), सरकारी प्रतिभूति के समानान्तर क्रय और विक्रय के विशेष ओएमओ लिखतों का उपयोग किया।

V.20 टिकाऊ चलनिधि के प्रावधान के संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने 2020-21 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 27 ओएमओ संचालित किए जिसमें आउटरीच ओएमओ क्रय का संयोजन, विशेष ओएमओ (दीर्घ अवधि का समानांतर क्रय और अल्प अवधि सरकारी प्रतिभूतियों का समानांतर विक्रय) और एसडीएल में ओएमओ क्रय नीलामी (22 अक्टूबर, 5 नवंबर और 23 दिसंबर 2020 को कुल ₹ 30,000 करोड़ राशि के लिए 3 नीलामी आयोजित की गई) शामिल है। 2020-21 के दौरान रिज़र्व बैंक ने ओएमओ के माध्यम से ₹ 3,13,295 राशि का कुल क्रय किया।

V.21 जिन बैंकों ने 2019-20 (अप्रैल- मार्च) में दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) तथा 2019-20 और 2020-21 में लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत फ़ंड का लाभ उठाया था, उन्हें यह अनुमति दी गई कि वे इन लेन-देन को परिपक्वता के पहले तक रिज़र्व रख सकते हैं और विद्यमान निम्नतर रेपो दर पर नए फ़ंड प्राप्त कर सकते हैं। एलटीआरओ और टीएलटीआरओ योजना के तहत बैंकों द्वारा कुल ₹1.24 लाख करोड़ और ₹37,348 करोड़ की राशि की चुकौती की गई।

V.22 पर्याप्त चलनिधि प्रदान करके विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों को पुनः शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ₹1.0 लाख करोड़ रुपये तक की कुल राशि के लिए तीन साल तक की अवधि वाले ऑन टैप टीएलटीआरओ अक्टूबर 2020 में शुरू की गई जो नीतिगत रेपो दर से जुड़े फ्लोटिंग दर उपलब्ध होगा। यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध थी और बाद में इसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया। 04 दिसंबर 2020 से सरकार के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के साथ तालमेल में अन्य दबावग्रस्त क्षेत्रों में भी टैप टीएलआरओ की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। 05 फरवरी 2021 से बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे विशिष्ट दबावग्रस्त क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को ऑन टैप टीएलटीआरओ के तहत निधि उपलब्ध कराएं।

V.23 अग्रिम कर बहिर्गमन के कारण चलनिधि पर हो रहे दबाव को कम करने के लिए, 11 सितंबर और 14 सितंबर, 2020 को मौजूदा रेपो दर पर 1.0 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए दो 56 दिन की अवधि के रेपो नीलामी आयोजित किए गए, जिसमें कुल 1,000 करोड़ रुपये की चलनिधि इंजेक्ट हुई। वर्ष समाप्ति के दौरान चलनिधि दबाव के प्रबंधन के लिए मार्च 2021 की समाप्ति पर 11 दिवसीय और 5 दिवसीय दो परिमार्जन परिवर्ती दर रेपो परिचालन किया गया जिससे ₹500 करोड़ राशि इंजेक्ट हुई।

V.24 मई 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, विशिष्ट वित्तीय इकाइयों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों

(एमएफआई); आवास वित्त कंपनियों (एचएफसीएस) के चलनिधि की स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंक ने एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के जरिए एक योजना आरंभ की। इस योजना के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा कुल ₹ 7,126 करोड़ (प्रिन्सिपल राशि) का निवेश किया गया।

V.25 पात्र एलएएफ/एमएसएफ प्रतिभागियों को उनके दिन समाप्ति आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त 2020 को अपने ई-कुबेर प्रणाली में स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप आउट (एसआईएसओ) सुविधा की शुरुआत की।

V. 26 रिजर्व बैंक ने आरआरबी को रिजर्व बैंक के एलएएफ और एमएसएफ तथा साथ ही कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार को एक्सेस करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि मुद्रा बाजारों में प्रतिभागियों में संख्या में बढ़ोतरी हो और उन्हें बेहतर चलनिधि प्रबंधन की सुविधा प्राप्त हो।

सरकारी प्रतिभूति बाजार



V.27 दिनांक 01 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच अधिग्रहीत एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 तक एनडीटीएल की सीमा 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.0 प्रतिशत कर दी गई थी, इसकी सीमा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत थी। यह सुव्यवस्थित बाजार की स्थिति पैदा करने और एचटीएम सीमाओं की बहाली के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ अनुकूल वित्तपोषण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए था।

V. 28 उच्च सरकारी ऋण आपूर्ति, उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति और ऋण श्रेणी में निरंतर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह से उत्पन्न चिंताओं के बावजूद वर्ष के दौरान ओएमओ संचालन द्वारा 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में स्थिरता लाने में मदद की (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1

खुले बाजार के परिचालनों में गतिशील दृष्टिकोण के जरिए बॉन्ड बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करना

रिजर्व बैंक ने निर्बाध तरीके से भारत सरकार (जीओआई) के अभिवर्धित बाजार उधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय वित्तीय स्थिति अनुकूल बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविध दृष्टिकोण अपनाया है। 5-वर्ष तथा 10-वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए औसत जेनेरिक बॉन्ड प्रतिफल दशक के निम्न स्तर पर थे (चार्ट 1), जिसने निम्नतम भारत औसत प्रतिफल¹




पर भारत सरकार द्वारा रिकार्ड उधार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की (चार्ट 2)।

अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि के परिप्रेक्ष्य में, आउटराइट ओएमओ (5) के संयोजन के साथ चलनिधि न्यूट्रल विशेष ओएमओ (19) संचालित किए गए।

(Contd...)

¹ प्राथमिक नीलामियों के भारत औसत निर्दिष्ट प्रतिफल पर विचार किया गया।

चार्ट 3: ओएमओ – सकल और निवल खरीद²




ओएमओ के दायरे को राज्य विकास ऋणों (3) तक भी बढ़ाया गया ताकि चलनिधि की स्थिति में सुधार हो और इसमें कारगर कीमत-निर्धारण को सुविधाजनक बनाया जा सके। अप्रैल 2020 – मार्च 2021 के दौरान, रिजर्व बैंक ने ₹5,09,295 करोड़ (27 ओएमओ के माध्यम से ₹3,02,132 करोड़ तथा द्वितीयक बाज़ार में ₹2,07,163 करोड़)² की राशि के प्रतिभूतियों की रिकार्ड सकल खरीद की [चार्ट 3]। जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान, सकल और निवल खरीद की राशि क्रमशः ₹3,78,821 करोड़ और ₹1,94,396 रही।

बाज़ार को प्रभावी समर्थन प्रदान करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर विघटनकारी प्रभावों से बचने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2020 से बारंबारता एवं परिमाण दोनों मामलों में ओएमओ को बढ़ाया गया। परिणामस्वरूप, सकल भारत सरकार निर्गमों के प्रतिशत के रूप में ओएमओ के माध्यम से खरीदी गई सकल प्रतिभूतियाँ जुलाई 2020 में 8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 में 63 प्रतिशत हुईं, जबकि 10-वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि के प्रतिभूतियों के मामले में यह अंश जुलाई 2020 में 5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 में 59 प्रतिशत की ऊंचाई तक पहुंचा। इसने, तथापि, ब्याज दरों को प्रतिपादित मौद्रिक नीति के अनुरूप रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

V.29 वर्ष के दौरान, कोविड 19 के प्रकोप के कारण जोखिम वापसी के रुख की वजह से अमेरिकी डॉलर में व्यापक आधार पर कमजोरी के बीच रुपये ने आम तौर पर मजबूत बने रहने के पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया। भारतीय इक्विटी बाज़ारों में रिकार्ड मात्रा में विदेशी निवेश ने भी रुपये को मजबूती प्रदान करने में मदद की।

चार्ट 4: जेनेरिक 10-वर्ष सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में परिवर्तन – जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक



ओएमओ में तरल और अतरल प्रतिभूतियों के मिश्रण की खरीद से प्रतिफल वक्र की विशेष अवधियों में चलनिधि का वितरण आसान हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों की निरंतर आपूर्ति के बीच ओएमओ के गतिशील उपयोग के माध्यम से रिजर्व बैंक के समर्थन ने बाज़ार के प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने में मदद की। इसने रिजर्व बैंक के समर्थन से न केवल बाज़ार को एक लचीला और स्थिर सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की ओर अग्रसर करने का आश्वासन दिया, बल्कि वित्तीय बाज़ारों के अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की, जो सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल वक्र से इतर वित्तीय लिखतों का कीमत निर्धारण करते हैं। विविध ओएमओ में सक्रिय प्रतिभागिता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि औसत प्रस्ताव – रक्षा अनुपात जुलाई 2019 – जून 2020 की अवधि में 3.85 की तुलना में जुलाई 2020 – मार्च 2021 में 5.16 रहा।

जुलाई 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान उभरते समकक्षीय बाज़ारों एवं विशेष विकसित बाज़ारों के जेनेरिक 10 वर्ष की सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में बदलाव की तुलना से यह पता चलता है कि थाईलैंड के लिए 78 आधार अंक, दक्षिण कोरिया के लिए 66 आधार अंक एवं चीन के लिए 35 आधार अंक की वृद्धि की तुलना में भारतीय प्रतिफल में लगभग 28 आधार अंक तक वृद्धि हुई (चार्ट 4)।

V.30 रिजर्व बैंक ने एक्सचेंज ट्रेडेड करेन्सी डेरिवेटिक्स (ईटीसीडी) क्षेत्रों तथा ऑनशोर/ऑफशोर ओटीसी में परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप किया ताकि विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकते हुए व्यवस्थित बाज़ार स्थितियाँ कायम की जा सकें।

² व्यापार तिथि के आधार पर सकल और निवल खरीद दोनों।

अनुसंधान / विश्लेषणात्मक अध्ययन

V.31 विभाग ने रिज़र्व बैंक की चलनिधि परिचालनों एवं मुद्रा बाज़ार के परिमाण के बीच संबंध; वित्तीय बाज़ारों पर रिज़र्व बैंक के संप्रेषण का प्रभाव; भारतीय रुपया (आईएनआर) बाज़ार में अस्थिरता; जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ारों पर रिज़र्व बैंक के विशेष खुले बाज़ार के परिचालनों का प्रभाव; तथा कोविड-19 के समय चलनिधि प्रबंधन जैसे विषयों पर अनुसंधान/ विश्लेषणात्मक अध्ययन किया।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

V.32 वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है:

- मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन उपायों के जरिए कारगर रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालित करना (उत्कर्ष) ;
- अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रभावी ढंग से संचालित करते रहना; तथा
- वित्तीय बाज़ारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान जारी रखना।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.33 वर्ष के दौरान, विभाग ने बाह्य व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरल लेकिन व्यापक, समय-संगत एवं सिद्धांत आधारित नीतियाँ तैयार करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। उभरती कारोबारी पद्धतियों एवं आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक फ्रेमवर्क को संरेखित करने सहित कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए गए।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.34 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया था:

- रिपोर्टिंग को विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए एवं उसे सरल तथा कारगर बनाने के लिए विभिन्न विनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की संपूर्ण समीक्षा करना (उत्कर्ष) [पैरा V.36-40];
- समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) विनियमों को तर्कसंगत बनाना ताकि वे सरल तथा अधिक सिद्धान्त आधारित हों (उत्कर्ष) [पैरा V.41];
- भारतीय पार्टियों/ निवासी भारतियों द्वारा ओडीआई की विलंबित रिपोर्टिंग के लिए विलंबित प्रस्तुति शुल्क का प्रारंभ (उत्कर्ष) [पैरा V.41];
- विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली 2015 के तहत विदेशी मुद्रा तथा मुद्रा संबंधी विभिन्न प्रावधानों जैसे मुद्रा का निर्यात तथा आयात; विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन तथा अभ्यर्षण ; कब्ज़ा; तथा एक एकल विनियम के अंतर्गत एकीकृत विदेशी मुद्रा की प्रतिधारणा को तर्कसंगत बनाना (पैरा V.42); तथा
- जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और नियमित तौर पर डिजिटल सामग्री तैयार करते रहना(उत्कर्ष) [पैरा V.43]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों का उदारीकरण तथा उसे तर्कसंगत बनाना

V.35 प्रणाली को निर्यातक के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए 09 अक्तूबर, 2020 से निर्यातकों को स्वचालित सावधान-सूची में सम्मिलित करना बंद कर दिया गया। संशोधित प्रणाली से यह उम्मीद है कि वह निर्यातकों को नम्यता प्रदान करेगी तथा समुद्रपारीय खरीदारों के साथ उनकी मोल-भाव करने की शक्ति में सुधार लाएगी। संशोधित मानदंडों के अंतर्गत निर्यातक के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर या उन मामलों में जहां कानून प्रवर्तन एजेंसी की नज़र में निर्यातक की कोई प्रतिकूल बात आई हो या गंभीर मामलों के आधार पर प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा

किए गए सिफारिशों पर निर्यातकों को रिज़र्व बैंक द्वारा सावधान-सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह, एडी बैंक किसी निर्यातक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधान-सूची से हटाने के लिए रिज़र्व बैंक को सिफारिश कर सकेंगे।

V.36 एडी बैंकों को, निर्यात लदाई के मूल्य पर विचार किए बिना, लेकिन कतिपय शर्तों के अधीन, निर्यातक द्वारा सीधे परेषिती को या वस्तुओं के अंतिम गंतव्य के देश के निवासी उसके एजेंट को लदान प्रलेख प्रेषित करने के मामले नियमित करने की अनुमति दी गई है।

V.37 अप्राप्त निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने की प्रक्रिया में संशोधन की गई जिसके अंतर्गत एडी बैंक वर्तमान प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, निर्यातक के अनुरोध पर किसी सीमा के बिना अप्राप्त निर्यात बिलों को बट्टे खाते डाल सकता है।

V.38 एडी बैंकों को द्विपक्षीय समझौता के अतिरिक्त किसी आंतरिक या आउटसोर्स की हुई केन्द्रीकृत समझौता व्यवस्था के माध्यम से या तो निवल अथवा सकल आधार पर उनके समुद्रपारीय समूह/सहयोगी कंपनियों के साथ उनके निर्यातकों/आयातकों के बकाया आयात देय राशियों के मुकाबले बकाया निर्यात प्राप्त राशियों को निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

V.39 एडी बैंक जिनके माध्यम से मूलतः निर्यात आमद की उगाही की गई उन्हें संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर भारत से निर्यातित वस्तु के निर्यात आमद वापस करने संबंधी अनुरोध पर विचार करने की अनुमति दी गई जिसके लिए जहां आयातक देश में बन्दरगाह/ सीमा शुल्क/ स्वास्थ्य प्राधिकरणों/ किसी अन्य मान्यता-प्राप्त एजेंसी द्वारा निर्यातित वस्तु की नीलामी की गई है अथवा उसे नष्ट किया गया है, वस्तु के पुनः आयात की आवश्यकता पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा।

फेमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की समीक्षा

V.40 रिज़र्व बैंक ने फेमा तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा / के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों और फॉर्मों को पहले निर्धारित किया था। नवीनतम प्रौद्योगिक प्रगति और साथ ही विभिन्न अधिसूचनाओं को तर्कसंगत होने के कारण

फेमा के विनियमावली में हालिया बदलावों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि फेमा के अंतर्गत मौजूदा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की व्यापक समीक्षा की जाए। तदनुसार, फेमा के अंतर्गत निर्धारित सभी विवरणियों / रिपोर्टों की समीक्षा करने और उसे तर्कसंगत बनाने के लिए सुझाव देने के लिए जनवरी 2020 में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा कुल 67 विवरणियों की उनकी प्रासंगिकता, फाइलिंग का माध्यम, प्रारूप और बारंबारता के संबंध में समीक्षा की गई। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, 13 नवंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से 17 विवरणियों / रिपोर्टों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। उपरोक्त विवरणियों के बंद होने से फेमा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों / विवरणियों की कुल संख्या में कमी आई है, जिससे रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए अनुपालन की लागत में कमी आई और इस प्रकार कारोबार करने की सुगमता में सुधार हुआ है।

समुद्रपारीय निवेश विनियमावली को तर्कसंगत बनाना

V.41 भारत सरकार के परामर्श से, भारतीय पार्टियों/ निवासी भारतीयों द्वारा ओडीआई की विलंबित रिपोर्टिंग के लिए विलंबित प्रस्तुति शुल्क प्रारंभ करने के प्रस्ताव सहित समुद्रपारीय निवेश विनियमावली की समीक्षा शुरू कर दी गई।

प्राधिकृत व्यक्ति तथा विप्रेषण

V.42 विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली 2015 को संशोधित किया गया तथा इसमें हुए परिवर्तनों को 18 अगस्त, 2020 को अधिसूचित किया गया।

जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और डिजिटल सामग्री तैयार करना

V.43 कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष के दौरान फेमा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन सीमित था। हालांकि क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्ष के दौरान प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए कुछ कार्यशालाएं और फेमा प्रदर्शनी-सह-टाउनहॉल कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रमुख पहल

कौशल विकास तथा आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन

V.44 आवेदन की प्राप्ति से अंतिम निर्णय के संप्रेषण तथा लेनदेन की रिपोर्टिंग तक के पूरे जीवन चक्र को सम्मिलित करने वाले सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल (स्पेक्ट्रा) के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है और वर्तमान में यह यूजर एक्सेप्टेन्स परीक्षण चरण में है।

V.45 संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी)/ उन्नत एफएफएमसी (एडी श्रेणी-II) के लिए लाइसेंसिंग, नवीकरण, रिपोर्टिंग, निरसन तथा निरीक्षण से संबंधित ऑनलाइन पैकेज कार्यान्वयन के अधीन है तथा वर्तमान में यूजर एक्सेप्टेन्स परीक्षण चरण में है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली का प्रबंधन

V.46 वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से फेमा, 1999 में संशोधन किए गए जिसके माध्यम से किसी भी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पूंजी खाता लेनदेन जिनमें ऋण लिखत शामिल नहीं हैं के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, जबकि रिजर्व बैंक ऐसे पूंजी खाता लेनदेन जिनमें ऋण लिखत शामिल हैं को विनियमित करना जारी रखेगा। साथ ही ऋण लिखत के रूप में जिन लिखतों को निर्धारित किया जाना है उससे संबंधित नियम सरकार बनाएगी। इन संशोधनों तथा गैर-ऋण लिखत (एनडीआई) नियमावली को अक्टूबर 2019 में अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2020 का संशोधन अधिसूचना जारी किया गया जिसके द्वारा रिजर्व बैंक को एनडीआई विनियमावली के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शाखा कार्यालय (बीओ)/संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) की स्थापना

V.47 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांकित अधिवक्ता ही भारत में वकालत करने के हकदार हैं और यह कि विदेशी कानूनी फर्म / कंपनियां या विदेशी वकील भारत में वकालत नहीं कर सकते हैं,

इसके परिणामस्वरूप एडी श्रेणी - I बैंकों को भारत में वकालती के लिए फेमा के तहत भारत में कोई कार्यालय या कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करने के लिए किसी भी विदेशी कानूनी फर्म को कोई भी मंजूरी नहीं देने का निदेश दिया गया है।

कोविड -19 से संबंधित तनाव को कम करने के लिए किए गए उपाय

V.48 कोविड-19 महामारी के कारण और विवरणियाँ प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) विवरणियों को सामान्य क्रियाकलापों की बहाली तक उधारकर्ताओं द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) / कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) प्रमाणन के बिना ई-मेल के माध्यम से जमा करने की अनुमति दी गई। इसी तरह, लॉकडाउन के दौरान कंपाउंडिंग आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर कंपाउंडिंग राशि का भुगतान करने के लिए भुगतान लिखत प्रस्तुत करने में आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, इसकी समय सीमा के बाद कंपाउंडिंग राशि के भुगतान की अनुमति दी गई।

ग्राहक सेवा

V.49 विभाग ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के बारंबार अद्यतन और फीडबैक प्राप्त करते हुए हितधारकों, विशेष तौर पर एडी बैंकों के साथ अपने संप्रेषण को मजबूत किया है। विदेशी आवक निवेश की रिपोर्टिंग के लिए विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) एप्लिकेशन को अधिक मजबूत और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा, विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ) की छूट से संबंधित अनुरोधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

V.50 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की कार्यनीति पिछले वर्ष में की गई सभी पहल को समेकित करने तथा उन्हें आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस बात को सुनिश्चित करने पर बल रहेगा कि फेमा का परिचालनगत फ्रेमवर्क उभरते हुए समष्टि आर्थिक

परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे। तदनुसार विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित कार्यनीति कार्य योजना बनाई है:

- फेमा विनियमावली को, इसी तरह के विषयों के मौजूदा विनियमों को समेकित करके तर्कसंगत बनाए रखना, बारंबार संशोधन अधिसूचनाओं को जारी करने से बचने के लिए हार्ड-कोडिंग हटाना तथा सभी अधिसूचनाओं / विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करना;
- विदेशी निवेश विनियमों को तर्कसंगत बनाने की कवायद को आगे बढ़ाना;
- चालू सॉफ्टवेयर परियोजनाओं जैसे; स्पेक्ट्रा और प्राधिकृत व्यक्ति (एपी) कनेक्ट को समय पर पूरा करना (उत्कर्ष);
- सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली को अधिसूचित किये जाने के कारण गैर-ऋण लिखतों के लिए एक तर्कसंगत मास्टर निदेश जारी किया जाएगा; तथा
- जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री तैयार करना (उत्कर्ष)।

5. निष्कर्ष

V.51 संक्षेप में, रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के मद्देनजर चलनिधि प्रबंधन के लिए कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपाय किए हैं। रिजर्व बैंक की आस्ति खरीद जोखिम रहित सॉवरेन बांडों की खरीद तक ही सीमित रहा और इसलिए उसके गैर-पारंपरिक उपाय ने उसके तुलनपत्र की गुणवत्ता को कम नहीं किया। फलस्वरूप, यह केंद्रीय बैंकिंग के प्रमुख सिद्धांतों पर समझौता किए बिना, बाजारों को पुनः सक्रिय करने के लिए बाज़ार में चलनिधि डालने में सफल हुआ जो अन्यथा बाज़ार की शक्तियों और अनुशासन को बिगाड़ सकते थे। इसके अलावा, रिजर्व बैंक की पूर्व सक्रिय संप्रेषण संबंधी कार्यनीति ने आगे के मार्गदर्शन के माध्यम से परस्पर सहयोगी परिणामों को सुनिश्चित किया। महामारी के प्रति रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट किया कि जो केन्द्रीय बैंक अतिरिक्त प्रयास के लिए तैयार हैं, वे प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान कर बहाली प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं, जबकि वित्तीय स्थिरता कायम रखते हुए अतरलता की आशंकाओं को दूर किया और फलस्वरूप बाज़ार के रुख में तेजी आई। आगे, जब तक आर्थिक बहाली रफ्तार न पकड़ ले तब तक इसे सहारा देने के लिए सुविचारित और सुव्यवस्थित ढंग से मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 में वित्तीय प्रणाली की आघातसहनीयता और स्थायित्व को निरंतर बनाए रखते हुए वित्तीय स्थिरता को संरक्षित रखने की चिंता केंद्रीय विषय बनी रही, हालांकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न संविभागों में व्याप्त दबाव को कम करने को भी महत्व दिया गया, क्योंकि यह पूरा वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न त्रासदी का शिकार रहा। इसे देखते हुए ही, इस महामारी के प्रकोप से उत्पन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रियास्वरूप जहाँ अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपाय किए गए, वहीं दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी विनियमित / पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए मौजूद विनियामक/ पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को फिर से सुव्यवस्थित और मजबूत किया गया ताकि उसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाए रखा जा सके। साथ ही, ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, धोखाधड़ी-पहचान में वृद्धि और उपभोक्ता संरक्षण जैसे समवर्ती उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में भी प्रगति की गयी। पर्यवेक्षण, विनियमन, वित्तीय स्थिरता और प्रवर्तन के कार्यों से जुड़े कार्मिकों के क्षमता-निर्माण को प्राथमिकता दी गयी।

VI.1 इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इस वर्ष के दौरान किए गए विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गयी है। विनियामक/ पर्यवेक्षी ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाए रखने के समग्र उद्देश्य के एक भाग के तौर पर बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन, साइबर सुरक्षा और अनुपालन से जुड़े कार्य-क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गयी। भारत में सुदृढ़ प्रतिभूतिकरण और द्वितीयक ऋण बाजार विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए गए। बैंकों द्वारा सांविधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने और पर्यवेक्षी प्रकटन की प्रक्रिया को अधिकाधिक स्वचालित बनते देखा गया।

VI.2 अन्य क्षेत्रों की बात करें तो, 9 अगस्त 2019 से आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन का कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से लेकर रिज़र्व बैंक को दे दिए जाने के बाद, सभी हितधारकों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया से गुजरते हुए एचएफसी के विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा की गयी और अक्टूबर 2020 में एक संशोधित विनियमन फ्रेमवर्क लागू किया गया। इसी के एक भाग के तौर पर आवास वित्त कारोबार को पहली बार परिभाषित किया गया और प्रमुख व्यावसायिक मानदंड निर्धारित किए गए जिनमें समय-सीमा का उल्लेख भी है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एचएफसी (एनबीएफसी-एचएफसी) के रूप में कारोबार हेतु पात्र संस्थाओं को इसे

चरणबद्ध रूप में लागू करना है और जो संस्थाएं ऐसा करने में विफल रहती हैं, उन्हें एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) माना जाएगा। निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) को बढ़ाने और चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (एलआरएम) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। इन दिशानिर्देशों में लोन-टु-वैल्यू (एलटीवी) अपेक्षाएं और पुरोबंध (फोरक्लोज़र) प्रभार भी शामिल हैं। इन परिवर्तनों को लागू करके एचएफसी के लिए बने विनियमों का सामंजस्य, कुछ सीमा तक, अन्य एनबीएफसी के लिए मौजूद विनियमों के साथ स्थापित करने का प्रयास किया गया। संशोधित ढांचा लागू करते हुए, आवास वित्त के सुव्यवस्थित विकास की आधारशिला रख दी गयी है जिससे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, खास तौर पर इस तथ्य के मद्देनजर कि आवासन से जुड़े निर्माण और आवासन बाजारों का आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उनका विधिवत विनियमन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह देखा गया है कि इस क्षेत्र के कारण शेष अर्थव्यवस्था में कभी तीव्र उछाल तो कभी भारी गिरावट आयी है।

VI.3 श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने पहले ही अगस्त 2020 में कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए बने दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, समायोजित

निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) की गणना करते समय, किसी सीआईसी द्वारा किसी अन्य सीआईसी में किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी योगदान, जो निवेशक सीआईसी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक हो, को घटाया जाना है। सीआईसी की जटिल संरचनाओं के कारण मौजूद अस्पष्टता का लाभ लेते हुए इनके द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण का उल्लंघन किए जाने संबंधी पहले के अनुभवों के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने इन समूहों की जटिल संरचना और एक ही समूह में कई सीआईसी की मौजूदगी से जुड़े मुद्दों का हल तलाशने के लिए किसी भी समूह में सीआईसी की संख्या को अधिकतम 2 (मूल सीआईसी सहित) तक सीमित कर दिया है, चाहे किसी सीआईसी की किसी अन्य सीआईसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होल्डिंग / नियंत्रण कितना भी हो। कई अन्य विनियामक दिशानिर्देश भी जारी किए गए, खास तौर पर कॉरपोरेट गवर्नेंस और प्रकटन संबंधी।

VI.4 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी के लिए बने पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपायों का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफ-साइट पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत किया है ताकि जोखिमों की शीघ्र पहचान की जा सके। इस कार्य में सहायता हेतु एक क्रमिक पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा तैयार किया गया है ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही पर्यवेक्षी कार्रवाई संभव हो सके जो कि वित्तीय असुरक्षा को बढ़ने न देने और उसे अत्यधिक विकट हो जाने से रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अब और अधिक प्रगतिशील, मूल कारण उन्मुख बनाया गया है और इसके तहत किए जाने वाले पर्यवेक्षी मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तत्वों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञता में वृद्धि करने और सूचना की असममिति के मुद्दे को हल करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गयीं, यथा ए) विभिन्न पर्यवेक्षित इकाइयों (एसई) के लिए निर्धारित अलग-अलग पर्यवेक्षी कार्यों का एकीकरण; बी) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार का जोखिम आकलन करते हुए पर्यवेक्षण को विशेषीकृत और अधिक असरदार बनाना; और सी) क्षमता विकास को समर्पित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की

स्थापना। जहाँ एक ओर पर्यवेक्षी कार्य को मजबूत करने के प्रयासों को जारी रखा गया है, वहीं पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) को उपयोग में लाने की दिशा में भी कार्रवाई जारी है।

VI.5 सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में संशोधन से न केवल सहकारी बैंकों के ऊपर रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियाँ बढ़ी हैं, बल्कि इससे यूसीबी के अभिशासन और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख घटनाक्रमों में यूसीबी के प्रति एक नया-तुला पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाया शामिल था।

VI.6 इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के अधिकार क्षेत्र और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 में विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा किए गए विभिन्न विनियामक उपायों का उल्लेख किया गया है। खंड 4 में इस वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) द्वारा किए गए कई पर्यवेक्षी उपायों तथा प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) द्वारा प्रवर्तन के संबंध में किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा करने, जागरूकता फैलाने और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) और निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निभायी गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। इन विभागों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में 2021-22 के लिए कार्ययोजना भी तैयार की है। अंतिम खंड में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.7 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का दायित्व है कि वह वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के सम्मुख आने वाले जोखिमों का परीक्षा करते हुए, प्रणालीगत दबाव परीक्षणों के माध्यम से व्यापक-विवेकपूर्ण निगरानी करते हुए, वित्तीय नेटवर्कों का विश्लेषण करके और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से आरंभिक चेतावनी का व्यापक प्रसार करते हुए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता की निगरानी करे। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है, जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और

व्यापक-विवेकपूर्ण विनियमन की निगरानी के लिए बनाया गया विनियामकों का एक संस्थागत तंत्र है।

2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.8 विभाग ने 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विकसित होती श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाते हुए दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क / कार्यप्रणाली को सशक्त बनाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.9];
- अद्यतन विश्लेषण करते हुए एफएसआर का प्रकाशन समय पर करना (पैरा VI.10);
- व्यापक-विवेकपूर्ण निगरानी करना (पैरा VI.11); तथा
- एफएसडीसी की उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) की बैठकें आयोजित करना [पैरा VI.12-VI.13]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VI.9 दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की समीक्षा की गई। समष्टिगत-दबाव वाले माहौल में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के संभावित माध्यमों की पहचान की गयी।

VI.10 एफएसआर का दिसंबर 2020 अंक 11 जनवरी 2021 को प्रकाशित किया गया जिसकी प्रकाशन की तारीख राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों को शामिल करने के उद्देश्य से बदलनी पड़ी थी। इस एफएसआर में वित्तीय स्थिरता के इर्द-गिर्द मौजूद जोखिमों के संतुलन पर एफएसडीसी-एससी के सामूहिक आकलन को दर्शाया गया था। वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाने, जोखिम-प्रसार और इसके व्यापक वित्तीय निहितार्थ, वित्तीय बाजारों और वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के बीच मौजूद असंबद्धता, तुलन-पत्रों पर बने दबाव में आयी थोड़ी कमी और बैंक क्रेडिट में अभी भी जारी मंदी के बीच बैंकों की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता जैसे मुद्दों पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और राजकोषीय प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे सक्रिय हस्तक्षेप को एफएसआर में रेखांकित किया गया है।

VI.11 व्यापक दबाव-परीक्षणों में इस बात की ओर इशारा किया गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी बफर में गिरावट आयी। विभाग के नियमित व्यापक दबाव-परीक्षण फ्रेमवर्क को संवर्धित किया गया ताकि वह विनियामकीय सहिष्णुता दर्शाने की कवायद में बैंकों के विभिन्न संविभागों की वास्तविक स्थिति को पकड़ सके।

VI.12 एफएसडीसी-एससी ने 31 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों की और वित्तीय बाजारों की उन प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं; और अंतर-विनियामकीय समन्वय से संबंधित विचार-विमर्श तथा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की पहलों और गतिविधियों की समीक्षा भी की। इस उप-समिति ने 13 जनवरी 2021 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत शोधन अक्षमता के समाधान की दिशा में सुधार की संभावनाओं, सेंट्रल नो योर कस्टमर (केवाईसी) रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में उपलब्ध डेटा के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र (आईएफएससी) में स्थापित दूसरी कई निधियों के साथ-साथ वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) से संबंधित विनियामकीय ढांचे में परिवर्तनों पर चर्चा की। इन बैठकों में, उप-समिति ने अपने दायरे में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की समीक्षा की। विनियामकों ने इस असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों और उपायों में समन्वय जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

VI.13 एफएसयू का मुख्य कार्य है समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी और एफएसडीसी-एससी के कामकाज का सुचारु रूप से संचालन। लॉकडाउन लगाए जाने और विभिन्न डेटाबेसों, सूचना प्रणालियों और सॉफ्टवेयरों तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियों को दूरस्थ पहुंच और वर्चुअल इंटरैक्शन के माध्यम से दूर किया गया, जिसमें एफएसडीसी-एससी की बैठकों का आयोजन भी शामिल था।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.14 आगामी वर्ष में, एफएसयू निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:

- विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क/ पद्धति को सशक्त बनाना (उत्कर्ष);
- समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी करना;
- एफएसआर को समय पर और अद्यतन आधार पर प्रकाशित करना; तथा
- एफएसडीसी-एससी की बैठकों का आयोजन करना।

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

वाणिज्यिक बैंक

VI.15 किफायती लागत पर समावेशी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए विनियमन विभाग (डीओआर) नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इस विनियामकीय फ्रेमवर्क को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सके।

2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.16 विभाग ने 2020-21 में वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन हेतु उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बासेल III मानकों के साथ रिजर्व बैंक के विनियमों का सामंजस्य: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) पर अंतिम दिशानिर्देशों के साथ-साथ, क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश बासेल III मानकों के अनुरूप जारी किए जाएंगे; परिचालन जोखिम के संबंध में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश भी बासेल III

मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) के तहत जारी किए जाएंगे। हालांकि, बैंक और पर्यवेक्षक कोविड-19 महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के लिए मुक्त होकर अपेक्षित कदम उठा सकें, इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बासेल III मानकों के कार्यान्वयन को एक वर्ष यानी 1 जनवरी 2023 तक के लिए टाल दिया है (पैर VI.17-18)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

बासेल III मानकों के साथ रिजर्व बैंक के विनियमों का सामंजस्य

VI.17 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में तत्काल प्राथमिकता वाले मुद्दों पर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए बैंकों को अतिरिक्त परिचालन क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त बासेल समिति के निगरानीकर्ता निकाय - केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह (जीएचओएस) – कुछ उपायों की अनुमति दी है। जीएसओएच द्वारा दी गयी इस प्रकार की एक अनुमति पहले ही प्रदान की गयी जब 27 मार्च 2020 को उन्होंने घोषणा की कि बासेल III मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा को 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

VI.18 क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम पर बासेल III दिशानिर्देशों का मसौदा और साथ ही, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम पर अंतिम दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करने की निर्धारित तिथि को सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

प्रमुख गतिविधियाँ

प्रतिभूतिकरण और ऋण जोखिम की बिक्री पर संशोधित दिशानिर्देश

VI.19 प्रतिभूतिकरण पर बने फ्रेमवर्क के मसौदे की, जिसे सर्वसाधारण की टिप्पणियों के लिए 8 जून 2020 को जारी किया गया था, जांच की जा रही है और शीघ्र ही अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। भारत में सरल, पारदर्शी और तुलनीय

(एसटीसी) प्रतिभूतिकरण संरचनाओं को प्रोत्साहित करते हुए एक सशक्त और सुदृढ़ प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के उद्देश्य से इन संशोधित दिशानिर्देशों में विनियामकीय फ्रेमवर्क को प्रतिभूतिकरण पर 1 जनवरी 2018 से प्रभावी बासेल दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने का प्रयास किया गया है। इन संशोधनों में भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर गठित समिति (अध्यक्ष: डॉ हर्षवर्धन) और कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर गठित कार्यबल (अध्यक्ष: श्री टी. एन. मनोहरन), जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2019 में गठित किया गया था, की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है।

VI.20 प्रतिभूतिकरण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के अलावा, यह भी निर्णय लिया गया था कि ऋण जोखिमों, मानक और दबावग्रस्त दोनों, की बिक्री के लिए बने दिशानिर्देशों, जो कि वर्तमान में अनेक परिपत्रों में बिखरे पड़े हैं, की व्यापक समीक्षा की जाए, और तदनुसार ऋण जोखिमों की बिक्री पर व्यापक फ्रेमवर्क का मसौदा 8 जून 2020 को जारी किया गया था। ऋण जोखिमों की बिक्री पर ये दिशानिर्देश अंतरित किए जा रहे ऋण जोखिमों के आस्ति वर्गीकरण के और/ अथवा ये ऋण जोखिम जिस संस्था को तथा जिस माध्यम से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, उसके अनुरूप बनाये गए हैं। यह समीक्षा इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि हाल के दिनों में भारत में एक सशक्त समाधान व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बनी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण कदमों के साथ उक्त दिशानिर्देशों का सामंजस्य बनाया जाना संभव था। इसके अलावा, उपर्युक्त टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, विकास और विनियामक नीतियों पर 5 दिसंबर 2019 को जारी वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक एक स्व-विनियामकीय निकाय – द्वितीयक ऋण बाजार संघ (एसएलएमए) - की स्थापना में सहयोग करेगा और बाद में जिसका पंजीकरण 26 अगस्त 2020 को किया गया। एसएलएमए वर्तमान में द्वितीयक ऋण बाजार के विकास के लिए किए जा रहे विविध उपायों की जांच कर रहा है जिनमें ऋण प्रलेखन और ऋण बिक्री प्लैटफॉर्म का मानकीकरण शामिल है।

बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना

VI.21 किसी उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के समग्र क्रेडिट जोखिम को देखते हुए बैंकों में क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) और संग्रहण/चालू खाते खोलने के तरीकों पर 6 अगस्त 2020 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि क्रेडिट अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है, ऐसे खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को 14 दिसंबर 2020 के परिपत्र द्वारा अनुमति दी गई है कि वे बिना किसी प्रतिबंध के गतिविधि-विशिष्ट खाते खोलें, यदि रिज़र्व बैंक सहित विभिन्न विनियामकों द्वारा जारी विभिन्न विधियों/अनुदेशों के तहत इसकी अनुमति दी गयी हो।

विनियामकीय खुदरा संविभाग - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा

VI.22 विनियामक खुदरा संविभाग, जिसमें व्यक्ति और छोटे व्यवसाय (अर्थात्, जिनका कुल कारोबार ₹50 करोड़ तक है) के लिए क्रेडिट की लागत कम करने हेतु, और साथ ही, बासेल दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, इस संविभाग में शामिल होने की आरंभिक जोखिम पात्रता सीमा को 12 अक्टूबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया था। इस प्रकार, 75 प्रतिशत का जोखिम भार सभी नए जोखिमों और उन मौजूदा जोखिमों पर भी लागू होगा जहां बैंकों द्वारा ₹7.5 करोड़ की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील ऋण लिया जा सकता है। ऐसी आशा की जा रही है कि इस कदम से लघु व्यवसाय संविभाग के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी जो अति आवश्यक है।

आरआरबी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

VI.23 चलनिधि प्रबंधन का एक और माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, 4 दिसंबर 2020 को अनुसूचित आरआरबी को भी, कुछ शर्तों के अधीन, एलएएफ और एमएसएफ के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया।

डीबीएस बैंक इंडिया लिमि. में लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) लिमि. का सम्मेलन

VI.24 'द लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) लिमिटेड' की वित्तीय स्थिति में लगातार बिगड़ने लगी थी क्योंकि वर्ष 2018 से इस बैंक को लगातार घाटा हो रहा था जिससे इसकी निवल मालियत कम होती गयी। किसी भी व्यवहार्य कार्यनीतिक योजना न होने, अग्रिमों में आती गिरावट, अनर्जक आस्तियों में होती तीव्र वृद्धि, पूंजी जुटाने अथवा कोई रणनीतिक निवेशक ला सकने में विफलता, चलनिधि का नियमित होता बहिर्वाह और अभिशासन से जुड़ी गंभीर समस्याओं को देखते हुए रिज़र्व बैंक के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह जनहित में और विशेष रूप से जमाकर्ताओं का हितों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करे। तदनुसार, 17 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने एलवीबी लिमिटेड पर 16 दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी और रिज़र्व बैंक ने निदेशक मंडल का अधिक्रमण करते हुए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। केंद्र सरकार ने सम्मेलन की उक्त योजना को अपनी मंजूरी दे दी और 25 नवंबर 2020 को 'लक्ष्मी विलास बैंक लिमि. (डीबीएस बैंक इंडिया लिमि. में सम्मेलन) योजना 2020' अधिसूचित की, जो 27 नवंबर 2020 से प्रभावी हो गयी।

एससीबी द्वारा सांविधिक विवरणियाँ एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) लाइव साइट पर प्रस्तुत करना

VI.25 सांविधिक विवरणियाँ भौतिक रूप से प्रस्तुत करने में की जाने वाली कड़ी मेहनत और इसका प्रबंध करने में आने वाली लागत से छुटकारा दिलाने के लिए तथा यह कार्य अधिक दक्षता के साथ करते हुए कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2020 के रिपोर्टिंग शुक्रवार से भौतिक रूप में फॉर्म ए (सीआरआर) और फॉर्म VIII (एसएलआर) जमा करने की प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एससीबी को सूचित किया गया है कि ये विवरणियाँ दो अधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल लाइव साइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएँ।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विनियामकीय कार्रवाई

VI.26 महामारी के प्रकोप की प्रतिक्रिया में शुरू किए गए विनियामकीय उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती रही है। इसके अलावा, अतिरिक्त उपाय भी किए गए हैं, अथवा इस तरह की समीक्षा के समय मौजूदा की स्थिति के आधार पर मौजूदा उपायों को अनुकूलित किया गया है। इन उपायों को मोटे तौर पर इस महामारी के दौरान अन्य देशों द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप बनाया गया था (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1

कोविड-19- संबंधी विनियामकीय उपाय एक अंतर-देशीय परिदृश्य

वर्ष 2020-21 के दौरान, विश्व के तमाम केंद्रीय बैंकों और सरकारों ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक और वित्तीय प्रभाव-विस्तार से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कई असाधारण उपाय किए हैं। महामारी की इस परिस्थिति में अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मदद करने के लिए विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय बैंक तत्काल हरकत में आये और अपने पास उपलब्ध संसाधनों में से सभी पारंपरिक और अपरंपरागत विकल्पों को उन्होंने यथाशीघ्र लागू किया। इनमें वैश्विक स्तर पर लागू किए गए सामान्य उपायों में नीतिगत दरों में कटौती तथा घरेलू एवं विदेशी मुद्रा चलनिधि संबंधी प्रावधान शामिल हैं। जहां तक बैंकिंग प्रणाली का संबंध है, कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले बैंकों के पास सामान्यतः अधिक पूंजी थी, जो वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से पूर्व उनके पास उपलब्ध पूंजी की तुलना में अधिक थी, जिससे विनियमक प्राधिकारियों को आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने, बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की क्षमता को बढ़ाने और बहाली में सहायता प्रदान करने संबंधी विभिन्न नीतियों को लागू करने हेतु बल मिला। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के एक समूह

द्वारा वित्तीय स्थिरता प्राथमिकताओं पर तत्काल कार्य करने हेतु बैंक-पर्यवेक्षकों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने संबंधी बृहद उपायों का समर्थन किया गया। बासेल-III मानकों के कार्यान्वयन की तारीखों, संशोधित पिलर-3 संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं और संशोधित बाजार जोखिम ढांचे को लागू करने की तारीखों को एक वर्ष अर्थात् 1 जनवरी 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने संभावित ऋण हानि (ईसीएल) को विनियामकीय पूंजी माने जाने संबंधी संक्रमणकालीन लेखांकन व्यवस्था में संशोधन किया है, ताकि देशों को विनियामकीय पूंजी पर संभावित ऋण हानि (ईसीएल) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने में अधिक स्वतंत्रता मिले। विवेकपूर्ण विनियमन के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों का सारांश नीचे दिया गया है:

अधिस्थगन और आस्ति वर्गीकरण संबंधी उपाय: कई देशों (जैसे: अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, फ्रांस, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड

(Contd.)

किंगडम - यूके) ने महामारी के कारण मौजूदा दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्रचना पर निर्देश जारी किए और यह भी संकेत दिया कि ऐसे ऋण जिन्हें चुकौती संबंधी आस्थगन प्रदान किया गया है उन्हें पुरर्रचित ऋण मानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विनियामक प्राधिकारियों ने यह भी व्यवस्था दी है कि पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए स्वचालित ऋण पुनर्वर्गीकरण में इस प्रकार के अधिस्थगन की गणना 'डिफॉल्ट (चूक)' श्रेणी में नहीं की जाएगी। भारत जैसे कुछ देशों में, आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से बकाया दिनों की संख्या में से भुगतान अधिस्थगन अवधि को बाहर रखा गया था।

बासेल-III पूँजी और चलनिधि बफर: कई सरकारों (जैसे: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूरो क्षेत्र, जापान, हांगकांग, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सिंगापुर, यूके और अमेरिका) ने अपने वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित किया है अथवा इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि वे अपने यहाँ उधार देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु अपनी पूँजी और चलनिधि बफर का उपयोग करें। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा दबाव की अवधि में बैंकों के बासेल-III बफर्स का मापा गया ड्राडाउन पूर्वानुमान के अनुसार अपेक्षित एवं उपयुक्त है। कई देशों (जैसे: भारत, इंडोनेशिया, यूके, ब्राजील और स्वीडन) में चलनिधि बफर जैसे - चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) आदि अस्थायी रूप से सुलभ हो गए थे। कई देशों (जैसे: स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और यूके) ने प्रतिचक्रिय पूँजी बफर (सीसीवाईबी) को घटाने या उसे शून्य करने का निर्णय लिया। यूके ने स्पष्ट निर्देश दिये कि यह बफर कम से कम 12 महीनों तक उसी स्तर पर बना रहेगा। कुछ देशों (हांगकांग) ने प्रतिचक्रिय पूँजी बफर (सीसीवाईबी) में आंशिक कमी की कुछ अन्य देशों ने भिन्न प्रकार के पूँजी बफर जैसे प्रणालीगत महत्व वाले घरेलू बैंकों के लिए पूँजी बफर या पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को अस्थायी रूप से कम कर दिया। भारत में सीसीबी (0.625 प्रतिशत) की अंतिम भाग के क्रियान्वयन को टाल दिया गया था।

लीवरेज: कई सरकारों (जैसे: कनाडा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका) ने न्यूनतम लीवरेज अनुपात अपेक्षा के अनुरूप समानुपातिक पुनर्गणना के बिना केंद्रीय बैंक में उपलब्ध प्रारक्षित निधियों अथवा जमा राशियों को ऐसी गणना से बाहर रखने के लिए लीवरेज अनुपात नियम को अस्थायी रूप से संशोधित किया है। कुछ देशों ने आस्ति खरीद की बृहद योजनाओं को सुगम बनाने हेतु अस्थायी आधार पर सरकारी बॉन्ड धारिता को बैंकों के लीवरेज एक्सपोजर से बाहर रखा है।

लाभांश अदायगी पर रोक: कई देशों (जैसे: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूरो क्षेत्र, भारत, मैक्सिको, रूस, स्वीडन, सिंगापुर, यूके और दक्षिण अफ्रीका) में कड़े विनियमन अथवा कठोर प्रशासनिक निर्णयों के जरिये लाभांश वितरण और शेयरों की वापसी-खरीद (बाई-बैक) पर रोक लगाते हुए बैंकों में पूँजी के स्तर को संरक्षित करने के उपाय किए गए। कुछ विवेकपूर्ण और विनियामक प्राधिकारियों ने इस बात की भी सिफारिश की है कि बैंकों को वर्ष 2020 के अंत तक लाभांश के भुगतान और शेयरों की वापसी-खरीद (बाई-बैक) को रद्द कर देना चाहिए, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019 के बकाया लाभांश को भी रद्द कर देना चाहिए (प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अर्थोरिटी, यूके)।

अंतर-देशीय उपायों का सारांश सारणी सं.1 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने विवेकपूर्ण नियमों और विनियमों से संबंधित प्रायः सभी उपाय लागू किए हैं; और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों के केंद्रीय बैंकों ने चलनिधि तथा उधार संबंधी उपाय लागू किए हैं। हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्था वाले केंद्रीय बैंकों ने आस्तियों की खरीद/ बिक्री तथा विदेशी मुद्रा स्वेप का उपयोग अधिक किया है इन उपायों के अलावा, यूरोपीय संघ, यूके और भारत में, विनियामक प्राधिकारियों ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान विभिन्न विनियामक रिपोर्टें / वित्तीय विवरणियाँ, आदि विलंब से प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी है।

सारणी 1: कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए उपाय

दूल का प्रकार		विवेकपूर्ण नियम और विनियम			चलनिधि और उधार		आस्ति खरीद/बिक्री			एफएक्स स्वेप
उपाय		पूँजी अपेक्षाएँ	चलनिधि अपेक्षाएँ	अदायगी प्रतिबंध	चलनिधि उपाय	विशेषीकृत उधार	सरकारी बॉण्ड	वाणिज्यिक पत्र	कॉर्पोरेट बॉण्ड	यूएसडी स्वेप लाइन
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ	यूएस	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	ईए	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	जेपी	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	जीबी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	सीए	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	एयू	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ	सीएच	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	बीआर	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	सीएन	✓	✓		✓	✓				
	आईडी	✓	✓	✓	✓		✓			
	आईएन	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	केआर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	एमएक्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
जेडए	✓	✓	✓	✓	✓		✓			

यूएस : युनाइटेड स्टेट्स ईए/ईयू: यूरो एरिया जेपी: जापान जीबी: ग्रेट ब्रिटेन सीए: कनाडा एयू: आस्ट्रेलिया
सीएच: स्विट्जरलैंड बीआर: ब्राजील सीएन: चीन आईडी: इंडोनेशिया आईएन: इंडिया केआर: कोरिया
एमएक्स: मेक्सिको जेडए: दक्षिण अफ्रीका

स्रोत: बीआईएस, आरबीआई और अन्य केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें।

VI.27 महामारी के प्रकोप के जवाब में किए गए विनियामक उपायों की सूची नीचे संक्षेप में दी गई है। भविष्य में, उभरते हालात के मद्देनजर इनके आर्थिक प्रभाव के आकलन, पहले उठाए गए कदमों के असर और आर्थिक सुदृढ़ता को बनाए रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन विनियामक उपायों की जाँच की जाएगी:

- *दबावग्रस्त आस्ति निधि - दबावग्रस्त आस्ति निधि-दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मँझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गौण ऋण:* बैंकों को 01 जुलाई 2020 के परिपत्र के माध्यम से अनुमति दी गयी थी कि उनके प्रमोटर्स द्वारा उनकी एमएसएमई इकाई में सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मँझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गौण कर्ज लेकर डाली गई निधि को बैंकों द्वारा ऋण-इक्विटी गणना के लिए प्रमोटर से इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी माना जा सकता है।
- *कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तनावपूर्ण स्थितियों में समाधान फ्रेमवर्क:* 6 अगस्त 2020 को निर्देश जारी किए गए थे, जिसके माध्यम से 7 जून, 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत एक विंडो प्रदान की गई थी, जो ऋणदाताओं को स्वामित्व में बदलाव के बिना पात्र कॉर्पोरेट ऋणों तथा वैयक्तिक ऋणों के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाती है जिसमें कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन वे ऐसे ऋणों को मानक मान सकते हैं। इस समाधान फ्रेमवर्क का उपयोग 31 दिसंबर 2020 तक किया जाना था और समाधान योजना को 90 दिनों (व्यक्तिगत ऋणों हेतु) और 180 दिनों (अन्य पात्र ऋणों हेतु) के भीतर कार्यान्वित कर लिया जाना था। इसके अलावा, इस फ्रेमवर्क के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें 7 सितंबर 2020 को जारी की गयी थीं। इस समाधान फ्रेमवर्क पर प्राप्त प्रश्नों के आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची भी जारी की गई थी।
- *एमएसएमई क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्चना:* एमएसएमई को दिए गए मौजूदा ऋण जहां बैंकों, एआईएफआई और एनबीएफसी के समग्र ऋण ₹25 करोड़ से अधिक नहीं हैं और जो 1 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, उनके आस्ति वर्गीकरण में गिरावट किए बिना उन्हें पुनर्चित करने की अनुमति दी गई थी। यह पुनर्चना 31 मार्च 2021 तक कर ली जानी थी। इस आशय का एक परिपत्र 6 अगस्त 2020 को जारी किया गया था।
- *गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण:* परिवारों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को और कम करने के उद्देश्य से, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर ऋण के लिए एलटीवी को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया था। यह बढ़ाया गया एलटीवी 31 मार्च 2021 तक लागू था।
- *वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना:* पहले के विनियमों के अनुसार, व्यक्तिगत आवास ऋण की श्रेणी में आने वाली आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूतिकृत दावों पर पूंजी प्रभार के लिए ऋण के आकार और ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी) के आधार पर विभेदित जोखिम भार लगाया जाता था। आर्थिक बहाली में स्थावर संपदा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एक प्रतिचक्रीय उपाय के तौर पर यह निर्णय लिया गया कि जोखिम भारों को तर्कसंगत बनाया जाए, भले ही ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हो और तदनु रूप, 16 अक्टूबर 2020 को बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। 16 अक्टूबर 2020 को या इसके बाद से लेकर 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए जाने वाले सभी नए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए जोखिम भार इस प्रकार होंगे (सारणी 1):

सारणी V.1: एलटीवी अनुपात और जोखिम भार

एलटीवी अनुपात (प्रतिशत)	जोखिम भार (प्रतिशत)
1	2
≤ 80	35
> 80 and ≤ 90	50

- *वृहत् एक्सपोजर ढांचा (एलईएफ)*: 3 जून 2019 को जारी एलईएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रति एक्सपोजर, जो रिजर्व बैंक के बासेल-III पूंजी विनियमन ढांचे के तहत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं, उन्हें एलईएफ सीमा से छूट दी गई है। इसकी समीक्षा करते हुए और बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप, विदेशी संप्रभुओं या उनके केंद्रीय बैंकों को, कुछ शर्तों के अधीन, एलईएफ से छूट देने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 24 फरवरी 2021 को बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे। साथ ही, 23 मार्च 2021 के परिपत्र के माध्यम से गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए एलईएफ दिशानिर्देशों के लागू होने की तारीख को 30 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने कुछ विनियामक कदम उठाए। निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, जो 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होना था, उसे 1 अक्टूबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया। कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबावपूर्ण स्थितियों में आर्थिक बहाली की प्रक्रिया को सहारा देने पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम भाग के कार्यान्वयन को भी 1 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। समीक्षा के आधार पर और प्रतिचक्रिय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों, जिसमें क्रेडिट-जीडीपी अंतराल को एक प्रमुख संकेतक के रूप में शामिल किया गया था, के अनुभवाश्रित परीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि इस बफर की सक्रियता संतोषजनक नहीं थी।

- पहले के अनुदेशों की समीक्षा के उपरांत, बैंकों से कहा गया कि उन्होंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित जो लाभ अर्जित किया है, उसमें से वे इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश का भुगतान न करें।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

VI.28 वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए अन्य नवोन्मेषी कार्यों में से कुछ इस प्रकार थे:

- चूंकि भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं, इसलिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन के ढांचे की समीक्षा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गयी है, और यथासमय अभिशासन पर मास्टर निदेश जारी किया जाएगा। इस बीच, इस तरह की प्रतिक्रियाओं में उठाए गए कुछ परिचालनगत पहलुओं- यथा, बोर्ड के अध्यक्ष और उसकी बैठकें, बोर्ड की कुछ समितियों का संघटन, निदेशकों की आयु, उनका कार्यकाल और उनका पारिश्रमिक, और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति – के संबंध में समाधान प्रस्तुत करने के लिए 26 अप्रैल 2021 को निदेश जारी किए गए हैं।
- भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। आईडब्ल्यूजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें प्रमोटरों की हिस्सेदारी, बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों द्वारा नए बैंकों की स्थापना, बड़े आकार की एनबीएफसी को बैंकों में बदलने, भुगतान बैंकों (पीबी) को छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) में बदलने, नए बैंकों के लाइसेंस के लिए प्रारंभिक पूंजी, बैंकों के लिए गैर-परिचालनात्मक

वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) संरचना और विभिन्न लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों में सामंजस्य से संबंधित कुछ सिफारिशों की गयी हैं। इस रिपोर्ट को 20 नवंबर 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए हितधारकों तथा जनसाधारण से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गयी थीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं और सुझावों की जांच की जा रही है।

- मुआवजे के लिए संशोधित दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गए हैं। भविष्य में, मुआवजे की संरचना और प्रथाओं के साथ-साथ बैंकों के कामकाज पर इसका प्रभाव बेहतर विनियामक और पर्यवेक्षी निगरानी पर निर्भर करेगा, हालांकि, बैंकों में मुआवजा प्रथाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकिंग संविभागों के भीतर और विविध संविभागों के बीच मौजूद भिन्नताओं के संदर्भ में किया जाएगा।

2021-22 के लिए कार्ययोजना

VI.29 विभाग 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों से जुड़े निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा:

- रिज़र्व बैंक के विनियमों को बेसल III मानकों के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में क्रेडिट जोखिम (एसए), बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और आउटपुट फ्लोर के लिए पूंजी प्रभार पर दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करना;
- ऐसी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करना जिनमें कोई चूक न हुई हो; तथा
- ऋण जोखिम के अंतरण पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना।

सहकारी बैंक

VI.30 विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करते हुए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने में रिज़र्व बैंक लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संदर्भ में, वर्ष की शुरुआत में ही तय कार्य-योजना के अनुसार विभाग ने 2020-21 में कई नवोन्मेषी कार्य किए।

2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.31 विभाग ने सहकारी बैंकों के लिए 2020-21 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और जमाकर्ताओं तथा उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सहकारी बैंकों के लिए बने विनियामक ढांचे को और प्रभावी बनाना (पैरा VI.32);
- शहरी सहकारी बैंकों में पूंजी पर्याप्तता के लिए बने विनियामक ढांचे को मजबूत करने पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित करना (पैरा VI.33);
- राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए एक पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) लागू करना [पैरा VI.33]; तथा
- ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंकों का अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से समाधान करना जो सर्व-समावेशी दिशानिर्देशों (एआईडी) के अधीन हैं [पैरा VI.33]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी क्षेत्र के समेकन के लिए नीतिगत ढांचे पर चर्चा पत्र

VI.32 बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंक समुदाय/क्षेत्र आधारित हैं जो शहरी सहकारी बैंकों के बीच विलय और क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर बीआर अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में संशोधन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, अभिशासन, पूंजी, लेखापरीक्षा और समामेलन के कार्य को अब रिज़र्व बैंक के दायरे में लाया गया है। इन संशोधनों से लाभ उठाते हुए यूसीबी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में गठित एक विशेषज्ञ समिति, अन्य बातों के साथ-साथ यूसीबी क्षेत्र में समेकन की संभावनाओं की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विनियामकीय फ्रेमवर्क को सशक्त बनाना

VI.33 वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुछ अन्य नवोन्मेषी कार्य इस प्रकार हैं:

- बीआर अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में संशोधन ने सहकारी बैंकों पर लागू सांविधिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन का कार्य विभाग में अभी चल रहा है और जहां भी आवश्यक है, नये दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।
- बीआर अधिनियम में पूर्वोक्त संशोधनों का प्रभाव शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता बढ़ाने पर पड़ने की संभावना है। शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति तमाम अन्य बातों के साथ-साथ इससे संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी।
- एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए एसएएफ के मसौदे पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ परामर्श अभी चल रहा है क्योंकि वह इन बैंकों का पर्यवेक्षक है।
- ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंक, जो सहायता के बल पर परिचालन कर रहे हैं, उनके समाधान में तेजी लाने का कार्य निरंतर जारी है और बीआर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के उपयोग की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

प्रमुख गतिविधियाँ

सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण - शहरी सहकारी बैंक

VI.34 आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, ₹2,000 करोड़ या उससे अधिक की सकल आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण व्यवस्था लागू करने को कहा गया है जो 30 जून 2021 से प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक लेकिन ₹2,000 करोड़ से कम की कुल आस्ति वाले ऐसे शहरी सहकारी बैंक

जिन्होंने «यूसीबी के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा» विषय पर रिजर्व बैंक के 31 दिसंबर 2019 के परिपत्र में उल्लिखित डिजिटल पहुँच और भुगतान प्रणालियों के साथ उनकी अंतर-संबद्धता के आधार पर अपना स्वयं का मूल्यांकन स्तर III या स्तर IV के रूप में किया है, उन्हें कहा गया है कि वे 30 सितंबर 2021 से इसे लागू करें। यूसीबी को इस आशय के निदेश 12 अगस्त 2020 को जारी कर दिए गए थे।

बीआर अधिनियम, 1949 (एससीएस) की धारा 31 के तहत विवरणियाँ प्रस्तुत करना – समय सीमा में विस्तार

VI.35 कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी बैंकों के सामने विवरणियाँ प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विवरणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा को प्रारंभ में तीन माह के लिए, अर्थात् 30 सितंबर 2020 तक और बाद में 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस आशय के परिपत्र क्रमशः 26 अगस्त और 13 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे।

एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना - सहकारी बैंक

VI.36 भारत सरकार की 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) 2018' के तहत सभी सहकारी बैंकों को 3 मार्च 2020 से पात्र ऋणदाता संस्था (ईएलआई) के रूप में शामिल कर लिया गया था। एमएसएमई के लिए इस ब्याज अनुदान योजना, 2018 (यथासंशोधित) में निर्धारित शर्तों के अधीन, पात्र एमएसएमई को उनके बकाया ताजा/वृद्धिशील सावधि ऋणों/कार्यशील पूंजी पर दो प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज राहत प्रदान की गयी है और वैधता की अवधि के दौरान इसकी सीमा ₹1 करोड़ तक है, बशर्ते इस योजना के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया हो।

निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/प्रतिष्ठानों को ऋण और अग्रिम

VI.37 शहरी सहकारी बैंकों को 5 फरवरी 2021 को सूचित किया गया था कि वे अपने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों या फर्मों/कंपनियों/संस्थाओं को अथवा ऐसी फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों को

जिनमें उनके निदेशक या निदेशकों के रिश्तेदार हितधारक हों, उन्हें या उनकी ओर से कोई ऋण और अग्रिम (जिसे सामूहिक रूप से 'निदेशक-संबंधित ऋण' कहा जाता है) न दें, और न ही कोई अन्य वित्तीय सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा, निदेशक या उनके रिश्तेदार या ऐसी फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों को जिनमें उनके निदेशक या निदेशकों के रिश्तेदार हितधारक हों, वे यूसीबी द्वारा स्वीकृत ऋण और अग्रिम या किसी अन्य वित्तीय सुविधा के लिए जमानतदार / गारंटीकर्ता नहीं बन सकते।

यूसीबी का स्वैच्छिक समामेलन

VI.38 23 मार्च 2021 को, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए, जिसे बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक समामेलन पर मास्टर निर्देश जारी किए। इन मास्टर निर्देशों में दो या दो से अधिक शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक समामेलन के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.39 सहकारी बैंकों के लिए उत्कर्ष के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बनी कार्य-योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

- यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना: राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड को 18 अप्रैल 2020 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। उक्त यूओ के शेयरधारक सदस्यों के रूप में शहरी सहकारी बैंकों के नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। यूओ से यह अपेक्षित है कि वह एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक में आवेदन करे; तथा
- यूसीबी क्षेत्र के समेकन पर चर्चा पत्र: फरवरी 2021 में गठित शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, यूसीबी क्षेत्र में समेकन की संभावनाओं की जांच करेगी। इस मामले में आगे की

कार्रवाई समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.40 एनबीएफसी ऋण प्रदान करने में वाणिज्यिक बैंकों के प्रयासों के पूरक के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज के अंतिम पायदान तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती हैं। एनबीएफसी क्षेत्र के विनियमन की जिम्मेदारी इस विभाग को सौंपी गई है।

2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.41 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बैंकों और एनबीएफसी के बीच विनियामक मध्यस्थता की समीक्षा – ताकि एनबीएफसी के विनियमन का सामंजस्य बैंकों के विनियमन के साथ स्थापित किया जा सके (उत्कर्ष) [पैरा VI.42];
- एनबीएफसी के विनियमन के लिए आकार-आधारित दृष्टिकोण - ताकि 'प्रणालीगत महत्व वाली' एनबीएफसी के एक ऐसे छोटे समूह को चिह्नित किया जा सके जो वित्तीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं, और साथ ही, इसलिए भी कि एनबीएफसी के लिए एक श्रेणीवार विनियामक फ्रेमवर्क अपनाया जा सके (पैरा VI.42);
- एचएफसी के लिए मास्टर निदेश जारी करना – 'आवास वित्त' शब्द को परिभाषित करने, प्रमुख व्यावसायिक मानदंड, एचएफसी के लिए अर्हक आस्तियाँ और प्रणालीगत महत्व की दृष्टि से एचएफसी का वर्गीकरण आदि लागू करने से संबंधित प्रस्तावों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 17 जून 2020 को सार्वसाधारण की टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्य से रखा गया था और ये टिप्पणियां प्राप्त होने के उपरांत संशोधित विनियम जारी किए गए (पैरा VI.43 - VI.44); तथा

- सीआईसी दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा – किसी सीआईसी के विफल हो जाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने सीआईसी के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक कार्यदल (डब्ल्यूजी) का गठन किया, जिससे प्राप्त सिफारिशों के आधार पर सीआईसी के प्रति समग्र नीतिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा (पैरा VI.45).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

बैंकों और एनबीएफसी के बीच विनियामकीय मध्यस्थता की समीक्षा; और एनबीएफसी के विनियामन का स्केल-आधारित दृष्टिकोण

VI.42 'एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क: स्केल-आधारित दृष्टिकोण' नामक एक चर्चा पत्र सार्वसाधारण की टिप्पणियों के लिए 22 जनवरी 2021 को जारी किया गया

बॉक्स VI.2

एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क - स्केल-आधारित दृष्टिकोण

पिछले कई वर्षों में, एनबीएफसी क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। एनबीएफसी की अधिक जोखिम लेने की क्षमता ने उनके आकार, उनकी जटिलता और परस्पर संबद्धता में वृद्धि में योगदान दिया है, जिसके कारण इनमें से कुछ संस्थाएं प्रणालीगत महत्व की हो गयी हैं और इसलिए वे वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।

इस पूरे मामले पर, रिजर्व बैंक ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क - स्केल-आधारित दृष्टिकोण' विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। एक सशक्त, सुशासित और आघातसह एनबीएफसी क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से, इस चर्चा पत्र में एक ऐसे स्केल-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है जो आनुपातिकता के सिद्धांत पर काम करता है। इसके तहत विनियामकीय/पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की मात्रा इस बात से तय होगी कि किसी एनबीएफसी के परिचालन में जोखिम कितना है और इस जोखिम का प्रसार वित्तीय प्रणाली को किस सीमा तक प्रभावित कर सकता है। किस एनबीएफसी को विनियामन की कितनी आवश्यकता है, इसे आधार बनाते हुए प्रस्तावित विनियामकीय फ्रेमवर्क में एनबीएफसी के लिए अलग-अलग स्तर बनाए गए हैं।

सबसे निचले स्तर पर वे एनबीएफसी शामिल होंगी जिन्हें वर्तमान में प्रणालीगत महत्व न रखने वाली एवं जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस स्तर में शामिल एनबीएफसी के लिए प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ एनबीएफसी जिनका परिचालन स्वाभाविक रूप से कम जोखिम भरा माना जाता है, उन्हें इस स्तर में शामिल किया जाएगा जिसमें समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी- खाता समूहक, परिचालन रहित वित्तीय होल्डिंग कंपनियां और टाइप 1 एनबीएफसी आएंगी। इस स्तर में शामिल एनबीएफसी पर एनबीएफसी-एनडी के लिए यथालागू मौजूदा विनियामन ही प्रभावी बना रहेगा। तथापि, विनियामक ढांचे के पूरक के तौर पर उन्नत अभिशासन और प्रकटीकरण मानक लागू किए जाएंगे।

मध्य स्तर पर प्रणालीगत महत्व रखने वाली एवं जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) शामिल होंगी। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रकार की एनबीएफसी, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी),

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां (सीआईसी) भी अपनी गतिविधियों के आधार पर इस स्तर का हिस्सा होंगी। ये एनबीएफसी वर्तमान में एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के लिए यथालागू विनियामक संरचना के अधीन ही कार्य करेंगी। हालांकि, आवश्यकतानुसार प्रणालीगत जोखिम स्पिलओवर को कम करने के लिए बैंकों की तुलना में विनियामकीय मध्यस्थता में आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटने का प्रस्ताव भी किया गया है। हालांकि, सीआईसी और एसपीडी इस विनियामकीय पिरामिड के मध्य स्तर में आती हैं, उन पर विशेष रूप से लागू होने वाले विनियाम आगे भी प्रभावी रहेंगे।

उच्च स्तर पर केवल वे एनबीएफसी शामिल होंगी जिन्हें कुछेक मापदण्डों के आधार पर विशेष रूप से प्रणालीगत महत्व रखने वाली एनबीएफसी के रूप में पहचाना जाता है, यथा- उनके स्केल, परस्पर संबद्धता, जटिलता और पर्यवेक्षी इनपुट। इससे पहले के स्तर पर लागू विनियमों के अतिरिक्त, इन एनबीएफसी पर कुछ अतिरिक्त विनियम लागू होंगे। प्रणाली में उनके अत्यधिक महत्व और उनके परिचालन के व्यापक पैमाने को देखते हुए, इन एनबीएफसी का विनियामन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे बैंकों का, यद्यपि एनबीएफसी के विशिष्ट व्यावसायिक मॉडल को ध्यान में रखा जाएगा और उनकी परिचालनगत सुगमता की भी रक्षा की जाएगी। इन एनबीएफसी के लिए प्रस्तावित विनियामकीय प्रावधानों में से कुछ हैं- अनिवार्य लिस्टिंग, सामान्य इक्विटी टियर 1 की शुरुआत और बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क से जुड़े कतिपय पहलू।

यह संभव है कि सुविचारित पर्यवेक्षी निर्णयों के परिणामस्वरूप कुछ एनबीएफसी उच्च विनियामन/पर्यवेक्षण के उद्देश्य से प्रणालीगत महत्व रखने वाली एनबीएफसी के ऊपरी स्तर से भी बाहर निकल जाएं। ऐसी एनबीएफसी को एक अलग सेट के रूप में शीर्ष स्तर पर रखा जाएगा। आदर्श रूप से, पिरामिड का यह शीर्ष स्तर रिक्त ही बना रहेगा जब तक कि पर्यवेक्षक विशिष्ट एनबीएफसी पर कोई राय नहीं बनाते।

स्रोत: आरबीआई.

था (बॉक्स VI.2)। इस चर्चा पत्र में एनबीएफसी के वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क के व्यापक सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और प्रणालीगत जोखिम में एनबीएफसी के योगदान से संबंधित स्केल आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता की संपरीक्षा की गयी है। चर्चा पत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र को मजबूत और आघातसह बनाने के लिए उपयुक्त विनियामक उपायों की सिफारिश करने के अलावा, बैंकों और एनबीएफसी के बीच मध्यस्थता के मौजूदा विनियामकीय क्षेत्रों की भी जांच की गई है ताकि जहाँ भी उपयुक्त हो, एनबीएफसी के लिए बने विनियमों का सामंजस्य बैंकों के लिए बने विनियमों के साथ स्थापित किया जा सके।

आवास वित्त कंपनियों के लिए मास्टर निदेश जारी करना

VI.43 एचएफसी के विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और 17 जून 2020 को जारी परामर्श दस्तावेज पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की जांच के आधार पर, 22 अक्टूबर 2020 को एचएफसी के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन्हें भी शामिल किया गया है- 'मुख्य व्यवसाय' और 'आवास वित्त' की परिभाषा; निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) अपेक्षा को बढ़ाकर ₹20 करोड़ किया जाना; स्थावर संपदा क्षेत्र की ग्रुप कंपनियों को ऋण पर प्रतिबंध; एनबीएफसी पर लागू चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का विस्तार; और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग और सोने के आभूषणों / शेयरों को संपार्श्विक रखते हुए ऋण देने तथा एचएफसी को देय मोचन-निषेध शुल्क पर दिशानिर्देश। एचएफसी और एनबीएफसी के लिए बने पूंजी आवश्यकता से जुड़े विनियमों के बीच और अधिक सामंजस्य स्थापित करना; आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) संबंधी मानदंड; संकेंद्रण और एक्सपोजर संबंधी अन्य मानदंड; और जमा स्वीकार करने से संबंधित मुद्दों को अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संक्रमण में कम से कम व्यवधान आए।

VI.44 सभी लागू विनियमों को शामिल करते हुए आवास वित्त कंपनियों के लिए मास्टर निदेश 17 फरवरी 2021 को जारी किए गए।

सीआईसी दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा

VI.45 सीआईसी के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए गठित कार्यदल (डब्ल्यूजी) (अध्यक्ष: श्री तपन रे) की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, सीआईसी के लिए संशोधित दिशानिर्देश 13 अगस्त 2020 को जारी किए गए थे। बड़े परिवर्तनों में से प्रमुख इस प्रकार हैं:

- एक सीआईसी द्वारा दूसरे सीआईसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी अंशदान के रूप में किए गए निवेश की राशि, जो उसकी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक हो, को घटाते हुए समायोजित निवल मालियता।
- किसी समूह के भीतर सीआईसी के स्तरों की संख्या (मूल सीआईसी सहित) दो से अधिक नहीं होगी, भले ही उसमें किसी सीआईसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होल्डिंग / नियंत्रण किसी भी सीमा तक हो।
- समूह की जनक सीआईसी को सामूहिक जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) का गठन करना होगा, और यदि किसी समूह में ऐसी कोई सीआईसी नहीं है जिसे जनक सीआईसी के रूप में चिह्नित किया जा सके, तो यह कार्य सबसे बड़े आस्ति-आकार वाली सीआईसी को करना होगा।
- ₹5,000 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाली सभी सीआईसी मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करेंगी।
- सीआईसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार करना होगा। ऐसी समूह-संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा-विवरण ऐसे समेकन के लिए पात्र नहीं होता, उनके लिए अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त प्रकटीकरण का निर्धारण किया गया है।

प्रमुख गतिविधियाँ

लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा का विस्तार

VI.46 वर्तमान में फैली महामारी से उत्पन्न परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक

एनबीएफसी को अपनी बैलेंस शीट संबंधित तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर या सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित किसी तारीख तक अंतिम रूप देना होगा। इस संबंध में एक परिपत्र 6 जुलाई 2020 को जारी किया गया था।

एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर दिशानिर्देशों का मसौदा

VI.47 बैंकों से विपरीत, एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में वर्तमान में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया है। एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को कुछ शर्तों के अधीन, मापदंडों के एक सांचे के अनुसार लाभांश घोषित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में एक परिपत्र का मसौदा 9 दिसंबर 2020 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था जिस पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।

वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पात्र खरीदारों के रूप में अधिसूचित करना

VI.48 सभी एआईएफ के लिए एकसमान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, ट्रस्ट के रूप में स्थापित तथा सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 के तहत सेबी में पंजीकृत श्रेणी। एआईएफ को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत पात्र खरीदारों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.49 वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग एनबीएफसी/ आस्ति पुनर्चना कंपनियों (एआरसी) के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा:

- एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क - वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व को देखते हुए;

- एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र के विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क का सामंजस्य; तथा
- एआरसी के विनियामक और कानूनी ढांचे की व्यापक समीक्षा ताकि वित्तीय क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी क्षमता का उपयोग हो सके।

4. वित्तीय मध्यस्थों का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

वाणिज्यिक बैंक

VI.50 सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), निजी बैंक, एसएफबी, क्रेडिट सूचना कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को सौंपी गई है।

2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.51 विभाग ने 2020-21 के दौरान अनुसूचित सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एक विस्तृत निर्देशात्मक फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा जिसमें बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिकाओं और उनके प्राधिकार का उल्लेख होगा, ताकि सीसीओ से की जाने वाली अपेक्षाओं का संरेखण सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ करने के अतिरिक्त, दृष्टिकोण में एकरूपता लायी जा सके (उत्कर्ष) [पैरा VI.52];
- जलवायु परिवर्तन के कारण आए अभूतपूर्व जोखिमों और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के लिए इनके निहितार्थों पर विशेष ध्यान देते हुए एससीबी की जोखिम और अनुपालन संस्कृति और कारोबार नीति का आकलन, ताकि वित्तीय प्रणाली के हालात सुदृढ़ किए जा सकें (उत्कर्ष) [पैरा VI.53 - VI.54]; तथा

- विभाग केवाईसी/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से संबंधित पर्यवेक्षी डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगा जो केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के संबंध में जोखिमों का बेहतर ढंग से पता लगाने, जोखिम-मूल्यांकन और जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रक्रियाएं एवं जोखिम आधारित केवाईसी/एएमएल निरीक्षण करने के लिए बैंकों को जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए मॉडल तैयार करना सुविधाजनक बनाएगा (पैरा VI.55)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्य

VI.52 बैंकों के अनुपालनात्मक कार्य/ संरचना में एकरूपता लाने के साथ-साथ सीसीओ की भूमिका से जुड़ी पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से, बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्यों पर दिशानिर्देशों को 11 सितंबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य है- सीसीओ की स्वतंत्रता, प्राधिकार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि करना; और साथ ही, इनमें यह भी प्रावधान है कि सीसीओ 'उपयुक्त और उचित' मापदंडों का पालन करने वाला होना चाहिए और सीसीओ का कद ऐसा होना चाहिए कि सीसीओ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और यह सुनिश्चित कर सके कि व्यावसायिक क्रियाकलाप यथालागू कानूनों/विनियमों/ नीतियों का अनुसरण करें।

जोखिम और अनुपालन संस्कृति आकलन फ्रेमवर्क

VI.53 प्रभावी आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के निर्माण में एक स्वस्थ जोखिम और अनुपालन संस्कृति के महत्व को समझते हुए और बैंक के परिचालनों को समग्र रूप से अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) के मार्गदर्शन के लिए एक विस्तृत जोखिम और अनुपालन संस्कृति मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य उन प्रथाओं, व्यवहारों और दृष्टिकोणों की पहचान करने में पर्यवेक्षकों की सहायता करना है जो संस्थान की जोखिम संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षाएं (एमएसई)

VI.54 विभाग ने एसएसएम के लिए एक मार्गदर्शी नोट भी तैयार किया है जिसमें एमएसई का उल्लेख है जिसके तहत जोखिम अभिशासन, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा पर उन सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को शामिल किया गया है जिनका अनुपालन पर्यवेक्षी स्तर पर बैंकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। एसएसएम इन एमएसई का इस्तेमाल बैंकों में आश्वासन कार्यों की पर्याप्तता का आकलन करने के साथ-साथ आश्वासन कार्यों की सुदृढ़ता, प्रभावकारिता और पर्याप्तता के संदर्भ में उनके मूल्यांकन को और अधिक चुस्त बनाने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

केवाईसी/ एएमएल के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीएस)

VI.55 बैंकों से यह अपेक्षित है कि उनके पास अपने आंतरिक अभिशासन फ्रेमवर्क में केवाईसी/ एएमएल जोखिमों से निपटने के लिए एक ठोस जोखिम-प्रबंधन रणनीति हो। रिजर्व बैंक ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की सिफारिशों की तर्ज पर कार्य करते हुए आरबीएस को विकसित किया है ताकि केवाईसी/ एएमएल की दृष्टि से पर्यवेक्षण किया जा सके। बैंकों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी/एएमएल डेटा के आधार पर जोखिम स्कोर की गणना करने के लिए एक मॉडल भी विकसित किया गया है। चुनिंदा बैंकों के केवाईसी/एएमएल जोखिम स्कोर/रेटिंग के आधार पर विशेषीकृत ऑन-साइट मूल्यांकन भी किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में काला धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने और उन्हें कम करने के अलावा आरबीएस जोखिम की बेहतर पहचान करने और जोखिम-मूल्यांकन में सुधार को सुविधाजनक बनाएगा।

प्रमुख गतिविधियाँ

मूल कारण का विश्लेषण (आरसीए)

VI.56 वर्तमान पर्यवेक्षी चक्र से आरसीए करने की दिशा में विशेष जोर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभिशासन, निरीक्षण और आश्वासन कार्य, कारोबार नीति और जोखिम तथा अनुपालन संस्कृति का विस्तृत मूल्यांकन भी शामिल है।

पर्यवेक्षी महाविद्यालयों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालनरत भारतीय बैंकों का पर्यवेक्षण

VI.57 पर्यवेक्षी महाविद्यालयों के मंच का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालनरत भारतीय बैंकों की निरंतर निगरानी के लिए किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की बैठकें वर्चुअल मोड में आयोजित की गयीं, जिनमें हुए विचार-विमर्श में इन बैंकों के विदेश स्थित पर्यवेक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

बैंकों में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना

VI.58 दिनांक 14 सितंबर 2020 के परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा गया था कि वे अपनी आईआरएसीपी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाएं। स्वचालित आस्ति वर्गीकरण [अग्रिमों/निवेशों का अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकरण और उनका उन्नयन], प्रावधानीकरण से जुड़ी गणना और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की संपूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे अपनी इन प्रणालियों को अनिवार्य रूप से 30 जून 2021 तक इस प्रकार लागू करें / उन्नत बनाएं कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप बन सकें।

वृहद आकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) - समीक्षा

VI.59 बैंकिंग परिचालनों में आकार, जटिलताओं, कारोबारी मॉडल और जोखिमों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीए) सहित अन्य हितधारकों का परामर्श लेते हुए एलएफएआर के प्रारूप की समीक्षा की गयी और उसे संशोधित किया गया। 5 सितंबर 2020 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों से यह अपेक्षा व्यक्त की गयी है कि वे वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा विशेष विवेकसम्मत पर्यवेक्षी अपेक्षाओं पर भी अपनी रिपोर्ट लिखें।

साइबर सुरक्षा संबंधी प्रगति

VI.60 यह समझते हुए कि बैंकों के समक्ष साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जोखिमों का वातावरण लगातार विकसित हो रहा है,

विभाग ने बैंकों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के साथ आवधिक बैठक की एक प्रणाली स्थापित की है। इस तरह की बैठकों का उद्देश्य उत्तर-महामारी विश्व की उन चुनौतियों को महसूस करने के लिए जमीनी तौर पर हितधारकों से रुबरू होना है जिनकी विशेषता है सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम के साथ उपयोगकर्ताओं के इंटरफेस में बदलाव, बैंकों द्वारा नियोजित सर्वोत्तम प्रथाएं और क्लाउड कंप्यूटिंग और ओपन बैंकिंग जैसे नए तकनीकी और ऑपरेटिंग प्रतिमानों को अपनाने के कारण परिकल्पित नए खतरे। इस नई प्रणाली को उन तरीकों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसमें पर्यवेक्षण की कार्यपद्धति साइबर अनुकूल बैंकिंग प्रणाली के निर्माण के लिए अधिक अनुकूलनशील दृष्टिकोण में बदल रही है।

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.61 वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की मात्रा वर्ष 2019-20 की तुलना में (सारणी VI.2) संख्या के रूप में 15 प्रतिशत और मूल्य के रूप में 25 प्रतिशत घट गई। इसी अवधि के दौरान कुल धोखाधड़ी में (संख्या और मूल्य दोनों रूप में) पीएसबी की हिस्सेदारी घट गई जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में वृद्धि हुई।

VI.62 परिचालन के क्षेत्र के अनुसार संख्या और मूल्य दोनों (सारणी VI.3) के संदर्भ में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम श्रेणी) में हुई है। यद्यपि 2020-21 के लिए अग्रिम श्रेणी में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मूल्य, प्रतिशत के संदर्भ में, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान रहे, संख्या के संदर्भ में अग्रिम श्रेणी में धोखाधड़ी की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। 2018-19 से ऑफ-बैलेंस शीट (मूल्य के संदर्भ में) की हिस्सेदारी घट रही है।

VI.63 वर्ष 2020-21 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के लिए धोखाधड़ी की घटना की तारीख और पता लगाने की तारीख के बीच औसत समय अंतराल 23 महीने था। हालांकि, ₹ 100

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूह-वार

(राशि करोड़ ₹ में)

बैंक समूह / संस्था	2018-19		2019-20		2020-21	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3,704 (54.5)	64,207 (89.8)	4,410 (50.7)	1,48,224 (79.9)	2,903 (39.4)	81,901 (59.2)
निजी क्षेत्र के बैंक	2,149 (31.6)	5,809 (8.1)	3,065 (35.2)	34,211 (18.4)	3,710 (50.4)	46,335 (33.5)
विदेशी बैंक	762 (11.2)	955 (1.3)	1026 (11.8)	972 (0.5)	521 (7.1)	3,315 (2.4)
वित्तीय संस्थाएं	28 (0.4)	553 (0.8)	15 (0.2)	2,048 (1.1)	25 (0.3)	6,839 (4.9)
लघु वित्त बैंक	115 (1.7)	8 (0.0)	147 (1.7)	11 (0.0)	114 (1.6)	30 (0.0)
भुगतान बैंक	39 (0.6)	2 (0.0)	38 (0.4)	2 (0.0)	88 (1.2)	2 (0.0)
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	1 (0.0)	0.02 (0.0)	2 (0.0)	0.43 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)
कुल	6,798 (100.0)	71,534 (100.0)	8,703 (100.0)	1,85,468 (100.0)	7,363 (100.0)	138,422 (100.0)

नोट: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल हिस्से को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
 2. बैंकों और एफआई द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
 3. रिपोर्ट की गई शामिल रकम वहन की गई नुकसान की राशि को नहीं दर्शाती है। रिकवरी के अनुसार नुकसान घटता जाता है। इसके अलावा, जरूरी नहीं की पूरी शामिल राशि डाइवर्ट की ही गई हो।
 4. इन धोखाधड़ी की घटनाओं की तिथियां पिछले कई वर्षों में फैली हुई हैं।
 5. उपर्युक्त डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹ 1 लाख या अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।
स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियां

करोड़ और उससे अधिक के बड़े धोखाधड़ी के संबंध में, इसी अवधि के लिए औसत अंतराल 57 महीने था।

2021-22 के लिए कार्यसूची

VI.64 विभाग ने 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को चिह्नित किया है:

- कारोबार कार्यनीति / मॉडल (उत्कर्ष) के साथ जोखिम और अनुपालन संस्कृति सहित निरीक्षण और आश्वासन कार्यों के ऑन-साइट मूल्यांकन को मजबूत करना;
- पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए अभिनव और परिवर्तनशील सुपटेक को उसकी क्षमता व सामर्थ्य को संशोधित करके अपनाना (उत्कर्ष);

- सभी बैंकों से डेटा संग्रह की प्रक्रिया और चुनिंदा बैंकों के ऑफ-साइट मूल्यांकन तथा ऑनसाइट पर्यवेक्षण को केवाईसी / एएमएल पर्यवेक्षण के लिए विकसित जोखिम-आधारित मॉडल के परिणामों के आधार पर सुव्यवस्थित करना; और
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली में संवृद्धि करना जिसमें आरंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) ढांचे की प्रभावशीलता में सुधार लाना, धोखाधड़ी अधिशासन और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना, लेनदेन की निगरानी के लिए डेटा विश्लेषण को बढ़ाना, धोखाधड़ी के लिए विनिर्मित बाजार आसूचना (एमआई) इकाई की शुरुआत करना और प्रत्येक धोखाधड़ी के लिए सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अद्वितीय संख्या उत्पन्न करने की व्यवस्था को क्रियान्वित करना भी शामिल हैं।

सारणी VI.3: धोखाधड़ी के मामले – परिचालन क्षेत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

परिचालन क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	3,603 (53.0)	64,539 (90.2)	4,608 (52.9)	1,81,942 (98.1)	3,501 (47.5)	1,37,023 (99.0)
तुलन पत्रेतर	33 (0.5)	5538 (7.7)	34 (0.4)	2445 (1.3)	23 (0.3)	535 (0.4)
विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन	13 (0.2)	695 (1.0)	8 (0.1)	54 (0.0)	4 (0.1)	129 (0.1)
कार्ड/इंटरनेट	1,866 (27.5)	71 (0.1)	2,677 (30.8)	129 (0.1)	2,545 (34.6)	119 (0.1)
जमाराशियां	593 (8.7)	148 (0.2)	530 (6.1)	616 (0.3)	504 (6.8)	434 (0.3)
अंतर-शाखा खाते	3 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)
नकद	274 (4.0)	56 (0.1)	371 (4.3)	63 (0.0)	329 (4.5)	39 (0.0)
चेक/ मांग ड्राफ्ट, आदि.	189 (2.8)	34 (0.1)	201 (2.3)	39 (0.0)	163 (2.2)	85 (0.1)
समाशोधन खाते, आदि.	24 (0.4)	209 (0.3)	22 (0.2)	7 (0.0)	14 (0.2)	4 (0.0)
अन्य	200 (2.9)	244 (0.3)	250 (2.9)	173 (0.1)	278 (3.8)	54 (0.0)
कुल	6,798 (100.0)	71,534 (100.0)	8,703 (100.0)	1,85,468 (100.0)	7,363 (100.0)	1,38,422 (100.0)

नोट: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल हिस्से को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

2. बैंकों और एफआई द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

3. उपर्युक्त डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹ 1 लाख या अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।

4. इन धोखाधड़ी की घटनाओं की तिथियां पिछले कई वर्षों में फैली हुई हैं।

5. रिपोर्ट की गई शामिल राशि वहन की गई नुकसान की राशि को नहीं दर्शाती है। रिकवरी के अनुसार नुकसान घटता जाता है। इसके अलावा, जरूरी नहीं की पूरी शामिल राशि डाइवर्ट की ही गई हो।

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियां

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.65 विभाग ने सुरक्षित और सुप्रबंधित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान यूसीबी की समय-समय पर निगरानी की।

2020-21 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.66 विभाग ने 2020-21 में यूसीबी की निगरानी के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चुनिंदा यूसीबी (उत्कर्ष) के लिए विभेद आधारित पर्यवेक्षण तंत्र की शुरुआत (उत्कर्ष) [पैरा VI.67];

- सभी मुख्य कार्यों के लिए यूसीबी के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) मॉड्यूल का एकीकरण; प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए मॉड्यूलों को स्वचालित किया जाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.68];
- अधिक पर्यवेक्षकीय जांच के लिए यूसीबी सेक्टर की रिपोर्टिंग हेतु बड़े ऋणों के लिए सूचना का केंद्रीकृत भंडार (सीआरआईएलसी) का उपयोग किया जाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.69]; और
- आकार और आवधिकता पर फोकस करते हुए यूसीबी की निरीक्षण प्रक्रिया को उस क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुसार ढालना (पैरा VI. 67 - VI.69).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी के लिए विभेद आधारित पर्यवेक्षण तंत्र

VI.67 यूसीबी के लिए, आवश्यकता आधारित (कैलिब्रेटेड) पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण संस्थानों पर निगरानी को अधिक जोखिम-केंद्रित तरीके से मजबूत करना, पर्यवेक्षण आनुपातिकता और आर्थिक दक्षता में सुधार करना, और पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त श्रेणी को प्रयुक्त करना है। (बॉक्स VI.3).

यूसीबी को सीबीएस अनुपालित बनाना

VI.68 31 मार्च 2021 के अनुसार 1,536 यूसीबी (99.67 प्रतिशत) में से 1,531 ने सीबीएस लागू किया है। शेष पांच यूसीबी में से तीन एआईडी (नकारात्मक निवल मालियत) के अंतर्गत

रखे गए हैं। सकारात्मक निवल मालियत वाले केवल 2 यूसीबी को सीबीएस पूरा करना बाकी है।

यूसीबी के लिए सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग

VI.69 ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी के ऑफ-साइट पर्यवेक्षण को मजबूत करने और उनके वित्तीय संकट की जल्द पहचान के उद्देश्य से उन्हें सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। इसने चुनिंदा बड़े यूसीबी के बड़े कर्जदारों के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण को सक्षम किया है। सीआरआईएलसी विवरणी की सूचनाओं का उपयोग पर्यवेक्षी चिंताओं, अर्थात्, आपराधिक उधारकर्ताओं और संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर की पहचान के लिए किया गया है। यह विभाग को यूसीबी क्षेत्र से संबंधित उपयुक्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में भी सक्षम बनाएगा। सीआरआईएलसी डेटा की समीक्षा और विश्लेषण के अलावा, इंटरएक्टिव डैशबोर्ड विकसित

बॉक्स VI.3

यूसीबी पर्यवेक्षण के बदलते प्रतिमान – भावी दिशा

शहरी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में अल्पसाधन वाले लोगों की सेवा करने के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बेहतर स्थिति में हैं। यूसीबी क्षेत्र इस मायने में अद्वितीय है कि आकार, भौगोलिक वितरण, कार्य-निष्पादन और वित्तीय सुदृढ़ता के मामले में इस क्षेत्र में बैंकों के बीच व्यापक विविधता है। इस क्षेत्र में इकाई यूसीबी, एक राज्य के भीतर परिचालन करने वाली बहु-शाखा यूसीबी और एक से अधिक राज्यों में संचालन क्षेत्र वाले बहु-राज्यीय यूसीबी हैं।

ग्राहकों के अपने बेहतर ज्ञान और परिचालन के क्षेत्र से सुपरिचित होने के कारण सहकारी बैंक नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और अपने अनूठे कारोबारी प्रस्तावों के साथ मौजूदा ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए दृष्टिकोण, प्रक्रियाओं, व्यवसाय मॉडल और रणनीति में उपयुक्त बदलावों की आवश्यकता हो सकती है।

हालाँकि, सहकारी बैंक अब अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक उद्यमियों के प्रवेश और प्रौद्योगिकी ने ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ा दिए हैं और बैंकों के सामने विकास के लिए अवसर और अस्तित्व के लिए चुनौतियां दोनों हैं। जैसे जैसे बैंकिंग व्यवसाय अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धी होता जाएगा, कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ जाएगी, आईटी के बुनियादी ढांचे में नियमित निवेश की आवश्यकता होगी और अनुपालन की लागत भी बढ़ जाएगी।

रिजर्व बैंक ने नए एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) के अंतर्गत यूसीबी सेक्टर की निगरानी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि यूसीबी में कोर

बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस), संशोधित कैमेलस (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि और प्रणाली व नियंत्रण) यूसीबी के लिए रेटिंग मॉडल, विस्तृत डेटा एनालिटिक्स, भेद्यताओं का आकलन, साइबर जोखिम का आकलन, ऑफ-साइट / ईएक्सपेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) रिपोर्टिंग प्रणाली का केंद्रीकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) / भेद्य/ कमजोर यूसीबी के निदेशकों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान/ बैठकें आदि का कार्यान्वयन।

रिजर्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 5 फरवरी 2021 के वक्तव्य में इस सेक्टर को मजबूत करने और यूसीबी हेतु एक मध्यम अवधि का रोडमैप प्रदान करने व यूसीबी बैंकों का पुनर्वास/समाधान तेजी से करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ इन संस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना के बारे में घोषणा की है। समिति यूसीबी बैंकों के पुनर्वास/समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाएगी, क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करेगी, अंतर विनियमों की आवश्यकता पर विचार करेगी और यूसीबी की आघातसह्यता बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए अनुमेय गतिविधियों हेतु अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए संभावनाओं को जांच करेगी ताकि एक स्फूर्त और आघातसह्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऐसा विज्ञान दस्तावेज बनाया जा सके जो जमाकर्ताओं के हित और प्रणालीगत मुद्दों के साथ-साथ सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित हो।

स्रोत: आरबीआई.

किए गए हैं जिन्हें पर्यवेक्षी टीमों के साथ साझा किया गया है ताकि बैंकों को शुरुआती दबाव के संकेतों की पहचान करने में मदद मिल सके।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

VI.70 साइबर सुरक्षा के परिदृश्य ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों को व्यापक रूप से अपनाते हुए विकसित होना जारी रखा है जिसके कारण आवश्यक है कि यूसीबी उनसे संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करे। साइबर सुरक्षा पहलुओं पर किए गए विभिन्न उपायों को साझा करने और समन्वय के लिए यूसीबी और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग को आवश्यक माना गया था। अतः यूसीबी के लिए "साइबर सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट" प्रकाशित किया गया जो पांच साल के कार्यनीतिक दृष्टिकोण 'गार्ड' - गवर्नेंस ओवरसाइट (जी), यूटाइल प्रौद्योगिकी निवेश (यू), अप्परोप्रिएट विनियमन और सुपरविजन (ए), रोबस्ट कोलाबोरेशन (आर), और आवश्यक आईटी और साइबर सुरक्षा कौशल डेवलप (डी) करना - के माध्यम से तीन साल की अवधि में इस उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.71 विभाग ने 2021-22 में यूसीबी की निगरानी के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आईटी / साइबर सुरक्षा जांच संचालित करना (उत्कर्ष);
- चुनिंदा यूसीबी के केवाईसी / एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करना;
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और दबाव परीक्षण ढांचे को मजबूत करना; तथा
- चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी परीक्षण की शुरुआत करना

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.72 विभाग ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों - एचएफसी को छोड़कर) और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की निगरानी को प्रभावी ढंग से जारी रखा।

2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.73 विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत 2020-21 के लिए एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एनबीएफसी की निगरानी और पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे

(i) (इंडज-एस) के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का पता लगाने के बाद में विनियामक मार्गदर्शन/निर्देश जारी करना ; (ii) निरंतर आधार पर एनबीएफसी और संबंधित पक्षों के वित्तीय मानकों/ बाजार के रुख की गति का आकलन करने के लिए एनबीएफसी की बाजार आसूचना (एमआई) को मजबूत करना; (iii) एनबीएफसी के बीच एक मजबूत अनुपालन और जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना, और (iv) पर्याप्त निवल स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) बनाए रखने के संबंध में रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले एनबीएफसी को समाप्त करना और रिटर्न दाखिल करना (पैरा VI.74 - VI.79).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

इंड -एस का कार्यान्वयन

VI.74 इंड -एस के कार्यान्वयन के लिए विनियामक मार्गदर्शन 13 मार्च 2020 को जारी किया गया था, जिसमें विनियामक पूंजी और विनियामक अनुपातों की गणना पर मार्गदर्शन के साथ-साथ इंड -एस कार्यान्वयन के लिए अधिशासन ढांचा और अपेक्षित ऋण हानि के लिए विवेकपूर्ण सीमा को कवर किया गया। एनबीएफसी के पर्यवेक्षण में वर्तमान पर्यवेक्षी चक्र के दौरान इंड -एस के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को भी कवर किया गया।

एनबीएफसी का पर्यवेक्षण

VI.75 एनबीएफसी के लिए मजबूत ऑफ-साइट निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में, जमाराशियाँ लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशियाँ नहीं लेने प्रणालीगत रूप से

महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और सीआईसी की संरचनागत चलनिधि स्थिति का हर महीने मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि उन एनबीएफसी/सीआईसी की पहचान की जा सके जो बाद के छह महीनों की अवधि के दौरान किसी भी समयावधि में महत्वपूर्ण नकारात्मक बेमेल पेश करती हैं। एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय प्रदर्शन पर त्रैमासिक विश्लेषणात्मक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जो आस्ति वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, क्षेत्र-वार ऋण और चलनिधि के रुझानों का संकेत देती हैं।

VI.76 बैंकों और एनबीएफसी के सक्रिय ऑफ-साइट निगरानी ढांचे के हिस्से के रूप में प्रारंभिक चेतावनी ढांचा हाल ही में शुरू किया गया है। इस ढांचे में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण उन आंकड़ों के साथ साथ व्यापक आर्थिक आंकड़ों, बाजार संकेतक और बैंकिंग संकेतक को कवर करने के लिए संकेतकों के एक समूह की भी पहचान किया जाना शामिल है जो बैंकों/ एनबीएफसी के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान कर सकते हैं।

VI.77 पर्यवेक्षण के 5वें स्तंभ के भाग के रूप में, विभाग एनबीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन, विशेषतः बड़ी कंपनियों के साथ निरंतर संपर्क में है। दबाव, परिसंपत्तियों में अत्यधिक वृद्धि, अपराध में अचानक वृद्धि या चलनिधि बेमेल होने और/या वित्तीय स्थिति में गिरावट के किसी भी संकेत के मिलने पर मामले को एसई के साथ उठाया जाता है।

VI.78 नियमों का कार्यान्वयन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कार्यालय (केका) और क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेका) दोनों स्तर पर एनबीएफसी के साथ संपर्क बढ़ाकर रखा जाता है। एनबीएफसी के व्यापार मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तनों की दृष्टि से यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके लिए गतिशील पर्यवेक्षी फोकस (बॉक्स VI.4) की आवश्यकता होती है।

VI.79 विभाग उन एनबीएफसी की पहचान कर रहा है जो न्यूनतम निवल स्वधारित निधि (एनओएफ) अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते हैं और ऐसे एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण (सीओआर) पत्र को निरस्त कर रहा है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.80 विभाग ने 2021-22 में एनबीएफसी की देखरेख के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- आइएनडी -एस (उत्कर्ष) के तहत पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली डिजाइन करना;
- एनबीएफसी (उत्कर्ष) के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का कार्यान्वयन;
- एनबीएफसी के एमआई और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी मूल्यांकन को मजबूत करना;

बॉक्स VI.4

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कारोबार मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तन और सशक्त पर्यवेक्षण

बैंक की कम पहुंच वाले ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की अंतिम-मील पहुंच प्रदान करके एनबीएफसी वित्तीय मध्यस्थता और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वैश्विक स्तर पर, इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तनकारी रुझान देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में सामूहिक निवेश स्रोतों में तेजी से विस्तार, ऐसी संस्थाओं के सीमा पार लिंकेज में वृद्धि, अल्पकालिक वित्त-पोषण तथा फिनटेक और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर और अधिक निर्भरता के अलावा पीयर टू पीयर ऋण, क्राउडफंडिंग, लेवरेज प्राप्त ऋण और संपार्श्विकृत ऋण दायित्वों (सीएलओ) जैसे वित्तीय नवाचार का सहारा लेने में वृद्धि। इस प्रकार, एनबीएफसी के

कारोबार मॉडल दुनिया भर में बदल रहे हैं।

भारत में, कतिपय बड़ी एनबीएफसी कंपनियों में हाल ही में ऋण या बाजार की घटनाओं के बाद चलनिधि समस्याओं और संबंधित वित्तीय स्थिरता चिंताओं के परिणामस्वरूप एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी फोकस में वृद्धि के साथ-साथ कारोबार मॉडल में भी बदलाव हुए हैं। पर्यवेक्षी फोकस और एनबीएफसी क्षेत्र के बदलते परिदृश्य का मूल्यांकन करना प्रासंगिक होगा।

एनबीएफसी पर पर्यवेक्षण को सशक्त बनाना: इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस (जारी)

लिमिटेड (डीएचएफएल) की घटनाओं के बाद चलनिधि दबाव के मद्देनजर एनबीएफसी के लिए बाजार की फंडिंग की स्थिति मुश्किल हो गई। जबकि बेहतर शासन मानकों, मजबूत कारोबार मॉडल और कुशल संचालन प्रथाओं वाली एनबीएफसी कंपनियों ने अच्छा कार्य-निष्पादन किया और निधि जुटा सकीं, दूसरों ने बाजार की शक्तियों का नुकसान सबसे अधिक भुगता। छोटे एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), जो अंतिम-मूल ऋण वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, वे भी प्रभावित हुए क्योंकि उनके निधायन स्रोत और भी संकुचित हो गये।

जवाब में, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई संतुलित कदम उठाए और इस क्षेत्र की दीर्घकालिक आघातसह्यता में सुधार के लिए पर्यवेक्षण बढ़ाया। एनबीएफसी की निगरानी को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कुछ विशेष उपायों में - आकार-आधारित पर्यवेक्षण (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक दृष्टिकोण की शुरुआत सहित), सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी और कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) का निरीक्षण; विवरणियों में संशोधन कर उन्हें युक्तिसंगत बनाना और कंप्यूटरीकृत ऑफ-साइट परोक्ष निगरानी प्रणाली (कॉस मॉस) प्लेटफॉर्म से अधिक उन्नत एक्सटेंसिबिल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन; एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म पर एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) द्वारा वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना; ठगीपूर्ण योजनाओं/अनधिकृत रूप से जमाराशि जुटाने वालों के बारे में जानकारी देने के लिए 11 क्षेत्रीय भाषाओं में सचेत पोर्टल की स्थापना और पर्यवेक्षण के पांचवे स्तंभ - हितधारकों से मुखातिब होना - का सक्रिय रूप से अनुसरण शामिल है।

एनबीएफसी के व्यावसायिक मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तन: एनबीएफसी कंपनियों ने अपने आकार और परिचालन की विविधता के मामले में एक लंबा सफर तय किया है। इन वर्षों में, इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है और कुछ बड़े एनबीएफसी निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के आकार के समतुल्य हो गए हैं। इस क्षेत्र में कई गैर-पारंपरिक खिलाड़ियों ने तकनीक आधारित नवीन कारोबारी मॉडल अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।

चलनिधि की समस्याएं, परिसंपत्ति की गुणवत्ता के दबाव में वृद्धि और कोविड-19 के असर के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने एनबीएफसी को अपने कारोबारी मॉडल के बारे में फिर से सोचने के लिए प्रेरित किया है। हाल के वर्षों के दौरान, एनबीएफसी के तुलन-पत्र के आस्ति और देयता पक्षों में संरचनात्मक बदलाव हुआ है। जैसा कि रिजर्व बैंक के अनुसार एनबीएफसी को दिसंबर 2020 से चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाने की आवश्यकता थी, एनबीएफसी पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के उद्देश्य से अपने अल्पकालिक देनदारियों को धीरे-धीरे दीर्घावधि उधारों से परिवर्तित कर रहे हैं। इसी तरह, पहले की तरह कॉर्पोरेट क्षेत्र के अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करने के बदले खुदरा ऋणों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने की ओर भी बदलाव बढ़ रहा है।

वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) आधारित उत्पाद वितरण एनबीएफसी परिदृश्य में होने वाला एक और महत्वपूर्ण विकास है। उत्पादों और सेवाओं के अभिनव फिनटेक आधारित वितरण को अपनाने में एनबीएफसी क्षेत्र सबसे आगे रहा है जो इन सेवाओं तक पहुंचने और प्राप्त करने की संकल्पना में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। फिनटेक के संचालन का दायरा भी व्यापक होकर भुगतान, बीमा, स्टॉक, बॉन्ड, पीयर टू पीयर उधार, रॉबो-परामर्श, नियामक प्रौद्योगिकी (रेग टेक) और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुप टेक) तक पहुंच गया है। हालाँकि, डेटा गोपनीयता, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढाँचे की मजबूती और साइबर सुरक्षा ढाँचे से संबंधित चिंताओं के साथ साथ कारोबार का संचालन मुद्दों का भी मूल्यांकन और समाधान करने की आवश्यकता है।

फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तदाताओं का दायरा बढ़ाने और सभी एनबीएफसी को फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करने और एमएसएमई के बीजक को डिस्काउंटिंग के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म पर भाग लेने की अनुमति देने के लिए धारा 3 में संशोधन करना चाहता है। इस बिल से उम्मीद है कि एनबीएफसी के लिए अतिरिक्त व्यापार के अवसर खुलेंगे और अधिक से अधिक संख्या में एनबीएफसी के साथ बैंकों और एनबीएफसी के बीच फैक्टरिंग के कारोबार में भागीदारी में बदलाव आ सकता है। आगे बढ़ते हुए, बाजार संचालित प्लेटफॉर्म मॉडल में - ग्राहक आधार, वितरण पहुंच और विभिन्न परिस्थितिकी प्रणालियों के साथ सहयोग की अपनी क्षमता का दोहन करके- एनबीएफसी को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए अंडरराइटर होने के टेक-ऑफ बिंदु से शुरू कर के, एनबीएफसी अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं और वितरण आधारित वैकल्पिक कारोबार मॉडल की ओर बढ़ सकते हैं।

संक्षेप में, एनबीएफसी खंड ने एक नए कारोबार परिदृश्य में प्रवेश किया है, जिसमें इसे अपने टूलकिट में नए उत्पादों को जोड़ने और नये आविष्कार के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। एनबीएफसी की मुख्य ताकत में; ग्राहकआधार;, मजबूत वितरण और सेवा की पहुंच; उच्चतर जोखिम वृत्ति; लचीला कारोबार मॉडल; गैर-भौतिक उपस्थिति बिंदु; और तेजी से स्केल-अप और स्केल-डाउन करने की क्षमता शामिल है। एनबीएफसी नई प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं को अपनाने में भी तेज हैं। उपर्युक्त का लाभ उठाते हुए एनबीएफसी जैसे उत्पाद प्रदाता ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बहुतेरे उत्पादों और सेवाओं के साथ ग्राहक की सेवा के लिए बाजार संचालित प्लेटफॉर्म में विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक उनके कारोबार परिचालन और संबंधित जोखिमों की बदलती संभावनाओं को ध्यान से देख रहा है और उनकी आघातसह्यता को बनाए रखने के लिए उचित उपाय कर रहा है।

स्रोत: भारिबैं

- चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण विकसित करना;
- एनबीएफसी द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवाओं की प्रभावशीलता की निगरानी; तथा
- चयनित एनबीएफसी के लिए आईटी परीक्षण की शुरुआत करना।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.81 एक एकीकृत डीओएस का परिचालन किया गया है जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी की देखरेख अब एक छत्र विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से की जा रही है। यह विनियामक/पर्यवेक्षी मध्यस्थता, सूचना विषमता और अंतर-संबद्धता से संबंधित अंतर-संस्थागत मुद्दों को हल करेगा।

2020-21 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.82 विभाग ने 2020-21 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षणीय लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति के तत्वावधान में, पर्यवेक्षित संस्थाओं से रिजर्व बैंक को डेटा प्रवाह को स्वचालित करने हेतु पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए एक अतिसक्रिय साइबर इम्युनिटी सर्विलांस फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा जिससे रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रेबिट) और उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सिमुलेशन/मूल्यांकन अभ्यास, शीघ्र पर्यवेक्षण/विनियामकीय हस्तक्षेप और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करने के अलावा, बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा अपेक्षाओं और आईटी प्रथाओं (अधिशासन और संबंधित) पर पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए पर मास्टर दिशा-निर्देश जारी किया जा सके। (पैरा VI.83 - VI.85);
- एसईएस द्वारा धोखाधड़ी की पहचान करने में देरी के कारणों को पहचानने के लिए और धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें समय पर कम करने के उपायों का सुझाव देने हेतु

चुनिंदा बैंकों, एनबीएफसी, यूसीबी और डोमेन विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों पर एक अध्ययन किया जाएगा। (पैरा VI.86);

- एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रेकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस) का कार्यान्वयन [पैरा VI.86]; तथा
- रिजर्व बैंक धोखाधड़ी की निगरानी करने और उसका पता लगाने में सुधार के लिए विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को जोड़ने में लगा हुआ है। एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और नई सुविधाओं के साथ संवर्धित एससीबी के सीएफआर पोर्टल को जनवरी 2021 (पैरा VI.86) से चालू किया जाएगा।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

साइबर सुरक्षा संबंधित प्रगति

VI.83 विभाग ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान 53 पर्यवेक्षित संस्थाओं में आईटी परीक्षण (ऑन-साइट और ऑफ-साइट मोड) आयोजित की हैं। इसमें 44 एससीबी, चार प्राथमिक यूसीबी, दो पीबी, एक एनबीएफसी, एक सीआईसी और एक वित्तीय संस्थान (एफआई) शामिल हैं।

VI.84 साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति ने रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए सेक्टर-वार "सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी)" स्थापित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए एक उप-समूह बनाया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, आरई के एसओसी से लॉग / ईवेंट्स/ अलर्ट्स को आगे विश्लेषण के लिए लगातार प्राप्त करेगा। बाहरी एजेंसियों के माध्यम से वेब क्रॉलिंग/साइबर रिस्क अभ्यासों का चुनिन्दा आरई के साथ पायलट आधार पर किया गया था। वर्तमान में, इसे अन्य आरई तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है।

VI.85 विभाग विभिन्न रिटर्न, ऑफ-साइट प्रस्तुतीकरण और अनुपालन स्थिति के माध्यम से पर्यवेक्षित संस्था (एसई)से जोखिम संकेतक डेटा एकत्र करता है। एसई के प्रस्तुतीकरण के आधार पर, जो कमजोर पाए जाते हैं या जो अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया जाता है।

डाटाबेस और सूचना प्रणाली को मजबूत करना

VI.86 वर्ष 2020-21 के दौरान इससे संबंधित पहल इस प्रकार थे:

- एसई द्वारा बड़ी धोखाधड़ी का पता लगाने में पाई गई देरी को ध्यान में रखते हुए, कारणों का पता लगाने और प्रणालियों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए चुनिंदा बैंकों, एनबीएफसी, यूसीबी और विशेषज्ञों के समूह द्वारा बड़ी धोखाधड़ी का अध्ययन करने की योजना बनाई गई थी। समूह ने 30 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- आईसीएमटीएस एक एंड-टू-एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन एप्लीकेशन है, जो एसई द्वारा अनुपालन को मजबूत करने और डीओएस और डीओआर जैसे विभिन्न विभागों द्वारा जारी समयबद्ध परिपत्रों/निर्देशों/परामर्श के अनुपालन की समय पर और सतत निगरानी में सहायता करेगा। इस एप्लीकेशन से एसई के निरीक्षण/संवीक्षा की योजना बनाने और बाद में इनबिल्ट सुविधा के साथ टिप्पणियों के अनुपालन की भी सुविधा होगी ताकि अनुस्मारक और अधिसूचनाओं के लिए अलर्ट जारी किया जा सके। आवेदन के विभिन्न मॉड्यूलों का चरणवार कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- विभाग ने सभी वाणिज्यिक बैंकों (चुनिंदा एफआई सहित), यूसीबी और एनबीएफसी, के लिए एक एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रारूप का प्रस्ताव किया है, जो ऐसी सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी डेटा से संबंधित रिपोर्टों का समेकन करेगा तथा विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा देगा। इसे आगामी केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना के भाग के रूप में विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बीच, एससीबी के वर्तमान सीएफआर पोर्टल में खोज प्रश्नों को अनुकूल और तेज करने के लिए कुछ संवर्द्धन किया है, जिन्हें 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है।

- एनबीएफसी के लिए ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परिवर्तन, सुरक्षा परीक्षण और प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं को जारी करने के बाद एनबीएफसी का ऑनलाइन प्रणाली में प्रस्तरण और बोर्डिंग प्रभावी होगा।
- रिजर्व बैंक ने 2002 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को अनिवार्य किया था। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए और सभी एसई, बड़े यूसीबी और एनबीएफसी में दिशा-निर्देशों के सामंजस्य के लिए, वर्ष के दौरान आरबीआईए नेट में लाया गया था।
- इसके अलावा, एसई में लेखा परीक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी एसई द्वारा एसए को समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से नियुक्त किया जाता है, विभाग ने वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/एसए की नियुक्ति के बारे में एक समान दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए लेखा परीक्षकों की संख्या, उनके पात्रता मानदंड, कार्यकाल और रोटेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख नवोन्मेषी कार्य

समर्पित जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग

VI.87 पर्यवेक्षण कार्यक्रम के एकीकरण की प्रक्रिया में एक समर्पित क्षेत्रीय जोखिम प्रकार्य, अर्थात्, जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग (आरएसडी) बनाया गया था। आरएसडी वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने में दिशा में कार्य कर रहा है और जोखिम का पता लगाने में योगदान दे रहा है।

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना

VI.88 वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को एकीकृत विभाग के व्यापक पर्यवेक्षी ढांचे के अनुरूप बनाया गया है। ऐसा वित्तीय स्थिरता और अन्य गैर-वित्तीय मानकों से संबंधित मामलों में इन संस्थाओं के आकार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, एक मापांकित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाया गया है। पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा पर्यवेक्षण की आनुपातिकता और आर्थिक दक्षता में सुधार करना, अधिक जोखिम-केंद्रित तरीके से महत्वपूर्ण संस्थानों की निगरानी को मजबूत करना और पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयुक्त समूह को तैनात करना इसके उद्देश्य हैं।

ऑफ साइट पर्यवेक्षण

VI.89 विभाग ने कमजोर एसई की पहचान प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने और पहचानी गई कमजोरियों पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें कीं। इसको प्रमुखतः सक्रिय ऑफ-साइट पर्यवेक्षण तंत्र, अर्थात् व्यापक - दबाव परीक्षणों; प्रारंभिक चेतावनी तंत्र; और बैंकों, एनबीएफसी, एसएफबी और यूसीबी के लिए त्रैमासिक सक्रिय ऑफ-साइट पर्यवेक्षण अभ्यास के माध्यम से असुरक्षित एसई की पहचान द्वारा किया गया। बैंकों के लिए व्यापक - दबाव परीक्षण अभ्यास एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और इसमें क्रेडिट जोखिम दबाव परीक्षण (वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले तीन पैनाल डेटा अर्थमितीय मॉडल का उपयोग करके), चलनिधि जोखिम का आकलन करने के लिए उल्टा दबाव परीक्षण, विश्लेषण करने के लिए एक नया दबाव परीक्षण शामिल है। सिस्टम स्तर पर बड़े एक्सपोजर, और ब्याज-दर जोखिम (आईआरआर) के लिए एक नई अवधि-आधारित दबाव परीक्षण जो ऋण बही के साथ-साथ व्यापार बही में दबाव को शामिल करता है। एनबीएफसी के लिए दबाव परीक्षण विश्लेषण उस सेक्टर में विभिन्न प्रकार के जोखिमों में आघातसह्यता का आकलन करने के लिए एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित है। ऋण जोखिम, ऋण संकेन्द्रण जोखिम, क्षेत्रवार ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम में झटके का

आकलन किया जाता है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपनाई गई दबाव परीक्षण पद्धति एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित है। यह ढांचा, एलसीआर विधि पर आधारित चलनिधि दबाव परीक्षण के अलावा ऋण जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम, ब्याज दर जोखिम के आघातों के विरुद्ध सहनशीलता का आकलन करने के लिए मॉडल को कवर करता है जिसमें ऋण बही के साथ-साथ व्यापार बही में दबाव को भी शामिल किया जाता है।

VI.90 डेटा एनालिटिक्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, कमजोर उधारकर्ताओं की पहचान, दबाव परीक्षण, साइबर सुरक्षा मापदंडों पर भेद्यता और विभिन्न विषयगत विश्लेषण के माध्यम से टूल किट का उपयोग करके बैंकों, एनबीएफसी, एसएफबी और यूसीबी के लिए त्रैमासिक रूप से सक्रिय ऑफ-साइट भेद्यता मूल्यांकन की कार्रवाई की जाती है।

VI.91 चिंता के क्षेत्रों में सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान कई विषयगत अध्ययन किए गए।

VI.92 बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी के एकीकृत पर्यवेक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल होने से एमआई के विषय-क्षेत्र में विस्तार हुआ है और अनियंत्रित क्षेत्र में संस्थानों के शामिल होने से कार्य में आगे भी विस्तार होगा। एकीकृत डीओएस के अंतर्गत गठित समर्पित एमआई अनुभाग एक प्रभावी ऑफ साइट पर्यवेक्षण के टूल के रूप में कार्य करेगा। एसई पर उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टैकहोल्डर्स के साथ अनौपचारिक / असंगठित बैठकों का एक सिस्टम प्रारंभ किया गया है। एमआई यूनिट बैंकों, एसएफबी, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए तैयार की जा रही तिमाही मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुपूरक का कार्य करेगी।

VI.93 आंकड़ा आसूचना / कारोबार विश्लेषण और जोखिम मॉडलिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और मानकों को अपनाने के लिए विभाग के मार्गदर्शन हेतु विश्लेषण संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है ताकि समग्र विश्लेषणात्मक इनपुट की गुणवत्ता में सुधार और भविष्यसूचक और निर्देशात्मक विश्लेषण को सुदृढ़ और संवर्धित बनाया जा सके।

क्षमता निर्माण और कौशल विकास

VI.94 विनियमित संस्थाओं (आरई) के पर्यवेक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उपाय के तौर पर रिज़र्व बैंक ने प्रारंभिक स्तर और अनवरत रूप से आगे भी अपने विनियामिक और पर्यवेक्षी दोनों तरह के स्टाफ के पर्यवेक्षी कौशल में संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक पर्यवेक्षक महाविद्यालय का गठन किया है। यह संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण और अन्य विभागीय जानकारी प्रदान करके एकीकृत और संकेद्रित पर्यवेक्षण विकसित करने के लिए किया गया है। जबकि मई 2020 से सीओएस वर्चुअल मोड में सीमित तरीके से कार्य कर रहा था, जनवरी 2021 से इसे पूर्णकालिक निदेश के साथ-साथ सहायता के लिए शैक्षणिक सलाहकार समिति (एएसी) सहित पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। पूर्णरूप से प्रारंभ सीओएस वर्चुअल और भौतिक दोनों मोड में कुशल संसाधनों के एक अनवरत पूल को विकसित और सुनिश्चित करके एसई की निगरानी की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.95 विभाग वर्ष 2021-22 में सभी एसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है :

- वर्तमान में विवरणियों के लिए प्रचलित भिन्न-भिन्न फ्रेमवर्क की समीक्षा और समेकन द्वारा रिज़र्व बैंक के विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षी आंकड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना (उत्कर्ष) ;
- एसई के लिए साइबर सुरक्षा निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (उत्कर्ष) ;
- एनबीएफसी के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) ;
- आईटी गवर्नेंस, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करना और
- एएसी के मार्गदर्शन के अंतर्गत सीओएस उन चिन्हित क्षेत्रों के आधार पर सभी कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम की योजना बनायेगा और विकसित करेगा जिसमें क्षमता निर्माण / कौशल संवर्धन की आवश्यकता है, कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों / सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के

साथ बेंचमार्क करेगा और शिक्षण के उचित तरीके विकसित करेगा इत्यादि।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.96 प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन-हित और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं से अधिक अनुपालन करवाने के लिए सभी बैंकों में विनियमों को समान रूप से प्रवर्तित करना था। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति और फ्रेमवर्क, प्रवर्तन करने में निष्पक्ष, सुसंगत और निष्पक्ष होने की आवश्यकता पर बल देता है। सहकारी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित प्रवर्तन कार्यों को भी 03 अक्टूबर 2018 से विभाग के परिचालन के दायरे में लाया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.97 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- प्रभावी अनुपालन परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए उल्लंघन वाले क्षेत्रों में डीओएस के लिए एक औपचारिक फीडबैक प्रक्रिया शुरू की जाएगी (उत्कर्ष)। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी स्थापना के बाद से प्राप्त अनुभव के आधार पर विभाग उल्लंघनों और उनकी कार्य-प्रणाली के विश्लेषण करने का कार्य करेगा (पैरा VI 98);
- विनियामकीय और पर्यवेक्षी विभागों के पुनर्गठन को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यविधि सहित प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया की समीक्षा की जायेगी ताकि प्रवर्तन कार्रवाई में निरंतरता सुनिश्चित की जा सके (पैरा VI 99); और
- रिज़र्व बैंक द्वारा एचएफसी पर मौद्रिक जुर्माना लगाने से संबंधित प्रवर्तन कार्य को एनएचबी अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदत्त सीमा तक चरणबद्ध तरीके से ईएफडी के अंतर्गत लाया जायेगा। (पैरा VI 100)

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VI.98 वर्ष के दौरान, कार्यालय में लगभग सामान्य कामकाज प्रारंभ होने के बाद, विभाग ने उन क्षेत्रों का विश्लेषण किया जो उल्लंघन के लिए अत्यधिक संवेदनशील थे और उनकी प्रणाली का भी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के निष्कर्ष को डीओएस के साथ सांझा किया गया है। प्रभावी अनुपालन परीक्षण को सुविधाजनक बनाने हेतु फीडबैक को सांझा करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था भी बनाई गई है।

VI.99 प्रवर्तन कार्रवाई में निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने कार्य प्रक्रियाओं की समीक्षा और प्रवर्तन कार्य करने में उनके समक्ष आई बाधाओं और चुनौतियों को समझने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एक ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित की। संबंधित विषयों पर आवश्यक स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन प्रक्रियाओं के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए ताकि प्रवर्तन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकें।

VI.100 एचएफसी के संबंध में, जबकि प्रवर्तन कार्रवाई मौजूदा नीति में आवश्यक परिवर्तन करके की गई थी वहीं ऐसे संस्थानों के लिए रिजर्व बैंक के विनियामकीय फ्रेमवर्क पूरी तरह तैयार होने और लागू होने के बाद एक विनिर्दिष्ट नीति को एक अनुशेष के रूप में तैयार करने पर विचार किया गया था। डीओआर ने विनियमों की समीक्षा की है और 22 अक्टूबर 2020 को एचएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क जारी कर दिए हैं और तत्पश्चात 17 फरवरी 2021 को एचएफसी पर एक मास्टर परिपत्र भी जारी किया। एनएचबी अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक की भूमिका के संबंध में पता चली स्पष्टता और चूंकि एचएफसी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और मौजूदा प्रवर्तन नीति ने पहले लागू किए जाने वाले सिद्धान्तों और मैट्रिक्स के विषय में बता दिया इसलिए मौजूदा नीति के किसी अनुशेष की तत्काल आवश्यकता पर

विचार नहीं किया गया। विभाग द्वारा एचएफसी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई मौजूदा नीति के अनुसार ही की जायेगी।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

VI.101 जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान ने 54 विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी कुछ दिशा-निर्देशों के उल्लंघन / प्रावधानों का अनुपालन¹ नहीं करने के लिए कुल ₹ 19.41 करोड़ का समेकित दंड भी लगाया गया। (सारणी VI.4).

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

VI.102 आगामी वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है :

- ईएफडी कारोबार प्रक्रिया एप्लीकेशन और प्रवर्तन कार्रवाइयों के डेटाबेस का कार्यान्वयन (उत्कर्ष);
- प्रवर्तन नीति और मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) की समीक्षा; और क्रेडिट सूचना कंपनियों (गैर-बैंक और गैर-एनबीएफसी) के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने की जांच करना

सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई (जुलाई 2020 से मार्च 2021)

विनियमित संस्था	जुर्मानों की संख्या	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3	4.50
निजी क्षेत्र के बैंक	2	4.72
सहकारी बैंक	39	2.14
विदेशी बैंक	2	4.00
भुगतान बैंक	1	1.00
लघु वित्त बैंक	-	-
एनबीएफसी	7	3.05
कुल	54	19.41
-: शून्य।		
स्रोत: भा.रि.बैंक।		

¹ उदाहरण के लिए, इनमें से कुछ में बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड / बीमा उत्पादों की मार्केटिंग / वितरण; एक्पोजर मानक और आईआरएसी मानक; भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी का वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग) दिशा-निर्देश, 2016; एनबीएफसी के लिए लागू उचित प्रथा संहिता पर एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी दिशा-निर्देश; और बोर्ड निदेशक-यूसीबी पर मास्टर निदेश शामिल हैं।

- मौजूदा प्रथाओं और प्रवर्तन कार्रवाइयों में समय-सीमा को प्रभावित करने वाली बाधाओं का पता लगाने की प्रक्रिया (कारोबारी) की समीक्षा करना और निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डीओएस और डीओआर के बीच समन्वय में सुधार करना;
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्णयों में निरंतरता में सुधार पर केंद्रित प्रशिक्षण और वार्तालाप में वृद्धि करना और ईएफडी, आरओ सहित केंद्रीय कार्यालय के साथ सूचनाओं को सांझा करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करना ; और
- नाबार्ड के साथ समन्वय में सुधार करना और एचएफसी के विरुद्ध संभावित प्रवर्तन कार्रवाई को सहज बनाने के लिए एनएचबी के साथ समन्वय प्रणाली बनाना।
- चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना को लागू करना (उत्कर्ष)[पैरा VI.106];
- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण (सीईपी) की भूमिका सहित लोकपाल योजनाओं के समाभिरूपता संबंधी आंतरिक समिति की सिफारिशों की कार्यान्वयन की दृष्टि से जांच करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.107];
- रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग करना (पैरा VI.108); और
- बैंकों को अपनी सीएमएस में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निरुत्साहित/ प्रोत्साहित करने वाला एक फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा VI.109).

5. उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.103 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आरई के ग्राहकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करता है, रिजर्व बैंक की लोकपाल योजनाओं के कामकाज की निगरानी करता है और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा एवं संरक्षण संबंधी मौजूदा विनियमों और ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए उपायों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करता है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2021-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.104 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :

- जनता के लिए वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को मजबूत करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.105];

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

जनता के लिए वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को मजबूत करना VI.105 सीईपीडी ने संचार विभाग (डीओसी) के साथ समन्वय से रिजर्व बैंक की लोकपाल योजनाओं, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग (जिसमें फिशिंग/विशिंग, संदिग्ध लिंक/ ईमेल/ क्यूआर कोड और एसएमएस स्पूफिंग) और धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेनों में ग्राहकों की सीमित देयता संबंधी विनियमों पर मल्टी मीडिया प्रचार-प्रसार की एक श्रृंखला के माध्यम से वृहद जागरूकता अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक की वेबसाइट और सीएमएस के वेबपेज पर सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के विषय पर टिकर्स / स्कॉल्ल्स के माध्यम से संदेशों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपालों ने जनता के बीच कुल 154 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, महामारी संबंधी प्रतिबंध देखते हुए इनमें से अधिकतर कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से संचालित किए गए। इनमें से 34 जागरूकता कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित किए गए। इसके अलावा, ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से शिक्षा के लिए एक

बॉक्स VI.5

ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन- वित्तीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (ओईसीडी-आईएनएफई) के वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति पर आधारित एचएलपी ; और विद्यालयों में वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी-आईएनएफई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय ग्राहक संरक्षण पर जी-20 उच्च स्तरीय सिद्धान्तों (एचएलपी) (सिद्धान्त 5 : वित्तीय शिक्षण और जागरूकता²) के मार्गदर्शन के आधार पर ग्राहक संरक्षण पर विशेष फोकस के साथ वित्तीय शिक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

यह फ्रेमवर्क विनियमित संस्थाओं (आरई) ग्राहकों के सशक्तिकरण के लिए एक कार्यनीति निर्धारित करता है जिसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है, नामतः (i) लक्षित समूहों को उनकी संवेदनशीलता और सूचना की कमी

के आधार पर वर्गीकृत किया गया है; (ii) ग्राहक संरक्षण पर वित्तीय शिक्षा को लक्षित समूहों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सके; (iii) अभीष्ट व्यक्तियों तक अधिकतम पहुंच के साथ बहु-आयामी डिलीवरी चैनल; (iv) ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से वित्तीय जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संस्थानों / विभागों / स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय स्थापित करना ; और (vi) उठाए गए कदमों की प्रभावकारिता का पूर्वानुमान लगाने, सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान और यह निर्धारित करना कि फ्रेमवर्क किस स्तर तक अपने उद्देश्य प्राप्त किए, पर एक मल्टी मोड मैपिंग की गई है।

स्रोत: आरबीआई

फ्रेमवर्क को विभिन्न लक्षित समूहों से संबंधित ग्राहक संरक्षण विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए विकसित किया गया है। (बॉक्स VI.5).

चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईओ योजना का कार्यान्वयन

VI.106 किसी संस्था की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के शीर्ष पर आईओ, पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों के मामले में संस्था द्वारा प्रदान किए समाधान की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करता है। आईओ योजना बैंकों (2018) और प्रणाली के गैर-बैंक प्रतिभागियों (2019) में पहले ही चल रही है। आईओ योजना को एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना (ओएसएनबीएफसी) के अंतर्गत शामिल सभी एनबीएफसी में आईओ योजना लागू करने के प्रस्ताव की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकला कि एनबीएफसी के आकार और कारोबार में विविधता और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त शिकायतों को देखते हुए आईओ योजना चिह्नित सीमा के आधार पर भी एनबीएफसी के लिए लागू होनी चाहिए। एनबीएफसी के लिए प्रस्तावित आईओ योजना से इसमें शामिल एनबीएफसी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार होगा।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण (सीईपी) की भूमिका सहित लोकपाल योजनाओं सम्मिलन संबंधी आंतरिक समिति की सिफारिशों की कार्यान्वयन के लिए जांच करना

VI.107 वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई बैंकिंग लोकपाल योजना ने रिजर्व बैंक को बैंकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिए एक प्रमुख वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में कार्य किया है। तदुपरांत, वर्ष 2018 और 2019 में क्रमशः एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। तीनों लोकपाल योजनाएं सीईपीडी द्वारा अभिशासित हैं। लोकपाल फ्रेमवर्क की समीक्षा और इसकी प्रभावकारिता में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित आंतरिक समिति ने मई 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने व्यापक सिफारिशों की हैं जिसमें : (i) तीनों लोकपाल योजनाओं के सम्मिलन से एक समेकित “भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल योजना” बनाना ; (ii) शिकायत निपटान के लिए सिंगल विंडो प्रदान करने हेतु मौजूद योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में शामिल नहीं किए गए सभी आरई को इस योजना में लाने के लिए इसके विषय-क्षेत्र का विस्तार करना; (iii)

² सिद्धान्त 5 कहता है कि वित्तीय शिक्षा और जागरूकता का सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए और ग्राहक संरक्षण, अधिकार और उत्तदायित्वों पर स्पष्ट सूचना सभी ग्राहकों की आसान पहुंच में होनी चाहिए।

'नकारात्मक सूची' में शामिल शिकायतों के अतिरिक्त सभी शिकायतों को कवर करना; (iv) लोकपाल फ्रेमवर्क के अंदर सीईपी को मिलाना ; (v) 'एक राष्ट्र- एक अधिकार-क्षेत्र' की अवधारणा के अंतर्गत शिकायतों की प्राप्ति के लिए केंद्रीयकृत प्राप्ति और संसाधन केंद्र (सीआरपीसी) की स्थापना करना ; (vi) शिकायतों के निवारण के लिए निपटान समय (टीएटी) में कमी लाना; और (vii) एक उप लोकपाल की नियुक्ति द्वारा प्रत्यायोजन की शुरुआत करना, शामिल है। निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है :

ए. तीनों लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; एनबीएफसी के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019) के सम्मिलन से एक एकीकृत लोकपाल योजना बनाना ;

बी. केंद्रीयकृत प्राप्ति और संसाधन केंद्र (सीआरपीसी) की स्थापना करना और 'एक राष्ट्र – एक लोकपाल' दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होना ;

सी. वर्तमान में लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हुए आरई को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना;

डी. शिकायतों के आधार की अवधारणा को समाप्त करना, 'ग्राहक सेवा में कमी' की परिभाषा को शामिल करना और शिकायतों को अस्वीकार करने के लिए एक विस्तृत 'नकारात्मक' और 'अपवर्जन' सूची शामिल करना ;

इ. शिकायतों को बंद करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

एफ. कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करने हेतु सीएमएस को अद्यतन करना ।

रिजर्व बैंक के सीएमएस की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए एआई का प्रयोग करना

VI.108 रिजर्व बैंक की शिकायत निपटान प्रणाली के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं के प्रभावी समाधान और सीएमसी की

दक्षता में सुधार के लिए वर्ष के दौरान सीएमएस में कृत्रिम बौद्धिकता को शामिल करने का कार्य प्रारंभ किया गया । प्रारंभ में एआई सीएमएस को शिकायत दर्ज होने पर गैर बनाए रखने योग्य शिकायतों को छानने में सक्षम बनायेगी । इसके बाद, एआई शिकायत निपटान के एक टूल के रूप कार्य करने के अलावा आंकड़ों के विश्लेषण और शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण (आरसीए) करने में भी सहायता प्रदान करेगी ।

बैंकों को उनकी शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक निरूत्साहन सह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करना

VI.109 बैंकों की आंतरिक शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार करने, और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ उपायों के साथ एक व्यापक फ्रेमवर्क लागू किया गया है । उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा उपभोक्ता शिकायतों का संवर्धित डिसक्लोजर; बनाए रखने योग्य शिकायतें अपने समान-समूह की औसत से अधिक होने पर शिकायतों के निपटान की लागत बैंकों से वसूल करना; शिकायत निपटान प्रणाली की गहन समीक्षा ; और उन बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी / विनियामकीय कार्रवाई करना जो समयबद्ध तरीके से अपनी शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार करने में असफल रहते हैं ।

प्रमुख गतिविधियां

महामारी के दौरान शिकायत निपटान

VI.110 लोकपाल और सीईपी कक्ष महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद सीएमएस की 24X7 उपलब्धता और शिकायत निपटान प्रणाली के शुरू से अंत तक डिजिटल होने की लाभप्रद स्थिति के कारण अबाधित और सक्षम रूप से कार्य करते रहे ।

शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों का आरसीए करना

VI.111 जून 2020 को समाप्त अवधि के लिए लोकपाल कार्यालयों, सीईपी कक्षों और बैंकों द्वारा संचालित शिकायतों के मुख्य क्षेत्रों का आरसीए किया गया और निष्कर्षों को समेकित

कर उनका विश्लेषण किया गया। अनुवर्ती कार्रवाइयों में बैंकों को यह सूचित किया जाना शामिल है, (क) लेनदेन पद्धति विश्लेषण और प्रभावी आवर्ती जांचों के माध्यम से डिजिटल लेनदनों की सुरक्षा में सुधार करें; (ख) क्रेडिट कार्ड जारी करने में योग्यता सुनिश्चित करें और स्वतंत्र रूप से इसमें शामिल क्रेडिट जोखिम का आकलन करें विशेष रूप से विद्यार्थियों और बिना स्वतंत्र वित्तीय संसाधन वालों के मामले में; (ग) मौजूदा अनुदेशों में विनिर्दिष्ट केवाईसी मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना; (घ) वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग उपभोक्ताओं के साथ अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों के मामलों में ग्राहक की देयताओं को सीमित करने संबंधी विनियमों को भी क्रियान्वित करना; और; (ङ) जागरूकता फैलाने के प्रयासों को मजबूत बनाना।

वर्ष 2021-22 को लिए कार्यसूची

VI.112 विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत कवर न होने वाली शिकायतों के संचालन के लिए एक नीति / योजना बनाना ;
- शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को शामिल करवाने के लिए प्रयास करना ; और
- आईओ योजना का एनबीएफसी, वित्तीय रूप से सक्षम और अच्छी प्रकार से संचालित यूसीबी और आरआरबी तक विस्तार करना।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.113 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निक्षेप बीमा प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इससे वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की

जाने वाली निक्षेप बीमा में एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

VI.114 पंजीकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 2021 तक 2058 थी जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक (43 आरआरबी, 2 एलएबी, 6 पीबी और 10 एसएफबी सहित) और 1,919 सहकारी बैंक (34 राज्य सहकारी बैंक, 347 डीसीसीबी और 1538 यूसीबी) शामिल थे। जहां भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹5 लाख है, वहीं मार्च 2021 के अंत तक की स्थिति के अनुसार पूरी तरह संरक्षित खातों की संख्या (247.8 करोड़) 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले कुल खातों (252.6 करोड़) का 98.1 प्रतिशत है। राशि के मामले में, मार्च 2021 के अंत तक की स्थिति के अनुसार कुल बीमाकृत जमाराशि ₹76,21,258 करोड़ है जो कुल निर्धारणीय जमाराशि ₹ 1,49,67,776 करोड़ का 50.9 प्रतिशत है जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 20 से 30 प्रतिशत है। मौजूदा स्तर पर, वर्ष 2020-21 के लिए बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय के 4.0 स्तर पर है।

VI.115 डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवशों से प्राप्त ब्याज रूपी आय और विफल बैंकों की आस्तियों से नकदी की वसूली में जमाकर्ताओं के दावों और संबंधित व्ययों के भुगतान, निवल करों को समायोजित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि निर्मित करता है। यह निधि परिसमापन / समामेलन के लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होता है। अलेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 को डीआईएफ का आकार ₹ 1,29,936 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित अनुपात 1.70 प्रतिशत था।

VI.116 वर्ष 2020-21 के दौरान पांच सहकारी बैंकों और एक एलएबी का परिसमापन किया गया। अलेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार निगम ने वर्तमान में महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए परिनिर्धारित बैंकों के बीमाकृत जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कुल ₹993 करोड़ के दावों का निपटान किया। ₹993 करोड़ में से निगम ने वर्ष 2020 के दौरान नौ सहकारी बैंकों के संबंध में ₹ 564 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया। अप्रैल 2021 में एक सहकारी बैंक के मामले में ₹ 330 करोड़ की राशि का निपटान किया गया है। तथापि, वर्ष

के दौरान निगम से दावों के निपटान के लिए निधि का निवल परिव्यय कमतर रहा क्योंकि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹568 करोड़ की वसूली भी की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान एक निजी क्षेत्र के बैंक और विदेश बैंक का सम्मेलन भी हुआ था।

VI.117 निक्षेप बीमा संपूर्ण विश्व में वित्तीय सुरक्षा प्रणाली का एक अभिन्न भाग है। वित्तीय स्थिरता पर निक्षेप बीमा के सकारात्मक प्रभाव और हाल ही में निक्षेप बीमा के मूल्य से जुड़े नैतिक जोखिम का महत्व बढ़ा है (बॉक्स VI.6)। बैंकों द्वारा वित्तीय

मध्यवर्ती के रूप कार्य से उत्पन्न जोखिम का समाधान विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जाता है, केंद्रीय बैंक की आपातकालीन चलनिधि और निक्षेप बीमा प्रथम मूलतत्त्व है अर्थात् विनियमन और पर्यवेक्षण वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए प्रथम सोपान की सुरक्षा और केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को आपातकालीन चलनिधि तात्कालिक/ परिवर्ती स्तंभ के रूप में और निक्षेप बीमा बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने की भूमिका अदा करता है।

बॉक्स VI.6

निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण - जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) के माध्यम से नैतिक जोखिम को कम करना

निक्षेप बीमा के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए, डीआईसीजीसी सदस्य वित्तीय संस्थानों से समान दर या संबंधित बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक अंतरीय दर से प्रीमियम एकत्रित करता है। हालांकि, समान दर प्रीमियम को तुलनात्मक रूप से समझना और अभिशासित करना आसान है परन्तु वे निक्षेप बीमा प्रणाली में किसी बैंक के जोखिम के स्तर को गणना में शामिल नहीं करते और इसे अनुचित माना जाता है क्योंकि सभी बैंकों से उनके जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखे बिना समान दर से प्रीमियम लिया जाता है (निक्षेप बीमाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (आईएडीआई), 2011) अंतरीय प्रीमियम प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और प्रीमियम आकलन प्रक्रिया में और अधिक निष्पक्षता लाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई देश आरबीपी को अपना रहे हैं, फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) इस प्रथा को सबसे पहले अपनाने वालों में से एक है (1993)। आईएडीआई द्वारा वर्ष 2020 में किए गए वार्षिक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 60 डीआईएस समान दर प्रीमियम का प्रयोग करते हैं, 41 डीआईएस आरबीपी का प्रयोग कर रहे हैं वहीं 9 डीआईएस दोनों प्रणालियों के संयोजन को उपयोग में ला रहे हैं।

निक्षेप बीमा के मूल्य निर्धारण पर उपलब्ध साहित्यिक सामग्री आरबीपी निर्धारित करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण को चिह्नित करती है नामतः विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल, अपेक्षित हानि आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल, बकेटिंग एप्रोच; और निक्षेप बीमा निधि आकार अनुमान। बैंक जोखिम का आकलन और निक्षेप बीमा प्रीमियम निर्धारित करने के लिए कई देशों में विनियामक कैमल (पूजी, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय और चलनिधि) संकेतकों (आईएडीआई, 2020) के साथ-साथ गुणवत्तात्मक संकेतकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एफडीआईसी के मामले में एक बीमाकृत संस्थान आकलन दर मुख्यतः जोखिम के दो उपायों – पूजी स्तर और पर्यवेक्षी रेटिंग पर आधारित है। पूजी उपाय में संस्थानों को तीन पूजी समूहों में विभाजित किया जाता है: भलीभांति पूजीकृत, पर्याप्त रूप से पूजीकृत और पर्याप्त से कम रूप से पूजीकृत (गारनेट एवं अन्य, 2020)

भारत में, बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी नरसिम्हन समिति (1998) और भारत में निक्षेप बीमा में सुधार संबंधी कपूर समिति (आरबीआई, 1999) सहित कई समितियों ने आरबीपी की सिफारिश की है। डीआईसीजीसी द्वारा गठित क्रेडिट जोखिम मॉडल (2006) समिति और अंतरीय प्रीमियम प्रणाली संबंधी समिति (2015) ने भी आरबीपी की सिफारिश की थी परन्तु इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि यह निक्षेप बीमा कवर को बढ़ाने से संबद्ध था। 04 फरवरी 2020 से निक्षेप बीमा की सीमा को ₹1 लाख की पूर्व सीमा से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। बैंकों के विफल होने की स्थिति में कवर में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2020 से प्रीमियम की दर को भी पूर्व के 10 पैसे से बढ़ाकर प्रति ₹100 जमा पर 12 पैसे कर दिया गया है। समान दर प्रीमियम में निहित नैतिक जोखिम के समाधान के लिए आरबीपी लागू करना एक स्वाभाविक परिणाम है। आरबीपी पर आंतरिक समिति (अध्यक्ष : श्री वी जी वेंकट चलपथि) ने मुख्यतः कैमल मानकों के आधार पर बैंकों के जोखिम का आकलन किया और आरबीपी लागू करने की सिफारिश की। आंतरिक समिति की सिफारिशें उनके कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन हैं।

संदर्भ:

1. गारनेट, ई., हेनरी एल. वी., हूपले, डी एवं महालिक ए (2020), 'एफडीआईसी में जोखिम आधारित प्रीमियम का इतिहास, एफडीआईसी अध्ययन जनवरी
2. आईएडीआई (2011), 'अंतरीय प्रीमियम प्रणाली विकसित करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश', अक्तूबर
3. आईएडीआई (2020), 'निक्षेप बीमा के लिए अंतरीय प्रीमियम प्रणाली का मूल्यांकन', अगस्त

6. निष्कर्ष

VI.118 संक्षेप में कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय प्रणाली में आए व्यवधान से निपटने के लिए मौजूदा नियमों को विस्तार देने के अलावा अतिरिक्त विनियामकीय उपाय भी अपनाए गए हैं। कॉरपोरेट और लघु कारोबार वर्ग के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार एससीबी, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने और नीति के मुनाफे को न्यूनतम करने के लिए एकसमान प्रवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से भी कई उपाय किए

गए हैं। प्रभावी ग्राहक सेवाओं और सक्षम धोखाधड़ी संसूचना के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी उपायों को भी लागू किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा एनबीएफसी में आंतरिक लोकपाल योजना लागू करने, लोकपाल योजनाओं की प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए 'एक राष्ट्र – एक लोकपाल' की अवधारणा की ओर अग्रसर होने और शिकायत निवारण प्रणाली को आगे बढ़ाने हेतु विस्तृत फ्रेमवर्क बनाने के कार्य किए गए। इस प्रकार, कई छोटे और बड़े कदमों से विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित रहा और इससे प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। इस परिस्थिति में बाजार की स्थिति को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों उपाय किए गए। साथ ही, लागत को कम करने, जोखिम के न्यूनीकरण और बाजार के विकास से संबंधित प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाना भी सुनिश्चित किया गया। केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियों में 141.2 प्रतिशत की उछाल के बावजूद, इन उपायों के सहयोग से वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों के जरिये सरकार की उधारियों की भारित औसत लागत 5.79 प्रतिशत रही, जो 17 वर्ष की अवधि में सबसे कम है।

VII.1 रिजर्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू कर्ज का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 इस अध्याय के शेष भाग को तीन खंडों में बांटा गया है। इसके खंड 2 में वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बताया गया है। वर्ष 2021-22 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को खंड 3 में शामिल किया गया है। अध्याय के अंत में सार प्रस्तुत किया गया है।

2. 2020-21 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VII.3 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कैलेण्डर चालित, नीलामी आधारित स्विचेज तथा वापसी-खरीद परिचालनों के साथ-साथ प्रतिभूतियों के पुनः निर्गमन के जरिए ऋण का समेकन, ताकि

भारत सरकार (जीओआई) के प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में चलनिधि बढ़ाई जा सके और नए निर्गम किए जा सकें (पैरा VII.5 - VII.7);

- सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबारी सुगमता-राज्य के कोषागारों को भौतिक रूप में जारी किए गए मुआवजा बॉण्ड की सर्विसिंग को अलग करना (उत्कर्ष) [पैरा VII.8];
- ई-कुबेर में गिल्ट खाते के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को पूरा करना, रिजर्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल में सरकारी प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा ऋण हेतु धारणाधिकार चिह्नंकित करने की व्यवहार्यता की जांच; और सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) / ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा [पैरा VII.9];
- राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) की शुरुआत (उत्कर्ष) [पैरा VII.10];
- बाजार उधारियों को इष्टतम अनुकूल विधि में प्रयोग किए जाने की संभावनाओं का पता लगाना; बेहतर नकदी प्रबंधन हेतु चलनिधि बफर निर्मित करने के तरीके का विकास; और रिजर्व बैंक के डाटा वेयरहाउस में लोक ऋण डाटा (बाजार उधारियों, मूल्यांकनों तथा विशेष प्रतिभूतियों से संबंधित डाटा सहित) का समेकन (पैरा VII.11);

- डाटा की गुणवत्ता तथा सटीकता में सुधार लाने के लिए डाटा रिपोर्टिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना (पैरा VII.12); और
- राज्य सरकारों को नकदी तथा ऋण प्रबंधन के विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन (पैरा VII.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VII.4 वर्ष 2020-21 के दौरान, लागत न्यूनीकरण, जोखिम कम करने और बाजार विकास की ऋण प्रबंधन रणनीति का अनुसरण करते हुए बाजार उधार कार्यक्रम संपन्न किए गए। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न भारी अनिश्चितता तथा घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभावों के बीच, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त सकल बाजार उधारियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जो वर्ष के दौरान 61.3 प्रतिशत बढ़कर ₹ 21,69,140 करोड़ हो गई।

VII.5 रिजर्व बैंक ने पुनःनिर्गमनों के जरिए अपनी निष्क्रिय समेकन नीति तथा वापसी-खरीद/स्विचेज के जरिए सक्रिय समेकन नीति को जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों के 178 निर्गमों में से 162 पुनः निर्गमन (91.0 प्रतिशत) थे, जबकि पिछले वर्ष 194 निर्गमों (95.4 प्रतिशत) में से 185 पुनः निर्गमन थे।

VII.6 अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों को दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों के साथ स्विच करके राजकोषीय समेकन के सक्रिय रूप को सामान्यतः प्रत्येक महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट-निर्धारित स्वीचिंग में से ₹1,53,418 करोड़ की राशि वाले 95.9 प्रतिशत स्वीचिंग का कार्य वर्ष 2020-21 के दौरान पूरा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹1,64,804 करोड़ थी।

VII.7 वर्ष 2020-21 के दौरान, निवेशकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 2 से 40 वर्ष की परिपक्वता काल वाली नई प्रतिभूतियां निर्गमित की गईं। निवेशक आधार को बढ़ाने के प्रयोजन से वर्ष के दौरान अस्थायी दर बॉण्ड (एफआरबी) भी जारी किए गए। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल निर्गमों में एफआरबी का हिस्सा पिछले वर्ष के 8.5 प्रतिशत की तुलना में 6.5¹ प्रतिशत रहा।

VII.8 राज्य के कोषागारों को मुआवजा बॉण्ड (सीबी) की सर्विसिंग को अलग करने के लिए समीक्षा की गई है।

VII.9 सरकारी प्रतिभूतियों के निक्षेपागारों में अंतरपरिचालनीयता की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों के क्रम में, रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया था कि ग्राहकों की सहायक खाता बही (सीएसजीएस) में ग्राहकों के ब्योरे शामिल करने के लिए रिजर्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूति रजिस्ट्री (पीडीओ-एनडीएस प्रणाली) को संशोधित करेगा। तदनुसार, घटकों (सीएसजीएस धारकों के साथ प्रतिभूति खाते बनाए रखने वाली संस्थाएं) की सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता से संबंधित विवरण को दर्ज करने, घटकों के खातों में सीधे सरकारी प्रतिभूतियों की लेनदेन के निपटान और ई-कुबेर में घटकों के खातों के लिए लियन-चिह्नित करने की भी सुविधा देने के लिए ई-कुबेर प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है।

VII.10 एसडीएल में स्ट्रिप्स/पुनर्गठन सुविधा प्रदान करने के लिए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 7 अगस्त 2019 के रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) को एसडीएल में स्ट्रिप्स के कार्यान्वयन हेतु एसडीएल के लिए शून्य कूपन प्रतिफल कर्व के निर्माण हेतु पद्धति तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है।

VII.11 बाजार उधारियों के अनुकूलन और बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए चलनिधि बफर निर्मित करने के तरीके के विकास का अध्ययन पूरा हो चुका है। रिजर्व बैंक की पुनर्निर्मित डाटा

¹ स्विच नीलामियों के माध्यम से किए गए ₹19,953.68 करोड़ के एफआरबी निर्गमन शामिल नहीं है।

वेयरहाउस परियोजना के अंतर्गत लोक ऋण डाटा के समेकन का कार्य अभी चल रहा है।

VII.12 सार्वजनिक डाटा से संबंधित रिपोर्टों को स्रोत डाटा से जोड़ा जा रहा है, और विभिन्न रिपोर्टों में डाटा असंगतता, यदि कोई हो, को ठीक किया जा रहा है।

VII.13 राज्य सरकारों को नकदी और ऋण प्रबंधन के विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए पांच राज्यों, अर्थात् छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अन्य पहल

VII.14 सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 फरवरी 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के संबंध में रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, खुदरा निवेशकों को अपने गिल्ट प्रतिभूति खाते सीधे रिजर्व बैंक ('रिटेल डायरेक्ट') में खोलने की सुविधा तथा अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने की योजना है। प्रयोक्ता-अनुकूल ऑनलाइन 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल में गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के साथ-साथ एनडीएस-ओएम से संबंधित द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक नीलामी में भागीदारी की सुविधाएं होंगी। आशा है कि इस पहल से बाजार तक आसान पहुंच में सुधार के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में अधिक से अधिक खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.15 वर्ष 2020-21 के दौरान, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिये सकल बाजार उधार² पिछले वर्ष की तुलना में 93.0 प्रतिशत अधिक हुई। प्रारंभ में, भारत सरकार की सुनियोजित बाजार उधार में ₹4.20 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे आगे वर्ष में दो बार बढ़ाया गया, अर्थात्, पहला, माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर में आई कमी के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गए विशेष विंडो के अंतर्गत ₹1.10 लाख

करोड़ और दूसरा, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट की घोषणा के दौरान ₹80,000 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधारियों में 141.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधारियों ने पिछले वर्ष के 50.8 प्रतिशत के मुकाबले केंद्र सरकार के बजट-निर्धारित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के 61.8 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। वर्ष 2020-21 में दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों(टी-बिल), दोनों को मिलाकर, के जरिए निवल बाजार उधारियों में भी वृद्धि हुई (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.16 बॉण्ड बाजार में अस्थिरता के बावजूद, वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों का भारत औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में पिछले वर्ष के भारत औसत प्रतिफल की तुलना में 106 आधार अंक (बीपीएस) की गिरावट आई। संपूर्ण बकाया कर्ज स्टॉक पर भारत औसत कूपन भी 44 बीपीएस कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यह वर्ष 2004-05 से अभी तक के निम्नतम स्तर पर चला गया। पिछले वर्ष में 16.15 वर्षों की तुलना में प्राथमिक निर्गमों (स्विच नीलामी के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) की भारत औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) 14.49 वर्ष थी। वर्ष 2020-21 में स्विच नीलामियों में लंबी अवधि की

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
निवल उधारियां (i से iv)	4,98,891	4,58,337	5,11,500	13,75,654
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां@	4,48,410	4,22,737	4,73,972	11,43,114
(ii) 91-दिवसीय-खजाना बिल	31,886	-46,542	-9,600	10,713
(iii) 182-दिवसीय-खजाना बिल	1,436	32,931	38,354	-18,743
(iv) 364-दिवसीय-खजाना बिल	17,159	49,211	8,774	2,40,570

@: वापसी-खरीद एवं स्विचेज समायोजित किए बगैर। वापसी-खरीद एवं स्विचेज को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19 और 2017-18 में निवल उधारियां क्रमशः ₹11,46,739 करोड़, ₹4,73,990 करोड़, ₹4,23,269 करोड़ और ₹4,10,260 करोड़ थीं।

स्रोत: भारिबैं।

² जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया ₹1.1 लाख करोड़ शामिल है।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक प्रोफाइल*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्ष में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में अधिकतम प्रतिफल का दायरा^			वर्ष के दौरान निर्गत^			बकाया स्टॉक#	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की दायरा @	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.50	6-30	14.66	10.23	8.08
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.88	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.15	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27

-: लागू नहीं।

@: निर्गमों की अवशिष्ट परिपक्वता तथा आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर।

^: स्विच नीलामी को छोड़कर।

#: स्विच नीलामी सहित।


स्रोत: भारिबैं।

प्रतिभूति के निर्गमों के कारण प्राथमिक रूप से बकाया कर्ज की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएम) 10.72 वर्ष से बढ़कर 11.31 वर्ष हो गई (सारणी VII.2)।

VII.17 प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के संदर्भ में वर्ष 2019-20 की ₹3,606 करोड़ के दो आंशिक न्यागमन के मामलों की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹1,30,562 करोड़ के 15 मामले दर्ज हुए। बाजार की तत्कालीन प्रबल स्थितियों के कारण ₹39,000 करोड़ की कुल अधिसूचित राशि वाले चार मामलों में कोई बोली स्वीकार नहीं की गई।

VII.18 कोविड-19 महामारी से प्रेरित दबाव से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक और चलनिधि उपायों के कारण 10 वर्षीय प्रतिफल में 37 बीपीएस की नरमी के साथ वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में गिरावट आई। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में की गई 40 बीपीएस की कटौती और महामारी को ध्यान में रखते हुए किए गए विभिन्न चलनिधि संवर्धन उपायों के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में प्रतिफलों में तेजी से गिरावट आई। यूएस के राजकोषीय प्रतिफलों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी प्रतिफल की सहजता को सहारा प्रदान दिया। पहली तिमाही में 10 वर्षीय प्रतिफल 81 बीपीएस नरम हुए। वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में, मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और जून एवं जुलाई के

लिए उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़ों के कारण सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफलों में सख्ती आई। अगस्त के अंत में रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कुछ नीतिगत उपायों, अर्थात् बैंकों के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा में वृद्धि, मीयादी रिपो परिचालन और विशेष ओएमओ, ने प्रतिफलों के सहज होने में सहायता प्रदान की। दूसरी तिमाही में 10 वर्षीय प्रतिफल 14 बीपीएस बढ़े। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 10 वर्षीय प्रतिफल नरम हुए और ये कुछ नीतिगत उपायों, जैसे ऑन-टैप टीएलटीआरओ की शुरुआत, बैंकों के लिए बढ़ाई हुई एचटीएम सीमा में विस्तारित छूट, ओएमओ और निभावकारी मौद्रिक नीति वाले रुख को जारी रखने संबंधी एमपीसी के भावी मार्गदर्शन, के कारण 15 बीपीएस तक सहज हुए। वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान, केंद्रीय बजट में अपेक्षा से अधिक सरकारी उधारियों की घोषणा और यूएस राजकोषीय प्रतिफलों में तेज वृद्धि का अनुसरण करने और कच्चे तेल की उच्चतर कीमतों, के बाद प्रतिफलों में उछाल आई। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों की अंतिम नीलामी को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2021 के अंत में प्रतिफलों में कुछ सहजता आई। चौथी तिमाही में, 10 वर्षीय प्रतिफल 45 बीपीएस बढ़े और वर्ष की समाप्ति 6.34 प्रतिशत पर हुई (चार्ट VII.1)।



VII.19 वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष के 54.2 प्रतिशत की तुलना में बाजार उधारियों का लगभग 49.0 प्रतिशत 10 वर्षीय और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिये जुटाई गई थी। इसके अलावा, 30-वर्ष और 40-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों को बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों (सारणी VII.3) जैसी दीर्घावधि निवेशकों की मांग की पूर्ति के उद्देश्य से निर्गमित/पुनर्निर्गमित किया गया था।

खजाना बिल

VII.20 केंद्र सरकार की अल्पावधि नकदी अपेक्षाओं को खजाना बिलों के निर्गमन के जरिये पूरा किया जाता है। खजाना बिलों (91, 182 और 364 दिन) के जरिये सरकार की निवल अल्पावधि बाजार उधारियां पिछले वर्ष के ₹37,528 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2,32,540 करोड़ हो गईं।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.21 वाणिज्यिक बैंक वर्ष 2021 के मार्च-अंत में 37.3 प्रतिशत हिस्से के साथ सरकारी प्रतिभूतियों (खजाना बिलों और एसडीएल सहित) के सबसे बड़े धारक बने रहे। इनके बाद बीमा कंपनियों (25.7 प्रतिशत), रिजर्व बैंक (10.4 प्रतिशत) और भविष्य निधि (9.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत थी। सरकारी प्रतिभूतियों के अन्य धारकों (टी-बिल और एसडीएल सहित) में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान (एफआई) और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक व्यापारी

VII.22 मार्च 2021 के अंत में [14 बैंक-पीडी और 7 एकल पीडी (एसपीडी)] प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की संख्या 21 रही। प्राथमिक व्यापारियों के मामले में अधिदेश है कि वे खजाना बिलों (टी-बिल)/नकद प्रबंधन बिलों (सीबीएम) की प्राथमिक नीलामियों

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन – परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2018-19		2019-20		2020-21	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	1,08,899	19.1	1,46,000	20.6	3,91,990	28.6
5 -9.99 वर्ष	1,57,000	27.5	1,79,000	25.2	3,07,405	22.4
10-14.99 वर्ष	98,000	17.2	1,37,000	19.3	3,76,766	27.5
15 -19.99 वर्ष	71,101	12.5	15,000	2.1	-	-
20 वर्ष और अधिक	1,36,000	23.8	2,33,000	32.8	2,94,162	21.5
कुल	5,71,000	100.0	7,10,000	100.0	13,70,324	100.0

---: शून्य।

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकित किए जाने के कारण कॉलमों में दी गई संख्याओं के योग कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत: भारिबैं।


के संबंध में बोली प्रतिबद्धता/सफलता अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करें। प्राथमिक व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से खजाना बिलों की प्राथमिक नीलामियों में निर्धारित 40 प्रतिशत के न्यूनतम औसत सफलता अनुपात को हासिल किया। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2020) और वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2020-मार्च 2021) में इनका औसत सफलता अनुपात क्रमशः 57.10 प्रतिशत और 60.13 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान खजाना बिलों/सीएमबी की नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा 68.89 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 71.67 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी के लिए ₹ 454.64 करोड़ का कमीशन, जीएसटी को छोड़कर, अदा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 41.04 करोड़ था।

सरकारी स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना

VII.23 रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2020-21 के दौरान सरकारी स्वर्ण बॉण्ड के 12 ट्रेंच जारी किए, जो कुल ₹ 16,049 करोड़ (32.35 टन) राशि के हैं। नवंबर 2015 में इस योजना की शुरुआत से लेकर अभी तक कुल ₹ 25,702 करोड़ (63.32 टन) राशि जुटाई गई है।

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

VII.24 केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 की शुरुआत ₹55,573 करोड़ की नकदी शेष के साथ की। वित्त वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा ₹1,25,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। समष्टि-आर्थिक स्थितियों के उभरने की स्थिति में और कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण पैदा हुई दबावग्रस्त परिस्थिति पर काबू पाने के लिए, भारत सरकार से परामर्श करके रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष की पहली छमाही के शेष भाग के लिए डब्ल्यूएमए सीमा बढ़ाकर ₹2,00,000 करोड़ कर दिया। इसके अलावा, दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹1,25,000 निर्धारित की गई। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के 189 दिनों की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 63 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा का सहारा लिया



और इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष के 52 दिनों की तुलना में 9 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) की स्थिति में चला गया। केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी से ली गई सहायता की अधिकतम राशि 3 मई 2020 को ₹2,24,078 करोड़ थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान नकदी प्रवाहों में अल्पावधि असंतुलों को दूर करने के लिए 84 दिन की परिपक्वता काल वाले ₹80,000 करोड़ के सीएमबी जारी किए। कोविड-19 महामारी वाली स्थिति के बावजूद, केंद्र सरकार का नकदी शेष पूरे वर्ष में सुविधाजनक रहा (चार्ट VII.2)।

विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के अंतर्गत निवेश

VII.25 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के अंतर्गत, विभाग द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थाओं की तरफ से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इन संस्थाओं की तरफ से वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुल लेनदेनों की मात्रा पिछले वर्ष के ₹4,500 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹3,120 करोड़ (अंकित मूल्य) रही।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.26 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को

छोड़कर) से राज्यों को अलग रखने संबंधी 14वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिश के बाद, राज्यों की बाजार उधारियों में विगत कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। परिणामस्वरूप, राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के वित्तपोषण में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 (आरई) के 74.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 (बीई) में 89.5 प्रतिशत हो गई।

VII.27 कोविड-19 प्रेरित समष्टि-आर्थिक स्थितियों के कारण राज्यों की सकल तथा निवल बाजार उधारियां पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहीं। राज्यों की सकल बाजार उधारियां, राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारियों के लिए सांकेतिक तिमाही कैलेंडर में इंगित की गई राशि का 97.5 प्रतिशत रहीं। वर्ष 2020-21 में 742 निर्गम थे, जिनमें से 56 पुनर्निर्गमित (वर्ष 2019-20 में 636 निर्गम, जिनमें से 114 पुनर्निर्गमित किए गए थे) किए गए थे [सारणी VII.4]

VII.28 वर्ष 2020-21 के दौरान एसडीएल निर्गमों का भारित औसत कट-ऑफ प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 7.24 प्रतिशत की तुलना में 6.55 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर रहा। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में एसडीएल निर्गमों का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएएस) पिछले वर्ष के 55.02 आधार अंकों के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 52.72 आधार अंक रहा। वर्ष 2020-21 में, इक्कीस राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1.5 से 35 वर्ष तक के दायरे वाली परिपक्वता काल की दिनांकित प्रतिभूतियां निर्गत की गईं। आठ राज्यों ने नीलामियों में से, 10 वर्षीय को छोड़कर, एक अथवा अधिक में सभी बोलियों को

अस्वीकृत कर दिया। निष्क्रिय समेकन की नीति को अपनाते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान चार राज्यों (नामत: महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पंजाब और मध्य प्रदेश) द्वारा पुनर्निर्गमन किए गए। 10 वर्षीय नए निर्गमों पर औसत अंतर-राज्य प्रतिफल स्प्रेड पिछले वर्ष के 6 बीपीएस की तुलना में वर्ष 2020-21 में 10 बीपीएस रहा।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.29 राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए योजना पर गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) की अनुशंसाओं के अनुसरण में वर्ष 2020-21 में होनेवाली अगली समीक्षा तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹ 32,225 करोड़ निर्धारित की गई। कोविड-19 पर काबू पाने और इसे कम करने के प्रयास में राज्य सरकारों को अधिक सहूलियत प्रदान करने के लिए, तथा राज्यों को अपनी बाजार उधारियों से संबंधित योजना बनाने में सक्षम, अंतरिम उपाय के रूप में, बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से आगे और 60 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी। यह अंतरिम उपाय 31 मार्च 2021 तक वैध रहा। राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2021 में प्रस्तुत कर दी है। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर रिजर्व बैंक 30 सितंबर 2021 तक डब्ल्यूएमए की अंतरिम सीमा (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹ 51,560 करोड़) को बनाए रखने का निर्णय लिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लगातार ओडी में रह सकने वाले दिनों की अनुमत संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य

सारणी VII.4: एसडीएल के जरिए राज्यों की बाजार उधारियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	78,819	1,29,680	1,47,067	1,47,039
अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत सकल स्वीकृति	4,82,475	5,50,071	7,12,744	9,69,525
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	4,19,100	4,78,323	6,34,521	7,98,816
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	3,40,281	3,48,643	4,87,454	6,51,777
कुल स्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	86.9	87.0	89.0	82.4
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में)#	24,29,892	27,78,536	32,65,989	39,25,555

#: उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) एवं अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।
स्रोत: भारिबैं।

दिवस करके, और एक तिमाही में इसे 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस करके, नकदी प्रवाह असंतुलनों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना में रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की गई। यह 07 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहा। अठारह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया, जबकि पंद्रह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2020-21 में ओडी का लाभ उठाया।

VII.30 हाल के वर्षों में, राज्य मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) के रूप में काफी अधिक नकदी अधिशेष जमा करते रहे हैं। तथापि, ये 520 बीपीएस का ऋणात्मक रखाव लागत भारित करते हैं, जो 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों की औसत उधार लागत (6.55 प्रतिशत) और आईटीबी पर औसत प्रतिलाभ दर (1.35 प्रतिशत) के बीच का अंतर है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आईटीबी और नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्यों के बकाया निवेशों में वृद्धि हुई (सारणी VII.5)।
समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.31 रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)। अभी तक, चौबीस राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र, यथा पुद्दुचेरी ने सीएसएफ की स्थापना की है। वर्तमान में, अठारह राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। राज्यों को सीएसएफ और जीआरएफ में उनके वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले रिज़र्व बैंक से रियायती

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आईटीबी तथा एटीबी में निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,56,050	1,50,871	1,22,084	1,54,757	2,05,230
एटीबी	36,603	62,108	73,927	33,504	41,293
कुल	1,92,653	2,12,979	1,96,011	1,88,261	2,46,523

स्रोत: भारिबैं।

दर पर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाने की अनुमति है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹1,27,208 करोड़ और ₹8,405 करोड़ था, जबकि मार्च 2020 के अंत में यह क्रमशः ₹1,30,431 करोड़ और ₹7,486 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसएफ/जीआरएफ में कुल निवेश और विनिवेश क्रमशः ₹17,900 करोड़ और ₹18,264 करोड़ था। राज्यों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं की समीक्षा चल रही है।

3. वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

VII.32 वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में, वर्ष 2020-21 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधारियों को संशोधित करते हुए ₹7,80,000 करोड़ (बीई) से बढ़ाकर ₹12,80,000 करोड़ (आरई) किया गया। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक सकल उधारियां ₹12,60,324 करोड़ रहीं। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जीएसटी मुआवजा सेस में आई कमी के लिए विशेष विंडो के अंतर्गत लिए गए ₹1.10 लाख करोड़ के उधार के अतिरिक्त है। वर्ष 2021-22 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधारियों का ₹12,05,500 करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 के ₹13,70,324 से लगभग 12.0 प्रतिशत कम है। निवल बाजार उधारियां (अल्पावधि कर्ज और डाक घर जीवन बीमा फंड की चुकौती सहित) के लिए ₹9,67,708 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2021-22 में जीएफडी के 64.2 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण करेगा।

VII.33 वर्ष 2021-22 के दौरान, ऋण प्रबंधन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मील के पत्थर वाली रणनीति के साथ बाजार उधार कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रस्ताव है:

- सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि को बढ़ाने और नए निर्गमों की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम सहित कैलेण्डर चालित, नीलामी आधारित स्विच परिचालनों के जरिये कर्ज का समेकन;

- बाजार निर्मित करने में पीडी की भूमिका को बढ़ाकर सरकारी प्रतिभूति बाजार में समग्र रूप से चलनिधि में सुधार (उत्कर्ष);
- सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच की सुलभता में सुधार द्वारा बड़े स्तर पर खुदरा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खुदरा निवेशकों को 'रिटेल डायरेक्ट' योजना के अंतर्गत सीधे रिजर्व बैंक में गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की अनुमति;
- सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए मौजूदा बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए गिल्ट स्तर के डाटा को दर्ज करने के लिए ई-कुबेर में एक मॉड्यूल का विकास करना और इसके अलावा बाजार की प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करने के लिए सीधे गिल्ट खाते के स्तर पर प्राथमिक और द्वितीयक बाजार निपटान को सक्षम बनाना;
- गिल्ट मॉड्यूल विकास और गिल्ट लेखा निपटान के लिए एसजीएल / सीजीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा।
- मूल्य रहित अंतरण दिशानिर्देशों की समीक्षा;
- ऑनलाइन अभिदान का लेखा रखने के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को शामिल करने के लिए भारत सरकार के बचत बॉण्ड पर परिचालनगत दिशानिर्देशों की समीक्षा;
- लोक ऋण से संबंधित डाटा और समेकन डाटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखना;
- खुली बाजार उधारियों (ओएमबी) के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहमति की

स्वचालित निगरानी – बेहतर नियंत्रण, निगरानी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन सहमतियों को दर्ज करने के लिए ई-कुबेर में केंद्रीकृत प्रणाली का विकास;

- स्ट्रिप्स का कार्यान्वयन / एसडीएल में पुनर्निर्माण सुविधा (उत्कर्ष);
- राज्यों के कोषागारों को भौतिक रूप में जारी मुआवजा बॉण्ड की सर्विसिंग को अलग करना (उत्कर्ष);
- एफसीबी से सुरक्षित निवेश और विनिवेश संबंधी अनुदेशों को सुचारु बनाने के उद्देश्य से एफसीबी के साथ लेनदेनों के लिए विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का परिचालन करना (उत्कर्ष); और
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेक-सम्मत प्रथाओं के विषय में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन।

4. निष्कर्ष

VII.34 समग्र रूप से वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्र और राज्यों की संयुक्त सकल बाजार उधारियां ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न की गईं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र और राज्यों दोनों के वित्त पर पड़े दबाव के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपायों की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के लिए, रिजर्व बैंक सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने और सरकारी कर्ज के समेकन के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा।

वर्ष के दौरान मुद्रा प्रबंध का जोर स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त मात्रा संचलन में उपलब्ध कराने पर रहा। इस वर्ष संचलनगत बैंकनोटों में औसत से अधिक वृद्धि देखी गई, जो मुख्यतः कोविड-19 महामारी और इसके लंबे समय तक बने रहने के कारण जनता द्वारा सावधानीवश नकदी जमा करने के कारण हुई। रिजर्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध की आधार संरचना के उन्नयन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

VIII.1 रिजर्व बैंक का मुद्रा प्रबंध कार्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्यवर्गों के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अनुसार चलता है। वर्ष के दौरान जब कोविड-19 महामारी के आरंभ के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में नकदी की एहतियाती मांग में वृद्धि हुई, रिजर्व बैंक ने बैंकनोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रयास किया। यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास किए गए कि करेंसी चेस्टों (सीसी) में बैंकनोटों के सभी मूल्यवर्गों का पर्याप्त भंडार रहे, ताकि देश भर में नए नोटों की समय पर आपूर्ति बनाई रखी जा सके।

VIII.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के शेष अंश को पांच भागों में व्यवस्थित किया गया है। इसके अगले भाग में वर्ष के दौरान संचलनगत मुद्रा में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। भाग 3 में 2020-21 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को कवर किया गया है और भाग 4 में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो रिजर्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है, के कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भाग 5 में 2021-22 की कार्ययोजना बताई गई है, जबकि अंतिम भाग में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम

VIII.3 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट और सिक्के आते हैं। वर्तमान में, रिजर्व बैंक ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100,

₹200, ₹500 और ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के सिक्के शामिल हैं।

बैंकनोट

VIII.4 वर्ष 2020-21 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2019-20 के दौरान क्रमशः 14.7 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। मूल्यवर्ग के संदर्भ में, कुल संचलनगत बैंकनोटों में ₹500 और ₹2000 के बैंकनोटों का प्रतिशत, 31 मार्च 2020 के 83.4 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 85.7 प्रतिशत रहा। मात्रा के संदर्भ में, ₹500 के मूल्यवर्ग का भाग सबसे अधिक रहा, जो 31 मार्च 2021 के अनुसार कुल संचलनगत बैंकनोटों का 31.1 प्रतिशत रहा और इसके बाद ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट रहे, जिनका प्रतिशत 23.6 था (सारणी VIII.1)। बैंकनोटों की कुल मात्रा में ₹500 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के हिस्से में जहाँ बढ़त का रुख रहा तथा 31 मार्च 2019 के 19.8 प्रतिशत से 31 मार्च 2020 को 25.4 प्रतिशत और 31 मार्च 2021 को 31.1 प्रतिशत हो गया, वहीं कुल मात्रा में ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के प्रतिशत में 31 मार्च 2019 को 28.7 प्रतिशत से 31 मार्च 2020 को 26.2 प्रतिशत और 31 मार्च 2021 को 23.6 प्रतिशत के साथ कमी का रुख देखा गया।

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट (मार्च -अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,13,025 (10.4)	1,12,203 (9.7)	1,11,728 (9.0)	4,372 (0.2)	4,331 (0.2)	4,307 (0.2)
10	3,12,598 (28.7)	3,04,022 (26.2)	2,93,681 (23.6)	31,260 (1.5)	30,402 (1.3)	29,368 (1.0)
20	87,127 (8.0)	82,994 (7.2)	90,579 (7.3)	17,425 (0.8)	16,599 (0.7)	18,116 (0.6)
50	86,015 (7.9)	86,009 (7.4)	87,524 (7.0)	43,007 (2.0)	43,004 (1.8)	43,762 (1.5)
100	2,00,738 (18.5)	1,99,021 (17.2)	1,90,555 (15.3)	2,00,738 (9.5)	1,99,021 (8.2)	1,90,555 (6.7)
200	40,005 (3.7)	53,646 (4.6)	58,304 (4.7)	80,010 (3.8)	1,07,293 (4.4)	1,16,608 (4.1)
500	2,15,176 (19.8)	2,94,475 (25.4)	3,86,790 (31.1)	10,75,881 (51.0)	14,72,373 (60.8)	19,33,951 (68.4)
2,000	32,910 (3.0)	27,398 (2.4)	24,510 (2.0)	6,58,199 (31.2)	5,47,952 (22.6)	4,90,195 (17.3)
कुल	10,87,594	11,59,768	12,43,671	21,10,892	24,20,975	28,26,863

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं। संभव है कि पूर्णांकन के कारण उनका कुल जोड़ 100 न हो।

2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

सिक्के

VIII.5 वर्ष 2020-21 में संचलनगत सिक्कों का कुल मूल्य 2.1 प्रतिशत बढ़ा जबकि कुल मात्रा केवल 1.0 प्रतिशत बढ़ी। 31

मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिलकर संचलनगत सिक्कों की कुल मात्रा का 83.8 प्रतिशत रहे, जबकि मूल्य के अनुसार इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 77.6 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च -अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880 (12.3)	1,47,880 (12.1)	1,47,880 (12.0)	700 (2.7)	700 (2.7)	700 (2.6)
1	5,03,260 (41.8)	5,08,878 (41.8)	5,12,597 (41.7)	5,033 (19.5)	5,089 (19.3)	5,126 (19.1)
2	3,31,540 (27.6)	3,35,158 (27.5)	3,37,863 (27.5)	6,631 (25.6)	6,703 (25.5)	6,757 (25.1)
5	1,71,510 (14.2)	1,75,992 (14.4)	1,79,360 (14.6)	8,575 (33.2)	8,800 (33.5)	8,968 (33.4)
10	49,050 (4.1)	50,130 (4.1)	51,391 (4.2)	4,905 (19.0)	5,013 (19.1)	5,139 (19.1)
20	-	-	896 (0.1)	-	-	179 (0.7)
कुल	12,03,240	12,18,038	12,29,988	25,844	26,305	26,870

-: लागू नहीं

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं। संभव है कि पूर्णांकन के कारण उनका कुल जोड़ 100 न हो।

2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना

VIII.6 मुद्रा (बैंकनोट व सिक्के दोनों) के निर्गमन और इसके प्रबंधन का कार्य रिज़र्व बैंक देश में भर में फैले अपने निर्गम कार्यालयों, करेंसी चेस्टों और और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, करेंसी चेस्ट नेटवर्क में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा (55.0 प्रतिशत) रहा (सारणी VIII.3)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.7 वर्ष 2020-21 के लिए बैंकनोटों की मांग एक वर्ष पहले की तुलना में 9.7 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2020-21 में बैंकनोटों की आपूर्ति में भी पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 प्रतिशत की मामूली कमी रही (सारणी VIII.4)।

VIII.8 वर्ष 2020-21 में सिक्कों की मांग और आपूर्ति अपने पिछले वर्ष के स्तरों से क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत कम रही (सारणी VIII.5)।

सारणी VIII.3: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों का डिपो
(मार्च 2021 की समाप्ति पर)

वर्ग	करेंसी चेस्ट की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,679	1,432
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,151	886
निजी क्षेत्र के बैंक	210	173
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	4
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	3,054	2,504

स्रोत: आरबीआई

गंदे नोटों का निपटान

VIII.9 गंदे नोटों के निपटान पर शुरु में कोविड-19 महामारी का प्रभाव पड़ा, जिसे वर्ष 2020-21 के उत्तरार्ध में तेज किया गया। प्रयासों के बावजूद, पूरे वर्ष भर में गंदे नोटों के निपटान में पिछले

सारणी VIII.4: बैंकनोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2018-19		2019-20		2020-21	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	60	-	-
10	39,200	42,892	14,700	14,702	2,840	2,846
20	460	2,096	12,500	13,390	48,750	38,520
50	42,330	40,401	24,000	23,431	14,000	13,887
100	63,300	64,075	33,000	32,708	40,000	37,270
200	26,150	27,301	20,500	19,588	15,000	15,106
500	1,16,920	1,14,679	1,46,300	1,19,996	1,06,000	1,15,672
2,000	470	467	-	-	-	-
कुल	2,88,830	2,91,911	2,51,000	2,23,875	2,26,590	2,23,301

-: लागू नहीं

एसपीएमसीआईएल: भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग और टकसालों (मिंट) द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग	2018-19		2019-20		2020-21	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	20,000	25,550	1,000	1,093	1,000	1,000
2	10,000	12,860	8,000	7,993	9,500	6,718
5	11,320	6,779	10,000	9,984	11,000	10,995
10	20,000	16,132	12,000	11,565	5,500	5,852
20	-	-	3,000	458	3,000	5,061
कुल	61,320	61,321	34,000	31,093	30,000	29,626

-: लागू नहीं

स्रोत: आरबीआई

वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत की गिरावट देखी गई (सारणी VIII.6)।

जाली बैंकनोट

VIII.10 वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 3.9 प्रतिशत रिज़र्व बैंक में और 96.1 प्रतिशत अन्य बैंकों द्वारा पकड़े गए (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.6: गंदे नोटों का निपटान (अप्रैल-मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4
2000	6	1,768	4,548
1000	22	0	0
500	154	1,645	5,909
200	1	318	1,186
100	37,945	44,793	42,433
50	8,352	19,070	12,738
20	11,626	21,948	10,325
10	65,239	55,744	21,999
5 तक	591	1,244	564
कुल	1,23,935	1,46,530	99,702

नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई

सारणी VIII.7: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में पकड़े गए	कुल
1	2	3	4
2018-19	17,781 (5.6)	2,99,603 (94.4)	3,17,384 (100.0)
2019-20	13,530 (4.6)	2,83,165 (95.4)	2,96,695 (100.0)
2020-21	8,107 (3.9)	2,00,518 (96.1)	2,08,625 (100.0)

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. डेटा में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई

VIII.11 गत वर्ष की तुलना में, पकड़े गए जाली नोटों में ₹500 [महात्मा गाँधी (नई) शृंखला] के मूल्य वर्ग में 31.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि अन्य मूल्यवर्गों में पकड़े गए जाली नोटों में कमी आई (सारणी VIII.8)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.12 गत वर्ष के ₹4,377.8 करोड़ (जुलाई 2019 से जून 2020) की तुलना में 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय ₹4,012.1 करोड़ था।

**सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट
मूल्यवर्ग के अनुसार (अप्रैल -मार्च)**

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4
2 और 5	-	22	9
10	345	844	304
20	818	510	267
50	36,875	47,454	24,802
100	2,21,218	1,68,739	1,10,736
200	12,728	31,969	24,245
500 (महात्मा गांधी शृंखला)	971	11	9
500 [महात्मा गांधी (नई) शृंखला]	21,865	30,054	39,453
1,000	717	72	2
2,000	21,847	17,020	8,798
कुल	3,17,384	2,96,695	2,08,625
-: शून्य			
स्रोत: आरबीआई।			

3. वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VIII.13 गत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बैंकनोट संचालन (हैंडलिंग) प्रक्रिया का स्वचालन (उत्कर्ष)[पैरा VIII.14]
 - o आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना व प्रक्रियाओं का उन्नयन
- बैंकनोटों के लिए माइक्रोसाइट (पैरा VIII.15)
 - o एक माइक्रोसाइट डिजाइन और विकसित करने की प्रक्रिया जारी रखना जिस पर बैंकनोटों की विशेषताओं पर मूलभूत जानकारी तथा मुद्रा प्रबंध संबंधी जानकारी रहे – सरल व कुशल नेवीगेशन युक्त विभिन्न मल्टीमीडिया के जरिये बैंकनोटों पर जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ;

- o समझाने वाले वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से बैंकनोटों की डिजाइन व सुरक्षा विशेषताओं का 360-डिग्री दृश्य (व्यू) प्रस्तुत करना;
- o बैंकनोट बदलने (एक्सचेंज)/नोट रिफंड नियमावली पर सूचनाप्रद सामग्री: और
- o संवादात्मक (इंटरैक्टिव) गेम और पोस्टर।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

बैंकनोट संचालन (हैंडलिंग) प्रक्रिया का स्वचालन

VIII.14 मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना व प्रक्रियाओं के उन्नयन के लिए रिजर्व बैंक एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है ताकि प्रायोगिक (पायलट) आधार पर ग्रीन फील्ड व्यवस्था में बैंकनोट संचालन की प्रक्रिया के स्वचालन और आधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिए तकनीकी सहयोग लिया जा सके। इससे बैंकनोटों की प्राप्ति, भंडारण, प्रसंस्करण और नष्ट करने के स्वचालित होने; बड़े पैमाने से होने वाली किफायत (इकोनॉमी ऑफ स्केल) को बढ़ावा; मुद्रा प्रबंध कार्य में और दक्षता आने और रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्य पूरे किए जाने की अपेक्षा है (बॉक्स VIII.1)।

बैंकनोटों के लिए माइक्रोसाइट

VIII.15 माइक्रोसाइट, जिसमें बैंकनोटों की विशेषताओं पर मूलभूत जानकारी तथा मुद्रा प्रबंध संबंधी जानकारी होस्ट की जाएगी, का विकास कार्य प्रगति पर है। यह माइक्रोसाइट जनता को एक मंच देगी, जिसपर सरल और प्रभावी नेवीगेशन के साथ बैंकनोटों से संबंधित जानकारी जैसे कि 360-डिग्री दृश्य द्वारा बैंकनोटों की डिजाइन व सुरक्षा विशेषताओं की सूचना, विभिन्न मल्टीमीडिया (वीडियो और एनीमेशन) और इंटरएक्टिव खेलों द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद

VIII.16 रिजर्व बैंक बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रियता से लगा हुआ है।

बॉक्स VIII.1

बैंकनोट संचालन प्रक्रिया का स्वचालन

मुद्रा के निर्गम और प्रबंध को रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और सही नोट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के साथ एक एजेंसी करार के तहत अनुसूचित बैंकों द्वारा परिचालित लगभग 3,054 करेंसी चेस्ट (सीसी) के जरिये अच्छी गुणवत्ता वाले असली नोटों के निर्गम और वितरण तथा कटे-फटे/ गंदे नोटों की रिट्रीवल का प्रबंधन करता है।

डिजिटल भुगतान में बढ़त के साथ-साथ संचलनगत बैंकनोट भी बढ़ रहे हैं। पिछले दशक में संचलनगत बैंकनोटों की मात्रा दोगुनी हो गई है, तथा नोटों की संख्या 2009-10 के 5,654.9 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 11,597.7 करोड़ और 31 मार्च 2021 को 12,436.7 करोड़ हो गई। साथ ही, संचलनगत बैंकनोटों में वृद्धि से गंदे नोटों के प्रसंस्करण में संगत वृद्धि भी संभावित है।

इससे नकदी प्रबंधन की वर्तमान प्रक्रिया पर फिर से नज़र डालने की जरूरत पड़ी है और आधुनिक तकनीक अपनाकर बैंकनोट संचालन को स्वचालित करने की आवश्यकता महसूस हुई है, जो अग्रणी वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। वैश्विक स्तर पर कई केंद्रीय बैंकों/ मौद्रिक प्राधिकारियों ने अपनी मुद्रा प्रबंध प्रक्रियाओं के लिए सक्रिय रूप से उपयुक्त पुनः-यांत्रिकी अपनाई है और बैंकनोट संचालन के स्वचालन के लिए अलग इकाइयां बनाई हैं। तब से इन देशों ने बैंकनोटों के स्वचालित संचालन और प्रसंस्करण से होने वाले आर्थिक लाभ कमाए हैं, जिसके कारण परिचालन में दक्षता, प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा की

सुनिश्चितता और सुरक्षा में बेहतरी आई है। ऐसे देशों में से कुछ हैं फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, जापान, यूएसए आदि।

भारत में रिजर्व बैंक ने बैंकनोट संचालन प्रक्रिया के स्वचालन की शुरुआत एक ग्रीन फील्ड इकाई में प्रायोगिक (पायलट) प्रोजेक्ट के तौर पर की है, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- सीसी से मिले बैंकनोटों की प्राप्ति, भंडारण, रिट्रीवल, प्रसंस्करण और गंदे नोटों का नष्टीकरण स्वचालित तरीके से करना;
- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) पर नोटों के स्वचालित प्रसंस्करण के दौरान कटे-फटे/ जाली/ दोषपूर्ण/ अपूर्ण नोटों की पहचान, गंदे बैंकनोटों की यांत्रिक और सुरक्षित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग तथा ब्रिकेट्स का आगे निपटान; और
- प्रिंटिंग प्रेस से प्राप्त नए बैंकनोटों की स्वचालित प्राप्ति और भंडारण, नए बैंकनोटों को रिट्रीव करना और चुनिंदा निर्गम कार्यालयों/ सीसी तक भेजना।

यह स्वचालन बड़े पैमाने से होने वाली किफायत लाएगा, मुद्रा प्रबंध कार्य को और दक्ष बनाएगा और रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्य को जनता के लाभ के लिए और बढ़ाएगा।

स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा प्रबंध कार्यों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण

VIII.17 ई-कुबेर में मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल (सीवाईएम) के चरण I और II के कार्यान्वयन के साथ मुद्रा लेन-देन का लेखांकन रिजर्व बैंक की बही में लगभग तत्काल प्रतिबिंबित हो रहा है। सीवाईएम के चरण III के कुछ सहायक प्रकार्य विकास/ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

वार्निश किए हुए बैंकनोटों की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण

VIII.18 रिजर्व बैंक क्षेत्र परीक्षण आधार पर ₹100 के मूल्यवर्ग में वार्निश किए हुए बैंकनोट शुरू करने की प्रक्रिया में है ताकि बैंकनोट की आयु बढ़ाई जा सके।

4. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.19 बीआरबीएनएमपीएल रिजर्व बैंक की एक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है जो बैंकनोट उत्पादन प्रक्रियाओं के देशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीआरबीएनएमपीएल द्वारा अपने मैसूरु प्रेस परिसर में स्थापित इंक मैनुफैक्चरिंग यूनिट (आइएमयू) में दो-शिफ्ट के आधार पर 1,500 मीट्रिक टन (एमटी) ऑफसेट, इंटग्लियो, नम्बरिंग और कलर शिफ्ट इंटग्लियो इंक (सीएसआईआई) निर्मित करने की क्षमता है। जबकि ऑफसेट, इंटग्लियो और नम्बरिंग इंक का उत्पादन अगस्त 2018 से शुरू हुआ और सीएसआईआई का मार्च 2019 से, वर्ष 2019-20 से ऑफसेट, इंटग्लियो, नम्बरिंग और

सीएसआईआई की पूरी आवश्यकता बीआरबीएनएमपीएल की इन-हाउस उत्पादन इकाई से पूरी की जा रही है। बीआरबीएनएमपीएल भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के दो करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों को भी सीएसआईआई की आपूर्ति कर रहा है। 2020 के दौरान इन-हाउस वार्निश बनाने की इकाई की स्थापना के साथ कंपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यक वार्निशों, जिसमें सीएसआईआई के लिए वार्निश भी शामिल है, के मामले में आत्मनिर्भर हो गई है। यह पूर्व-चरणों के एकीकरण और बैंकनोट उत्पादन प्रक्रिया के पूर्ण देशीकरण के इसके अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. 2021-22 के लिए कार्ययोजना

VIII.20 इस वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान देगा:

- नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीद [उत्कर्ष];

- गंदे नोटों के निपटान में वृद्धि; और
- करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की सुदृढ़ता के जांच के लिए नवीनतम शोध करने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की स्थापना और नई सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करना।

6. निष्कर्ष

VIII.21 सारांश में, वर्ष 2020-21 में रिज़र्व बैंक मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, भारतीय बैंकनोटों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में लोगों की जागरूकता में वृद्धि करने तथा जनता को स्वच्छ करेंसी नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहा। आगामी समय में रिज़र्व बैंक का प्रयास बैंकनोटों की जीवन अवधि बढ़ाने, नोटों के संचालन और प्रसंस्करण के स्वचालन, और उपलब्ध आधारभूत संरचना को अधिकतम उपयोग के लिए युक्तिसंगत बनाने का रहेगा।

भुगतान ईकोसिस्टम में तेजी से उन्नत होती प्रौद्योगिकी और नए विकास और नवाचारों के आगमन के साथ रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और प्रतिरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षता, नवीनता, प्रतियोगिता, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन के पोषण करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। बहुत ही कम समय में आरटीजीएस के चौबीसों घंटे कार्यान्वयन करवाना इस यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। आगे बढ़ते हुए, रिजर्व बैंक का प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता के लिए डिज़ाइन किए गए स्थायी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए जो लचीलेपन, विश्वसनीयता, सुरक्षा, अखंडता और लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

IX.1 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विज्ञान 2019-2021 दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित भुगतान प्रणालियों के नियोजित विकास की दिशा में काम करना जारी रखा। रिजर्व बैंक का प्राथमिक ध्यान था (i) डिजिटल व्याप्तता की सुविधा ; (ii) नवीन भुगतान विकल्प प्रस्तुत करना; (iii) कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले अवरोधों के बावजूद सुचारू संचालन सुनिश्चित करना; और (iv) डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ता जागरूकता अभियान आयोजित करना जो “कम-कैश” समाज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने कोविड -19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में और तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। रिजर्व बैंक ने अपने आईसीटी अवसंरचना को अगली पीढ़ी के एप्लीकेशनों के लिए संचालित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, जिसमें परिचालनगत उत्कृष्टता, लचीलापन, स्केलेबिलिटी और सुरक्षा के लिए एक इनबिल्ट आर्किटेक्चर है।

IX.2 इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में निम्न खंड वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में विकास को कवर करता है और 2020-21 के एजेंडा के कार्यान्वयन की स्थिति का भी जायजा लेता है। खंड 3 में वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित एजेंडा की तुलना में वर्ष के दौरान डीआईटी द्वारा किए गए

विभिन्न उपाय प्रस्तुत करता है। इन विभागों ने भी 2021-22 के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। अध्याय को अंत में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.3 रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विज्ञान 2019-2021 दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, दक्षता, नवाचार, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन पर सतत जोर देने के साथ भुगतान के ईकोसिस्टम में विभाग द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न पहल की गई थीं। मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा था कि पूरे देश में भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के माध्यम से भुगतान प्रणालियों की व्याप्ति को बढ़ाया जाए और नवीन भुगतान विकल्पों को पेश करके भुगतान प्रणाली की पहुंच को और भी अधिक बढ़ाया जाए। देश के विभिन्न स्थानों में अलग-अलग तीव्रता और अवधि के साथ कोविड -19 लॉकडाउन के कारण संसाधनों की आवाजाही और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में अवरोध के बावजूद सभी भुगतान प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किए गए। कुछ भुगतानों को डिजिटल भुगतान करते समय महामारी की सामाजिक दूरी और न्यूनतम-संपर्क आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल बनाया गया था। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतानों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता में सुधार लाने के लिए केंद्रित अभियान चलाया और यह सुनिश्चित करने

के लिए उपाय किए कि उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाए। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट के साथ डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि के साथ वर्ष के दौरान “कम नकदी” की यात्रा जारी रही।

भुगतान प्रणाली

IX.4 भुगतान प्रणाली ने 2020-21 के दौरान वॉल्यूम के संदर्भ में 26.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की जो पिछले वर्ष में 44.2 प्रतिशत के विस्तार के शीर्ष पर थी। मूल्य के संदर्भ में, संकुचन की प्रवृत्ति जो पिछले वर्ष (-1.2 प्रतिशत) में शुरू हुई थी,


और बढ़कर इसमें 13.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण था बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणाली में कम वृद्धि, उदाहरणार्थ रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली और कागज आधारित लिखतों के लेनदेन में कमी। आरटीजीएस में लेन-देन के मूल्य की गिरावट का कारण मुख्य रूप से कम हुई आर्थिक गतिविधियां हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-नकद खुदरा भुगतानों की कुल मात्रा में डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी बढ़कर 98.5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 97.0 प्रतिशत थी (तालिका IX.1)।

तालिका IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक टर्नओवर (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7
क. सेटलमेंट सिस्टम						
सीसीआईएल संचालित प्रणालियां	36	36	28	11,65,51,038	13,41,50,192	16,19,43,141
ख. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट ट्रांसफर - आरटीजीएस खुदरा खंड	1,366	1,507	1,592	13,56,88,187	13,11,56,475	10,55,99,849
2. क्रेडिट ट्रांसफर	1,18,481	2,06,506	3,17,852	2,60,90,471	2,85,62,857	3,35,22,150
2.1 एईपीएस (फंड ट्रांसफर)	11	10	11	501	469	623
2.2 एपीबीएस	14,949	16,766	14,373	86,226	99,179	1,12,747
2.3 ईसीएस सीआर	54	18	0	13,235	5,145	0
2.4 आईएमपीएस	17,529	25,792	32,783	15,90,257	23,37,541	29,41,500
2.5 एनएसीएच सीआर	8,834	11,290	16,450	7,29,673	10,43,212	12,32,714
2.6 एनईएफटी	23,189	27,445	30,928	2,27,93,608	2,29,45,580	2,51,30,910
2.7 यूपीआई	53,915	1,25,186	2,23,307	8,76,971	21,31,730	41,03,658
3. डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट	4,914	7,525	10,456	5,24,556	7,19,708	8,72,552
3.1 भीम आधार पे	68	91	161	815	1,303	2,580
3.2 ईसीएस डीआर	9	1	0	1,260	39	0
3.3 एनएसीएच डीआर	4,830	7,340	9,630	5,22,461	7,18,166	8,68,906
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से लिंक)	6	93	650	20	200	913
4. कार्ड भुगतान	61,769	72,384	57,841	11,96,888	14,34,814	12,93,822
4.1 क्रेडिट कार्ड	17,626	21,773	17,641	6,03,413	7,30,895	6,30,414
4.2 डेबिट कार्ड	44,143	50,611	40,200	5,93,475	7,03,920	6,62,667
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	46,072	53,318	49,392	2,13,323	2,15,558	1,97,695
6. कागज आधारित लिखत	11,238	10,414	6,704	82,46,065	78,24,822	56,27,189
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2,42,473	3,50,147	4,42,229	3,62,71,303	3,87,57,759	4,15,12,514
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2,43,839	3,51,654	4,43,821	17,19,59,490	16,99,14,234	14,71,12,363
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2,32,602	3,41,240	4,37,118	16,37,13,425	16,20,89,413	14,14,85,173

नोट : 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
 2. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार और रेपो लेनदेन की दोनों लेम्स और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन शामिल हैं। 5 नवंबर 2018 से, सीसीआईएल ने सीबीएलओ को बंद कर दिया और प्रतिभूति खंड के तहत त्रिपक्षीय रेपो का संचालन आरंभ कर दिया है।
 3. कार्ड के लिए आंकड़े बिक्री के बिंदु पर भुगतान लेनदेन (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन के लिए हैं।
 4. संख्याओं को पूर्ण अंक बनाने के कारण कॉलम में दिये गए आंकड़े कुल संख्या से मेल नहीं खाएंगी।

स्रोत: आरबीआई



IX.5 कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के परिणामस्वरूप इसके प्रारंभिक चरण के दौरान भुगतान में गिरावट आई। हालांकि, भुगतान का मूल्य और मात्रा बाद में लॉकडाउन में क्रमिक छूट के साथ बढ़ गया (चार्ट IX.1)।

डिजिटल भुगतान

IX.6 भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के बीच, वर्ष के दौरान आरटीजीएस का उपयोग करते हुए लेनदेन की संख्या में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मूल्य ₹ 1,056 लाख करोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में पिछले वर्ष से 19.5 प्रतिशत की गिरावट आई है जो कि मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि में मंदी के साथ कॉर्पोरेट्स के बड़े मूल्य के लेन-देन में कमी थी। मार्च 2021 के अंत में, 227 बैंकों की 1,75,947 शाखाओं के माध्यम से आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से

लेनदेन 12.7 प्रतिशत बढ़ा। मार्च 2021 के अंत में, एनईएफटी सुविधा 225 बैंकों की 1,75,283 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध थी।

IX.7 2020-21 के दौरान, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए कार्ड भुगतान लेनदेन की संख्या क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 20.6 प्रतिशत घट गई। इसके परिणामस्वरूप इसी अवधि के दौरान क्रेडिट कार्ड लेनदेन के मूल्य में 13.7 प्रतिशत और डेबिट कार्ड के लेनदेन में 5.9 प्रतिशत की कमी आई। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआई) में एक साल पहले 15.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष के दौरान मात्रा में 7.4 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया था, जबकि 1.97 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन मूल्य पिछले साल 8.3 प्रतिशत कम था। मार्च 2021 के अंत तक पॉइंट्स ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या 6.5 प्रतिशत बढ़कर 47.20 लाख और भारत क्विक रिस्पॉन्स (बीक्यूआर) कोड की संख्या 76.0 प्रतिशत बढ़कर 35.70 लाख हो गई। इसके अलावा एटीएम की संख्या मार्च 2020 के अंत में 2.34 लाख से 2.0 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.38 लाख हो गई।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकरण

IX.8 पेमेंट्स सिस्टम ऑपरेटर्स (पीएसओ) में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अलावा पीपीआई जारीकर्ता, क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑपरेटर, व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क, इंस्टेंट ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर, कार्ड भुगतान नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू) शामिल हैं [टेबल IX.2]।

**तालिका IX.2 : भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों का प्राधिकरण
(मार्च के अंत में)**

संस्थाएं	(संख्या)	
	2020	2021
1	2	3
क. गैर-बैंक - प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	43	36
डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्स	8	4
त्वरित धन अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	9	8
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स	3	3
क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑपरेटर्स	9	9
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
ख. बैंक - स्वीकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	62	56
बीबीपीओयू	39	42
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	540	566
एटीएम नेटवर्क	3	3

नोट : तीन गैर-बाए पीपीआई जारीकर्ताओं के संबंध में प्राधिकरण के प्रमाणपत्र (सीओए) की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई गई थी। एक पीपीआई जारीकर्ता ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है जबकि तीन गैर-पीपीआई जारीकर्ता स्वेच्छा से अपने सीओए के समर्पण की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। दो डब्ल्यूएलएओ के सीओए को निरस्त कर दिया गया, एक डब्ल्यूएलएओ बंद कर दिया गया और एक डब्ल्यूएलएओ एक बीबीपीओयू के साथ स्वेच्छा से सीओए के समर्पण की प्रक्रिया के अंतर्गत है। सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों के समामेलन के परिणामस्वरूप, बैंक पीपीआई की संख्या कम हो गई है।

स्रोत : आरबीआई

2020-21 के लिए एजेंडा : कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.9 विभाग ने पिछले वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

• स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- ऑफलाइन भुगतान प्रणाली : मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान और डिजिटल भुगतान मोड को बढ़ावा देने के लिए कार्ड पर संग्रहीत भुगतान घटक उपलब्ध कराए जाएंगे, और योजना के पूर्ण रोल-आउट के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए एक पायलट योजना का परीक्षण किया जाएगा (पैरा IX.11)।

• ग्राहक सुविधा में सुधार

- ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर): विभिन्न भुगतान प्रणालियों में ओडीआर प्रणाली को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तावित किया जाना है, जो सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों (उत्कर्ष) के लिए असफल लेनदेन के लिए कार्यान्वयन से शुरू होता है [पैरा IX.16];
- स्व-नियामक संगठन: भारतीय रिजर्व बैंक के 6 फरवरी 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार विनियामक / पर्यवेक्षक के साथ संलग्न करने और पीएसओ के लिए नियमों को बनाने और लागू करने के लिए उत्तरदायी के रूप में एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के सृजन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना जो कि औपचारिक हो जाएगा (पैरा IX.17); तथा
- पैन-इंडिया चेक ट्रंक्शन सिस्टम: सभी एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीसीएस) केंद्रों को बैंकों द्वारा चेक संग्रह सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस) ग्रिड के साथ विलय कर दिया जाएगा (पैरा IX.18)।

• वहन करने योग्य कीमत सुनिश्चित करना

- लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) : सीमा पार सेवाओं के संबंध में भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों, एजेंटों और वितरकों की पहचान करने के लिए एलईआई का उपयोग, विशेष रूप से बड़े मूल्य भुगतानों के लिए, जिसमें सभी पहचाने गए क्षेत्रों में कार्यान्वयन का विस्तार करना शामिल है (पैरा IX. 23)।

• **बढ़ता हुआ आत्मविश्वास**

- o **डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स** : रिजर्व बैंक ने 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिजर्व बैंक समय-समय पर एक समग्र “डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (डीपीआई)” [पैरा IX.25] का प्रकाशन और सृजन करेगा।

लक्ष्य की कार्यान्वयन स्थिति

IX.10 : में ‘भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली : विजन 2019-21’ में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने अपने विजन को प्राप्त करने के लिए चार लक्ष्यों की पहचान की थी *उदाहरणार्थ* प्रतियोगिता, लागत, सुविधा और विश्वास।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

ऑफलाइन भुगतान प्रणाली

IX.11 रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत पीएसओ - बैंकों और गैर-बैंकों - को अनुमति प्रदान की ऑफलाइन या डिजिटल लेनदेन को सक्षम करने वाले तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए दूरस्थ या निकटता भुगतान के लिए कार्ड, वालेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑफलाइन भुगतान सल्यूशन्स के लिए एक पायलट योजना संचालित करने की अनुमति दी। ऑफलाइन भुगतान करने के लिए ऐसे विकल्पों की उपलब्धता से डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में, या अनियमित, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति से बाधित हैं। पायलट योजना के पूरा होने के बाद, रिजर्व बैंक प्राप्त अनुभव के आधार पर ऑफलाइन भुगतान प्रणाली लागू करने का निर्णय करेगा।

खुदरा भुगतान के लिए एक अखिल भारतीय अम्ब्रेला संस्था के प्राधिकरण के लिए लिए फ्रेमवर्क

IX.12 रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय अम्ब्रेला संस्था स्थापित करने में रुचि रखने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड, दायरे और शासन संरचना को निर्धारित करते हुए एक रूपरेखा जारी की। प्राधिकरण के लिए आवेदनों को

26 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा थी जिसे एक माह के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया था।

सप्ताह के सभी दिनों में भुगतान प्रणालियों के निपटान फ़ाइलों की पोस्टिंग को सक्षम करना

IX.13 24x7 आधार पर आरटीजीएस के संचालन के साथ, रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई को 3 जनवरी 2021 से सप्ताह के अंत के साथ-साथ छुट्टियों में निपटान के लिए उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों की अतिरिक्त निपटान फाइलें पोस्ट करने की अनुमति दी। इस उपाय के फलस्वरूप निपटान हेतु लंबित कार्य और सहायक भुगतान प्रणालियों में डिफ़ॉल्ट जोखिमों को कम करने में मदद मिली और इसने सदस्य बैंकों द्वारा धन के बेहतर प्रबंधन को सक्षम किया, जिससे कारण भुगतान ईकोसिस्टम की समग्र दक्षता में वृद्धि हुई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एस्करो खाते का रखरखाव

IX.14 रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता और भुगतान एग्रीगेटर (पीए) को एक अलग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अतिरिक्त एस्करो खाते को बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। इस उपाय से जोखिम में विविधता लाने और व्यापार निरंतरता चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है।

इंटर- रेगुलेटरी और इंद्रा – रेगुलेटरी समन्वयन

IX.15 रिजर्व बैंक ने दो अलग-अलग समितियों की स्थापना अर्थात् (i) इंटर- रेगुलेटरी समिति जिसमें क्षेत्रीय नियामक अधिकारियों, *अर्थात्*, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीआई) और दूरसंचार विभाग (डीओटी); और (ii) इंद्रा – रेगुलेटरी समिति जिसमें रिजर्व बैंक के विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी विभाग शामिल हैं। समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनियमन के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करें, संघर्ष को दूर करें और सिस्टम ऑपरेटर को राहत दें / ग्राहक की सुविधा का ध्यान रखें।

ग्राहक की सुविधा में सुधार

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर)

IX.16 रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत पीएसओ को सूचित किया था कि वे दिनांक 1 जनवरी 2021 तक अपनी संबंधित भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेन से संबंधित विवादों और शिकायतों के लिए एक ओडीआर प्रणाली को लागू करें। ओडीआर प्रणाली के सृजन की अवधारणा एक ऐसे तंत्र के रूप में की गई थी जो कि नियम-आधारित प्रौद्योगिकी-संचालित ग्राहक-अनुकूल तंत्र के रूप में शून्य या न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ ग्राहक की शिकायतों और विवादों का निपटान करेगा। यह ग्राहकों के लिए एक त्वरित, सस्ती और सुलभ विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करेगा। डिजिटल लेनदेन में कई गुना वृद्धि के कारण ग्राहक शिकायतों में वृद्धि की संभावना के साथ, विवाद / शिकायतों को निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता को ओडीआर प्रणाली खत्म कर देगी।

स्व-नियामक संगठन (एसआरओ)

IX.17 रिजर्व बैंक ने दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को पीएसओ के लिए एसआरओ की मान्यता के लिए एक रूपरेखा जारी की। एसआरओ ग्राहक की सुरक्षा और नैतिकता और व्यावसायिक मानक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिसमें बड़ी चिंताओं को संबोधित करने, जैसे कि ग्राहकों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण प्रदान करना और सदस्यों, उद्योग और ईकोसिस्टम के समग्र विकास के लिए प्रयास करना शामिल है, उद्योग में सदस्य संस्थाओं के संचालन से संबंधित नियमों और मानकों को लागू करेगा।

पैन-इंडिया चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस)

IX.18 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि अखिल भारतीय सीटीएस को परिचालनरत किया जाएगा। तदनुसार, देश भर में सभी 1,219 ईसीसीएस क्लियरिंग हाउसों ने अपने चेक क्लियरिंग ऑपरेशन स्वेच्छा से बैंकर समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम एवं नियम (यूआरआरबीसीएच) के विनियम 25 के अंतर्गत सीटीएस ग्रिड में स्थानांतरित हो दिए।

इसके अलावा, सीटीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने और बैंक शाखा के किसी भी स्थान में होने के बावजूद एक समान ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि उनकी सभी शाखाएँ 30 सितंबर, 2021 तक छवि आधारित सीटीएस में भाग लें।

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम की 24x7 उपलब्धता

IX.19 भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2020 को 00:30 बजे से आरटीजीएस प्रणाली को 24x7 और साल के सभी दिनों में उपलब्ध कराया। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन गया है जहाँ आरटीजीएस प्रणाली पूरे वर्ष में चौबीसों घंटे काम करती है। आरटीजीएस की राउंड द क्लॉक उपलब्धता ने व्यवसायों को भुगतान करने और सहायक भुगतान प्रणालियों में अतिरिक्त निपटान चक्रों को सक्षम करने के लिए विस्तारित लचीलापन प्रदान किया है।

डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करना

IX.20 रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया कि मौजूदा प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड 31 मार्च, 2022 तक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड में माइग्रेट हो जाएंगे और इसके बाद प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड जारी नहीं किए जाएंगे। यह अपेक्षा है कि ये उपाय स्वीकृति संबद्धी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे और इंटरऑपरेबिलिटी के कारण ग्राहक सुविधा में वृद्धि होगी और यह प्रणाली दक्षता को बढ़ाएगा।

संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट (एएफए)

IX.21 रिजर्व बैंक ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता के बिना नियर फील्ड कम्यूनिकेशन समर्थित ईएमवी चिप कार्ड का उपयोग करते हुए संपर्क रहित लेनदेन (जिसे टैप और पे लेनदेन के रूप में भी जाना जाता है) के लिए अनुमोदित प्रति लेनदेन सीमा को ₹ 2,000 से बढ़ाकर ₹ 5,000 कर दिया है। कोविड -19 महामारी ने संपर्क रहित लेनदेन के लाभों को रेखांकित किया और उपभोक्ताओं को उपलब्ध पर्याप्त

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा को बढ़ाया गया था। बढ़ी हुई सीमा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई।

बार-बार होने वाले लेनदेन के लिए ई-मैनेजेंट का प्रसंस्करण

IX.22 रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि इस तरह के बार-बार किए जाने वाले लेनदेन (घरेलू और सीमा पारीय) के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क का अनुपालन न करने वाली व्यवस्थाओं / प्रथाओं के अंतर्गत कार्ड / पीपीआई / यूपीआई का उपयोग करते हुए बार-बार किए गए लेनदेन का प्रसंस्करण 30 सितंबर 2021 के बाद नहीं किया जा सकेगा।

सस्ती लागत सुनिश्चित करना

कानूनी इकाई पहचानकर्ता (लेई)

IX.23 एलईआई नंबर दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन में शामिल पार्टियों की विशिष्ट पहचान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार आता है और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित होता है। भारत में एलईआई को ओवर दि काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न बाजारों के प्रतिभागियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लाया जा रहा है और बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं लिए भी लाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, जैसे, आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग करके इकाइयों (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए मूल्य ₹ 50 करोड़ और ऊपर के सभी भुगतान लेनदेन के लिए एलईआई संख्या को लाने का निर्णय लिया।

पीआईडीएफ का कार्यान्वयन

IX.24 रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में पीआईडीएफ को आरंभ किया ताकि अधिग्राहकों को टियर -3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को लगाया जा सके। रिजर्व बैंक ने पीआईडीएफ और कार्ड नेटवर्क के प्रारंभिक कोष के लिए ₹ 250 करोड़ का योगदान किया और कार्ड जारी करने वाले बैंकों ने लगभग ₹ 200 करोड़ का योगदान दिया है। इसके अलावा कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा बकाया कार्ड के आधार पर छमाही आधार पर आवर्ती

योगदान दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021-23 के दौरान प्रत्येक वर्ष डिजिटल भुगतान के लिए 30 लाख नए टच पॉइंट सृजित करने की परिकल्पना की गई है। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी गवर्नर की अध्यक्षता में पीआईडीएफ के प्रबंधन और शासन के लिए एक सलाहकार परिषद गठित की गई है जिसमें कार्ड नेटवर्क के प्रतिनिधि, कार्ड भुगतान उद्योग, आईबीए और नाबार्ड शामिल हैं।

ग्राहक विश्वास बढ़ाना

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.25 देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समग्र डीपीआई का निर्माण और प्रकाशन किया (बॉक्स/IX.1)।

सीटीएस के लिए पॉजिटिव पे प्रणाली

IX.26 चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने मूल्य ₹50,000 और उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिक की अवधारणा की घोषणा की है। इस तंत्र के तहत, चेक को अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए प्रोसेस किया जाता है, जो कि उसके ग्राहकों द्वारा चेक को जारी करने के समय दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। पॉजिटिव पे प्रणाली 1 जनवरी 2021 से लागू की गई थी।

पीएसओ को जारी किए गए सीओए के लिए स्थायी वैधता

IX.27 रिजर्व बैंक ने सभी पीएसओ (नए और मौजूदा दोनों) के लिए सामान्य स्थितियों के अधीन स्थायी आधार पर प्राधिकरण देने का फैसला किया। मौजूदा प्राधिकृत पीएसओ के लिए स्थायी वैधता प्रदान किए जाने की जांच तब की जाएगी जब उसके नवीनीकरण समय आएगा बशर्ते वह निर्दिष्ट शर्तों का पालन करे। स्थायी प्राधिकरण की अनुमति देते समय, रिजर्व बैंक ने ऑनसाइट निरीक्षण और ऑफसाइट निगरानी और निगरानी तंत्र के माध्यम से विनियमित संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मजबूत प्रणाली पर भरोसा किया है। यह उपाय लाइसेंस अनिश्चितताओं को कम करेगा और पीएसओ को अपने व्यापार

बॉक्स IX.1

भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई -डीपीआई)

हाल के दिनों में, भारत में भुगतान ईकोसिस्टम ने कई विकास देखे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई भुगतान प्रणालियों और प्लेटफार्मों, भुगतान उत्पादों और सेवाओं जो उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान करने के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे व्यक्ति, फर्म, कॉर्पोरेट, सरकार या अन्य आर्थिक एजेंट हों। निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए और उन बाधाओं और क्षेत्रों को भी समझने के लिए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, रिज़र्व बैंक अपने भुगतान प्रणाली विज्ञान को तीन वर्षों के अंतराल पर निरूपण करता है, भुगतान प्रणालियों के प्रदर्शन से संबंधित आवधिक डेटा / आंकड़े जारी करता है और वैश्विक मानक सेटिंग निकाय जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और भुगतान और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समिति (सीपीएमआई) की चर्चाओं / बैठकों में भाग लेने के साथ -साथ सर्वेक्षण करवाता है।

इस निरंतरता में, देश में भुगतान ईकोसिस्टम के संपूर्ण विस्तार को कवर करते हुए एक समग्र सूचकांक का निर्माण करके समय के साथ डिजिटल भुगतान वृद्धि को मापना और प्रभावित करना अनिवार्य है। तदनुसार, डीपीआई की कल्पना की गई है, जो कि इसके निर्माण के लिए सांख्यिकीय और अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक उपकरण अपनाकर किया गया। सैद्धांतिक रूप से, सूचकांक स्कोर समय, भौगोलिक स्थान या अन्य विशेषताओं के संबंध में एक वेरिएबल या संबंधित वेरिएबल के समूह में परिवर्तन को मापने की एक तकनीक है। यह पिछली अवधि के आधार पर वेरिएबल या वेरिएबल के समूह में सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है जिसे आधार अवधि कहा जाता है।

रिज़र्व बैंक (आरबीआई-डीपीआई) द्वारा निर्मित डीपीआई, अपनी तरह का पहला सूचकांक है और देश भर में डिजिटल भुगतान के प्रसार और गहनता को मापने के लिए एक स्कोर के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसे कैप्चर करने के लिए, आरबीआई-डीपीआई के पाँच व्यापक पैरामीटर हैं, जो बदले में सब-पैरामीटर और संकेतक हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए उचित भार के साथ डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम में उनके सापेक्ष महत्व को दर्शाने के लिए नीचे दिखाया गया है (तालिका 1)।

पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ विनियामक संसाधनों के उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण – कूलिंग पीरियड का परिचय

IX.28 रिज़र्व बैंक ने कुछ स्थितियों में कूलिंग पीरियड की अवधारणा प्रस्तुत की, जैसे कि नवीकरण या गैर-नवीकरण,

तालिका 1: आरबीआई-डीपीआई के अंतर्गत व्यापक पैरामीटर

मापदंड	वजन (प्रतिशत)	संकेतक
1	2	3
1. पेमेंट एनबलर	25	इन्टरनेट उपयोगकर्ता, मोबाइल उपयोगकर्ता, आधार संख्या, बैंक खाते, डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदाता और भुगतान प्रणाली के सदस्य
2. पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर - डिमांड-साइड फ़ैक्टर्स	10	जारी किए गए भुगतान और अन्य लिखत, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण और फास्टैसा
3. पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर - सप्लाइ-साइड फ़ैक्टर्स	15	फिजिकल और डिजिटल भुगतान स्वीकृति अंक और भुगतान इंटीग्रेटिविटी
4. भुगतान प्रदर्शन	45	विभिन्न भुगतान प्रणालियों की मात्रा और मूल्य, ऐसी प्रणालियों में विशिष्ट उपयोगकर्ता, चेक लेनदेन, कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी और नकद अनुमाना
5. उपभोक्ता केंद्रितता	5	उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा संबंधी पहल, गिरावट, शिकायत, धोखाधड़ी और सिस्टम डाउनटाइम

स्रोत : आरबीआई

हाल के दिनों में भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए (पीरियड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और भुगतान प्रणाली विज्ञान 2021) मार्च 2018 को आधार अवधि के रूप में लिया गया है (*अर्थात्*, मार्च 2018 के लिए आरबीआई-डीपीआई स्कोर को 100 के रूप में सेट किया गया है)। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई क्रमशः 153.47 और 207.84 थी, जो उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। आगे बढ़ते हुए आरबीआई-डीपीआई को मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के साथ अर्ध वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।

स्वैच्छिक सरेंडर और सीओए प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति। यह अवधारणा किसी नई इकाई पर भी लागू होगी, जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी प्रवर्तकों द्वारा स्थापित की गई है। यह उपाय गंभीर प्लेयर्स को अनुशासित करने और आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और विनियामक संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह निर्णय लिया गया कि कूलिंग अवधि आवेदन के स्वैच्छिक

सरेंडर/अस्वीकृति, जैसा लागू हो के निरसन/गैर-नवीकरण/स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी और इस अवधि के दौरान संस्थाओं को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के तहत किसी भी भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए आवेदन जमा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) और भुगतान गेटवे (पीजी) के विनियमन पर दिशानिर्देश

IX.29 पीए और पीजी के विनियमन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के संदर्भ में, पीए ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल को अपने डेटाबेस या सर्वर [अर्थात् कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] में संग्रहीत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह, उनके ऑन-बोर्ड व्यापारी अपने ग्राहकों के भुगतान डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक बार के उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक पीए द्वारा पूर्वोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए समयसीमा को छह महीने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

अन्य गतिविधियां

यूपीआई / रुपये अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच पहल

IX.30 रिज़र्व बैंक ने अपने भुगतान प्रणालियों के वैश्विक आउटरीच के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, जिसमें धन प्रेषण सेवाएं भी शामिल हैं। अन्य अधिकार क्षेत्रों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी प्रदान करने के लिए यूपीआई की क्षमता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अन्य केंद्रीय बैंकों को एक कुशल और सुरक्षित प्रणाली के रूप में यूपीआई की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा, जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर खुदरा भुगतान तंत्र को बदलने के लिए किया जा सकता है और साथ ही इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय आउटरीच कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जहां प्रतिभागियों को सीमा पारीय लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई प्रणाली का लाभ उठाने की संभावना थी।

भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण

IX.31 2020-21 के दौरान, 32 संस्थाओं, अर्थात्, सीसीआईएल, 26 पीपीआई जारीकर्ता, एक एटीएम नेटवर्क,

एक डबल्यूएलए ऑपरेटर और तीन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर का ऑनसाइट निरीक्षण / ऑफसाइट आकलन पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया था।
सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.32 रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत सीसीआईएल का ऑनसाइट निरीक्षण किया था। भुगतान और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समिति – प्रतिभूति आयोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (सीपीएमआई – आईओएससीओ) द्वारा तैयार किए गए 24 प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंसियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीएफएमआई) के संबंध में सीसीआईएल का मूल्यांकन किया गया था। केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के रूप में सीसीआईएल को 17 सिद्धांतों के संबंध में दर्जा 'अवलोकन' दिया गया था और तीन के लिए 'मोटे तौर पर देखा गया' था जबकि चार इसके संबंध में 'लागू नहीं' थे। ट्रेड रिपोजीटरी (टीआर) के रूप में सीसीआईएल को 10 सिद्धांतों के संबंध में दर्जा 'अवलोकन' दिया गया था और एक के लिए 'मोटे तौर पर देखा गया' था जबकि 13 इसके संबंध में 'लागू नहीं' थे।

सीसीआईएल में विकास

IX.33 वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सीसीआईएल ने अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया। मुंबई में 12 अक्टूबर, 2020 को बिजली आउटेज के दौरान भी परिचालन में कोई व्यवधान नहीं था। रुपये के डेरिवेटिव और फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट में विस्तारित क्लियरिंग सदस्यता संरचना को सीसीआईएल ने क्रियान्वयन को अंतिम रूप दिया और पूर्व वित्त पोषित संसाधनों की विशिष्ट सीमा से अधिक स्ट्रेस लॉस होने पर डिफॉल्ट फंड के लिए अतिरिक्त महीने का अतिरिक्त योगदान दिया। सीसीआईएल ने आंतरिक रेटिंग के आधार पर कम सीमा तय करके और कमजोर संस्थाओं के लिए हेयर कट दर को बढ़ाकर जोखिम प्रबंधन में सुधार किया; और बैंक ग्राहकों के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बुकिंग और कैसिलिंग सुविधा शुरू करने के अलावा एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को बढ़ाया, साथ ही नेगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम (ऑर्डर मैचिंग) पर 'रिक्वेस्ट फॉर

कोट' (आरएफक्यू) मॉड्यूल का परिचालन किया।

ई-बात कार्यक्रम और जागरूकता अभियान

IX.34 रिज़र्व बैंक ग्राहकों / बैंकरों / छात्रों / जनता के सभी वर्गों के लाभ के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न रूपों में धन की भौतिक उपस्थिति की बजाय इलेक्ट्रॉनिक धन भुगतान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जनता को शिक्षित करना था। जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 178 ई-बात कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों पर वित्तीय साक्षरता, उनके लाभ और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को प्रतिभागियों जिनमें बैंक कर्मचारी, ग्राहक, छात्र, आम आदमी शामिल थे, उन्हें समझाया गया था।

IX.35 रिज़र्व बैंक ने सभी अधिकृत पीएसओ और उनके प्रतिभागियों को सूचित किया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और प्रति रक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया में एसएमएस और विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित बहुभाषी अभियानों का संचालन करें।

IX.36 आरोग्य सेतु कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है। आम जनता के लिए आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सभी अधिकृत पीएसओ को अपनी वेबसाइट और ऐप पर एक बैनर प्रदर्शित करने की सलाह दी, ताकि अधिकतम डाउनलोड को प्रोत्साहित किया जा सके।

पेमेंट सिस्टम बुकलेट

IX.37 रिज़र्व बैंक ने सहस्राब्दी के दूसरे दशक जो कि 2010 की शुरुआत से 2020 के अंत तक है, के दौरान भारत में भुगतान

और निपटान प्रणालियों की यात्रा को कवर करते हुए 'बुकलेट ऑन पेमेंट सिस्टम' जारी किया। इस बुकलेट में भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन का वर्णन किया गया है, और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणालियों को रेखांकित करने वाला कानूनी और नियामक वातावरण, विभिन्न समर्थकों, उपभोक्ताओं को उपलब्ध विभिन्न भुगतान विकल्प और इसे अपनाने की सीमा।

फिनटेक-आर एलीटेड एक्टिविटीज

IX.38 भारतीय फिनटेक उद्योग जैसा कि आज खड़ा है, भारत के तकनीकी समर्थकों, विनियामक हस्तक्षेपों, व्यापार के अवसरों के साथ-साथ कुछ अन्य विशिष्ट विशेषताओं के अनूठे संयोजन का परिणाम है, जिसने दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम की ¹। जैसा कि कोविड-19 महामारी ने अनिश्चितता पैदा करना जारी रखा, कुछ फिनटेक के लिए तनाव पैदा हो गया है, जबकि कुछ अन्य ने महामारी से प्राप्त नए व्यापारिक अवसरों लाभ उठाया तथापि, जैसा कि व्यापक अर्थव्यवस्था "रिस्पोंड" से "रिकवर" की ओर चली जाती है, रोजगार के नए अवसर कुछ फिनटेक (बॉक्स IX.2) द्वारा सृजित किए जा सकते हैं।

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

IX.39 रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए की जाएगी, जो नवाचार को बढ़ावा देगा। तदनुसार, आरबीआईएच को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत कंपनी के रूप में गठित किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है। आरबीआईएच का मार्गदर्शन और प्रबंधन करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, इंफोसिस के सह-संस्थापक और पूर्व सह-अध्यक्ष

¹ स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल, भारत सरकार।

बॉक्स IX.2

फिनटेक एक्टिविटी इन इंडिया: कोविड-19 के दौरान फंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रुझान

पिछले एक साल में, कोविड -19 महामारी ने सामाजिक भेद और घर से काम की संस्कृति को व्यापक रूप से अपनाने के बीच प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लाया है। हालांकि कई आर्थिक और वित्तीय संकेतकों ने 2020 तक गिरावट दर्ज की, लेकिन स्टार्ट-अप के प्रति उत्साह में तेज गिरावट नहीं आई है। वास्तव में कई लोगों का मानना है कि इस ब्लैक स्वान इवेंट से रचनात्मक व्यवधान पैदा होगा, जिसमें नए विचारों के प्रति निवेश का पुनर्संयोजन होगा। ट्रैक्सन के डेटा से पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, 56.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश फिनटेक सेक्टर में 2020-21 (अप्रैल-मार्च) के दौरान किया गया था, जबकि 2019 में यह 84.8 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2018 में 77.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अमेरिका और कनाडा नई कंपनियों के लिए अग्रणी रहा, उसके बाद यूरोप का स्थान था।

महामारी के कारण स्टार्ट-अप इको-सिस्टम में एक बड़े बदलाव का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भुगतान, ई-कॉमर्स और एड-टेक जैसे उप-क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं (आर्थिक टाइम्स, 2020)। 2020 -21 में लगभग अमेरिका 3 बिलियन अमरीकी डॉलर भारतीय फिनटेक (लगभग 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर पिछले वर्ष) में निवेश किया गया था जो आर्थिक मंदी के कारण निवेशक की भावनाओं की टेम्परिंग दर्शाता है [चार्ट 1, (ट्रैक्सन, 2021)]। फिर भी, जैसे कि महामारी के आर्थिक झटके समाप्त हो रहे हैं, मासिक रुझान दर्शाता है कि निवेशकों की भावना में सुधार हुआ है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अलावा, फिनटेक विकास और रोजगार को बढ़ावा दे सकता है (फिलिप्पन, 2017, सहाय एट अल., 2020)। यादृच्छिक-प्रभाव पैनल डेटा मॉडल का उपयोग करके भारतीय फिनटेक में रोजगार के रुझानों का अनुभवजन्य विश्लेषण कुछ दिलचस्प दृष्टिकोण (तालिका 1) प्रदान करता है। कंपनी स्केल और फंडिंग स्टेज के लिए उपयुक्त नियंत्रण के साथ, यह


तालिका 1: पैनल डेटा अनुमान परिणाम

आश्रित चर: कर्मचारी गणना	मॉडल 1 गुणांक (एसटीडी. त्रुटि)	मॉडल 2 गुणांक (एसटीडी. त्रुटि)
1	2	3
जुटाया गया धन (वर्तमान तिमाही)	0.00000741*** (0.00000124)	0.00000715*** (0.00000124)
फंडिंग राउंड स्टेज		
सीड	-90.8 (131.2)	-90.7 (131.2)
श्रृंखला ए	-164.1 (140.3)	-149.7 (140.6)
श्रृंखला बी	-217.1 (154.4)	-199.5 (154.7)
श्रृंखला सी	-45.5 (174.6)	-36.7 (174.9)
श्रृंखला डी	-206.6 (217.9)	-198.4 (218.5)
श्रृंखला ई	596.5 (425.5)	857.2** (409.9)
श्रृंखला एफ	6199.6 *** (506.3)	6277.2*** (501.4)
श्रृंखला जी	-3832.0*** (1354.5)	-3491.7*** (1343.7)
नवीनतम वार्षिक राजस्व	0.00000142 (0.000000917)	0.00000179* (0.000000924)
सेक्टर - बीमा		200.0* (105.9)
सेक्टर - वित्त और लेखा	-251.8*** (122.7)	
कॉस्टेंट	433.2 (385.4)	166.9 (367.5)
अवलोकन की संख्या	158	158
वालड सीएचआईएसक्यू (पी-मूल्य)	794.5 (0.000)	802.3 (0.000)

1. नमूना: 2018 ति 4-2020ति3
2. स्टार्ट-अप के लिए दोनों स्पेसिफिकेशन नियंत्रित हैं फंडिंग के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया है
3. हौसमैन टेस्ट और ब्रेच-पैगन एलएम परीक्षण रैंडम इफेक्ट्स स्पेसिफिकेशन का समर्थन करते हैं
4. *, **, *** दर्शाता है सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का महत्व
5. स्टार्ट-अप लगातार पिछों या राउंड (बीज, श्रृंखला ए, बी, सी और इसी तरह) में इक्विटी जुटाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो मोटे तौर पर व्यवसाय के विकास/पैमाने का अनुसरण करते हैं, और उस चरण में व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। शुरुआती दौर का इस्तेमाल बाजार में पैर जमाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बाद के दौरों का इस्तेमाल विस्तार के लिए किया जा सकता है।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ आकलन

देखा गया है कि एकत्र किए गए धन की राशि, कर्मचारी गणना का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके अलावा, बाद की फंडिंग स्टेज में अधिक परिपक्व फर्मों के पास रोजगार की अधिक संभावना है। ऑपरेशनल डोमेन का आकलन बताता है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास उच्च कर्मचारी की गिनती (सर्वेयर के ऑन-ग्राउंड स्टाफ की आवश्यकता के कारण) होने की अधिक संभावना है, जबकि अत्यधिक विशिष्ट फिनटेक जैसे कि अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी डोमेन में बहुत थोड़े से कुशल कर्मचारियों के साथ संचालित होने की अधिक संभावना है।



स्रोत : ट्रैक्सन 2021

(Contd.)

स्टार्ट - अप से उम्मीद है कि वे युवा वर्ग के लिए नौकरियां सृजित करेंगे, ये परिणाम दो नीतिगत मार्ग प्रदान करते हैं। पहला, जबकि उत्पादक निवेश को स्टार्ट - अप में स्वतंत्र रूप से चैनलाइज करना महत्वपूर्ण है, अधिमानी नीतियां उन सब-सेक्टरों के विकास में मदद कर सकती हैं जिनमें कम और अर्ध-कुशल रोजगार सृजन की संभावना है। दूसरा, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास न केवल एक ईकोसिस्टम हो जो नई उद्यमशीलता को बढ़ावा देता हो, बल्कि वह घरेलू स्टार्ट-अप की क्षमता निर्माण में मदद करता हो और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करता हो।

जबकि फिन टेक फर्म ने शुरू में अपने जोखिम और व्यवसाय मॉडल पर कोविड -19 के अनिश्चित प्रभाव के कारण लॉकडाउन के दौरान परिचालन को निलंबित कर दिया था, बाद में वर्ष में तनाव कम होने लगा और इस क्षेत्र के बारे में काफी आशावाद बना हुआ है। उनका परिचालन सीधे माल और लोगों की आवाजाही पर निर्भर नहीं करता है, और वे घर से काम की संस्कृति के लिए अधिक अनुकूल हैं। महामारी ने ऑपरेशनों का विस्तार करने का एक अवसर भी

प्रस्तुत किया है, क्योंकि उम्मीद है कि सामान्य जनता नई प्रौद्योगिकी (एनपीसीआई, 2021) को अपनाने में और भी अधिक सहजता के साथ संकट से बाहर आ जाएगी।

संदर्भ:

1. एनपीसीआई (2021), 'डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्शन इन इंडिया, 2020', 14 जनवरी।
2. फिलिपन, टी(2017), 'द फिनटेक अपरचुनिटी', बीआईएस वर्किंग पेपर नंबर 655, अगस्त।
3. सहाय, आर, वॉन अल्लमैन, यू, लाहरेचे, ए, खेरा, पी, ओगावा, एस, बाजारबश, एम, और बीटन, के (2020), 'द प्रॉमिस ऑफ फिनटेक': वित्तीय समावेश पोस्ट कोविड-19 युग', *मौद्रिक और पूंजी बाजार विभागीय पेपर श्रृंखला* संख्या 20/09, आईएमएफ।
4. ट्रेक्सन (2021), डेटाबेस 5 मई 2021 को एक्सेस किया गया।

के रूप में पहले अध्यक्ष और उद्योग के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित अन्य सदस्यों के साथ एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की स्थापना की थी। आरबीआईएच की स्थापना, रिजर्व बैंक के वित्त क्षेत्र में तकनीकी विकास को जारी रखने के प्रयासों का एक सिलसिला है, जिसमें अधिक सक्रिय भागीदारी और संगठित परिवर्तनों को निष्क्रिय करने के बजाय यादृच्छिक परिवर्तनों को आकार देने की मंशा है। आरबीआईएच को टेक इनोवेटर्स के साथ-साथ शिक्षाविदों के सहयोग से, विचार के सृजन और विकास के लिए एक इको-सिस्टम बनाने की उम्मीद है।

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - कॉहर्ट - परीक्षण चरण

IX.40 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के लिए सक्षम करने की रूपरेखा को वेबसाइट पर 13 अगस्त, 2019 को रखा गया था, इसके बाद 'रिटेल पेमेंट्स' की घोषणा पहले कॉहर्ट के विषय के रूप में की गई थी। पहले समूह के तहत चयनित छह संस्थाओं के उत्पादों का परीक्षण 16 नवंबर, 2020 से शुरू हुआ। चार संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है, और परीक्षण प्रक्रिया के परिणामों का अंतिम मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर किया जा रहा है। पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों और परीक्षण के लिए निर्धारित शर्तों के पालन पर। शेष दो संस्थाएं अभी भी अपने

उत्पादों का परीक्षण कर रही हैं। इन संस्थाओं के लिए परीक्षण चरण के पूरा होने में देरी तकनीकी गड़बड़ियों, संचालन के मुद्दों, व्यवधानों और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली असुविधाओं के कारण हुई थी।

IX.41 नवाचार को प्रोत्साहित करने और आरएस में भाग लेने के लिए आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाने के लिए, संशोधित 'सक्षम फ्रेमवर्क' 16 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था। अपेक्षित निवल मालियत मौजूदा 25 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई थी। साझेदारी फर्म और सीमित देयता वाली भागीदारी को भी आरएस में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

IX.42 सीमा पार से भुगतान परिदृश्य को फिर से संगठित करने में सक्षम नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, आरएस के तहत दूसरा कॉहोर्ट जिसकी थीम थी 'क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स', उसकी घोषणा दिनांक 16 दिसंबर 2020 को की गई थी। दूसरे कॉहोर्ट के तहत कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए थे। अनुमोदित मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, यह भी तय किया गया था कि अगले कॉहोर्ट की थीम 'एमएसएमई लेंडिंग' होगी ताकि एमएसएमई को ऋण देने में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रभावी और केंद्रित विनियमों के लिए रेगटेक समाधान

IX.43 रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) - विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) का एक सदस्य, के साथ फिनटेक पर सहयोग समझौता (सीओए) किया है। सीओए के दायरे में, अन्य बातों के साथ, आईएफसी रेगटेक/सुपरटेक पहलों पर ज्ञान/सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, रेगटेक अपनाने के स्तर और सीमा का आकलन करने के साथ-साथ आरई द्वारा रेगटेक के मौजूदा / संभावित उपयोग, जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने और आरई की अपेक्षाओं को समझने के लिए कुछ विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच एक खोजपूर्ण सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण ने देश में रेगटेक को अपनाने के स्तर की निष्पक्ष जानकारी दी है।

IX.44 रिज़र्व बैंक, वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क (जीएफआईएन) में शामिल हो गया है, जो वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध 50 से अधिक संगठनों का एक नेटवर्क है। जीएफआईएन में तीन कार्य धाराएँ हैं, नामतः (i) "सहयोग", जो नवाचार के अनुभवों को सहयोग करने और साझा करने में विनियामकों की मदद करने पर केंद्रित है, (ii) "क्रॉस-बॉर्डर टेस्टिंग", जो नए उत्पादों और सेवाओं के क्रॉस-बॉर्डर परीक्षण को चलाने पर केंद्रित है, और (iii) "रेगटेक और सीखे गए पाठ", जो रेगटेक ज्ञान को साझा करने, संभावित क्रॉस-ज्यूरिसडिक्शन दक्षता जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर सहयोग पर केंद्रित है। जीएफआईएन की उपरोक्त तीन कार्य धाराओं में से किसी में भी भागीदारी से भारत में फिनटेक से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फिनटेक पर अंतर – विनियामक तकनीकी समूह

IX.45 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति के तत्वावधान में 'फिनटेक पर एक अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (फिनटेक पर आईआरटीजी)' का गठन किया गया है। यह समूह डीपीएसएस के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) की अध्यक्षता में अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों यथा सेबी, आईआरडीएआई, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय

सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से मुख्य महाप्रबंधक के स्तर के प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और एमईआईटीवाई से एक-एक प्रतिनिधि को शामिल करता है। मार्च 2021 में आयोजित इसकी पहली बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सदस्यों के बीच अपनी नवाचार पहलों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा, सदस्यों ने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए हाइब्रिड उत्पादों / सेवाओं के लिए इंटर-ऑपरेटेबल आरएस तंत्र पर मॉडल का सुझाव देने पर भी सहमति व्यक्त की।

2021-22 के लिए एजेंडा

IX.46 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019-21' में पहचाने गए गोल पोस्ट के तहत प्रस्तावित कार्रवाई मदें निम्नलिखित हैं :

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस्यता की समीक्षा: रिज़र्व बैंक केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में गैर-बैंकों की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ निपटान जोखिम प्रबंधन के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए चर्चा शुरू करेगा।

ग्राहक सुविधा में सुधार

- ऑफ़लाइन भुगतान समाधान पर: रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि ऑफ़लाइन भुगतान समाधान के लिए पायलट योजनाएं 31 मार्च, 2021 तक संचालित की जाएंगी। इन पायलट योजनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर, रिज़र्व बैंक देश में ऑफ़लाइन भुगतान समाधानों को लागू करने का निर्णय करेगा।
- कार्ड योजनाओं के लिए राष्ट्रीय निपटान सेवाएँ: रिज़र्व बैंक, कार्ड भुगतान नेटवर्क द्वारा संसाधित कार्ड लेनदेन के निपटान की सुविधा की संभावना तलाशेगा, जिसमें कार्ड भुगतान नेटवर्क के खातों के माध्यम से रिज़र्व बैंक के साथ रखरखाव किया जाएगा। रिज़र्व

बैंक की बहियों में कार्ड लेनदेन के निपटान से कार्ड लेनदेन में विश्वास बढ़ेगा।

वहनीय लागत सुनिश्चित करना

- *इनबाउंड क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस के लिए कॉरिडोर और शुल्क की समीक्षा:* रिजर्व बैंक उस भूमिका की जांच करेगा कि भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) कम लागत पर निर्बाध प्रेषण सुनिश्चित कर सकते हैं।

बढ़ता हुआ आत्मविश्वास

- *भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग:* रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक शाखाओं, एटीएम और व्यापार संवाददाताओं (बीसी) के स्थान और व्यवसाय के विवरण को पकड़ने के लिए एक ढांचा स्थापित किया है। पीओएस टर्मिनलों और अन्य भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक समान ढांचे का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।
- *थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम-वाइड सिक्योरिटी:* रिजर्व बैंक गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिए एक अलग विनियामक ढांचे की आवश्यकता की जांच करेगा, जिसे आउटसोर्सिंग व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति और सुरक्षा नियंत्रण और स्पष्टता की आवश्यकता और विनियमित संस्थाओं की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व को देखते हुए किया जाएगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.47 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ

तालमेल रखने के लिए, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इसके प्रभाव महामारी के अंतर्गत व्यापार निरंतरता पर और साथ ही साथ सामान्य व्यवसाय की दक्षता उन्नयन में महसूस किए गए, रिजर्व के भीतर और साथ ही बाहर। बैंक रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उत्पादों और प्रथाओं को लागू किया है, जो कार्यस्थलों को कागज रहित, सहयोगी और ऊर्जा-कुशल बनाते हैं। एक कायम रहने वाला सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा, जो बदलती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल है और जो लचीलापन, विश्वसनीयता, सुरक्षा, अखंडता और कम लागत वाला है पर ध्यान केंद्रित करके परिचालन उत्कृष्टता की आवश्यकता से प्रेरित था।

IX.48 रिजर्व बैंक ने अपने आईसीटी सिस्टम को अगली पीढ़ी की एप्लीकेशनों के लिए उच्च-उपलब्धता, मापनीयता, बढ़ी हुई सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए एक इनबिल्ट आर्किटेक्चर के साथ उन्नत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। सुरक्षा और गोपनीयता, जो डिजाइन और आईटी प्रणालियों और प्रथाओं की रचना में सन्निहित हैं, वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

IX.49 महामारी के समय में रिजर्व बैंक के आईसीटी बुनियादी ढांचे का निर्बाध कामकाज जिसमें महत्वपूर्ण भुगतान एप्लिकेशन एनईएफटी और आरटीजीएस शामिल हैं; कोर बैंकिंग समाधान ई-कुबेर; मुद्रा के लिए ट्रेजरी संचालन, विदेशी मुद्रा बाजार और सरकारों (केंद्र और राज्यों) के लिए ऋण प्रबंधन, विभाग के लचीलेपन और कार्य कुशलता को दर्शाता है। वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख मील के पत्थर में आरटीजीएस 24x365 की सुविधा के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण में समर्थन शामिल है; ई-कुबेर के माध्यम से घरेलू रक्षा पेंशन भुगतान का संवितरण और हाल ही में लॉन्च किए गए "सारथी" (यानी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली) एप्लिकेशन के साथ पेपरलेस कार्यालय का कार्यान्वयन।

प्रमुख पहल

आरटीजीएस 24x365

IX.50 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सिस्टम 14 दिसंबर, 2020 (बॉक्स IX.3) की मध्यरात्रि के समय 24x365 आधार पर लाइव हुआ। जबकि भारत पहले से ही खुदरा भुगतान प्रणालियों में अग्रणी के रूप में पहचाना जाता है, 24x365 आरटीजीएस का शुभारंभ भारत को दुनिया भर में बड़े मूल्य की

भुगतान प्रणालियों में अग्रणी बनाता है। इस विकास के साथ, देश अब दुनिया का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार है, जहां वित्तीय प्रणाली एकीकृत हैं और समय और स्थान पर निर्भर नहीं हैं।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) सिस्टम

IX.51 सरकारी उधार की लागत को कम करने और स्वायत्त निकायों (एबी) / उप-स्वायत्त निकायों (उप-एबी), ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के लिए निधि प्रवाह की दक्षता बढ़ाने के लिए

बॉक्स IX.3

आरटीजीएस 24x365, देश के अनुभव से सबक सहित

आरटीजीएस प्रणाली, एक बड़े मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, वास्तविक समय के आधार पर किसी भी दो आरटीजीएस सक्षम बैंक खातों के बीच धन के अंतरण को सक्षम बनाता है। आरटीजीएस, जिसने 26 मार्च 2004 को चार बैंकों को शामिल करते हुए एक सॉफ्ट लॉन्च के साथ अपना परिचालन शुरू किया, अब 242 प्रतिभागियों की सदस्यता है। 2004 में अपनी स्थापना के बाद से, आरटीजीएस में कई बदलाव हुए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है 2013 में आईएसओ 20022 संदेश मानकों को अपनाना। 26 अगस्त, 2019 को लागू अंतिम विस्तार के साथ आरटीजीएस परिचालन समय को नियमित अंतराल पर बढ़ाया गया, आरटीजीएस प्रणाली को 7:00 पूर्वाह्न से 7:45 बजे के बीच उपलब्ध कराया गया। चौबीसों घंटे संचालन शुरू करने से पहले, आरटीजीएस प्रणाली ₹4.17 लाख करोड़ के मूल्य के लिए प्रतिदिन 6.35 लाख लेनदेन संभाल रही थी।

दिसंबर 2019 में 24x365 आधार पर एनईएफटी के सफलतापूर्वक लागू होने और उसके बाद से सुचारू संचालन के बाद, यह महसूस किया गया कि, भारतीय वित्तीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण के उद्देश्य से चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने और व्यापक भुगतान लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए और घरेलू कॉरपोरेट और संस्थानों को व्यापक भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए, आरटीजीएस प्रणाली भी चौबीसों घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की थी कि, आरटीजीएस वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। यह सब 14 दिसंबर, 2020 से आरटीजीएस 24x365 के लॉन्च के साथ समाप्त हुआ। लॉन्च के बाद, सप्ताह के दिनों में औसत दैनिक मात्रा में मामूली वृद्धि हुई। 28 दिसंबर, 2020 को, आरटीजीएस प्रणाली ने 9.56 लाख ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन के सर्वकालिक उच्च स्तर को संभाला। आरटीजीएस प्रणाली वर्तमान में शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों सहित सभी दिनों में उपलब्ध है और मध्यरात्रि के आसपास दिन के अंत की गतिविधि को पूरा करने में लगने वाले समय को छोड़कर हर समय उपलब्ध है।

देश के अनुभव से सबक

भारत 24x365 आधार पर आरटीजीएस उपलब्ध कराने वाले बहुत कम देशों में से एक है। 24x365 सेवा प्रदान करने वाले दो अन्य देश मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका हैं। दक्षिण अफ्रीका का आरटीजीएस सिस्टम जिसे साउथ अफ्रीकन मल्टीपल ऑप्शन सेटलमेंट (एसएएमओएस) सिस्टम के रूप में जाना जाता है, को बड़े मूल्य के इंटरबैंक लेनदेन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे घरेलू इंटरबैंक सेटलमेंट प्रथाओं को लाने के लिए विकसित किया गया था। एसएएमओएस सिस्टम 9 मार्च 1998 को अपनी स्थापना के बाद से 24x365 काम कर रहा है। इसमें उसी दिन निपटान की सुविधा अगस्त, 2004 से आरंभ हो गई थी। सिस्टम आधी रात को बंद हो जाता है और अगले कारोबारी दिन में चला जाता है, जबकि निर्देश पूरे दिन प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक छुट्टियों और रविवार को, सिस्टम खुदरा बैंक निपटान की अनुमति देता है। बैंकों को प्रत्येक दिन के लिए अंतिम चलनिधि स्थिति का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, 16:30 और 16:55 के बीच 25 मिनट की एक विंडो आवंटित की जाती है।

मैक्सिको इंटरबैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम (एसपीआई) संचालित करता है, एक बड़े मूल्य का फंड ट्रांसफर सिस्टम जिसमें प्रतिभागी स्वयं या अपने ग्राहकों के बीच स्थानांतरण कर सकते हैं। इस प्रणाली का संचालन 13 अगस्त 2004 से शुरू हुआ। प्रतिभागियों को अपने खातों के ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं है। केंद्रीय बैंक, खाताधारक सेवा प्रणाली (एसआईएसी) के माध्यम से मैक्सिकन वित्तीय एजेंटों के खातों का प्रबंधन करता है, जिसका उपयोग प्रतिभागियों को चलनिधि प्रदान करने के लिए किया जाता है। केवल मैक्सिको में पंजीकृत बैंक ही एसआईएसी प्रणाली में संपार्श्विक इंद्राडे ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। एसपीआईआई सिस्टम 19:00 बजे से 17:35 घंटे के बीच काम करता है।

स्रोत : आरबीआई, बीआईएस और बैंको डी मैक्सिको (सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको) ।

व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) की सिफारिश के साथ 1 अगस्त 2020 से चरणबद्ध विस्तार लागू किया गया था। रिज़र्व बैंक टीएसए में प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है। एबी और सब-एबी के असाइनमेंट अकाउंट्स को ई-कुबेर में विभिन्न श्रेणियों की अनुदान-प्राप्त सहायता और निर्धारित सीमा के विरुद्ध व्यय को प्राप्त करने के लिए खोला जाता है। टीएसए एबी / यूपी -एबी को सिर्फ-इन-टाइम फंड रिलीज की सुविधा देता है और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) के ई-कुबेर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के बीच एकीकरण के साथ सीधे प्रक्रिया (एसटीपी) पर संचालित होता है।

रक्षा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संवितरण

IX.52 रिज़र्व बैंक ने 7 सितंबर, 2020 से रक्षा पेंशनभोगियों के व्यापक पेंशन पैकेज (सीपीपी) को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया और ई-कुबेर में उन्नत ई-भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से मासिक पेंशन के स्वचालित क्रेडिट की सुविधा प्रदान की।

उन्नत मेल गेटवे और एक्सचेंज स्कैन समाधान का कार्यान्वयन

IX.53 एक उन्नत मेल गेटवे समाधान जो सहसंबद्ध आसूचना के माध्यम से बाहर से पारंपरिक और लक्षित हमलों से मेल मैसेजिंग सिस्टम (एमएमएस) के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लागू किया गया था। इसके अलावा, प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग, दस्तावेज़ शोषण का पता लगाने, संदिग्ध फ़ाइलों का कस्टम सैंडबॉक्स विश्लेषण और यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) का उपयोग करके एक एक्सचेंज विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करना, भी लागू किया गया था।

सारथी - इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस)

IX.54 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और प्रतिरक्षित तरीके से दस्तावेज़ प्रसंस्करण और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को सुविधाजनक बनाने और स्वचालित करने के लिए सारथी नामक अपनी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। इसके कार्यान्वयन से उत्पादकता में वृद्धि, कुशल रिपोर्ट प्रबंधन और कम कागजी वातावरण लाने की उम्मीद है।

एप्लिकेशन को सिंक्योर रिमोट एक्सेस टूल के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसने कोविड-19 महामारी के समय में दूर से काम करना आसान बना दिया।

2020-21 के लिए एजेंडा: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.55 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नेक्स्ट जनरेशन का स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम (एनजीएसएफएमएस): प्रस्तावित एनजीएसएफएमएस मौजूदा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) प्लेटफॉर्म को नया रूप देगा और आर्कीटेक्चर को सरल बनाएगा, मापनीयता और लचीलापन लाएगा और साथ ही आंतरिक एप्लीकेशनों जैसे आरटीजीएस, बैंकों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और एनईएफटी (उत्कर्ष) [पैरा IX.56] के बीच संदेश संचार के उद्यम ढांचे को बढ़ावा देगा।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्योरिटी लेयर का विस्तार और आधुनिकीकरण: रिज़र्व बैंक की आंतरिक और परिधि फायरवॉल और घुसपैठ प्रबंधन समाधान [यानी, शासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी)] सहित सुरक्षा परतों का समेकन, वृद्धि और स्वचालन, साइबर लचीलापन बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा (पैरा IX.57);
- पूरे रिज़र्व बैंक में नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस तकनीक वाईफ़ाई-6: वाई-फ़ाई अवसंरचना के उन्नयन के लिए रिज़र्व बैंक में नई उभरती हुई तकनीक वाईफ़ाई-6 को अपनाने की पहल की जाएगी, जिसमें नए एक्सेस पॉइंट (नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस तकनीक के साथ उपलब्ध, अर्थात वाईफ़ाई-6) तैनात किया जाएगा (पैरा IX.58); और

- रिजर्व बैंक कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन2.0) के लिए एग्रीगेटर के रूप में: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक नई भुगतान प्रणाली लागू कर रहा है, अर्थात्, कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0), पूर्ववर्ती ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली ओएलटीएएस को नई प्रणाली में शामिल करते हुए। ई-कुबेर में नई प्रणाली प्राधिकृत एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त राशियों के लिए संग्रहकर्ता बैंक और एग्रीगेटर दोनों के रूप में रिजर्व बैंक के कार्यों को सुविधाजनक बनाएगी (पैरा IX.59)।

लक्ष्यों की कार्यान्वयन स्थिति

अगली पीढ़ी संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एनजीएसएफएमएस)

IX.56 भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 में स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) का उन्नयन किया। एसएफएमएस, रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों के लिए उपयोग की जाने वाली संदेश प्रणाली है। उन्नत एसएफएमएस संस्करण सरलीकृत आर्कीटेक्चर, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में सर्वोत्तम उद्योग प्रथाएँ, भविष्य में किसी भी बदलाव के लिए बहुत आवश्यक लचीलेपन के लिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण और कुछ बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा लेयर का विस्तार और आधुनिकीकरण

IX.57 कार्यालय परिसर के बाहर से रिजर्व बैंक के एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रिमोट एक्सेस क्षमता को लागू करके सुरक्षा नियंत्रणों को बढ़ाया गया था। समाधान उपयोगकर्ता मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण, एंड पॉइंट प्रमाणीकरण और स्वास्थ्य जांच और एक सुरक्षित नेटवर्क गेटवे के माध्यम से सुरक्षित एक्सेस तनेल के माध्यम से कई स्तरों पर सुरक्षा जांच प्रदान करता है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के एंडपॉइंट और ईमेल सुरक्षा नियंत्रणों को बढ़ाने के लिए प्रीडिक्टिव मशीन लर्निंग और व्यवहार विश्लेषण के साथ नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस सल्यूशन

भी लागू किया गया है।

रिजर्व बैंक में सभी जगहों पर नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस प्रौद्योगिकी

IX.58 रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय भवन (सीओबी) और अन्य चयनित कार्यालय स्थानों (चार महानगरों सहित) में कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बेतार संचार सेवा (बीएसएस) संचार परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसने सभी कार्यालयों में इंटरनेट सेवा की समग्र परिचालन क्षमता, दृश्यता और विश्वसनीयता में सुधार किया है। प्लेटफॉर्म दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक चैनल भी प्रदान करता है और किसी भी आकस्मिक स्थिति में वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क के लिए बैकअप के रूप में कार्य करता है।

टैक्स सूचना नेटवर्क के लिए रिजर्व बैंक एग्रीगेटर के रूप में

IX.59 रिजर्व बैंक प्रत्याक्ष कर लेखन प्रणाली (प्रकल्प) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-कुबेर प्रणाली के एकीकरण की प्रक्रिया में है। ई-कुबेर में नई प्रणाली रिजर्व बैंक को ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) के साथ-साथ एनईएफटी/आरटीजीएस मोड के माध्यम से और अधिकृत एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त राशियों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगी।

2021-22 के लिए एजेंडा

IX.60 उत्कर्ष के तहत विभाग के 2021-22 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- अगली पीढ़ी का डेटा केंद्र: अगली पीढ़ी के डेटा केंद्र की व्यवहार्यता की जांच और आने वाले वर्षों के लिए रिजर्व बैंक के आईसीटी रोडमैप को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रोटोटाइप योजना तैयार करना;
- डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन: इसके मौजूदा डेटा केंद्रों के गैर-आईटी

बुनियादी ढांचे का कार्याकल्प किया जा रहा है। इष्टतम क्षमता योजना और ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक है, जिसमें डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है; तथा

- *अगली पीढ़ी के ई-कुबेर का कार्यान्वयन:* ई-कुबेर सरकार, बैंकों और अन्य बाजार सहभागियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ/के लिए रिजर्व बैंक की प्रमुख वित्तीय सेवाएं और परिचालन कर रहा है। तकनीकी विकास का लाभ उठाकर कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सिस्टम को रिफ्रेश किया जा रहा है और प्रक्रियाओं के उन्नत स्वचालन, बाहरी और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण का लचीलापन, परिवर्तन प्रबंधन में आसानी, बढ़ी हुई मॉड्यूलरिटी, व्यापक रीयल टाइम डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, फ्रंट एंड सुधार की सुविधा, उत्पादकता में वृद्धि और मजबूत नियंत्रण प्रदान करेगा।

4. निष्कर्ष

IX.61 संक्षेप में, रिजर्व बैंक ने देश में अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली विकसित करने और उपभोक्ताओं के डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए अपने प्रयास जारी रखे। इन पहलों ने बेहतर लेन-देन दक्षता और एक सुखद डिजिटल अनुभव के साथ कम नकदी वाले समाज की ओर सुगमता से बढ़ने की सुविधा प्रदान की है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के बीच, भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए भी प्रयास किए गए। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी अवसंरचना में वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे दक्षता में सुधार हुआ। इसने डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके सरकारी लेनदेन के लिए कवरेज का विस्तार करने में भी मदद की। आगे जाकर, भुगतान ईकोसिस्टम को मजबूत करना, जागरूकता बढ़ाना और देश भर में डिजिटल भुगतान की सुविधा सुनिश्चित करना रिजर्व बैंक के ध्यान में प्रमुख क्षेत्र होंगे।

महामारी के कारण उत्पन्न व्यवस्थागत व्यवधानों के प्रतिक्रियास्वरूप रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान संचार, वर्चुअल बैठकों, वेब-कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के अभिनव साधनों को अपनाया। आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान को फिर से परिभाषित किया गया, और सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, सार्कफाइनेन्स की अध्यक्षता का कार्यकाल पूरा किया और जी-20 के प्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) की सह-अध्यक्षता की। महामारी की स्थिति में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रभावी नकदी प्रबंधन और ठोस प्रबंधन समय की प्राथमिकताएं थीं। ठोस और कुशल वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कई विधायी पहल/संशोधन किए गए।

X.1 महामारी के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने जनता तक अपनी पहुँच को व्यापक बनाने के लिए वर्चुअल प्लेटफार्मों का सहारा लिया। व्यवस्थागत चुनौतियों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ संबंधों को और मजबूत किया गया। मुद्रा के लिए एहतियाती मांग बढ़ जाने से ई-कुबेर के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करके केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। वैश्विक वित्तीय बाजारों और महामारी की वजह से आस्ति की कीमतों में आई अस्थिरता का मुकाबला करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत किया गया। नीति-उन्मुख अनुसंधान किए गए, और प्रमुख प्रकाशनों का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित किया गया। डेटा साइंस लैब (डीएसएल) की स्थापना और लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं की शुरुआत करके सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम से संबंधित कई संशोधन किए गए/कानून पेश किए गए।

X.2 इस परिप्रेक्ष्य में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। अगले खंड में रिज़र्व बैंक की अपनी संचार रणनीति और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रमुख पहल को प्रस्तुत किया गया

है। खंड 3 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों सहित रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है। खंड 4 में सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। खंड 5 में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के तौर-तरीकों की समीक्षा की गयी है। खंड 6 में अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें सांविधिक रिपोर्ट और प्रमुख शोध प्रकाशन में शामिल हैं। खंड 7 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। खंड 8 में विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। अंतिम खंड में समापन निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 संचार विभाग (डीओसी) की कार्यप्रणाली जनता के साथ परस्पर संवाद द्वारा संचालित की जाती है, जो रिज़र्व बैंक की नीतियों के प्रसार में पारदर्शिता, स्पष्टता, परिशुद्धता, समयबद्धता और विश्वसनीयता के उद्देश्य से प्रेरित है। जनता के विश्वास को बढ़ाने और उनकी प्रत्याशाओं को पूरा करने के युक्तिपूर्ण उद्देश्यों ने ही नीतिगत घटनाक्रमों/पहलों के प्रसार और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, मीडिया इंटरफ़ेस, अनौपचारिक कार्यशालाओं, और सोशल मीडिया जैसे कई चैनलों के माध्यम से उनके औचित्य का मार्ग प्रशस्त किया है।

X.4 अतीत में, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को अपने सार्वजनिक संचार की प्रकृति और माध्यम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) बाद से, पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर प्रसार संचार की पहचान बन गए थे, जिनकी परीक्षा कोविड-19 महामारी के दौरान हुई। वित्तीय स्थिरता संबंधी संचार अब सामान्य और संकट दोनों समय में केंद्रीय बैंकों के संचार का एक अभिन्न हिस्सा है और

उन्होंने इसमें मौद्रिक नीति संचार को भी जोड़ दिया है, जो केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यनीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान करते हैं। इस तरह के संचार जनता से अधिक से अधिक जुड़ते हैं और केंद्रीय बैंकों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान बना देते हैं। हालाँकि, महामारी जैसे संकट के समय में ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं (बॉक्स X.1)।

बॉक्स X.1

महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक का संचार

केंद्रीय बैंक संचार का उपयोग अपनी नीतियों और विनियमों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में करते हैं। कोविड-19 के महानजर संचार की प्रकृति और माध्यम में प्रमुख बदलाव आए हैं, जो लगातार विकसित हो रहे हैं।

ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

चूंकि आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर परिवर्तन अचानक, बेहद अनियमित और बेतरतीब थे, इसलिए महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक के संचार का ध्यान इन पर केंद्रित हो गए: (ए) महामारी के परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कई उपायों के इरादे और औचित्य को सुदृढ़ करना; (बी) नीतिगत उपायों के संबंध में कुछ अग्रगामी मार्गदर्शन प्रदान करना, खासकर जब विस्तारित अवधि के लिए प्रतिबद्ध हो; (सी) किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए तत्काल मूल्यांकन प्रदान करके वित्तीय स्थिरता संबंधी आश्वासन देना; (डी) किसी भी हड़बड़ी वाली प्रतिक्रिया को रोकने के लिए आर्थिक एजेंटों की प्रत्याशाओं का प्रबंधन, जो समस्या को बढ़ा सकता है; (ई) सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण पर आश्वासन देने के लिए विनिर्दिष्ट अधिदेश से परे बाजारों और गतिविधियों की श्रेणी को कवर करना; (एफ) डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा विशेषताओं के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाना क्योंकि अधिकांश लोग डिजिटल लेनदेन करने लगे हैं; और (जी) अनिश्चितताओं के कारण संचार की प्रायिकता में वृद्धि।

केंद्रीय बैंक के गवर्नर आम तौर पर महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति के अपने आकलन को ध्यान में रखकर औचित्यपूर्ण उपायों की घोषणा करने में सामने से मोर्चा संभालते हैं, और वित्तीय स्थिरता की स्थिति पर विश्वास पैदा करते हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय स्थिरता की सुदृढ़ता को सुधारने का नियमित काम भी जारी रहे। कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के महानजर, जनता, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों के सदस्यों के साथ डिजिटल प्लेटफार्मों पर उच्चतम स्तर से प्रत्यक्ष संवाद मुख्य आधार बन गए। लगभग सभी केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया का समर्थन करने, किसी भी प्रकार की समय-पूर्व चलनिधि की निकासी से बचने और मौद्रिक नीति को समय-पूर्व सख्त करने से बचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता

जताई। हितधारक केंद्रीय बैंकों की कार्रवाइयों के मायने उनके संचार, कार्रवाई और संकेतों से निकालते हैं। (शक्तिकांत दास, 2021)।

साधन

महामारी में संचार के माध्यमों में भी बदलाव आया जहां सुव्यवस्थित संचार माध्यमों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे गैर-पारंपरिक साधनों का प्रयोग करके, विशिष्ट लक्ष्य समूहों के अनुरूप भेजे जाने वाले संदेशों की छंटाई करके और सीधे जनता तक पहुंचने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग करके अनौपचारिक, असंरचित संचार माध्यम जुड़ गए। संचार में पारदर्शिता, सरलता और सक्रियता ने विश्वास को मजबूत किया और भयानक संकट के इस दौर में इसका लाभ मिला। रिजर्व बैंक ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया और इन अभियानों पर मिली प्रतिक्रिया की निगरानी की गयी। इसने सोशल मीडिया पर नजर रखने और उसपर ध्यान देने के लिए एक सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी) भी बनाया है।

घर से कार्य (डब्ल्यूएफएच) की परिस्थिति पर बढ़ती निर्भरता के बीच, संचार के डिजिटल साधनों को बल मिला। सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीमिंग के माध्यम से केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के कार्यक्रमों को सहजता से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर प्रमुख केंद्रीय बैंकों के प्रत्यक्ष संचार में विश्वास उनके सोशल मीडिया अकाउंट फॉलोअर्स में वृद्धि से परिलक्षित हुआ। उदाहरण के लिए, इस अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या एक मिलियन से अधिक हो गई। कोविड-19 संसाधनों पर केंद्रित पोर्टल बनाने, अनुभव साझा करने, विशेष रूप से उत्पादन के बारे में और नियमित विज्ञप्तियों के प्रसार के मामले को लेकर कई केंद्रीय बैंक अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल हुए।

धोखाधड़ी और फर्जी सूचनाओं की जाँच करना

जहां कोविड-19 से संबंधित सामाजिक प्रतिबंधों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों ने कारोबार निरंतरता और सुचारु कामकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए अच्छा काम किया, वहीं केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय परिदृश्य को सहारा

(जारी)

प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग में जनता के विश्वास को सुदृढ़ किया। केंद्रीय बैंकों ने सुरक्षित सोशल बैंकिंग प्रथाओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया। वित्तीय शिक्षा के लिए ये प्रयास काम के साबित हुए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान फ़िशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में लिप्त कुछ धोखाधड़ी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली शरारतें बढ़ गई थी। वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ बैंकनोट्स और कोरोना वायरस के बीच लिंक जैसे लेनदेन की प्रकृति के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विनिवेश और अफवाहों की बढ़ती घटनाओं को केंद्रीय बैंक के अभियानों द्वारा निपटा गया। उनमें से कुछ ने मार्च 2020 में तीन संदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वक्तव्य जारी किए: (i) बैंकनोट से संक्रमण का कोई विशेष खतरा नहीं है, (ii) नकदी की आपूर्ति सुरक्षित है, और (iii) खुदरा विक्रेता नकदी स्वीकार करना जारी रखेंगे।

ध्यान देना

जहां महामारी के दौरान विस्तृत आर्थिक आंकड़ों के प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुए, वहीं दबाव बिंदुओं का त्वरित और यथार्थवादी मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके बाद, केंद्रीय बैंकों ने जनता की धारणा को जानने और

सीधे जनता के प्रतिनिधियों को सुनने के लिए अपने नियमित सूचना प्रवाह को पूरक बना लिया। केंद्रीय बैंक के प्रत्यक्ष संचार ने लोगों के सही नज़र को पकड़ लिया और इससे विश्वास को बनाए रखने और महामारी के दौरान विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिली। रिज़र्व बैंक ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया और इन अभियानों के संबंध में मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नज़र रखा।

मुख्य सार

इस प्रकार, जहां कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अप्रत्याशित रूप से कार्रवाई की, वहीं प्रत्यक्ष और अधिकाधिक निरंतर संवाद का फायदा हुआ और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने एवं अत्यधिक अनिश्चित समय में बाजारों को स्थिर करने के उपायों का समर्थन करने में इससे मदद मिली।

संदर्भ:

8 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का साक्षात्कार।

X.5 बाजार में व्याप्त कई साम्यावस्था को देखते हुए, न केवल तथ्यों के बारे में जनता को अवगत कराना बल्कि किसी भी गलतफहमी से बचाव करना भी महत्वपूर्ण है, जिसका परिणाम स्वतः साधक भविष्योक्ति के रूप में होता है जो संतुलन को न्यून करने का कारण बनती हैं। आत्मविश्वास को बहाल करने की आवश्यकता है ताकि अपेक्षाएं स्थिर हो सकें। इन विचारों ने वर्ष 2020-21 के दौरान रिज़र्व बैंक की समग्र संचार नीति को संचालित किया, जिसे असुरक्षित, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (वीयूसीए) समय के तौर पर चित्रित किया गया। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए रिज़र्व बैंक ने संचार रणनीति में प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया को सबसे आगे रखा।

X.6 इसलिए, विभाग ने वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से रिज़र्व बैंक की नीतियों का प्रसार किया; आवश्यकता-आधारित औपचारिक और अनौपचारिक वर्चुअल मीडिया कार्यशालाओं के माध्यम से रिज़र्व बैंक की नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाया; बहुभाषी और प्रगाढ़ बहु-सांस्कृतिक समाज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा किया। सोशल मीडिया अभियानों

के लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग के माध्यम से जन जागरूकता प्रयासों की पहुंच को व्यापक बनाकर; और उनकी बेहतर समझ के लिए जनता के बीच अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं जवाबदेही तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के अंतर्निहित उद्देश्य से, सुविचारित रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय मीडिया से जुड़े रहकर इसे सुगम बनाया गया। बदले में, केंद्रीय बैंक के अधिदेश, अभिशासन, नीतियों, परिचालन और परिणामों के लिए औचित्य को सही ठहराने में मदद मिली, इस प्रकार अनिश्चितता को कम करने और एक सार्वजनिक संवाद को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली जो उम्मीदों का सहारा बन सकता है और बेहतर नीतियों को बढ़ावा दे सकता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.7 पिछले साल, विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग संबंधी मुद्दों पर मीडिया के लिए कार्यशालाएं/ सत्र चलाना (पैरा X.8);

- जन जागरूकता कार्यक्रमों और सोशल मीडिया में मौजूदगी के माध्यम से समाज के साथ संबंध को प्रगाढ़ बनाना (पैरा X.9 – X.12); और
- अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अनुरूप सोशल मीडिया निगरानी व श्रवण के लिए 'सोशल मीडिया कमान केंद्र' के निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा (पैरा X.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

संचार नीति

X.8 रिजर्व बैंक की संचार नीति को तकनीकी प्रगति, संचार के साधनों में परिवर्तन और अन्य गतिविधियों को अपनाने के लिए अद्यतन किया गया। अद्यतन नीति में संचार नीति के उद्देश्य, लक्षित समूह, माध्यम एवं साधन और परिचालन प्रथाएं शामिल हैं, और क्षेत्रीय स्तर के संचार के लिए दिशानिर्देशों को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों ने कुछ गतिविधियों को प्रभावित किया, तथापि विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 के दौरान मीडिया के लिए वर्चुअल और भौतिक कार्यशालाओं का सहारा लिया और वर्ष के दौरान अनौपचारिक ब्रीफिंग की।

लक्ष्य-विशिष्ट संचार

X.9 अलग-अलग उम्र/हित समूहों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से तदनुकूल संचार शुरू किया गया। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक की सभी कोविड-19 संबंधित उपायों तक आसानी से पहुँच के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर अलग टैब बनाया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोक हित के अनुरूप संदेश जारी किए गए और इन्हें रिजर्व बैंक की वेबसाइट के पृष्ठ 'आरबीआई कहता है' और यूट्यूब चैनल के तहत रखा गया।

आरबीआई वेबसाइट 2.0

X.10 वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी हितधारकों के साथ अधिक प्रभावी और आकर्षक संचार के लिए एक पुनः डिजाइन किए गए रिजर्व बैंक की वेबसाइट के विकास संबंधी कार्य उत्तम श्रेणी के

डिजिटल अनुभव प्लेटफॉर्म (डीएक्सपी) के माध्यम से किया गया।

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार

X.11 महामारी की शुरुआत होने के साथ जहां संगठनों ने बड़े पैमाने पर डिजिटल संचार और ऑनलाइन काम के माहौल की ओर रुख किया, वहीं सोशल मीडिया संचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया। तदनुसार, रिजर्व बैंक के ट्विटर हैंडल @RBI के फॉलोअर्स की संख्या एक मिलियन से पार करके 31 मार्च 2021 को 1.15 मिलियन तक पहुँच गयी, जो फॉलो किए जाने वाले दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा है। रिजर्व बैंक के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 31 मार्च 2021 तक 76,100 तक थी, जिसका उपयोग व्यापक रूप से मौद्रिक नीति घोषणाओं के लाइव प्रसारण, रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन के भाषणों एवं साक्षात्कारों के प्रकाशन, और वित्तीय शिक्षा के लिए किया जाता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके जन जागरूकता पहुँच को बढ़ाना

X.12 ज्योंही कोविड-19 की अवधि में डिजिटल लेनदेन कई गुना बढ़ गए, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग, नामांकन सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं पर लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने हिंदी, अंग्रेजी और ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में सार्वजनिक जागरूकता संदेशों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए अपने दूसरे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @RBIsays का सक्रिय रूप से उपयोग किया। जन जागरूकता पर नए सोशल मीडिया क्रिएटिव को वर्ष 2020-21 के दौरान हर महीने कम से कम एक बार पोस्ट किया गया। 'आरबीआई कहता है' माइक्रोसाइट को नियमित रूप से जन जागरूकता अभियानों संबंधी सामग्री के साथ अपडेट किया जाता है, जब कभी वे टेलीविजन, समाचार पत्रों, डिजिटल और सोशल मीडिया

सारणी X.1: सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के लिए विषय-वस्तु की सूची

अवधि	अभियान
अक्टूबर – नवंबर 2020	1. नामांकन और निपटान की सुविधा - समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, वेबसाइट और एसएमएस।
दिसंबर 2020 – जनवरी 2021	2. सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग (साइबर सुरक्षा) - समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स और वेबसाइट।
फरवरी 2021	3. वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 के दौरान तीन विषयों, अर्थात (i) समय पर चुकौती और ऋण इतिहास का निर्माण, (ii) केवल औपचारिक संस्थानों से उधार लेना, और (iii) जिम्मेदार उधारी पर टीवी और रेडियो में ई-पोस्टर और ऑडियो-विजुअल स्पॉट का प्रसारण।
मार्च 2021	4. डिजिटल बैंकिंग की सुविधा पर एक मल्टी-मीडिया अभियान - समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, सिनेमा थिएटर, वेबसाइट और एसएमएस। 5. डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग - साइबर सुरक्षा पर प्रिंट, डिजिटल और होर्डिंग में अभियान। 6. टीवी और रेडियो पर कार्ड की सीमा तय करने संबंधी अभियान।

प्लेटफार्मों के माध्यम से जारी किए जाते हैं (टेबल्स X.1 - X.3) नए सिरे से तैयार किया गया, और सामग्री को आसान तरीके से। इसके अलावा, माइक्रोसाइट को एक आकर्षक रूप देने के लिए एक्सेस करने के लिए संरचना की गई।

सारणी X.2: सोशल मीडिया पर जारी संदेश

अवधि	संदेश/पोस्ट
जुलाई 2020	1. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स (जीआईएफ) - पहचान की चोरी 2. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - अवांछित कॉल / लिंक का जवाब नहीं देना 3. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - यूपीआई आधारित भुगतान लिंक 4. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - दोषपूर्ण ऐप्स के इन्स्टॉलेशन से बचें
अगस्त 2020	5. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में 13 भाषाओं में जीआईएफ - फोन / ईमेल / एसएमएस पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करने के लिए 6. रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बातों के संबंध में पोस्ट 7. घर से सुरक्षित रूप से लेनदेन करके स्वतंत्रता का जश्न मनाने संबंधी पोस्ट
सितंबर 2020	8. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के बारे में सावधानी बरतने संबंधी पोस्ट - कार्ड की जानकारी को साझा नहीं करने के लिए 9. सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के बारे में सावधानी बरतने संबंधी पोस्ट - ऑनलाइन लेनदेन के लिए सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करना 10. खाते में धोखाधड़ी लेनदेन के मामले में ग्राहक की सीमित देयता संबंधी पोस्ट 11. श्री अमिताभ बच्चन, ब्रांड एम्बेसडर के साथ विभिन्न विषयों पर जनता के लिए जागरूकता संदेश
अक्टूबर 2020	12. श्री अमिताभ बच्चन के साथ 13 भाषाओं में विभिन्न विषयों पर जागरूकता संदेश
नवंबर 2020	13. नामांकन और निपटान सुविधा संबंधी दो पोस्टर
दिसंबर 2020	14. रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बातों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट 15. अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म / मोबाइल ऐप के विरुद्ध सोशल मीडिया सावधानी संबंधी पोस्ट 16. ऋण किस्तों का समय पर चुकौती - विषय पर 13 भाषाओं में ट्विटर और फेसबुक (एफबी) पोस्ट के बाद ट्विटर पोल
जनवरी 2021	17. नामांकन और निपटान सुविधा, फर्जी पेशकश, सीमित देयता और लेनदेन की सीमा निर्धारित करना - विषयों पर 13 भाषाओं में ट्विटर और एफबी पोस्ट के बाद ट्विटर पोल
फरवरी 2021	18. रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बातों संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट। 19. औपचारिक स्रोतों से ऋण, जिम्मेदार उधारी और समय पर चुकौती - विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह के पोस्टर और वीडियो लिंक।
मार्च 2021	20. ट्विटर और एफबी पर साइबर सुरक्षा संबंधी वीडियो जारी करना। 21. जोखिम बनाम प्रतिलाभ, सैंशे पोर्टल पर शिकायत करना, कार्ड से छेड़छाड़ / चोरी होने के मामले में बैंक को सूचित करना और बैंक के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना - तीन विषयों में से प्रत्येक पर तेरह भाषाओं में ट्विटर और एफबी पोस्ट के बाद ट्विटर पोल। 22. भारतीय रिजर्व बैंक संग्रहालय, कोलकाता में अस्थायी प्रदर्शनी के बारे में ट्विटर और एफबी पर पोस्ट।

सारणी X.3: अत्यधिक प्रभावशाली कार्यक्रमों की सूची

चैनल	अवधि
1. दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो	अक्टूबर 2020 - मार्च 2021
2. कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) 2020	सितंबर 2020 - दिसंबर 2020
3. इंडियन प्रीमियर लीग 2020	सितंबर 2020 - नवंबर 2020
4. भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज 2020	नवंबर 2020 - जनवरी 2021
5. भारत-इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज 2021	मार्च 2021

X.13 रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया पर नज़र रखने और गौर करने के लिए एक सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी) बनाया।

अन्य पहल

X.14 सामयिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालने और सामयिक मुद्दों को समझने तथा बैंकिंग, कुछ वित्तीय संस्थाओं, रिज़र्व बैंक के उपायों और हित संबंधी अन्य मुद्दों के बारे में किसी भी गलत जानकारी को दूर करने के अलावा केंद्र सरकार के तथ्य-जाँच करने वाले पोर्टल्स, सोशल मीडिया हैंडल के साथ मिलकर काम करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए।

आरबीआई संग्रहालय

X.15 कोलकाता स्थित आरबीआई संग्रहालय मुद्रा, स्वर्ण और रिज़र्व बैंक के उद्भव संबंधी कहानियों को अपनी कलाकृतियों, प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी और खेलों के माध्यम से बताता है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष में ज्यादातर समय आगंतुकों के लिए बंद रखने के बाद संग्रहालय को 18 जनवरी 2021 को फिर से खोल दिया गया। रिज़र्व बैंक संग्रहालय उन लोगों के लिए एक वर्चुअल टूर की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है जो व्यक्तिगत रूप से संग्रहालय का दौरा करने में असमर्थ हैं। रिज़र्व बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था, रिज़र्व बैंक संग्रहालय के साथ-साथ जनता को वित्तीय साक्षरता संदेशों से संबंधित व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने @therbimuseum शीर्षक के तहत अपना दूसरा फेसबुक पेज लॉन्च किया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.16 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार माध्यमों को और मजबूत किया जाएगा, और उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रयास किए जाएंगे:

- रिज़र्व बैंक संग्रहालय का एक नया खंड जनता के लिए खोलना, जो रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों और कार्यों के लिए समर्पित होगा;
- बेहतर सूचना संरचना के साथ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को सशक्त करना;
- महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्रीय मीडिया के लिए वर्चुअल/भौतिक कार्यशालाओं/सत्रों का संचालन जारी रखना; तथा
- समाज के साथ जुड़ाव को और गहरा करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों, सोशल मीडिया की मौजूदगी और संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग करना।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.17 वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ। अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद को वर्चुअल माध्यमों से स्थापित करने में लगा हुआ है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.18 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) से जुड़े मुद्दों, जिनके अंतर्गत 16वीं कोटा की सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू), उधार संबंधी द्विपक्षीय करार (बीबीए) और आईएमएफ की उधार संबंधी नई व्यवस्थाएँ

- (एनएबी) शामिल हैं, पर अनुवर्ती कार्रवाई (उत्कर्ष) [पैरा X.19 – X.20];
- आईएमएफ के साथ अनुच्छेद-IV परामर्श (उत्कर्ष) [पैरा X.21];
 - मौजूदा सार्कफाइनेन्स के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकलापों को पूरा करना, जिसके अंतर्गत स्वैप सहयोग, क्षमता वर्धन, संयुक्त अनुसंधान शामिल है (उत्कर्ष) [पैरा X.22 -X.24];
 - भारत द्वारा वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के मद्देनजर ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ), आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) और अन्य पहलों के जरिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाना (उत्कर्ष) [पैरा X.25 – X.26];
 - वर्ष 2023 में अध्यक्षता संभालने की दृष्टि से तैयारी के तौर पर जी20 के साथ कार्य में तेजी लाना [पैरा X.27];
 - बीआईएस बोर्ड के गवर्नरों की द्विमासिक एवं अन्य बैठकों से संबंधित गतिविधियों, वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) की बैठकों, और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के लिए इनपुट मुहैया कराना [पैरा X.28 – X.30];

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आईएमएफ और आईएफए से संबंधित मुद्दे

X.19 विभाग ने जी20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप (आईएफए डबल्यूजी) की बैठकों में भाग लिया, और उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को पूंजी प्रवाह और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट से संबंधित मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए।

X.20 विभाग ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभिक चेतावनी अभ्यास; वैश्विक नीतिगत कार्य-योजना; आईएमएफ अभिशासन सुधार;

एनएबी का दोहरीकरण; 2016 के नोट खरीद करार (एनपीए) के एक वर्ष का विस्तार; और 2020 के एनपीए में भारत की भागीदारी के संबंध में वर्चुअली आयोजित वार्षिक फंड-बैंक की बैठकों के दौरान रिजर्व बैंक प्रबंधन को इनपुट प्रदान किए।

X.21 महामारी को देखते हुए, आईएमएफ के साथ अनुच्छेद IV के कार्य को टाल दिया गया। हालांकि, विभाग ने आईएमएफ स्टाफ की यात्रा को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया। आईएमएफ के अनुच्छेद IV विचार-विमर्श सभा अब जुलाई 2021 में आयोजित होने की संभावना है, जो कि आईएमएफ के करार की शर्तों के अंतर्गत एक निगरानी अभ्यास है। विभाग के अन्य योगदानों में आईएमएफ की विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध (एआरईईआर) संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के लिए इनपुट का प्रावधान और समष्टि-आर्थिक नीतिगत सर्वेक्षण और अन्य आईएमएफ एवं विश्व बैंक सर्वेक्षणों में इसकी भागीदारी शामिल है।

ब्रिक्स, सार्क और द्विपक्षीय सहयोग

X.22 सार्कफाइनेन्स (एसएफ) अध्यक्ष के रूप में, रिजर्व बैंक ने कई पहल किए (बॉक्स X.2)। 40वीं और 41वीं सार्कफाइनेन्स गवर्नर समूह की बैठक (एसएफजीजीएम) वर्चुअल रूप में क्रमशः नवंबर 2020 और मार्च 2021 में आयोजित की गयी जिसमें सार्कफाइनेन्स सिंक का उद्घाटन किया गया जो कि सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच एक सीमित उपयोगकर्ता समूह सुरक्षित संचार पोर्टल है।

X.23 रिजर्व बैंक ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंट्रल बैंकिंग' और 'द प्रोमिस ऑफ़ फिनटेक: फाइनेंशियल इंकलूजन इन द पोस्ट कॉवेड-19 एरा' पर दो वर्चुअल वेबिनार आयोजित किए। जुलाई 2020 में वार्षिक एसएफ डेटाबेस (एसएफडीबी) वर्किंग ग्रुप की बैठक डेटाबेस की गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान का समर्थन करने पर केंद्रित थी। अपने तकनीकी बैठकों के दौरान एसएफ डेटाबेस में डेटा अंतराल को पहचानने और पाटने के प्रयास किए गए।

X.24 क्षमता वर्धन पहल के तहत, भारत में डॉक्टरेट अध्ययन करने हेतु वर्ष 2021 के लिए एसएफ छात्रवृत्ति चार अधिकारियों

बॉक्स X.2

सार्कफाइनेन्स और आरबीआई द्वारा की गयी पहल

सार्कफाइनेन्स (एसएफ) सार्क क्षेत्र के केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक नेटवर्क है, जिसकी स्थापना इस क्षेत्र की व्यापक आर्थिक नीतियों के संबंध में संवाद स्थापित करने और आपसी अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए 9 सितंबर 1998 को की गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक की एसएफ अध्यक्षता को कोविड-19 महामारी की वजह से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया गया था।

वर्ष के दौरान पूरा किया गया एक प्रमुख कार्य, सार्कफाइनेन्स सिंक (एसएफ सिंक) का निम्नलिखित विशेषताओं के साथ किया गया विकास था:

- यह विभिन्न एसएफ पहलों के तहत होने वाली गतिविधियों को ट्रैक करेगा;
- इस पोर्टल के माध्यम से व्यवस्थागत सहायता, कार्यक्रम, सेमिनार और बैठकों का समन्वय किया जाएगा;
- पोर्टल शोधकर्ताओं को न केवल दस्तावेजों को साझा करने में सक्षम करेगा बल्कि सहयोगपूर्ण अध्ययनों पर समयोचित संवादों में सक्रिय रूप से भाग लेगा; तथा
- डेटा और दस्तावेज रिपॉजिटरी खंड एसएफ सिंक में अभिलेखागार का निर्माण करेगा।


रिजर्व बैंक द्वारा दो नई पहलों की शुरुआत की गयी। सबसे पहले, 'रिटायर्ड रिसोर्स पर्सन्स की निर्देशिका' लॉन्च की गई, जो मौद्रिक नीति; समष्टि-आर्थिक अनुसंधान; वित्तीय समावेशन; और भुगतान प्रणाली सहित 14 केंद्रीय बैंक गतिविधियों पर विशेषज्ञों का एक पूल प्रदान करती है। दूसरा, वित्तीय समावेशन प्लेटफॉर्म को सार्क देशों में वित्तीय समावेशन और साक्षरता संबंधी पहलों की सूचना भंडार के रूप में बनाया गया, जो इस क्षेत्र में एक ज्ञान नेटवर्क विकसित करेगा।

सार्क देशों के लिए वर्ष 2019-22 के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू किया गया। भूटान, मालदीव और श्रीलंका को स्वैप सहायता प्रदान की गई, जो कि फरवरी 2020 से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का है।

रिजर्व बैंक फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर संयुक्त एसएफ सहयोगपूर्ण अध्ययन का नेतृत्व कर रहा है। मार्च 2021 में वार्षिक एसएफ ई-न्यूजलेटर का पहला अंक जारी किया गया।

आरबीआई की अध्यक्षता का फोकस क्षेत्र केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग था। रिजर्व बैंक की एसएफ अध्यक्षता का समापन 2 मार्च 2021 को एसएफ गवर्नर्स के संगोष्ठी में 'केंद्रीय बैंकों में सुपटेक के उपयोग' पर मुख्य सत्र और 'केंद्रीय बैंकों में साइबर सुरक्षा' पर एक पैनल चर्चा के साथ हुआ (चार्ट 1)।

चार्ट 1: रिजर्व बैंक की एसएफ अध्यक्षता के तहत गतिविधियों का घटनाक्रम



स्रोत: आरबीआई

को प्रदान की गई, जिसमें वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान; बांग्लादेश बैंक; मालदीव मोनेटरी अथॉरिटी और नेपाल राष्ट्र बैंक के अधिकारी शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2021 में 'कोविड-19 महामारी के दौरान डेटा संकलन और विश्लेषण' विषय पर श्रीलंका, नेपाल और भूटान के केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों के साथ तकनीकी जानकारी साझा की। सुपटेक, खुदरा भुगतान, साइबर सुरक्षा, डेटा और उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्रों को शामिल करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए पेपर्स फरवरी 2021 में सार्क केंद्रीय बैंकों को परिचालित किए गए। श्रीलंका और भारत के सह-नेतृत्व में 'वित्तीय क्षेत्र के विनियामकीय व्यवस्था की तुलना' पर एसएफ सहयोगपूर्ण अध्ययन मार्च 2021 में आयोजित 41वें एसएफजीजीएम में प्रस्तुत किया गया।

X.25 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने तीसरे ब्रिक्स सीआरए टेस्ट रन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसने सीआरए की परिचालनगत तत्परता को और बढ़ा दिया है। सीआरए के अंतर्गत विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2020 में ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन जारी किया, जो एक वार्षिक दस्तावेज है। बीबीएफ के परिचालन और अभिशासन संबंधी पहलुओं का खाका तैयार किया गया और पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। ब्रिक्स सदस्यों के बीच सूचना सुरक्षा और भुगतान प्रणाली संबंधी सहयोग को क्रमशः ब्रिक्स रैपिड इन्फोर्मेशन सेक्यूरिटी चैनल (बीआरआईएससी) और ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स (बीपीटीएफ) द्वारा बढ़ावा दिया गया।

X.26 भारत ने 1 जनवरी 2021 को ब्रिक्स अध्यक्ष का पदभार संभाला। विभिन्न ब्रिक्स कार्य-क्षेत्रों के तहत, जनवरी से मार्च 2021 तक तकनीकी समूहों की 16 बैठकें आयोजित की गईं। पहली ब्रिक्स प्रतिनिधियों की बैठक और ब्रिक्स सीआरए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक क्रमशः फरवरी और मार्च 2021 में हुईं।

जी20 और इसके कार्य समूह

X.27 अन्य जी20 सदस्यों की सहमति से भारत की जी20 अध्यक्षता को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। विभाग ने जी20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी),

और वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की वर्चुअल बैठकों के लिए इनपुट प्रदान किए। रिज़र्व बैंक ने जी20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) और इसके अन्य फोकस समूहों, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (आईडब्ल्यूजी) और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फाइनेंशियल इंकलुजन (जीपीएफआई) की बैठकों में भी भाग लिया। जी20 इटालियन अध्यक्षता ने हरित कार्य-योजना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पहले के सस्टेनेबल फाइनेंस स्टडी ग्रुप को सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (एसएफडब्ल्यूजी) में बदल दिया है। भारत सरकार (जीओआई) और रिज़र्व बैंक दोनों ही एसएफडब्ल्यूजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बीआईएस गतिविधियां

X.28 विभाग ने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्विमासिक बैठकों में चर्चा की गयी कई विभिन्न विषयगत मुद्दों, विशेषकर कोविड-19 प्रेरित नीतिगत प्रतिक्रियाओं और ईएमडीई के लिए मध्यावधि चुनौतियों पर शीर्ष प्रबंधन को सहयोग और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करना जारी रखा। विभाग ने बीआईएस समितियों, विशेष रूप से सीजीएफएस की विभिन्न अन्य बैठकों के लिए भी योगदान दिया और शीर्ष प्रबंधन को सहायता भी प्रदान की।

वैश्विक वित्तीय विनियमन संबंधी एफएसबी पहल

X.29 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली कमजोरियों के आकलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। विभाग ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों और वित्तीय स्थिरता से संबंधित जोखिमों पर एफएसबी में भारत के रुख को तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किए।

X.30 विभाग ने एशिया के लिए एफएसबी के क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आरसीजी) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत उसके सह-अध्यक्ष के रूप में था। इसने भारत द्वारा महामारी के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं की जानकारी साझा करने हेतु एफएसबी के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया। विभाग ने एफएसबी के 'टू-बिग-टू-फेल' (टीबीटीएफ)

सुधारों के प्रभावों के मूल्यांकन और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से वैश्विक रुझानों और जोखिमों के आकलन के लिए एफएसबी की वार्षिक निगरानी अभ्यास के लिए डेटा के समन्वित प्रस्तुतिकरण में भी योगदान दिया और लाइबोर संक्रमण, संकट की तैयारी, और ओटीसी डेरिवेटिव में सुधारों के कार्यान्वयन संबंधी एफएसबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इनपुट प्रदान किए।

अन्य गतिविधियां

X.31 डब्ल्यूटीओ के तत्वावधान में भारत की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की सातवीं समीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित की गई। विभाग ने भारत के सचिवालय रिपोर्ट (एसआर) और सरकार की रिपोर्ट (जीआर) पर सदस्य देशों द्वारा उठाए गए सवालियों का समय पर जवाब देकर विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसने विश्व बैंक वित्त, प्रतिस्पर्धा और नवाचार (एफसीआई) ग्लोबल प्रैक्टिस टीम के साथ मिलकर काम किया।

X.32 रिजर्व बैंक ने आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) और दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। इसके कई अधिकारियों ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान एसईएसीईएन और एसएआरटीटीएसी द्वारा आयोजित वेबिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। 19 जनवरी 2021 को वर्चुअली आयोजित एसएआरटीटीएसी की अर्धवार्षिक संचालन समिति की बैठक में भी रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया गया था। रिजर्व बैंक ने जी24 और जी30 के अनुसंधान पहलों के लिए समर्थन देना जारी रखा।

X.33 भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) के तहत छमाही परामर्श अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया। खुदरा भुगतान सेवाओं के साथ ही आर्थिक और वित्तीय बाजार की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करके बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच दूसरा वार्षिक वरिष्ठ स्तरीय संवाद (एसएलडी) नवंबर 2020 में आयोजित किया गया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.34 वर्ष 2021-22 में, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 16वीं जीआरक्यू, द्विपक्षीय उधारी करार (बीबीए) और आईएमएफ की उधार लेने संबंधी नई व्यवस्था (एनएबी) सहित आईएफए डबल्यूजी से संबंधित मुद्दों पर आगे की कार्यवाही करना (उत्कर्ष);
- भारतीय आईएमएफ मिशन द्वारा आईएमएफ अनुच्छेद IV निगरानी का सफलतापूर्वक पूरा करना (उत्कर्ष);
- स्वैप सुविधा के माध्यम से सार्क देशों का समर्थन करना जारी रखना (उत्कर्ष);
- ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत बीबीएफ, सीआरए और बीआरआईएससी सहित विभिन्न पहलों के तहत कार्य करना जारी रखना (उत्कर्ष); तथा
- वर्ष 2023 में अध्यक्षता संभालने के क्रम में जी20 के साथ अपने संबंध को मजबूत करना।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.35 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिजर्व बैंक की आंतरिक लेखांकन नीतियों के निर्धारण के अलावा बैंकों के बैंक और सरकारों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के कार्यों की देखरेख करता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.36 पिछले साल विभाग ने उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्र सरकार की प्रणालियों को उनके ई-प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रह और ई-भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान – ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना (पैरा X.37 – X.38)।
- शेष राज्य सरकारों के सिस्टम को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना (पैरा X.39);

- गैर-जीएसटी लेनदेन के लिए प्रभावशाली रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना (पैरा X.40);
- सरकारी लेनदेन के लिए डैशबोर्ड स्थापित करना (पैरा X.41); तथा
- जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए ऑनलाइन त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) समाधान प्रक्रिया के लिए बाकी बचे राज्य सरकारों को एकीकृत करना (पारा X.42)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

केंद्र सरकार के सिस्टम को उनके ई-प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रह और ई-भुगतान करने के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना

X.37 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) सिस्टम को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करके सीमा शुल्क, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) जैसे केंद्र सरकार के

करों के संग्रह, और एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान मोड के माध्यम से रिजर्व बैंक के पास सरकारी लेखा में सीधे मुआवजा उपकर जमा करने की व्यवस्था की गयी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अतिरिक्त है, जिसे 1 जुलाई 2019 से इस मोड के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है।

X.38 केंद्र सरकार की स्वायत्त निकायों द्वारा ई-भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली को 16 वित्तीय निकायों और उनके उप-स्वायत्त निकायों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के ई-कुबेर के मौजूदा एकीकरण का फायदा उठाते हुए शुरू किया गया (बॉक्स X.3)। ई-कुबेर के साथ एसपीएआरएसएच [सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)] सिस्टम के एकीकरण के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करके रक्षा पेंशनरों के पेंशन भुगतान करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय भी ई-कुबेर से जुड़ गया।

बॉक्स X.3

केंद्र सरकार की स्वायत्त निकायों द्वारा ई-भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम

केंद्रीय बजट वर्ष 2014-15 में की गई घोषणा के आधार पर, भारत सरकार (जीओआई) ने सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) की स्थापना की थी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता वाली ईएमसी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की, कि सरकार के उधारी लागत को कम करने और एबी को निधि प्रवाह में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार धीरे-धीरे सभी स्वायत्त निकायों (एबी) को टीएसए प्रणाली के अंतर्गत ला सकती है।

एबी के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य सरकारी राशि को बैंक खातों में निष्क्रिय रखे रहने से बचना और सरकार के नकदी प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंध करना है। धनराशि जारी करने के लिए 'ठीक समय पर' का सिद्धांत टीएसए प्रणाली के तहत एबी को निधि प्रवाह की दक्षता को बढ़ाता है, जबकि बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करता है क्योंकि यह आवश्यक पड़ने पर सरकारी खाते से धन की निकासी की सुविधा देता है, और इससे एबी के पास अनुपयोगी अनुदानों के संचय से बचने में भी मदद करता है, जिससे उधार ली गई धनराशि पर लागत कम हो जाता है।

टीएसए फ्रेमवर्क की शुरुआत भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से महालेखा नियंत्रक कार्यालय के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

(पीएफएमएस) और रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के एकीकरण का लाभ उठाकर की गयी थी। टीएसए प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- रिजर्व बैंक किसी भी एजेंसी बैंक को शामिल किए बिना संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है;
- एबी और सब-एबी को रिजर्व बैंक के पास 'समनुदेशन लेखा' खोलना अपेक्षित है और इन लेखा से व्यय सीमा की उपलब्धता के अधीन है;
- एबी और उप-एबी के इन लेखा को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को टैग करके सरकारी लेखा के रूप में माना जाता है; और लेनदेन (नामे/जमा) स्वचालित रूप से भारत सरकार की नकद स्थिति की गणना में शामिल हो जाता है;
- एबी और उप-एबी के लेखा में सभी लेनदेन, अंतिम लाभार्थी को ई-भुगतान की सीमाएं और प्रसंस्करण सहित, पीएफएमएस - ई-कुबेर एकीकरण के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं;

(जारी)

- v. एबी और उप-एबी को दी गई सीमा को गतिशील रूप से बदला (बढ़ा दिया या वापस लिया) जा सकता है। ई-भुगतान निर्देशों के सफल संसाधन से उपलब्ध समनुदेशन की सीमा कम हो जाती है और यदि कोई हो, तो रिजर्व बैंक की बही में उस सीमा तक समनुदेशन की सीमा को बढ़ा दिया जाता है;
- vi. वित्तीय वर्ष के अंत में सभी समनुदेशन सीमाएं समाप्त हो जाती हैं; तथा
- vii. सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाते हैं और रिजर्व बैंक के पास खोले गए एबी के लेखा से कोई भौतिक भुगतान नहीं होता है। विनिर्दिष्ट अंतराल पर आवश्यक सूचनाएं ई-कुबेर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीएफएमएस को भेजी जाती हैं।

और ज्यादा एबी और उनके उप-एबी को टीएसए के दायरे में लाने हेतु 1 अगस्त 2020 और 1 अक्टूबर 2020 से दो चरणों में टीएसए प्रणाली का विस्तार करने

के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 12 मई 2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। वर्तमान में, टीएसए प्रणाली से लगभग 900 सब-एबी के साथ कुल 16 एबी जुड़े हैं। प्रथम चरण के कार्यान्वयन के बाद से 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक भारत सरकार द्वारा ₹32,325 करोड़ की निवल राशि को सीमा के रूप में समनुदेशित किया है और अब/सब-एबी द्वारा ₹31,351 करोड़ खर्च किए गए हैं। आगे चलकर, इसके फायदों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के भुगतानों के कवरेज के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से किसी विशेष एबी/सब-एबी को भुगतान और इसके लेखांकन और संसाधन सहित कई प्रकार के भुगतानों के कवरेज के संदर्भ में टीएसए प्रणाली का विस्तार हो सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं के समय पर निवारण के लिए टीएसए हेल्पडेस्क की भी व्यवस्था की गयी है।

स्रोत: आरबीआई

बाकी बचे राज्य सरकारों के सिस्टम को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना

X.39 वर्ष के दौरान, ई-भुगतान के लिए जहां उत्तर पूर्व से एक राज्य सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश जुड़े, वहीं दो राज्य सरकारों ने परीक्षण कर लिया है और ई भुगतान के लिए जल्द ही ई-कुबेर से जुड़ने की उम्मीद है। दो अन्य राज्य सरकारों ने इच्छा व्यक्त की है और वे एकीकरण के लिए तकनीकी अपेक्षाओं की जांच कर रहे हैं।

गैर-जीएसटी लेन-देन के लिए एक प्रभावशाली रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना

X.40 मानकीकृत प्रणाली के स्वचालित प्रेषण की एक प्रणाली ऐसी राज्य सरकारों के लिए स्थापित की गयी जो पहले से ही ई-कुबेर के साथ एकीकृत हैं। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को रिजर्व बैंक के ई-कुबेर के साथ एकीकृत संबंधित सरकारों के लेनदेन की स्थिति की निगरानी के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की गई।

सरकारी लेनदेन के लिए डैशबोर्ड स्थापित करना

X.41 ई-कुबेर के साथ एकीकृत सरकारों के लिए एक डैशबोर्ड सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन

कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन की समस्या के कारण अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए ऑनलाइन त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) समाधान प्रक्रिया के लिए बाकी बचे राज्य सरकारों को एकीकृत करना

X.42 वर्ष के दौरान, जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए सात राज्य सरकारों को ऑनलाइन एमओई प्रक्रिया का विस्तार किया गया। जहां तीन राज्य सरकारों ने परीक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही लाइव होने की उम्मीद है, वहीं ग्यारह और राज्य सरकारें परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

अन्य पहल

X.43 एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) वेब-आधारित समन्वय प्रणाली सहित सरकारी लेनदेन के संसाधन, समन्वय एवं रिपोर्टिंग और मशीन उपभोज्य प्रारूपों में रिपोर्ट और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करने और नए भुगतान मोड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रसीद संग्रह के एजेंसी बैंक द्वारा रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने में सुधार करने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई।

X.44 टैक्स सूचना नेटवर्क 2.0 के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के संग्रह की सुविधा के लिए ई-कुबेर के साथ सभी हितधारक

प्रणालियों के एकीकरण; नेपाल में रहने वाले रक्षा पेंशनरों को पेंशन भुगतान सक्षम बनाने; खाता सत्यापन का प्रावधान; और आधार-आधारित भुगतान से संबंधित कार्य भी वर्ष के दौरान किए गए।

X.45 नवगठित केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लद्दाख के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के विलय वाले केंद्रों के मामले में आवश्यक व्यवस्था की गई ताकि सरकार के स्तर पर लेखांकन स्वामित्व के सुचारु परिवर्तन की सुविधा मिल सके।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.46 वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य-योजना का प्रस्ताव किया है:

- ई-भुगतान और ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के एकीकरण के जारी कार्य-योजना को पूरा करना;
- ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान लेनदेन की स्व-निगरानी के लिए सरकारों को डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करना;

- ई-कुबेर में सरकारी शेष की दैनिक स्थिति संसाधन का स्वचालन; तथा
- एजेंसी कमीशन गणना और एजेंसी बैंकों को भुगतान करने की एक स्वचालित प्रक्रिया को लागू करना।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन


X.47 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) के प्रबंधन के लिए सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के निवेश उद्देश्यों के साथ कार्य करता रहा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च 2021 में एफईआर में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

X.48 ऋणात्मक/कम ब्याज दर का माहौल, जिसे आने वाले समय में बने रहने की उम्मीद है, एफईआर के विनियोजन के युक्तिपूर्ण उद्देश्यों से समझौता किए बिना एफईआर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को चुनौतियां दे रहा है (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4

निम्न प्रतिफल परिवेश में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन की चुनौतियाँ


अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें पिछले चार दशकों से घट रही हैं और वर्ष 2020 में ये कई देशों में अपने ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गईं



हैं (चार्ट 1)। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल वर्ष 1981 में 15.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2020 में 1 प्रतिशत से नीचे आ गई है। यूरो जोन, जापान और स्विटजरलैंड जैसी कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरें और सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल वर्षों से ऋणात्मक हैं। लंबे समय तक ब्याज दर के वातावरण के लिए इसे अत्यंत-निम्न होना वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है, जिसे सांकेतिक दरों को दो भागों - वास्तविक ब्याज दरें और मुद्रास्फीति/अपेक्षित मुद्रास्फीति में अपघटन करके बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जहां पिछले कुछ दशकों से वास्तविक दरों में गिरावट देखी जा रही है, वहीं कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने लक्ष्यों को मुद्रास्फीति बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, कम मुद्रास्फीति पिछले एक दशक से एक प्रतिमान बन गया है (चार्ट 2 और 3)। वास्तविक दरों में गिरावट की प्रवृत्ति को संभावित विकास दर में गिरावट, जनसांख्यिकीय कारकों, आय असमानता और सुरक्षित संपत्ति

(जारी)

चार्ट 2: 10-वर्षीय सरकारी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड प्रतिफल (वास्तविक)




की मांग से संबंधित कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन कारकों में संरचनात्मक परिवर्तन से संतुलनकारी वास्तविक दरों में गिरावट आई है और उन्हें मध्यम से दीर्घ अवधि तक कम रहने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से कम मुद्रास्फीति के वातावरण के कुछ कारण हैं: सीमा पार से आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण, वस्तु की कम कीमतें, कम वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में गिरावट, और पैसे के वेग में गिरावट।

यह कम प्रतिफल वाला वातावरण इसे आम तौर पर आर्क्षित प्रबंधकों के लिए और विशेष रूप से आर्क्षित निधि प्रबंधकों को उनके जोखिम वहन-क्षमता को देखते हुए उनके पोर्टफोलियो से उचित रिटर्न उत्पन्न करने के लिए दुष्कर कार्य बना देता है। विकसित दुनिया भर में ऋणात्मक प्रतिफल देने वाले कर्ज के विशाल और बढ़ते ढेर ने इस समस्या को बढ़ा दिया है और पूंजी संरक्षण के लिए चुनौतियां पेश की हैं। इस स्थिति को कोविड-19 महामारी द्वारा और अधिक बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और अभूतपूर्व मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का विस्तार हुआ है।

संरचनात्मक कम प्रतिफल वातावरण भविष्य में काफी समय तक बने रहने की उम्मीद है। इसलिए, आर्क्षित निधि प्रबंधक, प्रतिलाभ को बनाए रखने और

चार्ट 3: हेडलाइन मुद्रास्फीति



बढ़ाने के लिए आर्क्षित निधि के प्रबंधन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण से परे देखने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या यह सुरक्षित आस्तियों में निवेश द्वारा पूरा किया जा सकता है क्योंकि यह आर्क्षित निधि आस्तियों की एक अनिवार्य विशेषता है। सुरक्षा के अधीन, वे अपने पोर्टफोलियो की अवधि बढ़ाने, नई आर्क्षित वर्गों, नई मुद्राओं और बाजारों में निवेश, क्रेडिट गुणवत्ता की अपेक्षाओं की छूट, और उनके सोने के शेयरों के सक्रिय प्रबंधन द्वारा आर्क्षित विविधीकरण को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि, आर्क्षित निधि प्रबंधन रणनीतियों का इष्टतम मिश्रण जोखिम वहन-क्षमता, निवेश प्राथमिकताओं, कौशल सेटों और आर्क्षित निधि प्रबंधन के समग्र उद्देश्यों पर विचार करना होगा।

संदर्भ:

1. केली, एम. टी. (2019), 'द ग्लोबल इक्विलिब्रियम रियल इंटररेस्ट रेट: कॉन्सेप्ट्स, एस्टिमेंट्स, एंड चैलेंजेज', *फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिस्कशन सीरीज*, फेडरल रिजर्व बोर्ड, वाशिंगटन, डी.सी.
2. लेन, फिलिप आर (2019), 'डिडिमेंट्स ऑफ रियल इंटररेस्ट रेट', *नेशनल ट्रेजरी मैनेजमेंट एजेंसी*, डबलिन में 28 नवंबर को दिया गया भाषण।

X.49 रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स स्वैप और रिपो परिचालन को बढ़ाने और नए उत्पादों की संभावनाओं की तलाश करते हुए विविधीकरण कार्यनीति के रूप में सोने की खरीद जारी रखी। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन के दौरान, विभाग ने

अपनी सामान्य गतिविधियों को जारी रखा और एफईआर प्रबंधन और सिस्टम सुरक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ मौजूदा कारोबार निरंतरता व्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ-साथ सभी सर्वोत्तम प्रथाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.50 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उन्नत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (उत्कर्ष) [पैरा X.51];
- विशिष्ट अनुसंधान इनपुट (उत्कर्ष); [पैरा X.52] और
- निवेशों की सुरक्षा में समझौता किए बगैर, लाभकारी विनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधियों का प्रभावी विविधीकरण (पैरा X.53)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.51 वर्ष के दौरान, विभाग ने आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाया। इसके अलावा, मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की लगातार समीक्षा की गई, विशेषकर महामारी द्वारा प्रभावित वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए।

X.52 विभाग में समर्पित अनुसंधान इनपुट के लिए एक आंतरिक बाजार अनुसंधान इकाई बनाई गयी।

X.53 सुरक्षा और चलनिधि मानकों का पालन करते हुए विदेशी मुद्रा स्वैप और रिपो बाजारों में परिचालन बढ़ाने, सोने के अधिग्रहण और नए बाजारों/उत्पादों की खोज के लिए आरक्षित निधि के विविधीकरण के लिए कदम उठाए गए थे। निवेश की सुरक्षा से समझौता किए बिना मौजूदा मुद्राओं और उत्पादों में लाभकारी विनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधि का प्रभावी विविधीकरण सुनिश्चित किया गया, खासकर कम प्रतिफल वाले ब्याज के माहौल में।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.54 वर्ष 2021-22 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के विनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों, नए क्षेत्राधिकारों बाजारों का पता लगाना जारी रखना और यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया में बाहरी विशेषज्ञों से सलाह लेना;
- एफईआर प्रबंधन के लिए सामयिक ट्रेजरी प्रबंधन समाधान के रूप में आईटी का लाभ उठाना (उत्कर्ष); तथा
- आस्तियों के लिए भारत औसत लागत की दैनिक गणना आधारित रॉल-आउट प्रणाली।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.55 रिजर्व बैंक के ज्ञान केंद्र और विचार-मंच के रूप में, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर)¹ नीति निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से व्यावसायिक अनुसंधान करता है। विभाग प्राथमिक डेटा तैयार करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में द्वितीयक डेटा का भंडार केंद्र और प्रसारक भी है। रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टों, अग्रणी शोध प्रकाशनों, बाह्य विशेषज्ञों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न परिचालनात्मक विभागों और तकनीकी समूहों/समितियों को तकनीकी सहायता के लिए भी विभाग जिम्मेदार है।

¹ रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों से संबंधित विषयों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए 1 फरवरी 2016 को स्थापित कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) को अब 1 अक्टूबर 2020 से आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.56 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मुद्रास्फीति और संवृद्धि के पूर्वानुमानों में सुधार के वैकल्पिक मॉडल (उत्कर्ष) [पैरा X.57];
- नगरपालिका वित्त संबंधी अध्ययन (उत्कर्ष) [पैरा X.57];
- सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों को जारी करना (उत्कर्ष) [पैरा X.58];
- भारत में ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाज़ार पर गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा (एनडीएफ) बाज़ार के स्पिलओवर प्रभाव; ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति गतिकी; राज्यों के विवेकपूर्ण व्ययन के निर्धारक-तत्व; तथा अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) और शेयर सूचकांक के बीच के संबंध पर अध्ययन (पैरा X.59);
- “मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा” विषय पर मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट के प्रकाशन को फिर से शुरू करना (पैरा X.60);
- वर्ष 1997 से 2008 तक की अवधि से संबंधित रिज़र्व बैंक के इतिहास के खंड-5 का विमोचन (पैरा 61);
- केंद्रीय पुस्तकालय के डिजिटल रूप में उपलब्ध सामग्री का जनसाधारण के लिए पहुँच को आसान बनाना (पैरा X.63);
- अभिलेखागारों में उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्डों का प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए प्रलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास (पैरा X.63);
- मशीन लर्निंग टूल्स पर आधारित वास्तविक समय के साथ आर्थिक दृष्टिकोण/रुझान पर नज़र रखना (उत्कर्ष) [पैरा X.64];
- नीतिगत सुधारों के प्रभाव का गहराई से सूक्ष्म विश्लेषण, उदाहरण के लिए, भारत में हरित वित्त (उत्कर्ष) [पैरा X.64]; तथा

- रिज़र्व बैंक के अन्य परिचालनगत और अनुसंधान विभागों साथ-साथ बाहर के विद्वानों के साथ सहयोग को बढ़ाना [पैरा X.64]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 महंगाई के पूर्वानुमान के लिए नए मॉडल विकसित किए गए, जिनमें से एक “मूल मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्थिक मंदी का एक वैकल्पिक पैमाना” शीर्षक से आरबीआई आवसरिक पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में 200 से अधिक नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों के आधार पर एक व्यापक डेटा संग्रह कार्य चल रहा है।

X.58 अंतिम देश के आधार पर सेवा क्षेत्र में भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधी डेटा (विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्टिंग प्रणाली पर आधारित) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

X.59 वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 60 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए, जिनमें से 22 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पत्रिकाओं में रिज़र्व बैंक के बाहर प्रकाशित हुए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान वेबसाइट पर 12 वर्किंग पेपर डाले गए। प्रकाशित अध्ययनों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें प्रवृत्ति मुद्रास्फीति; काउंटर पर मुद्रा डेरिवेटिव में कीमत भेदभाव; बैंक पूंजी और मौद्रिक नीति प्रसारण; सार्वजनिक कर्ज स्थिरता; वित्तीय दबाव माप; और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान का संयोजन शामिल है।

X.60 “मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा” विषय पर मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट फरवरी 2021 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के तहत लक्ष्यों, प्रक्रियाओं, परिचालन प्रक्रियाओं और खुली अर्थव्यवस्था गतिकी के मुद्दों पर चर्चा की गयी है।

X.61 वर्ष 1997 से 2008 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक का इतिहास, खंड- 5 के प्रकाशन से संबंधित कार्य पूरा होने के करीब है जिसे वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किया जाएगा।

X.62 जनता के लिए व्यापक प्रसार और आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय लाइब्रेरी ने रिजर्व बैंक के डिजिटाइज़ किए गए प्रकाशनों को अपलोड किया, जिसमें रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org) पर 1997 तक की वार्षिक रिपोर्ट, बुलेटिन और स्टाफ स्टडीज शामिल हैं।

X.63 आरबीआई पुरालेख में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेजों को स्टोर करने, खोजने, पुनर्प्राप्ति और साझा करने के लिए एक प्रलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरबीआईटी) को सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

X.64 मशीन लर्निंग टूल्स (उदाहरण के लिए, न्यूरल नेटवर्क और यादृच्छिक वन तकनीक) का उपयोग करके जीडीपी वृद्धि के लिए एक तात्कालिक अनुमान मॉडल दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 की मौद्रिक नीति योजना (एमपीएस) बैठकों में प्रस्तुत किया गया। रिजर्व बैंक के जनवरी 2021 के मासिक बुलेटिन में भारत में हरित वित्त पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। विभाग ने रिजर्व बैंक के भीतर और बाहर दोनों कई सहयोग परियोजनाओं पर साथ मिलकर कार्य किया, जिसमें ओवर-द-काउंटर करेंसी डेरिवेटिव्स, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय मितव्ययिता, और नौकरियों के विनिर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं।

अन्य पहल

X.65 वर्ष के दौरान, विभाग ने संकलित मौद्रिक राशि; भुगतान संतुलन; विदेशी कर्ज; प्रभावी विनिमय दर; संयुक्त सरकारी वित्त; हाउसहोल्ड वित्तीय बचत; और स्थापित समयसीमा और गुणवत्ता मानकों पर निधि प्रवाह से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार जारी रखा। कोविड के बाद डेटा अंतराल से निपटने के लिए, आर्थिक गतिविधियों के नए उच्च आवृत्ति संकेतकों को वैकल्पिक संकेतकों को निकालने के लिए पारंपरिक संकेतकों के साथ जोड़ा गया जो अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव और सामान्यीकरण की गति का भी आकलन करने में मदद करता है।

X.66 आंतरिक चर्चा मंच डीईपीआर स्टडी सर्कल, और केंद्रीय पुस्तकालय ने विभिन्न अनुसंधान विषयों पर वर्ष के दौरान 44 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतियाँ/कार्यशालाएं आयोजित कीं। शैक्षणिक संस्थानों से संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन साक्षात्कार भी आयोजित किए।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.67 वर्ष 2021-22 के लिए विभाग की कार्य-योजना निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित होगी:

- रिजर्व बैंक आवासरिक पत्रों और वर्किंग पेपर्स में प्रकाशन के लिए शोध अध्ययनों की संख्या में वृद्धि(उत्कर्ष);
- बिग डेटा एप्लीकेशन्स के माध्यम से समाचार-पत्र कवरेज के आधार पर प्रगामी कृषि जिंस कीमत संबंधी रुख का विश्लेषण (उत्कर्ष);
- केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)] परियोजना के अंतर्गत डेटा संकलन के लिए आंतरिक विशेषज्ञता का विकास; तथा
- कोलकाता स्थित रिजर्व बैंक संग्रहालय की पहली मंजिल पर एक भ्रमणकारी प्रदर्शनी का आयोजन।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.68 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) का लक्ष्य समष्टि-वित्तीय आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और प्रसार करना है और डेटा प्रबंधन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय अनुसंधान और प्रगामी सर्वेक्षणों के माध्यम से रिजर्व को सांख्यिकीय सहयोग और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, डीएसआईएम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिजर्व बैंक के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का रखरखाव करता है, जो ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म के माध्यम से विवरणी का केंद्रीकृत प्रस्तुतीकरण करता है, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए इनपुट के

तौर पर उद्यमों और हाउसहोल्ड्स से संबंधित संरचित सर्वेक्षण करता है और सक्रिय रूप से सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में जुटा रहता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.69 पिछले साल विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीएमआईएस) को पूरी तरह से चालू करना (उत्कर्ष) [पैरा X.70 - X.71];
- ग्रैन्यलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएल) और डेटा साइंस लैब (डीएसएल) में उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण स्थापित करना (उत्कर्ष) [पैरा X.70 - X.71];
- स्टटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानकों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके में तत्व-आधारित रिपॉजिटरी स्थापित करना जिससे मेटाडेटा संचालित आंकड़ों का रखरखाव और प्रसार प्रणाली का परिचालन हो सकेगा (उत्कर्ष) [पैरा X.70- X.71];
- लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) के लिए एंड-टू-एंड सिस्टम विकसित करना (उत्कर्ष) [पैरा X.72];
- डीएसएल का परिचालन प्रारंभ करना (उत्कर्ष) [पैरा X.73];
- समष्टि-आर्थिक संकेतकों की मॉडलिंग, तात्कालिक अनुमान और पूर्वानुमान के क्षेत्रों में नीति संबंधी अनुसंधान करना जिसमें वेब-क्रॉलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शामिल है (उत्कर्ष) [पैरा X.73];
- एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए अत्याधुनिक एकल सर्च सुविधा वाला केंद्रीय

धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) पोर्टल विकसित करना जिससे कि ऋण देने का निर्णय लेते समय इनसे प्राप्त सूचना से सहायता मिल सके (पैरा X.74); और;

- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) का हाउसहोल्ड्स के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के सदृश्य सभी शहरी केंद्रों में विस्तार करना (पैरा X.75)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.70 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना के अंतर्गत, रिजर्व बैंक के डेटा केंद्रों पर आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण देरी से पूरी हुई। नियंत्रण एवं विनिर्देश संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया और सिस्टम-टू-सिस्टम एकीकरण का परीक्षण प्रमुख बैंकों के साथ सफलतापूर्वक किया गया।

X.71 मौजूदा अन्वेषी हडूप वातावरण से सीआईएमएस हडूप वातावरण में डेटा माइग्रेशन का कार्य पूरा हो गया।

X.72 लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) प्रणाली का विकास शुरू किया गया। पीसीआर विधेयक के मसौदे की समीक्षा की गई।

X.73 डेटा साइंस लैब (डीएसएल) ने जनवरी 2020 में अपना परिचालन शुरू किया और सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों के लिए डेटा एनालिटिक्स परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। बैंक की प्रासंगिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रिंट मीडिया से प्रासंगिक जानकारी, अर्थात्, समष्टि-आर्थिक मापदंडों पर मीडिया का रुख जुटाने के लिए बिग डेटा विश्लेषणात्मक टूल का इस्तेमाल किया गया।

X.74 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस), केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलआईसी), केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) के लिए एक अत्याधुनिक कॉमन वायरफ्रेम (प्रोटोटाइप) विकसित किया गया है और इसे परिष्कृत किया जा रहा है।

X.75 उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के प्रायोगिक चरण अब छह शहरों (अर्थात्, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, नागपुर, रायपुर और रांची) में चलाए जा रहे हैं, जहाँ हाउसहोल्ड्स का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) किया जाता है।

अन्य पहल

X.76 इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल (ईडीएसपी) में जून 2020 से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) डेटा प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए संवर्धित सुरक्षा विशेषताओं के साथ सुसज्जित किया गया।

X.77 भौतिक सर्वेक्षण में निहित कोविड-19 संबंधित व्यवधानों और जोखिमों के मद्देनजर, हाउसहोल्ड सर्वेक्षण टेलीफोनिक रूप से किए गए (बॉक्स X.5)। बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में प्रगामी तिमाही के 'बैंक उधारी सर्वेक्षण (बीएलएस)' और 'सेवा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण (एसआईओएस)' के परिणाम जारी किए गए। X.78 कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बावजूद, विभाग द्वारा वर्ष के दौरान अपने नियमित प्रकाशनों, अर्थात्, भारतीय

अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका, 2019-20; भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ, 2019-20; भारत में एससीबी की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर1, बीएसआर2 और बीएसआर7); साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डबल्यूएसएस); और रिज़र्व बैंक बुलेटिन के 'वर्तमान सांख्यिकी' वाले हिस्से को समयबद्ध तरीके से निकाला गया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.79 आगे चलकर, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीआईएमएस को एक उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण बनाने की दिशा में काम करना और सभी डेटाबेसों को नए केंद्रीकृत सिस्टम में अंतरित करना (उत्कर्ष);
- मेटाडेटा संचालित रखरखाव और प्रसार प्रणाली के लिए एसडीएमएक्स मानकों का पालन करना (उत्कर्ष);

बॉक्स X.5

कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वेक्षण

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) और विश्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) में से 95 प्रतिशत से अधिक ने मई 2020 में आमने-सामने डेटा संग्रह को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक दिया था (यूएन, 2021)। कुछ राष्ट्रीय एजेंसियों ने हाउसहोल्ड वित्त, यात्रा और अन्य कार्य-क्षेत्रों से संबंधित अपने नियमित सर्वेक्षण में बड़ी गड़बड़ी देखी। कई केंद्रीय बैंक वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके और लॉकडाउन अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रभावली का ध्यान रखते हुए इन नवीन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हालांकि, कई कारोबारों से संपर्क नहीं किया जा सका, और रिज़र्व बैंक के प्रगामी उद्यम सर्वेक्षणों की प्रतिक्रिया दर में भारी गिरावट आई (यूएस, 2020)। मार्च 2020 के मध्य में नियमित सर्वेक्षण दौर के साथ अनुवर्ती सर्वेक्षण किए गए। इसके अलावा, अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए, सर्वेक्षण प्रभावली में दो और तिमाहियों (वर्तमान और आगामी के अलावा) के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों पर दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक शामिल किया गया।

रिज़र्व बैंक ने निरंतरता प्रदान करने के लिए अपने कंप्यूटर-एडेड व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) आधारित हाउसहोल्ड सर्वेक्षणों को अस्थायी रूप से

टेलीफोनिक सर्वेक्षण से प्रतिस्थापित किया और रिपोर्टिंग संस्थाओं और जांचकर्ताओं का इसका अधिकांश प्रशिक्षण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी था (आरबीआई, 2020)। ऑन-स्पॉट सत्यापन या क्षेत्र दौरा करने में असमर्थता की भरपाई के लिए ऑडियो और टेलीफोनिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित साक्षात्कार के अनुपात में वृद्धि की गई। लॉकडाउन से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, घरेलू सर्वेक्षणों में टेलीफोनिक माध्यमों पर से निर्भरता धीरे-धीरे कम हो गई है।

संदर्भ:

1. यूएन (2021), 'प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हाउसहोल्ड सर्वेज अंडर कोविड-19', टेक्निकल गाइडेंस नोट बाई द इंटर-सेक्रेटोरिएट वर्किंग ग्रुप, दिसंबर 2020।
2. यूएस (2020), 'मॉनितरिंग द स्टेट ऑफ स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन्स अंडर द कोविड-19 पैनेडेमिक - सर्वे ऑफ स्टेटिस्टिकल ऑफिस', मई, जुलाई और अक्टूबर।
3. आरबीआई (2020), (प्रगामी सर्वेक्षणों के परिणाम (द्वि-मासिक प्रेस प्रकाशनियाँ)।

- एससीबी से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से पीसीआर के लिए एक स्केलेबल एंड-टू-एंड सिस्टम लागू करना (उत्कर्ष);
- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम को संशोधित करना;
- रिज़र्व बैंक को प्रासंगिक पूरक जानकारी प्रदान करने के लिए बिग डेटा के डोमेन में डेटा संग्रह तंत्र और विश्लेषणात्मक कार्य के दायरे का विस्तार करना; तथा
- अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन के आर्थिक वर्गीकरण के संबंध में मासिक डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

8. विधिक मामले

X.80 विधि विभाग एक परामर्शदाता विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करारनामों की जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से ठोस हों। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा संबंधित परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), कैफरल तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों और न्यायालय संबंधी मामलों में कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.81 पिछले साल, विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- इसकी कार्य-प्रक्रिया और कामकाज को स्वचालित बनाना, जिससे अनुसंधान, ई-खोज और डेटा विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा (उत्कर्ष) [पैरा X.82];
- सूचना का अधिकार अधिनियम, (आरटीआई अधिनियम), 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए सचिवालय के रूप में विभाग की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से करने हेतु अपने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को मार्गदर्शन नोट प्रदान करना (उत्कर्ष) [पैरा X.83];
- रिज़र्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ गहन समन्वय रखते हुए अपने कार्यों को सक्रियता से करना पैरा [X.84 - X.86]; तथा
- रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों का प्रबंधन करना [पैरा X.87 - X.96]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.82 विभाग की गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज के विकास से संबंधित कार्य रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को सौंपा गया है। प्रस्तावित सॉफ्टवेयर पैकेज के विकास के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया और आरईबीआईटी के साथ कार्य-विवरण (एसओडबल्यू) भी हस्ताक्षरित किया गया। इस संबंध में सॉफ्टवेयर का विकास वर्तमान में प्रगति पर है।

X.83 आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए अपने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन नोट की तैयारी अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से वर्ष के दौरान पूरी की गई।

X.84 वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानून/विनियम वर्ष के दौरान बनाए गए/संशोधित किए गए। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 को 29 सितंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संशोधन अधिनियम 26 जून

2020 से लागू हो गया है, सिवाय प्राथमिक सहकारी बैंकों से संबंधित धारा 4 के, जिसे 29 जून 2020 से लागू मान लिया गया। इसके अलावा, अधिसूचना दिनांक 23 दिसंबर 2020 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को उस तारीख के रूप में घोषित किया है, जिस दिन धारा 4 के प्रावधान बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए लागू होगा।

X.85 अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 को 28 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1 अक्टूबर 2020 से इसे लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता प्रदान करके और इसके साथ जुड़े आकस्मिक या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय वित्तीय बाजार में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

X.86 भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचना दिनांक 29 सितंबर 2020 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 13 और धारा 33 के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई थी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बैंकिंग और निवेश गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियमन, 2020 को 18 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया और बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 और फेमा, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/दिशा-निर्देशों को अपनाया, जो संबंधित बैंकिंग इकाइयों के लिए लागू होगा।

X.87 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 23 मार्च 2020 के माध्यम से कोविड-19 के कारण देश के सामने उत्पन्न हुई स्थिति और इसके परिणामस्वरूप सामान्य परिसीमन कानून

के अंतर्गत या विशेष कानूनों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा के भीतर वादी को कार्यवाही दाखिल करने में देश में होने वाली कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान² लेने का निदेश दिया। न्यायालय ने चेक और बैंक ड्राफ्ट जैसे परक्राम्य लिखतों की वैधता की अवधि के विस्तार की भी जांच की। इसके बाद, न्यायालय ने 10 जुलाई 2020 के आदेश में टिप्पणी की कि इस तरह के परक्राम्य लिखत के संबंध में अवधि रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्धारित है और इसलिए इस अवधि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली उस अवधि के आधार पर कार्य करती है।

X.88 भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के 27 मार्च 2020 के परिपत्र के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (गजेन्द्र शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अधिस्थगन अवधि के दौरान यह ऋण राशि पर ब्याज वसूलने के मामले में यह शक्ति बाह्य अधिकारातीत है। याचिका के लंबित रहने के दौरान, केंद्र सरकार ने आठ श्रेणियों में ₹2 करोड़ तक के ब्याज की छूट के लाभ के लिए विभिन्न राहतें दीं और रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 26 अक्टूबर 2020 को एक परिपत्र जारी कर उन्हें भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को घोषित की योजना का पालन करने की सलाह दी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश दिनांक 27 नवंबर 2020 के माध्यम से याचिका का निपटारा कर दिया।

X.89 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 मार्च 2020 और 6 अगस्त 2020 के परिपत्रों को चुनौती देने वाली ऋण अधिस्थगन की अवधि की विस्तार और ब्याज माफी की मांग करने वाली ऋण अधिस्थगन से संबंधित दायर याचिकाओं पर शीर्ष न्यायालय ने 3 सितंबर 2020 के

² स्वतः संज्ञान रिट (सी) संख्या 3/2020 (परिसीमन के विस्तार का संज्ञान)।

अंतरिम आदेश में निर्णय दिया कि जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक अनर्जक आस्ति (एनपीए) घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कई तारीखों पर मामले की सुनवाई की और 23 मार्च 2021 के एक अंतिम आदेश के माध्यम से मामलों को यह कहते हुए निपटा दिया कि वह इस आधार पर आर्थिक नीति के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि या तो वे पर्याप्त या प्रभावकारी नहीं हैं और/या कुछ और राहत प्रदान किया जाना चाहिए था। हालांकि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान अनुदान योजना के संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि सिर्फ ₹2 करोड़ तक ऋण के मामले में ही ब्याज के ऊपर ब्याज से राहत को सीमित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है और वह भी इसमें निर्दिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित है। न्यायालय ने किसी भी उधारकर्ता से अधिस्थगन की अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडस्वरूप ब्याज के ऊपर ब्याज लेने के संबंध में राहत प्रदान किया।

X.90 पीयूष बोकारिया बनाम आरबीआई के वाद में, रिजर्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 के परिपत्र के माध्यम से जारी बासेल III पूंजीगत विनियमनों संबंधी मास्टर परिपत्र को चुनौती देने वाली रिट याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। रिजर्व बैंक का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने 30 सितंबर 2020 के अपने आदेश में उक्त परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा।

X.91 यस बैंक के पुनर्निर्माण के मामले में और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के अपलिखित करने से संबंधित मामलों में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष यस बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे बॉन्ड को अवलेखन करने के लिए यस बैंक के प्रशासक के फैसले को चुनौती देने वाले कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। चूंकि यस बैंक ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक ट्रान्सफर याचिका दायर कर दिया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लंबित होने के मद्देनजर उच्च न्यायालयों ने मामलों को स्थगित कर दिया है।

X.92 दिनांक 25 नवंबर 2020 की अधिसूचना के माध्यम से जारी 'लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) लिमिटेड (डीबीएस बैंक

इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2020', को शेयरधारकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई। चूंकि रिजर्व बैंक और डीबीएस इंडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर याचिकाएं दायर की हैं, इसलिए उच्च न्यायालयों ने मामलों को स्थगित कर दिया है।

X.93 बिग कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं एक अन्य; और वेल्लूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, के मामले में; बैंकारी विनियमन संशोधन अधिनियम, 2020 की कुछ निश्चित धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाएं मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। न्यायालय ने दिनांक 20 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश के माध्यम से उक्त अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुनवाई के लिए मामला लंबित है।

X.94 तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राजेश अग्रवाल बनाम आरबीआई और अन्य के मामले में 10 दिसंबर 2020 के अपने फैसले में निर्णय दिया कि बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर दिशा-निर्देश, 2016 के खंड 8.9.4 और 8.9.5 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन का अभिप्राय समझना चाहिए। अन्य बातों के साथ, 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी संबंधी रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई को भी चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई।

X.95 जीवन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें अपीलीय प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) के आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसने रिजर्व बैंक के निरसन आदेश के साथ-साथ याचिकाकर्ता कंपनी को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के रिजर्व बैंक के निर्णय को बरकरार रखा था। न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2020 के अपने फैसले में कहा कि सांविधिक फ्रेमवर्क व्यक्तिगत

सुनवाई का अवसर नहीं देता है। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी लाइसेंस की शर्त या रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किए बिना कारोबार करने के लिए किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

X.96 शकुन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, शिमला उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2020 के अपने निर्णय में कहा कि निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गैर-प्राप्ति के लिए सीओआर को रद्द करना उचित था और वादी की याचिका को खारिज कर दिया।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

X.97 वर्ष 2021-22 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा:

- रिजर्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ गहन समन्वय के साथ पूरी सक्रियता से अपने कार्यकलापों को करना; तथा
- विधिक प्रक्रियाओं में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी स्थिति में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपनी कार्य प्रवाह प्रक्रिया और कार्यकलाप को स्वचालित करने का प्रयास करना।

9. निष्कर्ष

X.98 बीते वर्ष में समष्टि-आर्थिक वातावरण चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसमें मानव जीवन और आजीविका के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गए थे, ऐसे में रिजर्व बैंक ने महामारी जनित स्थिति से निपटने के लिए कई पारंपरिक और अपारंपरिक नीतिगत कदम उठाए, जिसने वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना अर्थव्यवस्था में अनुकूल वित्तपोषण संबंधी शर्तों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, मिल कर काम करने वाले परिणामों को हासिल करने के लिए भावी मार्गदर्शन को रिजर्व बैंक की संचार रणनीति में प्रमुखता मिली। आगे जाकर, इस अध्याय में शामिल कार्यात्मक क्षेत्रों में रिजर्व बैंक का प्रमुख फोकस निम्नानुसार होगा: संचार माध्यमों और आर्थिक एवं वित्तीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करना; ई-कुबेर में सरकारी शेष की दैनिक स्थिति संसाधन को स्वचालित करना; विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए नए आस्ति वर्गों/बाजारों के माध्यम से पोर्टफोलियो विविधीकरण का पता लगाते रहना; आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण और अनुसंधान को तेज करना; सीआईएमएस को पूरी तरह से चालू करना; चरणबद्ध तरीके से पीसीआर की शुरुआत करना; और बिग डेटा के क्षेत्र में डेटा संग्रह तंत्र और विश्लेषणात्मक कार्य के दायरे का विस्तार करना।

रिजर्व बैंक ने क्लाउड आधारित वीडियो अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए वर्चुअल मोड से आयोजित विभिन्न अभिनव आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महामारी के दौरान भी मानव संसाधन कौशल को बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। रिजर्व बैंक में जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय शुरू किए गए। कोविड-19 महामारी के प्रतिसाद में, महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं को सुरक्षित किया ताकि अपने मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए रिजर्व बैंक की समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों की कारोबार निरंतरता और सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

XI.1 इस अध्याय में रिजर्व बैंक के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं- गवर्नेस, मानव संसाधन प्रबंधन और जोखिम निगरानी के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। अध्याय प्रमुख घटनाओं की समीक्षा करता है, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2020-21 के दौरान उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करता है और 2021-22 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन को नयी भर्तियों, आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया। महामारी के प्रतिसाद में, ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया गया। आरबीआई अकादमी ने वर्ष के दौरान कई वेबिनार आयोजित किए, जिनमें से कुछ बाहरी एजेंसियों जैसे, आईएमएफ साउथ एशिया रिजनल ट्रेनिंग एण्ड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर (आईएमएफ एसएआरटीटीएसी) और विश्व बैंक, के सहयोग से विनियमन और पर्यवेक्षण पर कोविड-19 के प्रभाव से लेकर बीग डेटा और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर थे। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अत्यधिक कारोबारी अनिश्चितता का प्रबंधन और लीडरशिप फाउंडेशन तथा महत्वपूर्ण संवाद पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

XI.3 वर्ष 2012 में अपनाए गए उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क के तहत केंद्रीय बोर्ड (सीसीबी) की समिति

के रिस्क टॉलरेंस स्टेटमेंट के अनुसार रिस्क टॉलरेंस लिमिट (आरटीएल) और रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वर्ष के दौरान एक संरचित प्रक्रिया लागू की गई है। प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध और भुगतान और निपटान प्रणाली का कार्य करने वाले विभागों के लिए आरटीएल तैयार किए गए। रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क के चरणबद्ध कार्यान्वयन की दिशा में, कुछ बाजार विभागों के लिए आंतरिक रूप से रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क रुख के अनुरूप वर्तमान में मौजूदा रिस्क टॉलरेंस लिमिट की समीक्षा प्रक्रिया चल रही है।

XI.4 वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के तहत मूल्यांकित जोखिम रेटिंग तथा परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति (रैम-ओआर) के अनुसार निर्धारित जोखिम रेटिंग का लक्षित अभिसरण पूरा किया गया। रिजर्व बैंक में समयबद्ध और लागत प्रभावी तरीके से परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान एक आईटी परियोजना की प्रायोगिक परियोजना लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक की गई। कोविड-19 के प्रकोप से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ कारोबार इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) द्वारा तैयार की गई कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू करना आवश्यक हो गया। रिजर्व बैंक द्वारा की गई समयपूर्व आपदा प्रबंधन पहलों ने विशेष रूप से देश की भुगतान प्रणालियों और सामान्य रूप से बैंकिंग

प्रणाली के लिए निर्बाध रूप से 24X7 सेवाओं को सुनिश्चित किया।

XI.5 इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग ने कुछ विभागों के लिए विभाग-विशिष्ट शब्दावली तैयार की और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करने के प्रयोजन से बैंकों और प्रख्यात विद्वानों को शामिल करते हुए एक अंतर-संस्था समिति का गठन किया। परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने प्रयास जारी रखे। “हरित पहल” के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और आवासीय इमारतों में सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली, सीवेज उपचार और अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियां स्थापित की गईं।

XI.6 इस अध्याय को नौ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है। खंड 3 में मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरएमडी) द्वारा मानव संसाधनों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क से संबंधित विकास खंड 4 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग के कार्य-कलापों की चर्चा खंड 5 में की गई है। सीएसबीडी जो रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियां और वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाता और समन्वय करता है, का विवरण खंड 6 में दिया गया है। राजभाषा विभाग और परिसर विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में दिया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. गवर्नेंस संरचना

XI.7 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय निदेशक मंडल को रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस कार्य का दायित्व दिया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। चार स्थानीय बोर्ड हैं, देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रत्येकी एक, जो केंद्रीय मंडल को उनको संदर्भित मामलों के बारे में सलाह देते हैं तथा केंद्रीय मंडल द्वारा दिए गए कार्य करते हैं। केंद्र सरकार आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार स्थानीय बोर्डों में सदस्यों को भी नियुक्त करती है।

XI.8 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)। इन उप समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.9 जुलाई 2020 से मार्च 2021 संक्रांति वर्ष¹ के दौरान केंद्रीय बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

¹ 2020-21 से रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष में अप्रैल-मार्च यह परिवर्तन होने के कारण, रिज़र्व बैंक का पहला संक्रांति वर्ष केवल नौ महीने का था (जुलाई 2020-मार्च 2021)।

XI.10 जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान सीसीबी की 35 बैठकें हुईं, जिनमें से 26 इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से और नौ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं। सीसीबी ने रिजर्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार पर भी ध्यान दिया।

XI.11 पश्चिमी, पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों की जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड की जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं। दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड (कोरम के अभाव में) के स्थान पर कार्य कर रही केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। केंद्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप समितियों, स्थानीय बोर्डों और दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की समिति की बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.12 केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। श्री राव ने 9 अक्टूबर 2020 को पदभार ग्रहण किया।

XI.13 भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में श्री बी. पी. कानूनगो का कार्यकाल 2 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया।

XI.14 केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। श्री टी. रबी शंकर ने 3 मई 2021 को पदभार ग्रहण किया।

XI.15 केंद्रीय बोर्ड के तीन निदेशकों डॉ.अशोक गुलाटी, श्री मनीष सभरवाल और डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती का कार्यकाल 8 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया। केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री दिलीप एस. शंघवी का कार्यकाल 10 मार्च 2021 को समाप्त हो गया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री तरुण बजाज के स्थान पर श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 24 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.17 कार्यपालक निदेशकों में डॉ. रवि एन.मिश्रा तथा श्रीमती नंदा एस. दवे 31 अगस्त 2020; श्रीमती लिली वडेरा 29 अक्टूबर 2020 तथा श्रीमती इंद्राणी बैनर्जी 27 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री एम. राजेश्वर राव ने उप गवर्नर का पद ग्रहण करने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को रिजर्व बैंक की सेवा से स्वेछानिवृत्ति ले ली। डॉ. मृदुल के. सागर को 1 जुलाई 2020 से, श्री सौरव सिन्हा और विवेक दीप को 1 सितंबर 2020 से, श्री जयंत कुमार दाश को 12 अक्टूबर 2020 से, श्री आर. सुब्रमनियन, श्री रोहित जैन तथा श्री राधा श्याम रथ को 11 दिसंबर 2020 से, कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री टी. रबी शंकर ने उप गवर्नर का पद ग्रहण करने के लिए 3 मई 2021 को रिजर्व बैंक की सेवा से स्वेछानिवृत्ति ले ली। श्री जोस जे.कडूर को 3 मई 2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

3. मानव संसाधन विकास के प्रयास

XI.18 रिजर्व बैंक के पास परिचालन का एक विस्तृत कैनवास है, जिसे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं के एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) स्टाफ की कार्यक्षमता बढ़ाने और कार्य के लिए अपेक्षित उनकी प्रभावकारिता हेतु कर्मचारियों की संभावित कार्यक्षमताओं का पता लगाकर टीमवर्क का एक वातावरण बनाने में एनेबलर और समन्वयक की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने प्रशिक्षण और संगठनात्मक विकास, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना और परिचालन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और महामारी के बीच कारोबार निरंतरता बनाए

रखने की चुनौती को उठाने के अलावा प्रशिक्षण, भर्ती (भर्ती संबंधी चुनिंदा प्रक्रियाओं की समीक्षा सहित) और कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। वर्ष के दौरान इन और अन्य क्षेत्रों में की गई प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति और वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना को भी नीचे रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.19 पिछले वर्ष में विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और वर्तमान प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करना (पैरा XI.20)
- विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखना (पैरा XI.21); और
- अधिकारियों की चुनिंदा श्रेणी के लिए एक कार्यक्षमता मैपिंग फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा XI.22)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.20 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के चुनिंदा पहलुओं को मात्रात्मक पहलुओं के अलावा सॉफ्ट स्किल्स को कवर करने वाली अधिक समग्र प्रणाली बनाने की दृष्टि से संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था। सीधी भर्ती चैनल के माध्यम से लिए गए ग्रेड 'बी' अधिकारियों के इंडक्शन प्रशिक्षण को नया रूप दिया गया और एक अधिक केंद्रित कार्यक्रम लागू किया गया। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना को वृहद रूप से ध्यान दिए जाने तथा जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया।

XI.21 विनियामक और पर्यवेक्षी क्षेत्रों में विशेषज्ञता के निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्यवेक्षी/विनियामक विभागों से जुड़े अधिकारियों के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर (सीओएस) की स्थापना के लिए उचित सहायता की गयी।

XI.22 वर्ष के दौरान एक व्यापक कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार की गयी (बॉक्स XI.1)।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.23 कौशल और ज्ञान विकास पहलें तकनीकी और व्यवहार कौशल को मजबूत करने पर केंद्रित हैं ताकि व्यक्तिगत विकास

बॉक्स XI.1

रिजर्व बैंक का कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क

कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क अपेक्षित ज्ञान, कौशल, योग्यता और व्यक्तित्व लक्षणों का वर्णन करता है जो एक सफल केंद्रीय बैंकर की उसकी संबंधित कार्यात्मक भूमिका में प्रोफाइल बनाते हैं। विभिन्न कार्यों में कार्यनिष्पादन को मापने के लिए यह ग्रहणशक्ति और सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

यह फ्रेमवर्क, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, प्रमुख रूप से कार्य अनुकूल - योग्य व्यक्ति नियोजित करने के जरिए मानव संसाधनों को अनुकूल बनाने में

मदद करता है। फ्रेमवर्क में कार्यक्षमता और उनका विवरण, विभिन्न प्रवीणता स्तरों पर व्यवहारिक संकेतक, अधिकारियों की कार्यक्षमता के मैपिंग के लिए मूल्यांकन मॉडल और कार्यक्षमता की आवधिक समीक्षा तथा अद्यतनीकरण के लिए व्यवस्था शामिल हैं।

वर्ष 2021 में इस फ्रेमवर्क को रिजर्व बैंक में कार्यान्वयित करने का उद्देश्य है।

स्रोत: आरबीआई

सारणी XI.1 : रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2018-19 (जुलाई -जून)		2019-20 (जुलाई -जून)		2020-21 (जुलाई - मार्च)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई अकादमी	22	546 (38)	21	476 (2)	25	840
आरबीएससी, चेन्नै	152	3,125 (499)	110	2,826 (85)	89	3,629 (72)
सीएबी, पुणे	179	5,542 (51)	126	3,891 (37)	183	10,308 (45)
जेडटीसी (श्रेणी-I)	116	2,271	92	1,667	135	3,682
जेडटीसी (श्रेणी-III)	76	1,877	94	2,648	104	4,568
जेडटीसी (श्रेणी-IV)	46	1,158	30	604	11	417

आरबीएससी : रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और/या बाह्य संस्थाओं के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत : आरबीआई

को सुगम बनाया जा सके और कार्य की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों (प्रसं) और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए (सारणी XI.1)। वर्ष के दौरान इनमें से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम महामारी-प्रेरित वातावरण के कारण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए।

आरबीआई अकादमी

XI.24 अकादमी ने उपयोगकर्ता विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य किया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागों की आवश्यकतानुसार अनुकूल बनाया। महामारी के कारण ऑनलाइन मोड में ध्यान केंद्रित करने के साथ, अकादमी ने वर्ष के दौरान विनियमन और पर्यवेक्षण पर कोविड-19 के प्रभाव (आईएमएफ एसएआरटीटीएसी के सहयोग से), और बीग डेटा और फिनटेक (विश्व बैंक के सहयोग से) सहित कई वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, अत्यधिक कारोबारी अनिश्चितता का प्रबंधन और लीडरशिप फाउंडेशन तथा महत्वपूर्ण संवाद पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। ऑनलाइन कार्यक्रमों को

और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख प्रयासों में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का अधिक उपयोग, लाइव पोल/क्विज और सिमुलेशन अभ्यास शामिल हैं। इन मॉड्यूल से रिज़र्व बैंक द्वारा पहचानी गई मुख्य कार्यक्षमताओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलेगी।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.25 रिज़र्व बैंक बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए भारत और विदेश में स्थित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण, सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है (सारणी XI.2)। श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को भी भारत में स्थित बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। हालाँकि, यह निर्णय लिया गया कि, महामारी के कारण, स्थिति सामान्य होने तक केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

अध्ययन योजना

XI.26 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के आठ अधिकारियों ने विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की योजना का तथा तीन अधिकारियों ने रिज़र्व बैंक स्वर्ण जयंती योजना का लाभ उठाया।

सारणी XI.2 : भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2018 -19	952	378
2019 - 20	696	139
2020 - 21*	194	258

*: ऑनलाईन मोड

टिप्पणी: 2020-21 के आंकड़े जुलाई 2020- मार्च 2021 से संबंधित हैं, जबकि पिछले वर्षों के आंकड़े जुलाई-जून से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

अनुदान और वृत्तिदान

XI.27 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹18.0 करोड़, उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹2.8 करोड़, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.8 करोड़, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.5 करोड़, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹0.4 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान किया।

औद्योगिक संबंध

XI.28 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। महामारी के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण के उपायों के विविध मामलों के संबंध में वर्चुअल माध्यम से चर्चा की गई। जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान मानव संसाधन प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता-प्राप्त यूनियन एसोसिएशन के साथ कुल छह बैठकें

की। क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ अपना संचार निर्बाध रखा।

सेवानिवृत्ति लाभ

XI.29 भारत सरकार से सफल चर्चा के आधार पर, कुछ शर्तों के अधीन, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना में शामिल कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ दिवंगत कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को रिज़र्व बैंक की पेंशन योजना में स्विच ओवर करने के लिए एक अंतिम विकल्प की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 552 सेवारत कर्मचारियों, 1,453 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के 162 परिवार के सदस्यों ने रिज़र्व बैंक की पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुना।

भर्तियां और स्टाफ संख्या

XI.30 वर्ष 2020 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 61 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)। महामारी के कारण रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया 2020 की दूसरी छमाही में फिर से शुरू हो पाई। इस तरह, 2020 के दौरान शुरू की गई प्रक्रियाओं में भर्ती किए गए अधिकांश कर्मचारी जनवरी-मार्च 2021 के दौरान रिज़र्व बैंक में भर्ती हो गए। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान ग्रेड बी (डीआर) में अधिकारियों की भर्ती से संबंधित अपनी प्रक्रियाओं के चुनिंदा पहलुओं की भी समीक्षा की। जनवरी से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 442 कर्मचारियों

सारणी XI.3: रिज़र्व बैंक द्वारा 2020* में की गई भर्तियां

श्रेणी	जिसमें से:			
	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5
श्रेणी I	9	2	-	1
श्रेणी III	7	4	-	1
श्रेणी IV	45	-	-	32
कुल	61	6	-	34

*जनवरी से दिसंबर :: शून्य

स्रोत : आरबीआई।

सारणी XI.4 : रिजर्व बैंक* की स्टाफ संख्या

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			अ.जा.		अ.ज.जा		ओबीसी				
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,670	6,121	1,051	976	435	413	1,147	1,159	15.95	6.75	18.93
श्रेणी III	3,264	3,051	487	468	199	191	892	866	15.34	6.26	28.38
श्रेणी IV	3,522	3,104	877	724	291	249	682	672	23.32	8.02	21.65
Total	13,456	12,276	2,415	2,168	925	853	2,721	2,697	17.66	6.95	21.97

*दिसंबर के अंत में
स्रोत : आरबीआई।

की भर्ती की गई जिसमें से श्रेणी I के 195 तथा श्रेणी III के 247 कर्मचारी हैं।

XI.31 रिजर्व बैंक के पूर्ण कालिक कर्मचारियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2020 को 12,276 थी। इनमें से श्रेणी I में 6,412, श्रेणी III में 3,145 और श्रेणी IV में 3,254 कर्मचारी थे, एक वर्ष पहले की स्थिति में 8.8 प्रतिशत की कमी आयी (सारणी XI.4)। 31 मार्च 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या 12,406 थी।

XI.32 दिसंबर 2020 की समाप्ति पर रिजर्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 940 थी जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 302 थी (सारणी XI.5)। वर्ष 2020 के दौरान भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की भर्ती नहीं की गई थी, जनवरी-मार्च 2021 के दौरान श्रेणी I में तीन पीडब्ल्यूबीडी की भर्ती की गयी।

XI.33 वर्ष 2020 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान, प्रबंधन और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन के बीच रिजर्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.34 वर्ष 1998 से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निपटान प्रणाली कार्य कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 में जारी नए विस्तृत दिशा-निर्देशों से इसे सशक्त किया गया है। जनवरी-दिसंबर 2020 के दौरान दो

सारणी XI.5 : भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी* की कुल संख्या

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (वीआई)	बधिर (एचआई)	शारीरिक विकलांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांगता**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	230	34	-	108	-
श्रेणी III	171	35	7	60	4
श्रेणी IV	539	9	-	45	-

* दिसंबर 2020 के अंत में

-: शून्य

** दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्यशीलता (तार्किकता, अधिगम और समस्या समाधान) और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में विशिष्ट रूप में बाधित होते हैं जो 'विशेष अधिगम अक्षमता' और 'स्वलीनता (ऑटिज्म) स्प्रेक्ट्रम डिसऑर्डर' सहित प्रतिदिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई।

शिकायतों का निपटान किया गया जिसमें से एक शिकायत दिसंबर 2019 को समाप्त छमाही में प्राप्त हुई थी। जनवरी-मार्च 2021 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नए भर्ती कर्मचारियों, वेंडरों और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ-सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पैनल में शामिल गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आंतरिक समिति के सदस्यों को भी नामित किया गया था।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.35 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान सूचना के लिए 15558 अनुरोध और 1225 अपीलें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै और कोलकाता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कोविड-19 महामारी का प्रतिसाद

XI.36 कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने और कारोबार निरंतरता बनाए रखने के लिए मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत में की गई पहलों को बुनियादी वास्तविकताओं के आधार पर उपयुक्त संशोधनों के साथ आगे बढ़ाया गया। कोविड-19 जैसे महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड को कुल ₹ 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन की अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात संविदा/आउटसोर्स कर्मियों को कार्यालय में उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना ड्यूटी पर माना गया और तदनुसार भुगतान किया गया। संविदा मॉडल के तहत स्टाफ कैंटीन/अधिकारियों के लाउंज में कैटरिंग ठेकेदारों द्वारा नियमित

आधार पर सीधे नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया। भारत सरकार द्वारा टीकाकरण प्रोटोकॉल जारी करने के बाद, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों के साथ व्यवस्था की गई। रिज़र्व बैंक के घर से काम करने वाले कर्मचारियों के अनुपात को सरकार के दिशानिर्देशों तथा मौजूदा परिस्थिति के अनुसार पर्याप्त रूप से विनियमित करते हुए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.37 वर्ष के लिए रोडमैप के अंतर्गत विभाग के लिए निम्नलिखित माइलस्टोन शामिल किए गए हैं:

- अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय बैठकों में रिज़र्व बैंक के (भारत के) विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों का एक पूल विकसित करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों से संबंधित जानकारी में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकार योजना तैयार करना (उत्कर्ष);
- सभी कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करना और उसमें संशोधन करना (उत्कर्ष);
- अपने प्रशिक्षण और विकास से संबंधित प्रयासों पर सक्रिय ध्यान देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना। रिज़र्व बैंक में मिश्रित अध्ययन की अवधारणा के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए प्रतिष्ठित विक्रेताओं से ई-लर्निंग सामग्री की खरीद तथा एक अध्ययन प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की योजना तैयार करना।
- भर्ती नीतियों, विशेष रूप से अधिकारी स्तर, की दक्षता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के परामर्श से उपयुक्त परिवर्तन करना।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.38 रिजर्व बैंक द्वारा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) को वर्ष 2012 में जोखिम एक्सपोजरों के प्रबंधन के लिए समेकित मूल्यांकन विकसित करने, जोखिम प्रबंधन के लिए 'साइलो आधारित' दृष्टिकोण से 'संपूर्ण कारोबार' दृष्टिकोण को अपनाया गया था। रिजर्व बैंक में ईआरएम के निर्माण और परिचालन के लिए जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) नोडल विभाग है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना – कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.39 पिछले वर्ष में विभाग द्वारा उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- वर्तमान रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा (उत्कर्ष); [पैरा XI.40];
- क्रेडिट जोखिम की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के उद्देश्य से पोर्टफोलियो आधारित जोखिम पर क्रेडिट मूल्य /अपेक्षित कमी (वीएआर/ईएस) मॉडल को एक अतिरिक्त जोखिम निगरानी/रिपोर्टिंग टूल के रूप में विकसित करना (उत्कर्ष)। [पैरा XI.41];
- रिजर्व बैंक की क्रेडिट जोखिम के सशक्त मूल्यांकन के लिए एक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क तैयार करना। (पैरा XI.42)

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

वर्तमान रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा

XI.40 केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी) का रिस्क टॉलरेंस स्टेटमेंट, रिस्क टॉलरेंस सीमा (आरटीएलएस) निर्धारित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। आरटीएलएस तथा रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया लागू की गई है। प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध और

भुगतान और निपटान प्रणाली का कार्य करने वाले विभागों के लिए आरटीएल तैयार किए गए हैं। रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क के चरणबद्ध कार्यान्वयन के भाग के रूप में आंतरिक रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क रुख के अनुरूप वर्तमान में कुछ बाजार विभागों के लिए रिस्क टॉलरेंस लिमिट समीक्षा की जा रही है।

पोर्टफोलियो आधारित जोखिम/अपेक्षित कमी पर क्रेडिट मूल्य (वीएआर/ईएस) मॉडल का विकास

XI.41 पोर्टफोलियो आधारित जोखिम पर क्रेडिट मूल्य /अपेक्षित कमी (वीएआर/ईएस) मॉडल को एक अतिरिक्त जोखिम निगरानी/रिपोर्टिंग टूल के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे संबंधित आवश्यक कार्य पूरा हो गया है। हालाँकि, संबंधित कारोबारी विभागों के रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा के बाद अंतिम मॉडलिंग और मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का विकास

XI.42 दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का विकास यह निगरानी के लिए एक अतिरिक्त टूल है तथा संबंधित कारोबारी विभागों के रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा के बाद इस पर कार्य किया जाएगा।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

XI.43 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसो) निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं; (ए) सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को परिभाषित करना; (बी) सूचना सुरक्षा नीति तैयार करना तथा उसके पालन की निगरानी करना; (सी) पहचान किए गए जोखिमों को दूर करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रौद्योगिकी समाधानों की सिफारिश करना; (डी) आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के समर्थन में आवश्यक सलाह देना; (ई) खतरों को कम करने के लिए उनकी पहचान करना, प्रतिक्रिया और बहाली संचालन का प्रबंधन; और (एफ) संगठन में और संबंधित बाहरी एजेंसियों के

साथ सूचना सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समन्वय।

XI.44 रिज़र्व बैंक में सूचना सुरक्षा के कार्य में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा के रूप में स्वीकृत एंटरप्राइज रिस्क गवर्नेंस मॉडलों से अपनाए गए त्रि-स्तरीय सुरक्षा मॉडल का अनुसरण किया जाता है। व्यवसाय स्वामित्व वाले विभागों की परिचालन टीम और डीआईटी सुरक्षा की पहली पंक्ति अर्थात् कार्यान्वयन को तैयार करता है। सीसो सुरक्षा की दूसरी पंक्ति में सूचना सुरक्षा जोखिम के मूल्यांकन और निगरानी में एक सक्रिय प्रमुख भूमिका निभाता है। निरीक्षण विभाग सुरक्षा की तीसरी पंक्ति बनाता है अर्थात्, आश्वासना।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.45 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित है:

- अन्य परिचालन क्षेत्रों के लिए आरटीएल का रोल-आउट (उत्कर्ष);
- आईटी और साइबर जोखिम की मात्रा निर्धारण (उत्कर्ष); और
- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

XI.46 निरीक्षण विभाग रिज़र्व बैंक के आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेंस प्रक्रिया की जांच, मूल्यांकन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अंतर्गत उच्च प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम से निपटने का आश्वासन देता है। विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) सिस्टम एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट ऑडिट (सीएसएए) के कामकाज पर भी नजर रखता है। आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्य लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) नामक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम

प्रबंधन समिति (एआरएमएस) और आंतरिक लेखापरीक्षा की निगरानी करने वाली कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.47 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक की सभी उच्च मूल्य आईटी और गैर आईटी परियोजनाओं के लिए परियोजना लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करना (उत्कर्ष); [पैरा XI.48]
- आरबीआईए के संबंध में रैम-ओआर के अनुसार जोखिम रेटिंग का संवर्धित अभिसरण (उत्कर्ष); [पैरा XI.49]
- एआरएमएस और उच्च प्रबंधन को प्रभावी जोखिम आश्वासन के लिए एएमआरएमएस डेटा माइनिंग, विश्लेषण और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टिंग डैशबोर्ड क्षमताओं को लीवरेज करना (उत्कर्ष); [पैरा XI.50]
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और कार्यक्षमता का विकास करना (उत्कर्ष); [पैरा XI.51] और
- रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन करना। (पैरा XI.52)

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.48 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में, विभाग ने प्रोजेक्ट के प्लान के अनुसार रिज़र्व बैंक में समय पर और किफायती परियोजना कार्यान्वयन प्रबंधन के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटी प्रोजेक्ट की सफल प्रायोगिक परियोजना लेखा परीक्षा की। परियोजना लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना तैयार करना, स्वरूप और जिम्मेदारियों की सीमा, परियोजना प्रबंधन

टीम के अधिकार और जवाबदेही, संसाधनों का उपयोग, परियोजना को समय पर पूरा करना और सुपुर्दगी, परियोजना का मूल्यांकन करके परियोजना के निष्पादन के संबंध में एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करना।

XI.49 विभाग ने वर्ष के दौरान रैम-ओर के अनुसार निर्धारित आरबीआईए और जोखिम रेटिंग के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम रेटिंग के लक्षित अभिसरण को भी प्राप्त किया है।

XI.50 एएमआरएमएस के आरबीआईए और सीए कार्य का स्वचालन पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण हो गया था, विभाग ने सीएसए कार्य के स्वचालन पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष के दौरान इसे भी सफलतापूर्वक पूरा किया। एएमआरएमएस के माध्यम से स्वचालन में ऑडिट की योजना और संचालन; ऑडिट रिपोर्टिंग में एकरूपता और मानकीकरण; प्रस्तुती; अनुपालनों का प्रसंस्करण और निगरानी; डेटा एनालिटिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (केपीआई) से संबंधित रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तथा एकीकृत अलर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इससे बढ़ी हुई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभावकारिता, परिचालन कार्यक्षमता, गोपनीयता, सहज रिपोर्टिंग, कागज रहित परिवेश (कम कार्बन फुट प्रिंट) और सीधे प्रसंस्करण (एसटीपी) से आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों, जोखिम प्रबंधन और जोखिम आश्वासन कार्यों के बीच तालमेल बना है।

XI.51 विभाग ने रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को कवर करते हुए एएमआरएमएस में स्वचालन पर कई प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता लाकर ज्ञान और क्षमता निर्माण को बढ़ाने का भी प्रयास किया।

XI.52 संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल पहले ही तैयार किया जा चुका है तथा एएमआरएमएस पैकेज में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद इसे जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान इस मॉडल का समानांतर रन मोड के तहत परीक्षण किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.53 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- परियोजना की लागत, समय और डिलिवरेबल्स के प्रभावी प्रबंधन का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना का प्रबंधन प्रोजेक्ट उद्देश्यों के अनुरूप है, रिज़र्व बैंक के सभी पहचाने गए उच्च मूल्य आईटी और गैर-आईटी परियोजनाओं के लिए पूर्ण परियोजना लेखा परीक्षा को लागू करना (उत्कर्ष);
- आरबीआईए के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम-रेटिंग के साथ रैम-ओर के अनुसार जोखिम-रेटिंग के साथ पूर्ण अभिसरण प्राप्त करने का प्रयास करना (उत्कर्ष); तथा
- वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान एएमआरएमएस पैकेज में उपयुक्त परिवर्तन करने और समानांतर रन मोड के तहत इसका परीक्षण करने के बाद जनवरी 2022 से रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल को लागू करना।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.54 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक की कार्यनीतियों का निर्माण और समन्वय करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए व्यय की निगरानी भी करता है। विभाग संकट समय के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) बनाता है और उसका कार्यान्वयन करता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाह्य संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

XI.55 रिज़र्व बैंक के कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) फ्रेमवर्क के लिए नोडल विभाग होने के नाते, सीएसबीडी ने,

कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य आवश्यक गतिविधियों के साथ अपने समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों के सुचारु संचालन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/व्यावसायिक इकाइयों के लिए बीसीपी के देश व्यापी आह्वान को प्रौद्योगिकी के सहारे निपुणता से संभाला गया। रिजर्व बैंक की सक्रिय आपदा प्रबंधन पहलों ने विशेष रूप से देश की भुगतान प्रणाली और सामान्य रूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए निर्बाध 24X7 सेवाओं को सुनिश्चित करके पर्याप्त सुविधा प्रदान की है।

XI.56 सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष के एकत्रीकरण से संक्रांति वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान नौ महीने (जुलाई 2020 से मार्च 2021) की अवधि के लिए तैयार किया गया। बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय के उपयोग में सुधार लाने के लिए केंद्रीय बोर्ड (सीसीबी) की समिति के अनुमोदन से पूंजीगत व्यय बफर का प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक के व्यय फ्रेमवर्क के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए व्यय नियमावली 2018 में संशोधन किया गया। वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सुधार के लिए ई-कुबेर के बिल भुगतान मॉड्यूल में भी व्यय नियमों को मैप किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना- कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.57 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कार्यनीति लक्ष्यों/माइलस्टोन के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित फ्रेमवर्क लागू करने के लिए डैशबोर्ड प्रचालित करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.58];
- बाह्य वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) के आंतरिक गवर्नेंस को सुदृढ़ करना [पैरा XI.59]; और

- आईजीआईडीआर और कैफरल इन संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लक्ष्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) का नवीनीकरण करना [पैरा XI.60]; तथा

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.58 केंद्रीय बोर्ड की कार्यनीति उप समिति के निर्देशों के अनुपालन में, 'उत्कर्ष 2022' के तहत विभिन्न माइलस्टोन और लक्ष्यों की पूर्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई) फ्रेमवर्क लागू किया गया है (बॉक्स XI.2)। कार्यनीति लक्ष्यों/माइलस्टोन के कार्यान्वयन की केंद्रीकृत निगरानी के लिए डैशबोर्ड के विकास का कार्य शुरू कर दिया गया है। उक्त डैशबोर्ड विलंबित माइलस्टोन के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली का भी कार्य करेगा।

XI.59 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में बाहरी वित्त पोषित संस्थानों के आंतरिक गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और बोर्डों और उनकी उप-समितियों में उत्पन्न रिक्तियों को समय पर भरने जैसे कदम उठाए गए।

XI.60 रिजर्व बैंक और आईजीआईडीआर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार अंततः आईजीआईडीआर से वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की अपेक्षा है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.61 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कार्यनीति लक्ष्यों/माइलस्टोन प्राप्त न होने की संभावना के लिए एक इनबिल्ट पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ 'उत्कर्ष' डैशबोर्ड प्रचालित करना;
- कार्यनीति उप-समिति द्वारा कार्यनीति फ्रेमवर्क 'उत्कर्ष 2022' की मध्यावधि समीक्षा करना;

बॉक्स XI.2

रिजर्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क

रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2015 में एक औपचारिक कार्यनीति प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार किया और अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों और विजन स्टेटमेंट की समकालीन संदर्भ में अपने कार्यनीतिगत उद्देश्यों को चित्रित करने तथा एक रूपरेखा और पृष्ठभूमि प्रदान करने की दृष्टि से फिर से पुष्टि की जिसके अनुसार इसकी नीतियां तैयार की जा सकती हैं। तदुपरांत, एक मध्यावधि गतिशील कार्यनीति फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस की गई जो समय के साथ तेजी से उभरते गतिशील अर्थशास्त्र, सामाजिक और तकनीकी पारिस्थिति के तंत्र को पकड़ सके और उसका प्रतिसाद दे सके। इसके प्रतिसाद में जुलाई 2019 में रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2022 मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क शुरू किया।

मध्यावधि कार्यनीति के रूप में उत्कर्ष 2022 के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की उच्चस्तरीय उप-समिति द्वारा की जा रही है जिसमें केंद्रीय बोर्ड के तीन निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) के उप गवर्नर तथा प्रभारी कार्यपालक निदेशक और प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं। हालांकि अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी मार्च 2021 के अंत में 226 माइलस्टोन में से 169 माइलस्टोन का पूरी तरह कार्यान्वयन किया गया है, लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए अभी भी एक साल शेष है।

उत्कर्ष 2022 के तहत कार्यनीति माइलस्टोन की पूर्ति और उनके पालन की निगरानी प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) फ्रेमवर्क के माध्यम से की जाती है। केपीआई फ्रेमवर्क माइलस्टोनों के लक्ष्यों को हासिल न करने की संभावना के पूर्व चेतावनी संकेतों को पकड़ने में उपयोगी है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक की कार्यपद्धति और कार्य के सभी आयामों को पकड़ने के लिए माइलस्टोन को इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और आउटकम माइलस्टोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी का अचानक और तेजी से प्रसार, और परिणामी देशव्यापी लॉकडाउन ने उत्कर्ष 2022 की आघात सहनीयता का परीक्षण किया। रिजर्व बैंक के अधिकांश कार्यों के संचालन के तरीकों में लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों ने, बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ, बैंकिंग की

रूपरेखा को भी कई प्रकार से बदल दिया। जबकि कुछ परिवर्तन अल्पकालिक होंगे, कई ऐसे होंगे जो बैंकिंग सेवाओं के वितरण और उपयोग के तरीके को स्थायी रूप से बदल देंगे। कार्य के डिजिटल तरीके में बदलाव और फिनटेक कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा बैंकिंग प्रणाली के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आई है।

कार्यनीति उप-समिति के मार्गदर्शन में, सभी विभागों ने कोविड-19 महामारी के आलोक में अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा की है। विभागों ने बैंकिंग सेवाओं पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की सक्रिय रूप से निगरानी की है और व्यवधानों का मुकाबला करने और करोबार निरंतरता, साइबर सुरक्षा और भुगतान प्रणाली के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना किया गया है।

संगठन के भविष्य को आकार देने में कार्यनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही इसके मूल मिशन और विजन को पूरा करने में भी मदद करती है। यहां तक कि जब हम कोविड-19 के अंधकार से उभरने लगे हैं, रिजर्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क यह मानता है कि नए खतरे और अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क उभरते खतरों और अवसरों के प्रति गतिशील, उद्विक्तासी और प्रतिक्रियाशील होने का प्रयास करता है।

जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से, उत्कर्ष 2022 ने मार्च 2021 तक अपना आधा मार्ग तय कर लिया है। देश भर में बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के वितरण में थोड़ी सी भी रुकावट के बिना वैश्विक महामारी से बचे रहना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। परंतु इस तरह के कठिन दौर में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इसलिए, कार्यनीति उप-समिति, 2021 में उत्कर्ष 2022 की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास से यह पता चलेगा कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं, और भविष्य के लिए कार्यनीति बनाते समय रडार को कहां रखना है, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

स्रोत: आरबीआई

- महामारी के लिए एक बीसीएम फ्रेमवर्क तैयार करना; तथा
- अतिरिक्त बजट स्वीकृति को तर्कसंगत बनाना और प्रक्रिया को स्वचालित करना;

7. राजभाषा

XI.62 भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रति स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग को सौंपी गई है। तदनुसार, विभाग ने द्विभाषणीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन करना; पत्राचार और आंतरिक कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना; और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अपने कार्य को हिंदी में करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना; सुनिश्चित किया है। विभाग ने राजभाषा नीति के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निगरानी की। विभाग राजभाषा पर भारत के राष्ट्रपति के आदेशों, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति को उनके दौरों के दौरान दिए गए आश्वासन तथा भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना – कार्यान्वयन स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

XI.63 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करना (पैरा XI.64);
- हिन्दी के प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करना (पैरा XI.65);
- हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग संबंधी विशेष शब्दावलियां तैयार करना (पैरा XI.66);
- कर्मचारियों में हिंदी संबंधी सृजनात्मकता को बढ़ाने के प्रयोजन से क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी पत्रिकाओं की प्रतियोगिता प्रारंभ करना (पैरा XI.67);

- हिंदी के प्रयोग संबंधी अद्यतन अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी देने के लिए केंद्रीय कार्यालय विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना (पैरा XI.68); और
- बैंकिंग विषयों पर हिंदी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करना (पैरा XI.68)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.64 वर्तमान में, बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग ने बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करने के लिए बैंकों और प्रख्यात विद्वानों को शामिल करते हुए एक अंतर-संस्था समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 2 मार्च 2021 को हुई। अद्यतनीकरण का कार्य अगले दो साल में (दिसंबर 2022 तक) पूरा होने की उम्मीद है।

XI.65 हिंदी के प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका) और केंद्रीय कार्यालय विभागों (केंकावि) को कार्यान्वयन के लिए परिचालित किया गया था। केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

XI.66 हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, विनियमन, विदेशी मुद्रा, आर्थिक अनुसंधान और नीति, परिसर, विधि, मुद्रा प्रबंधन और शिष्टाचार और सुरक्षा सहित कुछ विभागों के लिए विभाग-विशिष्ट शब्दावली तैयार करने का काम पूरा किया गया है।

XI.67 स्टाफ सदस्यों के बीच हिंदी में रचनात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2020-21 से क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी पत्रिका प्रतियोगिता शुरू की गई है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिका का मूल्यांकन 2021-22 के दौरान किया जाएगा।

XI.68 विभिन्न क्षेका/केंका के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान कुल 12 हिंदी कार्यशालाएं

आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, राजभाषा अधिकारियों के लिए “व्याख्यान मंच” के तहत ‘भुगतान और निपटान प्रणाली’, ‘आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के महत्वपूर्ण पहलू’, ‘एनबीएफसी के विनियमन का अवलोकन’ और ‘वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जनवरी 2021’ जैसे चार व्याख्यान हिंदी में आयोजित किए गए थे।

प्रमुख गतिविधियां

XI.69 जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान 118 स्टाफ सदस्यों ने प्राज्ञ² की परीक्षा उत्तीर्ण की और 159 ने पारंगत³ परीक्षा उत्तीर्ण की। केंका और क्षेका के स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। केंका और क्षेका ने हिंदी समारोह और विविध बैंकिंग विषयों पर सेमिनार आयोजित करके हिंदी दिवस मनाया और हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रशिक्षण

XI.70 रिजर्व बैंक के विजन वक्तव्य ‘उत्कर्ष 2022’ जो वर्तमान और भावी चुनौतियों के लिए मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के बारे में बताता है, के अनुसरण में राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र कोलकाता द्वारा सामान्य बैंकिंग पर प्रशिक्षण दिया गया। राजभाषा निरीक्षणों की प्रभावकारिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को राजभाषा निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा, आरबीएससी, चेन्नै द्वारा ‘अनुवाद में उपयोगी नवीनतम बैंकिंग अवधारणाओं’ पर राजभाषा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

प्रकाशन

XI.71 रिजर्व बैंक के सांविधिक प्रकाशनों अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों जैसे कि वित्तीय स्थिरता

रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक और भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिनों को द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया गया और ये रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा रिजर्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रस्तुत करने वाले राजभाषा समाचार के अलावा हिंदी पत्रिका बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का भी प्रकाशन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों का अनुपालन

XI.72 संसदीय राजभाषा समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए नियमित रूप से रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करती है। रिजर्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुपालन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय की निगरानी, अधिक से अधिक स्टाफ-सदस्यों को पारंगत का प्रशिक्षण देने, हिंदी संवर्ग के खाली पदों को भरने, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों (नराकास) में भाग लेने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

XI.73 राजभाषा पर संसदीय समिति की प्रारूप और साक्ष्य उप-समिति ने नराकास, दिल्ली के तत्वावधान में 17 नवंबर 2020 को दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की और कार्यालय की प्रगति संतोषजनक पाई गई।

एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली

XI.74 रिजर्व बैंक में हिंदी के प्रयोग से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, प्रसंस्करण, रिपोर्टिंग और संग्रह के लिए सितंबर 2020 में एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआरएस) पैकेज का उद्घाटन किया गया और इसे लाइव बनाया गया। इस पैकेज के माध्यम से तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, हिंदी सलाहकार समिति की रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, नराकास की रिपोर्ट और हिंदी ज्ञान का रोस्टर जैसी विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। आईआरआरएस पैकेज ने ‘कम पेपर’ और स्वचालित कार्य के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है।

² यह परीक्षा उन के लिए आयोजित की जाती है जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

³ हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतर परीक्षा।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.75 वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की विभाग की योजना है:

- 'राजभाषा नीति: एक परिचय' पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने और स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका प्रसार करना;
- भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और इसे सभी क्षेत्रों/केंद्रों को एक तैयार रेकनर के रूप में परिचालित करना;
- रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर कार्यक्रम आयोजित करना;
- राजभाषा निरीक्षण की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण देना;
- हिंदी के प्रयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्षेत्रों/केंद्रों में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ तीनों क्षेत्रों (यानी क, ख और ग) के लिए क्षेत्रवार समीक्षा बैठक आयोजित करना;
- द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट/ईकेपी पर अपलोड किए गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सामग्रियों की निगरानी करना; और
- अनुवाद प्रणाली को मजबूत करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और नियमित अंतराल पर अनुवाद समीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी करना।

8. परिसर विभाग

XI.76 परिसर विभाग का विजन रिजर्व बैंक के परिसरों में वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और सौंदर्यात्मक आकर्षण के समेकन के साथ ग्रीन रेटिंग से 'अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम' और पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही उच्चतम स्तर की सफाई सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.77 पिछले वर्ष, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- सभी नई भवन परियोजनाओं के अतिरिक्त कम से कम एक कार्यालय और पांच मौजूदा आवासीय इमारतों के लिए जीआरआईएचए/आईजीबीसी⁴ से ग्रीन रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- नवीकरणीय स्रोतों से 3.0 प्रतिशत ऊर्जा खपत प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- 2.5 प्रतिशत ऊर्जा बचत करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- 5.0 प्रतिशत जल संरक्षण/बचत प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- माल सूची और आर्किटेक्चर को आर्इबीआईटी के सहयोग से डिजिटल बनाना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- चेन्नै, मुंबई और दिल्ली की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना और अगरतला, इफाल और रांची में बाउंड्री दीवार का निर्माण करना (पैरा XI.79);
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और देहरादून, खारघर, नवी मुंबई और जम्मू में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करना (पैरा XI.79); और

⁴ इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट (जीआरआईएचए)/इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के लिए ग्रीन रेटिंग।

- संविदा आर्किटेक्चर⁵ की समीक्षा और संशोधन करना और परियोजनाओं की निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन टूल्स⁶ का कार्यान्वयन(पैरा XI.80)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.78 वर्ष 2020-21 में, विकास विजन से प्रेरित था, क्योंकि विभाग ने इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। उत्कर्ष के तहत निर्धारित कई लक्ष्यों को विभाग ने पार कर लिया है। गृह/आईजीबीसी से कम से कम एक मौजूदा कार्यालय भवन और पांच मौजूदा आवासीय इमारतों के लिए, संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2020-जनवरी 2021 के दौरान कुल तीन कार्यालय भवनों और दस आवासीय इमारतों के लिए आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई नयी इमारत नहीं बनी है। सभी रिजर्व बैंक के परिसरों में नवीकरणीय स्रोतों से आधार वर्ष (जून 2018 को समाप्त वर्ष) के 3.0 प्रतिशत बिजली की खपत प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले, जनवरी 2021 में नवीकरणीय स्रोतों से समग्र ऊर्जा उत्पादन 4.2 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक ने जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष में वार्षिक खपत की तुलना में जनवरी 2021 तक 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 30.1 प्रतिशत की ऊर्जा बचत की है। जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष में वार्षिक खपत की तुलना में जनवरी 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में जल संरक्षण/बचत 5.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 21.5 प्रतिशत अधिक थी। ऊर्जा लेखा परीक्षा की सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय एयर कंडीशनिंग संचालन और अन्य विद्युत उपकरणों के प्रदर्शन में सुधार, चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक लाइट के स्थान पर एलईडी लाइटों का प्रतिस्थापन, पुराने उपकरणों के स्थान पर उर्जा कुशल तथा उर्जा दक्षता

ब्यूरो (बीईई) द्वारा स्टार रेटेड उपकरणों की प्रतिस्थापना और पारंपरिक नल के स्थान पर सेंसर-आधारित नल की प्रतिस्थापन से लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका निभाई, ऊर्जा बचत और पानी के संरक्षण में भारी वृद्धि मुख्य रूप से अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन/प्रतिबंधों से कार्यालय के सीमित कार्य के घंटों के कारण हुई। रेबिट के सहयोग से इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट ट्रैकिंग को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया और इस तरह फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन मार्च 2021 के अंत तक 72 प्रतिशत क्षेका में पूरा हो गया था। जहां कोविड से संबंधित लॉकडाउन के कारण कुछ क्षेका में काम की गति बाधित हुई, वहीं विक्रेताओं की सीमित उपलब्धता ने भी इस काम को पूरा न करने में अपनी भूमिका निभाई।

XI.79 चेन्नै (अन्ना नगर), मुंबई (चेंबूर) और दिल्ली (हौज खास) में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कोविड से संबंधित लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। हालांकि, चेन्नै और दिल्ली परियोजनाएं पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इंफाल और अगरतला में रिजर्व बैंक के कार्यालय भूखंडों के लिए बाउंड्री दीवार का निर्माण लक्ष्य के अनुसार पूरा कर लिया गया है। रांची कार्यालय के भूखंड पर बाउंड्री दीवार निर्माण के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और 2021-22 में कार्य का निष्पादन निर्धारित किया गया है। देहरादून आवासीय परियोजना अनुमोदन के अंतिम चरण में है, जबकि जम्मू आवासीय परियोजना के लिए निविदा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह सभी परियोजनाएं 2021-22 में शुरू होने की संभावना है।

XI.80 'डिपाज़िट' कार्य आधार पर परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर की समीक्षा और संशोधन पूरा कर लिया गया है और परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन के

⁵ निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने से लेकर समाप्ति तक को कवर करने वाले फ्रेमवर्क को संदर्भित करता है।

⁶ ये सॉफ्टवेयर समाधान हैं जो परियोजनाओं की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।

लिए वर्तमान में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण चल रहा है और 2021-22 में लाइव होने की उम्मीद है।

प्रमुख गतिविधियां

निर्माण गतिविधियां

XI.81 मुंबई में सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएल) संस्था की इमारत की संरचना पूरी हो चुकी है। शेष संरचना कार्य और फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। देहरादून में कार्यालय भवन का निर्माण शुरू हो गया है।

कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपाय

XI.82 विभाग ने कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी एयर हैंडलिंग यूनित्स (एएचयू) में मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू-13 (एमईआरवी-13) फिल्टर्स और अल्ट्रा वायलेट जर्मिसिडल इराडिएशन (यूवीजीआई) असेंबलिंग के प्रावधान सहित केंद्रीय कार्यालय भवन में कई उपाय किए।

हरित पहल (उत्कर्ष के तहत लक्षित से इतर)

XI.83 रिजर्व बैंक ने विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कालोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा जनरेट की। जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान 18 आवासीय कॉलोनियों में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। नतीजतन, मार्च 2021 के अंत तक 26 कार्यालय परिसरों और 44 आवासीय परिसरों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र थे, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2,034 किलोवाट केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) [जून 2020] से बढ़कर 2,504 किलोवाट हो गई (मार्च 2021)। जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए 17 कार्यालय और 40 आवासीय परिसरों में जल उपचार संयंत्र तथा 3 कार्यालय और 11 आवासीय इमारतों में सीवेज उपचार संयंत्र लगाए गए। 11 कार्यालयों तथा 43 आवासीय परिसरों में ऑर्गनिक अवशिष्ट कनवर्टर भी स्थापित किए गए हैं।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

XI.84 अहमदाबाद और रांची कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यालय परिसर पट्टे पर लिया गया और पणजी, गोवा में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए तथा आइजोल, मिजोरम में कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण किया गया।

XI.85 विभाग के पास विभिन्न कार्यालयों की योजनाओं के लगभग 23,000 चित्र और ट्रेसिंग हैं। सभी चित्रों और ट्रेसिंग को उन तक आसान पहुंच और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए डिजिटाइज्ड और ई-इंडेक्स किया गया है।

XI.86 उत्कर्ष डेटा के समेकन और विश्लेषण और अन्य हरित पहलों और क्षेका से प्राप्त ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी के लिए ग्रीन (जनरेशन ऑफ रेनोवेबल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एण्ड नीर कंजर्वेशन) नाम का एक वेब-आधारित मंच ऊर्जा दक्षता/संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से रेबिट के परामर्श से विकसित किया गया है। मंच का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) चल रहा है।

XI.87 वर्तमान में ₹5 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाएं ई-निविदा के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल का उपयोग करके आमंत्रित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान केंका, क्षेका और प्रसं द्वारा 770 ई-टेंडर निकाले गए। इसके अलावा सामग्री (स्क्रेप और अप्रचलित सामग्री) की बिक्री में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया गया था और एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी द्वारा एक ही लेन-देन में ₹5 लाख रुपये और उससे अधिक माल/स्क्रेप की बिक्री करने के लिए सभी क्षेका/प्रसं को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.88 वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- जनवरी 2022 के लिए उत्कर्ष के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना और सुधार करना;

- चेन्नै (अन्ना नगर) और दिल्ली (हौज खास) में आवासीय परियोजनाएं जो पूरा होने के करीब हैं; का अधिग्रहण;
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर का निर्माण, देहरादून और जम्मू में आवासीय परियोजनाएं और मुंबई (खारघर) में आवासीय के साथ-साथ जेडटीसी परियोजना का निर्माण शुरू करना;
- शिलांग और रांची में बाउंड्री दीवार का निर्माण करना;
- प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए एंटरप्राइज परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए यूएटी से उत्पादन में शिफ्ट होना;
- ऑनलाइन समेकन और उत्कर्ष डेटा के विश्लेषण तथा अन्य हरित पहलों और शेका से प्राप्त ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को लागू करना; और
- हरित पहल जारी रखना।

9. निष्कर्ष

XI.89 संक्षेप में, यह अध्याय रिजर्व बैंक में गवर्नेस तथा मानव संसाधन के क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों और जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों का स्नेपशॉट देता है। एचआरएमडी ने वर्ष के दौरान क्लाउड-आधारित वीडियो अनुप्रयोगों का उपयोग करके वर्चुअल मोड में कर्मचारियों के लिए विभिन्न कौशल बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए। राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, वहीं परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखें। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया तथा वर्ष 2021-22 के लिए अपनी कार्ययोजना निर्धारित की है। कोविड-19 के प्रकोप के साथ, अपने मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए, रिजर्व बैंक ने अपनी समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों की कारोबार निरंतरता और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं को सुरक्षित किया।

सारणी XI.1 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	5	5
बी. पी. कानूनगो [^]	8(1)(ए)	5	5
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	5	5
माइकल देबब्रत पात्र	8(1)(ए)	5	5
एम.राजेश्वर राव [*]	8(1)(ए)	4	4
प्रसन्न कुमार मोहंती @	8(1)(बी)	3	3
दिलीप एस. शंघवी#	8(1)(बी)	4	4
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	5	5
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	5	4
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(सी)	5	5
अशोक गुलाटी@	8(1)(सी)	3	3
मनीष सभरवाल@	8(1)(सी)	3	3
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	5	5
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	5	5
देबाशीष पंडा	8(1)(डी)	5	5
तरुण बजाज	8(1)(डी)	5	5

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

^{*} 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

@ 8 फरवरी 2021 तक निदेशक

10 मार्च 2021 तक निदेशक

सारणी XI.2 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	35	33
बी. पी. कानूनगो [^]	8(1)(ए)	35	33
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	35	33
माइकल देबब्रत पात्र	8(1)(ए)	35	35
एम.राजेश्वर राव*	8(1)(ए)	21	21
प्रसन्न कुमार मोहंती @	8(1)(बी)	11	11
दिलीप एस. शंघवी#	8(1)(बी)	13	13
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	12	11
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	12	12
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(सी)	12	6
अशोक गुलाटी@	8(1)(सी)	11	7
मनीष सभरवाल@	8(1)(सी)	10	9
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	12	10
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	11	1
तरुण बजाज	8(1)(डी)	26	26

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

@ 8 फरवरी 2021 तक निदेशक

10 मार्च 2021 तक निदेशक

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	9	9
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	9	9
बी पी कानूनगो [^]	सदस्य	9	9
माइकल देबब्रत पात्र	सदस्य	9	6
एम.राजेश्वर राव*	सदस्य	6	6
अशोक गुलाटी#	सदस्य	7	6
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	9	9
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	9	9

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

8 फरवरी 2021 तक सदस्य

III. भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)

शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	2	2
बी. पी. कानूनगो@	उपाध्यक्ष	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देबब्रत पात्र	सदस्य	2	2
एम.राजेश्वर राव*	सदस्य	1	1
नटराजन चंद्रसेकरन	सदस्य	2	1
मनीष सभरवाल [^]	सदस्य	1	1

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

#8 फरवरी 2021 तक सदस्य

सारणी XI.3 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान बोर्ड की उप समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/ नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4

I. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस)

रेवती अय्यर	अध्यक्ष	6	6
अशोक गुलाटी [^]	सदस्य	4	3
एम.राजेश्वर राव* सदस्य	सदस्य	3	3
बी पी कानूनगो@	आमंत्रित	6	6
महेश कुमार जैन	आमंत्रित	6	6
माइकल देब्रत पात्र	आमंत्रित	6	6

[^]: 8 फरवरी 2021 तक सदस्य * : 9 अक्टूबर 2020 से सदस्य @ : 2 अप्रैल 2021 तक आमंत्रित

II. भवन उप समिति (बीएससी)

दिलीप एस. शंघवी*	अध्यक्ष	2	2
प्रसन्न कुमार मोहंती [^]	सदस्य	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2

*: 10 मार्च 2021 तक अध्यक्ष [^]: 8 फरवरी 2021 तक सदस्य

III. मानव संसाधन प्रबंध उप समिति (एचआरएम-एससी)

मनीष सभरवाल*	अध्यक्ष	2	2
दिलीप शंघवी#	सदस्य	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2

*: 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष #: 10 मार्च 2021 तक सदस्य

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटी-एससी)

मनीष सभरवाल [^]	अध्यक्ष	4	4
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	4	3
बी.पी. कानूनगो@	सदस्य	4	3

[^]: 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष @ : 2 अप्रैल 2021 तक सदस्य

V. कार्यनीति उप-समिति

प्रसन्न कुमार मोहंती [^]	अध्यक्ष	2	2
मनीष सभरवाल#	सदस्य	2	2
रेवती अय्यर	सदस्य	2	2
बी. पी. कानूनगो@	सदस्य	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देब्रत पात्र	सदस्य	2	2
एम.राजेश्वर राव*	सदस्य	1	1

[^]: 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष #: 8 फरवरी 2021 तक सदस्य

@ : 2 अप्रैल 2021 तक सदस्य * : 9 अक्टूबर 2020 से सदस्य

सारणी XI.4 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
सचिन चतुर्वेदी, ईएएलबी	धारा 9(1)	2	2
सुनील मित्रा*, ईएएलबी	धारा 9(1)	2	2
दिलीप एस. शंघवी#, डब्ल्यूएएलबी	धारा 9(1)	2	2
वी. आर. भानुशाली, डब्ल्यूएएलबी	धारा 9(1)	2	2
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
आर.एन.दुबे, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
प्रसन्न कुमार मोहंती, एसएएलबी^	धारा 9(1)	0	0

ईएएलबी: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड
एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

डब्ल्यूएएलबी: पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड
एसएएलबी: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

^: आवश्यक कोरम में कमी के कारण एसएएलबी कार्य नहीं कर सका।

#: 10 मार्च 2021 तक निदेशक

*: 8 फरवरी 2021 तक सदस्य

सारणी XI.5: 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के स्थान पर केंद्रीय निदेशक बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3
प्रसन्न कुमार मोहंती@, अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	2	2

@: 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष

टिप्पणी: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के स्थान पर आयोजित बैठकों

भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष के अप्रैल से मार्च (पहले जुलाई- जून) में परिवर्तित हो जाने के कारण वर्ष 2020-21 महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप लेखा वर्ष 2020-21 नौ महीने की अवधि अर्थात् जुलाई 2020 से मार्च 2021 का रहा। इस प्रकार, पिछले वर्ष/वर्षों के बारह महीनों की तुलना में इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया डेटा 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि का है। तथापि, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः इसके चलनिधि एवं विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष में जहां आय में 10.96 प्रतिशत की गिरावट हुई वहीं व्यय में 63.10 प्रतिशत की कमी हुई। पिछले वर्ष के ₹57,127.53 करोड़ की तुलना में इस वर्ष समग्र अधिशेष ₹99,122 करोड़ रहा जो 73.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इससे मुख्यतः उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2020-21 (जुलाई-मार्च) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों (पैराग्राफों) में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 तुलन पत्रके आकार में ₹3,72,876.43 करोड़ की वृद्धि हुई है अर्थात् इसका आकार 30 जून 2020 के ₹53,34,792.70 करोड़ से 6.99 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹57,07,669.13 करोड़ हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी और घरेलू निवेश में क्रमशः 11.48 प्रतिशत और 13.75 प्रतिशत की वृद्धि होना था।

देयता पक्ष में हुई वृद्धि जमाराशियों, निर्गत नोटों, तथा अन्य देयताओं में क्रमशः 26.85 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत और 43.05 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 26.42 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (स्वर्ण जमा एवं भारत में धारित स्वर्ण सहित) 73.58 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2020 को ये क्रमशः 28.75 प्रतिशत और 71.25 प्रतिशत थीं।

XII.3 ₹20,710.12 बिलियन का प्रावधान किया गया और इसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गई है।

सारणी XII.1: आय, व्यय और निवल आय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
ए) आय	61,818.05	78,280.66	1,93,035.88	1,49,672.46	1,33,272.75
बी) कुल व्यय ¹	31,154.93 ²	28,276.66 ³	17,044.15 ⁴	92,540.93 ⁵	34,146.75 ⁶
सी) निवल आय (ए-बी)	30,663.12	50,004.00	1,75,991.73	57,131.53	99,126.00
डी) निधियों को अंतरण ⁷	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	30,659.12	50,000.00	1,75,987.73	57,127.53	99,122.00

टिप्पणी : 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

2. इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹50 करोड़ का प्रावधान और (सीएफ) में अंशदान हेतु ₹13.140 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

3. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹14,189.27 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

4. एडीएफ में अंतरण के लिए ₹ 63.60 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

6. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

वित्तीय विवरणों में 2020-21 से हुए परिवर्तन:

XII.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए 2018 में गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. विमल जालान) की अनुशंसा के आधार पर वर्तमान वर्ष 2020-21 से निम्नलिखित परिवर्तन प्रभाव में लाए गए हैं:

(ए) **लेखा वर्ष** : बैंक का लेखा वर्ष 'जुलाई - जून' से बदलकर 'अप्रैल - मार्च' हो गया है। संक्रमण वर्ष होने के कारण यह वर्ष नौ महीने (जुलाई 2020 - मार्च 2021) का है।

(बी) **जोखिम प्रावधान और पुनर्मूल्यन खाते की प्रस्तुति** : तुलन पत्र में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' शीर्ष के तहत आने वाले जोखिम प्रावधान (आकस्मिक निधि (सीएफ़)) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ़)) और पुनर्मूल्यन खाते में शेष को अब तुलन पत्र के अलग शीर्षों में दिखाया गया है।

(सी) **तुलन पत्रशीर्ष - 'अन्य देयताएं और प्रावधान'** : इस नामावली को बदलकर 'अन्य देयताएं' कर दिया गया है।

XII.4.2 उपर्युक्त के अलावा, 2020-21 से निम्नलिखित बदलाव भी किए गए हैं :

(ए) वित्तीय विवरणों की **प्रस्तुति की इकाई** को 'बिलियन रुपये' से बदलकर 'करोड़ रुपये' कर दिया गया है।

(बी) **स्वर्ण सिक्के और बुलियन** : बैंकिंग विभाग (बीडी) की आस्ति के हिस्से 'स्वर्ण सिक्के और बुलियन' तथा निर्गम विभाग (आईडी) की आस्ति के हिस्से 'स्वर्ण सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)' की नामावली को बदलकर क्रमशः 'स्वर्ण - बीडी' तथा 'स्वर्ण - आईडी' कर दिया गया है।

भारत सरकार ने 11 नवंबर 2020 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त बदलाव अधिसूचित किए हैं। साथ ही, उपर्युक्त XII. 4.1(बी) में दर्शाए गए बदलावों के कारण अनुसूचियों की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है।

XII.5 वर्ष 2020-21 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय-विवरण, अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण तथा लेखा-संबंधी समर्थक टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैं :

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ

भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संक्रमण का वर्ष होने के कारण यह वर्ष नौ महीने (1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021) का है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुरूप हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारीयों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती है। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी हमें नहीं मिला है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों का अभिशासन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखापरीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही दृष्टिकोण दें और ठोस गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केवल केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा और उसके द्वारा निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मूल आधार जहाँ आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा अपने अभिमत के साथ एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन

है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा पद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह देखते हैं कि क्या लेखांकन नीतियां और जानकारी इसे कार्यशील संस्था के रूप में दर्शाती हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या लेखांकन के आधार के उपयोग से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

30 जून, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स प्रकाश चंद्र एंड कंपनी तथा मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 14 अगस्त 2020 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा-जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 002438सी)

कृते जी. एम. कपाड़िया एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 104767डबल्यू)

प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 21400755एएएबीजी4540

अतुल साह
भागीदार
सदस्यता सं. 039569
यूडीआईएन : 21039569एएएएचपी8880

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2019-20	2020-21	आस्तियां	अनुसूची	2019-20	2020-21
पूंजी		5.00	5.00	बैंकिंग विभाग की आस्तियां (बैंवि)			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	12.59	12.02
अन्य आरक्षित निधि	1	232.00	234.00	स्वर्ण - बैंकिंग विभाग	7	1,42,874.67	1,43,582.87
जमाराशियाँ	2	11,75,859.89	14,91,537.70	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	8	10,23,399.50	12,29,940.41
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9	11,72,027.28	13,33,173.90
आकस्मिकता निधि		2,64,033.94	2,84,542.12	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,874.68	22,874.68	ऋण और अग्रिम	10	3,22,207.95	1,35,118.91
पुनर्मूल्यन लेखा	3	11,24,390.72	9,24,454.99	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	1,963.60	1,963.60
अन्य देयताएं	4	1,05,321.81	1,50,657.97	अन्य आस्तियां	12	36,732.45	37,014.75
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग की आस्तियां - निवि (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)			
जारी किए गए नोट	5	26,35,574.66	28,26,862.67	स्वर्ण- निवि	7	1,13,145.92	1,04,140.13
				रुपये सिक्के		784.83	743.40
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	8	25,21,643.91	27,21,979.14
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
						26,35,574.66	28,26,862.67
कुल देयताएं		53,34,792.70	57,07,669.13	कुल आस्तियां		53,34,792.70	57,07,669.13

चारुलता एस.कर
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

टी.रबी शंकर
उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव
उप गवर्नर

एम.डी.पात्र
उप गवर्नर

एम.के.जैन
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2019-20	2020-21
ब्याज	13	1,09,333.40	69,057.09
अन्य	14	40,339.06	64,215.66
	कुल	1,49,672.46	1,33,272.75
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,377.84	4,012.09
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		87.19	54.80
एजेंसी प्रभार	15	3,876.08	3,280.06
कर्मचारी लागत		8,928.06	4,788.03
ब्याज		1.34	1.10
डाक और संचार प्रभार		116.74	105.46
मुद्रण और लेखन-सामग्री		20.03	17.00
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		136.39	122.24
मरम्मत और रखरखाव		87.72	76.49
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		2.02	0.36
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		6.00	4.90
विधिक प्रभार		9.22	8.57
मूल्यहास		206.11	200.09
विविध व्यय		1,071.19	765.44
प्रावधान		73,615.00	20,710.12
	कुल	92,540.93	34,146.75
उपलब्ध शेष राशि		57,131.53	99,126.00
घटाएं:			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
बी) नाबार्ड को अंतरणयोग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		1.00	1.00
सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		57,127.53	99,122.00

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

चारुलता एस.कर
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

टी.रबी शंकर
उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव
उप गवर्नर

एम.डी.पात्र
उप गवर्नर

एम.के.जैन
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21
अनुसूची 1 :	अन्य आरक्षित निधियाँ		
	i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	29.00	30.00
	ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	203.00	204.00
	कुल	232.00	234.00
अनुसूची 2 :	जमाराशियां		
	(ए) सरकार		
	i) केंद्र सरकार	100.27	5,000.15
	ii) राज्य सरकारें	42.48	42.48
	उप जोड़	142.75	5,042.63
	(बी) बैंक		
	i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,37,616.68	6,51,748.12
	ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5,207.87	8,893.19
	iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	7,138.21	9,848.31
	iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,472.18	4,560.21
	v) अन्य बैंक	18,413.73	23,817.12
	उप जोड़	4,70,848.67	6,98,866.95
	(सी) भारत से बाहर के वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	9,038.44
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	120.51
	उप जोड़	0.00	9,158.95
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	4,549.26	4,302.70
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	33,114.46	39,264.25
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	1,680.01	1,226.67
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2,347.06	1,439.68
(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	351.39	522.50	
(vi) म्यूचुअल फंड	1.35	1.35	
(vii) अन्य	6,62,824.94	7,31,712.02	
उप जोड़	7,04,868.47	7,78,469.17	
कुल	11,75,859.89	14,91,537.70	
अनुसूची 3 :	पुनर्मूल्यन लेखा		
	(i) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	9,77,141.23	8,58,877.53
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)	53,833.99	8,853.67
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	93,415.50	56,723.79
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	0.00	0.00
कुल	11,24,390.72	9,24,454.99	
अनुसूची 4 :	अन्य देयताएं		
	(i) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	5,925.41	6,127.35
	(ii) देयराशियों के लिए प्रावधान	2,599.61	3,240.73
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	25,639.39	28,497.67
	(iv) भारत सरकार को देय अधिशेष	57,127.53	99,122.00
	(v) देय बिल	2.46	4.36
	(vi) विविध	14,027.41	13,665.86
कुल	1,05,321.81	1,50,657.97	
अनुसूची 5 :	जारी नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	12.52	11.98
	(ii) संचलन में नोट	26,35,562.14	28,26,850.69
	कुल	26,35,574.66	28,26,862.67

2020-21 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

		2019-20	2020-21
अनुसूची 6 :	नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)		
	(i) नोट	12.52	11.98
	(ii) रुपये सिक्के	0.06	0.03
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	12.59	12.02
अनुसूची 7:	स्वर्ण		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	1,39,376.67	1,43,582.87
	(ii) जमा स्वर्ण	3,498.00	0.00
	उप जोड़	1,42,874.67	1,43,582.87
	(बी) निर्गम विभाग		
		1,13,145.92	1,04,140.13
	कुल	2,56,020.59	2,47,723.00
अनुसूची 8:	निवेश-विदेशी		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	10,23,399.50	12,29,940.41
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	25,21,643.91	27,21,979.14
	कुल	35,45,043.41	39,51,919.55
अनुसूची 9:	निवेश घरेलू		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	11,72,027.28	13,33,173.90
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	11,72,027.28	13,33,173.90
अनुसूची 10:	ऋण और अग्रिम		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	4,624.47	3,382.79
	उप जोड़	4,624.47	3,382.79
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2,85,576.86	90,252.18
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	22,123.19	25,425.56
	(vi) अन्य	9,883.43	6,905.32
	उप जोड़	3,17,583.48	1,22,583.06
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	9,129.72
	(ii) रिपो मार्जिन - विदेशी	0.00	23.34
	उप जोड़	0.00	9,153.06
	कुल	3,22,207.95	1,35,118.91
अनुसूची 11:	सहयोगी संस्थाओं में निवेश		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)	33.60	33.60
	कुल	1,963.60	1,963.60

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

		2019-20	2020-21
अनुसूची 12:	अन्य आस्तियां		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर)	815.60	923.46
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	34,535.74	34,643.53
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	347.32	355.37
	बी. अन्य मदों पर	34,188.42	34,288.16
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)	0.00	0.00
	(v) विविध	1,381.11	1,447.76
	कुल	36,732.45	37,014.75
अनुसूची 13:	ब्याज		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	70,303.70	59,824.79
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-13,052.75	-17,957.86
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	148.75	12.38
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	3,557.17	1,709.00
	उप जोड़	60,956.87	43,588.31
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	33,025.03	23,059.63
	(ii) रिपो /रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	9.41	9.83
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	15,342.09	2,399.32
	उप जोड़	48,376.53	25,468.78
	कुल	1,09,333.40	69,057.09
अनुसूची 14:	आय- अन्य		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	734.57	964.16
	(iii) कमीशन	2,431.24	2,073.97
	(iv) प्राप्त किराया	8.63	5.19
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	1,252.43	5,193.94
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यहास	-9.38	-8.12
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	1,680.95	846.48
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	1.39	1.38
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	248.74	-108.38
	उप जोड़	6,348.57	8,968.62
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-2,741.55	-6,715.95
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	6,738.82	11,348.84
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	29,993.22	50,629.18
	(iv) विविध आय	0.00	-15.03
	उप जोड़	33,990.49	55,247.04
	कुल	40,339.06	64,215.66
अनुसूची 15:	एजेंसी प्रभार		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	3,787.55	2,611.05
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	60.90	642.95
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉन्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया टर्नओवर प्रभार)	6.26	6.30
	(iv) बाहरी आस्त-प्रबंधकों, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	21.37	19.76
	कुल	3,876.08	3,280.06

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।”

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोट का निर्गम एवं सिक्कों का संचलन
- बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना।
- सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर्ता।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।
- आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की आस्तियाँ निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की

गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यांकन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व मान्यता

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध, प्रेषण निकासी खाता, बयाना राशि जमा खाता और सुरक्षा जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक स्पष्ट लगातार लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और बकाया राशि की समीक्षा की जाती है और वापस लिखा जाता है, आय के लिए दावे, यदि कोई हों,

पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के विरुद्ध अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय सप्ताह/ माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन, जैसा लागू हो, पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और सोने की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि को लागत निकालने के लिए भारत औसत लागत पद्धति का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और देयताएं

सोने और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) सोना

सोने (स्वर्ण जमा सहित) का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएम) के अमेरिकी डॉलर में सोने की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और मूल्यांकन दिनों में रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यांकन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और देयताएं

A विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह के आखिरी कारोबारी दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता के लिए धारित' प्रतिभूतियों के अलावा (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में

निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बांड जो मूल्य पर मूल्यांकित हैं) प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफएस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। आईआरए-एफएस में वर्ष के अंत में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकस्मिकता निधि (सीएफ) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को छूट/प्रीमियम के परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या छूट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को बही मूल्य के संबंध में मान्यता दी जाती है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर, आईआरए-एफएस में पड़ी बेची गई/रिडीम की गई प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि को आय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप अनुबंध

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए

और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

एफसीवीए में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैलेंस शीट की तारीख पर, सीएफ से चार्ज किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा अनुबंधों के मूल्यांकन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जबकि एफसीवीए 'पुनर्मूल्यांकन खातों' का हिस्सा है, पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है और आरएफसीए और एसएए 'अन्य परिसंपत्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

रिज़र्व बैंक रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में भाग लेता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) में लेनदेन

रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के तहत किए गए आईआरएफ लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज किए जाते हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज की जाती है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपये की प्रतिभूतियां और तेल बांड (डी) में उल्लिखित को छोड़कर प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के रूप में मार्क-टू-मार्केट हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया गया है। आईआरए-आरएस में क्रेडिट बैलेंस को अगले लेखा वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है। आईआरए-आरएस में वर्ष के अंत में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ से चार्ज किया जाता है और इसे अगले अकाउंटिंग वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपये की प्रतिभूतियों/तेल बांडों की बिक्री/मोचन पर, रुपये की प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए/रिडीम किए गए तेल बांड आय खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बांड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ फंडों (जैसे ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल असिस्टेंस फंड) और डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के लिए निर्धारित तेल बांड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन को उधार के रूप में माना जाता है और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन को जमा के रूप में माना जाता है और 'जमा-अन्य' के तहत दिखाया जाता है।

2.7 अचल संपत्ति

ए) अचल संपत्तियों को कला और पेंटिंग और फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर लागत कम मूल्यहास पर बताया गया है जो लागत पर रखी गई है।

बी) वर्ष के दौरान (01 जुलाई से 31 मार्च तक) अर्जित और पूंजीकृत भूमि और भवनों के अलावा अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और छमाही आधार पर लागू आस्तियों के उपयोगी जीवन काल के आधार पर निर्धारित दरों पर।

सी) निम्नलिखित अचल संपत्तियों (₹1 लाख से अधिक की लागत) पर मूल्यहास निम्नलिखित तरीके से एक संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है :

आस्तित्व श्रेणी	उपयोगी जीवन मूल्यहास की दर
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

डी) ₹1 लाख तक की अचल संपत्ति (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय के लिए शुल्क लिया जाता है। आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दर पर की जाती है।

ई) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दरों पर की जाती है।

एफ) मासिक यथानुपात आधार पर अचल संपत्तियों की छमाही के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। भूमि और भवन के अलावा अन्य संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के मामले में, ऐसी संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के महीने सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(जी) बाद के खर्च पर मूल्यहास:

i. एक मौजूदा अचल संपत्ति पर किए गए बाद के व्यय को खातों की किताबों में पूरी तरह से मूल्यहास नहीं किया गया है, मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है ;

ii. मौजूदा अचल संपत्ति के आधुनिकीकरण/अतिरिक्त/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के खर्च, जिनका पहले से ही खातों की किताबों में पूरी तरह से मूल्यहास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है जिसमें व्यय किया जाता है।

(एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

- i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यहास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- ii. भवनों को हुई क्षति : क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
 - ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/ जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यहास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
 - बी. जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/ जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रेप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रेप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

- ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन

अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

- बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है। .

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.6 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.6.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.6.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'पुनर्मूल्यन खाता' की मद का एक हिस्सा है।

XII.6.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹30 करोड़ थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹204 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.6.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक) और नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई

कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 26.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 के ₹ 11,75,859.89 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को ₹14,91,537.70 करोड़ हो गयी। .

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2020 के ₹100.27 करोड़ और ₹42.48 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमशः ₹5000.15 करोड़ और ₹42.48 करोड़ थीं। केंद्र सरकार की जमा राशि में वृद्धि 31 मार्च को उनके खातों में उच्च न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता के कारण हुई है।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 48.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 के ₹ 4,70,848.67 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को ₹6,98,866.95 करोड़ हो गयी। इस शीर्ष में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से सीआरआर की बहाली के कारण हुई है, बैंकों को 30 जून, 2020 को एनडीटीएल के 3.0 प्रतिशत की सीआरआर आवश्यकता की तुलना में मार्च 2021 के अंत में एनडीटीएल के 3.5 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता थी।

सी. जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं

भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित जमाराशियां 30 जून 2020 को 'शून्य' के मुकाबले 31 मार्च 2021 को ₹ 9,158.95 करोड़ थीं।

डी. जमाराशियां - अन्य

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹7,04,868.47 करोड़ थी, इसमें 10.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2021 को ₹7,78,469.17 करोड़ हो गयी जिसका प्रमुख कारण रिज़र्व बैंक के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई वृद्धि थी।

XII.6.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक के दो जोखिम प्रावधान हैं अर्थात्, आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ)। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

ए. आकस्मिक निधि (सीएफ)

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यहास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिज़र्व बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, एफसीवीए के नामे शेष के कारण सीएफ पर

₹6,127.35 करोड़ का प्रभार लगाया गया। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, सीएफ के लिए ₹20,710.12 करोड़ मुहैया कराया गया। तदनुसार, 30 जून 2020 के ₹2,64,033.94 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को सीएफ शेष राशि ₹2,84,542.12 करोड़ थी।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। वर्ष 2020-21 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः 31 मार्च 2021 को एडीएफ की शेष राशि ₹22,874.68 करोड़ बनी रही (सारणी XII.2)।

सारणी XII.2 : जोखिम प्रावधानों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
30 जून 2017	2,28,206.53 [#]	22,811.08	2,51,017.61	7.6
30 जून 2018	2,32,107.76 [@]	22,811.08	2,54,918.84	7.05
30 जून 2019	1,96,344.35 ^{\$}	22,874.68	2,19,219.03	5.34
30 जून 2020	2,64,033.94 [*]	22,874.68	2,86,908.62	5.38
31 मार्च 2021	2,84,542.12 [^]	22,874.68	3,07,416.80	5.39

[#]: 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹13,139.62 करोड़ के प्रावधान और आईआरएस एवं एफसीवीए के ₹6,585.55 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

[@]: 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹14,189.27 करोड़ के प्रावधान और आईआरएस-एफएस के ₹16,873.59 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

^{\$}: 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार सीएफ में आयी गिरावट ₹52,637 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

^{*}: 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹73,615 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए के ₹5,925.41 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

[^]: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए के ₹6,127.35 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

XII.6.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता(एफसीवीए) में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैंः:

ए. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2020-21 के दौरान, सीजीआरए शेष में 30 जून 2020 के ₹9,77,141.23 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2021 को ₹8,58,877.53 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये की मूल्यवृद्धि तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट है।

बी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक सप्ताह और माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार आईआरए-एफएस की शेष राशि ₹53,833.99 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2021 को ₹8,853.67 करोड़ हो गयी।

सी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष राशि 30 जून 2020 के ₹93,415.50 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2021 को ₹56,723.79 करोड़ हो गयी क्योंकि इस वर्ष के दौरान रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री और प्रतिफल वक्र के लंबे सिरे पर प्रतिफल के कम होने के कारण वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा धारित कुछ प्रतिभूतियों पर एमटीएम हानि हुई।

डी. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर निवल ₹6,127.35 करोड़ की अप्राप्त हानि हुई जिसे एफसीवीए में नामे डालते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि पीएफसीवीए में जमा करके की गयी। वर्तमान नीति के अनुसार, 31 मार्च 2021 को एफसीवीए के ₹6,127.35 करोड़ नामे शेष को सीएफ में समायोजित किया गया और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को एफसीवीए की शेष राशि शून्य थी।

XII.6.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 30 जून, 2020 को ₹1,05,321.81 करोड़ से 43.05 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2021 को ₹1,50,657.97 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से भारत सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि के कारण है।

i. वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर हुई निवल हानि ऊपर बताए गए अनुसार पीएफसीवीए में

सारणी XII.3: सीजीआरए, एफसीवीए, पीएफसीवीए, आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में शेष राशियाँ

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस
1	2	3	4	5	6
30 जून 2017	5,29,944.69	0.00	2,963.11	0.00	57,089.90
30 जून 2018	6,91,640.97	3,261.92	0.00	0.00	13,285.22
30 जून 2019	6,64,479.74	1,303.96	0.00	15,734.96	49,476.26
30 जून 2020	9,77,141.23	0.00	5,925.41	53,833.99	93,415.50
31 मार्च 2021	8,58,877.53	0.00	6,127.35	8,853.67	56,723.79

क्रेडिट की गयी। 30 जून 2020 के ₹5,925.41 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पीएफसीवीए की शेष राशि ₹6,127.35 करोड़ थी।

पिछले पाँच वर्षों के लिए पुनर्मुल्यन खाते तथा वायदा संविदा मूल्यन खाते(पीएफसीवीए) में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2020 के ₹2,599.61 करोड़ से 24.66 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 में ₹3,240.73 करोड़ हो गई।

iii. केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद रिज़र्व बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी

प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद सीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों को ₹4 करोड़ के अंशदान के बाद 2020-21 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹99,122 करोड़ है (इसमें पिछले वर्ष के ₹632.17 करोड़ की तुलना में ₹493.92 करोड़ शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के अंतर्गत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 30 जून 2020 की ₹2.46 करोड़ की स्थिति से बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹4.36 करोड़ हो गयी।

v. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियाँ, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹14,027.41 करोड़ थी जो घटकर 31 मार्च 2021 को ₹13,665.86 करोड़ हो गयी।

XII.6.8 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 'जारी किए गए नोटों' की संख्या 30 जून 2020 को ₹ 26,35,574.66 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 को 7.26 प्रतिशत बढ़कर ₹ 28,26,862.67 करोड़ हो गई। यह वृद्धि जनसाधारण की लेन-देन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। साथ ही, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹ 10,719.37 करोड़ की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, उसे 'अन्य देयताएं' में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय मूल्य के रूप में ₹2.68 करोड़ की राशि की अदायगी की।

XII.7 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का और छोटा सिक्का

इस शीर्ष में रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग की तिजोरियों में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों के शेष को दर्शाया गया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹12.02 करोड़ थी, जबकि 30 जून 2020 को यह शेष राशि ₹12.59 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण – बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2020 के 661.41 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2021 को 695.31 मेट्रिक टन स्वर्ण

है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 33.90 मेट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण हुई है।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार उक्त 695.31 मेट्रिक टन में से 292.30 मेट्रिक टन जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया गया है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया गया है। 30 जून 2020 के शेष 369.11 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2021 को धारित 403.01 मेट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XII.4)। वर्ष के दौरान 33.90 मेट्रिक टन सोने के जुड़ने के कारण बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2020 के ₹1,42,874.67 करोड़ से 0.50 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹1,43,582.87 करोड़ हो गया।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है, किन्तु वर्ष 2020-21 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बहियों में इस प्रकार की कोई आस्ति नहीं है।

iv) निवेश - विदेशी - बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

सारणी XII.4: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून 2020 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
	मात्रा मीट्रिक टन में	मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को समर्थन हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	369.11	403.01
कुल	661.41	695.31

(बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफसीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है : (ए) 'निवेश-विदेशी -बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तिके रूप में दर्शाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार निवेश-विदेशी-आईडी वे पात्र एफसीए हैंजिनका उपयोग जारी नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीएके शेष से 'निवेश-विदेश-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों के एफसीए की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश – घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेशों में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋण, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉण्डशामिल हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियाँ, जो कि 30 जून 2020 को ₹11,72,027.28 करोड़ थी, वे 13.75 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹13,33,173.90 करोड़ हो गईं। यह वृद्धि ₹1,92,821 करोड़(अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

निवेश – घरेलू - बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में किए गए वर्णनके अनुसार विविध स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 31 मार्च 2021 के अनुसार ₹75,776 करोड़ (अंकित मूल्य) को स्टाफ निधि तथा डीईए निधि, दोनों को मिलाकर, के लिए रखा गया है।

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2020	31 मार्च 2021
1	2	3
I निवेश-विदेश-बीडी*	10,23,399.50	12,29,940.41
II निवेश-विदेश-आईडी	25,21,643.91	27,21,979.14
कुल	35,45,043.41	39,51,919.55

* : इसमें और 30 जून 2020 के ₹11,211.13 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹11,555.96 करोड़ पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित बीआईएस और स्विफ्ट तथा एसडीआर के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणियाँ:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। 01 जनवरी 2021 से आईएमएफ के एनएबी का आकार दोगुना हुआ है। एनएबी के तहत भारत की एसडीआर प्रतिबद्धता 8.88 बिलियन (₹ 92,015.21 करोड़/यूएस\$12.58 बिलियन) है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.13 बिलियन (₹1316.32 करोड़/यूएस\$ 0.18 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
- आरबीआई, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्डों में राशि, जो कुल यूएस\$5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹36,559 करोड़) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉन्डों में यूएस\$ 1.86 बिलियन (₹ 13,621.79 करोड़) का निवेश किया है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.05 बिलियन (₹10,847.81 करोड़/यूएस\$ 1.48 बिलियन) की धारिता थी।
- रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वेप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस \$2 बिलियन तक की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भूटान और मालदीव के साथ क्रमशः यूएस\$ 0.20 बिलियन (₹1,454.19 करोड़) और यूएस\$ 0.25 बिलियन (₹1,827.92 करोड़) स्वेप बकाया है।
- 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में जमानत और मार्जिन के रूप में तैनात विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹9,171.35 करोड़ रुपये / यूएस\$1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त नाममात्र मूल्य ₹8,688.75 करोड़ रुपये / यूएस\$1.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) तथा ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में केंद्र सरकार को प्रदान किए जाते हैं और डब्ल्यूएमए, ओडी तथा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2020 तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के पास कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे चूंकि केंद्र सरकार इन दोनों दिनों में अधिशेष में थी, जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2020 के ₹4,624.47 करोड़ की तुलना में 26.85 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹3,382.79 करोड़ हो गए।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को दिए गए ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम : इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि इनमें शामिल हैं। यह बकाया राशि 30 जून 2020 की ₹ 2,85,576.86 करोड़ से कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹90,252.18 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य

कारण था- वर्ष (जुलाई 2020 से मार्च 2021) के दौरान बैंकों द्वारा दीर्घावधि रिपो परिचालनों (एलटीआरओ), लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) 1.0 तथा टीएलटीआरओ 2.0 की चुकौती।

■ नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के तहत रिज़र्व बैंक नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2020 के ₹22,123.19 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹25,425.56 करोड़ हो गयी।

■ अन्य को ऋण और अग्रिम:

इस मद के तहत मौजूद शेष राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2020 की ₹9,883.43 करोड़ से 30.13 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹6,905.32 करोड़ हो गई, जिसका प्रमुख कारण एनएचबी को दिए गए ऋण और अग्रिम में कमी थी।

सी) भारत से बाहर स्थित वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम

इस शीर्ष के अंतर्गत शेषराशि 31 मार्च 2021 को ₹9,153.06 करोड़ थी जबकि 30 जून 2020 को यह शून्य थी।

vii) अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में निवेश

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की अपनी अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में कुल धारिता पिछले वर्ष के समान ₹1,963.60 करोड़ थी। इसका विवरण सारणी XII.6 में दिया गया है।

सारणी XII.6: 2020-21 में अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में धारिताएं

अनुषंगी/सहायक संस्थाएं	राशि (₹ करोड़)	31 मार्च 2021 तक प्रतिशत धारिता
1	2	3
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	100
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	100
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	33.60	100
कुल	1,963.60	

viii) अन्य आस्तियां

‘अन्य आस्तियों’ में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), उपचित आय, (ए) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए) (बी) वायदा संविदा का पुनर्मूल्यन खाता (आरएफसीए) में धारित शेष तथा विविध आस्तियां शामिल होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किए गए व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि शामिल हैं। ‘अन्य आस्तियों’ के तहत बकाया राशि 30 जून 2020 के ₹36,732.45 करोड़ से 0.77 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹37,014.75 करोड़ हो गयी।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एसएए में बकाया शेष शून्य है क्योंकि ऑफ मार्केट दर पर रिपो के स्वरूप की कोई भी स्वैप संविदाएं बकाया नहीं थीं।

बी. वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

आरएफसीए शेष 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शून्य था।

XII.7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण, रुपया सिक्का, निवेश-विदेशी आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय बिल शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 695.31 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में जारी किए

गए नोटों को समर्थन प्रदान के लिए रखा गया है (सारणी XII.4)। जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2020 को ₹1,13,145.92 करोड़ था, जो 7.96 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2021 को ₹1,04,140.13 करोड़ हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित निवेश-विदेशी-आईडी जो 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹25,21,643.91 करोड़ था, वह 7.94 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹27,21,979.14 करोड़ हो गया। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि जो 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹784.83 करोड़ थी, 5.28 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2021 को ₹743.40 करोड़ रह गई।

XII.8 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

XII.8.1 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) में एफसीए, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से (जीओआई) प्राप्त एसडीआरधारिताएं रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा होती हैं तथा इन्हें ‘निवेश-विदेशी-बीडी’ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत सरकार के पास एसडीआर धारिताएं तथा आरटीपी जो आईएमएफ में विदेशी मुद्रा में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं हैं। 30 जून 2020 एवं 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एफईआर की स्थिति भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे एफईआर के लिए मूल्यमान मुद्रा है, में सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में प्रस्तुत है।

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	30 जून 2020	31 मार्च 2021	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	35,17,514.26 [^]	39,24,167.84 [#]	4,06,653.58	11.56
स्वर्ण	2,56,020.59 [@]	2,47,723.00 [*]	-8,297.59	-3.24
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	10,923.25	10,863.73	-59.52	-0.54
आईएमएफ में रिजर्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	34,111.66	36,198.01	2,086.35	6.12
विदेशी मुद्रा आरक्षित (एफईआर)	38,18,569.76	42,18,952.59	4,00,382.83	10.49

[^] : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹10,901.23 करोड़ के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹14,067.55 करोड़ का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत ₹1,427.73 करोड़ भूटान को तथा मालदीव को ₹1,132.64 करोड़ का उधार।

[#] : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की ₹10,847.81 करोड़ की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹13,621.79 करोड़ का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹1,454.19 करोड़ उधार और मालदीव को दिए गए ₹1,827.92 करोड़ उधार।

[@] : इसमें से ₹1,13,145.92 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,42,874.67 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

^{*} : इसमें से ₹1,04,140.13 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,43,582.87 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7 (बी): विदेशी मुद्रा भंडार (यूएसडी)

(यूएस\$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	30 जून 2020	31 मार्च 2021	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	465.83 [*]	536.69 ^{**}	70.86	15.21
स्वर्ण	33.90	33.88	-0.02	-0.06
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.45	1.49	0.04	2.76
आईएमएफ में रिजर्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	4.52	4.92	0.40	8.85
विदेशी मुद्रा आरक्षित (एफईआर)	505.70	576.98	71.28	14.10

^{*} : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की यूएस\$ 1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में यूएस\$ 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस\$ 0.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार तथा मालदीव को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस\$ 0.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

^{**} : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की यूएस\$ 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में यूएस\$ 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस\$ 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार और मालदीव को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस\$ 0.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

XII.9 आय

XII.9.1 रिजर्व बैंक की आय के घटक हैं- 'ब्याज' एवं 'अन्य आय', जिसमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की

बिक्री एवं मोचन से हुए लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास (vii) प्राप्त किराया (viii) रिजर्व बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय की कतिपय मदें, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों से हुए विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	35,45,043.41	39,51,919.55	4,06,876.14	11.48
औसत एफसीए	31,10,365.72	38,49,940.15	7,39,574.43	23.78
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	82,367.02	80,715.82	(-) 1,651.20	(-) 2.00
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	2.65	2.10	(-) 0.55	(-) 20.75

विदेशी स्रोतों से आय

XII.9.2 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2019-20 के ₹82,367.02 करोड़ से 2.00 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹80,715.82 करोड़ रह गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2019-20 के 2.65 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 2.10 प्रतिशत थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.9.3 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय 2019-20 के ₹67,305.44 करोड़ से 21.91 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹52,556.93 करोड़ रह गई, जिसकी मुख्य वजहें थीं- (ए) रुपया प्रतिभूतियों को धारण करने से होने वाली ब्याज आय में गिरावट और (बी) बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन में वृद्धि (सारणी XII.9)।

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	67,305.44	52,556.93	-14,748.51	-21.91
I. रुपये प्रतिभूतियों और बढ़ा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	70,303.70	59,824.79	-10,478.91	-14.91
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	1,252.43	5,193.94	3,941.51	314.71
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-9.38	-8.12	1.26	-13.43
iv) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/बढ़ा का परिशोधन	1,680.95	846.48	-834.47	-49.64
v) बढ़ा	734.57	964.16	229.59	31.26
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	73,962.27	66,821.25	-7,141.02	-9.65
II. एलएएफ/एमएसएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-13,052.75	-17,957.86	-4,905.11	-37.58
ii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	148.75	12.38	-136.37	-91.68
उप जोड़ (i+ii)	-12,904.00	-17,945.48	-5,041.48	-39.07
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	2,313.51	264.04	-2,049.47	-88.59
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,174.83	1,400.63	225.80	19.22
iii) कर्मचारी	68.83	44.33	-24.50	-35.59
उप जोड़ (i+ii+iii)	3,557.17	1,709.00	-1,848.17	-51.96
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	2,431.24	2,073.97	-357.27	-14.69
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	258.76	-101.81	-360.57	-139.35
उप जोड़ (i+ii+iii)	2,690.00	1,972.16	-717.84	-26.69

XII.9.4 रुपया प्रतिभूतियों को धारण करने से मिलने वाला ब्याज वर्ष 2019-20 के बारह महीने की तुलना में वर्तमान लेखा वर्ष नौ महीने का होने की वजह से 2019-20 में ₹70,303.70 करोड़ से 14.91 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹59,824.79 करोड़ रह गया।

XII.9.5 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय 2019-20 में ₹(-)12,904 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹(-)17,945.48 करोड़ रह गई। ऐसा बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप एलएएफ/एमएसएफ के तहत निवल ब्याज बहिर्गमन हुआ। बैंकिंग प्रणाली अधिशेष का उच्च स्तर रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली-स्तर की चलनिधि को बढ़ाने और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण धन की कमी का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को चलनिधि मुहैया कराने के लिए किए गए समर्थक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालन के कारण था।

XII.9.6 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर होने वाला लाभ 2019-20 के ₹1,252.43 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹5,193.94 करोड़ हो गया जो प्रमुख रूप से 2019-20 में ₹42,111 करोड़ (अंकित मूल्य) की तुलना में 2020-21 में ₹1,84,425 करोड़ (अंकित मूल्य) के उच्च बिक्री परिचालनों के कारण हुआ था।

XII.9.7 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉण्ड से प्राप्त होने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन : रिजर्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉण्ड से प्राप्त होने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से होने वाली निवल आय 2019-20 के ₹1,680.95 करोड़ से 49.64 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹846.48 करोड़ रह गई।

XII.9.8 घरेलू - बट्टा : भुनाए गए लिखतों [टी-बिल तथा नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी)] की धारिता से होने वाली आय

2019-20 के ₹734.57 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹964.16 करोड़ हो गई।

XII.9.9 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. केंद्र सरकार और राज्य सरकार :

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2019-20 के ₹2313.51 करोड़ से 88.59 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹264.04 करोड़ रह गई। केंद्र से डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज के रूप में होने वाली आय 2019-20 के ₹2,130.51 करोड़ से 99.89 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹2.28 करोड़ रह गई और राज्यों से डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर प्राप्त ब्याज के रूप में होने वाली आय 2019-20 के ₹183 करोड़ से 43.04 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹261.76 करोड़ हो गयी। यह घटा हुआ निवल अर्जन 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी सुविधा का बहुत कम प्रयोग करने के कारण रहा।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं : बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2019-20 के ₹1,174.83 करोड़ से 19.22 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹1,400.63 करोड़ हो गया।

सी. कर्मचारी : कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2019-20 के ₹68.83 करोड़ से 35.59 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹44.33 करोड़ रह गया।

XII.9.10 कमीशन : कमीशन आय 2019-20 के ₹2,431.24 करोड़ से 14.69 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹2,073.97 करोड़ रह गई। यह मुख्य रूप से ए) बचतबॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिलों और सीएमबी समेत केंद्र और राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की चुकौती के प्रबंधन के लिए प्राप्त कमीशन और बी) लेखा वर्ष की अवधि कम होने (2019-20 के बारह महीनों की तुलना में 2020-21 में केवल नौ महीने) के निवल प्रभाव की वजह से हुई।

XII.9.11 प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय : आय की इन मदों से अर्जन 2019-20 के ₹258.76 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹(-)101.81 करोड़ रह गया।

XII.10 व्यय

XII.10.1 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को करने के क्रम में एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों के मुद्रण, करेन्सी के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यय करता है। बैंक का कुल व्यय 2019-20 के ₹92,540.93 करोड़ से 63.10 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹34,146.75 करोड़ रह गया (सारणीXII.10)।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2020-21 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹1.10 करोड़ की राशि डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ की संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा की गयी।

ii) कर्मचारी लागत

वर्ष 2020-21 में कुल कर्मचारी लागत 2019-20 के ₹8,928.06 करोड़ से 46.37 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹4,788.03 करोड़ रह गई। यह गिरावट 2020-21 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के रूप में रिज़र्व बैंक के व्यय में कमी एवं साथ ही चालू लेखा वर्ष नौ महीने का होने के निवल प्रभाव की वजह से थी।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी प्रभार 2019-20 के ₹3,787.55 करोड़ से 31.06 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹2,611.05 करोड़ रह गया। ₹1,176.50 करोड़ की गिरावट की प्रमुख वजह 2019-20 की तुलना में चालू वर्ष की अवधि नौ महीने होना था। इसके अलावा, अदा किए गए एजेंसी प्रभार में आयी थोड़ी कमी की वजह रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर के साथ सरकारी प्रणालियों के एकीकरण के जरिए सरकारों द्वारा सीधे किए गए लेनदेन और साथ ही कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति के कारण सरकारी लेनदेन की संख्या पर पड़े कुछ प्रभाव हो सकते हैं।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिज़र्व बैंक ने 2020-21 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों को कुल ₹642.95 करोड़ हामीदारी

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.92	0.97	1.16	1.34	1.10
ii. कर्मचारी लागत	4,620.82	3,848.51	6,851.07	8,928.06	4,788.03
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	4,051.77	3,903.06	3,910.21	3,876.08	3,280.06
iv. नोटों का मुद्रण	7,965.23	4,912.52	4,810.67	4,377.84	4,012.09
v. प्रावधान	13,189.62	14,189.27	63.60	73,615.00	20,710.12
vi. अन्य	1,326.57	1,422.33	1,407.44	1,742.61	1,355.35
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	31,154.93	28,276.66	17,044.15	92,540.93	34,146.75

कमीशन का भुगतान किया जो कि 2019-20 में ₹60.90 करोड़ था। वर्ष के दौरान, विशेष रूप से सितंबर 2020-अक्टूबर 2020 में, हामीदारी कमीशन काफी बढ़ा और उसके बाद फरवरी 2021-मार्च 2021 में तेजी से बढ़ा, जो मुख्यतः बाज़ार की स्थितियों और सरकारी बाज़ार उधारियों की मात्रा में हुए इजाफे की वजह से हुआ, जो कि न्यागमन जोखिम सकल उधारियों (2019-20 में 0.51 प्रतिशत) के 9.53 प्रतिशत के अपेक्षाकृत उच्च स्तर से स्पष्ट है। 08 मई 2020 की घोषणा के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के सकल उधार का आंकड़ा ₹12,00,000 करोड़ था, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में आई कमी को पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर 2020 को ₹1,10,000 करोड़ की वृद्धि की गयी और 01 फरवरी 2021 को इसमें ₹80,000 करोड़ की पुनः वृद्धि की गयी। न्यागमन का अधिक उपयोग करने से सितंबर 2020-अक्टूबर 2020 तथा फरवरी 2021-मार्च 2021 के दौरान हामीदारी कमीशन में तेजी से इजाफा हुआ।

इस वर्ष के दौरान, पीडी को हामीदारी कमीशन पर सेवा कर (एसटी)/ माल और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान को लेकर काफी समय से लंबित मुद्दे का समाधान किया गया। तदनुसार, चालू वर्ष के व्यय में बीते वर्षों की ₹159.92 करोड़ की एसटी/ जीएसटी भी शामिल है, जिसकी प्रतिपूर्ति जुलाई 2012 से नवंबर 2020 के दौरान पीडी को हामीदारी कमीशन के रूप में की गई थी, जबकि दिसंबर 2020 से पीडी को अदा किए गए सभी हामीदारी कमीशन में जीएसटी भी शामिल थी (दिसंबर 2020-मार्च 2021 के लिए जीएसटी राशि ₹56.72 करोड़ थी)।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत / बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2019-20 के ₹6.26 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹6.30 करोड़ हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

अभिरक्षा एवं दलाली सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2019-20 के ₹21.37 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹19.76 करोड़ हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2020-21 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,23,301 लाख थी जो कि वर्ष 2019-20 (2,23,875 लाख) की तुलना में 0.26 प्रतिशत कम है। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2019-20 के ₹4,377.84 करोड़ से 8.35 प्रतिशत घटकर वर्ष 2020-21 में ₹4,012.09 करोड़ रह गया।

v) प्रावधान

वर्ष 2020-21 में, सीएफ़ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान किया गया।

vi) अन्य

अन्य व्यय 2019-20 के ₹1,742.61 करोड़ से 22.22 प्रतिशत घटकर 2020-21 में ₹1,355.35 करोड़ रह गया, जिसमें करेन्सी का विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय आदि शामिल हैं।

XII.11 आकस्मिक देयताएं

XII.11.1 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹953.63 करोड़ हो गईं। इसके प्रमुख घटक बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटिलमेंट (बीआईएस) के एसडीआर में मूल्यवर्गित वे अंशतः चुकता शेयर हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक धारित करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2021 को ₹924.43 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की पूर्व सूचना देकर माँगी जा सकती हैं।

XII.12 पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.12.1 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹145.98 करोड़ और ₹0.31 करोड़ थे।

XII.13 पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.13.1 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है और रुपये करोड़ (रुपये बिलियन से) में बदला गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

XII.14 लेखापरीक्षक

XII.14.1 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। रिज़र्व बैंक की वर्ष 2020-21 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी, मुंबई एवं मेसर्स जी.एम.कपाड़िया एंड कंपनी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स रे एंड रे, कोलकाता, मेसर्स सुब्रमण्यन एंड कंपनी, एलएलपी, चेन्नै तथा मेसर्स एस.के.मित्तल एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम मार्च 2020 से मार्च 2021¹

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> नीतिगत रिपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.4 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रिपो दर में 90 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जो असमान कॉरिडोर² को दर्शाता है। सीआरआर में एक वर्ष की अवधि के लिए, जो 26 मार्च 2021 को समाप्त होगी, 100 आधार अंकों की कटौती³ कर इसे 28 मार्च 2020 से एनडीटीएल का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। 28 मार्च 2020 से, न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष बनाए रखने संबंधी अपेक्षा को 90 प्रतिशत से घटाकर निर्धारित सीआरआर के 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 25 सितंबर 2020⁴ तक दिया गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को 28 मार्च 2020 से सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> रिवर्स रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को उनकी क्षेत्रवार ऋण जरूरतों⁵ की आपूर्ति के लिए कुल ₹50,000 करोड़ की राशि की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं।
22 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> नीतिगत रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। एक्जिम बैंक को ₹15,000 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गयी थी जो जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए है जिसे अधिकतम एक साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि वे अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सकें।
06 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> नीतिगत रिपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, मौद्रिक नीति समिति ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
28 सितंबर 2020	<p>27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात् संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, को 26 जून 2020 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, साथ ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम करने के लिए, 28 सितंबर 2020 को इस छूट को आगे छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।</p>

¹ सूची सांकेतिक स्वरूप की है और ब्योरे आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

² रिवर्स रिपो के संबंध में इस उपाय का उद्देश्य है कि इसे बैंकों के लिए रिजर्व बैंक के पास धन जमा करने को लेकर अपेक्षाकृत रूप से अनाकर्षक बनाया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्था के उपयोगी क्षेत्रों को उधार देने के लिए इस धन का इस्तेमाल कर सकें।

³ सीआरआर में इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1,37,000 करोड़ अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं के बजाय उनके घटकों की देयताओं के अनुपात में समान रूप से उपलब्ध कराई गयी।

⁴ स्टाफ को लेकर सामाजिक दूरी बरतने एवं तत्पश्चात रिपोर्टिंग अपेक्षाओं संबंधी दिक्कतों के संदर्भ में बैंकों को हुई कठिनाइयों को संज्ञान में लेकर इस उपाय का ऐलान किया गया।

⁵ इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को प्रदत्त ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को प्रदत्त ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सहारा देने के लिए एनएचबी को प्रदत्त ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 अक्टूबर 2020	यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
5 फरवरी 2021	28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थी। 5 फरवरी को सीआरआर को निर्बाध रूप में दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को अपने एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता थी। बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, एमएसएफ के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देकर एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक निधि का लाभ उठाने की अवधि को 6 महीने अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
31 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी अल्पकालिक फसल ऋणों को केसीसी ऋणों में परिवर्तित करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) एवं त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पकालिक फसल ऋण की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाने पर परिपत्र जारी किया गया।
04 जून 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2018-19 और 2019-20 वर्षों के दौरान अल्पकालिक फसल ऋणों के मामले में आईएसएस और पीआरआई की अधिस्थगन अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने संबंधी परिपत्र जारी किया गया।
2 जुलाई 2020	उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नए मानदंड को अधिसूचित किया गया ताकि ऐसे उद्यमों में क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाया जा सके।
21 अगस्त 2020	एमएसएमई की परिभाषा से संबन्धित स्पष्टीकरण जारी किया गया।
4 सितंबर 2020	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के लक्ष्य और उनके वर्गीकरण से संबंधित मास्टर निदेश जारी किए गए।
18 सितंबर 2020	डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के संबंध में घोषित दिशा-निर्देशों में संशोधन की घोषणा की गयी।
5 नवंबर 2020	बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार देने पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
4 दिसंबर 2020	वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना जो अभी 100 ब्लॉक में है उसे मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के हर ब्लॉक तक विस्तार करने के उपायों की घोषणा की गयी।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> भारत में एडी श्रेणी-1 बैंक जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (बीयू) का संचालन करते हैं को, 1 जून 2020 से अनिवासी भारतीय व्यक्तियों को रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करने की अनुमति दी गयी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप की चुनौतियों के कारण गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय-सीमा 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ायी गयी।
30 मार्च 2020	भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु एक अलग मार्ग यथा, पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) शुरू किया गया।
3 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के चलते रिजर्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबार समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 अप्रैल 2020	अनिवासियों और निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की गयी है ताकि घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच आसान हो, खुदरा ग्राहक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो और सुविज्ञ ग्राहकों के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
15 अप्रैल 2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के अंतर्गत डेट प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा की घोषणा की गयी।
18 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित किया जाना अनिवार्य था। सभी आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों को 1 जून, 2020 से सभी विदेशी मुद्रा ओटीसी, ब्याज दर और क्रेडिट डेरिवेटिव लेनदेन (दोनों अंतर-बैंक और ग्राहक लेनदेन) ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया। कोविड-19 के प्रकोप के कारण आई कठिनाइयों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा जोखिम (दिनांक 7 अप्रैल 2020) हेजिंग के निदेशों के कार्यान्वयन की तारीख स्थगित कर 1 जून 2020 से 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के चलते स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत 24 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच जिन एफपीआई को निवेश की उच्चतम सीमा दी गयी थी, प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) के 75 प्रतिशत निवेश के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
4 दिसंबर 2020	मुद्रा बाजार में सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गयी।
15 फरवरी 2021	[विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव/व्युत्पन्न संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमन, 2020] के विनियमों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए जिससे भारत के निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर के किसी व्यक्ति के बीच अनुमत (ओटीसी) डेरिवेटिव संविदाओं के करारों हेतु मार्जिन के विनिमय की अनुमति प्रदान की।
26 फरवरी 2021	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को और बढ़ावा देने की दृष्टि से, यह अधिसूचित किया गया कि परिपक्वता पर मूलधन की चुकौती अथवा परिशोधित बॉन्ड के मामले में मूलधन की किस्त की चुकौती में आंशिक अथवा पूर्णतया चूक किए गये एनसीडी/बॉन्डों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेशों को उक्त अपेक्षाओं मध्यम अवधि के फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत अल्पकालिक निवेश सीमा और निवेशक सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अपेक्षा से भी छूट दी गयी।
31 मार्च 2021	2020-21 के लिए मध्यम-अवधि के फ्रेमवर्क के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई के लिए निवेश सीमा को अधिसूचित किया गया। साथ ही, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में एफपीआई के लिए निवेश सीमा जो 2020-21 के लिए लागू थी उसे 2021-22 के लिए अगली नोटिस तक बरकरार रखा जाएगा।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
12 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6-महीने के अमेरिकी डॉलर बिक्री/ खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की। इस तरह की पहली नीलामी 16 मार्च 2020 ⁶ को की गयी।
27 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर से लिंकड फ्लोटिंग दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की। योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहली टीएलटीआरओ नीलामी 27 मार्च 2020 को की गयी।

⁶ कोविड-19 संक्रमण के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम पर बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे इसलिए यह घोषणा की गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
30 मार्च 2020	कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रिपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार करने का निर्णय लिया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
17 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने की घोषणा की। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किया गया निवेश, एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैंकों द्वारा सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि म्यूचुअल फंड के चलनिधि जरूरतों के लिए वे रिज़र्व बैंक से निधि प्राप्त करते हैं या अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करते हैं।
1 जुलाई 2020	<ul style="list-style-type: none"> एनबीएफसी (सूक्ष्म-वित्त संस्थानों- एमएफआई सहित)/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की चलनिधि की स्थिति में सुधार करने के लिए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ₹30,000 करोड़ की योजना को अधिसूचित किया गया। एसबीआईकेप द्वारा स्थापित ट्रस्ट एसपीवी (विशेष प्रयोजन माध्यम), के द्वारा जारी किए गए सरकारी गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों का समर्थन लेकर लगातार निधीकरण के माध्यम से विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस) के तहत आरबीआई ने चलनिधि इंजेक्ट की। कुछ वित्तीय मानकों को पूरा करने वाली एनबीएफसी (एमएफआई सहित/एचएफसी) को वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचाने के लिए चलनिधि तक पहुँच प्रदान की गयी थी।
6 अगस्त 2020	कोविड-19 के व्यवधानों के कारण मानव संसाधन का नियोजन करने और पात्र एलएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर आरक्षित नकदी निधिअनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया।
31 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) योजना के तहत प्राप्त धनराशि को परिपक्वता से पहले चुकाने का विकल्प दिया गया था। इसके बाद, बैंकों ने कुल ₹1,25,117 करोड़ एलटीआरओ निधियों में से ₹1,23,572 करोड़ वापस कर दिया। अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण चलनिधि दबाव को कम करने के लिए 11 सितंबर और 14 सितंबर, 2020 को कुल ₹1,00,000 करोड़ राशि के लिए अस्थिर दरों (रिपो दरों) पर दो 56-दिवसीय सावधि रिपो नीलामियों का आयोजन करने की घोषणा की गयी।
9 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों के ध्यान केंद्रण को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने ऑन टैप लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा की। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि अस्थिर दर (रिपो दर) पर अंतिम उपयोग निर्देश के साथ कुल ₹1,00,000 करोड़ राशि के लिए तीन साल की अवधि तक ऑन टैप लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन को संचालित किया जाएगा। ऑन टैप टीएलटीआरओ के अंतर्गत निवेश परिपक्वता-तक-धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो के लिए पात्र हैं और उन्हें बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क से छूट दी गयी। योजना को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> जैसा कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, बैंकों को परिपक्वता से पहले टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन को चुकाने का एक विकल्प दिया गया था। इस योजना को 21 अक्टूबर 2020 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद, बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 की ₹37,348 करोड़ राशि का भुगतान कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप बाजार को आरामदायक चलनिधि स्थिति में बनाए रखने का आश्वासन देने के लिए खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) की राशि बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ करने का निर्णय लिया। राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में चलनिधि प्रदान करने तथा किफायती कीमतें निर्धारण की सुविधा के लिए 2020-21 के दौरान एसडीएल में एक विशेष मामले के रूप में ओएमओ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अक्टूबर 2020 से एसडीएल में ₹30,000 करोड़ की राशि के तीन ओएमओ आयोजित किए गए।
4 दिसंबर 2020	9 अक्टूबर, 2020 को घोषित ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना का विस्तार 21 अक्टूबर 2020 को पहचाने गए पाँच क्षेत्रों के अलावा 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों (कामथ समिति द्वारा चयनित और सरकार कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के अनुरूप) को समाहित करने के लिए किया गया था।
8 जनवरी 2021	सामान्य चलनिधि प्रबंधन कार्यों को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी 2021 से 14 दिन परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामी का आयोजन शुरू किया।
5 फरवरी 2021	जैसा कि 5 फरवरी 2021 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, बैंकों को ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना के तहत एनबीएफसी को निधियां प्रदान करने की छूट दी गयी।
25 मार्च 2021	<ul style="list-style-type: none"> रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 को ₹25,000 करोड़ की दो फ़ाइन ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रिपो नीलामियों की घोषणा की ताकि चलनिधि की किसी भी अतिरिक्त/अप्रत्याशित मांग को पूरा किया जा सके और वर्ष के अंत में चलनिधि प्रबंधन में बैंकिंग प्रणाली को लचीलापन प्रदान किया जा सके। एक विशेष मामले के रूप में, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों को अन्य पात्र सहभागियों के साथ इन नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा, वर्ष के अंत की आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बारगी उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 26 मार्च 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए किसी भी परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामी का संचालन नहीं किया जाएगा।
विदेशी मुद्रा विभाग	
17 मार्च 2020	एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत जापानी येन को निपटान करेंसी के रूप में अनुमति दी गयी। विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 में तदनुसार संशोधन किए गए।
1 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया जाए।
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में विदेशी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि एडी श्रेणी-1 बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम-केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में, सामान्य आयातों अर्थात् स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
11 अगस्त 2020	विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 में संशोधन किया गया और परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया।
9 अक्टूबर 2020	प्रणाली को अधिक निर्यातक अनुकूल और निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से, निर्यातकों का सतर्कता सूची में स्वचालित रूप से शामिल किया जाना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक की मामला-विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सतर्कता सूची में शामिल किया जाना जारी रहेगा।
13 नवंबर 2020	कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अनुपालन की लागत को कम करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 में निर्धारित किए गए मौजूदा फार्मों एवं रिपोर्टों की समीक्षा की गई। तदनुसार, कुल 17 रिपोर्टों को समाप्त कर दिया गया।
17 नवंबर 2020	फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी और उन्हें संशोधित किया गया।
23 नवंबर 2020	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत में विधि संबंधी व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में किसी भी शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय, संपर्क कार्यालय या व्यापार के अन्य स्थान को कोई अनुमोदन नहीं प्रदान करेंगे।
4 दिसंबर 2020	कारोबारी सुगमता को और बढ़ाने और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से, माल और सेवाओं के निर्यात के संबंध में एडी श्रेणी -I बैंकों (एडी बैंक) को और अधिक अधिकार सौंपे गए।
16 फरवरी 2021	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) में वित्तीय बाजारों की गहरी पैठ बनाने तथा निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के अवसर प्रदान करने के लिए, समीक्षा पर, निवासी व्यक्तियों को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में स्थापित आईएफएससी में विप्रेषण करने की अनुमति दी गयी।
विनियमन विभाग: वाणिज्यिक बैंक	
17 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों के लिए युक्तिसंगत मास्टर सूची (एचएमएल) के अंतर्गत किफायती आवास को शामिल करने के फलस्वरूप, किफायती आवास को ऋण देने की परिभाषा एचएमएल में दी गयी परिभाषा के साथ फिर से मिलायी गयी थी। तदनुसार, दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने के उद्देश्य से और एचएमएल की किफायती आवास परिभाषा के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर व्यक्तियों को आवास इकाइयों को प्राप्त करने के लिए संशोधित परिभाषा में आवास ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए पात्र है (समय-समय पर अद्यतन)। बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) को, जो ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए कम से 2 प्रतिशत लाभ से सृजित हुआ हो, को निरंतर आधार पर कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा के बिना टिअर II पूंजी के रूप में गिना जाए।
23 मार्च 2020	बैंकों को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि जोखिम को क्रेडिट जोखिम शमन (सीआरएम) प्रदाता से मूल प्रतिपक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, भले ही प्रतिपक्ष भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, यदि उस बैंक द्वारा एक्सपोजर/जोखिम भार के स्थानांतरण जैसे सीआरएम लाभ प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार एक्सपोजर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति में स्थानांतरित होने पर, 150 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम भार होगा। गैर-केंद्रीय रूप से मंजूरी दिए गए डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए एलईएफ दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की तारीख भी एक वर्ष के लिए 01 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी गयी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> • पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत, बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत रूपांतरण/ राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। • नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को छह महीने के लिए स्थगित कर 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। • कोविड-19 महामारी से निर्मित व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त राहतों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण से छूट शामिल है। • तत्काल प्रभाव से बैंक दर को 75 आधार अंक घटाकर 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत संशोधित किया गया। रिजर्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें भी जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 8.40 प्रतिशत से 7.65 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 10.40 प्रतिशत से 9.65 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
28 मार्च 2020	<p>निजी क्षेत्र के एसएफबी के लिए मांग पर लाइसेंस पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया ताकि मौजूदा सभी एसएफबी को बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के लिए मानदंडों के अनुपालन किए जाने के अधीन बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करना तथा जोखिम साझा न करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों को शुरू करने, जिसके लिए अपनी निधि प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है, के लिए लघु वित्त बैंक के कारोबार शुरू होने के तीन साल बाद से रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने से छूट दी गयी। प्रवर्तक और चुकता इक्विटी पूंजी पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है।</p>
30 मार्च 2020	<p>भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2020 को घोषित कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन की योजना के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/ आंध्र बैंक/ कॉर्पोरेशन बैंक/ सिंडिकेट बैंक/ इलाहाबाद बैंक (अंतरक बैंक) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाया जाएगा क्योंकि उनका 1 अप्रैल 2020 से बैंकिंग कारोबार करना समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप, उनकी सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से अपने-अपने अंतरिती बैंक (पंजाब नेशनल बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ केनरा बैंक/ इंडियन बैंक) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी और जमाकर्ताओं सहित उनके ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से संबंधित हस्तांतरित बैंकों के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।</p>
31 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> • निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ)/सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति के संबंध में कुछ अनुदेशों की समीक्षा के आधार पर उम्मीदवार से प्राप्त की जाने वाली घोषणा और वचन पत्र तथा 'फॉर्म ए' (अपनी नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए बैंक द्वारा आवेदन) के साथ-साथ 'फॉर्म बी' (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन) के नमूने को संशोधित किया गया था। दो अन्य बदलाव भी शुरू किए गए थे, जैसे पद की अवधि समाप्त होने से पहले एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति के लिए बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को कम से कम छह महीने (चार महीने की तुलना में) पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता के क्रम में कम से कम दो नामों (वर्तमान में तीन की तुलना में) पैनल वाले प्रस्ताव को वर्तमान पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कम से कम चार महीने पहले प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे शाखाओं के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क विकसित करके अखिल भारतीय आधार पर इन सेवाओं को शुरू करें जहां ये सेवाएं अनिवार्य रूप से दी जाएंगी और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर दी जाएंगी। यह सेवाएं देनेवाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर नियमित रूप से दर्शाई/ अद्यतन की जानी चाहिए, इस संबंध में प्रभारों की सूचना भी सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा बैंकों को अपने जन जागरूकता अभियानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समुचित प्रचार करना चाहिए। इस संबंध में हुई प्रगति से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रत्येक तिमाही में अवगत कराएंगे और बैंकों को सूचित किया गया है कि 30 अप्रैल 2020 तक उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
1 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिचक्रिय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ शुरू किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष या उससे पहले सक्रिय नहीं किया जाएगा, जैसा कि आवश्यक हो। केवाईसी पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में संशोधन किया गया तथा इसे 31 मार्च 2020 की गजट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) में संशोधन के अनुरूप किया गया। संशोधन, ग्राहक के लिए खोले गए छोटे खातों से संबंधित है, जो बैंकों को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, जिसके लिए पीएमएल नियमों में सीमा और शर्तें दी गयी हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है कि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) राशियों को अंतरित करने और केवाईसी अपेक्षाओं के कारण लाभार्थियों को उनकी जरूरतों के लिए राशि आहरित करने में कोई भी कठिनाई न हो।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन का एनपीए मानदंड मानक अधिस्थगन अवधि में शामिल नहीं है, अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण नहीं होगा। इसी के साथ बैंकों को पर्याप्त बफर बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखने के उद्देश्य से दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 तक उन्हें दो तिमाहियों में स्टैंडस्टिल स्प्रेड के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा। इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज की प्रावधान अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है। 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में एससीबी को चूक उधारकर्ता के बड़े खातों के मामले में यदि समाधान योजना 210 दिनों के भीतर लागू नहीं की गयी है तो ऐसे चूक की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों का निर्धारण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संकल्प योजना की अवधि 90 दिनों तक बढ़ायी जाए। अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि अगले अनुदेश तक एससीबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुनः स्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
20 अप्रैल 2020	वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सिफारिशों के प्रावधानों को रिजर्व बैंक के अनुदेशों को अनुरूप करने के लिए धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा आंतरिक जोखिम आकलन के संबंध में केवाईसी पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया। आरई द्वारा किया गया आंतरिक जोखिम आकलन उनके आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुरूप होना चाहिए। आरई को पहचाने गए जोखिम शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करना होगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और पद्धति होनी चाहिए। मूल्यांकन का समुचित दस्तावेजीकरण करना चाहिए और परिणाम की सूचना बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को देनी चाहिए।
23 अप्रैल 2020	बैंकों को, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ओवरड्राफ्ट खाते, जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण स्वरूप के हैं, रखने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों केवल घरेलू ऑनलाइन/गैर-नकद लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी। नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गयी ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और डेबिट कार्ड पर लागू सभी निबंधन और शर्तों तथा सुरक्षा पहलू आदि इन कार्डों पर लागू होंगे।
29 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात् बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर/एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।
13 मई 2020	भारत सरकार ने पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को और एक वर्ष के लिए अर्थात् 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विस्तार हेतु अपना अनुमोदन दिया है और इस योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालन अनुदेश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
22 मई 2020	22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
23 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकीय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में झेली जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।
21 जून 2020	<p>जैसा कि एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत हैं तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं, उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आबंटित करने की अनुमति दी गयी।</p>
1 जुलाई 2020	<p>बैंकों को दबावग्रस्त एमएसएमई योजना के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत प्राप्त ऋणों के माध्यम से अपनी एमएसएमई इकाइयों में प्रमोटरों द्वारा डाली गई निधि की ऋण-इक्विटी गणना के लिए प्रमोटरों से इक्विटी/ क्वासी इक्विटी के रूप में गणना करने की अनुमति दी गयी थी (जहां ऋण सुविधाएं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से गारंटी द्वारा समर्थित हैं)</p>
6 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> सभी वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों/ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) और सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक अवसर प्रदान किया गया ताकि कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट के कारण वित्तीय तनाव ग्रस्त वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों का पुनःप्रवर्तन किया जा सके। समाधान फ्रेमवर्क को 31 दिसंबर 2020 तक लागू किया जाना था और लागू किए जाने पर व्यक्तिगत ऋण के संबंध में 90 दिन और अन्य पात्र ऋण एक्सपोजर के संबंध में 180 दिन के भीतर कार्यान्वित किया जाना था। इसके अलावा, एमएसएमई को आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना ऋणों के एक बारगी पुनर्गठन की सुविधा उन व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं तक विस्तारित की जाएगी जहां उधारकर्ता का खाता 1 मार्च 2020 तक 'मानक संपत्ति' के रूप में था और बैंकों और एनबीएफसी का कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से अधिक नहीं था। कुछ शर्तों के अधीन, पुनर्गठन को 31 मार्च 2020 तक लागू किया जाना था। बासेल III पूंजी विनियमों के तहत ऋण म्यूचुअल फंड /एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड में निवेश, जिससे की बैंकों की पर्याप्त पूंजी बचत होती है, के बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंकों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए। गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सोने के गहनों और आभूषणों की जमानत पर ऋण के लिए स्वीकार्य मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) को 75 प्रतिशत से अस्थायी रूप से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ाया गया एलटीवी अनुपात 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत नए स्वर्ण ऋणों पर पहले की भांति 75 प्रतिशत का एलटीवी अनुपात लागू होगा। क्रेडिट अनुशासन में सुधार के उद्देश्य से बैंकों द्वारा चालू खाते, नकद ऋण (सीसी) खाते और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोलने और संचालन से संबन्धित शर्तों को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश जारी किए गए। मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, बैंकों को 5 नवंबर 2020 तक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। इस अनुपालन को सुनिश्चित करने की सीमा को 2 नवंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से 15 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। समीक्षा करने पर, बैंकों को 14 दिसंबर 2020 के परिपत्र के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के विभिन्न विधियों और अन्य नियामकों/ विनियामक विभागों के अनुदेशों के तहत निर्धारित किए गए विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति दी गयी थी। परिपत्र में इन दिशानिर्देशों के सुचारु और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार से अनुमत खातों की निदर्शी सूची तथा कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने वाले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का एक सेट भी दिया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 सितंबर 2020	यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को उनके द्वारा 1 सितंबर 2020 को या उसके बाद हासिल की गयी एसएलआर प्रतिभूतियों को 31 मार्च 2021 तक, एनडीटीएल की 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक एचटीएम श्रेणी के तहत रखने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी उसके बाद समीक्षा की जाएगी।
3 सितंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> “वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन” को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए के उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग निगम” की समाप्ति। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए की उप-धारा (2) के तहत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड” की समाप्ति।
7 सितंबर 2020	रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री के. वी. कामथ) द्वारा अनुशंसित पाँच प्रमुख अनुपात/ मापदंडों को ऋणदाता संस्थानों द्वारा कोविड-19 संबन्धित तनाव के तहत पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, और 26 क्षेत्रों के लिए संबन्धित सीमा अधिसूचित की गयी थी। अन्य क्षेत्रों के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन, अपना आंतरिक मूल्यांकन करने की अनुमति दी गयी थी।
29 सितंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 के कारण संभावित तनाव को देखते हुए, बैंकों को कुछ विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की सलाह दी गयी थी। पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जिसे उसके बाद फिर से (5 फरवरी 2021 को) छह महीनों के लिए 1 अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया। चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क के तहत निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया जो, आगे और छह महीने 1 अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया।
30 सितंबर 2020	1 अप्रैल 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” “आंध्र बैंक” “कार्पोरेशन बैंक” “ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” “यूनियन बैंक ऑफ इंडिया” और “सिडिकेब बैंक” को बाहर कर दिया गया तथा बैंकिंग कंपनी के रूप में इनकी समाप्ति हो गयी।
12 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए एचटीएम में एसएलआर धारिता की 22 प्रतिशत (पिछली 19.5 प्रतिशत के बदले) की समग्र सीमा की छूट को 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक विस्तार दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरु होगा। रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों के विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो में शामिल एक्सपोजर को 75 प्रतिशत का जोखिम भार सौंपा गया है, जिसमें एक प्रतिपक्ष के प्रति अधिकतम ₹5 करोड़ का कुल खुदरा एक्सपोजर निर्धारित है। सभी नए साथ ही मौजूदा एक्सपोजर के संबंध में ₹5 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया जहां बैंकों द्वारा ₹7.5 करोड़ की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील एक्सपोजर लिया जा सकता है। यह निर्देश स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और आरआरबी को छोड़कर सभी एससीबी, जिसमें छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) भी शामिल हैं पर लागू है।
16 अक्टूबर 2020	एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि 16 अक्टूबर 2020 या उसके बाद 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए गए सभी नए व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना, जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाया जाए। 80 प्रतिशत या उससे कम एलटीवी अनुपात के लिए जोखिम भार 35 प्रतिशत होगा तथा 80 प्रतिशत से अधिक और 90 प्रतिशत या उससे कम एलटीवी अनुपात के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा।
20 अक्टूबर 2020	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में दस समामेलित आरआरबी को शामिल किया गया, और पुराने 21 आरआरबी को हटा दिया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 अक्टूबर 2020	सभी ऋणदाता संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे भारत सरकार द्वारा घोषित विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) के प्रावधानों से निर्देशित हों।
4 दिसंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कुछ मानदंडों को पूरा करने के अधीन चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) प्रदान की गई। • यह निर्णय लिया गया है कि बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित मुनाफे से इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।
18 दिसंबर 2020	विनियमित संस्थाएं (आरई), धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड कर रही हैं। चूंकि सीकेवाईसीआर अब व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए पूरी तरह से परिचालित है, अब सीकेवाईसीआर को विधिक संस्थाओं (एलई) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, आरई अप्रैल 1, 2021 को या उसके बाद खोले गए एलई के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे।
19 जनवरी 2021	घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की गयी। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान 2018 के डी-एसआईबी की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गयी।
27 जनवरी 2021	क्रिसिल लिमिटेड का रेटिंग कारोबार अब क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को अंतरित हो जाने के परिणामस्वरूप बैंक को सूचित किया गया कि वह पूंजी पर्याप्तता के लिए अपने दावों का जोखिम भार निर्धारित करने के प्रयोजन से क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग के लिए रेटिंग-रिस्क वेट मैपिंग वैसा ही होगा, जैसा कि क्रिसिल लिमिटेड के मामले में था और क्रिसिल लिमिटेड द्वारा पहले दिए जा रहे रेटिंग प्रतीकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
5 फरवरी 2021	<ul style="list-style-type: none"> • सीआरआर को निर्बाध रूप में दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को अपने एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता बताई गयी। • सीमांत स्थायी सुविधा पर छूट जो शुरू में 30 जून, 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में इसे 31 मार्च, 2021 तक चरणों में विस्तारित किया गया था। अब इसकी अवधि को पुनः छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया। यह सुविधा बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं में राहत देगी और साथ ही उन्हें अपनी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। इस सुविधा ने बैंकों को एमएसएफ के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् संव्ययी रूप से एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक की छूट देकर निधि का लाभ उठाने की अनुमति भी देती है। • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारकर्ताओं को 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है। यह छूट प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख तक और 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक संवितरित ऋण के लिए उपलब्ध होगी और ऋण के आरंभ की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए या ऋण की समयावधि, जो भी पहले हो, तक होगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि एनडीटीएल की 22 प्रतिशत की बढ़ाई गई एचटीएम सीमा संबंधी छूट को, 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच ली गई एसएलआर योग्य प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए, 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरू होगा। पहले, रिजर्व बैंक ने एचटीएम श्रेणी के तहत सीमा को 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के बीच ली जाने वाली एसएलआर योग्य प्रतिभूतियों के एनडीटीएल के 22 प्रतिशत तक कर दिया था। यह सीमा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध थी।
17 फरवरी 2021	उन उधारकर्ताओं के कर एवं मूल्यहास पूर्व अर्जन पर यूएफसीई के संभावित प्रभाव को देखते हुए उन उधारकर्ताओं के लिए जिनके अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हैं, बैंकों को अतिरिक्त प्रावधान तथा अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता जताई गयी। दिशानिर्देशों में अधिदेशित किया गया कि बैंकों द्वारा संस्थाओं से तिमाही आधार पर स्वयं-प्रमाणन के आधार पर यूएफसीई पर सूचना प्राप्त की जाए तथा अधिमानतः इसे संबंधित संस्था द्वारा आंतरिक रूप से लेखा-परीक्षित किया जाए। लेखा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ऐसी सूचनाओं के प्रकटन पर रोक के कारण सूचीबद्ध संस्थाओं के मामलों में, बैंकों को अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में ठीक पूर्ववर्ती तिमाही की स्थिति का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी।
23 फरवरी 2021	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड" को शामिल किया गया।
24 फरवरी 2021	वृहत् एक्सपोजर ढांचा (एलईएफ) पर 3 जून, 2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रति एक्सपोजरों को एलईएफ सीमाओं से छूट है। विदेशी सरकारों/केंद्रीय बैंकों के प्रति एक्सपोजर हर समय बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत की एकल प्रतिपक्ष सीमा के अधीन थे। समीक्षा करने पर, इसे बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए जो कि सभी सरकारी एक्सपोजर को एलईएफ से छूट की अनुमति देता है, यह निर्णय लिया गया कि विदेशी सरकार या उनके केन्द्रीय बैंकों के उन एक्सपोजर को एलईएफ की प्रयोज्यता से छूट दी जाए जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के अधीन हैं (विदेशी सरकारी/केन्द्रीय बैंक जिसकी रेटिंग एए- या उच्चतर है) और, उस सरकार की घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गित हो तथा उसी मुद्रा संसाधनों से पूरे किए गए हों।
12 मार्च 2021	कोविड-19 के कारण पुनर्संरचना पर क्रेडिट जानकारी प्राप्त करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत करने हेतु डेटा फॉरमेट में कुछ बदलाव किए गए। यह 6 अगस्त 2020 के रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसने उधारदाताओं को कोविड-19 महामारी के कारण दबावग्रस्त योग्य उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत एक अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही ऋणदाता संस्थानों द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में सीआईसी को क्रेडिट रिपोर्टिंग करने का भी प्रावधान दिया ताकि खाते की 'पुनर्संरचित' स्थिति को भी दर्शाया जा सके।
23 मार्च 2021	23 मार्च, 2020 के एलईएफ से संबंधित जारी निर्देशों की समीक्षा पर, यह निर्णय लिया है कि गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्सपोजर को 30 सितंबर 2021 तक एक्सपोजर सीमा से बाहर रखा जाएगा।
30 मार्च 2021	अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 की धारा 4 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक ने (ए) "डेरिवेटिव"; एवं (बी) "रेपो" और "रिवर्स रेपो" लेनदेनों को अर्हित वित्तीय संविदा के रूप में अधिसूचित किया। तदनुसार, बासल III पूंजी विनियमावली, बासल III चलनिधि मानकों संबंधी ढांचा - एनएसएफआर- अंतिम दिशानिर्देश, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन (आईआरएसीपी) करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड और पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) के परिपत्रों में निहित चुनिंदा अनुदेशों को सुधारा/ संशोधित किया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
विनियमन विभाग: सहकारी बैंक	
13 मार्च 2020	एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण एक्सपोजर और बड़े एक्सपोजर की सीमाएं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन पर शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए।
20 अप्रैल 2020	सर्व समावेशी निर्देश के अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के अंतर बैंक एक्सपोजर के लिए प्रावधान पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 अप्रैल 2020	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान पर दिशानिर्देश।
8 जून 2020	रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों तथा नाबार्ड द्वारा लगायी गयी अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, को पूरा करने के अधीन, पंजाब सरकार को राज्य के डीसीसीबी का पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विलय के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया।
12 अगस्त 2020	आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की क्षमता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ाने हेतु, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को उनके आस्तियों के आकार के आधार पर, सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए 30 जून या 30 सितंबर 2021 जैसे भी हो प्रभावी करने का निर्णय लिया गया।
26 अगस्त 2020	कोविड-19 महामारी के चलते बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के साथ पठित धारा 56 के तहत रिटर्न जमा करने में यूसीबी के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रिटर्न जमा करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ाकर अर्थात् 30 सितंबर 2020 कर दिया गया।
7 अक्टूबर 2020	3 मार्च, 2020 से प्रभावी एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना (2018) में सभी सहकारी बैंकों को भी पात्र ऋणदाता संस्थानों के रूप में शामिल कर लिया गया।
13 अक्टूबर 2020	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 के साथ पठित धारा 56 के तहत सहकारी बैंकों के लिए रिटर्न जमा करने की तारीख को और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया।
5 फरवरी 2021	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों या उन फर्मों / कंपनियों / प्रतिष्ठानों जिनमें उनके निदेशक या निदेशक के रिश्तेदार रुचि रखते हैं को, कोई भी ऋण व अग्रिम अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने के लिए सूचित किया गया। स्टाफ निदेशकों को ऋण; वेतनभोगी यूसीबी के बोर्ड पर मौजूद निदेशकों को सदस्यों के लिए यथा लागू सामान्य ऋण; यूसीबी के प्रबंध निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सामान्य कर्मचारी-संबंधी ऋण; सरकारी प्रतिभूतियों, सावधि जमाओं और जीवन बीमा पॉलिसियों, जो उनके नाम पर हैं, के बदले निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को ऋण, को ऋण और अग्रिम में शामिल नहीं किया जाएगा। संशोधित निर्देशों में महत्वपूर्ण शब्दों जैसे 'अग्रिम', 'रुचि रखा हुआ', 'पर्याप्त रुचि', 'नियंत्रण', और 'प्रमुख शेयरधारक', को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
23 मार्च 2021	रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) द्वारा संशोधित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और धारा 44ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूसीबी के स्वैच्छिक सम्मेलन पर मास्टर निदेश जारी किया।
विनियमन विभाग: एनबीएफसी	
13 मार्च 2020	इंड एसएस लागू करने वाली एनबीएफसी और एआरसी के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण विषयों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
17 अप्रैल 2020	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को यथारूप से एनबीएफसी पर भी लागू किया गया।
19 मई 2020	केवाईसी पर मास्टर निदेश 2016 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर लागू किए गए।
17 जून 2020	एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियमों की समीक्षा करने वाला एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 जून 2020	सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) को सूचित किया गया है कि, अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वयं या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देते समय अनिवार्य रूप से उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए।
1 जुलाई 2020	एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना से संबंधित निर्देश जारी किए गए।
6 जुलाई 2020	यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक एनबीएफसी इस संबंध में संबन्धित तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर अथवा सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित तिथि के भीतर अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देगा।
10 जुलाई 2020	वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
16 जुलाई 2020	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए (एआरसी) उचित व्यवहार संहिता जारी की गयी जिसने एआरसी के लिए सिद्धांतों का एक सेट प्रदान किया ताकि उन्हें हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय उचित प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
24 जुलाई 2020	यह निर्णय लिया गया है कि हेजिंग के लिए सम्पन्न व्युत्पन्नी लेन-देन जो कि भारतीय लेखा मानकों को अपनाने वाली सभी एनबीएफसी/एआरसी के द्वारा अप्राप्त लाभ/हानि का प्रतितुलन समरूप अंतर्निहित हेजिंग लिखत पर पूंजी की मान्यता प्राप्त अप्राप्त हानि/लाभ (लाभ या हानि के माध्यम से अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से) के बदले में की जा सकती है। यदि अन्य वित्तीय लिखतों पर अप्राप्त लाभ/हानि के साथ इस तरह के प्रतितुलन और निवलीकरण के पश्चात, भी निवल अप्राप्त लाभ शेष है, तो इसे विनियामकीय पूंजी से बाहर रखा जाए।
13 अगस्त 2020	समूह में एक से अधिक लीवरेज तथा जटिलता को कम करने, जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने, कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं और प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
22 अक्टूबर 2020	आवास वित्त कंपनियों के लिए परिवर्तन के साथ विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया जिसमें 'मूल कारोबार' और 'आवास वित्त' की परिभाषा दी; निवल स्वाधिकृत निधि ₹20 करोड़ तक बढ़ा दिया गया; एचएफसी के स्थावर संपदा व्यवसाय से जुड़ी समूह कंपनियों के एक्सपोजर के लिए प्रतिबंध निर्धारित किए गए; चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और एलसीआर, प्रतिभूतीकरण, आउटसोर्सिंग, स्वर्ण और शेयर के बदले ऋण, मोचनरोध शुल्क, इत्यादि जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं उन्हें एचएफसी पर लागू कर दिया गया है।
12 फरवरी 2021	यह निर्णय लिया गया था कि मौजूदा एनबीएफसी में निवेशक अपने निवेश को स्रोत या मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार के वर्गीकरण से पहले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के गैर-अनुपालक के रूप में रखते हैं, वह निवेश जारी रख सकते हैं या मौजूदा नियमों के अनुसार अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं ताकि भारत में व्यापार की निरंतरता को मदद मिले, गैर-अनुपालन एफएटीएफ क्षेत्राधिकार से या उसके माध्यम से नए निवेशकों को, चाहे मौजूदा एनबीएफसी में या पंजीकरण प्रमाणत्र (सीओआर) के लिए मांग करने वाली कंपनियों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश प्राप्तकर्ता का 'महत्वपूर्ण प्रभाव' प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि लागू लेखा मानकों में परिभाषित किया गया है। ऐसे क्षेत्राधिकारों से कुल मिलाकर ताज़ा निवेश (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) एनबीएफसी की मतदान शक्ति (संभावित मतदान शक्ति सहित) के 20 प्रतिशत की सीमा से कम होना चाहिए।
17 फरवरी 2021	एचएफसी के लिए मास्टर निदेश जारी किए गए जो एचएफसी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क और एचएफसी को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी निर्देशों को संकलित करते हैं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
पर्यवेक्षण विभाग	
16 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को उनके परिचालनगत तथा कारोबारी निरंतरता संबंधी योजनाओं के एक भाग के रूप में किए जाने वाले उपायों की निदर्शी सूची के संबंध में सूचित किया गया।
21 अगस्त 2020	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उचित कारणों के बिना तदर्थ/लघु ऋण सुविधाओं की बार-बार समीक्षा/नवीकरण से बचें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने कोर बैंकिंग सिस्टम / प्रबंधन सूचना प्रणाली में नियमित रूप से तदर्थ / लघु क्रेडिट सुविधाओं की समीक्षा / नवीकरण संबंधित डेटा कैप्चर करें और उसे लेखा परीक्षकों /आरबीआई द्वारा लेखा परीक्षा या निरीक्षण के लिए कभी भी आवश्यक होने पर समीक्षा हेतु उपलब्ध कराएं।
5 सितंबर 2020	बैंकिंग परिचालन के आकार, जटिलताओं, व्यवसाय मॉडल और जोखिमों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) सहित हितधारकों के परामर्श से लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट फॉरमैट की समीक्षा की गयी तथा एलएफएआर के प्रारूप को संशोधित किया गया। यथासंशोधित दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ, सिस्टम द्वारा आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानकों के अनुसार मानक, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए), अवमानक, संदिग्ध या हानि के रूप में खातों के वर्गीकरण की लगातार निगरानी, खासकर बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के, आय का सही निर्धारण और उसके लिए पर्याप्त प्रावधानीकरण पर विशेष ध्यान देने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की आवश्यकता है।
11 सितंबर 2020	मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के अलावा, बैंकों में अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। इस परिपत्र से सीसीओ के कामकाज में स्वतंत्रता, अधिकार, पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम कार्यकाल अवधि निर्धारित करके सीसीओ की स्वतंत्रता, स्थानांतरण, हटाने, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति पर विशेष जोर दिया गया है।
14 सितंबर 2020	स्वचालित आस्ति वर्गीकरण (एनपीए/एनपीआई के रूप में अग्रिम/निवेश का वर्गीकरण और उनके उन्नयन), प्रावधान परिकलन और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 जून, 2021 तक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने सिस्टम को लागू/अपग्रेड करें।
24 सितंबर 2020	यूसीबी के लिए ' साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज्ञान: 2020:23' पर दस्तावेज प्रकाशित किया गया जो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरुद्ध विकसित करने के लिए पांच-स्तंभ वाले कार्यनीति दृष्टिकोण 'जीयूएआरडी' अर्थात्, शासन प्रणाली प्रबंध, उपयोगी तकनीकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और विकासशील आवश्यक आईटी, साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।
7 जनवरी 2021	<ul style="list-style-type: none"> 27 दिसंबर, 2002 दिनांकित परिपत्र के द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली को प्रारम्भ करना अनिवार्य कर दिया गया। बैंकों द्वारा अपनाए दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए, उक्त विषयक परिपत्र 7 जनवरी 2021 के परिपत्र के माध्यम से आगे पूरक किया गया। 2020-21 और उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की पात्रता, सूचिकरण और नियुक्ति के मानदंडों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को सांविधिक लेखापरीक्षा के तहत निधि आधारित 90 प्रतिशत और गैर-निधि आधारित ऋण संबंधी एक्स्पोजर के 90 प्रतिशत का न्यूनतम कवरेज सुनिश्चित करना आवश्यक था। इससे पहले, पीएसबी को बकाया अग्रिमों के 90 प्रतिशत को कवर करने के लिए ₹20 करोड़ से ज्यादा की सभी शाखाओं और शेष शाखाओं के पांचवे हिस्से जो शाखा लेखा परीक्षा के तहत कवर करना आवश्यक था। चार साल लगातार लेखा परीक्षा करने के बाद निर्दिष्ट केन्द्रों में स्थित ऑडिट फर्मों के लिए दो साल के अनिवार्य कार्य निवृत्ति की अवधारणा, को भी समाप्त कर दिया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
3 फरवरी 2021	रिजर्व बैंक ने 2002 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआईए अनिवार्य कर दिया था। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए और सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई), बड़े यूसीबी और एनबीएफसी के दिशानिर्देशों के सामंजस्य के लिए वर्ष के दौरान आरबीआईए फ्रेमवर्क लाया गया। 31 मार्च 2022 तक संस्थाओं को आरबीआईए फ्रेमवर्क लागू करना है और एक उचित कार्य योजना तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करनी है।
18 फरवरी 2021	डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जारी किए गए जिसमें विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान, जैसे माध्यमों के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए गए। जबकि दिशानिर्देश प्रौद्योगिकी और मंच हठधर्मी होंगे, यह ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान उत्पादों का और सुरक्षित तरीके से उपयोग करने के लिए एक उन्नत और सक्षम वातावरण तैयार करेगा।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
3 अप्रैल 2020	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित उपभोक्ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्षों और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड -19 से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया।
27 जनवरी 2021	बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी करना, जिसमें ये शामिल हैं (i) बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर परिष्कृत प्रकटीकरण, (ii) तुलनात्मक रूप से शिकायतों की संख्या अधिक होने की स्थिति में बैंकों को मौद्रिक रूप से हतोत्साहित करने के लिए शिकायतों के निवारण की लागत वसूल करना, और (iii) बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा और जो बैंक समयबद्ध तरीके से अपने निवारण तंत्र में सुधार करने में असफल रहते हैं उनके खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई करना।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के अर्थोपाय अग्रीमों (डबल्यूएमए) की सीमाओं को 31 मार्च 2020 को विद्यमान सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ाया गया ताकि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुए राजकोषीय दबाव से उभर सकें। संशोधित सीमाएं 01 अप्रैल 2020 से लागू हुईं और 30 सितंबर 2020 तक वैध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाहों के अंतरों से निपटने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 'राज्य सरकारों के लिए ओवर ड्राफ्ट (ओडी) योजना' की समीक्षा की गयी और कोई राज्य/ यूटी निरंतर रूप से ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता है उस संख्या को 14 कार्य दिनों से बढ़ाकर 21 कार्य दिन कर दिया गया। इसके अलावा तिमाही में कोई राज्य/ यूटी, ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता उस संख्या को 36 कार्य दिनों से बढ़ाकर 50 कार्य दिन कर दिया गया।
13 अप्रैल 2020	भारत सरकार की सॉब्रेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर सभी वर्तमान परिचालनगत अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से एसजीबी योजना की पद्धति संबंधी समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए।
17 अप्रैल 2020	कोविड-19 की रोकथाम एवं शमन के प्रयास करने में राज्य सरकारों को अधिक सुविधा प्रदान करने तथा वे अपने बाजार उधारों की योजना बना सकें इस दृष्टि से राज्यों की डबल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 को विद्यमान स्तर के अतिरिक्त 60 प्रतिशत से बढ़ाया गया। वर्धित सीमा 30 सितंबर 2020 तक वैध होगी।
20 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निर्मित परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के डबल्यूएमए की सीमा में वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए ₹ 1,20,000 करोड़ से ₹ 2,00,000 करोड़ संशोधन किया जाए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी तथा उसके कारण राज्य सरकार की आय पर पड़े हुए दबाव के परिप्रेक्ष्य में 'समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ़) के गठन एवं प्रशासन के लिए योजना' की समीक्षा की गयी और यह सुनिश्चित करते हुए कि निधि में पर्याप्त राशि शेष रहती है, सीएसएफ़ से आहरण करने संबंधी नियमों को शिथिल किया गया।
26 जून 2020	एक नई बचत बॉन्ड योजना- अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (कर योग्य) की घोषणा की गयी। यह योजना 1 जुलाई 2020 से अभिदान के लिए खुली होगी।
29 सितंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 की रोकथाम एवं इसके शमन को उपायों को करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उपायों की घोषणा की गई ताकि वे अपनी बाजार उधारियों की योजना बना सकें और अपने नकदी प्रवाह के असंतुलन को पार पाने में उन्हें अधिक लोच मिल सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमओ) में 31 मार्च 2020 के स्तर के ऊपर 60 प्रतिशत की वृद्धि, पहले इसे 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध कराया गया था पर अब इसे 31 मार्च 2021 तक विस्तार दिया गया है। ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों में ढील जिसमें, कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लगातार ओडी में रहने के दिनों की संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस कर दिया गया था, और कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश किसी तिमाही में जितने दिन ओडी में रह सकता है उसकी संख्या को 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया था, इस सुविधा को 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध कराया गया था, जिसे 31 मार्च 2021 तक और बढ़ा दिया गया था।
30 सितंबर 2020	कोविड-19 के कारण उभरती स्थितियों से निबटने के लिए बेहतर नकदी प्रबंधन एवं बाजार उधारी की योजना बनाने के उद्देश्य से, 2021-21 की दूसरी छमाही में भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमओ) की सीमा को ₹1,25,000 करोड़ पर नियत कर दिया गया था, पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 257 प्रतिशत की वृद्धि थी।
5 फरवरी 2021	सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता बढ़ाने एवं पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि खुदरा निवेशक अपना सरकारी प्रतिभूति खाता सीधे रिजर्व बैंक ('रिटेल डायरेक्ट') में खोल सकता है और इसमें सरकारी प्रतिभूति के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की बाजारों की ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।
भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग	
16 मार्च 2020	आम जनता को सामाजिक संपर्क से बचकर और अपने घर पर रहते हुए भुगतान करने के लिए जिन भुगतान प्रणालियों को उपयोग में लाया जा सकता है उनकी चौबीसों घंटों की उपलब्धता के बारे में प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया।
17 मार्च 2020	भुगतान समूहों तथा पेमेंट गेटवे के विनियमन, प्राधिकरण, पूंजीगत अपेक्षाएं, अभिशासन, मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग, निपटान तथा एस्करो खाता प्रबंधन, विवाद प्रबंधन फ्रेमवर्क आदि पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 मार्च 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा में विस्तार किया गया।
4 जून 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्रदान की गयी समय-सीमा में और विस्तार प्रदान करने से संबंधित परिपत्र जारी किया गया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों तथा प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतानों के संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के संबंध में शिक्षण देने के लिए लक्षित बहु-भाषीय अभियान चलाएं।
22 जुलाई 2020	<ul style="list-style-type: none"> 'क्यूआर (क्विक रेस्पांस) कोड के विश्लेषण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट' (अध्यक्ष : प्रो. डी. बी. पाठक, प्रोफेसर एमीरट्स, आईआईटी, बाम्बे) जारी की गई, इससे समिति का गठन भारत में क्यूआर कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किया गया था ताकि डिजिटल भुगतान को सुगम बनाया जा सके एवं अनुशंसा प्रस्तुत की जा सके।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स (पीएसओ) को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल भुगतान के लिए आनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली शुरू करने के लिए अधिदेश दिया गया। एक सीमित अवधि के लिए रिमोट या प्रॉक्सिमिटी भुगतानों के लिए कार्ड, वॉलेट या मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए ऑफलाइन भुगतान समाधान उपलब्ध कराने के लिए बैंकों एवं गैर-बैंकों जैसे अधिकृत पीएसओ के लिए पायलट योजना की घोषणा की गई।
18 अगस्त 2020	खुदरा भुगतानों के लिए संपूर्ण देश के लिए छत्र संस्थानों के लिए प्राधिकार फ्रेमवर्क जारी किया गया।
25 सितंबर 2020	चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा को और अधिक सुरक्षित करने के लिए ₹50,000 से अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) हेतु पॉजिटिव पे की घोषणा की गई।
22 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> पीएसओ के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की पहचान के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया। स्वीकृति बुनियादी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने, बेहतर उपयोगकर्ता सुविधा प्रदान करने, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने और सिस्टम दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए क्यूआर कोड को सुव्यवस्थित करने के उपाय निर्धारित किए गए थे।
17 नवंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता और भुगतान एग्रीगेटर (पीए) को पीपीआई जारीकर्ता/पीए के विवेक पर किसी अलग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के साथ एक अतिरिक्त एस्करो खाता रखने की सुविधा प्रदान की गई। वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना की घोषणा की गई, इससे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए एक ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले। खुदरा भुगतान पर पहले समूह के लिए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के छंटनी किए गए आवेदकों का परीक्षण चरण शुरू हुआ।
4 दिसंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> निपटान और चूक जोखिमों के निर्माण को कम करने के लिए, सदस्य बैंकों द्वारा धन के बेहतर प्रबंधन को सक्षम करने और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि भुगतान प्रणालियों कि निपटान फ़ाइलों [अर्थात, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी), राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस), रुपये, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)] को साल के सभी दिनों में रिजर्व बैंक भेजने की अनुमति दी जाएगी। 14 दिसंबर, 2020 से तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने संबंधी दिशानिर्देशों की घोषणा की गई। संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के साथ-साथ ई-मैनेट आधारित लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट की प्रति लेनदेन सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 के तहत सामान्य शर्तों के अधीन सभी पीएसओ (नए और मौजूदा दोनों) के लिए स्थायी आधार पर प्राधिकार देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणाली संचालित करने वाली संस्थाओं के प्राधिकार के लिए कुछ स्थितियों में 'कूलिंग पीरियड' की अवधारणा पेश की गई।
16 दिसंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> 'सीमा पार भुगतान' की थीम के साथ आरएस के तहत दूसरे समूह को खोलने की घोषणा की गई। तीसरे समूह के लिए थीम को 'एमएसएमई लेंडिंग' के रूप में भी घोषित किया गया था। अद्यतन 'आरएस हेतु सक्षम फ्रेमवर्क' की घोषणा की गई, जिसमें निवल मूल्य की आवश्यकता मौजूदा ₹25 लाख से घटाकर ₹10 लाख कर दी गई और साझेदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 दिसंबर 2020	आरएस के तहत 'खुदरा भुगतान' पर पहले समूह के 'परीक्षण चरण' के लिए चुनी गई चार संस्थाओं का परीक्षण शुरू हुआ।
1 जनवरी 2021	<ul style="list-style-type: none"> देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को कैप्चर करने के लिए समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) पेश किया गया।
5 जनवरी 2021	<ul style="list-style-type: none"> देश भर में स्वीकृति बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) योजना के संचालन के लिए ढांचा पेश किया गया। 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने वाली संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए '50 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेनदेन के लिए कानूनी विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) प्रणाली के उपयोग की घोषणा की गयी थी।
25 जनवरी 2021	सदी के दूसरे दशक अर्थात 2010 के आरंभ से 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिका जारी की गई।
5 फरवरी 2021	<ul style="list-style-type: none"> यह घोषणा की गयी थी कि प्रमुख भुगतान प्रणाली ऑपरेटर को विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करने तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र पर जानकारी देने के लिए सितंबर 2021 तक एक केंद्रीकृत उद्योग व्यापी 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। आगे, हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राहक शिकायतों को दर्ज करने और हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह घोषणा की गयी कि आउटसोर्सिंग में परिचर जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए दिशानिर्देश और यह सुनिश्चित करना कि आउटसोर्सिंग भुगतान और निपटान संबंधी सेवाओं के लिए एक आचार संहिता का पालन किया जाता है, ऑपरेटरों और अधिकृत भुगतान प्रणालियों के प्रतिभागियों को जारी किया जाएगा।
15 मार्च 2021	देश की सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रेन्सेक्शन प्रणाली का विस्तार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 मार्च 2021	<ul style="list-style-type: none"> पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) और उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारियों को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए एक बारगी समय सीमा बढ़ायी गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक के कार्ड के क्रेडेंशियल उनके डेटाबेस या सर्वर में संग्रहीत न हों। कार्ड/वॉलेट/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मेंडेट के संसाधन और पंजीकरण के लिए हितधारकों को नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक समय सीमा बढ़ा दी गई थी।

अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: मार्च 2020 से मार्च 2021¹

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
ए. भारत सरकार (जीओआई)	
3 मार्च 2020	कुछ सक्रिय भेषज घटक (एपीआई) और उनसे बनी औषधि जैसे पैरासिटामोल, एसिक्लोविर, विटामिन बी1, बी6 और बी12 के निर्यात पर प्रतिबंध।
14 मार्च 2020	राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए मानदंड जारी किए गए।
19 मार्च 2020	सर्जिकल मास्क/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई मास्क), वेंटिलेटर (किसी भी कृत्रिम श्वसन साधन या ऑक्सीजन इलाज या किसी अन्य श्वसन साधन/यंत्र सहित), मास्क और कवरऑल्स के लिए टेक्सटाइल के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध।
24 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक और अनुपालन मामलों में छूट दी गयी जैसे आयकर/जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने, विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत भुगतान और विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों, की समय सीमा बढ़ाना। व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार लेनदेन पर बैंक प्रभारों को कम कर दिया गया। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रवृत्त करने से रोकने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ रुपये कर दिया गया। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद आहरण के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों में तीन महीने के लिए छूट। सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध।
26 मार्च 2020 (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)	<p>केंद्रीय वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ₹1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की ताकि उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहायता मिल सके। समर्थन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह 3 महीने के लिए निशुल्क प्रदान की जाएंगी। जन धन महिला खाता धारकों को तीन महीने के लिए ₹500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गरीब दिव्यांग, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी में ₹20 रुपये की वृद्धि की जाएगी। गरीब परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिसाद के लिए जिला खनिज निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा।

¹ सूची सांकेतिक स्वरूप की है और सरकार से संबंधित उपायों के ब्यौरे सरकार की वेबसाइट पर और रिजर्व बैंक से संबंधित उपायों के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी। 100 से कम श्रमिकों वाले कम वेतन अर्जक व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान, तीन महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ईपीएफ विनियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि खातों से 75 प्रतिशत राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, अप्रतिदेय अग्रिम लेने के लिए महामारी को कारण के रूप में शामिल किया जा सके।
28 मार्च 2020	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य आपात स्थिति को देखते हुए कृषि स्वर्ण ऋण और अन्य कृषि खातों को केसीसी खातों में बदलने की तारीखों को बढ़ाने पर ज्ञापन जारी किया।
30 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी नोडल लोक शिकायत अधिकारियों और भारत सरकार के विभागों को कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को शीघ्र निपटाने की पद्धति सूचित की। बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के सभी फसल ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान देय हैं, के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन लाभ 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 में बहुतायत आर्थिक कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन में छूट प्रदान की गयी। विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और निर्यात और आयात पद्धति के क्षेत्र में अन्य छूट प्रदान की गयी।
2 अप्रैल 2020	कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए ई-एनएएम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं शुरू की गईं।
3 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की वर्ष 2020-21 के लिए ₹11,092 की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गयी।
4 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 महामारी प्रकोप पर 21 दिन के लॉकडाउन के संबंध में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई रियायत और छूट प्रदान की गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान किसी भी प्रतिकूल घटना से पीड़ित न हों। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कृषि मशीनरी, इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत की दुकानें तथा राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत के लिए दुकानें, विशेषतः ईंधन पंपों पर, खुली रहने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा बागानों सहित चाय उद्योग को अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गयी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश के 24 राज्यों के 399 जिलों में एसएचजी सदस्यों द्वारा फेस मास्क उत्पादन शुरू किया गया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इससे बनी औषधियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
8 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> यह घोषणा की गयी कि ₹5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड, और सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल राशि ₹18,000 रुपये है। भारतीय रेलवे ने देश भर में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के राष्ट्रव्यापी परिवहन के लिए समय सारणी के साथ पार्सल ट्रेनों की निर्बाध सेवाएं शुरू कीं। राहत कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को नीलामी प्रक्रिया के बिना खुले बाजार योजना बिक्री दरों पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> 'कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेडनेस पैकेज' के लिए ₹15,000 करोड़ की मंजूरी दी गयी। गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा जारी राशन कार्ड पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
15 अप्रैल 2020	खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए तेज गति की रेलवे सुविधा, <i>किसान रथ</i> मोबाइल ऐप और अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी।
18 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों की अवसरवादी खरीद /अधिग्रहणों को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया गया।
13 मई 2020 (<i>आत्म निर्भर भारत अभियान- भाग I</i>)	<ul style="list-style-type: none"> 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ₹3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण, मानक व्यवसायों/ एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ गौण ऋण, अनर्जक आस्ति (एनपीए) /दबावग्रस्त एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। विकासक्षम और अर्थक्षम एमएसएमई के इक्विटी वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ राशि से निधियों का कोष बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। मेक इन इंडिया समर्थन करने और एमएसएमई के लिए ई-मार्केट संपर्कों को बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार/केंद्र सरकार के लोक उद्यमों (सीपीएसई) से एमएसएमई को प्राप्य राशियों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। पात्र व्यवसायों और कामगारों के लिए ₹2,500 करोड़ की ईपीएफ सहायता को और 3 महीने (जून से अगस्त 2020 तक) के लिए विस्तारित किया जाएगा। अन्य व्यवसायों और कामगारों के संबंध में, हर एक के ईपीएफ अंशदान को 3 महीने के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे ₹6,750 करोड़ की चलनिधि उपलब्ध होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) / सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ₹30,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि योजना शुरू की जाएगी। आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/ एचएफसी/ एमएफआई के उधार को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में ₹90,000 करोड़ की चलनिधि लगायी जाएगी। केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दिया जाएगा। स्थावर संपदा और निर्माण का दबाव कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे, केंद्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संविदाओं को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) /स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) की दरें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में 25 प्रतिशत कम की जाएंगी। <i>विवाद से विश्वास</i> योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने और भुगतान करने की तारीखें और आगे बढ़ाई गईं।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
14 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान- भाग II)	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य कार्ड के जो लाभार्थी नहीं हैं, उन प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की 83 प्रतिशत आबादी को अगस्त 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभों की राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा (मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत)। प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को विकसित और प्रोत्साहित किया जाएगा। मुद्रा-शिशु ऋणों के त्वरित भुगतान कर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। फेरीवालों को ₹5,000 करोड़ की विशेष ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। आवास क्षेत्र को ₹70,000 करोड़ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंकड आर्थिक सहायता योजना मार्च 2021 तक बढ़ायी जाएगी। रोजगार के अवसर निर्माण करने हेतु वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों का उपयोग किया जाएगा। नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को ₹30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ का रियायती ऋण दिया जाएगा।
15 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान- भाग III)	<ul style="list-style-type: none"> फार्म-गेट और समूह स्थानों पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹1,00,000 करोड़ की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। डेयरी में निजी निवेश को समर्थन देने के लिए ₹15,000 करोड़ का पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जाएगा। औषधिक खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के साथ-साथ सभी फल और सब्जियों के लिए प्रदान किया जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थों को अविनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। बिना अवरोध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। जोखिम कम करने, आश्वासित प्रतिफल, और गुणवत्ता मानकीकरण को शामिल करते हुए सुविधाजनक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि किसानों को प्रोसेसर/ एग्रीगेटर्स/ बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ा जा सके।
16 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग IV)	<ul style="list-style-type: none"> वाणिज्यिक कोयला उत्पादन और अन्वेषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति दी जाएगी; कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा; कारोबारी सुगमता के लिए उपाय किए जाएंगे; कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन अधिकारों की, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से नीलामी की जाएगी; सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी जाएंगी। कोयला क्षेत्र में ₹50,000 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> खनिज क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ाने के लिए निर्बाध समग्र अन्वेषण-सह-खनन सह-उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी; 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी; बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी; कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच भेद हटा दिया जाएगा; विभिन्न खनिजों के लिए खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है; खनन पट्टे के लिए देय स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध वाले हथियारों/ प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी; आयातित कलपुर्जों को स्वदेशीकृत किया जाएगा; आयुध निर्माणा बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा; स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा; समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हवाई क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे उड़ान लागत में प्रति वर्ष ₹1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी; सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा; चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों, खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाएगा; और प्रौद्योगिकी विकास सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा ₹8,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ायी जाएगी। बिजली क्षेत्र के लिए नई टैरिफ नीति जारी की जाएगी और संघ शासित प्रदेशों में पॉवर युटिलिटीज का निजीकरण किया जाएगा। निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; उदार भू-अंतरिक्ष डेटा नीति तकनीकी उद्यमियों को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करेगी; ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुली की जाएगी।
<p>17 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग V)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा; सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे; प्रयोगशाला और निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा; और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, मन:सामाजिक समर्थन के लिए <i>मनोदर्पण</i>, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा; एक वर्ष तक कोई भी नयी दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; आईबीसी के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए जो "चूक" की परिभाषा दी गयी है उसमें कोविड-19 संबंधित ऋण शामिल नहीं किया जाएगा; निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा; छोटी कंपनियों/ एक-व्यक्ति कंपनियों/ निर्माता कंपनियों/ स्टार्ट-अप के सभी चूक के लिए दंड कम किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों (तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्वरूप की अल्प चूकों के लिए) को गैर आपराधिक माना जाएगा। सार्वजनिक हित में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की उपस्थिति अनिवार्य होने वाले कार्यनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी; कार्यनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्यम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी; अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा; और व्यर्थ की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, कार्यनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या केवल एक से चार होगी। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जो विशिष्ट सुधारों से आंशिक रूप से जुड़ी रहेगी तथा इससे ₹4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा आवंटन में ₹40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
23 मई 2020	एमएसएमई की आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में ₹3 लाख करोड़ रुपये तक अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर अधिसूचना जारी की गयी है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत उधार देने वाली सदस्य संस्थाओं को दी गयी समग्र निधि राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कृत है। ₹25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण वाले व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई सीमित अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
1 जून 2020	बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हेतु दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए, जो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच देय हैं या देय हो जाएंगे, बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और किसानों को 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के निरंतर लाभ के साथ उनकी चुकौती तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ज्ञापन जारी किया है।
12 जून 2020	छोटे करदाताओं को विलंब शुल्क में कमी के माध्यम से जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण के निरसन का प्रतिसंहरण करने की मांग की अवधि में एक बार विस्तार दिया जाएगा।
20 जून 2020	गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत हाई रिवर्स माइग्रेशन का सामना कर रहे छह राज्यों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को 125 दिनों के लिए अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया।
24 जून 2020	भारत सरकार ने " दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण" शुरू किया। गौण ऋण के लिए एक ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) शुरू की गयी जिसके अंतर्गत उन एससीबी को गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा जो दबावग्रस्त एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋण संस्था (एमएलआई) हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को कारोबार में इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी के रूप में ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
30 जून 2020	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की निशुल्क व्यवस्था नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दी गयी।
6 जुलाई 2020	कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु विश्व बैंक और भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु 'आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
13 जुलाई 2020	मास्क और कवरऑल्स के लिए कपड़े के कच्चे माल से संबंधित निर्यात नीति में संशोधन किया गया, जिसके तहत 25-70 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) के गैर-बुने हुए कपड़े और विशिष्ट सामंजस्य वाले सिस्टम (एचएस) कोड पर निर्यातित किसी भी जीएसएम के मेल्ट ब्लोन फ़ैब्रिक निर्यात के लिए निषिद्ध थे। 25-70 जीएसएम के अलावा अन्य सभी गैर-बुने हुए कपड़े के निर्यात के लिए पूर्णतः मुक्त कर दिया गया।
17 जुलाई 2020	प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि द्वारा (फार्म-गेट) इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढीकरण के लिए ₹1,00,000 करोड़ का कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष स्थापित किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को दिशानिर्देश जारी किए गए।
21 जुलाई 2020	पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट के निर्यात संबंधी अधिसूचना में संशोधन किया गया जिसके तहत सर्जिकल ड्रेप, आइसोलेशन एप्रन, सर्जिकल रैप्स और एक्स-रे गाउन के निर्यात को निषेध सूची से हटा दिया गया।
28 जुलाई 2020	सरकार ने 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, चिकित्सकीय चश्मा (मेडिकल गॉगल) की निर्यात नीति को निषिद्ध श्रेणी से हटा कर प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया और फेस शील्ड के निर्यात को निःशुल्क कर दिया गया। इसके अलावा, पात्र आवेदकों को निर्यात लाइसेंस जारी करने हेतु 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क के लिए प्रति माह चार करोड़ इकाइयों का एक मासिक निर्यात कोटा और मेडिकल गॉगल के लिए 20 लाख इकाई प्रति माह तय किया गया था।
4 अगस्त 2020	24 मार्च, 2020 की अधिसूचना में संशोधन करके, वेंटिलेटर (किसी भी कृत्रिम श्वसन साधन या ऑक्सीजन इलाज या किसी अन्य श्वसन साधन/ यंत्र सहित) निर्यात के लिए फ्री कर दिए गए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अगस्त 2020	कोविड-19 इमरजेंसी रैस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज की दूसरी किस्त की ₹890.3 करोड़ की कुल राशि 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई।
17 अगस्त 2020	आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस) 2.0 को उभरती मांगों के अनुरूप अधिक लचीलेपन के साथ विस्तारित किया गया।
18 अगस्त 2020	दिनांक 13 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संशोधित जिसके तहत विनिर्दिष्ट एचएस कोड पर निर्यातित किसी भी जीएसएम के केवल मेल्ट ब्लोन फ़ैब्रिक के निर्यात पर निषेध लगाया गया था। अन्य सभी बगैर बुने हुए किसी भी जीएसएम के कपड़े (25-70 जीएसएम सहित) को निर्यात के लिए पूर्णतः मुक्त कर दिया गया।
25 अगस्त 2020	2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, सभी प्रकार और श्रेणियों के मेडिकल कवरऑल्स के निर्यात को संशोधित कर प्रतिबंधित श्रेणी से हटा कर फ्री कर दिया गया। मेडिकल चश्मे को 20 लाख इकाइयों के मासिक कोटा के साथ एक प्रतिबंधित श्रेणी में बनाए रखा गया है और नाइट्राइल/ नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) दस्ताने निषिद्ध बने हुए हैं। एन-95/ फ़िल्टरिंग फेसपीस 2 (एफएफपी 2) मास्क या इसके समतुल्य मास्क की निर्यात नीति को निषिद्ध से प्रतिबंधित श्रेणी में परिशोधित किया गया था।
1 सितंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> प्रधान मंत्री <i>आत्मनिर्भर भारत अभियान</i> प्रोत्साहन पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ ₹15,000 करोड़ के पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष (एचआईडीएफ) की स्थापना की। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी किए गए थे। मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत कुल रिवाइस पर एक सीमा लगाई गई थी। योजना के तहत आयात निर्यात कोड (आईईसी) धारक को दिया जाने वाला कुल रिवाइ 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान किए गए निर्यात में प्रति आईईसी ₹2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। कोई भी आईईसी धारक जिसने 1 सितंबर, 2020 या उससे पहले एक वर्ष की अवधि के लिए कोई निर्यात नहीं किया है या 1 सितंबर, 2020 या उसके बाद आईईसी प्राप्त की है, वह धारक एमईआईएस के तहत कोई भी दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, एमईआईएस योजना को 1 जनवरी, 2021 से समाप्त किया जाता है। उपरोक्त सीमा अधोगामी संशोधन के अधीन होगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान एमईआईएस के तहत कुल दावा सरकार द्वारा निर्धारित ₹5,000 करोड़ के आबंटन से अधिक न हो।
4 सितंबर 2020	बदलती तकनीक और नए प्रकार के तैयार चमड़े के संदर्भ में, सरकार ने नयी क्रिस्मों के चमड़े के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार चमड़े के मानदंडों को परिशोधित किया।
14 सितंबर 2020	सभी क्रिस्मों की प्याज के निर्यात पर निषेध की घोषणा की गई।
23 सितंबर 2020	भारत सरकार ने 'औद्योगिक संबंध', 'सामाजिक सुरक्षा' और 'व्यावसायिक सुरक्षा', स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर तीन श्रम संहिताएँ बनायीं। 'वेतन पर संहिता' पहले अधिनियमित की गई थी और इस प्रकार 29 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में मिला दिया गया।
30 सितंबर 2020	माल और सेवा कर (जीएसटी) करदाताओं को ई-चालान के कार्यान्वयन में राहत दी गई।
1 अक्टूबर 2020	स्टील निर्माताओं द्वारा उनके सेवा केंद्रों/ वितरकों/ डीलरों/ स्टॉक यार्ड के माध्यम से स्टील की आपूर्ति पर शुल्क वापसी योजना को विस्तारित किया गया।
6 अक्टूबर 2020	दिनांक 25 अगस्त, 2020 को संशोधित अधिसूचना के तहत एन-95/ एफएफपी-2 मास्क या इसके समतुल्य मदों के निर्यात को प्रतिबंधित से संशोधित कर मुक्त श्रेणी में लाते हुए सभी प्रकार के मास्कों को मुक्त रूप से निर्यात योग्य बनाया गया।
9 अक्टूबर 2020	10,000 मीट्रिक टन (एमटी) की मात्रा तक के बेंगलुरु की गुलाबी प्याज और कृष्णपुरम प्याज, प्रत्येक दिनांक 31 मार्च 2021 तक, के निर्यात की अनुमति दी गई।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
12 अक्टूबर 2020 (आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0)	<ul style="list-style-type: none"> छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना की घोषणा की गई। मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों, दोनों के लिए विशेष उत्सव अग्रिम योजना को एकबारगी उपाय के रूप में पुनर्जीवित किया गया। पूँजीगत व्यय हेतु राज्यों को जारी किए जाने के लिए ₹12,000 करोड़ का विशेष ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण। केंद्रीय बजट 2020-21 में दिए गए ₹4.13 लाख करोड़ के अलावा पूँजीगत व्यय के लिए ₹25,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रदान किया गया।
15 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> राज्यों के लिए उधार लेने की एक विशेष व्यवस्था की घोषणा की गई, जिसके तहत ₹1.1 लाख करोड़ के अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी की पूर्ति हेतु भारत सरकार से उपयुक्त चरणों में उधार लिया जाएगा और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जारी करने के बदले में ऋण समर्थित ऋण के रूप में राज्यों को इसकी भरपाई का जिम्मा सौंपा जाएगा। डिस्पेंसर पंप के साथ कंटेनरों में अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर का मुक्त रूप से निर्यात-योग्य बना दिया गया जिससे किसी भी रूप/पैकेजिंग में अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर मुक्त रूप से निर्यात-योग्य हो गया।
22 अक्टूबर 2020	नाइट्राइल/ एनबीआर दस्तानों के निर्यात को निषिद्ध से प्रतिबंधित श्रेणी में परिशोधित किया गया।
23 अक्टूबर 2020	भारत सरकार ने विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छः महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के अनुग्रह भुगतान की आर्थिक सहायता की योजना की घोषणा की है (1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020)।
24 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 के प्रकोप के कारण करदाताओं की चुनौतियों को देखते हुए आयकर रिटर्न के भुगतान और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाया गया। 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और समाधान विवरण को प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया।
27 अक्टूबर 2020	विवाद से विश्वास योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया।
29 अक्टूबर 2020	प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
2 नवंबर 2020	केंद्र सरकार ने आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को एक महीने के लिए 30 नवंबर, 2020 तक विस्तारित किया है या इस योजना के तहत ₹ 3 लाख करोड़ की राशि संस्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।
12 नवंबर 2020 (आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0)	<ul style="list-style-type: none"> 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹1.46 लाख करोड़ के मूल्य का उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), जिनमें एडवांस सेल कैमिस्ट्री बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ों से बने उत्पाद, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर फोटो -वोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल, भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (एयर कंडीशनर- एसी और एलईडी लाइट्स), और विशिष्ट इस्पात शामिल हैं। निर्माण क्षेत्र में कारोबारी सुगमता लाने और जिन ठेकेदारों का पैसा कहीं फँस गया है, उनको राहत देने के लिए, संविदाओं पर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को 5-10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। यह चालू संविदाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी विस्तारित किया जाएगा। निविदाओं के लिए बयाना जमा-राशि (ईएमडी) को बोली सुरक्षा घोषणा-पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सामान्य वित्तीय नियमों में छूट 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी। देशी रक्षा उपकरण, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और हरित ऊर्जा पर पूँजीगत और औद्योगिक व्यय के लिए ₹10,200 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोविड-19 के समुत्थान के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> ईसीएलजीएस 2.0 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और ऐसे 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था, जिनमें अन्य मानदंडों के अलावा 29 फरवरी, 2020 तक की स्थिति में ₹50 करोड़ से लेकर ₹500 करोड़ तक का क्रेडिट बकाया था। ये संस्थाएँ/ उधारकर्ता खाते संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में अपने कुल बकाया क्रेडिट की 20 प्रतिशत तक की अतिरिक्त निधि के लिए पात्र होंगे, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत होगी। ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत दिये गए ऋण का परिपक्वता काल पाँच वर्ष है तथा इसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 12 माह का अधिस्थगन दिया जाएगा। इस योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के लिए ₹18,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए आयकर में राहत देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि (एनआईआईएफ) को 2025 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ₹1.1 लाख करोड़ का कर्ज मुहैया कराने में मदद करने के लिए एनआईआईएफ के कर्ज प्लैटफॉर्म में ₹6,000 करोड़ के इक्विटी निवेश की घोषणा की गई। कृषि को संबल प्रदान करने के लिए सब्सिडी-प्राप्त उर्वरकों के लिए ₹65,000 करोड़ दिये गए। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। कोविड-19 के टीके के विकास संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को ₹900 करोड़ प्रदान किए गए। भारत सरकार ने एक्जिम बैंक को निर्यात परियोजनाओं के संवर्धन हेतु भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज) के अंतर्गत ₹3,000 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की। इससे एक्जिम बैंक को विकास सहायता गतिविधियों और भारत से निर्यात के लिए ऋण व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। विनिर्दिष्ट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) सहित कपड़ों और मास्क (एनबीआर दस्ताने और चिकित्सा चश्मे) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया वहीं कुछ वस्तुओं जैसे सर्जिकल ब्लेड, गैर-बुने डिस्पोजेबल शू कवर, एयरमैन, फायरमैन, गोताखोरों और पर्वतारोहियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्वास उपकरण, गैस मास्क, तिरपाल, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) कन्वेयर बेल्ट और बायोप्सी पंच को छूट दी गई।
26 नवंबर 2020	भारत सरकार ने ईसीएलजीएस 1.0 को ईसीएलजीएस के तहत उन संस्थाओं को विस्तारित करने का निर्णय लिया, जिनका 29 फरवरी, 2020 की स्थिति में कुल ₹50 करोड़ तक का क्रेडिट बकाया था, लेकिन पहले ₹250 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार के कारण इस सुविधा हेतु अपात्र थे।
16 दिसंबर 2020	सुधार से जुड़े लाभों के लिए पात्र होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए समय-सीमा का विस्तार।
18 दिसंबर 2020	सरकार ने प्रशुल्क दर कोटा (टीआरओ) के तहत 30 सितंबर, 2021 तक अमेरिका को कच्ची चीनी के निर्यात के लिए 8,424 मीट्रिक टन के अपरिकलित मूल्य (रॉ वैल्यू) का आबंटन किया।
22 दिसंबर 2020	मेडिकल चश्मे और नाइट्राइल/ एनबीआर दस्ताने को प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में लाकर निर्यात नीति में बदलावा।
28 दिसंबर 2020	दिनांक 1 जनवरी, 2021 से बेंगलुरु की गुलाबी प्याज और कृष्णपुरम प्याज सहित सभी प्याज किस्मों के निर्यात की अनुमति दी गई।
30 दिसंबर 2020	2019-20 के लिए आयकर रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा-पत्र, विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी अधिनियमों के तहत कार्यवाही पूरी करने, छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथियां बढ़ा दी गईं।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 फरवरी 2021 (केंद्रीय बजट 2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य और कल्याण को मुख्य विषय के रूप में रखते केंद्रीय बजट 2021-22 प्रस्तुत किया गया। प्रमुख घोषणाओं में निम्न बिन्दु शामिल हैं: • एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का 6 वर्षों की अवधि के लिए लगभग ₹64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ शुभारंभ। • एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया। • कोविड-19 टीके के विकास और उत्पादन के लिए ₹35,000 करोड़ प्रदान किए गए। • भारत में निर्मित न्यूमोकोकल वैक्सीन का पूरे देश में रोल-आउट। • जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए अगले पांच वर्षों में ₹2.87 लाख करोड़ प्रदान किए गए। • 2021-26 के दौरान पांच वर्षों की अवधि में लगभग ₹1.42 लाख करोड़ के कुल वित्तीय आबंटन के साथ लागू किया जाने वाला शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। • राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक की शुरुआत, स्वच्छ हवा, वाहन स्क्रेपिंग नीति आदि से संबंधित घोषणाएँ की गईं। • स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2020-21 (बी.ई.) के ₹94,452 करोड़ की तुलना में 2021-22 (बी.ई.) में ₹2.24 लाख करोड़ (137 प्रतिशत की वृद्धि) के परिव्यय का बजट रखा गया। • श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए मंच प्रदान करने और सरकार के लिए ऐसे श्रमिकों हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रवासी श्रमिकों का पहली बार राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा। • श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडबल्यू) की परिकल्पना की है जो आधार से जुड़ा होगा। यह परियोजना प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिकों को दर्ज करेगी। • पहली बार गिग और प्लैटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु ₹11,674.1 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। यह पिछले आवंटन ₹8,725.1 करोड़ और संशोधित अनुमान ₹11,670.1 करोड़ से अधिक है। • 'वन नेशन वन राशन कार्ड' से प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और बुनकरों/ कपड़ा श्रमिकों को लाभ होगा। इसके लाभार्थी देश-भर में कहीं भी राशन ले सकते हैं। • कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत न्यूनतम मजदूरी और कवरेज सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए लागू होगा। पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली सहित सभी श्रेणियों में महिला कामगारों को अनुमति दी गई है। • एकल पंजीकरण और लाइसेंसिकरण, और ऑनलाइन रिटर्न के साथ नियोक्ताओं पर अनुपालन बोझ कम हो जाएगा। • युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में, संशोधन प्रस्तावित। शिक्षा के बाद अप्रेंटिसशिप, स्नातकों और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा-धारकों के लिए के प्रशिक्षण के लिए मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना को (एनएटीएस) को पुनर्संरचित करने के लिए ₹3,000 करोड़। • एक स्थायी संस्थागत निकाय बनाने का प्रस्ताव, जो तनावग्रस्त और सामान्य, दोनों समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा और बॉण्ड बाजार के विकास में मदद करेगा। यह तनाव के समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करेगा और आम तौर पर द्वितीयक बाजार की तरलता को बढ़ाएगा। • विकास वित्त संस्था (डीएफआई) को ₹20,000 करोड़ की आधारभूत निधि के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव। • सार्वजनिक आस्तियों के मुद्रीकरण (मनीटाइजेशन) के लिए राष्ट्रीय आस्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मार्च 31 2021	<ul style="list-style-type: none"> आधार संख्या सूचना और उसे स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई। विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी निर्देश के लिए परिणामी आदेश पारित करने और समकारी लेवी स्टेटमेंट के प्रसंस्करण की समय-सीमा 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। ईसीएलजीएस की वैधता को 30 जून 2021 या ₹3 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ा दिया गया। ईसीएलजीएस 3.0 को विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल-कूद से संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 को 6 महीने के लिए सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
बी. भारतीय रिज़र्व बैंक	
मौद्रिक नीति विभाग	
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली अपनी बैठक पहले ही मार्च में आयोजित कर दी और नीति रेपो दर 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया। रिवर्स रेपो दर 90 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जिससे एसिमेट्रिक कॉरिडॉर बन गया।² 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए 28 मार्च 2020 से सीआरआर 100 आधार अंकों से घटाकर³ एनडीटीएल का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया है। 28 मार्च 2020 से 90 प्रतिशत न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को बनाए रखने की निर्धारित अपेक्षा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून तक प्रदान की गयी थी जिसे अब 25 सितंबर 2020⁴ तक बढ़ा दिया गया है। 28 मार्च 2020⁵ से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह सुविधा शुरू में 30 जून 2020 तक दी गयी थी जिसे अब 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंकों से घटाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को कुल ₹50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा कर सकें।⁶
22 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> एमपीसी की जून 2020 की बैठक पहले की गयी और नीति रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 3.35 प्रतिशत किया गया।

² रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के साथ निष्क्रिय रूप से धन जमा करना तुलनात्मक रूप से बैंकों के लिए अनाकर्षक बनाना और इसके बजाय, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को आगे उधार देने के लिए इन निधियों का उपयोग करना है।

³ सीआरआर में की गयी इस कमी से अतिरिक्त एसएलआर धारिता के संदर्भ के बजाय घटकों की देनदारियों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग ₹1,37,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि निर्मांचित की गयी।

⁴ इस उपाय की घोषणा कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग और उसके कारण रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर आने वाले दबाव के संदर्भ में बैंकों की कठिनाइयों को संज्ञान लेते हुए की गयी।

⁵ देशी वित्तीय बाजारों में असाधारण अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए, बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान करने के लिए यह घोषणा की गयी।

⁶ इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के पुनर्वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ₹25,000 करोड़ रुपये; आगे उधार देना/पुनर्वित्त के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ रुपये; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस सुविधा के अंतर्गत आरबीआई के नीति रेपो दर पर अग्रिम दिए गए थे।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> एक्जिम बैंक को ₹15,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वेप सुविधा का लाभ उठा सके। इसकी अवधि ऋण लेने की तारीख से 90 दिन है तथा अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक इसे रोल ओवर किया जा सकता है।
6 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> नीतिगत रिपो दर 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
28 सितंबर 2020	27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात् संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का उपयोग कर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत फंड्स का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, जिसे 26 जून 2020 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, साथ ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम करने के लिए, इस छूट को 28 सितंबर 2020 को अगले छः महीनों की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया।
9 अक्टूबर 2020	यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
5 फरवरी 2021	28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग परखवाड़े से 26 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। 5 फरवरी 2021 को सीआरआर को अविघटनकारी रूप से दो चरणों में क्रमशः बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, बैंकों के लिए 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग परखवाड़े से अपने एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले परखवाड़े से एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर सीआरआर को बनाए रखना था। बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का उपयोग कर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अतिरिक्त फंड्स का लाभ को अगले छः महीनों की अवधि के लिए अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किया गया। एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का उपयोग कर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत फंड्स का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
31 मार्च 2020	ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों तथा सभी अल्पावधि फसल ऋणों को केसीसी ऋण में परिवर्तित करने के लिए 30 जून 2020 तक अवधि विस्तार पर परिपत्र।
4 जून 2020	वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए आईएसएस और पीआरआई के लिए 31 अगस्त 2020 तक अधिस्थगन अवधि के विस्तार पर परिपत्र।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ायी गयी।
3 अप्रैल 2020 के बाद 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	रिजर्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबारी समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।
18 मई 2020	विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के निर्देशों (दिनांक 7 अप्रैल, 2020) के कार्यान्वयन की तिथि 1 जून 2020 से स्थगित कर 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 मई 2020	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) जिन्हें 24 जनवरी 2020 और 30 अप्रैल 2020 के बीच स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत निवेश सीमा आवंटित की गयी थी, को उनके प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) का 75 प्रतिशत निवेश करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
2 नवंबर 2020	लॉकडाउन को क्रमिक रूप से समाप्त करने और लोगों के आवागमन और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के बाद रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटों को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे से आंशिक रूप से संशोधित कर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3.30 बजे कर दिया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
12 मार्च 2020	विदेशी मुद्रा बाजार ⁷ को अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 महीने के अमेरिकी डॉलर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस तरह की पहली स्वैप नीलामी 16 मार्च 2020 को की गयी।
18 मार्च 2020	18 मार्च 2020 से जून 2020 तक रिजर्व बैंक द्वारा एनडीएस-ओएम पर संचालित किए गए परिचालनों सहित ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के माध्यम से ₹1,63,444 करोड़ की शुद्ध चलनिधि डाली गयी। पहली ओएमओ नीलामी 18 मार्च 2020 को की गयी।
23 मार्च 2020	₹1,00,000 करोड़ राशि के दो परिवर्ती दर रेपो की घोषणा। इसके बाद, 26 मार्च और 31 मार्च 2020 को ₹75,000 करोड़ के अतिरिक्त परिवर्ती दर रेपो परिचालनों का संचालन किया गया।
24 मार्च 2020	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को उपलब्ध सीमांत चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) को अस्थायी रूप से ₹2,800 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया।
27 मार्च 2020	लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि को उनके इन बॉन्डों में पहले से किए गए निवेश के बकाया स्तर से अतिरिक्त, निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहला टीएलटीआरओ परिचालन 27 मार्च 2020 को किया गया।
30 मार्च 2020	अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार किया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
17 अप्रैल 2020	नीति रेपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने का निर्णय लिया गया। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से ली गयी कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए निवेशों को एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, म्यूचुअल फंड संबंधी चलनिधि जरूरतों के लिए चाहे वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करें।

⁷ इस उपाय की घोषणा इसलिए की गयी कि कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए तीव्र बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 जुलाई 2020	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (सूक्ष्म वित्त संस्थानों-एमएफआई सहित) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु ₹30,000 करोड़ की एक योजना को अधिसूचित किया गया। वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए कतिपय वित्तीय मापदंडों को पूरा करने वाले एनबीएफसी (एमएफआई सहित)/ एचएफसी को चलनिधि (लिविडिटी) उपलब्ध कराई की गई। इस योजना के तहत, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआईकेप) द्वारा स्थापित ट्रस्ट विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस) के रूप में एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा जारी सरकारी गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब कर बैंक-टू-बैंक फंडिंग द्वारा रिज़र्व बैंक ने लिविडिटी डाली है।
6 अगस्त 2020	कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ/एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एसएसआईएसओ) सुविधा का सूत्रपात किया।
31 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) योजना के अंतर्गत उपभोग की गई निधि को परिपक्वता से पहले चुकाने का विकल्प दिया गया था। तदन्तर, बैंकों ने कुल ₹1,25,117 करोड़ में से ₹1,23,572 करोड़ की एलटीआरओ निधियों को रिवर्स कर दिया। 11 सितंबर और 14 सितंबर, 2020 को अस्थिर दरों (रिपो दर) पर कुल ₹1,00,000 करोड़ की 56-दिवसीय सावधि रिपो नीलामियों का आयोजन किया गया था, ताकि अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण बढ़ते चलनिधि दबाव को कम किया जा सके।
9 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों का ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने ऑन टैप टारगेटेड एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा की। तदनुसार, पॉलिसी रिपो दर से सहलग्न अस्थायी दर (रिपो दर) पर कुल ₹1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए तीन वर्षों तक के लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालनों को मांग पर संचालित करने का निर्णय लिया है। मांग पर टीएलटीआरओ के अंतर्गत किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के लिए पात्र माना गया, और इसे बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना से छूट दी गई। इस योजना को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों को परिपक्वता से पहले टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन को चुकाने का विकल्प दिया गया था। इस योजना को 21 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 की ₹37,348 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया। रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप सुविधाजनक तरलता की स्थिति बनाए रखने के लिए बाजार को आश्चस्त करने के लिए खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) के आकार को बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ करने का निर्णय लिया। राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) को चलनिधि प्रदान करने और कुशल कीमत निर्धारण की सुविधा के लिए, एसडीएल में 2020-21 के दौरान एक विशेष मामले के रूप में खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अक्टूबर 2020 से एसडीएल में तीन ओएमओ, कुल ₹30,000 करोड़ की राशि के, आयोजित किए गए।
4 दिसंबर 2020	9 अक्टूबर 2020 को घोषित ऑन टैप टीएलटीआरओ को 21 अक्टूबर 2020 को चिह्नित पांच क्षेत्रों के अलावा, 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों (कामथ समिति द्वारा चिह्नित और सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के अनुरूप) को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया।
5 फरवरी 2021	5 फरवरी 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों को एनबीएफसी को मांग पर टीएलटीआरओ योजना के तहत निधि उपलब्ध करने की अनुमति दी गई थी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
1 अप्रैल 2020	दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में अनिवासी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-1 बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम-केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
22 मई 2020	31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में सामान्य आयातों अर्थात् स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी जैसे कारणों से राशि को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और एनपीए के वर्गीकरण से छूट शामिल है। पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छः महीने की अवधि के लिए लागू होगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत बेमीयादी असंचयी अधिमानित शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण/राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यू) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छः महीने की अवधि के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित किया गया है।
1 अप्रैल 2020	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इसका फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ स्थापित किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष की अवधि या उससे पहले जैसा कि आवश्यक हो, सक्रिय नहीं किया जाएगा।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन के एनपीए मानदंड में, मानक अधिस्थगन अवधि शामिल नहीं है, अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण पर रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ बैंकों द्वारा पर्याप्त बफर बनाए रखना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 में चरणबद्ध तरीके से रोक के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा। इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के समक्ष समायोजित किया जा सकता है। 7 जून 2019 के रिजर्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में जो बड़े खातों चूक में हैं उनके मामले में यदि चूक की तारीख से 210 दिनों के भीतर समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है तो एससीबी को 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों को समझते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समाधान योजना के लिए अवधि को 90 दिनों से बढ़ाया जाए।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> • अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि एससीबी अगले निर्देश तक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। • व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुनःस्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।
29 अप्रैल 2020	<p>कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात् बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।</p>
13 मई 2020	<p>भारत सरकार द्वारा उसी दायरे और कवरेज के साथ पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना एक और वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है और आरबीआई द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालनगत दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।</p>
22 मई 2020	<p>22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार, रिजर्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि के आधार पर बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।</p>
23 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> • बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। • मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकीय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। • अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे। • निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
21 जून 2020	एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत हैं तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं। इसलिए उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और एआईएफआई को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आवंटित करने की अनुमति दी गयी।
6 अगस्त 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए एक सुविधा [सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनी सहित), सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ (एआईएफआई) पर लागू] को वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के पुनरुद्धार की सुविधा के लिए जारी किया गया था, जो कि कुछ स्थितियों के मद्देनजर कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गिरावट के कारण वित्तीय तनाव में थे। समाधान ढांचे का निर्णय अधिकतम 31 दिसंबर, 2020 तक लिया जाना था और वैयक्तिक ऋण के संबंध में 90 दिनों के भीतर और अन्य योग्य ऋण एक्सपोजर के लिए 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किया जाना था। समाधान योजना में शामिल होने वाले आवश्यक वित्तीय मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों पर रिजर्व बैंक को अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन 7 अगस्त, 2020 को किया गया था। समिति ने 4 सितंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपी। कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं को समर्थन देने की आवश्यकता को देखते हुए, एमएसएमई के लिए ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन की योजना को परिसंपत्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड के बिना उन मामलों में विस्तारित किया गया जहाँ उधारकर्ता का खाता 1 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार एक 'मानक आस्ति' था और बैंकों और एनबीएफसी का उधारकर्ता के गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से अधिक नहीं था। कुछ शर्तों के अधीन, उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाना था।
7 सितंबर 2020	कोविड-19 संबंधित तनाव को देखते हुए योग्य उधारकर्ताओं के लिए एक समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय उधारदात्री संस्थाओं द्वारा विचार किए जाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित पांच प्रमुख अनुपातों/मापदंडों 26 क्षेत्रों के लिए तत्संबंधी सीमा अधिसूचित की गयी थी। अन्य क्षेत्रों के संबंध में, उधारदात्री संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन अपना आंतरिक मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी।
29 सितंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 के आलोक में संभावित दबाव को देखते हुए, बैंकों को पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित करने का सुझाव दिया गया। इसे तदन्तर 1 अक्टूबर, 2021 तक और छः महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों (पीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) पर सीसीबी लागू नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण निरंतर जारी तनाव को देखते हुए, चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क के एनएसएफआर के क्रियान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 से आगे बढ़ा कर 1 अप्रैल 2021 कर देने का निर्णय लिया गया। बाद में, कोविड-19 के कारण लगातार बने दबाव को देखते हुए, 5 फरवरी, 2021 को एनएसएफआर के क्रियान्वयन को 1 अप्रैल, 2021 से छः महीने के लिए और बढ़ा कर 1 अक्टूबर, 2021 तक स्थगित कर दिया गया।
12 अक्टूबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में 22 प्रतिशत की बढ़ाई गई एचटीएम सीमा में (पूर्व में 19.5 प्रतिशत की तुलना में) एसएलआर धारिताओं की कुल सीमा के वितरण को 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरू होगा।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 अक्टूबर 2020	सभी ऋणदाता संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे भारत सरकार द्वारा घोषित योजना (मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छः महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना के प्रावधानों से निर्देशित हों।
4 दिसंबर 2020	कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन-पत्रों को और मजबूत करने के लिए तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण देने का समर्थन करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि बैंक 31 मार्च 2020 को 2019-20 से संबंधित मुनाफे से इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।
5 फरवरी 2021	<ul style="list-style-type: none"> मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों की समीक्षा पर और 5 फरवरी 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, गैर-विघटनकारी तरीके से सीआरआर को दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में, 28 मार्च 2020 के रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी, सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 100 आधार अंकों से घटाकर 3.0 किए जाने का निर्णय लिया गया। यह वितरण 26 मार्च 2021 को समाप्त होने पर अगले एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध था। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत पर और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल का 4.0 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता है। 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच अधिग्रहित प्रतिभूतियों को शामिल करने और एसएलआर के लिए पात्र प्रतिभूतियों के संबंध में एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम व्यवस्था को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से एचटीएम की सीमा को 22 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से सीमित किया जाएगा।
12 मार्च 2021	कोविड-19 के कारण पुनःसंरचना पर ऋण सूचना प्राप्त करने के लिए ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट में कुछ बदलाव प्रभावित हुए थे। यह 6 अगस्त, 2020 के रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसने उधारदाताओं को विवेकपूर्ण ढांचे के तहत कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित योग्य उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने के लिए एक सुविधा प्रदान की और उधारदात्री संस्थाओं द्वारा सीआईसी को उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट रिपोर्टिंग भी उपलब्ध कराई, जो उस खाते की "पुनर्संचित" स्थिति को दर्शाएगी।
पर्यवेक्षण विभाग	
16 मार्च 2020	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालन और कारोबार निरंतरता योजनाओं के भाग के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों की सांकेतिक सूची के संबंध में सूचित किया गया है।
8 जुलाई 2020	1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान नियत (ड्यू) विभिन्न विनियामकीय विवरणियों की प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाई गई।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
3 अप्रैल 2020	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत अधीनस्थ सभी कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-19 से संबंधित जनता की शिकायतों के त्वरित निपटान के संबंध में सूचित किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 की मौजूदा सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया, जिससे राज्य सरकारें, राजकोषीय दबाव से उबर सकें। संशोधित सीमाएं 1 अप्रैल 2020 से लागू हुईं और 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को उनके नकद प्रवाह के असंतुलन पर अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना की समीक्षा की गयी तथा कोई भी राज्य/ संघ शासित प्रदेश के सतत ओवरड्राफ्ट में रहने की सीमा को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस की गयी। इसके अलावा कोई भी राज्य/संघ शासित प्रदेश की एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिवसों की संख्या 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दी गयी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
17 अप्रैल 2020	राज्यों को नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी।
20 अप्रैल 2020	भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की शेष अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को ₹1,20,000 करोड़ से संशोधित कर ₹2,00,000 करोड़ किया जाए।
22 मई 2020	'समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) के गठन और प्रशासन की योजना' की समीक्षा की गयी और सीएसएफ से आहरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में रियायत दी गयी तथा यह सुनिश्चित किया गया कि निधि में एक बड़ा कॉर्पस बरकरार रखा जाएगा।
29 सितंबर 2020	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकारों को कोविड-19 की रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक-से-अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, 31 मार्च 2020 की स्थिति के स्तर से बढ़कर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि में 30 सितंबर 2020 तक छूट दी गई और इसे आगे 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया। राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाह असंगतियों को समाप्त करने के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु, ओवरड्राफ्ट (ओडी) नियमों में ढील दी गई और राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा लगातार ओवरड्राफ्ट में रहने के दिनों की संख्या 14 कार्य दिवसों से बढ़ा कर 21 कार्य दिवस की गई और राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा किसी तिमाही में ओवरड्राफ्ट में रहने की अवधि को 36 कार्य दिवसों से बढ़ा कर 50 कार्य दिवस किया गया। यह सुविधा 30 सितंबर 2020 तक सुलभ थी और इसे आगे 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया।
30 सितंबर 2020	कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर नकदी प्रबंधन और बाजार से उधार लेने की योजना बनाने के लिए, भारत सरकार के लिए वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,25,000 करोड़ तय की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 257 प्रतिशत की वृद्धि है।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
16 मार्च 2020	प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आम जनता को यह सूचित किया गया कि चौबीसों घंटे भुगतान प्रणाली उपलब्ध है तथा सामाजिक संपर्क से बचते हुए अपने घर से भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
24 मार्च 2020	विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया गया।
4 जून 2020	भुगतान प्रणाली की विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को प्रदान की गयी समय-सीमा को और आगे बढ़ाया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और सहभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए लक्षित बहुभाषी अभियान शुरू करें।
4 दिसंबर 2020	संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक के छूट के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई।
26 फरवरी 2021	खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समयावधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2021	<ul style="list-style-type: none"> भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) और उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए मर्चेट द्वारा यह आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कि उनके डेटाबेस या सर्वर में ग्राहक के कार्ड क्रेडेंशियल्स स्टोर नहीं हैं, 31 दिसंबर 2021 तक एकबारगी विस्तार दिया गया। कार्ड/ वॉलेट/ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैन्डेट के पंजीकरण और प्रोसेसिंग हेतु नए फ्रेमवर्क में शामिल होने की समयावधि को हितधारकों के लिए 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया।

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (% परिवर्तन) *	7.9	6.7	6.5	4.0	-8.0
I.2 आधार कीमत पर वास्तविक जीवीए (% परिवर्तन) *	7.7	6.3	5.9	4.1	-6.5
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	246.4	285.2	297.5	303.3
I.4 क) खाद्य स्टाक (मिलियन टन)	18.6	50.1	72.7	74.0	77.2
ख) खरीद (मिलियन टन)	39.3	61.3	77.7	79.2	97.2
ग) उठाव (मिलियन टन)	41.5	57.0	65.9	62.2	83.3
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (% परिवर्तन) **	11.2	4.6	3.8	-0.8	-8.6
I.6 आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (% परिवर्तन)	5.9	4.9	4.4	0.4	-7.0
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान मूल्य में जीएनडीआई का %) *	33.6	33.9	30.1	30.9	-
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %) *	35.2	38.0	32.7	32.2	-
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	-	-	3.4	4.8	6.2
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)#	5.0	10.3	5.4	7.5	5.0
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)#	5.5	7.1	4.3	1.7	1.3
III. मुद्रा और ऋण					
III.1 आरक्षित मुद्रा (% परिवर्तन)	20.4	12.1	14.5	9.4	14.2
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (% परिवर्तन)	18.6	14.7	10.5	8.9	11.8
III.3 क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमा राशि (% परिवर्तन)	20.2	15.0	10.0	7.9	11.4
ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक ऋण (% परिवर्तन)	26.7	16.7	13.3	6.1	5.6
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
क) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	6.3	5.4	3.4
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.7	6.7	6.0
ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	-	-	6.6	5.5	3.3
घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारत औसत लागत	-	-	7.8	6.9	5.8
ङ) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	7.6	6.6	4.2
च) जमाराशि प्रमाणपत्र ###	8.9	8.2	7.3	5.9	4.3
IV.2 चलनिधि (₹ लाख करोड़)					
क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)~	-	-	-1.5	2.6	4.1
ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) ^^	-	-	0.0	0.0	0.0
ग) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार ####	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4
ङ) परिवर्ती रिपो दर ^६	-	-	1.639	0.895	0.005
च) परिवर्ती रिवर्स रिपो दर ^६	-	-	0.0	1.2	0.0
छ) मार्जिनल स्थायी सुविधा ^६	-	-	0.943	0.020	0.001
V. सरकारी वित्त					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %) &					
क) राजस्व प्राप्तियाँ	10.0	9.2	8.2	8.3	7.9
ख) पूंजी लागत	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7
ग) कुल व्यय	14.9	15.0	12.3	13.2	17.6
घ) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	3.4	4.6	9.4
V.2 राज्य सरकार के वित्त &&					
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.3	-0.1	0.1	0.7	1.5
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.3	2.4	2.4	4.1
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	0.8	0.9	2.4

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन [@]					
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	9.1	-5.0	-15.9
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	10.3	-7.6	-27.6
ग) व्यापार संतुलन/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-6.7	-5.5	-3.2
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.6	4.6	4.9
ङ) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-2.1	-0.9	1.7
च) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी(%)	4.7	3.8	2.0	2.9	2.7
छ) रिजर्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) (बिलियन अमेरिकी \$) [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-40.3	-6.6	3.3	-59.5	-83.9
VI.2 बाह्य कर्ज सूचकांक ^{&&&}					
क) बाह्य कर्ज स्टाक (बिलियन अमेरिकी \$)	156.5	359.0	543.1	558.2	563.5
ख) कर्ज - जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	19.9	20.6	21.4
ग) रिजर्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	9.6	12.0	18.6
घ) कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (%)	13.6	21.3	20.0	19.1	18.4
ङ) कर्ज सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	6.4	6.5	9.0
च) रिजर्व की तुलना में कर्ज (%)	113.7	84.8	76.0	85.6	104.0
VI.3 उदारता सूचकांक (%) [@]					
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	31.6	27.8	24.9
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	44.0	39.7	37.4
ग) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	49.8	45.6	43.9
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	38.2	39.6	46.1
ङ) चालू प्राप्तियाँ और भुगतान और पूंजी प्राप्तियाँ और भुगतान/जीडीपी	84.4	109.8	87.9	85.2	89.9
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
क) विनिमय दर (रुपये/ अमेरिकी \$) अवधि के अंत में औसत	43.1 44.1	51.1 51.2	69.2 69.9	75.4 70.9	73.5 74.2
ख) 40-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1 [^]	0.8	-5.0	2.6	0.3
ग) 40-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7 [^]	-4.9	-5.6	0.6	-4.2
घ) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	5.7 [^]	2.3	-5.9	3.3	-1.8
ङ) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	2.6 [^]	-5.1	-7.2	0.8	-6.8

- : उपलब्ध नहीं। अ : अनंतिम।

* : डेटा 2011-12 के आधार वर्ष शृंखला पर आधारित हैं।

** : कालम 2 और 3 का डेटा आधार वर्ष 2011-12 सिरीज पर आधारित है।

: थोक मूल्य सूचकांक के वार्षिक डेटा के लिए आधार वर्ष 2011-12=100 है और 5 वर्ष की मुद्रास्फीति की औसत के लिए आधार वर्ष 2004-05=100 है। औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए 2001=100 तथा सितंबर 2020 और उससे आगे की अवधि के लिए 2016=100 है।

: कालम 2 से संबंधित डेटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 के आधार पर है।

: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर (कैलेंडर दिनों पर आधारित)

~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (ऋणात्मक चिन्ह अन्तर्वेशन दर्शाते हैं)

~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया

\$: 31 मार्च तक का बकाया

& : 2020-21 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

&& : 2019-20 तक का डेटा, सभी राज्य तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर है। जबकि 2020-21 का डेटा 17 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर है। 2019-20 के लिए डेटा अनंतिम लेखा है तथा 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान है।

@ : कालम 6 का डेटा अनंतिम है तथा अप्रैल-दिसंबर 2020 के आधार पर है।

&&&: 2020-21 का डेटा अनंतिम है तथा दिसंबर 2020 के अंत तक के आधार पर है।

^ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत

टिप्पणी: एनईईआर/ आरईईआर सूचकांकों की 6 से 40 मुद्राओं के लिए आधार वर्ष 2015-16 है=100. आरईईआर आंकड़े सीपीआई पर आधारित हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्र और राज्य सरकार के श्रम ब्यूरो और बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना
(2011-12 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				शेयर		
	औसत 2013-14 से 2020-21	2018-19	2019-20	2020-21*	2018-19	2019-20	2020-21*
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	5.0	7.6	5.5	-9.0	56.3	57.1	56.5
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	6.3	6.3	7.9	2.9	10.2	10.6	11.8
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	3.7	9.9	5.4	-12.4	32.0	32.5	30.9
4. स्टॉक में परिवर्तन	8.4	27.2	-39.7	-3.5	1.9	1.1	1.1
5. मूल्यवान वस्तुएँ	-7.2	-9.7	-14.2	-38.0	1.4	1.1	0.8
6. निवल निर्यात	-11.7	11.8	-16.8	72.5	-3.0	-3.4	-1.0
क) निर्यात	1.8	12.3	-3.3	-8.1	20.9	19.4	19.4
ख) कम आयात	-0.1	8.6	-0.8	-17.6	23.9	22.8	20.4
7. विसंगतियाँ	-63.1	-61.8	-15.5	-112.5	1.2	1.0	-0.1
8. सकल देशी उत्पाद	4.9	6.5	4.0	-8.0	100.0	100.0	100.0
आधार मूल्य पर जीवीए (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	3.7	2.6	4.3	3.0	14.8	14.8	16.3
2. उद्योग	4.3	5.0	-2.0	-7.4	23.2	21.8	21.6
जिसमें से :							
क) खनन और उत्खनन	1.6	0.3	-2.5	-9.2	2.6	2.4	2.4
ख) विनिर्माण	4.5	5.3	-2.4	-8.4	18.3	17.1	16.8
ग) बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	6.1	8.0	2.1	1.8	2.3	2.3	2.5
3. सेवाएँ	5.5	7.1	6.4	-8.4	62.0	63.4	62.1
जिसमें से:							
क) निर्माण	2.3	6.3	1.0	-10.3	8.0	7.8	7.5
ख) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएँ	5.0	7.1	6.4	-18.0	19.9	20.3	17.8
ग) वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	7.0	7.2	7.3	-1.4	21.3	22.0	23.2
घ) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	5.9	7.4	8.3	-4.1	12.7	13.3	13.6
4. आधार कीमत पर जीवीए	4.9	5.9	4.1	-6.5	100.0	100.0	100.0

*: 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

परिशिष्ट सारणी 3: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	30.9	31.7	30.1	30.9
1.1 गैर-वित्तीय निगम	11.6	11.6	10.7	10.6
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.1	1.4	1.3	1.4
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	10.5	10.2	9.4	9.2
1.2 वित्तीय निगम	2.2	2.2	1.9	2.8
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.4	1.4	0.9	1.5
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	0.9	0.9	1.0	1.3
1.3 सामान्य सरकार	-0.8	-1.2	-1.5	-1.8
1.4 घरेलू क्षेत्र	17.9	19.0	19.0	19.3
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.3	7.5	7.1	7.8
मेमो: सकल वित्तीय बचत	10.4	11.9	11.1	11.0
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	10.2	11.2	11.7	11.2
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.3	0.3	0.2	0.2

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

टिप्पणी: घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत को वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर के रूप में प्राप्त किया जाता है।

स्रोत: एनएसओ

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) [#]	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	3.0	4.3	5.9	3.9	5.4	6.5	3.4	4.8	6.2
खाद्य और पेय	0.7	4.8	7.1	0.7	8.1	7.7	0.7	6.0	7.3
आवास	6.7	4.5	3.3	6.7	4.5	3.3
ईंधन और बिजली	6.0	1.1	0.3	5.2	1.7	7.1	5.7	1.3	2.7
विविध	6.3	5.1	5.7	5.4	3.7	7.5	5.8	4.4	6.6
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	5.7	4.1	5.5	5.9	4.0	5.6	5.8	4.0	5.5
अन्य मूल्य सूचकांक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100) *									
सभी वस्तुएं	7.4	5.2	1.3	-3.7	1.7	2.9	4.3	1.7	1.3
प्राथमिक वस्तुएं	9.8	9.8	2.2	-0.4	3.4	1.4	2.7	6.8	1.6
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	9.9	12.3	5.6	2.6	4.0	2.1	0.3	8.4	3.1
ईंधन और ऊर्जा	10.3	7.1	-6.1	-19.7	-0.3	8.2	11.5	-1.8	-8.0
विनिर्मित उत्पाद	5.4	3.0	2.6	-1.8	1.3	2.7	3.7	0.3	2.7
खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद	4.9	2.7	2.7	-1.8	-0.1	3.0	4.2	-0.4	2.2
2. सीपीआई-औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू)(2001=100)**	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4	7.5	5.0
जिनमें से : सीपीआई- आईडब्ल्यू खाद्यान्न	11.9	12.3	6.5	6.1	4.4	1.5	0.6	7.4	5.8
3. सीपीआई - कृषि श्रमिक (1986-87=100)	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	5.5
4. सीपीआई - ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	5.5
मुद्रा और ऋण									
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016¹⁷	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21¹⁸
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	6.2	14.4	11.3	13.1	-12.9	27.3	14.5	9.4	14.2
संचलन में मुद्रा	11.6	9.2	11.3	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	17.2
आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ	-10.0	34.0	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	0.8
मुद्रा - जीडीपी अनुपात [§]	12.0	11.6	11.6	12.1	8.7	10.7	11.3	12.0	14.7
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	9.2	8.5	11.3	13.5	-3.9	21.8	13.6	11.2	16.3
व्यापक मुद्रा (एम3)	13.6	13.4	10.9	10.1	6.9	9.2	10.5	8.9	11.8
मुद्रा - जमा अनुपात	15.7	15.1	15.2	16.0	11.0	14.4	15.4	16.3	17.3
मुद्रा गुणक (अनुपात) ^{##}	5.5	5.5	5.5	5.3	6.7	5.8	5.6	5.5	5.4
जीडीपी/एम3 अनुपात ^{###}	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमाराशियाँ	14.2	14.1	10.7	9.3	11.3	6.2	10.0	7.9	11.4
बैंक क्रेडिट	14.1	13.9	9.0	10.9	4.5	10.0	13.3	6.1	5.6
खाद्येतर क्रेडिट	14.0	14.2	9.3	10.9	5.2	10.2	13.4	6.1	5.5
क्रेडिट- जमा अनुपात	77.9	77.8	76.6	77.7	72.9	75.5	77.7	76.4	72.7
क्रेडिट- जीडीपी अनुपात [§]	52.9	53.4	52.4	52.6	50.9	50.4	51.5	51.0	56.4

: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार 2012=100 है।

... : आवास के लिए सीपीआई ग्रामीण को समेकित नहीं किया है।

* : थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि के लिए आधार 2004-05=100 और 2013-14 से 2020-21 के लिए आधार 2011-12=100 हैं।

** : औद्योगिक कामगार (सीपीआई) के लिए आधार वर्ष 2001=100 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए तथा आधार वर्ष 2016=100 सितंबर 2020 से लेकर आगे की अवधि के लिए है।

: प्रतिशत में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

^ : 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 की आरक्षित मुद्रा और उसके घटक।

^^ : डेटा 26 मार्च 2021 से संबंधित है।

§ : 2011-12 से आगे का डेटा जीडीपी के नई सिरीज पर आधारित है अर्थात्, आधार: 2011-12। जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्यों पर दर्शाते हैं।

टिप्पणी: जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, डेटा प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी 5: प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2019-20		2020-21 (अ)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
ए. सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	107	80,493.0	90	1,07,867.9
क) वित्तीय	38	17,335.8	26	31,395.9
ख) गैर-वित्तीय	69	63,157.2	64	76,472.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	3	11,455.9	5	12,485.2
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2	1,115.1	2	1,262.9
ख) सरकारी कंपनियाँ
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	1	10,340.8	3	11,222.3
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	110	91,948.9	95	1,20,353.1
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	76	76,964.9	78	1,10,118.3
(ii) ऋण	34	14,984.0	17	10,234.8
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	58	21,285.6	55	31,029.7
(ख) सूचीबद्ध	52	70,663.28	40	89,323.4
बी. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं जी.डी.आर.)
सी. निजी स्थानन और				
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	1,474	3,28,142.5	1,764	4,33,946.5
क) वित्तीय	1,286	2,29,298.6	1,480	2,82,355.3
ख) गैर-वित्तीय	188	98,843.9	284	1,51,591.3
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)	244	3,51,255.8	216	3,82,435.6
क) वित्तीय	156	2,13,037.3	138	2,55,149.9
ख) गैर-वित्तीय	88	1,38,218.5	78	1,27,285.7
3. कुल (1+2, i+ii)	1,718	6,79,398.3	1,980	8,16,382.1
(i) इक्विटी	13	51,216.4	30	74,738.4
(ii) कर्ज	1,705	6,28,181.9	1,950	7,41,643.7
डी. अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन	13	51,216.4	30	74,738.4
ई. म्यूचुअल फंड संग्रहण (निवल) #		87,300.8		2,14,743.0
1. निजी क्षेत्र		24,059.4		1,42,377.9
2. सार्वजनिक क्षेत्र		63,241.4		72,365.1
II. द्वितीयक बाजार				
बीएसई				
सेंसेक्स: समाप्ति-अवधि	29,468.5		49,509.2	
अवधि का औसत	38,756.7		40,826.4	
कीमत अर्जन अनुपात@	17.8		34.4	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	55.8		104.3	
नकदी खंड का कुल कारोबार		6,60,896.0		10,45,089.6
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		2,62,268.6		3,50,60,169.1
एनएसई				
निफ्टी 50: समाप्ति-अवधि	8,597.8		14,690.7	
अवधि का औसत	11,488.0		12,016.9	
कीमत अर्जन अनुपात@	19.4*		33.2*	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	55.2		103.6	
नकदी खंड का कुल कारोबार		89,98,811.1		1,53,97,910.0
इक्विटी के व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		34,45,32,891.8		64,36,18,108.3

...: कुछ नहीं अ: अनंतिम (2020-21 के लिए) #: निवल मोचन @: अवधि के अंत में

*: 31 मार्च 2021 से एनएसई द्वारा संगणना पद्धति में बदलाव के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए निफ्टी 50 के कीमत अर्जन अनुपात की तुलना नहीं की जा सकती है।

स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई, सीएसओ और विभिन्न व्यापारिक बैंक और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएँ [@]	बकाया देयताएँ [§]
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.7	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.5	-1.7	5.0	50.3	58.3
2000-01	0.9	4.0	-0.7	5.6	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.3	2.0	6.6	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.3	0.2	4.9	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.5
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.3	49.7
2018-19	0.4	2.4	-0.7	3.4	48.6	49.9
2019-20	1.6	3.3	0.3	4.6	50.9	52.3
2020-21 (सं.अ.) [#]	5.9	7.4	3.9	9.4	62.6	63.9
2021-22 (ब.अ.)	3.1	5.1	1.5	6.8	61.6	62.5
राज्य*						
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.8	0.7	-1.1	2.6	20.8	20.8
2000-01	1.8	2.5	0.1	4.2	28.1	28.1
2009-10	1.2	0.4	-1.4	3.0	26.4	26.4
2010-11	0.4	-0.2	-1.8	2.1	24.4	24.4
2011-12	0.4	-0.3	-1.9	2.0	23.2	23.2
2012-13	0.4	-0.3	-1.8	2.0	22.6	22.6
2013-14	0.7	0.0	-1.5	2.2	22.3	22.3
2014-15	1.1	0.3	-1.2	2.6	22.0	22.0
2015-16	1.5	0.0	-1.6	3.0	23.7	23.7
2016-17	1.8	0.2	-1.4	3.5	25.1	25.1
2017-18	0.7	0.1	-1.6	2.4	25.1	25.1
2018-19	0.8	0.1	-1.6	2.4	25.2	25.2
2019-20 (अं.ले.)	0.9	0.7	-1.1	2.4
2020-21 (सं.अ.)	2.4	1.5	-0.1	4.1
2021-22 (ब.अ.)	1.5	0.3	-1.4	3.2

... : उपलब्ध नहीं सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान अ.ले.: अंतिम लेखा

@ : केंद्र की बाह्य देयताएँ इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

§ : केंद्र की बाह्य देयताएँ इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

स्तंभ 6 और 7 में दर्शाए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च के अंत तक के बकाया आंकड़ों को दर्शाते हैं।

: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, 2020-21 के लिए उपयोग की जाने वाली जीडीपी नवीनतम उपलब्ध द्वितीय अग्रिम अनुमान है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय संकेतक पूर्व में प्रकाशित दस्तावेजों से कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं।

* : 2020-21 (सं.अ.) और 2021-22 (ब.अ.) के लिए डेटा केवल 17 राज्यों पर आधारित है।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष का सूचक है।

2. इस सारणी में दिये गए जीडीपी आंकड़े 2011-12 के नये आधार वर्ष पर आधारित हैं, जो कि नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्ति और संवितरण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	3,760.6	4,266.0	4,515.9	5,040.7	5,875.9	6,470.3
1.1 विकासात्मक	2,201.3	2,537.9	2,635.1	2,882.8	3,486.5	3,818.4
1.1.1 राजस्व	1,668.3	1,878.4	2,029.0	2,224.4	2,708.2	2,920.5
1.1.2 पूंजी	412.1	501.2	519.4	596.8	694.3	794.6
1.1.3 ऋण	121.0	158.3	86.7	61.6	84.0	103.3
1.2 विकासेतर	1,510.8	1,672.6	1,812.5	2,078.3	2,295.1	2,556.5
1.2.1 राजस्व	1,379.7	1,555.2	1,741.4	1,965.9	2,172.0	2,421.6
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	648.1	724.4	814.8	894.5	969.3	1,091.6
1.2.2 पूंजी	127.3	115.8	69.4	111.0	121.2	133.0
1.2.3 ऋण	3.8	1.6	1.7	1.3	2.0	2.0
1.3 अन्य	48.5	55.4	68.4	79.7	94.3	95.4
2 कुल प्राप्ति	3,778.0	4,288.4	4,528.4	5,023.4	5,779.4	6,524.5
2.1 राजस्व प्राप्ति	2,748.4	3,132.2	3,376.4	3,797.7	4,338.2	4,828.1
2.1.1 कर प्राप्ति	2,297.1	2,622.1	2,978.1	3,278.9	3,548.0	3,951.7
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,441.0	1,652.4	1,853.9	2,030.1	2,157.1	2,436.9
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852.3	965.6	1,121.2	1,246.1	1,386.7	1,510.3
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधान-मण्डल के)	3.9	4.1	3.1	2.8	4.2	4.5
2.1.2 कर से इतर प्राप्ति	451.3	510.1	398.3	518.8	790.3	8,76.4
2.1.2.1 ब्याज प्राप्ति	35.8	33.2	34.2	36.3	33.3	30.9
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्ति	59.8	69.1	142.4	140.3	129.5	232.2
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16.6	20.9	42.2	44.7	62.5	18.3
2.2.2 विनिवेश प्राप्ति	43.3	48.1	100.2	95.6	67.0	213.9
3 सकल राजकोषीय घाटा [1 - (2.1 + 2.2)]	952.4	1,064.7	997.1	1,102.7	1,408.2	1,410.0
3ए वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3ए.1 देशी वित्तपोषण	939.7	1,046.7	989.2	1,097.2	1,403.3	1,405.4
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231.1	617.1	144.8	387.1	518.1	-----
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	60.5	195.8	-144.8	326.0	190.2	-----
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	708.6	429.6	844.4	710.1	885.2	-----
3ए.2 बाह्य वित्तपोषण	12.7	18.0	7.9	5.5	4.9	4.6
3बी वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3बी.1 देशी वित्तपोषण	939.7	1,046.7	989.2	1,097.2	1,403.3	1,405.4
3बी.1.1 बाजार उधार (निवल)	673.3	689.8	794.9	795.8	962.4	1,105.6
3बी.1.2 अल्प बचत (निवल)	80.0	35.0	71.2	89.0	213.4	213.4
3बी.1.3 राज्य भविष्य निधियाँ (निवल)	35.3	45.7	42.4	51.0	42.9	42.5
3बी.1.4 आरक्षित निधियाँ	-3.3	-6.4	18.4	-18.3	-0.2	3.0
3बी.1.5 जमाराशि और अग्रिम	13.5	17.8	25.1	66.3	32.9	36.0
3बी.1.6 नकदी शेष	-17.4	-22.5	-12.5	17.4	96.5	-54.3
3बी.1.7 अन्य	158.4	287.3	49.7	96.0	55.3	59.1
3बी.2 बाह्य वित्तपोषण	12.7	18.0	7.9	5.5	4.9	4.6
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्ति	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्ति	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्ति	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं सं.अ.- संशोधित अनुमान ब.अ.- बजट अनुमान

टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित है।

सभी राज्यों द्वारा अपना अंतिम बजट पेश करने के बाद सामान्य सरकारी राजकोषीय आंकड़ों का संशोधन अक्टूबर के महीने में किया जाएगा और उन्हें आरबीआई द्वारा अपने वार्षिक प्रकाशन- 'राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन' के माध्यम से सारणीबद्ध, समेकित और प्रसारित किया जाता है। तदनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में संशोधन के कारण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजकोषीय संकेतकों का कोई संशोधन भी उस समय किया जाएगा।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, पोत पर्यंत निःशुल्क	2,80,138	3,08,970	3,37,237	3,20,431	2,05,174
2 आयात, लागत, बीमा और भाड़ा	3,92,580	4,69,006	5,17,519	4,77,937	2,65,378
3 व्यापार संतुलन	-1,12,442	-1,60,036	-1,80,283	-1,57,506	-60,204
4 अदृश्य मदे, निवल	98,026	1,11,319	1,23,026	1,32,850	92,554
क) 'गैर कारक' सेवाएँ जिसमें से:	68,345	77,562	81,941	84,922	64,996
सॉफ्टवेयर सेवाएँ	70,763	72,186	77,654	84,643	66,171
ख) आय	-26,302	-28,681	-28,861	-27,281	-27,060
ग) निजी अंतरण	56,573	62,949	70,601	76,217	55,331
5 चालू खाता शेष	-14,417	-48,717	-57,256	-24,656	32,350
बी. पूंजी खाता					
1 विदेशी निवेश, निवल (क+ख)	43,224	52,401	30,094	44,417	69,676
क) प्रत्यक्ष निवेश	35,612	30,286	30,712	43,013	40,819
ख) संविभाग निवेश	7,612	22,115	-618	1,403	28,857
2 बाह्य सहायता, निवल	2,013	2,944	3,413	3,751	7,174
3 वाणिज्यिक उधारियाँ, निवल	-6,102	-183	10,416	22,960	-6,362
4 अल्पावधि क्रेडिट, निवल	6,467	13,900	2,021	-1,026	-1,784
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से :	-16,616	16,190	7,433	-5,315	-16,642
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	-12,367	9,676	10,387	8,627	7,903
6 रुपया कर्ज सेवाएँ	-99	-75	-31	-69	-57
7 अन्य पूंजी, निवल ⁸	7,559	6,213	1,057	18,462	-1,151
8 कुल पूंजी खाता	36,447	91,390	54,403	83,180	50,854
सी. भूल-चूक	-480	902	-486	974	693
डी. समग्र शेष [ए (5)+ बी (8)+सी]	21,550	43,574	-3,339	59,498	83,897
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ+जी)	-21,550	-43,574	3,339	-59,498	-83,897
एफ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. आरक्षित निधियाँ और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-, कमी+)	-21,550	-43,574	3,339	-59,498	-83,897
जिसमें से: एसडीआर आबंटन	0	0	0	0	0
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1 व्यापार संतुलन	-4.9	-6.0	-6.7	-5.5	-3.2
2 निवल सेवाएं	3.0	2.9	3.0	3.0	3.4
3 निवल आय	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.4
4 चालू खाता शेष	-0.6	-1.8	-2.1	-0.9	1.7
5 पूंजी खाता, निवल	1.6	3.4	2.0	2.9	2.7
6 विदेशी निवेश, निवल		2.0	1.1	1.5	3.7

* : स्तंभ 6 में डेटा अनंतिम हैं और अप्रैल-दिसंबर 2020 से संबंधित हैं।

\$: इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियाँ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामले।

टिप्पणी: 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोने तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों से भिन्न हैं, जिसका कारण कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 9 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अ)
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	36,317	37,366	38,744	42,629	52,545
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	6,529	9,273	14,632	12,612	15,908
यूएस	2,138	1,973	2,823	3,401	13,204
मॉरीशस	13,383	13,415	6,570	7,498	4,491
यूई	645	408	853	323	4,071
सऊदी अरब	12	125	27	89	2,815
केमन द्वीपसमूह	49	1,140	863	3,496	2,558
नीदरलैंड	3,234	2,677	2,519	5,295	2,138
जापान	4,237	1,313	2,745	2,308	1,794
फ्रांस	487	403	375	1,167	810
यूके	1,301	716	1,211	1,125	779
जर्मनी	845	1,095	817	443	626
स्पेन	213	243	109	83	425
दक्षिणी कोरिया	466	293	982	777	400
लक्जमबर्ग	99	243	251	252	267
बेल्जियम	172	213	56	388	246
ताइवान	12	112	24	44	219
स्विट्ज़रलैंड	502	506	280	140	188
अन्य	1,993	3,218	3,607	3,188	1,604
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
कम्प्यूटर सेवाएँ	1,937	3,173	3,453	4,104	23,050
परिवहन	891	1,267	1,019	2,333	7,584
विनिर्माण	11,972	7,066	7,919	8,153	6,739
फुटकर व थोक व्यापार	2,771	4,478	4,311	4,914	2,960
वित्तीय सेवाएँ	3,732	4,070	6,372	4,326	2,728
संचार सेवाएँ	5,876	8,809	5,365	6,838	2,314
व्यापार सेवाएँ	2,684	3,005	2,597	3,684	1,750
निर्माण	1,564	1,281	2,009	1,937	1,746
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,722	1,870	2,427	1,906	989
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	205	347	736	528	963
विविध सेवाएँ	1,816	835	1,226	443	671
स्थावर-संपदा कार्यकलाप	105	405	213	564	401
रेस्तरां व होटल	430	452	749	2,546	278
खनन	141	82	247	217	186
व्यापार	0	0	0	0	0
अन्य	470	226	102	137	187

अ: अनंतिम

टिप्पणी: केवल अनुमोदन और स्वचालित व्यवस्था के माध्यम से आने वाली एफडीआई शामिल है।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
जंग बहादुर सिंह, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा ऐकमे पैक्स अँड प्रिंट्स (इं) प्रा. लिमि., ए-विंग, गाला नं. 73, विरवानी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगाँव-पूर्व, मुंबई-400 063 में मुद्रित

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai
Printed and Published by Jang Bahadur Singh, Director on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road,
Fort, Mumbai – 400 001 and Printed at ACME Packs & Prints (I) Pvt. Ltd.,
A Wing, Gala No.73, Virwani Industrial Estate, Goregaon - East, Mumbai - 400 063.